अष्टम माला, खंड 13, अंक 2

शुक्रवार, 21 फरवरी, 1986
2 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 55
Date 24/2/86

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 13, पांचवां सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 2, शुक्रवार, 21 फरवरी, 1986/2 फाल्गुन, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
मंत्रियों का परिचय	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 3, 5, 6 और 17	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—198
तारांकित प्रश्न संख्या : 4, 7 से 16, 18 और 20	21—33
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1 से 36, 38, 39, 41 से 45, 47 से 118, 120 से 171, 173 से 195 और 197 से 223	33—198
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	198—205
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	205—212
विधेयकों पर अनुमति	213—214
प्राक्कलन समिति	214
23वां और 24वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
रेल अभिसमय समिति	214
तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
सभा का कार्य	215—219

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

कच्चे पटसन के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के बारे में वक्तव्य 219—221

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक 221—229

नियम 66 के परन्तुक निलम्बन के संबंध में प्रस्ताव 229

गर्म मसाला बोर्ड विधेयक और 230—250

गर्म मसाला उपकर विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी० शिव शंकर 230

श्री थम्पन थामस 231

प्रो० पी० जे० कुरियन 234

श्री सुरेश कुरुप 238

श्री मूलचन्द डागा 240

डा० के० जी० अदियोडी 243

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल 244

श्री गिरधारी लाल व्यास 245

श्री पी० शिव शंकर 247

गर्म मसाला बोर्ड विधेयक 250—253

खंड 2 से 42 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी० शिव शंकर 253

गर्म मसाला उपकर विधेयक 253—255

खंड 2 से 5 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी० शिव शंकर 254

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक 255—256

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 255

विधेयक—पुरःस्थापित

(1) अंग (चिकित्सीय एवं प्रतिरोपण प्रयोजनार्थ उपयोग का अधिकार) विधेयक 256

श्री मानिक सान्याल 256

(2) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 311 में संशोधन, आदि) 257

श्री थम्पन थामस 257

(3) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक (धारा 1 में संशोधन, आदि) 257

श्री प्रियरंजन दास मुंशी 257

(4) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा 24 और 25 में संशोधन 257

श्री प्रियरंजन दास मुंशी 257

(5) कृषक वृद्धावस्था पेंशन विधेयक 258

श्री बाला साहिब विखे पाटिल 258

(6) अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण विधेयक 258

श्री उत्तम राठौड़

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 125 और 127 में संशोधन) 259—264

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री सैफुद्दीन चौधरी 259

श्री एस० बी० चव्हाण 261

श्री जी० एम० बनातवाला 262

वापस लिए जाने के लिए प्रस्ताव

श्री जी० एम० बनातवाला 264

संविधान (संशोधन) विधेयक (नए भाग 10-क का अंतः स्थापन) 264—265

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री ए० के० सेन 264

श्री एस० बी० चव्हाण 264

स्थगन प्रस्ताव

उर्वरकों और पैट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि 265—372

प्रो० मधु दंडवते 266

विषय	पृष्ठ
श्री भागवत झा आजाद	272
श्री सी० माधव रेड्डी	281
श्री विद्याचरण शुक्ल	283
श्री सोमनाथ चटर्जी	287
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	294
श्री पी० कुलन्दईवेलू	301
श्री जी० जी० स्वैल	303
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	307
श्री ब्रह्म दत्त	308
श्री दिनेश गोस्वामी	311
श्रीमती कृष्णा साही	317
श्री इन्द्रजीत गुप्त	319
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	326
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	336
श्री श्याम लाल यादव	339
श्री आनन्द गजपति राजू	342
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	343
श्री पलास बर्मन	346
श्री राम प्यारे पनिका	347
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	350
श्री हरुभाई मेहता	351
श्री अब्दुल रशीद काबुली	354
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	361
सरदार बूटा सिंह	363
प्रो० मधु दंडवते	370
कार्य मंत्रणा समिति	372
18वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	372

लोक सभा

शुक्रवार, 21 फरवरी, 1986/2 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मन्त्रियों का परिचय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री नये मंत्रियों का परिचय कराएंगे ।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको, और आपके माध्यम से सभा को अपने सहयोगियों का परिचय कराते हुए प्रसन्नता हो रही है :

श्री पी० शिव शंकर : वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री;

श्री चन्द्र शेखर सिंह : पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार; और

श्री पी० चिदम्बरम : जिन्हें अब कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री का स्तर दिया गया है ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

चीनी के उत्पादन में गिरावट

*1. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के पेराई मौसम के दौरान देश में चीनी का अनुमानत: कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का ऐसा अनुमान है कि चीनी के उत्पादन में कमी होगी; और

(ग) यदि हां, तो कितनी कमी होने की संभावना है और इस कमी को किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) 1985-86 के दौरान लगभग 65 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है जो कि पिछले दो मौसमों के उत्पादन अर्थात् 1983-84 मौसम में हुए 59.16 लाख मीटरी टन और 1984-85 मौसम में हुए 61.44 लाख मीटरी टन के उत्पादन से अधिक होगा। अब तक उत्पादन की प्रवृत्तियां उत्साहवर्द्धक हैं और उत्पादन 65 लाख मीटरी टन के अनुमान से भी अधिक हो सकता है।

चीनी के आयातित स्टाक सहित, देश में चीनी की वर्तमान समूची उपलब्धता चालू चीनी वर्ष 1985-86 में आन्तरिक खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, आपको पता है यह जो उत्तर माननीय मन्त्री जी ने दिया है वह बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं है और वस्तुस्थिति भी वैसी नहीं है क्योंकि देश में 1981-82 में 84 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ था और गए दो सालों से हमारा कंजम्शन 65 से 90 लाख टन तक गया है। अभी यदि 65 लाख टन चीनी का उत्पादन होगा तो इन्टर्नल कंजम्शन को मीट करने के लिए मुझे लगता है सरकार कुछ चीनी इम्पोर्ट करने जा रही है। इस स्थिति को देखते हुए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि यह जो देश में रहने वाले इतने किसान और वर्कर्स चीनी के उत्पादन में लगे हुए हैं उनको, चीनी का ज्यादा उत्पादन बढ़ाने के लिए, सरकार कुछ इन्सेन्टिव देगी या सिर्फ चीनी इम्पोर्ट ही करने जा रही है ?

इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि नयी चीनी नीति का एलान करने के बाद नार्थ इंडिया में कुछ चीनी मिल मालिक किसानों को उचित पेमेन्ट नहीं कर रहे हैं जिसके कारण किसानों की ओर से एजिटेशन हो रहे हैं तो इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा : जहां तक गन्ना उत्पादकों का संबंध है, उनको पेश आने वाली मुश्किलों से सरकार अच्छी प्रकार से अवगत है, अत: कृषि लागत और मूल्य आयोग संतोष में इसे सी०ए०सी०पी० कहा जाता है—के अनुसार न्यूनतम प्रस्तावित मूल्य को बढ़ाकर 16.50 रु० कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसका नाम कृषि मूल्य आयोग से बदल दिया है।

श्री ए० के० पंजा : हां, इसका नाम कृषि मूल्य आयोग से बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : एपीसी तो सिर दर्द के लिए लिये जाने वाला पाउडर है।

श्री ए. के. पंजा : जहां तक गन्ना उत्पादकों का संबंध है, हमें उनके हितों का ध्यान रखते हुए इन प्रस्तावित मूल्यों को स्वीकार किया है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : अध्यक्ष जी, मैंने यह भी पूछा था कि नयी चीनी नीति तय करने के बाद जो चीनी मिल मालिक किसानों को ज्यादा दाम नहीं दे रहे हैं और जिसके कारण

एजिटेशन हो रहे हैं तो उसके बारे में सरकार ने क्या किया है ? और जब 90 लाख टन चीनी का कंजम्शन होने जा रहा है, जब इतनी खपत बढ़ रही है तो इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है ? इसका उत्तर भी मन्त्री जी ने नहीं दिया है । वे दूसरी बात बता रहे हैं ।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा : माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं । पहले प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया है । जब खपत 90 मिलियन टन हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे । वर्तमान संकेतों के अनुसार हम आसानी से इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे । अगर कोई कमी आई तो पिछले वर्ष की तरह इस बार भी इसका आयात किया जायेगा । लेकिन हमारा चीनी-वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है । हमें कम से कम अप्रैल के अन्त तक इन्तजार करना होगा ताकि वास्तविक खपत और वास्तविक उत्पादन का पता लग सके ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो, इस प्रयोजनार्थ सरकार ने करीब 400 करोड़ रु० का गन्ना विकास निधि एकत्र किया है । सरकार के पास यह निधि बेकार पड़ी हुई है, जबकि चीनी की और फैक्ट्रियों में गन्ने की कमी है । सरकार इस निधि का कैसे उपयोग करेगी ? इस निधि से गन्ना-उत्पादकों के लिए कितनी योजनायें स्वीकृत की गई हैं ।

श्री ए० के० पंजा : मुझे किसी निधि की बेकार पड़े होने की जानकारी नहीं है । वास्तव में स्रोतों की कमी की बात कही जाती है । मैं 400 करोड़ रु० बेकार पड़े होने के बारे में जांच करूंगा और तब इस बारे में उत्तर दूंगा ।

श्री चम्पन थामस : पहले चीनी फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को सहायता दी जाती थी । अब इसे बन्द कर दिया गया है । इसीलिए गन्ना-उत्पादन क्षेत्र कम हो गया है । मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में ट्रावनकोर सुगर मिल्स लि० नाम से एक चीनी मिल है । इस क्षेत्र में पहले काफी बड़े क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होता था । अब यह मात्र 40 प्रतिशत ही रह गया है । इसीलिए उत्पादन में कमी आई है । वास्तव में मंत्री महोदय ने उत्तर दिया था कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्पादन अधिक हुआ है, लेकिन इसकी 1980 या 1981 से तुलना नहीं की गई है । क्या सरकार ऐसी योजना बनाएगी जिससे गन्ना उत्पादन में वृद्धि के लिए फैक्ट्रियों के माध्यम से प्रति हैक्टेयर की दर से सहायता दी जा सके ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : किसानों को काश्त के लिए सहायता देने का प्रश्न नहीं है । यह वसूली मूल्य में संशोधन करने का प्रश्न है जिससे किसानों को अधिक क्षेत्र में इसकी काश्त करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके ।

श्री चम्पन थामस : पहले जब यह योजना लागू थी तो उत्पादकों को सीधे ही सहायता प्राप्त हो जाती थी, लेकिन अब बिचौलियों को लाभ हो रहा है । बिचौलियों को समाप्त करने के लिए, हम चाहेंगे कि सरकार सीधे ही काश्तकारों को सहायता प्रदान करे, ताकि अधिक क्षेत्र में गन्ना उगाया जा सके । क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर फैक्ट्रियों को निर्देश जारी करेगी कि वे बिचौलियों को नहीं बल्कि सीधे काश्तकारों को ही सहायता दे ।

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक बिचौलियों का संबंध है अगर वह हस्तक्षेप करता है या समस्याएं पैदा करता है तो उनका मामला अलग तरीके से निपटाया जाता है। लेकिन सहायता एक अलग मामला है। जैसा कि मैंने कहा, हम निश्चय ही जब आवश्यक होगा वसूली मूल्य में संशोधन करेंगे, ताकि गन्ना-उत्पादक क्षेत्र मे वृद्धि की जा सके।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने का मूल्य 23-24 रु० प्रति क्विंटल कर रखा है। इस पर किसानों द्वारा गन्ने की सप्लाई नहीं हो रही है, जबकि बहुत सी प्राइवेट मिलें गन्ने का दाम 28 रु० दे रही हैं, तब कहीं जा कर गन्ना मिलना शुरु हुआ है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या यह दाम अन्य फैक्ट्रियां नहीं दे सकती हैं ?

[अनुवाद]

श्री पी० शिव शंकर : सांविधिक दायित्व के आधार पर भारत सरकार, समय पर समय विशेष तौर से गन्ना वर्ष के आरम्भ में, वसूली मूल्य निश्चित करती है। लेकिन जब, राज्य सरकारों का प्रश्न आता है वे जो कार्यवाही करती हैं उसे किसी कानून का समर्थन प्राप्त नहीं। उन्हें इस बात पर विचार करना होता है कि गन्ना उत्पादकों को कितनी सहायता देनी है। अगर वे 23 या 24 रु० दे रहे हैं और निजी मिलें 28 रु० की दर से खरीद रही हैं तो शायद ऐसे मामले में राज्य-सरकार मूल्य में वृद्धि कर दे लेकिन यह एक बिल्कुल ही अलग मामला है।

श्री विजय एन० पाटिल : अपनी जानकारी से मैं सभा को बता सकता हूं कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान फैक्ट्री पुनर्वास अधिनियम और गन्ना विकास विनियम के अधीन काफी मात्रा में गन्ना विकास निधि एकत्र की गयी है। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि वह इस निधि का क्या कर रहे हैं। कई चीनी फैक्ट्रियों ने इस गन्ना विकास निधि से गन्ने के विकास के लिए और अधिक क्षेत्र में गन्ना उत्पादन के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं। अतः, मैं जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार की तरह राज्य सरकारों द्वारा ये प्रस्ताव भेजे जाने पर केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

श्री ए० के० पंजा : श्रीमन्, जहां तक महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव का संबंध है, मैं इसकी जांच करूंगा। लेकिन जहां तक निधि का संबंध है, मुझे सूचना प्राप्त है। हाल ही में गन्ना विकास के लिए दो करोड़ रु० मंजूर किये गये हैं। जब कभी भी प्रस्ताव आते हैं. इन पर विचार कर, विकास के लिए अन मंजूर किया जाता है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूँ कि चीनी का आयात बन्द करने और इसका निर्यात शुरु करने के लिए कोई ठोस प्रस्ताव हैं।

श्री पी० शिव शंकर : माननीय सदस्य शायद मानेंगे कि आयात देश की आवश्यकता पर निर्भर है। अगर देश में खपत अधिक है और उत्पादन कम है तो, निश्चय ही सरकार को आयात

करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक इस वर्ष का संबंध है, आयात करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

*2. **श्री गदाधर साहा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आम जनता द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कोयला, चावल, गेहूं, मिट्टी का तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हाल ही में वृद्धि की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसका ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के निर्धन लोगों, उनकी आमदनी, कृषि, ढुलाई की लागत आदि पर कुप्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) आम जनता द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले इन खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कुछ प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। तथापि, जहां तक ये वृद्धि योजना प्रयासों को मजबूत करने के लिए संसाधन जुटाने और गरीबी निवारक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में और अधिक गति लाने में सहायक सिद्ध होती है, देश को उतना ही लाभ पहुंचेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के तहत सस्ते दामों पर खाद्यानों की सप्लाई प्राप्त करते रहेंगे। कृषि जन्य वस्तुओं के वसूली/समर्थन मूल्य, अन्य बातों के अलावा, विभिन्न आदानों की लागत को ध्यान में रखते हुए नियत किये जाते हैं। पैट्रालियम पदार्थों के प्रयोग को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की समग्र कुशलता को सुधारा जा रहा है।

सरकार की नीति में मुख्य बल, पहले की तरह आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर जिनकी आपूर्ति कम है, के उत्पादन में वृद्धि करने पर दिया जा रहा है। सार्बजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाया जा रहा है तथा उसका विस्तार किया जा रहा है देशीय आपूर्ति की अनुपूर्ति के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर रोक है/उसे विनियमित किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा चोरबाजारियों तथा मुनाफाखोरों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

बढ़ती हुई राज-सहायता को कम करने की दृष्टि से चावल और गेहूं के निर्गम मूल्यों को संशोधित किया गया है, ताकि इस प्रकार से बचाई गई राशि का उपयोग योजना प्रयासों को मजबूत करने और गरीबी-निवारक कार्यक्रमों, जिनमें आदिवासी क्षेत्रों, ग्रामीण कार्यों और कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत महिलाओं और बच्चों को सस्ते खाद्यान्न सप्लाई करना शामिल है, के कार्यान्वयन को और गति प्रदान करने के लिए किया जा सके।

श्री गदाधर साहा : अध्यक्ष महोदय, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के लोगों के मन में आम उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक अभूतपूर्व बिल्कुल अनुचित मूल्य वृद्धि के कारण तथा उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ने के कारण गम्भीर असंतोष है और उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके अलावा खाद्यान्न और उर्वरक पर राजसहायता भी कम कर दी गई जिससे उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ेगा। वे शान्तिपूर्ण विरोध, हड़तालें और बन्द आदि के माध्यम से अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। क्या इन सबको ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय मूल्य वृद्धि के निर्णय को कम करने/वापस लेने के बारे में कदम उठायेंगे, ताकि मुद्रा-स्फिति के संकट पर नियत्रंण किया जा सके और आम उपभोक्ता और राज्यों पर अतिरिक्त खर्चे के भार में कमी की जा सके। हमें यह भी बताया जाए कि बजट-सत्र से पूर्व संसद की अनदेखी कर कई-एक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि क्यों की गई है ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप कहिए कि यह गलती थी और बैठ जाइए।

श्री पी० शिव शंकर : श्री सोमनाथ, शायद आपके दिमाग के कोई गलती है···**(व्यवधान)** मुझे भी उत्तर देने दीजिए। जहां तक मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार, विशेष रूप से यह सरकार, खुशी से मूल्यों में वृद्धि नहीं करती है। मैं यह कहना चाहता हूं। वास्तव में ···**(व्यवधान)**···यह आन्दोलन आपने बाहर चलाया है, कृपया इसे सभा में भी मत चलायें····**(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : वह 12 बजे होगा।

श्री पी० शिव शंकर : वह एक अलग विषय है। दो मुख्य कारणों से प्रशासित मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक होता है, एक तो योजना गतिविधियों पर बल देने के लिए स्रोतों को जुटाने और दूसरे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर जोर देने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : मेरे मित्र सदन में और सदन के बाहर जिस तरह उत्तेजित हो रहे हैं ···

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों न हों ? हम उत्तेजित हैं।

श्री पी० शिव शंकर : मैं केवल यह कह रहा था कि उनमें पूरा वाक्य सुनने का धैर्य भी नहीं है। मैं इसे दोबारा कहता हूं; क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? सभा में और उसके बाहर जिस तरह मेरे मित्र उत्तेजित हो रहे हैं उससे पता लगता है कि कीमतों में बढ़ोत्तरी से वही खुश हुए हैं जो विपक्ष में बैठे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, बहुत आपत्ति जनक बात है। यह गम्भीर मामला है। हम कीमतों में वृद्धि से कैसे खुश हो सकते हैं ? आप क्या बात कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत।

श्री पी० शिव शंकर : मुझ पर वार करने की कोशिश करेंगे तो बदले में वार खाने के लिए भी तैयार रहिए। अब, महोदय, इसका दूसरा भाग इस प्रकार है। सरकार की सुविचारित राय यह है कि कीमतों में कमी केवल ---**(व्यवधान)**---- मैं हार मानने को तैयार नहीं हूं। मुझे बोलने दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : सदस्यों पर अपमानजनक आरोप मत लगाइए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कीमत में हर वृद्धि एकाधिकारवादी घरानों द्वारा दवाब डालने से हुई है न कि संसद सदस्यों द्वारा।

श्री पी० शिव शंकर : अगर हाजिर जबाबी को भी अपमानजनक टिप्पणी समझा जाता है तो मुझे खेद है। प्रोफेसर द्वारा की जाने वाली बहुत-सी टिप्पणियां और कुछ न होकर अपमानजनक मांग होती हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यह इसका ही हिस्सा है।

श्री पी० शिव शंकर : मैं भी यही कह रहा हूं। बात यह है कि कीमतों में कोई भी कमी योजना और गरीबी दूर करो कार्यक्रमों की कीमत पर ही की जा सकती है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने उत्तर नहीं दिया।

श्री पी० शिव शंकर : मैंने उत्तर दिया है आपने नहीं सुना तो मैं क्या कर सकता हूं ? मैंने संगत उत्तर दिया है। अगर आप समझ नहीं पाए तो मैं क्या कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उत्तेजित मत होइए।

श्री गदाधर साहा : उन्होंने मेरे प्रश्न के भाग दो का उत्तर टाल दिया है। मैंने पूछा है कि संसद की उपेक्षा करके बजट सत्र की पूर्व संध्या को ऐसा क्यों किया गया। उन्हें इसका स्पष्ट जबाब देना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। हर वक्त व्यवधान मत डालते रहिए। लगातार कमेंट्री मत दीजिए।

श्री पी० शिव शंकर : इस प्रश्न में जरा सा राजनैतिक पुट है। **(व्यवधान)**। अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मुझे खेद है। जब मैं जबाब दूं तो आपको पूरे ध्यान से सुनना चाहिए उसके बाद आपको पूरक प्रश्न पूछने का हक है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाए तो ठीक है। लेकिन आपको उत्तर सुनना ही होगा । इस तरह का व्यवहार आप कैसे कर सकते हैं ? आप सारा समय बैठकर बातें करते रहते हैं जोकि असंसदीय है ।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय मेरा निवेदन यह है कि संसद का सत्र शुरू होने से पूर्व प्रशासनिक निर्णय लेना अनुचित नहीं है ।

श्री वसुदेव आचार्य : क्यों ?

श्री पी० शिव शंकर : अगर आप 'क्यों' कहते हैं, तो आप मुझे वह कानून दिखाइए जिसके अन्तर्गत यह आवश्यक हो कि संसद में ही यह किया जाना चाहिए । मेरा कहना है कि इसमें कोई अनुचित बात नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री अमर राय प्रधान : यह एक परम्परा है ।

श्री पी० शिव शंकर : जी नहीं, इस तरह की कोई परम्परा नहीं है । (**व्यवधान**) । मुझे खेद है कि कोई परम्परा नहीं है । अगर अधिकार का प्रश्न है तो कोई परम्परा नहीं है । इस तरह की कोई परम्परा नहीं है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने हमेशा ऐसा किया है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह उचित है कि सभी परम्पराओं का लिखित में रिकार्ड रखा जाए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नोत्तर काल है । वह उसका उत्तर दे रहे हैं ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विनिर्णयों का हमेशा रिकार्ड रखा जाता है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं है । बेहतर होगा आप उन्हें याद दिला दें ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्नोत्तर काल है और वह इसका उत्तर देंगे ।

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय अध्यक्ष के विनिर्णय मौजूद हैं और यह प्रश्न ··· (**व्यवधान**) । यह उन्होंने पीठ से पूछा है, संभवतः आप इस बारे में नहीं जानते होंगे ।

श्री पी० शिव शंकर : विनिर्णय और अनौचित्य में फर्क होता है । (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विनिर्णय उनका होता है, अनौचित्य है ।

श्री पी० शिव शंकर : बिल्कुल नहीं ।

श्री गदाधर साहा : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि क्या·····

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही दो प्रश्न पूछ चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री गदाधर साहा : दूसरे को छोड़ दिया गया है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह उनका दूसरा पूरक प्रश्न है।

श्री गदाधर साहा : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा 1969 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग ने केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीति और कीमतों में वृद्धि के निर्णय के कारण राज्य सरकारों पर पड़ने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के संबंध में केन्द्र सरकार के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में कुछ विशिष्ट सिफारिशें की थीं। यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या सरकार ने इस सिफारिश के अनुसार कार्यवाही नहीं की ? (व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : बात यह है कि प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा 1968 में की गई सिफारिशों में यह उल्लेख जरूर है कि उपयुक्त मामलों में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों की सहायता करनी चाहिए। वस्तुतः केन्द्र सरकार हमेशा राज्य सरकारों की सहायता करती रही है।

श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम : महोदय, प्रश्न का ठीक से या पूरी तरह से जबाब नहीं दिया गया है : "क्या यह सच है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है।" उन्हें "हां" या "नहीं" में स्पष्ट जवाब देने दीजिए। यदि हां तो किस सीमा तक। उन्होंने इसका जबाब नहीं दिया है। उन्होंने यही कहा है कि·····

अध्यक्ष महोदय : कीमतें बढ़ी हैं इससे उन्होंने कभी इन्कार नहीं किया है।

श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम : ठीक है, लेकिन उन्हें कोयला, चावल, गेहूं, मिट्टी के तेल आदि के बारे में बताना चाहिए था कि उनकी कीमतों में किस सीमा तक वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह बातें समाचारपत्रों में पहले ही प्रकाशित हो चुकी हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप स्पष्ट प्रश्न पूछिए, आंकड़ों का ब्यौरा क्यों मांग रहे हैं ? आंकड़े तो उसमें हैं ही।

श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम : महोदय, उनका उत्तर पूरा नहीं है। दूसरा पहलू यह है—'कि या यह भी सच है कि इसका प्रभाव ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों, उनकी आमदनी, कृषि, खाई की लागत आदि पर पड़ेगा'। इस बारे में उनका क्या उत्तर है ? इस प्रश्न का उत्तर देने में न्होंने पहल नहीं की या उन्होंने हिम्मत नहीं की। तो मैं इसका उत्तर चाहता हूं। उन्हें उत्तर ने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा वह कर ही चुके हैं। माननीय मंत्री जी, अगर आप इस बारे में कुछ और कहना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री पी० शिव शंकर : असल बात यह है कि मेरे विद्वान मित्र ने मेरे सहयोगी द्वारा पढ़े जा चुके भाग एक को पढ़ा नहीं है। भाग (क) का उत्तर है 'जी हां महोदय'।

श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम : किस सीमा तक ? इसका उत्तर दिया जाना चाहिए।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय मुझे खेद है जो प्रश्न पूछा गया है उसी का उत्तर दिया गया है।

श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम : यहां उल्लखित प्रत्येक अनिवार्य वस्तु के संबंध में किस सीमा तक ?

श्री पी० शिव शंकर : मैंने बताया था कि उत्तर है :

"(क) जी हां, महोदय।

(ख) से (घ) हमने सभा पटल पर एक विवरण रख दिया है।"

अगर आप चाहें तो मैं सारा पढ़ देता हूं। इससे (ख) से (घ) तक में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। मैंने सोचा कि इसे सभा पटल पर रख दिया गया है। इसीलिए मैंने इसका उल्लेख नहीं किया था।

श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम : यह एक स्पष्ट रूप से पूछा गया पूरक प्रश्न है। यह महत्वपूर्ण है। उन्हें ब्यौरा देना ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ये आंकड़े तो समाचारपत्रों में प्रकाशित हो ही चुके हैं।

श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम : आंकड़े उनकी फाइल में नहीं हैं। उनकी फाइलों में आंकड़े नहीं दर्शाए गए हैं। अगर वह आंकड़े देगें तो उन पर विचार करेंगे।

श्री पी० शिव शंकर : मैं उन्हें सभा पटल पर रख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ब्यौरे दर्शाने के लिए आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : कीमत वृद्धि का एक कारण उपभोग को कम करना बताया गया है और माननीय वित्त मंत्री ने अपने पिछले बजट भाषण में इस सभा को आश्वासन दिया था कि जहां तक सरकारी और अर्ध-सरकारी निकायों का संबंध है, पेट्रोल के उपभोग को कम करने के लिए सभी उपाय किए जायेंगे।

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जहां तक सरकारी और अर्ध सरकारी निकायों का संबंध है, पिछले साल के दौरान पेट्रोल के उपभोग में कितनी कटौती की गई ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार अपनी इस स्थिति को कैसे सामंजस्य स्थापित करेगी। एक ओर तो सरकार पेट्रोल के उपभोग को कम करने की बात करती है और दूसरी ओर पिछले डेढ़ सालों से मोटर वाहनों तथा स्कूटरों की संख्या में 60% और 30% वृद्धि के लिए लाइसेंस दिये हैं।

श्री पी० शिव शंकर : प्रश्न यह पूछा गया है कि वित्त मंत्री जी द्वारा दिये गये विवरण के आधार पर पिछले साल उपभोग में कितनी कमी हुई है। इस बारे में सूचना हम बाद में सभा पटल पर रखेंगे। क्योंकि इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है। (व्यवधान)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन् : केरल में हर गांव में राशन तथा उचित दर की दुकानें हैं लेकिन इनके माध्यम से कुछ ही वस्तुयें वितरित की जाती हैं। राज्य सरकारों के माध्यम से हम सभी गांवों में उचित दर की दुकान खोलकर वहां उनके माध्यम से सभी अनिवार्य वस्तुओं का वितरण क्यों नहीं करते ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस बारे में प्रधानमंत्री जी संबंधित विभाग को निर्देश पहले ही जारी कर चुके हैं। हम आंकड़े तैयार कर रहे हैं।

बैंक अधिकारियों के घरों और कार्यालयों पर छापे

*3. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 48 बैंक अधिकारियों के कार्यालयों और घरों पर 31 जनवरी, 1986 को छापे मारे गये थे और वहां से मुद्रा और दस्तावेज आदि जब्त किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जब्त किये गये दस्तावेजों की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो ये अधिकारी किस प्रकार के कदाचारों और अनियमितताओं में लिप्त थे;

(ङ) कितने मामलों में इन अधिकारियों के विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है;

(च) क्या कोई विभागीय कार्यवाही की गई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (छ) तक एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह बताया है कि ब्यूरो की विभिन्न शाखाओं में जांच के लिए दर्ज किये गये 54 मामलों के संबंध में उसने 31 जनवरी, 1986 को बैंक अधिकारियों और प्राइवेट फर्मों के कार्यालयों/घरों की तलाशी ली थी। इन मामलों से बैंकों के 52 वर्तमान तथा भूतपूर्व कर्मचारियों का संबंध था। ब्यूरो ने यह भी बताया है कि तलाशी के दौरान निम्नलिखित चल/अचल सम्पत्ति का पता चला :—

(एक) नकदी, बैंक जमा सावधि जमा रसीदें, राष्ट्रीय बचत पत्र, धारक बांड आदि— लगभग 20,40,293/- रुपये

(दो) आभूषण, आयातित वी०सी०आर०, टी०वी०, कारें, बहुमूल्य बिजली का सामान आदि जैसी चल परिसम्पत्ति। लगभग 23,88,729/- रुपये

(तीन) सुन्दर कालोनियों में मकान, प्लाट और जमीन आदि जैसी अचल परिसम्पत्ति। लगभग 47,82,450/- रुपये

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह भी बताया है कि तलाशी के दौरान ऋण दिये जाने, चल/अचल सम्पत्ति में निवेश आदि से संबंधित वित्तीय लेन-देनों के आपराधिक दस्तावेज, भी बरामद हुए और ब्यूरो द्वारा उनकी जांच की जा रही है।

(ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अनुसार 54 मामले दर्ज किये गये हैं और अदालतों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गयी है।

(च) और (छ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज किये गये मामलों के परिणामस्वरूप विभागीय कार्रवाई ब्यूरो द्वारा जांच को अन्तिम रूप दिये जाने और बैंकों को उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने के बाद ही की जा सकती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है उसमें जो कार्य किये गये हैं उनके कुल परिणाम के बारे में बहुत सामान्य जानकारी दी गयी है। इसमें किसी विशेष बात का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रश्न को पूछने का मेरा उद्देश्य मुख्य रूप से उन तथ्यों को प्रकाश में लाये जाना और ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करना था कि इस तरह के मामलों को निपटाने और उपयुक्त कार्रवाई करने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे पास यहां ऐसी जानकारी है जिससे यह पता चलता है, उदाहरण के लिए मैं विशेषकर यहां किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि ऐसा करना उचित नहीं होगा—पंजाब और सिंध बैंक, चन्डीगढ़ शाखा के सहायक प्रबंधक का यहां 1984 से ऐसे कई मामलों में उल्लेख है जिन्हें दूसरे सदन में उठाया गया है और वहां प्रश्नोत्तर की विषयवस्तु रही है, जिनमें कुछ ट्रक मालिकों को कई लाख, 30 लाख रुपया या इससे अधिक ऋण के रूप में दिये गये थे और बाद में यह पाया गया था कि वे सब फर्जी थे और ऐसे कोई ट्रक मालिक नहीं थे तथा ट्रक भी नहीं थे। अब, 1984 से जिस सज्जन के बारे में कई बार पूछताछ की जा रही है हर समय यह कहा जाता है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कुछ उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी। पहले इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया था। इसके बाद इसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया तथा इसके बाद इसे कभी-कभी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास फिर वापस भेजा गया था और आज तक जैसा कि मुझे इस सज्जन के बारे में जानकारी है जो बैंक में ऊंचे ओहदे पर है और जिनके विरूद्ध अधिकारियों द्वारा आरोप लगाया गया है कि इतनी बड़ी राशि को जाली ट्रक परिचालकों और ट्रक मालिकों को मंजूरी करने में उसका हाथ रहा है फिर भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अत: मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मैं ऐसे भी बहुत से उदाहरण दे सकता हूं कि सरकार किस तरह से ऐसे मामलों में कार्यवाही करती है, जिनमें कुछ ऐसे भ्रष्ट, बेईमान लोगों द्वारा जनता के धन का अपव्यय किया जा रहा है। जो बैंक में ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे हैं और

जांच को पूरा करने में कितना समय लगता है तथा उसके बाद इन लोगों के विरुद्ध छड़िक कार्रवाई करने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री जनार्दन पुजारी : सरकार और बैंक के प्रबंधक को मामले की जानकारी है। यहां विशेषरूप से माननीय सदस्य ने एक बात का उल्लेख किया है कि जांच में विलम्ब हुआ है। इस विशेष मामले में 31 जनवरी, 1986 को छापे मारे गए थे और आज 21 फरवरी है। अधिक विलम्ब नहीं हुआ है। बड़े-बड़े दस्तावेजों को पकड़ा गया है और इस प्रकार केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच करनी होगी और हमें ठोस साक्ष्य भी लेना होगा।

जहां तक उस विशेष मामले, जिसे माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया है, का संबंध है, हम निश्चित रूप से इसकी छानबीन करेंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी। जब केन्द्रीय जांच ब्यूरो छापे मारती तो ठोस जानकारी प्राप्त करनी होगी और इन लोगों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही करने के लिए भी प्रथम दृष्टि में सबूत होने चाहिए।

जहां तक इस मामले का संबंध है मैं स्वयं इसकी छानबीन करूंगा और हम समुचित कार्यवाही करेंगे। मैं यह आश्वासन देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसी प्रकार का आश्वासन पिछले ढ़ाई वर्षों से दिया जा रहा है लेकिन कुछ नहीं किया गया है।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उस विशेष बैंक के सबसे बड़े अधिकारियों ने भी न कि शाखा प्रबंधक ने यह स्वीकार किया है मैं उनकी एक रिपोर्ट से उद्धृत करता हूं :

> "केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई खण्डशः जांच का यह परिणाम निकला है कि कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को दण्ड दिया जाने लगा है जबकि यह संभव है कि जहां इस प्रकार की कई अनियमितताएं विभिन्न क्षेत्रों में की गई हैं वहां बैंक के कुछ उच्च स्तर के अधिकारियों की इन अग्रिमों में भूमिका रही हो।"

अतः कई मामलों में उच्च स्तर के अधिकारी बच रहे हैं और बहुत ही कनिष्ठ अधिकारियों पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।

मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस प्रकार के मामले की जानकारी है। अब समाचार पत्रों में विस्तृत रूप से यह खबर छपी है कि पंजाब नेशनल बैंक की दरियागंज शाखा के प्रबंधक के विरुद्ध गंभीर आरोप हैं जिसमें उस बैंक के एक गैर-सरकारी निदेशकों की मिली-भगत से विदेशी मुद्रा का एक बड़ा घोटाला हुआ—मैं यहां, उन सज्जनों का नाम नहीं लेना चाहता हूं—जिसके परिणामस्वरूप कुछ लाख रुपए की विदेशी मुद्रा काउन्टर पर उन लोगों को दी गयी जो यह दावा करते थे कि वे खाड़ी के विभिन्न देशों की और विदेशों आदि की यात्रा करना चाहते हैं और उन्हें वह पैसा नगद में विदेशी मुद्रा में दिया गया था तथा उन्होंने उस पैसे का उपयोग नहीं किया क्योंकि वे कभी भी कहीं भी विदेश यात्रा पर नहीं गए थे। उन्होंने वह राशि किसी और को दे दी थी और अब यह कहा जाता है कि इस तरह से बैंक से धोखा धड़ी करके डालर के रूप में विदेशी मुद्रा की एक बड़ी राशि निकाली गई थी। एक गैर-सरकारी

निदेशक तथा उस बैंक का प्रबंधक भी इसमें शामिल है। इस तरह के मामलों में आप क्या कर रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या संक्षिप्त जांच और कार्रवाई की है ? इस तरह से जनता का पैसा बर्बाद नहीं किया जा सकता।

श्री जनार्दन पुजारी : बैंकिंग क्षेत्र में 7,24,000 लोग कार्य कर रहे हैं। हमने कुछ अधिकारियों के विरुद्ध पहले से ही कार्रवाई कर ली है। आप जानते हैं कि 31 जनवरी, 1986 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 52 लोगों के घरों और परिसरों पर छापे मारे थे। अतः कार्रवाई की जा रही है। जब माननीय सदस्य की तरह ऐसे विशेष उदाहरणों का उल्लेख किया जाता है उसे हमारे ध्यान में लाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। यहां भी केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामले के बारे में पहले एक मामले का उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमने बैंकिंग डिवीजन से मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास भेजा है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक बार फिर हमें मामला भेजा है और हम उस पर विचार कर रहे हैं। मैंने ऐसा कहा है। जहां तक मामले का संबंध है, यदि आप हमें जानकारी देने की स्थिति में हैं तो हमें खुशी होगी····

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इस बारे में नहीं जानते हैं। आपको इस मामले की जानकारी नहीं है।

श्री जनार्दन पुजारी : और कोई जानकारी है। यदि और सबूत आते हैं तो यह सरकार के लिए कार्रवाई करने में सहायक होगी। हम किसी साक्ष्य को बेकार नहीं जाने देना चाहते हैं। इसके विपरीत हम किसी भी जानकारी, किसी भी सुझाव का स्वागत करते हैं और सरकार द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मुझे वित्त मंत्रालय के उस अत्यन्त अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए जो वह विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करने, साफ प्रशासन करने के लिए काम कर रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में हमेशा दो पक्ष होते हैं। पहला, जो व्यक्ति देता है और दूसरा जो व्यक्ति लेता है। उन लोगों के बारे में क्या कार्रवाई की जा रही है जिनके बारे में बताया जाता है कि वे लेते हैं। परन्तु सरकार उन जाली ट्रक मालिकों आदि की तरह निजी पार्टियों, जिनको इससे लाभ हो रहा है और बड़ी राशि का लाभ होता है के विरुद्ध सरकार क्या कार्रवाई कर रही है या क्या कार्रवाही करने का विचार कर रही है। दूसरे, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार किस ढंग से सेवा विनियम की धारा 19(1) को कार्यान्वित कर रही है जिसके अधीन सरकार संदेहास्पद निष्ठा वाले उन अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर सकती है जिन्होंने 55 वर्ष की आयु या 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन दोनों बातों का उत्तर दें।

श्री जनार्दन पुजारी : इन 52 मामलों में लगभग 30 निजी पार्टियां भी शामिल हैं। इन पर जांच चल रही है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी इन मामलों की जांच कर रही है और माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जहां तक धारा 19 का सम्बन्ध है, हमने, लगभग 1300 मामलों की पुनरीक्षा की है और उनमें से हमने सरकारी क्षेत्र की बैंकों के लगभग 77 अधिकारियों को सेवानिवृत्त कर दिया है। यहां भी जहां भ्रष्ट तत्व हैं, जहां लोग अपनी भ्रष्ट गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं, उनके

मामलों की उस समय पुनरीक्षा की जाएगी जब वे 50 और 55 वर्ष की आयु पर पहुँच जायेंगे और जब वे 30 वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को मालूम होगा कि बैंकों में करीब-करीब दो हजार करोड़ रुपये की फ्राडुलेंट कार्यवाहियां हुई हैं और उनमें आपके अधिकारियों ने करीब दो हजार करोड़ रुपए गलत तरीके से दूसरों को दिए, चाहे खुद खा गए हों और उसके साथ-साथ फारेन कंट्रीज में अपने बैंकों से गलत तरीके से लोगों को पैसा दिया गया है। इसका कारण मैं यह समझता हूं कि इन बैंकों के ऊपर पार्लियामेंट को देख-भाल करने का कोई अधिकार नहीं है जिसकी वजह से इस प्रकार की कार्यवाहियां होती हैं जिनमें लोगों ने हजारों करोड़ रुपया बैंकों से गबन किया है या खुद खा गए हैं। अगर पार्लियामेंट का अधिकार होता, तो इनके खिलाफ कार्यवाही कभी होती। आप बराबर आश्वासन देते रहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं और आपने एक हजार से ऊपर ऐसे केसेस में 74 आदमियों को रिटायर भी कर दिया है ।

हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए तरह-तरह की मदद कर रहे हैं और आप ही के बैंक ऐसे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं तथा गरीब लोगों को तीन हजार रुपए देकर उनसे बीस-बीस हजार रुपए वसूल कर रहे हैं और उनकी जमीनें नीलाम कर रहे हैं और दूसरी तरफ बैंकों के लोग करोड़ों रुपया इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और इतना ज्यादा पैसा बैंकों से नाजायज तरीके से उठाया है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 74 आदमियों को आपने हटाया है और 52 केस इन्वेस्टीगेट किए हैं, उसी प्रकार से जितने भी ऐसे फ्राडुलेंट केसेस हैं, उनकों इन्वेस्टीगेट करवाकर क्या आप ऐसे लोगों को सजा दिलवाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य के साथ मैं भी चिन्ता व्यक्त करता हूँ। जैसाकि मैंने पहले बताया है कि सरकार भ्रष्ट लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जब कार्यभाल संभाला था तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं है और उनका सफाया किया जायेगा। केवल यही नहीं अकुशल लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः इन विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हमने उस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।

जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमने कार्यवाही की है और हमने नियम 19 का भी उपयोग किया है। उस नियम के अन्तर्गत हमने 77 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है और उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया गया है। केवल यही नहीं, एक दिन अर्थात 31 जनवरी, 1986 को हमने 54 लोगों के घरों और परिसरों पर छापे मारे। मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्य का सुझाव लेता हूँ। हम अन्य अधिकारियों के मामलों पर भी पुनर्विचार कर रहे हैं जो भ्रष्ट हैं और विशेषकर वे लोग जो शाखा स्तर पर गरीब लोगों के ऋण मामलों को निपटाते हैं सरकार इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्प है। (**व्यवधान**)

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मुझे अपने बैंक मंत्री को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि वह गरीबों के उत्थान के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। परन्तु क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकती हूँ कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ बैंक कर्मचारी, जो सीधे राजनैतिक दलों के साथ मिले हुए हैं, वे सभी गोपनीय जानकारी उन राजनैतिक दलों को सप्लाई कर रहे हैं। कुछ समय पहले श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कुछ सूचना दी थी। मैं नहीं जानती कि क्या यह सच है या नहीं लेकिन मैं समझती हूं कि यूनियन के कुछ लोग बैंक के बारे में सभी जानकारी राजनैतिक दलों को सरकार को बदनाम करने के लिए सप्लाई करते हैं। अतः उन लोगों के बारे में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है जो इस तरह की सभी जानकारी देते हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : परंपरा और सांविधिक उपबन्धों के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी न बताये और यदि ऐसा सबूत मिलता है कि जानकारी प्रकट की गई है और यह उल्लंघन है तो कार्यवाही की जायगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 5।

प्रो० मधु दंडवते : प्रश्न संख्या 5 और 17 को एक साथ लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इन प्रश्नों को एक साथ लेने के लिए क्या आप सहमत हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : विषय एक जैसा है। आपको निर्देश देना होगा। यह मंत्री जी पर नहीं बल्कि अध्यक्ष पर निर्भर करता है।

नई वस्त्र नीति और रुग्ण मिलों को चालू करने के लिए पैकेज व्यवस्था

*5. **श्री एस० एम० गुरड्डी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई वस्त्र नीति के अन्तर्गत रुग्ण मिलों को पुनः चालू करने हेतु सहायता देने के बारे में निजी कपड़ा मिलों के लिए कोई पैकेज व्यवस्था की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत लाई गई रुग्ण मिलों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जून, 1985 की वस्त्र नीति वक्तव्य के अनुसार रुग्ण एकक के पुनर्जीवन के लिए अपेक्षित उपाय रुग्णता पैदा करने के कारणों के विस्तृत एवं वस्तुपरक अध्ययन तथा रुग्ण एकक को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदमों के अभिज्ञान पर आधारित होने हैं। जो एकक सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम हैं

तथा जो अर्थक्षम नहीं हैं उनके बीच भेद करना होगा। सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम एककों के मामले में एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार करने की जरूरत होगी। इस पैकेज को तैयार करने तथा उसका प्रबन्ध करने के लिए एक नौडीय एजेन्सी निर्दिष्ट करनी होगी। तथापि, ऐसे मामले में जिसमें यथोचित समय अवधि में भी एकक के अर्थक्षम बनने की कोई उम्मीद न हो, उस एकक को बन्द करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं होगा।

उस नौडीय एजेन्सी को, जिसके बारे में नई नीति में बताया गया है, सरकार के 9.1.86 के संकल्प के द्वारा स्थापित किया जा चुका है तथा उसके शीघ्र ही कार्य शुरू करने की सम्भावना है।

नई वस्त्र नीति का मूल्यांकन और रुग्ण मिलों को सहायता

*17. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष लागू की गई नई वस्त्र नीति का मूल्यांकन किया है;

(ख) क्या रुग्ण मिलों को पुनः चालू करने और उन्हें सहायता देने के लिए सरकार ने अपने वचन का पालन किया है;

(ग) क्या इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए सरकार के पास उपयुक्त तन्त्र व्यवस्था है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार जून, 1985 में घोषित वस्त्र नीति के कार्यान्वयन तथा प्रभाव की समय-समय पर समीक्षा करती रही है।

(ख) से (घ) उन रुग्ण मिलों के सम्बन्ध में जो सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम पाये जाते हैं, तैयार की जाने वाली पुनर्वास सुविधाओं को विकसित करने तथा उनका प्रबंध करने के लिए वस्त्र नीति में यथा-व्यवस्थित नौडीय अभिकरण की स्थापना पहले ही की जा चुकी है। वस्त्र उद्योग में रुग्णता की मानिटरिंग करने के लिए वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में मानिटरिंग प्रकोष्ठ बनाया गया है।

श्री एस० एम० गुरुडी : महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के भाग (ग) का जवाब नहीं दिया है जोकि इस योजना के अन्तर्गत रुग्ण मिलों की संख्या और उनके नाम के बारे में है। बहरहाल वस्त्र मंत्री श्री सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वस्त्र नीति को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने तीन प्रमुख क्षेत्र और प्रबोत् रुग्ण मिल आधुनिकीकरण और निर्यात का पता लगाया है जिनकी ओर पूरी तरह ध्यान दिया जाएगा। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार का इन क्षेत्रों में क्या करने का प्रस्ताव है ? मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपने रुग्ण मिलों के पुनरुद्धार के लिए पर्याप्त धनराशि दी है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : जहां तक वस्त्र उद्योग में रुग्णता पर निगरानी रखने का संबंध है इसके लिए वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में एक निगरानी एकक का गठन किया गया

है। जैसे ही रुग्णता के लक्षण दिखने शुरु होते हैं कार्यक्षम यूनिटों के वित्तीय पुनर्वास के लिए पैकेज तैयार करने के लिए गठित की गई नोडीय एजेन्सी अपना काम शुरु कर देती है और आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

श्री एस० एम० गुरद्डी : महोदय, निगरानी एकक का गठन वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्य के लिए कार्यालय के पास उपयुक्त मशीनरी है ? क्या यह सच नहीं है कि वस्त्र आयुक्त का कार्यालय बम्बई में है जबकि बस्त्र विभाग दिल्ली में है ? क्या इसके परिणामस्वरूप समन्वय का अभाव नहीं होगा और उसका असर रुग्ण उद्योगों पर नहीं पड़ेगा ?

श्री खुर्शीद आलम खां : वस्त्र आयुक्त ने अपने कार्यालय में तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में एक मशीनरी स्थापित की है और आयुक्त का काम उद्योगों की रुग्णता पर निगरानी रखना है। आयुक्त के पास कम्प्यूटरीकृत सूचनाएं उपलब्ध हैं और ये सूचनाऐं जरूरी कार्यवाही करने तथा रुग्णता के ऐसे मामलों को नोडीय एजेन्सी के पास भेजने के लिए, जिसका गठन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अध्यक्षता में किया गया, उपलब्ध रहती हैं।

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वस्त्र नीति की घोषणा जून 1985 में की गई थी और आज तक वे केवल एक नोडीय एजेन्सी का ही गठन कर पाए हैं। वस्त्र नीति में अनेक पहलुओं का प्रस्ताव रखा गया है परन्तु किया कुछ नहीं गया है। मैने प्रश्न पूछा है कि वास्तव में क्या कदम उठाए गए हैं और उन्होंने यही कहा है कि एक नोडीय एजेन्सी का गठन किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में कितनी रुग्ण मिलों को पुनरुद्धार किया गया है या कितनी रुग्ण मिलों के संबंध में उपाय शुरू किए गए हैं तथा कितनी मिलों का पुनरुद्धार करने का निर्णय आपने लिया है।

श्री खुर्शीद आलम खां : विशेष सरकारी समूह एजेन्सी के गठन के पश्चात् अब तक 41 मिलों की जांच की गई है तथा शेष 12 मिलों को दोबारा वित्तीय सहायता दी गई है लेकिन अब तक वे पुनः खुली नहीं हैं।

श्री एच० एम० पटेल : बात यह है कि जिस रफ्तार से नीति को लागू किया जा रहा है वह प्रधान मन्त्री के इस कथन से मेल नहीं खाती कि कार्यान्वयन में गति के मामले में वे एक उदाहरण पेश करेंगे। क्या माननीय मंत्री पुनर्वास के मामले में जिस गति से काम किया जा रहा है उससे सन्तुष्ट हैं। 10-12 मिलें नहीं, बल्कि बहुत बार तो उतनी मिलें रुग्ण होती हैं और पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया जाता।

श्री खुर्शीद आलम खां : 31 दिसम्बर, 1985 को 78 मिलें रुग्ण थीं और इन 78 मिलों में से 41 की जांच की जा चुकी है। शेष की जांच उपयुक्त समय पर की जाएगी। इसके अलावा हम उन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए भी उपाय कर रहे हैं जो सदियों पुरानी मशीनरी के कारण रुग्ण हो सकती हैं।

श्री बी० के० गढवी : महोदय, जहां तक वस्त्र आयुक्त का संबंध है मेरे ख्याल से सातवीं लोक सभा की प्राक्कलन समिति के अनुसार कार्यालय काम नहीं कर रहा है और जांच करने पर

पाया गया है कि पैसा निकाला जा रहा है और वे लोग मिलों के कार्यों पर निगरानी नहीं रख रहे हैं। इसके लिए वस्त्र आयुक्त उत्तरदायी है और इस पर बहुत प्रकाश डाला गया था। अब इसी तरह की एजेन्सी का गठन अहमदाबाद में किया गया है और हम जानते हैं कि बहुत समय पहले कुछ मिलों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की गई थी। ऐसा ही बम्बई में हुआ था। लेकिन इन मिलों का अभी तक पुनर्वास नहीं किया गया है और कुछ श्रमिक सेवानिवृत्त होना चाहते हैं। लेकिन ये मिलें अभी तक शुरू नहीं हुई हैं और वे सभी बन्द पड़ी हैं। स्वयं प्रधान मंत्री ने कहा था कि इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि प्रगति की गति बहुत धीमी है और इसमें गति लाने की जरूरत है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका सुनिश्चिय करने के लिए किसी और एजेन्सी का गठन किया गया है ताकि जितनी जल्दी हो सके पुनर्वास किया जाए।

श्री खुर्शीद आलम खां : नोडीय एजेन्सी की अध्यक्षता अध्यक्ष, औद्योगिक विकास बैंक, अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, वस्त्र आयुक्त तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि करते हैं। मेरे विचार से यह एजेन्सी बहुत उपयुक्त ढंग से इन मिलों के पुनरुद्धार का काम देख सकती है।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या सरकार ने नई वस्त्र नीति के संबंध में हथकरघा बुनकरों की प्रतिक्रिया की ओर ध्यान दिया है ? उनकी बैठकें उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुई हैं और उन सभी ने यह चिन्ता व्यक्त की है कि विद्युतकरघा उनके कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है और नई वस्त्र नीति की घोषणा के बाद मौजूदा बेरोजगारी तथा अर्ध-रोजगारी में वृद्धि हुई है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी बढ़ी है क्योंकि इस साल हमने उन्हें अधिक कपड़ा आबंटित किया है। इस साल 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण आदेश के अलावा, एक नया आरक्षण आदेश जारी किया जा रहा है जोकि अधिक व्यापक होगा। इसके अलावा, आरक्षण आदेशों को लागू करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। प्रवर्त्तन मशीनरी का भी गठन किया जा रहा है ताकि यह 31 मार्च, 1986 तक अपना काम शुरु कर दें।

कृषि के लिए कम कीमत पर आदानों की सप्लाई

*6. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1986 में बजट पूर्व चर्चा के दौरान किसानों के प्रतिनिधियों ने सरकार से कम कीमत पर कृषि के आदान सप्लाई करने का अनुरोध किया था; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार कम कीमत पर कृषि आदान सप्लाई करने के लिए कोई व्यवस्था करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देती है। इसलिए सरकार का यह सतत प्रयास रहता है कि कृषि के लिए उचित कीमत पर आदानों (इन्पुट्स) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव समर्थन दिया जाये। विभिन्न संस्थागत और संगठनात्मक प्रबन्धों के अलावा इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त वित्तीय समर्थन प्रदान किया जा रहा है जैसे कि उर्वरकों के मामले में आर्थिक सहायता दिया जाना। कृषक हितों के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझावों पर संबंधित नीति और विकास के लिए कार्य पद्धति और समग्र आर्थिक नीति बनाते समय ध्यान दिया जाएगा।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि उर्वरकों के मामले में पर्याप्त वित्तीय समर्थन जैसे आर्थिक-सहायता दी जा रही है। "आर्थिक सहायता दी जा रही है" का अर्थ है कि पिछले साल भी आर्थिक-सहायता उपलब्ध कराई गई थी। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि क्या वह कृषकों को, पिछले और पिछले से पिछले साल उर्वरकों की कीमतों की तुलना में कम कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करा सकते हैं, यदि हां तो सस्ती दरों का प्रतिशत कितना है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, उर्वरक रियायती दरों पर दिया जाता है। पिछले साल की तुलना में, उर्वरकों की कीमतों में हाल ही में वृद्धि हुई है किन्तु इससे कीमतें 1981 के कीमत स्तर तक आ गई हैं। वास्तव में साढ़े चार सालों में थोक कीमत सूचकांक में 24% वृद्धि होने के बावजूद इस अवधि के दौरान उर्वरकों की कीमतों में स्थिरता रही है। इस अवधि के दौरान उर्वरकों की कीमतें वहीं रही हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : प्रश्न के उत्तर में आपने कहा है कि उर्वरक रियायती दरों पर दिए जाते हैं। पिछले सालों के दौरान भी इसी तरह की रियायत दी जाती रही है। इस साल रियायत देकर क्या आप पिछले सालों की तुलना में किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक सप्लाई कर सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह इस साल और पिछले साल की तुलना चाहते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने उर्वरकों की कीमतें दी हैं। हाल ही में इसकी कीमतें बढ़ी हैं पर इससे कीमतें 1981 के स्तर पर आ गई हैं। वास्तव में साढ़े चारसालों तक उर्वरकों की कीमतें वहीं रहीं जबकि थोक कीमत सूचकांक 24% बढ़ गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या रियायत देकर हम उर्वरकों को कम कीमत पर उपलब्ध करा सकते हैं। जी हां, अगर रियायत नहीं दी गई होती तो कीमतें और अधिक हो गई होतीं। 1981-82 में 375 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई तथा 1985-86 में यह बढ़कर 2051 करोड़ हो गई। हम इस राशि की रियायत दे रहे हैं। अगर यह आर्थिक सहायता नहीं दी गई होती तो उर्वरकों की कीमतें कहीं अधिक होतीं। इसके कारण ही उर्वरकों की कीमतों में स्थिरता रही है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या आप कृषि के लिए किसी और आदान की सप्लाई कम कीमत पर करने की स्थिति में हैं या उसे कम कीमत पर सप्लाई करने पर विचार करेंगे ताकि कृषि पर कम लागत आए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम रियायती दरों पर बीज, कीट नाशक दवाइयों की सप्लाई करते हैं, ऋण के लिए रियायती ब्याज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, कृषि आदानों पर लगने वाली उत्पादन शुल्क पर बहुत सी वित्तीय रियायतें दी जाती हैं।

श्री डी० पी० यादव : कृषि आदानों का मतलब उर्वरक ही नहीं है। क्या माननीय वित्त मंत्री थोक आधार पर, निर्माताओं द्वारा तैयार किए जाने वाले कुछ कृषि यन्त्रों की उत्पादन लागत तथा उन यन्त्रों की किसानों को सप्लाई किए जाने की कीमतों का अध्ययन करेंगे ? मुझे मालूम हुआ है कि निर्माता 5 हार्स पावर का डीजल पम्पिंग सेट 2000 की लागत पर तैयार करते हैं किन्तु किसानों को वह 6600 रुपए में सप्लाई किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का एक संयुक्त दल इन यंत्रों की उत्पादन-लागत और जिस कीमत पर ये यंत्र किसानों को सप्लाई किए जाते हैं, उसकी कीमत तथा उसके औचित्य का तुलनात्मक अध्ययन करेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम अध्ययन करेंगे और माननीय मंत्री को सूचित कर देंगे।

[हिन्दी]

श्री रामस्वरूप राम : अध्यक्ष जी, भारत की पूर्ण अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है, लेकिन रोज-ब-रोज एग्रीकल्चर से संबंधित चीजें चाहे सीडस हो, चाहे पैस्टिसाइडस हों, चाहे डीजल हों - इनकी कीमत बढ़ती जा रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

रुपये की क्रय शक्ति घटाने के कारण निश्चित आय वर्ग के लोगों को राहत

*4. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रुपये का वास्तविक मूल्य क्या है; और

(ख) रुपये की कीमत घटने के कारण निश्चित आय वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति में कमी होने के परिणामस्वरूप उनको राहत देने के बारे में क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960–100) के सादृश्य के रूप में मापी गई रुपये की क्रय-शक्ति दिसम्बर, 1985 में 15.87 पैसे थी।

(ख) सरकारी कर्मचारियों, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को जीवन निर्वाह लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए मंहगाई भत्ता दिया जाता है।

[हिन्दी]

चौथे वेतन आयोग का प्रतिवेदन और अन्तरिम सहायता देना

*7. **श्री राजकुमार राय :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों में इस बात पर भारी आक्रोश व्याप्त है कि चौथे वेतन आयोग ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक इसके प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ग) निर्धारित समय के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अंतरिम सहायता देने का है;

(ङ) यदि हां, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदाता तंत्र) का कर्मचारी पक्ष चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग से अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने का अनुरोध करने के लिए सरकार से आग्रह करता रहा है।

(ख) चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) से (च) अन्तरिम राहत की दो किस्तें पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनकी अदायगी कर दी गई है। और इसलिए कोई और अन्तरिम राहत देने का सरकार का विचार नहीं है।

बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के संबंध में त्रिपाठी समिति की सिफारिशें

*8. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपाठी समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संदर्भ में बिक्री कर को समाप्त करने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के क्या विचार हैं ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : वनस्पति, औषध द्रव्यों तथा दवाईयों, सीमेंट, कागज तथा गत्ता और पेट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के बारे में त्रिपाठी समिति की सिफारिशों पर मुख्य मंत्रियों के दिनांक 2 नवम्बर, 1983 को हुए सम्मेलन में विचार किया गया था। उस सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिमी बंगाल सिफारिशों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने से राज्यों के अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा और उनकी राजस्व तथा संसाधन की स्थितियां कम हो जाएंगी। अन्य राज्यों ने योजना का विरोध नहीं किया। उनमें से कई राज्यों ने सिफारिशों पर सशर्त तथा बिना शर्त अपनी-अपनी स्वीकृति व्यक्त की।

[अनुवाद]

उड़ीसा में खंडगिरी और उदयगिरि पर्यटन केन्द्रों का विकास

*9. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में खंडगिरी और उदयगिरी के विकास के लिए एक वृहद योजना तैयार की है, ताकि पर्यटक महत्त्व के इन स्थानों पर पर्यटकों के आगमन को बढ़ावा दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च की जायेगी;

(ग) वृहद योजना के कार्यान्वयन पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा उक्त कार्यक्रम को लागू करने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) सरकार को उड़ीसा में खंडगिरि और उदयगिरि के विकास की मास्टर प्लान तैयार करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। पर्यटन विभाग ने इन गुफाओं पर प्रकाशपुंज व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार को 8.10 लाख रु० की मंजूरी दी है। तथापि, नगर व ग्राम आयोजन संगठन रत्नगिरि-उदयगिरि-ललितगिरि (जिला कटक) की मास्टर प्लान तैयार कर रहा है जिसके लिए विभाग ने 4.00 लाख रु० की मंजूरी दी है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किस्तें

*10. **श्री मानवेन्द्र सिंह** :

श्री वी० एस० विजराघवन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में गेहूँ, चावल, पैट्रोलियम उत्पादों, कोयला आदि के दामों में वृद्धि होने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की कितनी किस्तें देय हो गई हैं ; और

(ख) सरकार का अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किस्तों का भुगतान कब तक करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1985 के अन्त में औसत सूचकांक स्तर 600 से 608 पहुँच जाने पर उसमें 8 अंकों की वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप 1-1-1986 से मंहगाई-भत्ते की एक और किस्त विचार किए जाने योग्य हो गई है। गेहूँ, चावल, पैट्रोलियम उत्पादों, कोयला, उर्वरक आदि के दामों में हाल की वृद्धि के प्रभाव का पता अप्रैल, 1986 में चलेगा जबकि फरवरी, 1986 माह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपलब्ध हो जायेंगे।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की प्रत्येक किस्त की अदायगी करने पर राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत आती है। इसीलिए, मंहगाई भत्ते की प्रत्येक किस्त की अदायगी के प्रश्न पर आर्थिक स्थिति तथा बजट पर उसके कारण पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार करना होता है। सरकार 1.1.1986 से देय मंहगाई भत्ते की किस्त की अदायगी की स्वीकृति के प्रश्न पर ध्यान दे रही है तथापि, इस संबंध में निर्णय लिए जाने के लिए कोई कालावधि बताना संभव नहीं है।

सिद्धार्थ कान्टिनेन्टल होटल, नई दिल्ली में आग लगने की घटना

*11. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पांच-सितारा सिद्धार्थ कान्टिनेन्टल होटल में 23 जनवरी, 1986 को आग लगी थी;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे;

(ग) इसमें कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने घायल हुए;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख), (घ) और (ङ) दिल्ली प्रशासन ने इस अग्नि कांड की जांच करने के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया है और इसकी रिपोर्ट की प्रतिक्षा है।

(ग) इसमें 37 व्यक्ति मारे गए और 38 व्यक्ति घायल हुए।

हथकरघा उद्योग के विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद को वित्तीय अनुदान

*12. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड त्रिपुरा तथा अरुणाचल प्रदेश में हथकरघा उद्योग के विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद को विशिष्ट वित्तीय अनुदान दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्य तेलों के आयात पर खर्ची गई राशि

*13. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तेलों के आयात पर वर्ष 1984-85 तथा दिसम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या देश में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 1984-85 तथा अप्रैल 1985 से दिसम्बर, 1985 के दौरान आयात की गई खाद्य तेलों की मात्रा इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	मात्रा (लाख मी० टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1984-85	15.85	1309.00
1985-86 (अनन्तिम) (अप्रैल, 85 से दिसम्बर, 85 तक)	8.91	678.06

(ख) जी, हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सरकार द्वारा तिलहनों तथा तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किये गये विभिन्न उपाय नीचे दिये गये हैं :

(1) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना को कार्यान्वित करना, जिसमें दूसरे तिलहनों के बारे में गहन विकास कार्यक्रम चलाने के अतिरिक्त मूंगफली, रेपसीड/सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी के बारे में विशेष परियोजना चलाना शामिल है इस कार्यक्रम का उद्देश्य अन्य बातों

के साथ-साथ गैर-पारम्परिक तिलहनों का विकास करना, सिंचित फसलों, विशेष रूप से रबी/गर्मी के मौसम में मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना, मूल निवेश उपलब्ध कराना और बड़े पैमाने पर बीज एवं उर्वरक मिनीकिटों का निशुल्क वितरण करना है।

(2) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की तिलहन परियोजना – इस परियोजना के अन्तर्गत खाद्य तेलों और तिलहनों के उत्पादन ढांचे को नया रूप देने और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से विपणन के लिए सात राज्यों में राज्य स्तरीय सहकारी तिलहन उत्पादक संघ गठित किये गये हैं।

(3) न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को बेहतर प्रोत्साहन देना।

(4) तिलहनों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों में तेजी लाना।

(5) सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी गैर-पारम्परिक तिलहनों की फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना और वृक्ष तथा वनमूल के तिलहनों, चावल की भूसी आदि का उपयोग करना।

(6) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के अनुरूप संसाधन और आधार ढांचे सम्बन्धी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना करना।

बजट सत्र से पूर्व कोयला, खाद्यान्नों आदि के मूल्यों में वृद्धि

*14. **प्रो० मधु दंडवते :**
डा० जी० विजयरामाराव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 का सामान्य बजट प्रस्तुत करने से पूर्व कोयला, खाद्यान्नों उर्वरकों, पेट्रोलियम, उत्पादों और ढुलाई प्रभारों में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है; और

(ख) बजट सत्र से पूर्व इनके मूल्यों में तत्काल वृद्धि करने की क्या आवश्यकता थी ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ोत्तरी करने से एक वर्ष में 530 करोड़ रुपए के अतिरिक्त साधन प्राप्त होने की आशा है। कोयले की कीमत में बढ़ोत्तरी करने से हानियों में कमी करने में सहायता मिलेगी और इसके फलस्वरूप निविष्टियों (इन्पुट्स) की लागत में वृद्धि की पूर्ति के लिए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त नहीं होगा। उर्वरकों की कीमतों और चावल तथा गेहूं के निर्गम मूल्यों में वृद्धि इन दो मदों पर बढ़ती हुई आर्थिक सहायता को सीमित रखने के लिये की गई है। दिल्ली परिवहन निगम (डी० टी० सी०) के मामले में किरायों में बढ़ोत्तरी करने से कार्यचालन हानियों को आंशिक रूप में पूरा करने में सहायता मिलेगी।

(ख) प्रशासित मूल्यों में हाल में किये गये संशोधन कुछ समय से सरकार के विचाराधीन थे और इन्हें शीघ्र कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण था क्योंकि कुछ उद्योगों (जैसे कि कोयला उद्योग) को भारी हानियां हो रही थीं।

इन्जिनियरी सामान के निर्यात के लिए निर्धारित कोटा

*15. **श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इंजिनियरी सामान के निर्यात के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) इस क्षेत्र में निर्यात-लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए कितने इस्पात की आवश्यकता होगी;

(ग) क्या उपरोक्त भागों (क) और (ख) के आंकड़ों के बारे में लोहा और इस्पात नियन्त्रक तथा इंजिनियरी सामान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किये गये आकलन में कोई भिन्नता है; और

(घ) यदि हां, तो इसमें क्या भिन्नता है और इस भिन्नता को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) चालू वर्ष के लिए इंजिनियरी माल के लिए 1750.00 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य है।

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस्पात तथा कच्चे लोहे की जरूरत इस प्रकार है—

इस्पात : 3,84,875 मे. टन

कच्चा लोहा : 2,48,100 मे. टन

(ग) जी नहीं।

(घ) निर्यात-उत्पादन हेतु इस्पात की सप्लाई को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार ने निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर इस्पात की विभिन्न किस्में सप्लाई करने की भी विनिश्चय किया है।

अन्तर्राज्यिक परेषण अधिनियम

*16. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक अन्तर्राज्यिक परेषण कानून बनाने पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय किया है; और

(ग) इस संबंध में संसद में कब तक विधेयक पुनः स्थापित किए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) 28 मई, 1984 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने, संविधान (46 वां संशोधन) अधिनियम, 1982 के परिणामतः माल के अन्तरराज्यीय परेषणों पर कर लगाने के लिए कानून बनाने के विभिन्न पहलुओं की एकमत से सिफारिश की थी। चूंकि उसमें अन्तर्ग्रस्त कुछ समस्याओं को निपटाया जाना आवश्यक है इसलिए अभी तक कोई निर्णय लेना संभव नहीं हो पाया है।

कम्पनियों से बकाया आयकर की वसूली

*18. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जून, 1985 को सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों सहित लगभग 200 कम्पनियों की ओर आयकर की एक करोड़ और इससे भी अधिक राशि बकाया थी;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनकी ओर आयकर की राशि बकाया रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) आयकर की वसूली के लिए उक्त कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) 30.6.1985 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ कम्पनियों और 119 कम्पनियों की ओर आयकर की एक करोड़ और इससे अधिक की राशि बकाया थी। इन मांगों के बकाया रहने के मुख्य कारण हैं – अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष अपीलों का विवादग्रस्त मांगों में विचाराधीन रहना, आयकर अपील अधिकरणों/न्यायालयों आदि द्वारा स्थगन मंजूर किया जाना। जिन कम्पनियों की तरफ ये मांगे बकाया थीं, उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) बकाया कर वसूल करने के लिए कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इन कार्रवाइयों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220 के अन्तर्गत ब्याज लगाना, अधिनियम की धारा 221 के अन्तर्गत यथा परिकल्पित अर्थ-दण्ड लगाना, चल/अचल सम्पत्तियों की कुर्की एवं बिक्री करना, अधिनियम की धारा 179 के अन्तर्गत बाकीदार कम्पनियों के निदेशकों के खिलाफ कार्रवाई करना, आदि शामिल हैं। इसके अलावा, ऐसे मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर अपीलें निपटाने के लिए अनुरोध किया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	निर्धारिती का नाम
1	2
1.	नव भारत फेरो अलायस लिमिटेड
2.	आन्ध्र प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन
3.	ए० पी० इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
4.	गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड
5.	सुसेन टेक्सटाइल बियरिंग लिमिटेड
6.	बिहार स्टेट फाइनांसियल कार्पोरेशन
7.	बिहार स्टेट फोरेस्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

1	2
8.	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव क० लिमिटेड
9.	टाटा हाइड्रो इलैक्ट्रिक पी० एस० क०,लि०
10.	दी टाटा पावर क० लिमिटेड
11.	माधव लाल एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
12.	दि आन्ध्रा वैली पी० एस० कं० लि०
13.	पूना इलैक्ट्रिकल एण्ड इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
14.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड
15.	टी० वी० पटेल प्राइवेट लिमिटेड
16.	मजगांव डाक लिमिटेड
17.	दि हिन्दुस्तान शूगर मिल्स लिमिटेड
18.	आई० बी० एम० वर्ल्ड ट्रेड कार्पोरेशन
19.	अमेरिकन एक्सप्रेस आई० बी० सी०
20.	बैंक आफ बड़ौदा
21.	बैंक आफ अमेरिका एन०टी०एस०ए०
22.	स्वास्तिक हाउस होल्ड एण्ड इंडस्ट्रियल पी० लिमिटेड
23.	एफ०एल० स्मिथ कं०
24.	न्यू इंडिया एशोरेन्स लिमिटेड
25.	दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
26.	लिंडे ए०जी०
27.	अंडे गम्भ
28.	प्रकाश काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
29.	सीमेन्स ए०जी० (डब्ल्यू० जी०)
30.	लारसेन एण्ड ट्यूबरो लिमिटेड
31.	स्टेट बैंक आफ इंडिया
32.	साउदी अरेबियन एयर लाइन्स
33.	बैंक नेशनल डि पेरिस
34.	ए० सी० विक्रम बाबकाक लिमिटेड
35.	पटेल इमपेक्स लिमिटेड

1	2
36.	महाराष्ट्र समाल स्केल इंडस्ट्रीस डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड
37.	एस० एम० केमिकल्स एण्ड इलैक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
38.	कोदुआ कान्स० कं० प्राइवेट लिमिटेड
39.	बम्बई डाईंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०
40.	एकवेरियल एजेन्सीस (प्रा०) लि०
41.	गाफफे फिलिप्स (इण्डिया) लिमिटेड
42.	हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कार्पो० लि०
43.	इण्डियन स्मेलरिंग एण्ड रिफाइनिंग कं० लि०
44.	नागपाल स्टेनलेस स्टील लि०
45.	रेमण्ड बूलन मिल्स लि०
46.	वालेस फ्लोर मिल्स क० लि०
47.	जुआरी एग्रो केमिकल्स लि०
48.	धारंग धरा केमिकल वर्क्स लि०
49.	कमानी इंजीनियरिंग कार्पो० लि० क०
50.	क्लिक निरलोन लि०
51.	ओम सदन प्राइवेट लि०
52.	स्वान मिल्स लि०
53.	अमोरटेक्स एजेन्सीस प्रा० लि०
54.	डब्ल्यु डी० इस्टेटस (प्रा०) लि०
55.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
56.	नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कार्पो०
57.	ऐलनबरी एण्ड कं० प्रा० लि०
58.	बी०सी० फाईनान्स एण्ड इंडस्ट्रीस लिमिटेड
59.	भारत स्टील ट्यूब्स
60.	अंसल प्रापरट्रीस एण्ड इण्डिया (प्रा०) लि०
61.	गणेश फ्लोर मिल्स कं० लि०
62.	बस्ती शूगर मिल्स कं० लि०
63.	इण्डियन एल्यूमीनियम कं० लि०
64.	कैपिटल फ्लोर मिल (प्रा०) लि०

1	2
65.	दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पो०
66.	इंडियन टूरिज्म डवलपमेंट कार्पो० लिमिटेड
67.	मोदी इंडस्ट्रीस लि०
68.	मोदी रबर्स लिमिटेड
69.	कांटीनेंटल कान्सट्रक्शन प्रा० लि०
70.	एस्काट्र्स लि०
71.	एस्काट्र्स ट्रैक्टरस लि०
72.	हर प्रसाद एण्ड कं०
73.	स्वदेशी पालिटेक्स लिमिटेड
74.	डी०एस० कान्सट्रक्शन (प्रा०) लि०
75.	जे०के० सिंथैटिक्स लि०
76.	डालमिया सीमेंट (भारत) लि०
77.	डालमिया डायरी इंडस्ट्रीस लि०
78.	उडीसा सीमेंट लि०
79.	डी०सी०एम० लि०
80.	जय इंजीनियरिंग वर्क्स लि०
81.	वैस्ट्रन इलैक्ट्रोनिक्स लि०
82.	पोलिस्टील (इंडिया) लि०
83.	नेशनल टेक्सटाइल कार्पो० (गुजरात) लि०
84.	इंडकोन मार्केटिंग (प्रा०) लि०
85.	कालिन्दी इन्वेस्टमेंट (प्रा०) लि०
86.	अफिसदर (प्रा०) लि०
87.	शाही बाग इन्टरप्राईस (प्रा०) लि०
88.	साराभाई (प्रा०) लि०
89.	सिनबायोटिक्स लि०
90.	वल्लभ ग्लास वर्क्स लि०
91.	अम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइसिस

1	2
92.	इलिकोन इंजीनियरिंग कं० लि०
93.	राजस्थान फाइनांसियल कार्पो०
94.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर
95.	राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट्स लि०
96.	मैं० कानपोर शूगर वर्क्स लि०
97.	भोरूका स्टील लि०
98.	केनरा बैंक
99.	इंडियन टेलिफोन इंडस्ट्रीस
100.	कार्पोरेशन बैंक
101.	सिंडीकेट बैंक
102.	मैसूर सीमेंट्स लि०
103.	मैसूर वाईन प्रोडक्टस लि०
104.	आन्ध्र प्रदेश पेपर मिल्स लि०
105.	प्योर ड्रिंक्स (प्रा०) लि०
106.	मेक्डोवल एण्ड कं० लि०
107.	एम० एम० आर० लि०
108.	तमिलनाडु इन्डस्ट्रियल इन्वैस्टमेंट कार्पोरेशन लि०
109.	साउथ इंडिया विस्कोस लि०
110.	आर० बी० श्रीराम दुर्गा प्रसाद (प्रा०) लि०
111.	मशीनरी मैन्युफैक्चर्र कार्पो० लि०
112.	ओबराय होटल्स (प्रा०) लि०
113.	भादुलीपुर टी० कं० लि०
114.	नेशनल इंशोरेंस कं० लि०
115.	अन्नापूर्ण क्रेड़िट क० मिल्स लि०
116.	जियाजी काटन मिल्स लि०
117.	कनोड़िया केमिकल एण्ड इंडस्ट्रीस लि०
118.	स्ट्रा प्राडक्टस लिमिटेड
119.	टाटा टी लिमिटेड

भारतीय चमड़े का चोरी छिपे निर्यात

*20. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि भारतीय चमड़े का बड़े पैमाने पर चोरी छिपे निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों और किये गये अभिग्रहणों की प्रवृत्तियों से भारतीय चमड़े के चोरी-छिपे किये जाने वाले किसी खास निर्यात का पता नहीं चलता है। फिर भी, सांप को/वन्य जीवों को अर्ध-संसाधित खालों और बकरे की असंसाधित खालों के चोरी-छिपे किये गये निर्यात के कुछेक मामलों का पता चला है।

(ख) आमतौर पर, तस्करी क्रिया कलापों के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया गया है।

[अनुवाद]

रासायनिक उत्पादों का निर्यात

1. **श्री चिन्तामणि जेना** :
श्री मोहन भाई पटेल : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रासायनिक उत्पादों का ब्यौरा क्या है, जिनका निर्यात किया जा रहा है;

(ख) वर्ष 1983-84, 1984-85 के दौरान कितने मूल्य के रासायनिक उत्पादों का निर्यात किया गया और वर्ष 1985-86 के दौरान कितने मूल्य के रासायनिक उत्पादों का निर्यात किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय रासायनिक उत्पादों की भारी मांग है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के दौरान रासायनिक उत्पादों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) रसायन छः व्यापक समूहों के अन्तर्गत निर्यात किए जाते हैं। प्रत्येक समूह के अन्तर्गत निर्यात की प्रमुख मदें नीचे दी जाती हैं :

(1) **औषधी तथा भेषज** : मैडीकामेन्ट्स आयुर्वेदिक दवाईयां, मैडिसिनल कस्टर आयल, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, पापेन, सल्फा ड्रग्स, सोडियम आइओडाइड, सोमेलसोल, बीटा आइनौन आन्डिसा इलिनिक एसिड, बरबाराइन हाइड्रो-क्लोराइड, एसीटाइन साल्ट, स्ट्रेसामाइन साल्ट।

(2) **रंजक तथा रंजक मध्यवर्ती वस्तुएं** : आर्गनिक पिगमैन्ट्स, डायरेक्ट डाइज, बेसिक डाइज, सल्फर डाइज, वैट डाइज, एजोइक डाइज, हाइड्रो-क्लोराइड एसिड, मैटनिलिक एसिड, एन्थ्राविवनान, फ्लोरिसेन्ट ब्राइटिनिंग एजेन्ट।

(3) **कृषि रसायनों सहित मूल अकार्बनिक तथा कार्बनिक रसायन :** रेअर अर्थ क्लोराइड, आइरन क्लोराइड, फैरिक, सोडियम सल्फेट, बिलीचिंग पाउडर, एलुमिनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम टैरीपोली फास्फेट, रेड फासफोरस, सौडियम साइनाइड, कैटालिस्ट केमिकल्स, मैटा अमीनो फिनाल, मैंगनिसियम डाइआक्साइड, निकोटिन सल्फेट, इनसैक्टीसाइड तथा पैस्टी-साइड्स, एल्यूनियम फोसफाइड, एन्डो सलफान टैक्निकल ।

(4) **सौन्दर्य प्रसाधन तथा शृंगार सामग्री :** हेयर आयल, हेयर शैम्पू, टोयलट सोप, टूथ पेस्ट, सिन्थेटिक डिटरजेन्ट्स हाइड्रोजेनेटिड वैस्टर आयल, हेन्ना लीव्स तथा पाउडर डी-हाड्रेटिक कैस्टर आयल ।

(5) **अगरबत्ती**

(6) **सुगंधित तेल तथा औषधीय जड़ी बूटियां :** सन्दलवुड आयल, लैमनग्रास आयल, पाम रोसा आयल, डावन आयल, सेलियम सीड तथा हस्क, सेना लीव्ज तथा पौड्स, अफीम ।

(ख) रसायनों के निर्यातों का अनुमानित मूल्य नीचे दिया जाता है :—

(मूल्य करोड़ रु० में)

वर्ष	एफ ओ बी मूल्य के निर्यात
1983-84	553.20
1984-85	619.16
1985-86	750.20 (अनुमानित)

(इन आंकड़ों में नेफ्था के निर्यात भी शामिल हैं ।)

(ग) और (घ) जी हां । रसायन उत्पादों के निर्यात को और बढ़ाने के उद्देश्य से एक अन्त: मंत्रालय स्थायी समिति गठित की गई है ।

फिलामेंट तथा रेशों के शुल्क में असमानता

2. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलामेंट और रेशों के शुल्क में असमानता होने के कारण सिन्थेटिक बुनकरों के लिए काफी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं और फिलामेंट निर्माताओं को अत्याधिक मूल्य वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण बिक्री न किए गए सामान के स्टाक में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विसंगति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या मूल्य में असमानता के कारण सूरत और भिवंडी के पावरलूमों को चलाए रखने में उन्हें कठिनाई हो रही है और प्रतिदिन सैंकड़ों पावरलूम बन्द किये जा रहे हैं, जिससे हजारों गरीब बुनकर बेरोजगार हो रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार नाइलोन फिलामेंट पर शुल्क कम करने का है, यदि हां, तो कब और कितना ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) फिलामेंट तथा रेशे पर शुल्क कभी भी समतुल्य नहीं रहे और असमानता के फलस्वरूप फिलामेंट यार्न के विशाल बिना बिके स्टाक उत्पन्न नहीं हुए हैं ।

(ग) कीमत असमानता की वजह से विद्युत करघे बड़ी संख्या में बन्द नहीं हुए हैं ।

(घ) सरकार इस स्थिति पर बराबर निगरानी रखे हुए हैं ।

सरकारी करों के बकाया के कारण औद्योगिक और आर्थिक परियोजनाओं को स्वीकृति न देना

3. **श्री बनवारी लाल बेरवा** :
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सरकारी करों और अन्य शुल्कों के बकाया वाले कुछ औद्योगिक गृहों द्वारा औद्योगिक और आर्थिक परियोजनाओं के लिए किए गए आवेदनों पर मंजूरी को रोकने का निर्णय लिया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार शुल्कों और करों की अदायगी न किए जाने के मामलों के निपटान के बकाया वाले ऐसे नियमित निकायों द्वारा डिबेंचर और शेयर जारी करने जैसी कुछ आर्थिक परियोजनाओं को मंजूरी देना प्रारम्भ करना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार, कम्पनियों द्वारा की जाने वाली करों की अदायगियों और कम्पनियों के सामूहिक कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुये अभिस्वीकृतियों के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करती है । शेयरों/ऋणपत्रों के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में अनुमोदन वर्तमान मार्ग-निर्देशों तथा उनसे संबंधित अन्य विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है ।

पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए सलाहकार समिति की बैठक

4. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** :
श्री मतिलाल हंसदा : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय बैंकों के लिए सलाहकार समिति की अंतिम बैठक कब हुई थी;

(ख) उस समय का इस क्षेत्र के अनुसूचित बैंकों का ऋण देने और जमा के लिए धनराशि जुटाने-धनराशि और प्रतिशत दोनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस समय इस क्षेत्र के ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन क्या था और उस क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों के लिए समन्वित ग्रामीण विकास योजना संबंधी विशिष्ट योजनाएं क्या थीं— धनराशि और प्रतिशतता दोनों में; और

(घ) पूर्वी क्षेत्र की अगली बैठक कब होने की संभावना है और इसमें कौन से विषयों पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पूर्वी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों की सलाहकार समिति की अन्तिम बैठक 4 नवम्बर, 1985 को कलकत्ता में की गई थी।

(ख) उपलब्ध आंकड़े दिसम्बर 1984 के अंत के हैं और पूर्वी क्षेत्र के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपये)
(1) जमा राशियां	11,175
(2) अग्रिम	6,419
(3) ऋण: जमा अनुपात	54.5 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र के लिए शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार देने की स्कीम के अधीन बैंकों ने 45,750 के लक्ष्य के मुकाबले 45,520 आवेदन मंजूर किए। वर्ष 1984-85 में 88.97 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई।

क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 में 10,90,895 परिवारों की सहायतार्थ 174.90 करोड़ रुपये के सावधि ऋण दिये।

(घ) पूर्वी क्षेत्र के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों की सलाहकार समिति की अगली बैठक के लिए अभी तक न तो कोई तारीख निश्चित की गई है और न ही किसी कार्य सूची को अंतिम रूप दिया गया है।

दार्जिलिंग चाय पर उत्पादन शुल्क

5. **श्री आनन्द पाठक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दार्जिलिंग में चाय उद्योग में लगातार रुग्णता को देखते हुए दार्जिलिंग चाय दर उत्पादन शुल्क के वर्तमान दर में परिवर्तन न करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) क्षेत्र III में उगाई गई चाय पर (जिसमें दार्जिलिंग चाय भी शामिल है) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, एक छूट-प्रदायी अधि-सूचना द्वारा, बीस पैसे प्रति किलोग्राम की दर से नियत किया गया था। यह अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 1985 तक वैध थी। सरकार को दिनांक 19 दिसम्बर, 1985 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि शुल्क की इस रियायती दर को उस समय तक

और आगे जारी रखा जाए जब तक दार्जिलिंग पहाड़ी पर स्थित चाय बागान रोग से पूरी तरह ठीक न हो जाएं। सरकार ने छूट-प्रदायी अधिसूचना की वैधता को दिनांक 31 दिसम्बर, 1986 तक बढ़ा दिया है।

हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात

6. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मिथिला (उत्तरी बिहार) की हस्तशिल्प की वस्तुओं का निर्यात करने के प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों में मिथिला क्षेत्र के हस्तशिल्पों को, विशेष रूप से मधुबनी पेन्टिंग के निर्यातों के संवर्धन के लिए निम्नोक्त उपाय किये गए :—

(1) मधुबनी पेन्टिंग जून 1983 में आयोजित एक प्रदर्शनी के लिए कोपनैहंगन को निर्यात की गई थी। कोपनैहंगन के बाद ये पेन्टिंग नवम्बर 1983 में क्यूबा में तथा 1984 में मैक्सिको और ट्रिनीडाड में प्रदर्शित की गई थी।

(2) चेहरों तथा पेन्टिंग की एक प्रदर्शनी सितम्बर 1985 में पेरिस में भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम की फुटकर दुकान पर आयोजित की गई थी। इस प्रदर्शनी-सह-बिक्री में वर्ली तथा मधुबनी पेन्टिंग शामिल थीं।

(3) हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम मधुबनी पेन्टिंग, ग्रीटिंग कार्ड तथा पोर्टफोलियो को विकसित करने तथा सं० रा० अमरीका को उन्हें निर्यात करने के लिए विशेष परियोजनाएं चला रही हैं।

(4) भारत उत्सव के दौरान वाशिंगटन में आयोजित अदिति प्रदर्शनी में पेपियर मेसी से बनी अन्य प्रदर्शन मदों के अतिरिक्त बड़े आकार के पेपियर मेशी से बने बड़े आकार के चित्र भी दर्शाए गए।

काला धन

7. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की उदार वित्तीय नीतियों के बावजूद काले धन का आसानी से पता नहीं लगाया जा सका है और यह सर्वविदित है कि व्यापारियों और अन्य लोगों के पास नगदी, आभूषण अघोषित बाबधिक जमा और विलास की वस्तुओं के रूप में अघोषित अस्तियां हैं।

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि भूमि की खरीद में विशेषकर उन स्थानों में काले धन का उपयोग किया जा रहा है जहां कुछ निश्चित क्षेत्रों और निश्चित शर्तों को छोड़ कर उसकी बिक्री की अनुमति नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे काले धन का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिसका आसानी से पता नहीं लगाया जा सका है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार की उदार वित्तीय नीतियों के परिणामस्वरूप, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व वसूलियों में बढ़ोत्तरी हुई है। तथापि, संक्षिप्तत; कर-निर्धारण योजना को उदार बनाना और प्रत्यक्ष करों की दरों में कमी करना नीति का केवल एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा शेष मामलों में व्यापक छानबीन करके तलाशियां लेना और माल पकड़ना है ताकि कर दाताओं के मन में ऐसा कोई संदेह न रहे कि वे अपनी आय की विवरणियों में कुछ भी घोषित करके बच सकते हैं। प्रवर्त्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाया जा रहा है और तलाशियों की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। सरकार को भूमि के लेनदेन में लेखा-बाह्य आय के इस्तेमाल की जानकारी है। काले धन की उत्पत्ति को समाप्त करने के लिए समय-समय पर विधायी, प्रशासनिक और संस्थानिक सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

ऋण मेलों के माध्यम से वितरित किए गए बैंक ऋण

8. **श्री अजीत कुमार साहा : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण मेलों के माध्यम से बैंक ऋणों के वितरण के लिए व्यक्तियों के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाया जाता है;

(ख) क्या ऐसे मामलों में संबंधित क्षेत्र के राज्य सरकार के प्राधिकारियों का प्रमाण-पत्र आवश्यक होता है;

(ग) अब तक ऐसे ऋणों की वसूली का अनुपात क्या है; और

(घ) क्या ऐसे ऋणों की वसूली न होने की जिम्मेदारी संबंधित ऋण वितरक प्राधिकारियों की है या क्षेत्रीय अधिकारियों की ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ऋण शिविरों में संवितरित किये जाने वाले बैंक ऋणों के वास्ते व्यक्तियों का चयन करने के लिए अलग से कोई मानदण्ड नहीं है। बैंकों से कहा गया है कि ऋण शिविरों में संवितरित किये जाने वाले ऋणों सहित सभी तरह के ऋण मंजूर करते समय, वे व्यक्तियों का पता लगाने, मंजूरी देने और मूल्यांकन करने में सही प्रक्रिया का पालन करें।

(ख) ऋण-शिविर बैंकों के अधिकारियों द्वारा आयोजित किये जाते हैं। जहां कहीं संबंधित राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त होता है वहां गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत हिताधिकारियों को भी इन शिविरों से पर्याप्त लाभ पहुंचता है।

(ग) और (घ) ऐसे समारोहों की संख्या, संवितरित ऋण राशि में और ऐसे ऋणों की वसूल की गयी रकम पर अलग से नजर रखना न तो व्यवहार्य है और न ही आवश्यक है। अतः ऐसे ऋणों की वसूली के अनुपात पर अलग से नजर नहीं रखी जाती। चाहे ऋण की राशि ऋण शिविरों के माध्यम से संवितरित की जाए अथवा अन्यथा ऋणों की वसूली न होने के परिणाम एक ही होते हैं।

स्वापकों का अवैध व्यापार

9. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1986 तक पिछले 6 महीनों के दौरान देश में मारे गए छापों में अब तक किस-किस प्रकार के अवैध स्वापक व्यापार का पता लगाया गया है;

(ख) पकड़े गए माल का मूल्य क्या है;

(ग) किन-किन देशों से भारत में स्वापकों का आयात होता है; और

(घ) इन्हें भारत के रास्ते किन-किन देशों को भेजा जाता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान 31 जनवरी, 1986 तक पकड़े गये मादक-द्रव्यों के मामलों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

मादक-द्रव्य का नाम	अवैध आयात		निर्यात का प्रयास किया गया		देश के अन्दर गैर कानूनी धन्धा	
	मामलों की संख्या	पकड़ी गई मात्रा	मामलों की संख्या	पकड़ी गई मात्रा	मामलों की संख्या	पकड़ी गई मात्रा
			(किलो ग्राम में)			
अफीम	7	37.000	7	203.503	133	1172.749
गांजा	55	34966.000	6	91.950	36	2220.256
चरस	10	6018.600	16	4815.135	61	642.476
हेरोइन	11	790.228	17	37.641	41	65.681
मारफिन	....	...	5	52.130	8	7.582
कोकेन		...	...	0.200*	1	4.200
मैंड्रेक्सकी गोलियां		4.000*	6	134.800	1	1.600
पोस्त की भूसी		...	...	...	13	17218.000
डायोनिन	...	...	....	...	1	0.500

नोट :—आंकड़े अनन्तिम हैं। *हेरोइन के साथ अभिग्रहण सूचित करता है।

(ख) नारकोटिक मादक-द्रव्यों का ठीक-ठीक मूल्य नहीं बताया जा सकता क्योंकि गैर कानूनी बाजार में मूल्य बहुत बदलते रहते हैं जो पकड़े जाने के समय और स्थान, मादक-द्रव्यों की शुद्धता, स्थानीय मांग और पूर्ति की स्थिति पर निर्भर करते हैं।

(ग) और (घ) भारत का, निकट और मध्य पूर्व क्षेत्रों से और मुख्यतया पश्चिमी देशों को भेजे जाने के लिए नारकोटिक मादक द्रव्यों की तस्करी के लिये परागमन देश के रूप में अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है।

दोषपूर्ण माप-तोल द्वारा उपभोक्ताओं को ठगना

10. **श्री के० प्रधानी :**
श्री राम प्यारे पनिका : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किये गये एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार दोषपूर्ण माप-तोल द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं से, विशेषकर दूरदराज ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में, वर्ष में करोड़ों रुपये ठग लिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ता को घटिया और मिलावटी खाद्य पदार्थों को खरीदने की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) इस बारे में हाल में कोई अधिकारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) कम तोलने तथा मापने को रोकने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 पारित किया और बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 को प्रख्यापित किया था। ये अधिनियम तथा नियम राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किए जाते हैं। प्रवर्तन कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार ने बाट तथा माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 भी अधिनियमित किया है, जिसे राज्यों द्वारा लागू किया जाना है। राज्यों सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को बाट तथा माप मानक अधिनियम व नियमों के उपबन्धों के जोरदार ढंग से लागू करने की सलाह देने के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार ने देश में स्वैच्छिक उपभोक्ता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। सरकार उपभोक्ता संरक्षण के बारे में विशिष्ट योजनाओं के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता देती है। उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपमिश्रण तथा पैकेज में रखी वस्तुएं नियम के बारे में पुस्तिकाएं भी निकाली गई हैं।

सिलेसिलाये कपड़ों का निर्यात

11. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान सिलेसिलाये कपड़ों का निर्यात कोटा आबंटित किया गया तथा श्रेणी वार कितना तथा कितने मूल्य का निर्यात कोटा आबंटित किया गया ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : चूंकि ऐसा विवरण कलैन्डर वर्षवार रखा जाता है, इस लिए कलैन्डर वर्ष 1983, 1984 और 1985 के लिए अपेक्षित ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 2046/86]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकारियों का अन्तर बैंक स्थानान्तरण

12. **प्रो० नरायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी विशेष इच्छित स्थान पर लम्बे समय तक और कभी-कभी कई दशक तक कार्य करने के कारण निहित स्वार्थों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कृत बैंकों के अधिकारियों के अन्तर बैंक स्थानांतरण के लिए बैंक कर्मचारियों की मांग पर कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है; ओर इसको किस तारीख से कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और कब तक निर्णय लिये जाने और कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) उन बैंकों में जिनके पास वरिष्ठ प्रबन्ध और शीर्ष कार्यपालक ग्रेड के अपने पर्याप्त अधिकारी नहीं हैं, इन ग्रेडों के रिक्त स्थान भरने के लिये इच्छुक अधिकारियों का एक पैनल बनाया जा रहा है। लेकिन, इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय सम्बन्धित बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के परामर्श से किया जायेगा।

दक्षिण एशिया के लिए एक साझा बाजार स्थापित करने का प्रस्ताव

13. **डा० बी० एल० शैलेश** :
श्री उत्तम राठौड़ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशिया के लिए एक साझा बाजार विकसित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से धन का अन्य क्षेत्रों में निःस्राव

14. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से अन्य क्षेत्रों को धन के निःस्राव का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश में आये धन का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य श्रमिकों द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रेषित धन राशियों के आंकड़े जानने के इच्छुक हैं। जहां तक हमें पता है ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

आमोद-प्रमोद पर फिजूल खर्ची

15. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान नई दिल्ली से प्रकाशित। जनवरी, 1986 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "न्यू ईयर फेट में नाट बी रोजी" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं ;

(ग) गलत तरीकों से अर्जित धन की ऐसे आमोद-प्रमोद पर फिजूलखर्ची के बारे में की गई जांच के क्या परिणाम हैं ; और

(घ) इस संबंध में विशेष कर ऐसा आथित्य स्वीकार करने वाले केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के मामले में क्या निवारक उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय ने, पाँच शहरों के होटलों में की गई बुकिंग के बारे में किसी तरह की अलग छानबीन करने के लिए अपने आसूचना कर्मचारियों में से किसी को भी प्रतिनियुक्त नहीं किया था, जैसा कि समाचार में रिपोर्ट दी गई थी।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार की समुचित एजेंसियां आचरण नियमावली का उल्लंघन किये जाने के ऐसे मामलों को रोकने/पकड़नेके लिए सतर्क बनी रहती हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धनराशि का पुनर्निवेश

16. **श्री अनिल वसु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसी क्षेत्र से प्राप्त धनराशि का उसी क्षेत्र में पुनर्निवेश का अनुपात क्या है तथा तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऐसे क्षेत्रों में, जहां से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई, निवेश का अनुपात क्या है तथा गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सम्भवतः प्रश्न का आशय विभिन्न क्षेत्रों में बैंकों के ऋणः जमा अनुपात से है। दिसम्बर 1982, 1983 और 1984 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का क्षेत्रवार ऋणः जमा अनुपात नीचे दिया गया है : —

क्षेत्र	ऋणः जमा	अनुपात	(प्रतिशत)
	1982	1983	1984
उत्तरी क्षेत्र	72.15	64.83	62.24
पूर्वोत्तर क्षेत्र	39.42	39.84	45.90
पूर्वी क्षेत्र	55.26	53.64	52.54
मध्य क्षेत्र	49.29	[illegible]	48.42
पश्चिमी क्षेत्र	74.38	78.[illegible]	81.48
दक्षिणी क्षेत्र	78.29	77.91	83.14

निर्यात हेतु उत्पादन के लिए रुग्ण मिलों का आधुनिकीकरण

17. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन चल रही उन कपड़ा मिलों का केवल निर्यात हेतु उत्पादन करने के लिए आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जो भारी घाटा उठा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने घाटे में चल रही इन मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए भी कोई प्रयास किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कहां तक संतोषजनक सुधार हुआ है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया हैं।

(ख) और (ग) एन० टी० सी० के अन्तर्गत मिलों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए सीमित साधनों के अन्दर उठाए गए। उठाए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नांकित प्रकार हैं :—

(एक) विभिन्न उपलब्ध स्रोतों से रुई की समय पर अधिप्राप्ति के लिए प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

(दो) नकद हानियों को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति की गई है।

(तीन) बिजली की कमी को पूरा करने के लिए स्वयं बिजली पैदा करने की क्षमता की व्यवस्था की गई है।

(चार) सीमित साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करते हुए परिणामोन्मुख लाभों के लिए चयनात्मक आधुनिकीकरण कार्यक्रम को अपनाया गया है।

(पांच) सभी स्तरों पर लागत कम करने के लिए लागत नियंत्रण उपायों को लागू किया गया है।

(छह) गैर-परिचालन संबंधी प्रशासनिक खर्चों को कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(सात) ऊंची उत्पादकता प्राप्त करने के लिए प्रबन्ध योजना में श्रमिक भागीदारी योजना को प्रोत्साहित किया जा रहा है; और

(आठ) लागत को घटाने तथा कार्यकुशलता तथा क्वालिटी में सुधार करने के लिये एन टी सी के कार्य निष्पादन की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जा रही है।

उठाये गये कदमों के परिणामस्वरूप, अप्रैल से नवम्बर, 1985 के लिए औसत निवल हानि गत वर्ष की उसी अवधि के दौरान औसत हानियों की तुलना में राष्ट्रीयकृत मिलों के मामले में 4.62 करोड़ रु० प्रति माह और प्रबन्धित एककों के मामले में 0.32 करोड़ रु० प्रति माह कम हुई है।

[हिन्दी]

घाटे में चल रही चीनी मिलों का प्रबंध ग्रहण

18. **श्री जगन्नाथ प्रसाद :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में घाटे में चल रही चीनी मिलों की संख्या कितनी है और उनकी ओर कितनी राशि बकाया है;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि उपर्युक्त मिलें घाटे में न चलें;

(ग) क्या सरकार का घाटे में चल रही चीनी मिलों का प्रबंध ग्रहण करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सरकार चीनी मिलों, जो कि मुख्यतया निजी अथवा सहकारी क्षेत्र में हैं, के बारे में लाभ और हानि के लेखों को नहीं रखती है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर चीनी की नीति की घोषणा की जाती है। किसी चीनी फैक्ट्री की लाभकारिता अथवा अन्यथा कई एक बातों पर निर्भर करती है जिनमें गन्ने की उपलब्धता, किसी एक चीनी मिल की तकनीकी और प्रबंधकीय सक्षमता तथा कुछेक अन्य तथ्य, जो कि चीनी-नीति द्वारा सीधे शासित नहीं होते हैं, शामिल हैं। चीनी मिल को कुशलता पूर्वक चलाने की मूल जिम्मेदारी सिर्फ प्रबंध की होती है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ से प्राप्त ज्ञापन

19. **श्री रेणु पद दास :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ की ओर से मांग-पत्र संबंधी कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) क्या सरकार ने मांग-पत्र पर विचार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क ओर (ख) जी हां।

(ग) हाल में अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी संघ से प्राप्त मांग-पत्रों की मुख्य मांगों और इस संबंध में सरकार/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक संघ द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के मांग-पत्रों में की गई शिकायतें

क्रम संख्या	मांग/शिकायत	सरकार/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	"समान काम के लिए समान वेतन" और वेतनमानों तथा सेवा शर्तों के मामले में वाणिज्यिक बैंकों के साथ समानता।	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संकल्पना कम लागत वाली संस्थाओं के रूप में की गई है जिनका कार्य क्षेत्र और ग्राहकों की संख्या सीमित होती है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम की धारा (17) में यह व्यवस्था की गई है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के पारिश्रमिक केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएंगे और इन पारिश्रमिकों का निर्धारण करते समय अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों के तुलनीय स्तर और दर्जे के कर्मचारियों के वेतन ढांचे का भी यथोचित ध्यान रखा जाएगा। इसे देखते हुए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के पारिश्रमिकों और सेवा शर्तों की अन्य वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों के साथ बराबरी नहीं की जा सकती।
2.	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अधिनियम, 1972 के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते में वृद्धि	इस मामले पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के विधि विभाग द्वारा विचार किया गया था जिसका यह मत है कि औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अधिनियम, 1946 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है और इस लिये जीवन निर्वाह भत्ते में वृद्धि करने पर विचार नहीं किया जा सकता।

1	2	3
3.	अन्तर बैंक तबादलों के लिए अनुरोध	प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अपना अलग अस्तित्व होता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बीच कर्मचारियों का तबादला किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता ।
4.	भारतीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना	आन्दोलनकारियों द्वारा जिस भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की मांग की गई है वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मूल संकल्पना के अनुरूप नहीं है । क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ऋण का कारगर संवितरण करने के लिए जिलास्तरीय संस्थाओं के रूप में की गई है । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की प्रमुख विशेषता यह है कि वे स्थानीय स्तर के यूनिट है जिनके कर्मचारी स्थानीय लोग होते हैं ताकि ग्राहकों के साथ उनका निकट तादात्म्य सुनिश्चित किया जा सके ।
5.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में पदोन्नति नीतियां	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जारी किये गये मार्गनिर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय पर्यवेक्षकों और शाखा प्रबन्धकों के संबंध में 50प्रतिशत खाली स्थान आंतरिक उम्मीदवारों के लिये पदोन्नतिय द्वारा भरे जाने के वास्ते आरक्षित होते हैं और शेष 50 प्रतिशत स्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में नई प्रतिभाओं के प्रवेश के लिये भर्ती द्वारा भरे जाने के लिये जरूरी समझे गए हैं ।
6.	आवास ऋण	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम जनवरी, 1985 में जारी किये गये मार्ग निर्देशों के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने कर्मचारियों को उन दरों पर आवास ऋण दे सकती है जिन पर राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को ऋण दिया जाता है ।
7.	संदेश वाहकों की सेवाओं को नियमित करना	सरकार ने बैंकों के प्रधान कार्यालयों में और कुछ बड़ी शाखाओं में नियमित रूप से संदेशवाहक रखने के लिये पहले से ही अनुदेश जारी कर दिये हैं ।
8.	बातचीत के लिए मंच	हाल में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के क्षेत्रीय प्रबन्धक की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर एक मंच की स्थापना की गई है ताकि कर्मचारियों की शिकायतों और उनकी सेवा शर्तों पर विचार किया जा सके और सरकार/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को उपयुक्त सिफारिशें की जा सके ।

1	2	3
9.	प्रायोजक बैंक के कर्मचारियों को वापस बुलाना	यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के हित में है कि शुरू में वहां पर प्रायोजक बैंक के कर्मचारी नियुक्त किए जाएं। इस प्रकार प्रति नियुक्ति पर रखे गये कर्मचारी 5 वर्ष के बाद भी परस्पर सहमति से बने रह सकते हैं और जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्मचारी पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हो जाएं तब उन्हें विभिन्न चरणों में वापस भेजा जा सकता है।
10.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा चयन बोर्ड का गठन	भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती के लिये वर्तमान बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों के माध्यम से भर्ती करने के प्रस्ताव का पहले ही अनुमोदन कर दिया है।
11.	समान छुट्टी यात्रा रियायत	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक राज्य सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत दे सकते हैं।
12.	कुछ अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में उच्च पदों पर भर्ती के लिये सेवारत कर्मचारियों को आयु अर्हताओं आदि में रियायत	यद्यपि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्दर-अन्दर आयु में रियायत पर विचार किया जा सकता है लेकिन अर्हताओं में रियायत वांछनीय नहीं होगी। जहां तक कर्मचारियों का एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से दूसरे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जाने का सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के ऐसे किसी कर्मचारी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जो किसी अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अन्यथा बेहतर भविष्य के लिये जाना चाहता हो।

जनजातीय लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान सप्लाई करने की नई योजना का कार्य-निष्पादन

20. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जनजातीय लोगों को रियायती दरों पर खाद्यान्न सप्लाई करने की अपनी नई योजना के कार्य-निष्पादन से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अन्य जरूरतमन्द लोगों पर भी यह योजना लागू करने का है; और

(ग) उक्त लोगों को सप्लाई किए जा रहे खाद्यान्न की किस्मों की मात्रा सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०के० पंजा) : (क) जी हां, अधिकांश राज्यों में यह योजना संतोषजनक रूप से कार्य कर रही बतायी जाती है।

(ख) बड़े बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए अनुपूरक पौषाहार कार्यक्रम को अतिरिक्त समर्थन दिया जा रहा है और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है।

(ग) नयी योजना द्वारा कवर किए गए आदिवासी क्षेत्रों में विशेष रूप से सहायता प्राप्त मूल्यों पर दोनों गेहूँ और चावल की आपूर्ति की जा रही है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को इस योजना के अन्तर्गत वितरित करने के लिए 31 जनवरी, 1986 तक 72,518 मीटरी टन गेहूँ, और 54,126 मीटरी टन चावल जारी किया गया था।

विदेशी मुद्रा कोष में उतार-चढ़ाव

21. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 के दौरान भारत के विदेशी मुद्रा कोष में काफी उतार चढ़ाव रहा है;

(ख) वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा कोष का औसत स्तर कितना था तथा यह किस तारीख को अधिकतम और किस तारीख को न्यूनतम रहा; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान विदेशी बाजार से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई तथा संस्थाओं अथवा अंतर सरकारों से पृथक रूप से कितनी विदेशी मुद्रा उधार ली गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान प्रत्येक महीने के अन्त में विदेशी मुद्रा भण्डार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) का औसत स्तर 6649.08 करोड़ रुपये था। इस अवधि में इसका अधिकतम और निम्नतम स्तर इस प्रकार रहा :—

तारीख	(करोड़ रुपये)
1.2.85	5974.24
10.5.85	7247.06

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान जनवरी, 1986 तक 1200.30 करोड़ तक के विदेशी वाणिज्यिक उधारों के लिए अनुमति दी गई।

ग्रामीण बैंकों में जमा राशि

22. **प्रो० के०के० तिवारी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण बैंकों में गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि जमा की गयी और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि जमा किये जाने का अनुमान है;

(ख) भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों में जमा धनराशि को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून 1984 और जून 1985 के अन्त की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जुटाई गई जमा राशियाँ निम्नानुसार हैं :—

निम्नलिखित के अन्त में	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	जमाराशियां (लाख रुपये)
1	2	3
जून 1984	162	77434
जून 1985	183	105704

पिछले कुछ वर्षों में हुई वृद्धि की प्रवृत्ति को देखते हुए, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने जून 1986 के अन्त में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है।

(ख) ग्रामीण बचतों को जुटाने के विचार से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कई बैंक रहित केन्द्रों में अपनी शाखाएं खोली हैं। इसके अलावा, उन्हें तीन वर्ष से कम अवधि की सावधि जमाराशियों और बचत जमाराशियों पर प्रतिवर्ष आधा प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज देने का प्राधिकार भी दिया गया है।

जीवन बीमा निगम की ग्रामीण शाखाएं/कार्यालय

23. **श्री मुल्लपल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम की कितनी शाखाएं/कार्यालय हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उसके कारबार में किस दर से वृद्धि हुई है; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान किस राज्य में अधिकतम कारबार हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम की 797 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों में कारोबार में वृद्धि की दर इस प्रकार है:

व्यक्तिगत बीमा

वर्ष	बीमे की रकम (करोड़ रुपये)	वृद्धि की प्रतिशतता
1982-83	3974.39	14.2
1983-84	4386.98	10.4
1984-85	5375.93	22.5

(ग) वर्ष 1984-85 में महाराष्ट्र राज्य में अधिकतम व्यक्तिगत बीमा कारोबार, अर्थात् 795.13 करोड़ रुपये की बीमित रकम का कारोबार हुआ

सीमा-शुल्क अपराधों के लिए गिरफ्तार किये गये एवं मुकदमा चलाये गये व्यक्तियों की संख्या

24 **डा० चिन्ता मोहन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी से नवम्बर, 1985 के दौरान सीमा शुल्क अपराधों के लिए 2659 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे और 1883 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो रंगे हाथ पकड़े गए 776 व्यक्तियों को छोड़ देने के क्या कारण हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जनवरी-नवम्बर, 1985 की अवधि के दौरान, 2659 (अनन्तिम) व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और 1890 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था।

(ख) जनवरी से नवम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान जिन व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया था उनका उन व्यक्तियों में से होना आवश्यक नहीं है जो उसी अवधि के दौरान गिरफ्तार किये गये हों गिरफ्तारी और मुकदमा चलाये जाने के बीच सदैव एक अन्तराल होता है। मुकदमा चलाये जाने की अनुमति सीमा शुल्क समाहर्ता द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 137 की शर्तों के अधीन गुणावगुणों के आधार पर दी जाती है।

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

25. **श्री डी०एन० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 937 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिये गये थे जबकि 20 दिसम्बर, 1985 तक वास्तव में 741 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो शेष व्यक्तियों की स्थिति क्या है; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण के अधीन गिरफ्तार किये जाने वाले लोगों के लिए एक नया पृथक सेल स्थापित करने का है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1985 में (20 दिसम्बर, तक) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन 937 नजरबन्दी आदेश जारी किये गये थे और 741 व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया था। नजरबन्द किये गये 741 व्यक्तियों में कुछेक ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें पहले के वर्षों में जारी किये गये नजरबन्दी आदेशों के अधीन नजरबन्द किया गया था।

(ख) जारी किये गये नजरबन्दी आदेशों के आधार पर जिन व्यक्तियों को नजरबन्द नहीं किया जा सका, वे फरार हैं। तथापि, सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा ध्यान रखे जाने के अलावा, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अधीन उन व्यक्तियों

के विरुद्ध यथापेक्षित उपयुक्त कार्रवाई भी की जाती है जो नजरबन्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

केरल में खाद्यान्न के सार्वजनिक वितरण के लिए राजसहायता

26. **श्री वक्कम पुरषोत्तमन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985-86 में केरल में खाद्यान्न के सार्वजनिक वितरण के लिए कितनी राजसहायता दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०के० पंजा) : केरल को अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान केन्द्रीय राजसहायता का ब्यौरा नीचे दिया जाता है (जनवरी-मार्च, 1986 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं) :—

	मात्रा लाख मीटरी टन में	राजसहायता की राशि करोड़ रुपये में
गेहूँ	1.646	11.17
चावल	10.723	82.18
जोड़	12.369	93.35

कर्नाटक सरकार द्वारा योजना राशि को सूखा राहत कार्यों पर खर्च किया जाना

27. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० वी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने योजना राशि के 78 करोड़ रुपये सूखा राहत कार्यों पर खर्च करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त नहीं की है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य में सूखे की स्थिति में साधनों के 50:50 के अनुपात में आबंटत से संबंधित आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक सरकार को सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सहायता देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं और इसके लिए कर्नाटक को अब तक कितनी राशि आबंटित की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 14 करोड़ रुपये की सीमा तक निधियों के मात्र रोजगार उत्पन्न करने तथा सूखा राहत के लिए अन्य तात्कालिक आवश्यकताओं के काम में लगाया है।

(ख) सूखा राहत उपायों के लिए योजना निधियों को लगाने के लिए योजना आयोग को अभी तक कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि सीमान्त धन से अधिक सूखा राहत व्यय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय के 5 प्रतिशत तक अग्रिम योजना सहायता के रूप में उपलब्ध किया जाना चाहिए। परिव्यय के 5 प्रतिशत से अधिक, यदि कोई व्यय हो तो उसे 50 प्रतिशत ऋण और 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाना चाहिए और उसे योजना सहायता के सम्बन्ध में राज्यों की हकदारी में समायोजित नहीं किया जाता। संघ सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।

(घ) भारत सरकार ने केन्द्रीय दलों की रिपोर्ट पर आधारित उच्च स्तरीय राहत समिति की सिफारिशों के आधार पर 1985-86 में सूखा राहत उपायों के लिए राज्य को 55.03 करोड़ रुपये के व्यय की कुल अधिकतम सीमा का अनुमोदन कर दिया है।

वनस्पति घी पर स्वैच्छिक मूल्य नियन्त्रण को समाप्त करना

28. **श्री आनन्द सिंह :**

डा० टी० कल्पना देवी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वनस्पति घी पर स्वैच्छिक मूल्य नियन्त्रण समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) मूल्य नियन्त्रण समाप्त किये जाने के बाद वनस्पति घी का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया गया है ;

(घ) उचित मूल्य पर वनस्पति को पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार मूल्य स्थिति पर किस प्रकार निगरानी रखने का है;

(ङ) क्या वनस्पति निर्माता संघ ने वनस्पति के मूल्य और वितरण के नये ढांचे के संबंध में एक आचार संहिता बनाई है ; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार ने उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अन्य कौन सा तन्त्र बनाया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) नियन्त्रणों को कम से कम करने तथा वनस्पति घी की संतोषजनक उपलब्धता और उचित कीमतों को मद्देनजर रखते हुए स्वैच्छिक मूल्य समझौता जनवरी, 1986 में वापिस ले लिया गया था।

(ग) वनस्पति घी की कीमतें बाजार में मांग तथा आपूर्ति के परस्परिक प्रभाव द्वारा निर्धारित होकर उचित स्तरों पर बनी हुई हैं।

(घ) वनस्पति के बाजार मूल्यों पर, वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय के अधिकारियों के माध्यम से और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता से नजर

रखी जाती है। उपभोक्ताओं को इनकी पर्याप्त मात्रा मिलती रहे तथा इनके मूल्य उचित रहें यह सुनिश्चित करने हेतु उपचारात्मक उपाय किए जायेंगे, जिनमें आयातित तेलों का कारगर आपूर्ति प्रबंध करना भी शामिल है।

(ङ) हमें ऐसी जानकारी नहीं है।

(च) जैसा ऊपर (घ) में दिया गया है।

[हिन्दी]

आयकर अधिकारियों के घरों पर छापे

29. **श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछले कुछ महीनों में आयकर अधिकारियों के घरों पर छापे मारकर भारी मात्रा में सामान तथा नकदी बरामद की है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों तथा बरामद किये गये सामान का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी; हां 1 अक्टूबर, 1985 के बाद से कुछ आयकर अधिकारियों के परिसरों पर मारे गए छापों में कुछ सामान तथा नकदी बरामद हुई है।

(ख) अक्टूबर, 1985 के बाद से केन्द्रीय गुप्तचर आयोग द्वारा 9 आयकर अधिकारियों के परिसरों पर छापे मारे गए हैं। इस अवस्था में इन अधिकारियों के नाम तथा जब्त की गई परिसम्पत्तियों के विवरण प्रकट करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार से विवरण प्रकट करने से जांच में व्यवधान पड़ेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) इनमें से 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है तथा केन्द्रीय गुप्तचर आयोग द्वारा सभी मामलों में आगे जांच की जा रही है।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्व संग्रह में वृद्धि

30. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-दिसम्बर, 1985 के दौरान केन्द्रीय सरकार के राजस्व संग्रह में कोई वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से क्रमशः कुल कितना राजस्व जमा किया गया तथा वर्ष 1984 की इसी अवधि की तुलना में इसमें कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) वर्ष 1985-86 में बजट लक्ष्यों और संशोधित लक्ष्यों से कुल कितना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से कुल वसूलियां तथा 1984 की संगत अवधि में वृद्धि का प्रतिशत अनुपात निम्न प्रकार से हैं :—

वसूली करोड़ रुपयों में

	अप्रैल-दिसम्बर 1985	अप्रैल-दिसम्बर 1984	प्रतिशत वृद्धि
(i) प्रत्यक्ष कर	3392.70	2746.05	23.55%
(ii) अप्रत्यक्ष कर	159,13.89	12956.26	22.83%

(ग) 1985-86 के लिए प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर से कुल वसूली के बजट अनुमान क्रमशः 4942.50 करोड़ रु० तथा 20392.64 करोड़ रु० के हैं।

1985-86 के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों करों के लिए संशोधित अनुमान अभी तय किए जाने हैं।

बूलटाप का गैरकानूनी आयात

31. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अगस्त, 1985 में बूलटाप के आयात पर रोक लगाने के बावजूद भी, घरेलू खपत के लिए इसका अवैध आयात जारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) बूल-टाप के अवैध आयात में लगे आयातकर्ताओं की कार्य-प्रणाली क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) : समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार बूल टाप्स का आयात बूल वैस्ट के रूप में किया गया है। सीमाशुल्क प्राधिकारियों से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विधान

32. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए कानून के वर्तमान उपबंध अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा लघु जमाकर्त्ताओं के हितों की रक्षा के लिए विस्तृत विधेयक लाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत निगमित निकाय होती हैं। अतः इन कम्पनियों पर कम्पनी अधिनियम के विभिन्न उपबंध लागू होते हैं और इन कम्पनियों से इन उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है जिनमें कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास अपेक्षित विवरणियां भर कर दाखिल करना भी शामिल हैं। इन कम्पनियों द्वारा जमा राशियां स्वीकार करने संबंधी.....कार्य भी विनियमित किए जाते हैं क्योंकि यह गतिविधि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अन्तर्गत आती हैं। इन निर्देशों द्वारा जमा राशियां स्वीकार करने के कार्य का विनियमन जमा राशियों और उनकी अवधि जमा राशियों पर देय ब्याज दर/दलाली, वित्तीय कम्पनियों की कुछ जमा राशियों के संबंध में तरल परिसंपत्तियां रखने आदि पर कुछ प्रतिबन्ध लगाकर किया जाता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की गतिविधियों को और नियंत्रित करने के लिये व्यापक कानून बनाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के लिए हैल्थ कोड सिस्टम तैयार करना

33. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जोखिम वाले खातों की निगरानी के प्रयोजन हेतु अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेनेवालों के लिये बनाये गये हैल्थ कोड सिस्टम का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों के लिए भी ऐसा कोई हैल्थ कोड सिस्टम बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) नवम्बर 1985 में भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी बैंकों को छोड़कर, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से 31-12-85 की स्थिति के अनुसार अपने ऋण खातों को 8 विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने का परामर्श दिया था, जैसे : संतोषजनक; अनियमित; रुग्ण; अर्थक्षम; सहायता कार्यक्रम के अधीन रुग्ण; अर्थक्षम नहीं/स्टिकी; अग्रिम की रकम वापस मांगी गई; मुकदमे दायर किए गए खाते, डिक्री प्राप्त कर्ज; और खातों के स्वास्थ्य के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋण। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो स्वास्थ्य कूट (हैल्थ कोड) प्रणाली विकसित की गई है वह बैंकों के ऋणकर्ता खातों का विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण करने के लिए है ताकि उन खातों पर व्यापक और समान रूप से नजर रखी जा सके। वित्तीय संस्थाएं भी अपने ऋणकर्ता एककों को स्वस्थ और रुग्ण एककों को, जिनका पुनरुद्धार करने की आवश्यकता होती है, मुकदमा दायर किए गए खाते आदि के रूप में वर्गीकृत करती हैं। वित्तीय संस्थाओं की कोड संख्या नहीं होती क्योंकि उनके द्वारा सहायता प्राप्त एककों की संख्या अपेक्षाकृत

कम होती है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा इस समय जिस व्यवस्था का अनुसरण किया जा रहा है उससे हैल्थ कोड प्रणाली का प्रयोजन पहले से ही पूरा हो रहा है।

भारत निवासी भारतीयों द्वारा विदेशी बैंकों में रखी गई धनराशि का स्वदेश लाया जाना

34. **श्री अमल दत्त : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत निवासी भारतीयों को उनके द्वारा विदेशी बैंकों में रखी गयी धनराशि को भारत लाने की अनुमति देने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार का यह अनुमान है कि भारत निवासी भारतीयों की विदेशों में कुल 20000 से 25000 करोड़ रुपए आस्तियां हैं जिनमें से अधिकांश विदेशी बैंकों में जमा धनराशि के रूप में हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार का यदि कोई अनुमान है तो वह क्या है;

(घ) क्या इस योजना के अन्तर्गत ऐसी धनराशि के स्वामियों को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन के लिए कोई दण्ड दिये बिना छोड़ा जायेगा अथवा मामूली दण्ड दिया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्तमान विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अन्तर्गत भारत निवासी व्यक्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना भारत से बाहर खाते रखने की अनुमति नहीं है। उनसे आशा की जाती है कि विदेश में जमा समस्त धनराशि को वे भारत में ले आयें। जो व्यक्ति उपरोक्त विदेशी मुद्रा नियंत्रण उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) : ऐसे कोई अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) : ये प्रश्न ही नहीं उठते।

उचित दर की दुकानों में गेहूं और चावल के मूल्यों में वृद्धि

35. **श्री नारायण चौबे :**
श्री आर० एम० भोये :
श्री चित्त महाता :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 फरवरी, 1986 से सरकारी राशन की दुकानों और उचित दर की दुकानों में गेहूं और चावल के मूल्य बढ़ाए गए हैं; यदि हां तो उनमें कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) क्या सरकार गेहूं और चावल के मूल्यों में 1 अप्रैल 1986 से पुनः वृद्धि कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं का जारी मूल्य 172 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 190 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है; यदि हां, तो कब से किया गया है;

(घ) दिल्ली में उचित दर की दुकानों में गेहूं और चावल के मूल्य 1 जनवरी, 1985 को कितने थे और इस समय कितने हैं; और

(ङ) क्या सरकार खाद्यान्नों पर दी जाने वाली राज सहायता में धीरे-धीरे कटौती कर रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को 172.00 रुपए से बढ़ाकर पहली फरवरी, 1986 से 190.00 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उसी तारीख से साधारण, बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों के चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में 14/- रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि कर दी गई है जिससे इनके मूल्य क्रमशः 231/- रुपये, 243/- रुपये और 258/- रुपये हो गये हैं। उचित दर की दुकानों के माध्यम से बिक्री करने के लिए इन अनाजों के खुदरा मूल्य प्रासंगिक लागत और राज्य की राजसहायता, यदि कोई दी जाती हो, को ध्यान में रखने के बाद राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

रोलर फ्लोर मिलों के लिए गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य 190.00 रुपये से बढ़ाकर पहली अप्रैल, 1986 से 220.00 रुपये प्रति क्विंटल कर दिए जाएंगे।

(घ) दिल्ली में उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचे जा रहे गेहूं और चावल के 1-1-1985 को और इस समय खुदरा मूल्य निम्नानुसार हैं :—

1-1-1985 को	1-2-1986 से
गेहूं 1.78 रुपये प्रति किलोग्राम	2.00 रुपये प्रति किलोग्राम
चावल 2·41 रुपये प्रति किलोग्राम	2.68 रुपये प्रति किलोग्राम

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपयुक्त सीमा के अन्दर रहते हुए खाद्य राजसहायता की राशि, जो कि पिछले वर्षों से बढ़ रही है, को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करना

36. **श्री टी० बशीर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) सातवीं योजना के दौरान उन क्षेत्रों में, जहां अब तक उचित दर की दुकानें कम खोली गई हैं अथवा नहीं खोली गयी हैं, अधिक उचित दर की दुकानें खोलने और दूर-दराज के क्षेत्रों में चलती फिरती उचित दर की

दुकानें चलाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस प्रकार इनके विस्तार के लिए मुख्य बल ग्रामीण क्षेत्रों में दिया गया है, ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी कम करने के कार्यक्रम की पूरक बन सके। इस संदर्भ में केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे नई उचित दर की दुकानें खोलें, ताकि उपभोक्ता आसानी से इन दुकानों तक पहुंच सकें; प्रत्येक परिवार को राशन-कार्ड दें; भण्डारण और ढुलाई जैसे आधार ढांचे संबंधी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करें और इसमें सुधार करें; राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर उचित परीवीक्षण प्रणाली विकसित करें; उचित दर दुकानों के स्तर तक उपभोक्ता सलाहकार समितियां स्थापित करें; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करें; निरीक्षण और प्रवर्तन उपायों में सख्ती लायें; और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय प्रणाली को विकसित करें।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के साथ व्यापार असन्तुलन

38. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच आयात और निर्यात तथा संबंधित व्यापार असन्तुलन के आंकड़े क्या हैं;

(ख) व्यापार असन्तुलन कम करने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं; और

(ग) भारत से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को क्या सामान निर्यात किया जाता है और 1985-86 के दौरान किए गए निर्यात का अनुमानित मूल्य कितना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) :

(क)

(करोड़ रु०)

	आयात	निर्यात	घाटा
1982-83	3244.91	1475.10	1769.81
1983-84	3801.01	1702.40	2098.61
1984-85	4070.91	1946.72	2124.19

(ख) प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों, प्रतिनिधि मण्डलों मिशनों के आदान प्रदान, सम्मेलनों, जानकारी का आदान प्रदान तथा अन्य विपणन प्रयासों जैसे विभिन्न व्यापार संवर्धन उपायों के जरिये ई ई सी देशों को भारतीय निर्यातों को बढ़ाने के लिये सतत प्रयास किये जा रहे हैं।

(ग) ई ई सी को होने वाले भारतीय निर्यातों में मुख्यत: शामिल हैं : वस्त्र, चाय, तम्बाकू, मसाले, खाद्य पदार्थ, चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, मूल्यवान और अर्ध मूल्यवान रत्न, हस्तशिल्प और इंजीनियरिंग मदें। 1985-86 (अप्रैल-जून) के दौरान ई ई सी देशों को हुए भारतीय निर्यात 387.14 करोड़ रु० के हैं।

बाटा इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्यात में धोखाधड़ी का कथित समाचार

39. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने एक प्रसिद्ध बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई बहुत बड़ी धोखाधड़ी का पता लगाया है जिसने कपट-पूर्वक निर्यात के द्वारा करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है;

(ख) यदि हां, तो इन छापों के दौरान पकड़े गये आपत्तिजनक दस्तावेजों आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) किस प्रकार मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड द्वारा अनेक वर्षों से सरकार को धोखा दिया जा रहा था और किस प्रकार आयात-निर्यात लाइसेंस का दुरुपयोग किया जा रहा था; और

(घ) सरकार का विचार इस कंपनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि दिनांक 3 फरवरी, 1986 को, राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के अधिकारियों ने फरीदाबाद, दिल्ली, बाटा नगर, कलकत्ता स्थित बाटा फैक्टरियों और कार्यालयों के परिसरों की तलाशी ली। इसके परिणामतः ऐसे दोषारोपणीय दस्तावेज बरामद किये गये और पकड़े गये थे जिनसे पता चलता है कि कम्पनी ने सरकार से प्रतिअदायगी की उच्च राशि प्राप्त करने के लिये कपटपूर्ण तरीके अपनाये थे।

(ग) पकड़े गये दोषारोपणीय विशाल दस्तावेजों की प्रारम्भिक जांच पड़ताल से पता चलता है कि कम्पनी रबड़ के जूतों के अपने निर्यात ब्रॉडों के सम्बन्ध में उनकी खपत के आंकड़ों पर आधारित प्रतिअदायगी की अपेक्षाकृत अधिक राशि का दावा कर रही थी।

(घ) जांच-पड़ताल पूरी हो जाने पर, कानून के तहत यथापेक्षित दण्डिक कार्रवाई करने के अलावा, कम्पनी को भुगतान की प्रतिअदायगी की अधिक राशि को वसूल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष 1984-85 की तुलना में वर्ष 1985-86 में मूल्यों की स्थिति

41. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 की तुलना में वर्ष 1985-86 (दिसम्बर, 1985 के अन्त तक) में मूल्यों की स्थिति में वृद्धि अथवा कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 में (28 दिसम्बर, 1985 तक) थोक मूल्य सूचकांक (1970-71=100) में 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसके मुकाबले 1984-85 की तदनुरूप अवधि में 5.1 प्रतिशत वृद्धि हुई थी। 1985-86 के दौरान चाय, गर्म मसालों और मसालों, नारियल के तेल, तेलहन, कपास, कच्चे जूट और खली की कीमतें घटी, जबकि चावल, गेहूं, दालों, फलों तथा सब्जियों की कीमतों में वृद्धि हुई।

शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटें

42. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित किए गए शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिटों ने क्या प्रगति की है;

(ख) इन यूनिटों की कुल संख्या क्या है तथा उनके कार्यालयों का क्षेत्र क्या है;

(ग) इन यूनिटों द्वारा किस सीमा तक क्षमता का उपयोग प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) सरकार की समग्र निर्यात नीति में इन निर्यातोन्मुखी यूनिटों की भविष्य की क्षमता कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) अनुमोदित शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण के अनुसार, ऐसे 84 एककों ने 31-1 -1985 तक उत्पादन आरम्भ कर दिया था और उन्होंने 285.47 करोड़ रु० के माल का निर्यात किया। ये एकक अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यापक उत्पादन क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं :—

वस्त्र उत्पाद, सिले सिलाये परिधान, इंजीनियरी माल, इलैक्ट्रानिक्स, रसायन, सुगन्धियां तथा प्रसाधन सामग्री, ग्रेनाइट खाद्य तथा कृषि उत्पाद, तम्बाकू निर्मित चीजें।

(ग) और (घ) शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों द्वारा किए गए वास्तविक निर्यात अनुमोदन प्राप्त करते समय इन एककों द्वारा दिये गये निर्यात अनुमानों से कम रहे हैं। सभी अनुमोदित शत प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों की निर्यात सम्भाव्यता का अनुमान तभी लगाया जा सकेगा जब और अधिक एकक वास्तव में उत्पादन और निर्यात आरम्भ कर देंगे।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु राज्यों को आवश्यक वस्तुओं के आबंटन में वृद्धि

43. **श्री के० वी० शंकर गौडा** :
श्री वी० वी० देसाई : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने उनके साथ जनवरी, 1986 में हुई अपनी बैठक में अनुरोध किया था कि उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण हेतु कर्नाटक को आवश्यक वस्तुओं का अधिक आबंटन किया जाये क्योंकि, राज्य गत तीन वर्षों से सूखे की स्थिति में हैं;

(ख) मुख्य मंत्री ने चावल, मिट्टी का तेल और खाद्य तेलों के संबंध में कितनी वास्तविक मांग की;

(ग) मुख्य मंत्री के साथ हुई बैठक से पूर्व वास्तव में कितनी मात्रा में वस्तुएं सप्लाई की जाती थीं और बैठक के बाद इसमें कितनी वृद्धि की गई है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय दल द्वारा राज्य के दौरे के बाद इन वस्तुओं की मात्रा में अधिक वृद्धि करने पर सहमत हो गई है; और

(ङ) राज्य में सूखे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वे कितनी वृद्धि करने पर सहमत हुए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने जनवरी, 1986 में केन्द्रीय खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री से 5000 मी० टन चावल एवं प्रति महीने 2000 कि० ली० मिट्टी का तेल तथा 2000 मी० टन खाद्य तेल की अतिरिक्त मात्रा देने का अनुरोध किया था । कर्नाटक को जनवरी, 1986 के महीने के लिए मिट्टी के तेल का 1000 मी० टन अतिरिक्त आवंटन किया गया, जिससे उक्त महीने के लिए कुल आवंटन 31365 मी० टन हो गया । चावल तथा खाद्य तेलों के मामले में दिसम्बर, 1985 के दौरान किए गए क्रमशः 45000 मी० टन व 2000 मी० टन के मासिक आवंटन को जनवरी, 1986 में बनाए रखा गया ।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय दल ने अप्रैल व अगस्त, 1985 के महीनों के दौरान सूखा राहत के सम्बन्ध में कर्नाटक का दौरा किया था । कर्नाटक को किए जाने वाले चावल के मासिक आवंटन को मई, 1985 में किए गए 25000 मी० टन के आवंटन से बढ़ाकर जून, 1985 में 30,000 मी० टन, जुलाई व अगस्त, 1985 में प्रतिमाह 32,000 मी० टन, सितम्बर व अक्तूबर, 1985 में प्रतिमाह 35,000 मी० टन तथा नवम्बर, 1985 में 45,000 मी० टन कर दिया गया था । तब से 45,000 मी० टन आवंटन बढ़ाए गए इस स्तर को बनाए रखा गया है ।

उपर्युक्त वृद्धि के अलावा, कर्नाटक को जुलाई तथा नवम्बर, 1985 में चावल का क्रमशः 20,000 मी० टन व 25,000 मी० टन अतिरिक्त आवंटन किया गया था ।

इलायची के मूल्यों में गिरावट

44. **प्रो०पी० जे० कुरियन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची के मूल्यों में भारी गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो उसके मूल्य किस सीमा तक कम हो गये हैं;

(ग) क्या इलायची उत्पादकों और केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि इलायची का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाये;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) इलायची की कीमतें असाधारण रूप से उन उच्च स्तरों से नीचे गिरी हैं जो सूखे के परिणामस्वरूप कम सप्लाई के कारण पिछले 2 से लेकर 3 वर्षों में चल रही थीं, जैसा कि निम्नलिखित विवरण से देखा जा सकता है :

कीमत रु० किग्रा में
मात्रा : मे० टन में

	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85	85-86	
औसत नीलामी कीमत	98.91	116.02	161.08	370.49	199.91	137.84	अगस्त-जनवरी
निर्यात इकाई मूल्य प्राप्ति	148.18	129.87	158.60	210.92	271.92	171.72	अप्रैल-जनवरी
उत्पादन	4400	4100	2900	1600	3900	4600 (अ)	
निर्यात	2345	2325	1032	258	2383	2400 (अ)	अप्रैल-जनवरी

(अ) अनुमानित

(ग) से (ङ) राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है हालांकि निम्नतम कीमत निर्धारित करने के बारे में अभ्यावेदन हुए हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ जिस एक महत्वपूर्ण बात से निम्नतम कीमत को निर्धारित करना अनावश्यक हो जाता है वह यह बात है कि हम इस वर्ष अपना अधिकांश निर्यात योग्य अधिशेष का निर्यात करने में सफल हुए हैं।

सीमा-शुल्क तथा उत्पाद-शुल्क निर्धारण संबंधी विवादों के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव

45. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :**
डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क निर्धारण संबंधी विवादों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर इस हेतु एक न्यायाधिकरण स्थापित करने का विचार है;

(ख) सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा सामान पर सीमा-शुल्क का सही निर्धारण तथा सामान का शीघ्रता से छोड़ा जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं; और

(ग) टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार की नई सीमा-शुल्क निर्धारण संहिता की मुख्य विशेषतायें क्या हैं और इसे कब तक लागू करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जैसा कि दीर्घ-कालीन वित्तीय नीति में घोषणा की गई है, सीमा-शुल्क और उत्पादन शुल्क की अदायगी से संबंधित सभी मामलों को देखने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 323-ख के तहत एक न्यायाधिकरण का गठन किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) उचित और शीघ्र निकासी सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में जलयान के उपर बल्क कार्गो को अग्रिम रूप से जांच करना, रासायनिक परीक्षण किये जाने तक माल की

90% तक आंशिक निकासी करना, कार्गो की चुनिंदा जांच करना, एक प्रश्नावली ज्ञापन के आधार पर आयातकर्ताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक पद्धति को लागू करना और कार्गो की निकासी की गति पर निगरानी रखने के लिए विशेष समन्वय ग्रुप का गठन करना, शामिल है। सीमा-शुल्क ग्रहों में शुल्क निर्धारण और संबंधित कार्य के कम्प्यूटरीकरण के लिए भी उपाय किए गए हैं।

(ग) "टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुच्छेद VII के कार्यान्वयन पर करार" में सीमा-शुल्क प्रयोजनों के लिए आयातित माल के मूल्य का निर्धारण किये जाने का तरीका निर्धारित किया गया है। इसमें विकासशील देशों ने हितों की सुरक्षा के लिये विशेष उपबन्ध वाले अनुच्छेद और संलेख दिये गये हैं। इसमें एक श्रेणीबद्ध तरीके से अनेक नियम दिये गये हैं जिसमें यह बताया गया है कि यदि पहला नियम लागू नहीं होता है तो तब ही दूसरा नियम लागू होगा और इत्यादि। आधार के रूप में सौदे के मूल्य पर जोर दिया गया है।

मूल्यांकन की इस पद्धति को अगले वर्ष तक लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

उचित दर की दुकानों से सप्लाई किए जाने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

47. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उचित दर की दुकानों से सप्लाई किए जाने वाले प्रत्येक खाद्य पदार्थ के मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इन दुकानों द्वारा कितना खाद्य तेल सप्लाई किया गया और किस मूल्य पर सप्लाई किया गया; और

(ग) खुले बाजार में खाद्य तेल का क्या मूल्य निर्धारित किया गया है और क्या खाद्य तेल निर्धारित दर पर उपलब्ध है या नहीं है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) उचित दर की दुकानों द्वारा सप्लाई की जाने वाली खाद्य वस्तुओं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में जिस सीमा तक वृद्धि की गई है, वह नीचे दी गई है:—

(1) गेहूं	0.18 पैसे प्रति कि० ग्रा०
(2) चावल	0.14 पैसे प्रति कि० ग्रा०
(3) चीनी	0.40 पैसे प्रति कि० ग्रा०
(4) आयातित खाद्य तेल	1.00 रु० प्रति कि० ग्रा०

बढ़ती हुई राज-सहायता को कम करने की दृष्टि से चावल तथा गेहूं के निर्गम मूल्यों को संशोधित किया गया है, ताकि इस प्रकार से बचाई गई राशि का उपयोग योजना प्रयास को

मजबूत करने तथा गरीबी निवारक कार्यक्रमों, जिनमें आदिवासी क्षेत्रों, ग्रामीण कार्य तथा महिलाओं व बच्चों के कल्याण कार्यक्रम के लिए सस्ते खाद्यान्नों की सप्लाई करना शामिल है, के कार्यान्वयन को और गति प्रदान करने के लिए किया जा सके। चीनी के मामले में मूल्य वृद्धि का कारण गन्ना उत्पादकों को देने के लिए नियत सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि होना तथा रूपांतरण (कन्वर्शन) की स्वीकार्य लागत में कुछ वृद्धि होना है। खाद्य तेलों का मूल्य, तिलहनों का अधिक उत्पादन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए देशीय तेल/तिलहन के मूल्यों को समर्थन देने हेतु बढ़ाया गया था।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत नवम्बर, 1985 से जनवरी, 1986 तक आयातित खाद्य तेलों की 1,33,015 मी० टन मात्रा आवंटित की गई जिसमें से उन्होंने 1,22,329 मी० टन मात्रा उठाई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेल थोक में 9,000/- रु० प्रति मी० टन तथा टीनों में 10,500 रु० प्रति मी० टन की दर से सप्लाई किये जाते हैं। खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा नियत किए जाते हैं। उचित दर की दुकानों के माध्यम से इनके वास्तविक वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

(ग) देशीय तेलों के खुले बाजार मूल्य के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई नियन्त्रण नहीं रखा जाता है।

[अनुवाद]

गुलमार्ग (काश्मीर) में पर्यटकों के लिए सुविधायें

48. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या **संसदीय कार्य और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अनेक स्वदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक शीतकालीन खेलों, विशेषकर से गुलमार्ग में स्कीइंग के लिए काश्मीर की यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि स्कीइंग आदि के लिए आने वाले पर्यटकों को उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का पर्यटकों को बड़ी संख्या में आकर्षित करने के लिए काश्मीर में सामान्य रूप से और गुलमार्ग में विशेष रूप से अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गुलमार्ग में स्की-धावकों के लिए अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं और हमारा यह प्रस्ताव है कि धन-राशि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए इन सुविधाओं का अन्तर-राष्ट्रीय स्तरों के अनुरूप उन्नयन किया जाये। मंत्री की अध्यक्षता में एक विकास परिषद की स्थापना की जा रही है जिसमें संबंधित मंत्रालयों, राज्यों के अधिकारी और अन्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह परिषद गुलमर्ग सहित हिमालय पर्यटन के संवर्धन और विकास के प्रश्न पर विचार

करेगी। गुलमर्ग हिमक्रीड़ा परियोजना व्यावसायिक स्की प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और स्की प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में जवाहर लाल नेहरू स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान सर्दियों में गुलमर्ग की यात्रा पर आने वाले स्की-धावकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं और मार्गदर्शन प्रदान करता है। गुलमर्ग में एक चेयर-लिफ्ट और एक स्की-लिफ्ट है जिनका प्रशिक्षणार्थी और पर्यटक स्कीइंग के लिए लिफ्ट-एड के रूप में प्रयोग करते हैं। अब स्की उपकरणों के जिन 400 सेटों का आयात किया गया है उन्हें पर्यटकों और प्रशिक्षाणार्थियों को किराये पर दिया जाएगा। संस्थान गर्मियों के महीनों के दौरान श्रीनगर में जल स्कीइंग पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। और पर्वतारोहण, चट्टान-आरोहण, ट्रेकिंग और ऊँचे स्थानों पर शिविरों आदि का आयोजन करता है।

भारत पर्यटन विकास निगम ने 175.30 लाख रु० की लागत पर जवाहर लाल नेहरू स्कीइंग और पर्वतारोहरण संस्थान के लिए एक स्थायी आधार जुटाने के वास्ते संस्थान के भवन का निर्माण और केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत केन्द्रीय रूप से तापित आईटीडी सी होटल का निर्माण प्रारम्भ किया है।

पर्यटन विभाग ने जम्मू में बाग-ए-बहू के लिए 47.93 लाख रु०, राज्य सरकार द्वारा ट्रेकिंग उपकरणों की खरीद के लिए 4.10 लाख रु० की मंजूरी दी है। मारतंड, अवंतीपुर पंडरेथन के विकास की मास्टर प्लानें तैयार कर ली गयी हैं। कुछ अन्य प्रस्तावों की भी जांच की जा रही है।

कपास का रक्षित भण्डार बनाना

49. **श्री शरद दिघे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में लगातार दूसरे वर्ष कपास की बहुत अच्छी फसल हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप कपास के मूल्यों में गिरावट आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का कपास के मूल्यों में गिरावट न होने देने के लिए पटसन के समान रक्षित भंडार बनाने जैसे उपाय करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विगत रुई मौसम (1984-85) तथा चालू रुई मौसम (1985-86) के दौरान देश में रुई का उत्पादन अनुमानतः क्रमशः लगभग 10.15 लाख गांठें तथा 94 लाख गांठें रहा।

(ख) कीमत प्रवृत्ति की तुलना में, जो कि पिछले रुई मौसम के दौरान चल रही थी चालू मौसम के दौरान रुई की कीमतों में अधोमुखी प्रवृत्ति दिखाई दी।

(ग) कीमतें स्थिर करने के लिए भारत सरकार ने निर्यात के लिए अभी तक लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रुई की 10.00 लाख गांठें, बंगाल देशी की 52000 गांठें तथा येलो पिकिंग्स की 25000 गांठें रिलीज की। इसके अतिरिक्त सरकार ने रुई की निम्नतम समर्थन कीमतें भी घोषित कर दी हैं और भारतीय रुई निगम को, महाराष्ट्र को छोड़कर, जहां पर राज्य सरकार की रुई एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना चला रही है, जहां कहीं भी कपास की बाजार

कीमतें समर्थन कीमत स्तर से नीचे गिर जाती हैं, न्यूनतम समर्थन कीमतों पर रुई खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।

[हिन्दी]

व्यापार घाटा और इसे रोकने के लिये कदम

50. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :**
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वित्तीय वर्ष में व्यापार घाटे में वृद्धि होने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप देश में व्यापार असंतुलन की समस्या पैदा हो जाएगी ;

(ख) इस संकट को रोकने के लिए निर्यात बढ़ाने हेतु सरकार का कदम उठाने का क्या विचार है; और

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत के विदेशी मुद्रा कोष की स्थिति संतोषजनक नहीं है और कुछ देश जो विदेशी सहायता देना चाहते हैं और शर्तें लगाना चाहते हैं जो हमारी सरकार को स्वीकार्य नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठानों को अर्थक्षम बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री) पी० शिव शंकर : (क) ठीक ठीक उस व्यापार घाटे को बताना बहुत कठिन है जो वित्तीय वर्ष 1985-86 के अन्त में हमारा होगा । तथापि मोटे अनुमानों के अनुसार ऐसी सम्भावना है कि इस वर्ष घाटा पिछले वर्ष से अधिक होगा ।

(ख) हमारे निर्यातों को बढ़ाना, हमारे उत्पादन आधार का विविधीकरण करना, हमारे उत्पादन साधनों का आधुनिकीकरण करना, सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं । औद्योगिक तथा राजकोषीय नीतियों में आशोधन और आवधिक संशोधन करना भी अतिरिक्त उपाय हैं जो समय समय पर किए जाते हैं ।

(ग) सरकार द्वारा जो कुछ उपाय किए गए हैं वे हैं व्यावसायिक प्रबन्ध को मजबूत बनाना, कार्य निष्पादन की ध्यानपूर्वक मानिटरिंग करना, पूंजी आधार का पुनर्गठन करना, विपणन ढांचे में सुधार करना, आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय अपग्रेडेशन ।

[अनुवाद]

आयातित कारों की बिक्री और खरीद

51. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने आयातित कारों की बिक्री और खरीद का कार्य सफलतापूर्वक अपने हाथों में ले लिया है और उसमें उसे काफी मात्रा में लाभ प्राप्त हो रहा है; और

(ख) क्या उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए राज्य व्यापार निगम का विचार स्वदेशी कारों की बिक्री और खरीद का कार्य, जिसमें बिचौलिये इस समय काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अपने हाथों में लेने का है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर : (क) सरकार के निदेशानुसार, राज्य व्यापार निगम विदेशी डिप्लोमैटिक मिशनों और संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इसकी विशिष्ट अभिकरणों से कारें आयात कर रहा है। राज्य व्यापार निगम कुछ कारों की बिक्री लाभ पर करता है और कुछ कारों की बिक्री हानि पर करता है। तथापि, राज्य व्यापार निगम कुल मिलाकर लाभ कमाता है।

(ख) जी नहीं।

[हिन्दी]

आयकर प्राप्तियां

52. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में आयकर के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है और क्या प्राप्त की गई यह राशि इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) निगम कर सहित आयकर की वसूली के नवीनतम आंकड़े (अनन्तिम) 31 जनवरी, 1886 तक उपलब्ध हैं। जनवरी, 1986 तक, निगम निगम कर सहित आयकर की वसूलियां 4816 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों के मुकाबले 3626 83 करोड़ रुपये की थीं। जनवरी तक की वसूलियां बजट अनुमानों का लगभग 75.30 प्रतिशत दर्शाती हैं। इसलिए, इस सम्बन्ध में वसूलियों को बजट अनुमानों के अनुरूप समझा जा सकता है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

मुद्रा पूर्ति में वृद्धि

53. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुद्रा पूर्ति, जो मार्च, 1971 में 10,958 करोड़ रुपये थी मार्च, 1984 में बढ़कर 85,897 करोड़ रुपये हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिजर्व बैंक द्वारा यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है;

(ग) क्या मार्च, 1984-मार्च, 1986 की अवधि के दौरान मुद्रा पूर्ति में और वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मुद्रा पूर्ति, (एम 3), मार्च 1971 में 10,958 करोड़ रुपये थी मार्च, 1984 में बढ़कर 85,899 करोड़ रुपए हो गई (ये आंकड़े सम्बद्ध वर्षों के मार्च मास के अंतिम शुक्रवार से सम्बधित हैं)

(ख) मुद्रा पूर्ति के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किये जाते हैं और सरकार तथा जनता दोनों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

(ग) और (घ) मार्च, 1985 में (मार्च का अन्तिम शुक्रवार) मुद्रा पूर्ति (एम 3) और बढ़कर 101,815 करोड़ रुपए हो गई तथा 17 जनवरी, 1986 को यह और बढ़कर 116487 करोड़ रुपए हो गई ।

उत्पादक-शुल्क का अपवंचन रोकने के लिए उपाय

54, **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि देश में प्रति वर्ष उत्पाद शुल्क की कितनी राशि का अपवंचन किया जाता है तथा इस समय उत्पाद शुल्क की कितनी राशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पाद शुल्क की बकाया राशि की शीघ्र वसूली तथा उत्पाद शुल्क के अपवंचन का पता लगाने के लिए हाल में कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके अनुपालन में क्या कदम उठाए गए हैं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क)31 दिसम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली के लिये पड़ी बकाया राशि लगभग 637 करोड़ रुपये है। हाल में, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अदायगियों की प्रति वर्ष की गई चोरी के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) और (ग) राजस्व की बकाया की वसूली का कार्य एक सतत् कार्य है तथा बकाया राशियों को वसूल किए जाने के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे जाने वाले उपाय समय-समय पर किए जा रहे हैं। इन उपायों में विवादास्पद मांगों के मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप देना, जहां स्थगन आदेश जारी कर दिए जाने के कारण वसूलियां रोक दी गयी हो, वहां सक्षम अपीलीय प्राधिकरणों/ न्यायालयों से इन स्थगन आदेशों को निरस्त कराने तथा जिन मामलों में मांगों को स्थगित नहीं रखा गया हो, वहां समझा-बुझा कर मांगों को वसूल करने करना शामिल है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की की गयी चोरी की घोषणा करने के लिए कोई स्कीम लागू नहीं की जा रही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उनके कर्मचारियों की समस्याएं

55. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उनके कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) से (ख) और (ग) :— क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के विभिन्न पहलुओं और उनकी समस्याओं तथा उनके कर्मचारियों की समस्याओं की राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर नाबार्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित स्थाई समिति द्वारा नजर रखी जाती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की मुख्य समस्यायें औद्योगिक सम्बन्ध, अर्थक्षमता प्राप्त करना, भर्ती और जनशक्ति आयोजन विकास आदि से सम्बन्धित हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उनके कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें नाबार्ड के संयोजक की अध्यक्षता में अलग से राज्य स्तरीय मंच की स्थापना शामिल है ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों की समस्याओं और शिकायतों पर अनन्य रूप से चर्चा की जा सके। प्रक्रिया को दोष रहित बनाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती का काम बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को सौंप दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना आयोजना और कार्यचालन नीति में उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देने के उद्देश्य से सरकार ने अपर सचिव (बैंकिंग) की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले गेहूं, चीनी और चावल के मूल्यों में वृद्धि

56. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत पाँच वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले गेहूं, चीनी और चावल के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले पांच वर्षों के दौरान खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है।

वसूली मूल्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में समय-समय पर वृद्धि की गई है। सरकार द्वारा वर्ष प्रति वर्ष निर्धारित किए गए अखिल भारत औसत निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने के फलस्वरूप लेवी चीनी के खुदरा मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक हो गया था।

विवरण

पिछले 5 वर्षों के दौरान चावल और गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों और चीनी के खुदरा निर्गम मूल्यों को बताने वाला विवरण

निम्न तारीख से प्रभावी — चावल/रुपये प्रति क्विंटल

	साधारण	बढ़िया	बहुत बढ़िया
1.1.1981	165.00	177.00	192.00
1.10.1981	175.00	187.00	202.00
1.10.1982	188.00	200.00	215.00
16.1.1984	208.00	220.00	235.00
10.10.85	217.00	229.00	244.00
1.2.86	231.00	243.00	258.00

गेहूं

1.4.1981	सार्वजनिक वितरण के लिये 145.00 रुपये
	रोलर फ्लोर मिलों के लिए 155.00 रुपये
1.8.1982	सार्वजनिक वितरण के लिए 160.00 रुपये
	रोलर फ्लोर मिलों के लिए 185.00 रुपये
15.4.1983	सार्वजनिक वितरण के लिए 172.00 रुपये
	रोलर फ्लोर मिलों के लिए 208.00
10.8.84	रोलर फ्लोर मिलों के लिए 172.00
1.2.86	सार्वजनिक वितरण और रोलर फ्लोर मिलों लिए के 190.00 रुपये
1.4.86	रोलर फ्लोर मिलों के लिए 220.00 रुपये

चीनी/रुपये प्रति किलोग्राम

1.12.1980	3.50
15.11.81	3.65
1.12.82	3.75
1.2.84	4.00
1.4.85	4.40
1.12.85	4.80

[हिन्दी]

रुग्ण कपड़ा मिलें

57. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आगामी वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले लगभग 22 और रुग्ण कपड़ा मिलों के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने का विचार है और यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कठिनाइयां सामने आ रही हैं;

(ख) इससे पूर्व जिन 102 कपड़ा मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया गया है उनकी वित्तीय स्थिति क्या है; और

(ग) उनमें उन मिलों के नाम क्या हैं जो लाभ अर्जित कर रही हैं और उनके नाम क्या हैं जो घाटे में चल रही हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं। वस्त्र नीति के अनुसार, सरकार द्वारा किए जाने वाले रुग्ण एककों के अधिग्रहण में रुग्णता की समस्याओं के हल किए जाने की व्यवस्था नहीं है और सरकार ऐसे मामलों में नियमानुसार, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी।

(ख) एन० टी० सी० के अधीन 103 राष्ट्रीयकृत वस्त्र मिलें हैं। इन 103 मिलों में से, 101 मिलों में कार्य चल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-नवम्बर, 1985) के दौरान इन 101 मिलों को 24.83 करोड़ रु० राशि की कुल हानि हुई।

(ग) अप्रैल-नवम्बर, 1985 के दौरान उन मिलों के नाम, जिन्हें सकल लाभ हुआ और उन मिलों के नाम जिन्हें सकल हानि हुई, दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उन मिलों के नाम जिन्हें अप्रैल से नवम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान सकल लाभ हुए

एन० टी० सी० (मध्य प्रदेश) लिमिटेड

1. न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स, भोपाल
2. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर
3. बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनंदगांव
4. कल्याणमल मिल्स, इन्दौर।

एन० टी० सी० (एस एम) लिमिटेड

5. बार्शी टैक्सटाइल मिल्स, बार्शी
6. भारत टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई

7. दिग्विजय टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई
8. औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स, औरंगाबाद
9. चालीसगांव टैक्सटाइल मिल्स, चालीसगांव
10. धुले टेक्सटाइल मिल्स, धुले, ।
11. नान्देद टेक्सटाइल मिल्स, नान्देद ।

एन० टी० सी० (एम० एन) लिमिटेड

12. माडल मिल्स, नागपुर
13. आर. आर. बी. ए. स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स, हिंगनघाट
14. सावतराम रामप्रसाद मिल्स, अकोला

एन० टी० सी० (गुजरात) लिमिटेड

15. हिमादरी टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद

एन० टी० सी० (ए पी के के एण्ड एम) लिमिटेड

16. नेथा स्पिनिंग मिल्स, एलचीगुडा
17. तिरुपति काटन मिल्स, रेनीगुन्ता
18. श्री याल्लम्मा काटन, वूलन एण्ड सिल्क मिल, लावानगर
19. केरल लक्ष्मी मिल्स, त्रिचुर
20. विजय मोहिनी मिल्स, त्रिवेन्द्रम
21. कन्नानौर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, माही ।
22. अडोनी काटन मिल्स, अडोनी
23. अल्लागप्पा टैक्सटाइल (कोचीन) मिल अलागप्पा
24. पार्वती मिल्स, क्विलोन ।

एन० टी० सी० (टी एन एण्ड पी) लिमिटेड

25. ओम परशक्ति मिल्स, ग कोयमबटूर
26. कम्बोदिया मिल्स, कोइमबटूर
27. कृष्णावेनी टैक्सटाइल मिल, कोइमबटूर
28. सरी रेगविलास जी एन एस स्पिनिंग ए वीविंग मिल्स, कोइमबटूर
29. पंकज मिल्स, कोइमबटूर
30. पायनियर स्पिनर्ज; रामनाद
31. बालारामवर्मा टैक्सटाइल्स, तिरुनेलवेली
32. कालीसवेरर मिल्स "बी" यूनिट, रामनाड

33. कोइमबटूर मुरुगन मिल्स, कोइमबटूर
34. कोमासुन्दरम मिल्स, कोइमबटूर
35. कोइमबटूर स्पि० वीविं० मिल्स, कोयमबटूर
36. सरी सारदा मिल्स; कोइमबटूर
37. सरी भारती मिल्स; पांडीचेरी ।

उन मिलों के नाम जिन्हें अप्रैल से नवम्बर, 1985 तक की अवधि के दौरान सकल हानि हुई

एन टी सी (डी पी आर) लिमिटेड

1. दयालबाग स्पि० एंड वीविंग मिल्स, अमृतसर
2. सूरज टैक्सटाइल्स मिल्स, मालोट, पंजाब
3. श्री बिजय काटन मिल्स, बिजेनगर
4. खरड़ टेक्सटाइल मिल्स, खरड़
5. अयुध्या टैक्सटाइल मिल्स, दिल्ली
6. महालक्ष्मी मिल्स, बेवार
7. एडवर्ड मिल्स, बेवार
8. पानीपत वूलन मिल्स, खरड़

एन० टी० सी० (एम पी) लिमिटेड

9. हीरा मिल्स, उज्जैन
10. स्वदेशी काटन एंड फ्लोर मिल्स उज्जैन
11 इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर

एन० टी० सी (यू० पी०) लिमिटेड

12. श्री विक्रम काटन मिल्स, लखनऊ
13. बिजली काटन मिल्स, हाथरस
14. मुइर मिल्स, कानपुर
15. न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर
16. लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स, सहारनपुर

एन० टी० सी० (एस एम) लिमिटेड

17. अपोलो टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई
18. जुपिटर टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई

19. न्यू हिन्द टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई
20. मुम्बई टैक्सटाइल मिल्स, बम्बई

एन० टी० सी० (एम एन) लिमिटेड

21. इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 1, बम्बई
22. इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 2, बम्बई
23. तथा
24. इंडिया यूनाइटेड मिल्स नं० 3 तथा 4, बम्बई
25. इंडिया यूनाटेड मिल्स नं० 5, बम्बई
26. इंडिया यूनाइटेड मिल्स, डाई वर्क्स, बम्बई
27. आर एस आर जी. गोपालदास महोहता स्पि० वीविंग मिल्स, अकोला
28. विदर्भ मिल्स (बेरार), अचलपुर।

एन० टी० सी० (गुजरात) लिमिटेड

29. राजकोट टैक्सटाइल मिल्स, राजकोट
30. महालक्ष्मी टैक्सटाइल मिल्स, भावनगर
31. पेतलाद टैक्सटाइल मिल्स, पेतलाद
32. अहमदाबाद न्यू टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद
33. अहमदाबाद जुपिटर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद
34. जहांगीर टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद
35. तथा
36. राजनगर टैक्सटाइल मिल्स 1/2, अहमदाबाद
37. विरमगाम टैक्सटाइल मिल्स, विरमगाम
38. न्यू मानेकचौक टैक्सटाइल मिल्स, अहमदाबाद

एन० टी० सी० (ए पी के के एंड एम) लिमिटेड

39. नटराज स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, अदिलाबाद
40. अनन्तपुर काटन मिल्स, टाडापात्री
41 कम्मानौर स्पिनिंग वीविंग मिल्स, कम्मानौर
42. मैसूर स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, बंगलोर
43. मिनर्वा मिल्स, बंगलूर
44. महबूब शाही कुलबुरगा मिल्स, गुलबरगा
45. आजम जाही मिल्स, वारनगल

एन० टी० सी० (टी एन एंड पी) लिमिटेड

46. कालीस्वरार मिल्स "ए" यूनिट, कोइमबटूर
47. बंगाल टैक्सटाइल मिल्स कोसिमबाजार

एन० टी० सी० (डब्ल्यू बी ए बी ओ) लिमिटेड

48. लक्ष्मी नारायण काटन मिल्स, रिशारा
49. आरती काटन मिल्स, दासनगर
50. बंगाल फाइन स्पिनिंग वीविंग मिल्स नं० 2, कटागंज
51. कनोरिआ इंडस्ट्रीज (काटन मिल्स) कोल्ननगर
52. सोदेपुर काटन मिल्स, सोदेपुर
53. एसोसिएटिड इंडस्ट्रीज (असम), चांदपुर
54. बिहार को० आप० वीविंग मिल्स, मोकामेह
55. उड़ीसा काटन मिल्स, कटक
56. सेंट्रल काटन मिल्स हावड़ा
57. बंगाल फाइल स्पिनिंग वीविंग मिल्स नं० 1, कोल्नगर
58. बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स, सेरापुरी
59. श्री महालक्ष्मी मिल्स, पालटा
60. रामपूरिआ काटन मिल्स, सेरामपोर
61. बंगासरी काटन मिल्स, सोदेपोर
62. ज्योति वीविंग फैक्टरी, पोतिपुकार
63. गया काटन मिल्स, गया
64. मानिन्द्र मिल्स, कोसीमबाजार ।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकांश ऋण की वापसी

58. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1980 के बाद लिए गए बड़े ऋणों की लौटाने की अनुसूची क्या है ;

(ख) अगले पांच वर्षों के दोरान इन ऋणों को किन-किन तारीखों को लौटाया जायेगा ; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1986-87के दौरान कितनी राशि लौटाई जानी है और यह किस तारीख को लौटाई जानी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिये** संख्या एल० टी० 2047/86]

अफ्रीका और अन्य देशों में भारतीय व्यापारियों के ठेकों का समाप्त होना

59. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में व्यापार अन्तर में निरन्तर वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि भारतीय व्यापारियों के घरों पर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा छापे मारे जाने के समाचार प्रकाशित होने के बाद अफ्रीका और अन्य देशों में इन व्यापारियों को ठेके नहीं मिल रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 महीनों के लिए भारत का व्यापार घाटा-शेष 4124-00 करोड़ रु० था जब कि इसकी अपेक्षा अप्रैल-सितम्बर, 1984 के दौरान व्यापार घाटा 2290-58 करोड़ रु० था ।

व्यापार अन्तर को कम करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपाय ये हैं—उत्पादन में वृद्धि करना तथा विविधीकरण करना, हमारे निर्यातों को और अधिक प्रतियोगी बनाना, हमारे उत्पादों के लिए नये बाजारों का पता लगाना, उच्च मूल्य वसूली के लिए वस्तुओं की प्रोसेसिंग, आयात प्रतिस्थापन आदि ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[**हिन्दी**]

भारत-सोवियत व्यापार में वृद्धि

60. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ के साथ भारत का व्यापार काफी बढ़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ से कितने मूल्य का सामान आयात किया गया और भारत से सोवियत संघ को कितने मूल्य का सामान निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा सोवियत संघ से आयातित माल तथा भारत से सोवियत संघ को निर्यातित माल का मूल्य नीचे दिया जाता है :

(करोड़ रु० में)

वर्ष	सोवियत संघ से आयात	भारत से आयात	कुल
1982-83	1413	1670	3083
1983-84	1659	1306	2965
1984-85 (अनन्तिम)	1803	1655	3458

1983-84 में सोवियत संघ के साथ हुए भारत के व्यापार कारोबार में मामूली गिरावट हुई परन्तु 1984-85 में व्यापार में फिर से वृद्धि हुई।

[अनुवाद]

नॉन-फ्रोजिंग क्वालिटी बिलीटों के आयात पर मूल शुल्क में कमी

61. **श्री पी० नामग्याल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समीशुल्क अधिसूचना सं० 213/85, दिनांक 1 जुलाई, 1985 के अनुसार नॉन फ्रोजिंग क्वालिटी बिलीटों जो आई एस 2830/1975 के विशिष्टीकरण के अनुरूप है में आयात पर लगने वाले शुल्क में 15 प्रतिशत मूल शुल्क तक कटौती कर दी गई है, यदि उसका आयात भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा किया जाता है तो उपर्युक्त बिलीटों के आयात करने वाली एजेन्सी है; और

(ख) यदि हां, तो जम्मू और कश्मीर लघु उद्योग उप क्रम द्वारा खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से आयात किए गए 2000 मीटरी टन नॉन फ्रोजिंग बिलीटों को रियायती आधार पर (15 प्रतिशत) रिलीज न किए जाने के क्या कारण है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) ; (क) दिनांक 1 जुलाई, 1985 की अधिसूचना सं० 213/85-सीमाशुल्क को आर्रा करके फ्रोजिंग क्वालिटी बिलिटों से मिल्न कार्बन स्टील बिलिट और सीमलैस स्टील ट्यूब ए एस टी एम ई-45 के लिए बिलिटों का जब छड़ों, शलाकाओं अथवा हल्की संरचनाओं के निर्माणार्थ आयात किया जाता है तो उन पर मूल्यानुसार 15% से अधिक मूल-सीमाशुल्क से छूट दी गयी है। अधिसूचना में नॉन-फ्रोजिंग क्वालिटी बिलिटों के लिए किसी भारतीय मानक विनिर्दिशन का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा छूट केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किए जाने वाले आयातों तक ही सीमित नहीं है

(ख) बम्बई पत्तन के जरिये जम्मू तथा कश्मीर राज्य लघु औद्योगिक-उपक्रम द्वारा आयात किए गए माल को, नमूने का परीक्षण किए जाने तक, एक अनन्तिम शुल्क बन्ध पत्र लेकर पहले ही छोड़ दिया गया है।

वनस्पति उद्योग द्वारा खाद्य तेल के आयात को उदार बनाने का प्रस्ताव

62. **श्री बृजमोहन महंती :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान खाद्य तेलों का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया और वर्ष 1985-86 में उनका कितनी मात्रा में आयात करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का वनस्पति उद्योग द्वारा खाद्य तेलों के आयात को उदार बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस तथ्य के बावजूद कि वे अब प्रतियोगी आधार पर किसी मूल्य प्रतिबन्ध के बिना वनस्पति को बेचने के लिए स्वतंत्र है, उनको आयातित तेल सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या देश में इस प्रकार के तेल की अधिक मात्रा में उपलब्ध होने की पृष्ठभूमि में, इस वर्ष खाद्य तेल का आयात करने की आवश्यकता के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य व्यापार निगम ने खाद्य तेलों की 15.85 लाख मी० टन मात्रा आयात की और अप्रैल, 1985 से जनवरी, 1986 तक इसने 10.57 लाख मी० टन मात्रा आयात की । आयात की जाने वाली मात्रा का निर्णय, इसके मूल्य, मांग और देशीय खाद्य तेलों की उपलभ्यता जैसी सम्बन्धित बातों की लगातार पुनरीक्षा के आधार पर किया जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) वनस्पति उद्योग को आयातित खाद्य तेलों की आपूर्ति उसकी आवश्यकता के 30 प्रतिशत तक 11500 रु० प्रति मी० टन की सामान्य दर पर तथा 10 प्रतिशत 13000 रुपये प्रति मी० टन की वाणिज्यिक दर पर की जा रही है ।

(घ) जी हां ।

[हिन्दी]

वर्ष 1985 में मिलावट करने वाले तथा कम माप तोल करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज करना

63. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान मिलावट करने और कम माप तोल करने के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और सजा दी गई; और

(ग) मिलावट करने और कम माप तोल को रोकने के लिए सरकार द्वारा इस समय क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और बाट तथा माप अधिनियम को लागू करती हैं, जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी है। कि वे मिलावट और गलत माप-तोल रोकने के लिए खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और बाट तथा मानक अधिनियम के उपबन्धों को कड़ाई से लागू करें। इसके अतिरिक्त सरकार ने उपभोक्ताओं को शिक्षित करने तथा स्वैच्छिक उपभोक्ता आन्दोलन का विकास करने के लिए उपाय किए हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भोपाल गैस पीड़ितों को ऋण मंजूर करने में विलम्ब

64. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल गैस पीड़ितों को ऋण मंजूर करने से सम्बन्धित बड़ी संख्या में आवेदन भोपाल के विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में अभी भी लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या हाल ही में स्थिति की पुनरीक्षा की गयी थी और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भोपाल गैस पीड़ितों को शीघ्रता से ऋण मंजूर करने का आश्वासन दिया था; और

(ग) यदि हां, तो ऋण मंजूर करने में अभी भी लगातार विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 19 बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 15 जनवरी, 1986 को भोपाल गैस पीड़ितों को ऋण मंजूर करने के लिए लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या 1987 थी।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार, भोपाल गैस पीड़ितों से 6335 आवेदन प्राप्त हुए थे और इनमें से 2741 आवेदन-पत्रों को कुल 139.58 लाख रुपये के ऋण मंजूर किए गए तथा 1607 आवेदन पत्र लौटा दिए गए/ रद्द कर दिए गए थे। बैंकों से ऋण जल्दी मंजूर करने और संवितरित करने के लिए कहा गया है तथा काम की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा भी की जाती है।

सीमा शुल्क का अपवंचन

65. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में सीमा शुल्क की बड़ी राशि के अपवंचन के पकड़े गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मामलों में सरकार को राजस्व की कितनी अनुमानित हानि हुई है;

(ग) क्या सीमा शुल्क सम्बन्धी मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए एक पृथक निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इसके गठन सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कब तक इसका गठन कर दिया जाएगा।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क मामलों में, जिनमें मूल्यांकन सम्बन्धी विवाद भी शामिल है, निर्णय लेने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन करने का प्रस्ताव है जो इन मामलों में उच्च न्यायालयों की विद्यमान अधिकारिता का स्थान लेगा। इसके गठन के ब्यौरे और किस तारीख से यह अस्तित्व में आयेगा, उन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

नशीली दवाएं बेचने वालों और तस्करों के अड्डों पर छापे

66. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में नशीली दवाएं बेचने वालों और तस्करों के अड्डों पर "आप्रेशन काल भैरव" के अन्तर्गत देशव्यापी छापे मारे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इनके क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में यदि कोई गिरफ्तारी की गई है तो कितने लोग गिरफ्तार किए गए और इस काम में लगे लोगों की कार्य प्रणाली तथा देश विदेशों में उनके सम्बन्ध क्या हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) "काल भैरव' कूट नाम के एक दिन के संकार्य के अन्तर्गत, जो दिनांक 23.12.85 को किया गया था, 11 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के 135 स्थान आते हैं। इस संकार्य के परिणामत: निम्न लिखित माल पकड़ा गया था :—

क्रम सं०	मादक द्रव्य का नाम	पकड़ी गई मात्रा
1.	हेरोइन/ब्राउन शुगर	85.83 किलोग्राम
2.	चरस	59.13 किलोग्राम
3.	अफीम	30.00 किलोग्राम
4.	कोकेन	4.20 किलोग्राम
5.	गांजा	15.70 मी० टन
6.	मेसकालाइन	0.243 किलोग्राम
7.	डायजापाम	10.500 कैपसूल

गिरफ्तार/नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 40 थी, जिनमें वे व्यक्ति भी शामिल थे, जिन्हें पूछताछ के लिए लिया गया था ।

चूंकि तलाशियां मादक द्रव्यों का गैर कानूनी धन्धा करने वालों, मादक द्रव्यों के संदिग्ध गोदामों और वितरण स्थलों के विरुद्ध आयोजित की गई थीं, देश के अन्दर और देश के बाहर उनके सम्पर्कों का ठीक-ठीक पता नहीं चल सका । फिर भी किए गए अभिग्रहणों से यह स्पष्ट है कि भारत-नेपाल सीमा के आर-पार गांजे की तस्करी में पर्याप्त वृद्धि हुई है ।

इस मामले में क्षेत्रीय कार्यालय सतर्क रहते हैं । इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ निकट तालमेल स्थापित करके तस्करी-रोधी समुचित उपाय किए जाते हैं। आसूचना तन्त्र को सुदृढ़ बना दिया गया है । बार-बार "काल भैरव" जैसे समन्वित संकार्यों से निःसन्देह मादक-द्रव्यों का गैर कानूनी धन्धा करने वाले व्यक्तियों के देश के अन्दर और विदेश में सम्पर्कों का पता लगाया जा सकेगा ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों का मनोनयन

67. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशक बोर्ड में सदस्यों के मनोनयन के लिए मानदण्ड क्या हैं ;

(ख) उन राष्ट्रीयकृत बैंकों का नाम क्या है जिनके गत तीन वर्षों के दौरान निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सदस्यों का मनोनयन किया गया था ;

(ग) यदि उत्तर नाकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के सम्बद्ध कम से कम एक सदस्य को मनोनयन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970/1980 की धारा 3 के अन्तर्गत चयन की निर्धारित प्रक्रिया और मानदण्डों के अनुसार की जाती है ।

(ख) और (ग) जनवरी 1982 से फरवरी 1983 के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्डों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था :—

1. बैंक आफ इण्डिया
2. बैंक आफ बड़ौदा
3. पंजाब नेशनल बैंक

4. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
5. केनरा बैंक
6. यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया
7. सिंडिकेट बैंक
8. देना बैंक
9. यूनियन बैंक आफ इण्डिया
10. इलाहाबाद बैंक
11. इंडियन बैंक
12. बैंक आफ महाराष्ट्र
13. कारपोरेशन बैंक
14. न्यू बैंक आफ इण्डिया
15. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स
16. आंध्र बैंक
17. विजया बैंक
18. इण्डियन ओवरसीज बैंक

(घ) और (ङ) यद्यपि निदेशक बोर्डों में निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाला कोई कानूनी उपबन्ध नहीं है; लेकिन सरकार का यह प्रयास रहा है कि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक बोर्ड में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का हो।

फटे-पुराने कपड़ों के आयात में कदाचार

68. श्री मूल चन्द डागा : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई नीति के अनुसार केवल काट दिए गए फटे पुराने कपड़ों के आयात की अनुमति दी जाएगी और वह भी वास्तविक प्रयोक्ताओं को ही;

(ख) यदि हां, तो पहले की नीति में क्या खामियां थी जिसके कारण नई नीति जारी करना आवश्यक हुआ है;

(ग) व तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में फटे पुराने कपड़ों के आयात का दुरुपयोग किया गया तत्संबंधी वार्षिक आंकड़े क्या हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये फटे-पुराने ऊनी कपड़ों के मूल्य के वर्षवार आंकड़े क्या हैं और किन-किन देशों से उनका निर्यात किया गया; और

(ङ) इस आयात को कम करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां,।

(ख) और (ग) आयात निर्यात नीति की समीक्षा सतत प्रक्रिया है और इसके उपबंधों के दुरुपयोग को रोकने के लिये जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं। ऐसी शिकायतें थीं कि आयातित ऊनी चीथड़े बिना कटी फटी हालत में खुले बाजार में आ रहे हैं। बम्बई के सीमा शुल्क समाहर्ता ने जहां चीथड़ों के अधिकांश आयात होते हैं। 1984 में कई तलाशियां ली थी जिनके परिणामस्वरूप बिना कटे फटे ऊनी चीथड़ों की कुछ मात्राएं पकड़ी गई थीं जिन्हें बंदरगाह के आहतों से अनाधिकृत रूप से हटाया गया था।

(घ) आयात आंकड़े केवल मार्च 1983 तक की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान मार्च 1984 तक ऊनी चीथड़ों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ङ) ऊनी चीथड़ों का आयात वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) तक सीमित है और इस प्रकार के आयातकों को अपनी आयात संविदाओं को वस्त्र आयुक्त के पास पंजीकृत कराना होता है जिसमें पहले दर्ज की गई सभी संविदाओं के संबंध में आयातित माल के उपयोग/निपटान के बारे में ब्यौरा दिया जाता है।

विवरण

1980-81 से 1982-83 (मार्च, 1983 तक) के दौरान ऊनी चिथड़ों के देश-वार आयात दर्शाने वाला विवरण

मात्रा हजार किग्रा.
मूल्य लाख रु० में

क्रमांक	मद/देश का विवरण	1980-81		1981-82		1982-83	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ऊनी चिथड़े						
2.	आस्ट्रेलिया	2110	98.72	2637	150.93	1660	96.26
3.	बेल्जियम	2713	115.58	6201	267.42	8359	424.01
4.	कैनेडा	749	35.65	490	23.71	818	58.07
5.	चीन गणराज्य	33	2.91	19	1.76	....	....
6.	चीनी जनवादी						
7.	गणराज्य	25	1.87	51	4.82	....	....
8.	फ्रांस	1101	61.94	346	17.82	232	11.48

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जर्मन संघीय						
10.	गणराज्य	444	16.23	235	8.13	213	9.73
11.	हांगकांग	18	2.23	....	...	....	...
12.	इटली	16	2.31	....	....	...	....
13.	जापान	3008	94.20	3657	122.00	2964	98.00
14.	नाइदलैंड	3884	121.68	481	24.26	703	32.55
15.	ब्रिटेन	29526	37.02	848	43.96	869	68.75
16.	संयुक्त राज्य						
17.	अमेरिका	282	10.50	2309	115.89	3286	188.32
18.	न्यूजीलैंड	79	3.03	322	14.19	363	29.32
19.	अफगानिस्तान	8	0.33	....	....	...	...
	अन्य	....	....	41	1.78	38	3.24
	योग	43296	603.40	17637	795.79	19505	1019.73

पर्यटन स्थलों का विकास

69. **श्री चित्त महाता** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश है पर्यटन स्थलों के और विकास के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्ति की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक स्थल के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) देश में पर्यटक केन्द्रों/विहार-स्थलों का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है। पर्यटन आधार-संरचना की व्यवस्था करने के लिए निधियों का आबंटन क्षेत्र-वार अथवा केन्द्र-वार आधार पर नहीं किया जाता बल्कि परियोजना/स्कीम विशेष की विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सरकार ने पूरे देश में पर्यटन का संवर्धन और विकास करने के लिए उपायों पर विचार करने और उनकी सिफारिश करने के लिए एक पर्यटन सलाहकार बोर्ड की स्थापना की है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के लिए केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत 138.68 करोड़ रु० का आबंटन किया गया है। इनमें से 68.68 करोड़ रु० पर्यटन विभाग के लिए, 40.00 करोड़ रु० भारत पर्यटन विकास निगम के लिए और 30.00 करोड़ रु० होटल प्रबंध तथा केटरिंग एकक के लिए हैं।

छापों द्वारा कर वसूली

70. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कर के रूप में एकत्रित की गई धनराशि गत वर्ष की तुलना में 1000 करोड़ रुपये अधिक है;

(ख) वित्त वर्ष की शेष अवधि में कर वसूली में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) कुल कितने छापे मारे गए और इन छापों में कितनी धनराशि वसूल की गई है; और

(घ) क्या अगले वित्तीय वर्ष में छापों में वृद्धि की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उचित दर की दुकानों में चावल और गेहूं के विक्रय मूल्य में वृद्धि

71. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकानों पर चावल और गेहूं के विक्रय मूल्य में हाल ही के महीनों के दौरान वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वृद्धि का खाद्यान्नों की वितरण लागत के साथ कोई संबंध है;

(घ) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजीक्षेत्र में चावल और गेहूं के भंडारण और वितरण की तुलनात्मक लागत क्या है; और

(ङ) क्या उचित दर की दुकानों से वितरण प्रणाली का विस्तार करने की कोई और योजना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) साधारण, बढ़िया और बहुत बढ़िया किस्मों के चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों को 1-2-1986 से बढ़ाकर क्रमश: 231/- रुपये, 243/- रुपये और 258/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है । उसी तारीख से गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य को बढ़ाकर 190/- रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बिक्री करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को केन्द्रीय पूल से इन मूल्यों पर चावल और गेहूं जारी किया जाता है । उचित दर की दुकानों से संबंधित मूल्यों में राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों की वितरण लागत और उनकी राजसहायता, यदि कोई दी जाती है, शामिल होती है और वे प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होते हैं और कभी-कभी ये मूल्य उसी राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होते हैं ।

(ग) केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि खाद्यान्नों की वितरण लागत से संबंधित नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे विशेषतया ग्रामीण, आदिवासी, दूरवर्ती और दूर-दराज क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को वास्तव में आसानी के साथ आवश्यक वस्तुएं सुलभ करने के लिए अधिक संख्या में उचित दर की दुकानें खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त करें ।

भारतीय जीवन बीमा निगम को उसकी निधियों के निवेश के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

72. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम की निधियों के निवेश के बारे में उसके लिए क्या मार्ग-दर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय जीवन बीमा निगम से अपनी 75 प्रतिशत निधियों का निवेश सरकार के निर्देशों के अनुसार करने की और पालिसी धारकों के लिए अधिकतम लाभ कमाने को ध्यान में न रखकर, करने की अपेक्षा की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम के संबंध में लागू होने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 27 क (1) के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम द्वारा निम्नलिखित ढंग से निवेश किए जाने के लिए परिकल्पना की गई है :

	नियंत्रित निधि में होने वाली अभिवृद्धि का प्रतिवर्ष निवेश किया जाने वाला प्रतिशत भाग
(1) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में कम से कम	25 प्रतिशत
(2) सरकारी गारंटी वाली बिक्री योग्य प्रतिभूतियों और उपर्युक्त (1) सहित केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में कम से कम	50 प्रतिशत
(3) सरकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, पालिसीधारकों द्वारा आवास निर्माण "अपना घर बनाओ" योजनाओं तथा उपर्युक्त (2) सहित समाजोन्मुखी क्षेत्र में कम से कम	75 प्रतिशत

उपर्युक्त तथ्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन सिफारिशों को भी ध्यान में रखा गया है जो कि 1970 में, भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर की अध्यक्षता में गठित अनौपचारिक ग्रुप द्वारा इस संबंध में की गई थीं ।

लेकिन सरकार ने ग्रुप स्कीम निधि और व्यक्तिगत वार्षिकी निधि से संबंधित नियंत्रित निधि में होने वाली अभिवृद्धि को बीमा अधिनियम की धारा 27 क (1) के उपर्युक्त उपबन्धों से मुक्त रखा गया है और अलग ढंग से निवेश करने के लिए अनुमति दी है ताकि बेहतर लाभ निश्चित किया जा सके और पालिसीधारकों को भी इसका प्रतिलाभ मिले :

(1) केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में कम से कम	15 प्रतिशत
(2) राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में और केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीशुदा प्रतिभूतियों में कम से कम	15 प्रतिशत
(3) केन्द्रीय सरकार की जमा स्कीमों में कम से कम	35 प्रतिशत
(4) सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ऋण-पत्रों और उन्हें दिए जाने वाले ऋणों में अधिक से अधिक	35 प्रतिशत

शेयरों पर बैंक ऋण देने की शर्तें उदार बनाना

73: **श्री गुरुदास कामत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शेयरों पर बैंक ऋण देने की शर्तें उदार बनाने के लिए हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक से शेयरों पर ऋण देने की शर्तें उदार बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

74. **श्री अख्तर हसन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 दिसम्बर, 1984 की तुलना में 1 दिसम्बर, 1985 को मुद्रा स्फीति की दर में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई है,

(ख) क्या यह सच है कि इस अवधि के दौरान बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि हुई है जिसका सामान्य लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) 30 नवम्बर, 1985 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 5.5 प्रतिशत थी जो कि पहली दिसम्बर, 1984 की 6.4 प्रतिशत की दर से 0.9 प्रतिशत कम थी। पहली दिसम्बर, 1984

और 30 नवम्बर, 1985 के दौरान कुछ उपभोक्ता वस्तुओं (अर्थात मसाले तथा गर्म मसाले, चाय, सरसों का तेल, नारियल का तेल, नमक, साबुन आदि) की कीमतें घटीं जबकि चावल, गेहूं, दालें फल तथा सब्जियों, अण्डे, मछली मांस, चीनी, खाण्डसारी और गुड़ की कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई।

सरकार कीमत स्थिति पर कड़ाई से नजर रख रही है और मांग और पूर्ति के प्रभावी प्रबन्ध के लिए कई कदम उठा रही है जिसमें सरकारी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना, राजकोषीय अनुशासन लागू करना और अर्थव्यवस्था में कुल नकदी को नियंत्रण में रखना भी शामिल है।

नसवार पर उत्पाद शुल्क में कमी

75. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नसवार का प्रयोग करने वाले अधिसंख्य व्यक्ति, समाज के गरीब वर्गों के हैं ;

(ख) क्या सरकार को गरीब उपभोक्ताओं के लाभ के लिए नसवार पर उत्पाद शुल्क की विभेदी दरें समाप्त करने और उत्पाद शुल्क में कमी करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मद्रास स्टेट स्नफ एण्ड टोबैको मर्चेन्टस एसोसिएशन से प्राप्त से एक अभ्यावेदन में कहा गया है कि नसवार पर, जिसका प्रयोग अधिकतर गरीब लोग करते हैं, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भार बहुत अधिक है। यह अनुरोध किया गया है कि नसवार पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क लगाए जाने के प्रयोजनार्थ शुल्क के विभेदी खण्डों को समाप्त कर दिया जाए तथा शुल्क की दर को कम कर दिया जाए।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

समुद्री उत्पादों के लिए निर्यातकों द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात

76. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** :
प्रो० के० वी० थामस : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समुद्री उत्पादकों के अनेक निर्यातक निर्यात किए जाने वाले माल के लिए डिब्बों (कार्टनों) के निर्माण हेतु चोरी-छिपे शुल्क मुक्त मित्रता प्रमाण-पत्र के अन्तर्गत जापान से हाथी दांत के बोर्डों आदि जैसी प्रतिबन्धित वस्तुओं के आयात में संलग्न पाए जाने के समाचार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने प्रतिबन्धित वस्तुओं के आयात को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाण पत्र की मंजूरी सम्बन्धी चालू आयात नीति के अन्तर्गत समुद्री

उत्पादों के निर्यातकों के लिए आयवरी बोर्ड का आयात पैकिंग सामग्री के रूप में करने की अनुमति नहीं है।

सीमाशुल्क प्राधिकारी, समुद्री उत्पाद निर्यातकों द्वारा डी इ इ सी की शर्तों के उल्लंघन के आरोप की जांच कर रहे हैं। अगर ये उल्लंघन सिद्ध हो जाते हैं तो आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) एवं सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

"महाराष्ट्र सेविंग ग्रुप"

77. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि "महाराष्ट्र सेविंग ग्रुप" की कितनी शाखाएं समस्त भारत में कार्य कर रही हैं और कितनी बन्द कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन शाखाओं में कितनी राशि जमा है जो बन्द कर दी गई हैं और वह धनराशि इस समय कहां है;

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र सेविंग ग्रुप के प्रबन्धकों के विरुद्ध जनता द्वारा लगाए गए करोड़ों रुपए की हेरा फेरी के आरोपों की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि मैसर्स महाराष्ट्र सेविंग्स, जिसका मुख्य कार्यालय बम्बई और प्रशासनिक कार्यालय नई दिल्ली में है, श्री अशोक थापर की मालिकाना कम्पनी है। महाराष्ट्र सेविंग्स की बन्द की जा चुकी शाखाओं की संख्या या उसके पास पड़ी राशि के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) महाराष्ट्र सेविंग्स द्वारा जमा राशियों के भुगतान न किए जाने से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय 111-ग के उपबन्धों के अनुसार जिसमें गैरनिगमित निकायों द्वारा जमा राशियां स्वीकार किए जाने के विनियमन की व्यवस्था है, अधिनियम के इन उपबन्धों को लागू करने के लिये आवश्यक तंत्र के सृजन का काम सम्बन्धित राज्य सरकार का है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र सेविंग्स के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के वास्ते महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया है।

श्री अशोक थापर ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अध्याय 111-ग के उपबन्धों को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके चुनौती दी है। दिसम्बर, 1985 में दिल्ली उच्च न्यायलय द्वारा यह याचिका खारिज कर दी गई थी। श्री अशोक थापर ने बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायलय में अपील दायर की है और यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा छोटी बचत स्कीम को बन्द किया जाना

78. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने वर्ष 1976 में प्रारम्भ की गई अपनी "छोटी बचत स्कीम" बन्द कर दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी : (क) पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मार्च 1978 में शुरू की गई छोटी बचत स्कीम पहली जनवरी 1986 से बन्द कर दी गई है।

(ख) बैंक ने बताया है कि स्कीम के अर्थक्षम न होने, प्रयोग में लाई जाने वाली लेखन सामग्री की लागत अधिक होने, अधिक काम के मुकाबले उगाही कम होने, दुर्विनियोग की आशंका होने, सूचित की गई धोखाधड़ियों और खातों के मिलान में देरी होने आदि जैसी कार्यकरण की कुछ कठिनाइयों के कारण इस स्कीम को बन्द करने का निर्णय लिया गया है।

आंध्र प्रदेश को सप्लाई किए जाने वाले आयातित खाद्य तेल के कोटे में वृद्धि

79. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य को फरवरी, 1986 के दौरान कितनी मात्रा में तथा किस किस्म के आयातित तेल की सप्लाई की जाएगी ;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश के लिए निर्धारित आयातित तेल का कोटा अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) आंध्र प्रदेश को सप्लाई किए जाने वाले आयातित खाद्य तेल का कोटा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) फरवरी, 1986 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई आयातित खाद्य तेलों की मात्रा व किस्म के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मासिक आधार पर आयातित खाद्य तेलों का आवंटन करती रही है और ऐसा करते समय वह मांग के यथार्थपरक अनुमान, राज्य/क्षेत्र के भीतर देशीय खाद्य तेलों के मूल्य तथा उनकी उपलभ्यता राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध भण्डार तथा पहले आवंटित किए गए तेलों को उठाने की गति जैसी अन्य बातों को ध्यान में रखती है । इसके अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों को किया जाने वाला आयातित खाद्य तेलों का आवंटन केवल अनुपूरक स्वरूप का

होता है और इसका प्रयोजन किसी राज्य विशेष की समूची मांग को पूरा करना नहीं होता है । आन्ध्र प्रदेश तेल उत्पादक राज्यों में से एक है । नवम्बर से मार्च की अवधि में पुराने माल को निकाला जाता है, जब देशीय खाद्य तेल अन्य महीनों की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं । इस समय आन्ध्र प्रदेश को किए जाने वाले आवंटन को पर्याप्त समझा जाता है । अत: अन्य राज्यों से आन्ध्र प्रदेश का कोटा काफी कम नियत किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

विवरण

फरवरी, 1986 के महीने के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किए गए आयातित खाद्य तेलों की मात्रा दर्शाने वाला विवरण ।

(मात्रा मी० टनों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	पामोलीन	पाम आयल	रेपसीड तेल	सोयाबीन का तेल	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	5000	....	....	...	5000
2.	असम	...	...	200	....	200
3.	बिहार		400		...	400
4.	गुजरात	7500	...	....	...	7500
5.	हरियाणा	....	400	...		400
6.	हिमाचल प्रदेश	...	400	300	....	700
7.	जम्मू व कश्मीर		....	325	...	325
8.	कर्नाटक	2000	....	...	....	2000
9.	केरल	2000	...	....	...	2000
10.	मध्य प्रदेश	200	....	...	800	1000
11.	महाराष्ट्र	7700	...	...	...	7700
12.	मणिपुर		100	300	....	400
13.	मेघालय	...	75	200	....	275
14.	नागालैण्ड	....	80	80	....	160
15.	उड़ीसा	700	...	....	....	700
16.	पंजाब	....	1000	...	....	1000
17.	राजस्थान	...	200	50	....	250
18.	सिक्किम	...	50	100	...	150

1	2	3	4	5	6	7
19.	तमिलनाडु	3600	....	...	....	3600
20.	त्रिपुरा	....	60	100		160
21.	उत्तर प्रदेश	...	700	...	....	700
22.	पश्चिम बंगाल	....	....	6000	....	6000
23.	अन्डमान व निकोबार द्वीप समूह	...	....	15	...	15
24.	अरुणाचल प्रदेश	...	...	30	....	30
25.	चण्डीगढ़	....	50	....	...	50
26.	दादरा व नगर हवेली	35	....	....	....	35
27.	दिल्ली	...	500	500	....	1000
28.	गोवा, दमण व द्वीप	300	...	....	....	300
29.	लक्षद्वीप	5	...	...	...	15
30.	मिजोरम	....	....	190	...	190
31.	पाण्डिचेरी	240	....	....	....	240
	योग :	29290	4015	8390	800	42495

कोचीन स्थित माडर्न फूड इन्डिया इन्डस्ट्रीज के लिये विस्तार कार्यक्रम

80. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माडर्न फूड (इन्डिया) इंडस्ट्रीज के कोचीन स्थित एकक में ब्रेड, बन तथा अन्य वस्तुओं के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है;

(ख) क्या कोचीन स्थित माडर्न फूड (इंडिया) इंडस्ट्रीज के उत्पादों की बिक्री में कोई कठिनाई है;

(ग) क्या उत्पादन बढ़ाने के लिए कीचीन में कोई अन्य व्यवस्था (थर्ड लाइन) आरम्भ की जाएगी; और

(घ) कोचीन स्थित माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज के लिए तैयार किए गए विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) माडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इन्डिया) लिमिटेड के कोचीन यूनिट में अप्रैल से दिसम्बर, 1985 के दौरान लक्ष्य का 98.8 प्रतिशत उत्पादन हुआ था। और स्थापित क्षमता का इस्तेमाल 91.1 प्रतिशत हुआ था।

(ख) केरल सरकार ने अपने न्यूट्रीशन फीडिंग कार्यक्रमों के लिए ब्रेड लेना बन्द कर दिया है और इससे स्थापित क्षमता का इस्तेमाल करने में कुछ कठिनाई हुई है।

(ग) सहारे की लाइन के रूप में एक तीसरी लाइन भी स्थापित की गई है।

(घ) फिलहाल क्षमता में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कताई मिल लगाना

81. **श्री जगन्नाथ चौधरी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक कताई मिल लगाई है;

(ख) यदि हां, तो यह मिल कब लगाई गई थी और इसके चालू होने की निर्धारित तारीख क्या है ; और

(ग) इस कताई मिल की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी निर्धारित की गई है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

[अनुवाद]

होटलों और पर्यटक लाजों का निर्माण

82. **डा० सुधीर राय** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का होटलों और पर्यटक लाजों के निर्माण पर अधिक धन व्यय करने का विचार है क्योंकि उत्तरी भारत में प्रत्येक बिस्तर की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र में 0.74 बिस्तर दक्षिणी क्षेत्र में 0.70 बिस्तर और पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में 0.28 बिस्तर है; और

(ख) क्या भारत जैसे बहु-गन्तव्यीय देश में इस प्रकार का असन्तुलन पर्यटन व्यवसाय के लिए सहायक है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) देश में होटल क्षमता का निर्माण करना पूर्ण रूप से पर्यटक व्यवसाय पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि वाणिज्यिक यातायात, प्राइवेट सेक्टर द्वारा पहल और होटलों के अलावा अन्य आवास की उपलब्धता जैसे अन्य कई कारणों पर निर्भर करता है। केन्द्रीय सरकार सभी क्षेत्रों को महत्त्वपूर्ण पर्यटक गतव्य-स्थल मानती है और राज्य सरकारों के सहयोग से देश भर में फैले पर्यटक केन्द्रों पर आवास का निर्माण करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और प्राइवेट सेक्टर को विभिन्न केन्द्रों पर अतिरिक्त होटल क्षमता का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, सरकारी संसाधन प्राथमिक रूप से मितव्ययी पर्यटकों के लिए आवास का निर्माण करने पर खर्च किए जायेंगे न कि लग्जरी होटलों के निर्माण पर पब्लिक सेक्टर में मितव्ययी

होटलों का स्थान-निर्धारण करने और प्राइवेट सेक्टर में होटल परियोजनाएं अनुमोदित करने के लिए क्षेत्रीय उपलब्धता सहित सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा ।

पावरलूम क्षेत्र पर विभेदक उत्पाद-शुल्क का प्रभाव

83. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नई कपड़ा नीति में पावरलूम तथा संशलिष्ट मिल क्षेत्रों के बीच लागू विभेदक उत्पाद-शुल्क को समाप्त किया है ।

(ख) क्या विभेदक उत्पाद शुल्क पर आधारित नई कपड़ा नीति से पावरलूम के इस लघु क्षेत्र पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करेगी और उत्पाद-शुल्क के मामले में पावरलूम क्षेत्र को विशालकार्य मिल क्षेत्र के समतुल्य नहीं मानेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) उत्पाद-शुल्क में परिवर्तन मार्च, 1985 में किया गया था । इस प्रकार, जून, 1985 में वस्त्र नीति घोषित करते समय विकेन्द्रीकृत क्षेत्र तथा संयुक्त मिल क्षेत्र में उत्पाद-शुल्क में कोई अन्तर नहीं था ।

(ख) वस्त्र नीति में विभेदक उत्पाद-शुल्कों की व्यवस्था नहीं है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

विदेशों का दौरा करने वाले शिष्टमंडलों के लिए संसद सदस्यों का नामांकन

84. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 12 महीनों के दौरान दूसरे देशों का दौरा करने वाले किसी या सभी सरकारी शिष्टमंडलों में प्रत्येक पार्टी से शामिल किए गए संसद सदस्यों की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे देशों और संसद सदस्यों के, उनके दल के, नाम क्या हैं और इन शिष्टमंडलों ने कितनी अवधि तक विदेशों दौरे किये ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

खाद्यान्नों का भंडार सुरक्षित रखने के लिए भारतीय खाद्य निगम की भंडारण क्षमता

85. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे गए खाद्यान्नों के भंडारों को सुरक्षित रखने के लिए उसके पास कुल कितनी भंडारण क्षमता उपलब्ध है;

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक वर्ष में कुल कितना खाद्यान्न खरीदा जाता है; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम में उपलब्ध फालतू खाद्यान्न भण्डारों को सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध अपनी और किराये की ढकी हुई भंडारण क्षमता 31.12.1985 को 209.06 लाख मीटरी टन थी ।

(ख) एक **विवरण** संलग्न है ।

(ग) प्रत्येक डिपो में खाद्यान्नों के स्टाक का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और अच्छी प्रकार से प्रशिक्षण गुण नियंत्रण स्टाफ द्वारा कीटनाशी उपचार किया जाता है । ढकी हुई भंडारण क्षमता की गम्भीर कमी होने के कारण जिन मामलों में गेहूँ और धान को अस्थायी रूप से कैप (कवर और प्लिंथ) भंडारण में रखना पड़ता है, वहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि इनका स्वीकृत वैज्ञानिक आधार पर भंडारण और अनुरक्षण किया जाता है ।

विवरण

भारतीय खाद्य निगम द्वारा वसूल किए गए खाद्यान्नों की मात्रा

विपणन मौसम	**वसूल किए गए खाद्यान्न**
1984-85	गेहूँ 78.71 लाख मीटरी टन
	चावल 87.71 लाख मीटरी टन
1985-86	गेहूँ 71.36 लाख मीटरी टन
(17-2-1986 तक)	चावल 62.70 लाख मीटरी टन

नोट : (1) आंकड़े अनन्तिम हैं ।

(2) चावल के आंकड़ों में चावल के हिसाब से धान शामिल है ।

(3) वसूल की गई मात्रा में राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों से ली गई मात्रा शामिल है ।

ऋणों के वितरण की तुलना में ग्रामीण बैंकों का कार्य निष्पादन

86. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में ऋणों के वितरण की तुलना में ग्रामीण बैंकों का कार्य-निष्पादन कैसा रहा है;

(ख) राजस्थान ग्रामीण बैंकों का विशेषकर थर ग्रामीण आंचलिक बैंक और जयपुर-नागौर ग्रामीण बैंक का, शाखाएं खोलने, ऋण वितरित करने और स्थानीय रोजगार के संबंध में कार्य निष्पादन कैसा रहा है;

(ग) इन ग्रामीण बैंकों में निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि इन ग्रामीण बैंकों के उनके बोर्ड में कोई गैर-सरकारी निदेशक नहीं है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जून 1985 के अन्त की स्थिति के अनुसार 183 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया अग्रिमों की रकम 1188.35 करोड़ रुपये थी। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न **विवरण** एक में दिया गया है।

(ख) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक और जयपुर नागौर ग्रामीण बैंक सहित राजस्थान में कार्यरत ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा संलग्न **विवरण** दो में दिया गया है।

(ग) राजस्थान में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मण्डलों का गठन प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

(घ) सरकार ने राजस्थान के 11 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर-सरकारी निदेशक नियुक्त किये हैं।

विवरण-एक

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या	30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार बकाया अग्रिम (लाख रुपयों में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14	13295
2.	असम	5	1970
3.	बिहार	22	15469
4.	गुजरात	9	964
5.	हरियाणा	4	2759
6.	हिमाचल प्रदेश	1	961
7.	जम्मू व कश्मीर	3	1151
8.	कर्नाटक	13	12316
9.	केरल	2	6269
10.	मध्य प्रदेश	22	8900
11.	महाराष्ट्र	6	2434
12.	मणिपुर	1	55
13.	मेघालय	1	125
14.	नागालैंड	1	12

1	2	3	4
15.	उड़ीसा	9	10583
16.	पंजाब	3	269
17.	राजस्थान	14	7897
18.	तमिलनाडु	1	2755
19.	त्रिपुरा	1	1759
20.	उत्तर प्रदेश	38	22316
21.	पश्चिम बंगाल	9	6523
22.	अरुणाचल प्रदेश	1	2
23.	मिजोरम	1	51
	जोड़	183	118835

विवरण-दो

राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य-निष्पादन

(30 जून, 1985 की स्थिति के अनुसार)

(रकम लाख रुपयों में)

क्रम सं०	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का नाम	शाखाओं की सं०	अग्रिम (बकाया) रकम	कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक	140	2139.66	397
2.	मारवाड़ ग्रामीण बैंक	129	2705.18	537
3.	शेखावती ग्रामीण बैंक	95	1165.97	325
4.	मरूधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	59	649.06	207
5.	अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक	75	416.77	225
6.	अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	58	239.65	158
7.	हडौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	109	185.90	249
8.	मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक	57	158.36	131
9.	थार आंचलिक ग्रामीण बैंक	51	188.65	143
10.	बूंदी-चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	46	10.66	146
11.	भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	23	23.92	53
12.	डुंगरपुर-बांसवाडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	18	9.11	47
13.	श्रीगंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	38	4.29	97
14.	बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1	....	...
	जोड़ :	899	789.718	2715

देश में विदेशी वस्तुओं की बिक्री

87. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि कुछ नगरों के बाजारों में जिन्हें हांगकांग मार्किट का उपनाम दिया गया है, विदेशी वस्तुओं की बिक्री खुले रूप से हो रही है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर ऐसे बाजार विद्यमान हैं; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या उपाए किये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा किये गये अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि आयात की गई उपभोक्ता वस्तुएं देश के महानगरों/शहरों के कुछ बाजारों में बेची जाती हैं। ये बाजार स्थान-स्थान पर अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं।

(ग) चोरी-छिपे लाये गये माल का आम प्रदर्शन/विक्रय करने पर रोक लगाने के प्रयोजनार्थ विभाग की प्रवर्तन एजेंसियां चोरी-छिपे लाये गये माल की आपूर्ति/भंडारण स्रोतों का पता लगाने के लिए सतर्क रहती हैं और तस्करी के माल का धन्धा करने वाली दुकानों/स्टालों/पटरी वालों पर छापे मारती हैं। उनकी तलाशियां लेती हैं। वर्ष 1985 के दौरान, चोरी-छिपे लाये गये माल के आम प्रदर्शन तथा बिक्री के विरुद्ध 4862 तलाशियां ली गई थीं। छापे मारे गये थे तथा देश में 2.63 करोड़ रुपये मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया था।

भारतीय चाय को विदेशों में बढ़ावा देना

88. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में व्यवसायिक विपणन और पर्याप्त संवर्धन प्रयास न किये जाने के कारण पारम्परिक खरीददार भारतीय चाय की अधिक मात्रा में खरीद नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां तो पश्चिम यूरोप, सोवियत संघ और अन्य देशों में भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ख) गत चार वर्षों में चाय के निर्यातों में बराबर वृद्धि हुई जैसा कि नीचे दिये गये आंकड़ों से देखा जा सकता है :

वर्ष	मात्रा (मि० किग्रा०)
1982	189.9
1983	208.5
1984	217.0
1985	222.4

सोवियत संघ, ब्रिटेन, ए०आर०ई०, इराक तथा ईरान कुछ ऐसे उपभोक्ता देश हैं जो गत कई वर्षों से बड़ी मात्रा में भारतीय चाय खरीदते आ रहे हैं। निर्यात बढ़ाने के लिए किये गये उपायों में शामिल हैं विदेशों में ब्रांड संवर्धन और भाण्डागार के लिए सहायता और साथ ही मूल्यवर्धित चाय पर नकद मुआवजा सहायता। चाय बोर्ड विदेशों में अपने कार्यालयों के माध्यम से संवर्धनात्मक प्रचार भी करता है।

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन का निर्यात

89. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम ने रुपयों में भुगतान करने वाले देशों तथा सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों, दोनों को कच्चे पटसन के निर्यात की संभावना का पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए हैं तथा सम्बन्धित देशों के नाम क्या हैं;

(ख) विदेशों के साथ यदि कोई करार हुए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय पटसन निगम द्वारा और अधिक निर्यात करार करने के लिए चल रही बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारतीय जूट निगम भुगतान तथा मुक्त विदेशी मुद्रा देशों दोनों को कच्चे जूट के निर्यात हेतु अब तक निम्नोक्त अनुसार संविदाओं पर हस्ताक्षर किये हैं :—

देश	संविदाकृत मात्रा (अनुमानित गाठें)	अनुतानित मूल्य रु०/करोड़
(क) **रुपया भुगतान क्षेत्र**		
(I) सोवियत संघ	27,778	2.43
(II) पोलैण्ड	23,372	2.00
(ख) **मुक्त विदेशी मुद्रा क्षेत्र** ×	7,575	0.48
	58,725	4.91

× मुक्त विदेशी मुद्रा क्षेत्र के अधीन निर्यात मुख्यत: ब्रिट्रेन तक सीमित है।

(ग) रुपया भुगतान तथा मुक्त विदेशी मुद्रा दोनों देशों से निर्यात आर्डर प्राप्त करने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए गये हैं।

गेहूँ का निर्यात

90. **श्री अनन्द प्रसाद सेठी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि गेहूँ का वर्ष 1984-85 के दौरान और जनवरी, 1986 तक निर्यात किया जाता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें गेहूं का निर्यात किया गया था तथा उन्हें कितनी मात्रा में निर्यात किया गया था और उसकी प्रति क्विंटल दर क्या थी ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1984-85 के दौरान 32,412 एम०टी० गेहूं का निर्यात किया गया । 1985-86 के दौरान जनवरी 1986 तक गेहूं का निर्यात 3,11,170 एम०टी० होने का अनुमान है ।

(ख) गेहूं का निर्यात सूखाग्रस्त अफ्रीकी देशों को गेहूं उपहार के रूप में और वियतनाम को वस्तु ऋण के रूप में किया गया है । सोवियत संघ को निर्यात उस समय चालू अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर किया गया ।

फीड्डर्स लायड द्वारा उत्पादन-शुल्क का कथित अपवंचन

91. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक :**
श्री एम रघुमा रेड्डी :
श्री सरफराज अहमद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 दिसम्बर, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली स्थित एक कम्पनी रेफ्रिजेटर्स तथा वातानुकूल-यंत्र बनाने वाली "फीड्डर्स लायड' नामक कंपनी को 23 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का उत्पदन- शुल्क का अपवंचन करते पाया गया है;

(ख) क्या कंपनी द्वारा अपने उत्पादों का कम मूल्य दिखाने का दोषी भी पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस कंपनी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जांच-पड़ताल के आधार पर, कम्पनी को, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून का कथित उल्लंघन करने के करण जिसमें न्यूनमूल्यांकन भी शामिल है, दो कारण-बताओ नोटिस जारी कर दिये गये हैं ।

पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की परामर्शदात्री समिति की बैठक

92. **श्री गदाधर साहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों की परामर्शदात्री समित की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्योरा क्या है;

(ख) इनमें से कितने निर्णयों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है ;

(ग) क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी ; यदि हां, तो अब तक उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप क्या सुधार हुआ है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 4 नवम्बर, 1985 को कलकत्ता में हुई पूर्वी क्षेत्र के बैंकों की क्षेत्रीय सलाहाकार समिति की बैठक में निम्न निर्णय लिए गए थे :

(i) पूर्वी क्षेत्र में अग्रिमों की राशि बढ़ाने के लिए बैंक सभी आवश्यक उपाय करें ।

(ii) केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पूर्वी क्षेत्र में शाखा विस्तार के कार्य की प्रगति देखेंगे ।

(iii) बैंकों को ऋणः जमा अनुपात बढ़ाने के लिए सक्रिय कार्यक्रम तैयार करने चाहिए ।

(iv) राज्य सरकारों को बैंकिंग के उचित विकास के लिए कानून और व्यवस्था बनाये रखने में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए और बैंकों के लिए आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए ।

(ख) से (घ) बैठक में लिए गए निर्णयों पर सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है परन्तु स्पष्ट परिणामों के बारे में अभी कुछ कहना समय पूर्व होगा ।

खाद्यपदार्थों के पर्याप्त भंडारण की सुविधा के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भांडागार का निर्माण

93. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों की पूर्ति की समस्या की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार का विचार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्याप्त भंडार सुविधा हेतु एक भांडागार का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम का पोर्ट ब्लेयर में गोदाम का निर्माण करने का विचार है । निगम ने इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त भूमि का आवंटन करने के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन से पहले ही अनुरोध कर दिया है ।

फिल्मी सितारों द्वारा आयकर का भुगतान न किया जाना

94. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष कितनी फिल्मी सितारों ने आयकर की अदायगी नहीं की और न चुकाए गए कर की राशि कितनी है;

(ख) कर अदा करने वालों की सूची में प्रथम बीस व्यक्ति कौन-कौन हैं और उनकी ओर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की है और उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 31,3,1985 को स्थित के अनुसार ऐसे 54 सितारे थे जिनकी तरफ एक लाख रुपये से अधिक राशि का आयकर बकाया था। उनकी तरफ बकाया रकम 5.86 करोड़ रुपये की थी।

(ख) चोटी के ऐसे 20 फिल्मी सितारों के नाम और उनकी तरफ बकाया रकमें संलग्न **विवरण** में दी गई हैं।

(ग) उनकी तरफ बकाया पड़ी मांग को बसूल करने के लिए कानून के अनुसार समुचित उपाय किए जाते हैं, जिनके परिणामतः 31.3.1985 की स्थित के अनुसार बकाया रही 4.86 करोड़ रुपये की मांग 30.9.85 को घट कर 4.53 करोड़ रुपये रह गई थी और इसमें से 0.85 करोड़ रुपये वसूली योग्य नहीं थे।

विवरण

फिल्मी सितारों के नाम	31/3/1985 की स्थिति के अनुसार बकाया आयकर मांग (लाख रुपयों में)
1. अमजद खान	53.43
2. रणबीर राजकपूर	51.05
3. हेमा मालिनी	45.47
4. रेखा गणेशन	26.93
5. जितेन्द्र कपूर	35.48
6. राजेश खन्ना	35.02
7. किशोर कुमार गांगुली	26.25
8. शशि राजकपूर	25.44
9. एन० टी० रामाराव	22.60
10. वी० सी० गणेशन	19.57
11. कल्पना के०	18.73
12. अमर नाथ कपूर	16.57
13. श्रीमती लक्ष्मी	15.61
14. रणधीर राजकपूर	15.25
15. नासिर खान सरवर खान	15.07
16. आर० रजनीकान्त	15.01
17. बी० सी० राणा	13.69
18. विनोद मेहरा	12.35
19. जी० एम० रोशन	11.36
20. टीना मुनीम	11.36

भारत के निर्यात की मात्रा

95. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-85 के दौरान भारत द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया तथा इसमें प्रत्येक राज्य का क्या हिस्सा है :—

(एक) चाय, (दो) पटसन और पटसन उत्पाद, (तीन) कोयला, (चार) खनिज लोहा, (पांच) समुद्री उत्पाद, (छः) आकर्षक चमड़े का सामान (असली चमड़ा), (सात) शू अपर और असली चमड़े के जूते, (आठ) खाल और चमड़ा, अपरिष्कृत तथा परिष्कृत दोनों, (नौ) प्राकृतिक रेशम तथा प्राकृतिक रेशम का कपड़ा; और (दस) पान के पत्ते ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

राज्यवार निर्यात आकड़े संकलित नहीं किये जाते । फैन्सी चमड़ा माल (असली चमड़ा), असली चमड़े के जूतों, कच्ची और तैयार दोनों प्रकार की चमड़ियों और खालों, प्राकृतिक रेशमी धागे और प्राकृतिक रेशमी कपड़े जैसे उत्पाद समूहों के संबंध में निर्यात की मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि 1980-85 के दौरान अन्य उत्पाद समूहों के संबंध में भारत के निर्यात की मात्रा इस प्रकार है :—

क्रमांक	मद	मात्रा की इकाई	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (अ)	
1.	चाय तथा मेट	मिलियन किग्रा०	229.2	219.0	194.6	197.5	21
2.	पटसन तथा पटसन उत्पाद (ट्विस्ट तथा यार्न सहित)	लाख टन	6.6	4.5	3.3	3.0	2
3.	कोयला	हजार टन	108.0	118.0	116.0	उ. न.	उ.
4.	लोह अंयस्क	मिलियन टन	22.4	23.7	21.7	21.2	23
5.	समुद्री उत्पाद	हजार टन	69.4	74.5	83.8	81.8	90
6.	चमड़े के अपर्स	हजार जोड़ी	6939	10498	14507	उ. न.	उ.
7.	पान	हजार किग्रा	435.9	574.0	740.0	उ. न.	उ.

अ: अनन्तिम

उ. नः उपलब्ध नहीं

स्रोत: डी जी सी आई एण्ड एस कलकता ।

केन्द्रीय सरकार के साथ अमेरीका द्वारा समर्थित बिजिनेस इन्टरनेशनल के बैठक

96. **श्री के प्रधानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेश पूंजी निवेश के लिए अमेरिका द्वारा समर्पित बिजिनेस इंटर-नेशनल की केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के साथ जनवरी के अन्त में एक तीन दिवसीय बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इन बैठकों में कौन से विषयों पर चर्चा हुई; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और उसे लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

रेजगारी की कमी

97. **श्री के० प्रधानी :**
श्री मोहन भाई पटेल :
श्री अमर सिंह राठवा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगारी की कमी से इन क्षेत्रों के लोगों को काफी असुविधा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के और निर्धन लोगों के क्षेत्रों में पर्याप्त रेजगारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) रेजगारी की कमी के संबंध में देश के विभिन्न भागों से शिकायतें मिली हैं।

(ख) ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों सहित देश के प्रत्येक भाग में रेजगारी की कमी को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो रेजगारी के वितरण के लिए उत्तरदाई है, अपनी रेजगारी की वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में रेजगारी के अधिक डिपो और करेंसी चेस्टों की स्थापना को प्राधिकार दिया है। अब राष्ट्रीयकृत बैंक भी भारतीय रिजर्व बैंक से रेजगारी प्राप्त कर रहे हैं और करेंसी नोटों के बदले में इन्हें जनता को वितरित कर रहे हैं। रेजगारी की पूर्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से स्थानीय उत्पादन की अनुपूर्ति के लिए रेजगारी का आयात करने का निश्चय किया गया है। बिदेश से 8. 2. 1986 तक 10832.6 लाख सिक्के पहुंच गये थे और इन्हें वितरित किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में देश में 17604.6 लाख सिक्कों का (8. 2. 1986 तक) उत्पादन हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन स्थानों का पता लगाया जा रहा है जहां कमी है। और उन स्थानों को तुरंत रेजगारी की पूर्ति का प्रबंध किया जाता है। रेजगारी की पूर्ति और वितरण की सरकार द्वारा नियमित और प्रभावी रूप से निगरानी की जा रही है। इन उपायों से पहले ही परिणाम प्राप्त होने शुरू हो गये हैं।

नई बैंक शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति

98. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालय प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में उचित सर्वेक्षण के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक उन सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को जिन्होंने नई शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवेदन किया है, उचित हिस्सा देने की नीति का पालन करता है अथवा संबंधित जिलों के लीड बैंकों को काफी बड़ा हिस्सा देता है;

(ख) यदि हां तो वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक को जिन्होंने नई शाखाएं खोलने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन किया था, कितने लाइसेंस दिये गये हैं;

(ग) क्या ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों को, जिन का लाइसेंस के आवंटन में अब तक बहुत कम हिस्सा है; चालू शाखा लाइसेंस देने की नीति की अवधि के दौरान आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (घ) :—भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आमतौर पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि समूचे शाखा विस्तार कार्यक्रम में सभी बैंकों को उचित हिस्सा मिले। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि क्षेत्रीय बैंक के कमान क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को ही तरजीह दी जाती है। और अन्य मामलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के जिले में उनके प्रतिनिधित्व और लीड जिम्मेदारी के आधार पर उचित हिस्सा दिया जाता है। जहां कहीं आवश्यक होता है सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों को भी केन्द्र अलाट किए जाते हैं।

हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के राज्यों में अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिए गये लाइसेंसों की संख्या का बैंकवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के राज्यों में अप्रैल 1982 से मार्च 1985 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दिए गए लाइसेंसों को दर्शाने वाला विवरण।

बैंक का नाम	राज्य		
	हिमाचल प्रदेश	पंजाब	हरियाणा
1	2	3	4
भारतीय स्टेट बैंक	17	18	15
स्टेट बैंक आफ पटियाला	4	32	9
इलाहाबाद बैंक	—	—	1
बैंक आफ बड़ौदा	—	1	—

1	2	3	4
बैंक आफ इंडिया	—	6	—
केनरा बैंक	—	—	2
सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	2	6	5
न्यू बैंक आफ इंडिया	1	7	7
पंजाब नेशनल बैंक	33	27	24
सिंडिकेट बैंक	—	—	8
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	—	29	2
यूनियन बैंक आफ इंडिया	—	7	2
यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	33	7	5
इंडियन ओवरसीज बैंक	—	—	1
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	—	12	8
जोड़ :	90	152	89

दिल्ली में डबल रोटी के मूल्य में वृद्धि

99. **डा० बी० एल० शैलेश : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने उनके मंत्रालय से राजधानी में डबल रोटी के मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) नये मूल्य किस तारीख से लागू होंगे ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) दिल्ली में ब्रेड के संशोधित मूल्य दिल्ली प्रशासन द्वारा केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से, पहले ही निर्धारित किये जा चुके हैं। ये मूल्य 7. 2. 1986 से प्रभावी हो गये थे। संशोधन से पूर्व और संशोधन के बाद मूल्यों का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	संशोधन से पूर्व मूल्य	संशोधन के बाद मूल्य
400 ग्राम की रोटी	1.35 रुपये	1.45 रुपये
800 ग्राम की रोटी	2.65 रुपये	2.80 रुपये

अग्रिम लाइसेंस सुविधाओं का दुरुपयोग

100. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 जनवरी, 1986 के "फाइनेन्सियल एक्सप्रैस" नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार के अनुसार मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात की प्रवर्तन शाखा द्वारा गुजरात के कुछ एककों का हाल ही में किये गये निरीक्षण के दौरान अग्रिम लाइसेंस सुविधाओं की बड़ी मात्रा में दुरुपयोग किये जाने का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां तो ऐसी सुविधा के दुरुपयोग का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या उपचारी उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां ।

(ख) मैसर्स एल० डी० टैक्सटाइल्स इन्डस्ट्रीज एंकलेश्वर के संबंध में फर्म ने आपातित माल अर्थात पालियेस्टर स्टपल रेशे को गैर सैल्यूकोसिक संश्लिष्ट वेस्ट के रूप में फालतू घोषित करके खुले बाजार में बेचा है। मैसर्स यूनिवर्सल डाई स्टाफ के मामले में यह पता लगा है कि उन्होंने सोश्लिष्ट डिटरजेन्ट वाशिंग पाउडर के बारे में डी. ई. सी. पुस्तिका में सीमा शुल्क निरीक्षक, टूना के हस्ताक्षर और मोहर में जाली प्रवृष्टियों सहित जाली निर्यात दस्तावेज प्रस्तुत किये थे। जबकि इस फर्म द्वारा टूना से किसी डिटरजैन्ट पाउडर का निर्यात नहीं किया गया जैसी कि सीमा शुल्क उपसमाहर्ता, काण्डला द्वारा पुष्टि की गई है। लाइसेंसों को काम में लाने को निलम्बित/रद्द करने के अलावा आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम तथा आयात (नियन्त्रण) आदेश के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गई है। वाण्ड राशि परिसमापित हर्जाने और निर्यात शुल्क को वसूल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की गई है। किसी प्रकार के आयात लाइसेंसों के जारी किया जाना समाप्त करके और साथ ही सरणीकरण एजन्सियों द्वारा आयातित माल के दिये जाने को रोक कर इन फर्मों को आस्थगन के अन्तर्गत रखा गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जाँच का काम सौंपा गया है ।

(ग) अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत कच्चे माल आदि के आयात की अनुमति निर्यात उत्पादन के लिए दी जाती है। आयातित माल का प्रयोग केवल निर्यात उत्पादन के लिए किया जा सकता है। निर्यात उत्पादन में प्रयोग न किये गए आयातित माल को सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी की अनुमति के बिना अन्यथा नहीं बेचा जा सकता। कच्चे माल के दुरुपयोग के मामले में बैंक गारन्टी को जब्त करने के अलावा आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम और उसके जारी किये गये आदेश के अधीन कार्यवाही की जायगी ।

उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी आदर्श विधि का प्रारूप

101. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी आदर्श विधि का प्रारूप स्वीकार करने के लिए गत जनवरी में नई दिल्ली में स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों की एक अखिल भारतीय विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त आदर्श प्रारूप की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी नमूना-कानून जो राज्यों द्वारा अपनाया जाना है, के मसौदे में उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता कार्य निदेशालय तथा उपभोक्ता विवाद निपटान मंच की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित कार्यवाही का उद्देश्य उपभोक्ता के हित की रक्षा तथा संवर्धन करना और उपभोक्ताओं की शिकायतों को शीघ्रता से तथा कम खर्च पर दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद उपभोक्ताओं के अधिकारों, जैसे सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार तथा कुछ विनिर्माताओं/व्यापारियों द्वारा उपभोक्ताओं के अनैतिक शोषण के विरुद्ध प्रतिकार का अधिकार का संवर्धन तथा उनकी रक्षा करेगी। यह परिषद, उपभोक्ताओं को जानकारी और शिक्षा देने तथा उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन के विकास के लिए कार्यक्रम चलायेगी। उपभोक्ता कार्य निदेशालय, उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त करने तथा उन पर कार्यवाही करने के लिए कार्यकारी अंग के रूप में काम करेगा। उपभोक्ता विवाद निपटान मंच उपभोक्ताओं के विवादों को शीघ्रता से तथा कम खर्च पर निपटाने के लिए अर्द्ध-न्यायिक तंत्र के रूप में कार्य करेगा।

(ग) सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा अपने अधिकारों के बारे में उन्हें अधिक जागरूक बनाने के लिए बहुत उत्सुक है।

मेंढक की टांगों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा

102. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 18 जनवरी, 1986 के कलकत्ता से प्रकाशित "**बिजनेस स्टैण्डर्ड**" में "रो ओवर एक्सपोर्ट ऑफ फ्राग लेग्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है कि पर्यावरणविदों और वाणिज्यिक हितों के बीच चल रहे विवाद से मेंढक पकड़ने वालों के लिये बेरोजगारी पैदा न हो और विदेशी मुद्रा से प्राप्त आय में भी कोई कमी न आये।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) जी हां।

(ख) वर्तमान विनियमों के अनुसार, मेंढक की टांगों के निर्यात के लिए कन्वेशन आफ इन्टरनेशनल टीटी आन एन्डेजर्ड स्पेसीज (सी आई टी ई. एस) के अन्तर्गत एक निर्धारित प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रमाण-पत्र पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन विभाग के अन्तर्गत प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जा रहे हैं। ऐसा पता लगाया गया है कि कलकत्ता से मेंढक की टांगों का निर्यात करने वाली 8 फर्मों के सम्बन्ध में ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों ने उन्हें जारी करने से मना कर दिया क्योंकि, उनके अनुसार, इन फर्मों ने वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के कई उपबन्धों का उल्लंघन किया था। इसके परिणामस्वरूप, कलकत्ता से मेंढक की टांगों की निर्यात खेपों को रोक दिया गया।

(ग) पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवन विभाग से विस्तार से इस बारे में बातचीत की जा रही है कि क्या खेपों को निर्यात के लिये क्लियर किया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल में आयातित चीनी की उपलब्धता

103. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय खाद्य निगम और चीनी व्यापार के एक वर्ग में विवाद के कारण, बाजार में आयातित चीनी की सप्लाई लगभग नाम मात्र रही है, जिससे उसके मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विवाद को दूर करने तथा बाजार में चीनी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) (क) और (ख) जी नहीं, चूंकि परिचालन कठिनाइयों के कारण भारतीय खाद्य निगम के पास पर्याप्त मात्रा में आयातित चीनी उपलब्ध नहीं थी, इसलिए नवम्बर और दिसम्बर, 1985 के दौरान निगम द्वारा स्वीकार किए गए टेंडरों के प्रति कलकत्ता में आयातित चीनी की निर्मुक्ति करने में कुछ विलम्ब हुआ था। तथापि, इससे चीनी की आपूर्ति खत्म नहीं हुई थी क्योंकि खुले बाजार में बल्क मांग को स्वदेशी चीनी, जो कि फैक्ट्रियों द्वारा मुक्त बिक्री के अपने मासिक कोटे के प्रति विभिन्न राज्यों के लाइसेंसशुदा थोक चीनी व्यापारियों को बेची जाती है, से पूरा किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम ने टेंडर के आधार पर बिक्री करने के प्रति दिसम्बर, 1985, जनवरी, 1986 और फरवरी, 1986 (17-2-1986 तक) के महीनों के दौरान19142 मीटरी टन आयातित चीनी की आपूर्ति की थी और उक्त अवधि के दौरान उन्होंने नियंत्रित माध्यमों के जरिये वितरण करने के लिये राज्य सरकारों को 10434 मीटरी टन मुक्त बिक्री की आयातित चीनी उपलब्ध की थी। अत: कलकत्ता सहित पश्चिमी बंगाल के खुले बाजारों में चीनी की पर्याप्त आपूर्ति को बनाए रखा गया था।

कलकत्ता में एस---30 ग्रेड की चीनी का मूल्य अक्तूबर, 1985 में 620/- रुपये से 685/- रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में थे। इसकी तुलना ने, थोक मूल्य नवम्बर; 1985 में 620/- रुपये से 665/- रुपये प्रति क्विंटल, दिसम्बर, 1985 में 630/- रुपये से 660/- रुपये प्रति क्विंटल और जनवरी, 1986 में 610/- रुपये से 640/- रुपये प्रति क्विंटल के रेंज में थे। अत: उपर्युक्त महीनों के दौरान कलकत्ता में चीनी के खुले बाजार के मूल्यों को उपयुक्त स्तर पर बनाए रखा गया था।

पश्चिमी बंगाल में आयातित चीनी की उपलब्धता में और वृद्धि करने के लिए पग उठाये गए हैं जिनमें अन्य बन्दरगाहों में स्टाक के प्रेषणों में गति लाना शामिल है। कलकत्ता/हल्दिया में आयातित चीनी की निकासी करने के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा नामित किए गए 4 जहाजों में से उपर्युक्त बन्दरगाहों में 2 जहाजों ने निकासी कार्य पहले ही पूरा कर लिया है। आशा है कि इन पगों से कलकत्ता में आयातित चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।

सुदृढ़ उपभोक्ता अभियान के विकास के लिए उपाय

104: **श्री सनत कुमार मंडल** :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता सुरक्षा कानूनों की पुनरीक्षा कर सुदृढ़ उपभोक्ता अभियान के विकास हेतु कोई समयबद्ध कदम उठाने में पहल की है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित उपायों की विस्तृत रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) (क) जी हां।

(ख) महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण कानूनों, जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि की समीक्षा की गई है और उपभोक्ताओं के बेहतर संरक्षण के लिए उपयुक्त संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। केन्द्रीय सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के बारे में नई दिल्ली में 20 व 21 जनवरी, 1986 को एक अखिल भारतीय संगोष्ठी बुलाई थी, जिसमें विभिन्न प्रशासकीय, कानूनी तथा परिवीक्षा संबंधी उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपभोक्ता कानूनों, जैसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976 पैकेज में रखी वस्तुएं नियम, 1977, आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि को लागू करें। यह समस्त कार्यवाही इस उद्देश्य से की जा रही है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हों।

[हिन्दी]

प्रत्येक गांव के लिए आर्थिक रजिस्टर तैयार करना

105. **श्री जगन्नाथ प्रसाद :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को प्रत्येक गांव के संबंध में एक आर्थिक रजिस्टर तैयार करने का कार्य प्रारंभ करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य प्रारंभ हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण सहित पूरा ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को प्रत्येक गांव के संबंध में आर्थिक रजिस्टर तैयार करने का कार्य प्रारंभ करने की कोई सलाह नहीं दी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी एसोसिएशन का मांग-पत्र

106. **श्री रेणुपद दास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सितम्बर 1984 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी एसोसिएशन से मांग-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के श्रमिकों/कर्मचारियों के वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) क्या प्रबन्धकों और एसोसिएशन के बीच द्विपक्षीय बातचीत पूरी हो गई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक में कार्यरत अधिकारियों के वेतनमानों और भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया जैसे शीर्ष वित्तीय संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों के वेतनमानों के बीच असमानता और विषंगति को दूर करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रबन्ध द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी संघ ने अक्टूबर 1984 में दिनांकित 25 सितम्बर, 1984 का घोषणा-पत्र बैंक प्रबन्ध को दिया था जिसमें बैंक के कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया था ।

(ख) और (ग) बताया गया है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ जुलाई और सितम्बर, 1985 में बातचीत के दो दौर हुए हैं, जिनमें बैंक प्रबन्ध ने कर्मकार कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया था । यह भी बताया गया है कि 6 दिसम्बर, 1985 को शुरु होने वाले बातचीत के तीसरे दौर से पूर्व संघ ने एक तरफा बातचीत के विफल होने की घोषणा कर दी और 9 नवम्बर, 1985 से अपना आन्दोलन शुरू कर दिया ।

(घ) और (ङ) सरकार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक प्रबन्ध से बैंक के अधिकारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में संशोधन करने के संबंध में एक संदर्भ प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है ।

चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए गन्ने को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाना

107. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ गन्ना उत्पादक राज्यों की पिराई क्षमता उनके गन्ना उत्पादन के अनुपात में पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चालू पिराई मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से गन्ने को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) किसी भी राज्य सरकार से इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि उनके राज्य में चीनी फैक्ट्रियां उनके लिए आरक्षित किए गए गन्ने की पिराई नहीं कर पाएंगी।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कर अपवंचक कम्पनियों पर मारे गए छापे

108. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के महीनों के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कर अपवंचकों तथा अन्य कम्पनियों पर कितने छापे मारे गए;

(ख) कर अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे कर अपवंचकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बकाया आयकर का भुगतान न करने वाले करदाता

109. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सरकार ने उन कर दाताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिनके विरुद्ध भारी धनराशि बकाया है जिन्हें वर्षों तक बकाया धनराशि अदा न करने की आदत हो गई है; और

(ख) बकाया धनराशि वसूल करने के संबंध में सरकार की क्या उपलब्धि रही है और ऐसे कर दाताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विभाग द्वारा ऐसे कर-निर्धारितियों/आदतन कर चूक-कर्ताओं के विरुद्ध कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की गई। इन कार्यवाइयों में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220 के अन्तर्गत ब्याज लगाना अधिनियम की धारा 221 के अन्तर्गत यथा परिकल्पित अर्थ-दण्ड लगाना, चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की तथा बिक्री करना, चूककर्ता कम्पनियों के निदेशकों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 179 के अन्तर्गत कार्यवाई करना, आदि सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त कार्यवाईयों के परिणामतः जिन मामलों में मांगे 10 लाख रुपये से अधिक थीं उनमें बकाया मांग 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार 1106.68 करोड़ रुपये थी, जिसे कम

करके 30-9-1986 की स्थिति के अनुसार 795.60 करोड़ रुपये कर दिया गया, इस प्रकार घटौती का प्रतिशत-अनुपात 18.10% रहा। इसके अतिरिक्त, सभी कर मामलों में 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार 1535.16 करोड़ रुपये की आयकर मांगों में से (दिसम्बर 1985 तक यथा समायोजित) दिसम्बर, 1985 तक 977.06 करोड़ रुपये की राशि की वसूली की गयी घटौती की गयी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम मूल्य पर खाद्यान्नों की सप्लाई

110. **श्री गदाधर साहा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूँ और चावल जैसे खाद्यान्नों को कम मूल्य पर बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों को इन मदों के लिए प्रतिवर्ष कुल कितनी राजसहायता दी गई;

(ग) क्या यह भी सच है कि खाद्यान्नों की इन मदों की कीमतों में वृद्धि की गई है तथा समस्त देश में इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अधिक कीमतों पर बेचा गया;

(घ) यदि हां, तो कीमतों में वृद्धि के बाद कुल कितनी धनराशि अर्जित की गई;

(ङ) सरकार द्वारा किसानों को इस समय गेहूँ का प्रति क्विंटल वसूली मूल्य कितना दिया जा रहा है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को किस कीमत पर प्रति क्विंटल गेहूँ दिया जा रहा है; और

(च) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जाने वाले गेहूँ, चावल और मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीय पूल से सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्नों के स्टाक पर कुल राजसहायता सम्बन्धी खर्च, जिसमें स्टाक को रखने की लागत शामिल है, 1985-86 के लिए 1650 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ग) और (ङ) चावल और गेहूँ के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में 1.2.1986 से वृद्धि की गई है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों को उनकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली से बेचने के लिए समान मूल्यों पर खाद्यान्न देती है।

गेहूँ का वसूली मूल्य 157/- रुपये प्रति क्विंटल है और 1.4.1986 से बढ़ाकर 162/- रुपये प्रति क्विंटल करने का विचार है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई करने के लिए अभिप्रेत गेहूँ का केन्द्रीय निर्गम मूल्य 190 रुपये प्रति क्विंटल है।

उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न के खुदरा मूल्यों का निर्धारण सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

(घ) केन्द्रीयों निर्गम मूल्यों में वृद्धि होने के बाद प्राप्त हुई अतिरिक्त राशि की मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्नों की वास्तविक निकासी पर निर्भर करेगी।

(च) गेहूँ और धान के समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने के फलस्वरूप गेहूँ और चावल के निर्गम मूल्यों में वृद्धि की गई थी। ऊर्जा की खपत में तेजी से वृद्धि की दृष्टि में भारत सरकार ने ऊर्जा के अधिक कुशल और मितव्ययी प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मिट्टी के तेल समेत कुछेक पेट्रोलियम उत्पादों के मूलभूत मूल्य में वृद्धि की है।

मयूराक्षी ग्रामीण बैंक की भूमिका और कार्य-निष्पादन

111. **श्री गदाधर साहा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीरभूम जिले में ग्रामीण विकास योजनाओं की क्रियान्विति के संबंध में मयूराक्षी ग्रामीण बैंक की भूमिका और कार्य-निष्पादन क्या रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास की विभिन्न विकास योजनाओं की क्रियान्विति के लिए जिले में उक्त बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा वर्ष-वार कितनी राशि के ऋण दिये गये और कितना निवेश किया गया;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उक्त बैंक का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में मयूराक्षी ग्रामीण बैंक 16 अगस्त 1976 को खोला गया था और इसका प्रायोजक बैंक यूनाईटेड कमर्शियल बैंक (अब यूको बैंक) है। इस ग्रामीण बैंक की 61 शाखाएं हैं। पिछले तीन वर्षों में मयूराक्षी ग्रामीण बैंक का कार्य-निष्पादन इस प्रकार रहा :—

निम्नलिखित को समाप्त अवधि	जमा राशियां (लाख रुपये)	अग्रिम (लाख रुपये)	ऋण: जमा अनुपात
1	2	3	4
दिसम्बर 1982	333.00	451.00	135
दिसम्बर 1983	419.27	641.00	153
दिसम्बर 1984	524.00	764.00	146
जून 1985	601.00	673.77	112

वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से शाखा-वार सूचना प्राप्त नहीं होती।

(ग) और (घ) : राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि भारी हानि और बढ़ती हुई अतिदेय रकमों के कारण बैंक का कार्य-निष्पादन संतोषजनक नहीं है।

केरल से मसालों का निर्यात

112. **श्री के० कुन्जम्बु :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान निर्यात से हुई आमदनी में केरल का कितना हिस्सा था;

(ख) क्या यह सच है कि केरल से मसालों के निर्यात से होने वाली आमदनी में इस वर्ष कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) भारत के निर्यातों के राज्य-वार आंकड़े संकलित नहीं किये जाते ।

निर्यात से आय

113. **श्री के० कुन्जम्बु :**
श्री सैफुद्दीन चौधरी :
डा० गौरी शंकर राजहंस :
श्री शरद दिघे :
श्री वसुदेव आचार्य :
श्री अजय विश्वास : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः महीनों के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निर्यात से प्राप्त आय में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर : (क) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, कुछ मामूली गिरावट आई है ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 महीनों अर्थात अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान भारत का निर्यात 5017.63 करोड़ रु० का हुआ है जोकि अप्रैल-सित० 1984 के दौरान के 5054.26 करोड रु० के उन्हीं अनन्तिम आंकड़ों से 0.7% कम है ।

(ग) सरकार द्वारा किए गए कुछ उपायों में ये शामिल हैं; हमारे निर्यातों में वृद्धि करना, हमारे उत्पान-आधार का विविधीकरण करना, हमारे उत्पादक तंत्र का आधुनिकीकरण । समय-समय पर किए गए अतिरिक्त उपायों में हमारे औद्योगिक तथा वित्तीय नीतियों में परिवर्तन तथा आवधिक संशोधन किया जाना भी शामिल है ।

आयात नीति में संशोधन

114. **श्री एस० एम० गुरुड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हाल ही में पंजीकृत निर्यातकों की आवश्यकताओं के मुताबिक आयात नीति में संशोधन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी हां ।

सरकार ने हाल में संशोधित आयात-निर्यात पास बुक योजना तथा पंजीकृत निर्यातकों को कतिपय रियायतों की घोषणा क्रमश: सार्वजनिक सूचना स० 60-आई टी सी (पीएन) 85-88 दिनांक 1.1.1986 तथा सं० 70-आई टी सी (पी एन) 85-88 दिनांक 11.2.1986 द्वारा की है, जो कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गयी हैं तथा जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

बेरोजगारी की बढ़ती दर

115. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने उनके साथ बजट-पूर्व चर्चा के दौरान बेरोजगारी की बढ़ती दर के बारे में चिन्ता व्यक्त की थी,

(ख) क्या उनकी आम राय है कि कम्प्यूटर प्रणाली लागू किए जाने और गहन प्रौद्योगिकी अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ेगी, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां

(ख) ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने कम्प्यूटर प्रणाली लागू किए जाने और नई औद्योगिकी अपनाए जाने के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए थे । यद्यपि कुछ इसके विरुद्ध थे तथापि अन्यों ने इनके सम्बन्ध में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया ।

(ग) विचारों को विकास सम्बन्धी कार्य-पद्धति और समग्र आर्थिक नीति में ध्यान रखा जाएगा ।

[हिन्दी]

झांसी में व्यापारिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर छापे

116. **श्री राज कुमार राय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 फरवरी 1986 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बताया गया है कि आयकर अधिकारियों ने दिनांक 2

फरवरी, 1986 को झांसी में विभिन्न व्यापारिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारकर लाखों रुपये की नकदी और जेवर का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो किन व्यक्तियों और व्यापारिक संस्थापनाओं पर छापे मारे गये थे; और

(ग) पता लगाई गई परिसम्पतियों का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जी हां, आयकर विभाग ने 30 और 31 जनवरी 1986 को झांसी में तलाशियां ली थीं। जिन मुख्य व्यक्तियों की तलाशियां ली गयीं, वे हैं : श्री सीताराम अग्रवाल, श्री राधे श्याम, श्री आर के नचोला और मै० भगवान दास एंड ब्रदर्स। इन तलाशियों में 3.77 लाख रु० की नकदी, 24.59 लाख रु० के आभूषण और लगभग 19.50 लाख रु० की अन्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं।

खाद्यानों के मूल्यों में वृद्धि

117. **श्री राज कुमार राय** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस ससय जब किसान व्यापारियों को खाद्यान्न बेचते हैं, उनके मूल्य बहुत कम होते हैं, जबकि कुछ दिनों बाद जब उपभोक्ता अथवा किसान उनके खाद्यान्न खरीदता है, तो उनके दाम दुगने हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनमें कितनी वृद्धि हो जाती है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। तथापि, किसानों द्वारा मजबूरन बिक्री को रोकने के लिए सरकार खाद्यान्नों के लिए समर्थन मूल्य देती है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

वाणिज्यक बैंकों द्वारा लघु उद्योग यूनिटों को कार्य चालन पूंजी की आवश्यकताओं के लिए धन दिया जाना

118. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग यूनिटों की कार्य चालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में वाणिज्यिक बैंकों की भूमिका अत्यन्त असंतोषजनक है;

(ख) क्या वाणिज्यिक बैंक उड़ीसा में लघु उद्योगों की कार्यचालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं के लिए धन देने हेतु केन्द्रीय सरकार और भाररतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों का पालन करने पर सहमत नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं पर वहां के लघु उद्योगों की बेहतरी के लिए सहयोग देने पर जोर डालने अथवा निदेश के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वित्तमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत उड़ीसा के लघु उद्योग एककों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों से सम्बन्धित आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर 1980 के अन्त में 34257 खातों के अन्तर्गत 29.42 करोड़ रु० की राशि बकाया थी जो जून 1984 के अन्त में बढ़कर 65412 खातों के अन्तर्गत 81.24 करोड़ रु० हो गई जिससे उड़ीसा में लघु उद्योग एककों को दिये जाने वाले वाणिज्यिक बैंक ऋणों में क्रमिक रूप से बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पत चलता है।

(ख) वाणिज्यिक बैंक, उड़ीसा में लघु उद्योग एककों के लिए कार्य चालन पूंजी संबंधी आवश्यकताएं मंजूर करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के समय-समय पर किए जाने वाले निरीक्षणों के दौरान इस बात की जांच की जाती है कि इस दिशा में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है या नहीं।

(ग) संक्षेप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग-निर्देशों की मुख्य बातें ये हैं :

(1) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह कहा है कि 25000 रु० तक की ऋण सीमा के सभी ऋण आवेदन एक पखवाड़े के अन्दर-अन्दर 25000 रु० से अधिक ऋण आवेदन 8 से 9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटा दिए जायें। उड़ीसा में कार्यरत 16 स्थानीय बैंकों के शाखा प्रबंधकों को दी गई मौजूदा शक्तियां संतोषजनक हैं।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक /बैंकों/राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाए/सेमिनार आयोजित किए जाते हैं ताकि शाखा-स्तर पर नीचे के कर्मचारियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाया जा सके और उन्हें प्रेरित किया जा सके जिससे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (लघु उद्योग क्षेत्र सहित) के ऋणकर्ताओं को सहायता प्रदान की जा सके।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह कहा है कि वे बैंकों और राज्य वित्तीय निगम के बीच समन्वय के बारे में भिडे समिति की सिफारिशों पर कड़ाई से अमल करें जहां पर परियोजना का संयुक्त मूल्यांकन व्यवहार्य न हो वहां पर साथ ही साथ या समानान्तर मूल्यांकन का काम हाथ में लें और कार्यचालन पूंजी के मूल्यांकन का काम स्वयं बैंकों द्वारा किया जाये।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य स्तरीय दो बैंकर समितियों ओर राज्य स्तरीय अन्तर संस्थागत समिति का गठन किया गया है जिनके अन्तर्गत सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आ जाते हैं। इन समितियों में अन्तर संस्थागत समन्वय की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।

(5) प्रायोजक एजेंसियां अर्थात् जिला उद्योग केन्द्रों और उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम को बैंकों की अपेक्षाओं की जानकारी करने के लिए और परियोजनाओं की वित्तीय तथा अन्य अपेक्षाओं के विषय में सम्बद्ध अनुभवों के अन्तर को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितम्बर 1984 में एक ग्रामीण आयोजना और ऋण नामक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें उड़ीसा के सभी जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारियों, मुख्य वाणिज्यिक बैंकों, उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

सातवीं योजना में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उड़ीसा के समुद्र तटों का विकास

श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यटकों का आगमन बढ़ाने के लिये उड़ीसा में समुद्र के तटों के विकास के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के समुद्र के तटों का विकास करन का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या उक्त प्रयोजन के लिये कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया गया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल भगत) : (क) से (ग) उड़ीसा में पुरी और कोणार्क के बीच समुद्रतट रेखा को प्रमुख समुद्र-तट गंतव्यों में से एक प्रमुख समुद्र-तट गन्तव्य स्थल के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है जिसका सातवीं पंचवर्षीय योजना में व्यापक रूप से विकास किया जायेगा ।

पहले चरण के रूप में सरकार ने समुद्रतटों के साथ- साथ सिविल कार्य से संबंधी प्रतिबन्ध में छूट देने का निर्णय लिया है । पहले लगे500 मीटर के प्रतिबन्ध की बजाए अब कुछ सुरक्षा-उपायों (सेफगर्डस) की शर्त के अधीन ज्वार-रेखा के 200 मीटर के परे सिविल कार्य की अनुमति होगी ।

(घ) राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने पुरी-कोणार्क क्षेत्र के लिए निम्नलिखित स्कीमें पहले से ही स्वीकृत कर दी हैं :–

(i) कोणार्क में सूर्य मंदिर के पास टायलेट ब्लाक

(ii) पुरी में यात्रिका ।

(iii) कोणार्क में यात्री निवास ।

(iv) भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के बीच 3-स्टार संयुक्त उद्यम होटल ।

छोटे सिक्कों और एक रुपये नोट की कमी

121. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :**
श्री एन० टोम्बी सिंह :
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :
श्री आर० एम० भोये :
श्री चिरंजी लाल शर्मा :
श्री वी० एस० विजयराघवन :
श्री राम प्यारे पनिका :
प्रो० के० के० तिवारी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में लगभग सभी राज्यों में छोटे सिक्कों और एक रुपए के नोट की भारी कमी है,

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि देश में छोटे सिक्कों की मांग दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश के विभिन्न भागों से छोटे सिक्कों और एक रुपए के नोटों की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यद्यपि, कुछ, भागों में सिक्कों की कमी अभी बनी हुई है, तथापि बढ़े हुए, उत्पादन और पूर्ति के फलस्वरूप स्थिति में सुधार हुआ है।

(ख) जी हां।

(ग) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव है:—

(i) तीनों टकसालों में कार्य के घन्टों में वृद्धि करके विद्यमान टकसालों में पूरी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है जिसके साथ अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन योजना को भी चलाया जा रहा है।

(ii) टकसालों को आधुनिकीकरण के अंग के रूप में और उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से, 22 नई सिक्का निर्माण प्रेसों की स्थापना की गई है जिसमें कुछ एक प्रतिस्थापित की गई हैं और कुछ एक में वृद्धियां की गई हैं। 14 और सिक्का निर्माण प्रेसों के लिए एच० एम० टी० को आदेश दिए जा रहे हैं।

(iii) तीनों टकसालों की पूर्ति को बढ़ाने के लिए रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे मूल्य वर्ग के सिक्कों का आयात किया जा रहा है, 8-2-1986 तक 10832.6 लाख अद्द सिक्के विदेश से पहुंचचुके थे और उनका वितरण किया जा रहा है।

(iv) नोएडा (यू० पी०) में 20,000 लाख अद्द सिक्कों के वार्षिक उत्पादन की क्षमता वाली एक नई टकसाल स्थापित की जा रही है। आशा है यह टकसाल 1988-89 से उत्पादन शुरू कर देगी।

नियंत्रित कपड़े के वितरण के लिए दिशा निर्देश

122. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नियंत्रित कपड़े के वितरण को दिशा देने वाली वर्तमान नीति की पुनरीक्षा करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान नीति संबंधी सामान्य मार्ग-निर्देश क्या हैं;

(घ) क्या उसमें संशोधन करने की मांग है; और

(ङ) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है और ये किससे प्राप्त हुई हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ङ) कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण का दायित्व मुख्य रूप से राज्यसरकारों का होता है। तथापि, सरकार कन्ट्रोल के कपड़े के वितरण से सम्बन्धित मौजूदा नीति की समीक्षा करने पर विचार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा कपड़ा समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचे। इस समय कन्ट्रोल का कपड़ा कुल जनसंख्या के लिए दो तिहाई के बराबर तथा दरिद्रता रेखा से नीचे की जनसंख्या के लिए एक तिहाई के बराबर महत्व देने के कम्पोजिट मानदण्डों के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों को आवंटित किया जा रहा है। ऐसा कोई विशेष क्षेत्र नहीं है जिससे कन्ट्रोल के कपड़े की विद्यमान वितरण प्रणाली के संशोधन के लिए मांग की गई हो।

मणिपुर में इम्फाल में भारतीय खाद्य निगम कार्यालय का दर्जा बढ़ाया जाना

123. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भारतीय खाद्य निगम के जिला स्तरीय कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर क्षेत्रीय कार्यालय करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में किस-किस से मांग प्राप्त हुई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) इम्फाल में स्थित जिला कार्यालय मणिपुर राज्य की आवश्यकदाओं को पूर्णतया पूरी करता है। इसलिए इस कार्यालय के स्टेटस को बढ़ाकर क्षेत्रीय कार्यालय करना आवश्यक नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ओर भारतीय खाद्य निगम की स्टाफ यूनियन से अनुरोध-प्राप्त हुए थे।

कम्प्यूटरों की खरीद के लिए निर्देश

124. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मन्त्रालय ने सरकार द्वारा संचालित संस्थानों को कम्प्यूटर खरीदने का निर्णय करने से पहले इलैक्ट्रोनिकी विभाग से परामर्श करने का निर्देश जारी किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी : (क) जी, हां ।

(ख) कार्य निर्धारण नियमावली 1961 में इलैक्ट्रानिकी विभाग को इलैक्ट्रानिक प्रणाली के संयत्रों (कम्प्यूटरों) तथा हार्डवेयर और सौफ्टवेयर, कार्यविधियों के मानकीकरण सहित कम्प्यूटर पर आधारित सूचना, प्रौद्योगिकी संसाधित करने से सम्बन्धित सभी मामलों के संबंध में आवश्यकताओं को समन्वित करने की पूरी जिम्मेदारी दी गयी है ।

उपर्युक्त के अनुसरण में वित्त मन्त्रालय ने सभी विभागों को अनुदेश जारी किये हैं कि कम्प्यूटर की खरीद के मामले में इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा निर्धारित नीति/मार्गनिर्देशों को अपनाया जाये । यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार द्वारा 1975 में सरकार के सभी विभागों में कार्यरत कम्प्यूटरों के नेटवर्क के साथ केन्द्रीय सुविधा के रूप में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के गठन से इलैक्ट्रानिकी विभाग जो कि प्रशासनिक विभाग है यह अपेक्षा करता है कि भारत सरकार के सभी विभाग और सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी संस्थान सर्वप्रथम राष्ट्रीय सूचना केन्द्र से इस बात की पुष्टि करें कि क्या वह उनकी अपनी कम्प्यूटर पद्धिति की खरीद से पहले कम्प्यूटरीकरण संम्बन्धी सेवाएं प्रदान कर सकता है ।

यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की बेहाला (कलकत्ता) शाखा द्वारा बेरोजगार युवकों को ऋण आवेदन पत्रों का वितरण

125. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया की बेहाला (कलकत्ता) शाखा ने जनवरी, 1986 के पहले सप्ताह में अथवा इसके आस-पास बेरोजगार युवकों को ऋण आवेदन पत्र वितरित किए थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने फार्म वितरित किये गये थे ;

(ग) उक्त बेरोजगार युवकों को फार्म बांटने के लिए क्या विधि अपनाई गई थी ;

(घ) क्या बेरोजगार युवकों को फार्म वितरित करने के लिए कोई घोषणा की गई थी या लोकसभा और विधान सभा के सदस्यों को फार्म लेकर बेरोजगार युवकों को बांटने के लिए कहा गया था ;

(ङ) क्या उक्त बैंक ने कलकत्ता में अन्य शाखाओं में भी ये आवेदन-पत्र वितरित किए थे; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

(ङ) पात्र प्रस्तावकों को आवेदन फार्म बांटना बैंक का एक रुटीन काम है और ऐसे आवेदन फार्म कलकत्ता में अन्य शाखाओं से भी पात्र व्यक्तियों में वितरित किये जाते हैं ।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग

126. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके नेतृत्व में जनवरी, 1986 में पाकिस्तान गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल की व्यापार और सहयोग के बारे में दोनों देशों के बीच हुई बातचीत के क्या निष्कर्ष हैं,

(ख) क्या इस चर्चा में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के बारे में बातचीत हुई है, और

(ग) भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों द्वारा आपसी सहयोग के द्वारा किन-किन विशिष्ट मुद्दों पर निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) भारत के वित्त मंत्री द्वारा उनकी जनवरी, 1986 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उनके और पाकिस्तान के वित्त मंत्री के बीच आर्थिक सहयोग से संबंधित विषयों और उन उपायों के बारे में व्यापक बातचीत हुई थी जिनसे इस सहयोग को और सुदृढ़ बनाया जा सकता है। सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों से सम्बन्धित व्यापारिक विषयों पर भी बातचीत हुई थी। यद्यपि पारस्परिक व्यापार के विस्तार के लिए पर्याप्त संभावना की विद्यमानता स्वीकार करते हुए यह निश्चय किया गया है कि :—

(i) सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के बीच विद्यमान व्यापार में मौजूदा वर्ष में कम से कम दुगनी बढ़ोतरी होनी चाहिए;

(ii) भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य मंडलों के/संघ की एक संयुक्त व्यापार समिति स्थापित की जाए ताकि दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग और व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सके :

(iii) दोनों देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के कार्य को शामिल करने के लिए विशिष्ट मार्ग निर्देश निर्धारित करने हेतु दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की जाए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार अपने गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापार को 42 ऐसी वस्तुओं में भारत के साथ सीधे व्यापार करने के लिए अनुमति देने के लिए राजी हो गई जो अब तक उनके सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों तक ही सीमित थीं।

भवनों के निर्माण के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण

127. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान अनुसूचित बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा भवनों के निर्माण के प्रयोजन से विभिन्न पार्टियों को कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं;

(ख) क्या सभी पार्टियां अपने ऋण की किस्त नियमित रूप से दे रही हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो ऋण की किस्तें अदा न करने वाली पार्टियों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) किस्तें अदा न करने वालों के विरुद्ध बकाया राशि वसूल करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सम्भवत : माननीय सदस्य इमारतें बनाने वाले ठेकेदारों को बैंकों और वित्तीत संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण के सम्बन्ध में सूचना चाहते हैं । वर्तमान आवास वित्त नीति के मार्ग-निर्देशों के अन्तर्गत बैंकों को कार्याचालन पूंजी के लिए ऐसे ठेकेदारों को ऋण सहायता देने की अनुमति नहीं है । भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) भी भवन निर्माण के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं देते हैं ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की खुदरा दुकानों की लाभप्रदता

128. **श्री मुरली धर माने** :
श्री गुरुदास कामत : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम की घाटे में चल रही दुकानों को बन्द करने सम्बन्धी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन दुकानों को लाभप्रद बनाने के लिए गत तीन वर्षों में क्या प्रयास किए हैं;

(ग) ऐसी खुदरा दुकानों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इन खुदरा बिक्रीय केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय लिए जाने की स्थिति में क्या सरकार का विचार इससे प्रभावित कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने का है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम की आर्थिक रूप से असक्षम खुदरा दुकानों को बन्द करने का कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है.। विशिष्ट खुदरा दुकानों को बन्द करने के मामलों पर समय-समय पर अलग-अलग विचार किया जाता है ।

(ख) खुदरा दुकानो को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए उठाए गए/उठाये जाने वाले प्रमुख कदमों में कुछ निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) विभिन्न किस्म के कपड़े उपलब्ध कराना तथा बेहतर माल नियंत्रण करना;

(2) विकेन्द्रीकृत प्रबन्ध आधार पर निजदीकी पर्यवेक्षण करना;

(3) शोरुम में बिक्री स्टाफ को प्रोत्साहन योजनाओं की समीक्षा तथा संशोधन हो चुका है;

(4) शोरुमों में एन टी सी उत्पादों के रखने/ प्रदर्शन में सुधार किया जा चुका है;

(5) बिक्री स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये गये हैं;

(6) प्रचार तथा बिक्री संवर्धन सहायता को बढ़ाया जा चुका है ।

(ग) खुदरा दुकानों का राज्य-वार वितरण निम्नोक्त प्रकार है : –

राज्य/केन्द्रशासित	शोरूमों की संख्या
असम	6
आन्ध्र प्रदेश	28
बिहार	26
दिल्ली	14
गुजरात	11
हरियाणा	8
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू तथा काश्मीर	4
कर्नाटक	24
केरल	17
मध्य प्रदेश	10
महाराष्ट्र	23
मेघालय	1
उड़ीसा	7
पंजाब	8
राजस्थान	12
तमिलनाडु तथा पांडिचेरी	82
उत्तर प्रदेश	57
पश्चिम बंगाल	54
योग	413

(घ) सभी कामगारों को विकल्प रोजगार देने का प्रश्न नहीं उठा है क्योंकि आर्थिक रूप से असक्षम खुदरा दुकानों को बन्द करने का कोई सामान्य प्रस्ताव नहीं है ।

विशिष्ट दुकानों के हाल में बन्द होने के मामलों में बेशी कर्मचारियों को सम्बन्धित अनुषगी निगमों/मिलों में खपा लिया गया ।

गुजरात में मारे गए छापे

129. **श्रीमति पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीने के दौरान गुजरात के विभिन्न भागों में विभिन्न उद्योगपतियों, व्यापारियों और अधिकारियों के परिसरों और कार्यालयों पर छापे मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक का नाम और पद क्या था;

(ग) ऐसे छापों में क्या परिणाम निकले; और

(घ) इन छापों में पाए गए आपत्तिजनक दस्तावेज तथा पकड़ी गई अन्य वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी विभागों में मितव्ययता

130. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी विभागों में मितव्ययता लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उससे कितनी बचत होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अनावश्यक और गैर-उत्पादक व्यय को रोकने के उपाय निरंतर आधार पर किये जाते हैं। हाल ही में, सरकार ने, अत्यंत अपवादीय परिस्थितियों को छोड़कर, पदो का सृजन करने/रिक्तयां भरने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये थे। फालतू कर्मचारियों को पहचानने एवं पता लगाने और परिहार्य पदों के सृजन को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक/विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के आंतरिक कार्य अध्ययन एककों द्वारा किये गये कार्यमापन अध्ययनों के माध्यम से प्रयास किये जाते हैं। टेलीफोनों, फर्नीचर तथा साजसज्जा, स्टाफ-कारों, पैट्रोल की खपत और गैर-हकदार अधिकारियों द्वारा वायुयान से यात्रा करने जैसे कार्यालय व्यय में भी कटौती करने के उपाय किये गये हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निष्पादन के लिये केवल आवश्यक और व्यवहार्य स्कीमों का ही अनुमोदन हो; स्कीमों/परियोजनाओं पर 3 करोड़ रुपये से अधिक का व्यय करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रस्तावों की संवीक्षा, सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति/सार्वजनिक निवेश बोर्ड के माध्यम से की जाती है।

सभी चालू क्रियाकलापों तथा संगठनों की समीक्षा करने और जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है उन्हें बंद करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह का भी गठन किया गया है।

सभी मंत्रालयों/विभागों को भी अनावश्यक व्यय में कटौती करने और 1985-86 के लिये बजट अनुमानों में किए गए कुल योजना-भिन्न प्रावधानों में कम से कम 5 प्रतिशत की कमी करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

कटौतियों को 1986-87 के बजट के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले चालू वर्ष के संशोधित अनमानों में दर्शाया जाएगा। यह आशा की जातो है कि अब तक किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप संसद द्वारा पहले से स्वीकृत व्यय में 800 करोड़ रुपये की बचत होगी।

शहरों का दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में अभ्यावेदन

131. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों का दर्जा बढ़ाए जाने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या इस मामले का अध्ययन करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ?

(ग) देश में शहरों का दर्जा बढ़ाए जाने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) समिति द्वारा हरियाणा के किन-किन शहरों का दर्जा बढ़ाने की सिफारिश की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराये तथा प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ते की अदायगी के लिए नगरों/कस्बों का वर्गीकरण/पुनःवर्गीकरण दसवर्षीय जनगणना में व्यक्त-उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इस सम्बन्ध में अपनाया गया मापदण्ड निम्न प्रकार है :

श्रेणी	जनसंख्या
क	16 लाख से ऊपर
ख – 1	8 लाख से ऊपर किन्तु 16 लाख से अधिक नहीं।
ख — 2	4 लाख से ऊपर किन्तु 8 लाख से अधिक नहीं।
× ग	50,000 से ऊपर किन्तु 4 लाख से अधिक नहीं।

× "ग" श्रेणी नगरों में कोई प्रतिपूर्ति (नगर) भत्ता ग्राह्य नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राजेन्द्र सेठिया द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी

132. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक** :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री सुभाष यादव :
श्री मानिक रेड्डी :
श्री सरफराज अहमद : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के साथ 10 करोड़ से अधिक राशि की धोखाधड़ी किये जाने पर लन्दन वासी एक भारतीय व्यापारी, श्री राजेन्द्र सेठिया के विरुद्ध सरकार ने इस बीच कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उसने श्री राजेन्द्र सेठिया और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120 ख, 420, 467, 468 और 471 के अन्तर्गत मामला दर्ज किया है और 29 मई, 1985 को दिल्ली के मुख्य महानगरीय दण्डाधिकरी की अदालत में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस समय मामले के आरोप विरचित किए जा रहे हैं।

ओर्के सिल्क और रिलाऐंस इंडस्ट्रीज, बम्बई के प्रबंधकों के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर छापे

133. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :
श्री सुभाष यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओर्के सिल्क और रिलाऐंस इन्डस्ट्रीज, बम्बई के प्रबंधकों के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर आयकर विभाग द्वारा हाल ही में छापे मारे गए थे;

(ख) यदि हां तो किस प्रकार के आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं;

(ग) क्या इन कम्पनियों के प्रबंधकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां। मुख्य तलाशी ओर्के सिल्क मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई के प्रबन्धकों के कार्यालय और आवासीय परिसरों में राजस्व आसूचना निदेशालय (डी० आर० आई०) के अधिकारियों द्वारा 1-11-1985 और 2-11-1985 को ली गई थी। इन तलाशियों में आयकर विभाग का भी सहयोग लिया गया था।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, बम्बई के मामले में आयकर विभाग द्वारा हाल ही में कोई तलाशी नहीं ली गई है।

(ख) तलाशी के दौरान राजस्व आसूचना निदेशालय के प्राधिकारियों द्वारा आगम-पत्र, बीजक आदि जैसे दस्तावेज पकड़े गए हैं।

(ग) और (घ) राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा मैसर्स ओर्के सिल्क मिल्स लि० और इसके निदेशकों के खिलाफ मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, बम्बई के न्यायालय में एक आपराधिक शिकायत दायर की गई है।

भारत—पाकिस्तान व्यापार वार्ता

134. **श्री आनन्द सिंह :**
श्री टी० बशीर :
श्री सोमनाथ रथ :
श्री शरद दिघे :
श्री महेन्द्र सिंह :
प्रो० चन्द्र भानु देव :
श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम :
श्री माधव रेड्डी :
श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी के पहले दूसरे सप्ताह में इस्लामाबाद में भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच यदि कोई व्यापार तथा आर्थिक सहयोग समझौता हुआ है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित बातों को समाविष्ट करते हुए संयुक्त कार्यवृत पर हस्ताक्षर किए गए।

(i) सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों के बीच विद्यमान व्यापार में मौजूद वर्ष में कम से कम दुगनी बढ़ोतरी होनी चाहिए :

(ii) भारत और पाकिस्तान के वाणिज्य मंडलों के संघ की एक संयुक्त व्यापार समिति स्थापित की जाए ताकि दोनों देशों के बीच औद्योगिक सहयोग और व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सके :

(iii) दोनों देशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के कार्य को शासित करने के लिए विशिष्ट मार्ग निर्देश निर्धारित करने हेतु दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की जाए।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पाकिस्तान सरकार अपने गैर-सरकारी क्षेत्र के व्यापार की 42 ऐसी वस्तुओं में भारत के साथ सीधे व्यापार करने के लिए अनुमति देने के लिए राजी हो गई जो अब तक उनके सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों तक ही सीमित थीं।

गुजरात-महाराष्ट्र सीमा पर नशीली दवाइयों का पकड़ा जाना

135. **श्री आनन्द सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना निदेशालय द्वारा 8/9 जनवरी, 1986 को गुजरात-महाराष्ट्र सीमा पर एक छोटे गांव में आज तक देश के तथा विश्व में सबसे अधिक 10 करोड़ रुपये मूल्य की नशीली दवाइयां पकड़ी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई नशीली दवाइयों तथा इस संबंध में पकड़े गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप तस्करों के किसी गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी कार्यप्रणाली क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों से पता चलता है कि 8/9-1-1986 को, एक सूचना के आधार पर, कार्यवाही करते हुए, राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय के बम्बई क्षेत्रीय एकक के अधिकारी ने महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले में राज्य मार्ग संख्या 8 पर तलसाडी गांव के निकट एक फार्म हाउस की तलाशी ली। इस के परिणामतः, बड़ी मात्रा में हशीश, हेरोइन और मैंड्रेक्स की गोलियां घास के गठ्ठरों के नीचे छिपाई हुई मिली। जांच करने पर, 4565 किलोग्राम हशीश, 602.5 किलोग्राम हेरोइन और चार किलोग्राम मैंड्रेक्स की गोलियां बरामद हुई थीं और उनका सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 और नारकोटिक मादक-द्रव्य तथा मनोविकार उत्पादक पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन अभिग्रहण कर लिया गया था। हेरोइन के पैकेजों और हशीश की कुछेक सिल्लियों पर लगे हुए मार्कों से यह प्रतीत होता है कि ये नारकोटिक पदार्थ विदेशी मूल के हैं। अनुवर्ती कार्रवाई में, वापी और बम्बई स्थित कुछ परिसरों की तलाशी ली गई थी। इस संबंध में 5 व्यक्तियों को जांच-पड़ताल के लिए नजरबन्द कर लिया गया था। इस जाल-चक्र के पीछे मुख्य व्यक्ति, जिसको विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन उसके विरुद्ध वर्ष 1983 में जारी किए गए नजरबन्दी आदेश के सिलसिले में तलाश थी, और जो फरार था, उसने भी समर्पण कर दिया है और उसे नजरबन्द कर लिया गया है।

"थ्रस्ट इंडस्ट्रीज" का पता लगाने के संबंध में डी० वी० कपूर की समिति की सिफारिशें

136. **श्री आनन्द सिंह** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डी० वी० कपूर समिति द्वारा पता लगाये गये प्रत्येक "थ्रस्ट इंडस्ट्रीज" का उत्पादन और निर्यात योजना तैयार करने हेतु कोई विस्तृत प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं और सरकार द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा उत्पादन और निर्यात विपणन के क्षेत्रों में कोई नई नीति बनाई गई है अथवा बनाने की घोषणा किये जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) समिति ने इंजीनियरी निर्यातों में मात्रा संबंधी वृद्धि प्राप्त करने के लिए दो आगामी नीति की सिफारिश की है, अर्थात्

(I) निर्यातों के लिए प्रोत्साहनों की वर्तमान व्यापक प्रणाली को जारी रखना तथा उसे मजबूत बनाना;

(II) उत्पादन के अनुकूलतम स्तरों, प्रौद्योगिकीय अपग्रेडेशन, आधुनिकीकरण और प्रतियोगिता की बातों को देखते हुए "थ्रस्ट उद्योगों" को विशेष नीति पर्यावरण की व्यवस्था करना ताकि ये उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बन सकें।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अन्य मंत्रालयों से परामर्श करके अलग-अलग "थ्रस्ट उद्योग" के लिए उत्पादन तथा निर्यात योजनाएं बनाने की दृष्टि से ब्यौरेवार कार्यवाही कर रहे हैं। सरकार ने घरेलू उद्योग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से औद्योगिक लाइसेंस नीतियों के उदारीकरण और नई प्रौद्योगिकी के प्रचलन के लिए भी कई उपाय किए हैं। वर्तमान नकद मुआवजा योजना की अवधि को 31.3.86 तक बढ़ाने और घरेलू करों के प्रपाती प्रभाव के लिए उद्योग को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय कीमत वापसी योजना में मिश्र धातुओं और अन्य प्रकार के इस्पातों को शामिल किया गया है ताकि इस्पाती माल को निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कीमत पर दिया जा सके। विनिर्माता-निर्यातकों के लिए 1.1.86 से आयात-निर्यात पासबुक योजना आरम्भ की गई है ताकि निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क मुक्त आयातों की आसानी से व्यवस्था हो सके।

दिल्ली में उचित दर दुकानों के मालिकों के कमीशन को बढ़ाने की मांग

137. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित दर दुकानों के मालिक अपना कमीशन बढ़ाने की मांग करते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी वास्तविक मांगें क्या हैं;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि उचित दर दुकानों के मालिक उपभोक्ताओं के लिए हानिकर व्यापारिक तरीके न अपनायें ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) उचित दर दुकानधारी दिल्ली प्रशासन से यह अनुरोध करते रहे हैं कि उन्हें मिलने वाले कमीशन में वृद्धि की जाए। उनकी सुस्पष्ट मांग यह थी कि मूल्य वृद्धि और व्यापारिक परिसरों के किराये में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उनका कमीशन बढ़ाया जाए।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने 1.2.1986 से गेहूं और चावल का कमीशन 4 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है, जिससे यह कमीशन बढ़कर प्रति क्विंटल 10 रुपये हो गया है।

(घ) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुशल कार्यकरण और अनाजों के अन्यत्र जाने तथा अन्य कदाचरों को रोकने के लिए दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम गेहूं, चावल और चीनी की सुपुर्दगी उचित दर दुकान पर ही कर रहा है। दिल्ली प्रशासन की प्रवर्तन शाखा द्वारा अपनी ओर से अथवा शिकायतें मिलने पर नियमित रूप से छापे मारे जाते हैं। उपभोक्ता की शिकायतों को निपटाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी क्षेत्र अधिकारियों के लिए नियमित रूप से निरीक्षण करने के कार्यक्रम बनाए गए हैं।

[हिन्दी]

हथकरघा कपड़े की नियन्त्रित मूल्य पर बिक्री

138. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा कपड़े को नियन्त्रित मूल्य पर बेचने के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) भारत सरकार अक्तूबर, 1976 से नियन्त्रित कीमतों पर हथकरघा कपड़े के उत्पादन तथा बिक्री के लिए "जनता कपड़ा योजना" नामक एक योजना क्रियान्वित कर रही है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले गेहूँ, चावल के मूल्यों में वृद्धि

139. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले गेहूँ और चावल के निर्गम मूल्यों में भारी वृद्धि किए जाने के कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इससे निर्धन वर्ग के वे व्यक्ति बुरी तरह प्रभावित होंगे जो पूर्णतया सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर करते हैं और इससे खुले बजार के भी भाव बढ़ जाएंगे; और

(ग) क्या यह सच है कि इन वस्तुओं के वसूली मूल्यों में घोषणा की गई वृद्धि का भार उपभोक्ताओं पर डालने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ग) धान और गेहूँ के समर्थन मूल्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप गेहूँ और चावल के निर्गम मूल्यों में भी वृद्धि कर दी गई है।

(ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सप्लाई किए जा रहे गेहूँ और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में भारी राजसहायता होती है। गेहूँ और चावल के खुदरा मूल्य राज्य सरकारों द्वारा सामान्यतया केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में उपयुक्त प्रासंगिक लागत को जोड़ने के बाद निर्धारित किए जाते हैं। खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में वृद्धि करने से खुले बाजार के भावों पर मामूली प्रभाव पड़ सकता है।

नई कपड़ा नीति के कारण विद्युत करघा क्षेत्र में समस्यायें

140. **डा० टी० कल्पना देवी :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय विद्युत करघा संघ और विद्युत करघों के अन्य संगठनों से नई कपड़ा नीति के कारण उत्पन्न उनकी समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत करघों की मांगे क्या है; और

(ग) विद्युत करघों की कठिनाइयां जैसे बेहतर ऋण सुविधाएं प्रदान करना, उचित मूल्यों पर धागे की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई, उत्पादन छूट आदि, दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : अभ्यावेदनों में अन्य बातों के साथ-साथ ये बातें कही गई हैं; हथकरघा क्षेत्र में पूर्ण रूप से उत्पादन के लिए कुछ वस्त्रों के आरक्षण में छूट, विकेन्द्रीयकृत पावरलुम क्षेत्र पूर्ण रूप से उत्पादन के लिए कुछ किस्मों का आरक्षित किया जाना, पावरलूमों के पंजीकरण के लिए व्यापक अधिसूचना, बहूरेशा लोचशीलता, पावरलूमों की गणना संगठित मिल क्षेत्र की तुलना में पावरलुम के पक्ष में उत्पादन शुल्क सम्बन्धी अन्तर का बहाल किया जाना और पावरलूम कपड़े के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निगमों का निर्माण।

सरकार हथकरघा क्षेत्र में हथकरघा माल के पूरी तरह से उत्पादन के लिए उनको आरक्षित करके हथकरघों को संरक्षण देने की नीति में बाधा नहीं डालना चाहती। रेशा लोचशीलता की घोषणा पहले ही वस्त्र नीति में कर दी गई है। अनधिकृत पावरलूमों के विनियमीकरण और नए पावरलूम लगाने के लिए परमिट जारी करने के लिए अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के बारे में प्रैस नोट जारी कर दिया गया है। बिजली से चलने वाले करघों के प्रतिस्थान प्रतिष्ठान वित्तीय सहायता के उन कार्यक्रमों के पात्र हैं जो निवेश, रोजगार आदि की दृष्टि से उनके बराबर के औद्योगिक एककों पर लागू होते हैं। इसके अलावा, सम्बन्धित राज्य सरकारों से पावरलूम सहकारी समितियों का संगठन करने के लिए कहा गया है ताकि संस्थागत ऋण का बेहतर प्रवाह हो सके। पावरलूमों को उचित कीमतों पर यार्न की पर्याप्त मात्रा की सप्लाई यार्न की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करती है। इस समय यार्न का उत्पादन काफी है और यदि कोई स्थानीय कमियां हैं तो मिलों से जिनमें कुछ एन टी सी मिलें शामिल हैं, सम्पर्क करके उन्हें तेजी से दूर किया जा सकता है।

वर्तमान नीति में यह व्यवस्था है कि संगठित मिल क्षेत्र और गैर संगठित पावरलूम क्षेत्र में पावरलूमों के बीच समता के सन्दर्भ में पावरलूम क्षेत्र का स्वस्थ विकास होना चाहिए।

चाय का निर्यात

141. **श्री राम कृष्ण मोरे**: : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985 के अन्त तक निर्धारित लक्ष्य की तुलना में निर्यात की गई चाय (विदेशी मुद्रा में मूल्य के साथ) की वास्तविक मात्रा कितनी है और 1984 की तुलना में ये निर्यात आंकड़े क्या हैं;

(ख) चीन, श्रीलंका, कीनिया, इन्डोनेशिया के साथ स्पर्धा में पिछले पांच वर्षों के दौरान चाय के निर्यात में भारत के हिस्से में कितनी कमी हुई है;

(ग) क्या अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने बाजार हिस्से को बनाए रखने के लिए कोटा प्रणाली सम्बन्धी वर्तमान नीति की समीक्षा करने के प्रश्न पर विचार किया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने कुवैत, कतर और सउदी अरब और इराक जैसे पश्चिमी एशियाई देशों के बाजारों में भारतीय चाय के निर्यात की संभावना का पता लगाया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) गत दो वर्षों के दौरान चाय के निर्यात निम्नोक्त प्रकार हैं :—

	निर्यात	
वर्ष	मात्रा (एम. किग्रा०)	मूल्य (करोड़ रु०)
1984	217.0	740.45
1985 (अनुमानित)	222.4	711.90

1985 के लिए निर्यातों का लक्ष्य 220 एम० किग्रा० था ।

(ख) निम्न सारणी 1980 से 1984 के दौरान विश्व चाय निर्यातों में प्रमुख उत्पादक देशों का अंश दर्शाती है :—

(चाय का विश्व निर्यातों में अंश-प्रतिशत)

	1980	1981	1982	1983	1984
भारत	26.0	28.2	23.2	23.97	23.5
श्रीलंका	21.4	21.4	22.1	18.1	22.0
चीन	12.5	10.8	12.9	14.3	13.8
केन्या	8.7	8.8	9.7	11.5	9.8
इन्डोनेशिया	7.9	8.3	7.8	7.9	9.8

(ग) इस समय चाय के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

(घ) मूल्य वर्द्धित रूप में भारतीय चाय के संवर्धन के लिए नीति के रूप में ए आर ई में एक् राष्ट्र-सह-ब्रांड संवर्धन अभियान के लिए पायलट परियोजना स्वीकृत की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त, चाय बोर्ड भी अपने कुवैत तथा काहिरा स्थित कार्यालयों के द्वारा पश्चिम एशियाई देशो में संवर्धनात्मक अभियान चलाता है ।

अधिकतम उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लाइसेंसों का नवीकरण

142. **श्री के० राममूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष से पिछले पांच वर्षों में किसी वर्ष के दौरान अपनी लाईसेंस क्षमता की 80 प्रतिशत क्षमता प्राप्त कर ली है और अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए अपने लाइसेंसों के नवीकरण के बारे में अनुरोध किया है;

(ख) उन निर्यातकों का ब्यौरा क्या है जो जनवरी 1968 से शुरू की गई आयात निर्यात पास बुक योजना के अन्तर्गत आ गए हैं;

(ग) क्या निर्यातकों ने इस योजना के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन के लिए शुल्क युक्त कच्चा माल आयात करना शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत किये गये आयात का ब्यौरा क्या है।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) ऐसी कम्पनियों की, जिन्होंने नवीकरण की मांग की थी, एक सूची विवरण-एक तथा विवरण-दो के रूप में संलग्न है।

(ख) आयात-निर्यात पास बुक लाइसेंस को जारी करने के लिए कुछ पंजीकृत निर्यातकों से क्षेत्रीय पतन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त किए गए हैं तथा उनके द्वारा उन पर कार्यवाही की जा रही है। अब तक कोई निर्यात आयात-पास बुक लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) में बताई गई स्थिति को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण एक

एम आर टी पी/फेरा एकक

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	लाइसेंस सं० तथा तारीख	उत्पाद की मदें	स्थान	आवेदन की तारीख
1.	हिन्दुस्तान इलैक्ट्रोग्राफिक लि०	...	ग्राफिक इलैक्ट्रोड एनोड	मण्डीदीप, जिला, रायसीना मध्य प्रदेश	13.186
2.	जे० के० सिन्थेटिक लि०	'एल/23/5/4/66.अध्य/ दिनांक 8.12.1966	नायलोन टायर कोड	जेके नगर कोटा, राजस्थान	29.1.86
3.	जे० के० सिन्थेटिक लि०	एल/23/5/63-टैक्स(डी)/ 64 दिनांक 9.3.1964	एकिलिक फाइबर	कोटा, राजस्थान	29.1.86
4.	एस्काट लि०	सीआईएल : 54(83)/945 (78)-आई एल दिनांक 10.2.1983	मोटर साईकिल तथा स्कूटर	गुड़गांव हरियाना	1.2.86
5.	गरवारे प्लास्टिक तथा पालियस्टर लि०	सी आई एल 263(79) दिनांक 21.11.1979	पालियस्टर किस्म	औरंगाबाद महाराष्ट्र	7.2.86

टिप्पणी : इन आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण-दो

गैर-एम आर टी पी/गैर-फेरा एकक

उन औद्योगिक एककों के ब्यौरे जिन्होंने औद्योगिक विकास विभाग के प्रेस नोट संख्या (1986-क्रम)-10152/85 एल पी दिनांक 15.1.86 के जबाब में क्षमताओं के नवीकरण के लिए आवेदन किए ।

क्र० सं०	औद्योगिक उपक्रमों के नाम तथा पता	आई एल/आर सी सं०	उत्पादन की मद	लाइसैंस शुदा क्षमता	31 मार्च, 1985 से पहले के किन्हीं 5 वर्षों के दौरान सर्वोत्तम उत्पादन प्राप्ति	जिस क्षमता के नवीकरण की मांग की
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० हरियाणा कोटेड पेपर लि० नई दिल्ली ।	11 सं एल/24(4) एन यू/52/72 पेपर दिनांक 37.7.62	आर्ट तथा क्रोम पेपर	1800 एम टी	1984-85=5504 एम टी	550*-1/3=7339 अर्थात 7400 एम टी
2.	मै० इन्डो नेशनल लि० मद्रास	11 सं० एल/5/(11) 23/71 एल पी एल दिनांक 10.2.71	ड्रा बैट्री सैल	120 मिलियन प्रतिवर्ष	1984-85=152-61 मिलियन	152.61+1/3=203 मिलियन प्रतिवर्ष
3.	मै० अहरा वेल्डिंग इलैक्ट्रेड मैन्यू० लि० कोयम्बतूर	11 सं० एल/1ए/71 एल ई आई/(बी)/63 दिनांक 11.1.1963	वेल्डिंग इलैक्ट्रोड	60 मिलियन रनिंग फिट या 8.3 मिलियन रनिंग मीटर	1984-85=41.86 मिलियन रनिंग मीटर	41.86+1/3=55.81 मिलियन रनिंग मीटर

1	2	3	4	5	6	7
4.	मै० फ्रिथ (इंडिया) स्टील कं० लि० नागपुर	आइएल सं० 76(74) दिनांक 5/6/1974	एलाय स्टील	6000 टन पी० ए०	नहीं रखे गए	
5.	मै० गुजचेम इंडिया लि० अहमदाबाद	कोब आइ एल सं० 334(84)दिनांक 31-10-84	2-4-डी-सोडि-यम साल्ट	127 एम. टी.	1983-84=196 एम. टी.	196+65=261 एम. टी.
6.	मै० गुजचेम डिस्ट्रीलरी इंडिया लि०	कोब आइएल सं० 72(85) दिनांक 22.2.85	एसेटिक एसिड	4000 टन	1982-83=5228	ट 5228+1743= 6971 एम. टी.
			—वही—	3200 टन	1982-83=4266	ट 4266+1422=5688 एम. टी.
7.	मै० श्री पदम	कोब आईएल सं० 41(85) दिनांक 14.2.85	जिंक डस्ट	3020 एम. टी.	1980-81=3038 एम. टी.	3038+1012= 4050 एम. टी.
8.	मै० परमानेन्ट मैगनेट लि० बम्बई	आईएल सं० एल/5 (8)-12/एलईएफआई/ 63 दिनांक 2.7.63	सख्त फेरिट मैगनेट्स	400 टन प्रतिवर्ष	1984-85=674.4 टन	743.6 टन

टिप्पणी : इन आवेदनों पर कार्यवाही की जा रही है ।

नई कपड़ा नीति का कपड़ा मिल क्षेत्र पर प्रभाव

143. **श्री के० राममूर्ति : क्या वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त विवरणियों के अनुसार बन्द कपड़ा मिलों की संख्या जो मई, 1985 में लगभग 68 थी, दिसम्बर 1985 में बढ़कर लगभग 80 हो गयी;

(ख) क्या ऐसा कपड़े की मांग में गिरावट आने के कारण हुआ है, जो जून 1985 में घोषित कपड़ा नीति का परिणाम है; और

(ग) नीति के आधुनिकीकरण, आर्थिक दृष्टि से अक्षम मिलों को बन्द करने और छटनी किये गये कर्मचारियों को मुआवजे के भुगतान के बारे में यह महत्वपूर्ण प्रावधानों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) दिसम्बर, 1985 में 78 सूती वस्त्र मिल बंद पड़े थे जबकि मई 1985 में 68 वस्त्र मिल बन्द थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) जैसाकि नई वस्त्र नीति में व्यवस्था है संभाव्य अर्थक्षम रुग्ण वस्त्र मिलों के सम्बन्ध में पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाएँ तैयार करने तथा उनका प्रबन्ध करने के लिए एक नोडीय अभिकरण स्थापित किया जा चुका है। जैसा कि नई नीति में निर्धारित किया गया है आधुनिकीकरण कोष तथा पुर्नवास कोष स्थापित करने के लिए कार्यवाही भी शुरू की जा चुकी है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण खरीददारों के लिये नई प्रयोगात्मक योजना

144. **श्री के० राममूर्ति :**

श्री एन० डेनिस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण खरीदारों के लाभ के लिए आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित नयी प्रयोगात्मक योजना का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत वे बैंकों के ऋण की सहायता से अपनी पसंद का उत्पाद खरीद सकेंगे;

(ख) क्या यह योजना देश भर में लागू की जा रही है; और

(ग) क्या इसके उचित कार्यान्वयन के लिए कोई निगरानी करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों द्वारा परिसम्पत्तियों की खरीद से संबन्धित नयी प्रयोगात्मक योजना की मुख्य बातें ये हैं :—

1. जब परिसम्पति किसी स्टैंडर्ड किस्म की हो या किन्हीं नामी पूर्तिकर्त्ताओं द्वारा बेची जा रही हो तो हिताधिकारी को अपनी पसंद की वस्तु चुनने की स्वतन्त्रता होगी। बैंक ऋणकर्ता के नाम या तो बचत खाता खोल सकता है या उसे नकद रकम दे सकते हैं। बाद में ऋणकर्ता को खरीदी गयी वस्तु की रसीद बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

2. उद्योग, सेवा और व्यापार क्षेत्र के अन्तर्गत जब किसी प्रकार की वस्तुएँ खरीदी जाएँ तो 3000 रुपये तक की रकम का नकद भुगतान किया जा सकता है। यह भुगतान एक मुश्त या खरीदी जाने वाली वस्तुओं के अनुसार विभिन्न चरणों में किया जा सकता है। इससे हिताधिकारी को अपनी पसंद की परिसम्पत्ति खरीदने के लिए मोल करने और दाम तय करने में आवश्यक आजादी रहेगी। ऐसे मामलों में केश मीमो, बीजक, वाउचर आदि की जरूरत नहीं होगी और केवल उपयोग किये जाने का प्रमाण पत्र ही चाहिए।

3. पशु पालन कार्यक्रम के संबंध में क्रय समिति से नहीं पूछा जाएगा और हिताधिकारी को अपनी पसंद का पशु चुनने और नकद रसीद के बदले पूर्तिकर्ता को भुगतान करने का अधिकार होगा। खरीदे गए पशु की जांच बैंक के क्षेत्रीय कर्मचारी द्वारा की जाएगी।

(ख) यह योजना देश के कुछ चुने हुए विकास खण्डों में 1986-87 में कार्यान्वित की जाएगी।

(ग) सरकार और ऋणदाता एजेंसियां कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर नजर रखेंगी।

सांतक्रुज इलेक्ट्रानिक एक्सपोर्ट प्रमोशन जोने (सीप्ज) को निर्यात आय

145. **श्री अमल दत्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'सीप्ज' के दौरान उसके निर्यात में गिरावट आई है और पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उसके निर्यात आंकड़े क्या हैं;

(ख) यदि हां, तो गिरावट के क्या कारण हैं।

(ग) क्या इस मामले में कोई उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यातित उत्पादों के आयात ठेकों के मूल्य को घटाने के पश्चात् 'सीप्ज' की कुल निर्यात आय क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1982-83 से सीप्ज से हुए निर्यात नीचे दिये अनुसार रहे !

वर्ष	निर्यात (आंकड़े करोड़ों में)
1982-83	54.38 रु०
1983-84	88·62 रु०
1984-85	95·83 रु०
1985-86	68·98 रु०

(जनवरी 86 के अन्त तक)

(ख) और (ग) : 1985-86 के दौरान निर्यातों में कमी का मुख्य कारण है इलेक्ट्रानिक उद्योग में विश्व व्यापी मन्दी। आशा है कि जैसे ही मन्दी की यह प्रवृत्ति कम होगी तो निर्यात बढ़ेंगे।

(घ) सम्पूर्ण पंजीगत माल के, जिन का जीवन काल पाँच वर्ष है। आयात मूल्य और निर्यातों के मूल्य से घटाए गए कच्चे माल के आयात मूल्य के आधार पर हिसाब लगाए निर्यात अर्जन नीचे दर्शाए गए हैं :—

वर्ष	निर्यात
1982-83	5.62 करोड़ रु०
1983.84	4.26 करोड़ रु०
1984.85	25.40 करोड़ रु०
1985-86 (31.3.86 तक)	23.00 करोड़ रु०

बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिये स्वरोजगार हेतु योजनाएँ

146 : **श्री अमल दत्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 और 1985-86 के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्व-रोजगार हेतु योजनाओं की घोषणा वित्त वर्ष के आरम्भ होने के काफी समय बाद की गई तथा जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित करने, उनकी जाँच करने और सिफारिश करने का कार्य उक्त दोरों वित्तीय वर्षों के अंत में जाकर किया गया;

(ख) यदि हाँ, तो योजना की घोषणा किन तारीखों को की गई तथा योजना के लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्वीकृत आवेदन पत्रों पर ऋण वितरण के कार्य पर बहुत अधिक समय लगता है तथा यहां तक कि 50 प्रतिशत युवाओं को जिन्हें ऋण मंजूर किया गया है, को अभी तक पूरा अथवा ऋण की अधिकांश राशि प्राप्त नहीं हुई है; और

(घ) उक्त दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष जिन आवेदकों को ऋण स्वीकृत किया गया तथा बांटा गया उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : शिक्षित बेरोजगार वकों के लिए स्वरोजगार योजना को 1984-85 और 1985-86 में जारी रखने की घोषणा रकार द्वारा क्रमशः सितम्बर, 1984 और जुलाई 1985 में की गयी थी। राज्य सरकारों के नाम अनुदेश जारी कर दिए गए थे जिन्होंने बाद में अपने-अपने राज्यों में जिलों के लिए लक्ष्य र्धारित किये थे और इस प्रकार वास्तव में यह योजना 1984-85 वर्ष के लिए अक्तूबर म्बर, 1984 में और वर्ष 1985-86 के लिए अगस्त-सितम्बर, 1985 में शुरू हुई थी। रतीय रिजर्व बैंकों के नाम सितम्बर, 1984 और अगस्त 1985 में अनुदेश जारी किये थे। ोग मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह परामर्श दिया है कि वित्तीय के अन्तिम महीनों में आवेदनों के जमा होने से बचा जाना चाहिए। मंत्रालय ने सरकार से ने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित सभी जिला उद्योग केन्द्रों को आवश्यक अनुदेश जारी

करने का भी अनुरोध किया है ताकि आवेदनपत्र प्राप्त होने की तारीख के तुरन्त बाद कृतिक बल की नियमित बैठकें बुलायी जा सकें। उनसे यह भी कहा गया है कि वे इस योजना के अन्तर्गत बैंक शाखाओं द्वारा मंजूर किये जाने वाले निर्धारित लक्ष्यों से 10 प्रतिशत से अधिक आवेदनों की सिफारिश न करें।

(ग) और (घ) : वर्ष 1984-85 में बैंकों ने 2.29 लाख मामलों में 429.53 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। सभी राज्य सरकारों से सवितरणों के संबंध में पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है लेकिन 1.40 लाख मामलों में 189.78 करोड़ रुरये के संवितरण की सूचना प्राप्त हो चुकी है और इस योजना का कार्यकाल 1985.86 के लिए भी बढ़ा दिया गया है और 2.5 लाख उद्यमियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

आयकर अधिकारियों तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गये छापों के परिणाम

147. **श्री टी० बशीर :**

श्री यू० एच० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में आयकर अधिकारियों तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने देश के विभिन्न भागों पर बड़े पैमाने पर छापे मारे;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : आयकर विभाग में पिछले 3 महीनों, अर्थात् नवम्बर, 1985 से जनवरी, 1986 तक के दौरान 1777 तलाशियां लीं और विभिन्न अपराधारोपणीय बहियों और दस्तावेजों के अतिरिक्त प्रथम दृष्ट्या लगभग 16.64 करोड़ रुपये मूल्य की परिसंपत्तियां पकड़ी। संलग्न विवरण में "राज्य-वार" ब्यौरे दिए गए हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मारे गए छापों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सदन-पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

1.11.1985 से 31.1.1986 के दौरान ली गई तलाशियों का राज्य-वार ब्यौरा।

क्रम सं०	राज्य का नाम	तलाशियों की सं०	अभिगृहीत परिसंपत्तियों का अनुमानित मूल्य
			(लाख रु० में)
1.	महाराष्ट्र	455	543.65
2.	बिहार	34	25.23
3.	दिल्ली	75	71.36
4.	उत्तर प्रदेश	225	184.55
5.	गुजरात	102	96.55
6.	मध्य प्रदेश	87	103.86

7.	पंजाब	43	9.93
8.	हरियाणा	18	3.25
9.	राजस्थान	38	8.14
10.	पश्चिम बंगाल	179	222.50
11.	अरुणाचल, आसाम,मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैण्ड	8	25.17
12.	उड़ीसा	8	0.80
13.	आंध्र प्रदेश	119	84.23
14.	कर्नाटक	76	132.76
15.	केरल	148	49.53
16.	तमिलनाडु	162	102.45
	कुल	1777	1663.96

काला धन समाप्त करने के लिये कम्पनियों पर छापे

148. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री संतोष मोहन देव :
प्रो० के० के० तिवारी :
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में काले धन को समाप्त करने के लिये गत तीन महीने के दौरान अनेक कम्पनियों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन छापे मारे गये और जब्त किये गये आपत्तिजनक दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का दोषी कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) देश में बढ़ते काले धन पर रोक लगाने के लिए सरकार का क्या आगे कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग) जी हां । पिछले तीन मास अर्थात् नवम्बर, 85 से जनवरी, 86 के दौरान आयकर विभाग ने 1777 छापे मारे और विभिन्न अपराध आरोपणीय लेखा पुस्तकों एवं दस्तावेजों के अलावा प्रथम दृष्ट्या लगभग 16.64 करोड़ रु० की लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां पकडीं । ली गई तलाशियों की भारी संख्या को देखते हुए, जिन कम्पनियों की तलाशी ली गई है और जो-जो अपराध आरोपणीय दस्तावेज पकड़े गए है, उनके ब्यौरे देना व्यवहार्य नहीं है । जिन व्यक्तियों की तलाशियां ली गई हैं, उन सभी के संबंध में, प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के विभिन्न उपबंधों के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है ।

(घ) काले धन को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक, विधायी और सांस्थानिक सहित सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं ।

"यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप आफ कम्पनीज" द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

149. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग की प्रवर्त्तन शाखा ने हाल ही में 'यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप आफ कम्पनीज" के चेयरमैन को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी द्वारा किए गए उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) छापों के दौरान पकड़े गए आपत्तिजनक दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार का विचार फर्म/कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रवर्त्तन निदेशालय (वि० मु० वि० अधि०) ने 5-1-1986 को यूनाइटेड ब्रेवरीज समूह की कम्पनियों के अध्यक्ष श्री विजय मालया को गिरफ्तार किया था ।

(ख) से (घ) 9-7-1985 को ली गई तलाशियों के परिणामत: उन कुछ दस्तावेजों को जब्त किया गया था जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गतजांच पड़ताल करने अथवा कार्यवाही करने के लिए लाभप्रद पाए गए । अब तक की गई जांच पड़ताल के आधार पर, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 26(6) के उल्लंघन में एक अनिवासी फर्म को 30 लाख यू० एस० डालर की तथा कथित साख सुविधाओं की गारंटी देने के लिए मैं० यूनाइटेड ब्रेवरीज ता अन्यों को, जिसमें विजय मालया भी शामिल हैं, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है । मामले की अभी और आगे जांच पड़ताल की जा रही है कानून के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्यवाही, जो जांच पड़ताल के परिणाम के आधार पर आवश्यक होगी, की जाएगी ।

स्वास्थ्य खाद्यों की मांग के बारे में अमरीका और पश्चिमी जर्मनी में अध्ययन

150. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को अमरीका और पश्चिम जर्मनी में उन देशों में स्वास्थ्य खाद्यों की मांग के बारे में विशेष अध्ययन करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का अध्ययन कब किया जाएगा; और

(ग) इस प्रकार का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) अक्तूबर-नवम्बर, 1985 के दौरान, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने पश्चिम जर्मनी, नीदरलैंड तथा सं० रा० अमरीका में अध्ययन किया था ।

(ग) अध्ययन का उद्देश्य भारत से ऐसे उत्पादों के निर्यात के लिए विविध स्वस्थ खाद्य बाजार के बाजार खण्ड को परिभाषित तथा उसकी रूपरेखा तैयार करना था ।

'वूल टाप्स' के बारे में इन्डियन वूलेन मिल्स फैडरेशन द्वारा अभ्यावेदन

151. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन वूलेन मिल्स फैडरेशन ने आई० डब्ल्यू० एम० एफ० देश के ऊनी कपड़ों के निर्यातकों द्वारा 'वूल टाप्स, का आयात करने पर रोक लगाने तथा उद्योग को समाप्त होने से बचाने का सरकार से आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इण्डियन वूलेन मिल्स फैडरेशन के अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ) सरकार को वूल टाप्स के आयात पर रोक लगाने के सम्बन्ध में 1984 में आई० डब्ल्यू० एम० एफ० और वूल काम्बर्स वर्कर्स यूनियन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए । सरकार ने वूल टाप्स के आयात पर 10 अगस्त, 1984 से रोक लगा दी है तब से नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

नकद एवजी सहायता के सम्बन्ध में दीर्घावधि नीति

152. **श्री यशवंतराय गडाख पाटिल :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नकद एवजी सहायता के सम्बन्ध में एक दीर्घावधि नीति अपनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री) पी० शिव शंकर : (क) और (ख) नकद मुआवजा सहायता से संबंधित नीति पहले ही दीर्घावधि आधार पर क्रियान्वित की जा रही है । 1 अप्रैल, 1986 से प्रभावी नयी नकद मुआवजा सहायता की नयी योजना शुरू हो जाएगी यह 3 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी । नयी नकद मुआवजा सहायता योजना की मुख्य विशेषताएं हैं :—

(i) औद्योगिक उत्पादों के संबंध में, नकद मुआवजा सहायता दरों को निर्धारित करने में वापस न किये गए अप्रत्यक्ष करों की अदायगी मुख्य बात रहेगी । तथापि, कर के ह्रासप्रपात ढांचे पर भी ध्यान दिया जाएगा ।

(ii) उत्पाद/बाजार विकास के लिए मुआवजा क्रमबद्ध कार्यक्रम के आधार पर केवल उच्च चुनिन्दा तरीके से ही दिया जाएगा ।

(iii) फल और वनस्पति जैसी कृषि मदों के लिए, जो कि प्रकृति में खराब होने वाली हैं, उनके लिए भारत के अन्दर परिवहन की उच्च लागत पर विशेष मुआवजा दिया जाएगा।

(iv) हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए, नकद मुआवजा सहायता की दर निर्धारित करने में श्रम द्वारा मूल्य वर्धन मुख्य तत्वों में एक तत्व रहेगा ।

(v) नकद मुआवजा सहायता जिसकी कि मूल्य वर्धन के 25% से अधिक की अर्थात, एफ० ओ० बी० घटाकर आर० ई० पी० हकदारी (पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अधीन) की अनुनति नहीं दी जा रही है, उसे प्रदत्त करने के संबंध में रोक जारी रहेगी।

(vi) भारत के अन्दर सप्लाई के वर्गों पर, जिन्हें माने हुए निर्यात के रूप में देखा गया है, नकद मुआवजा सहायता देने वाली वर्तमान नीति ही जारी रखी जाएगी।

अप्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में पूंजी निवेश

153. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री की भारत में पूंजी निवेश के बारे में दिसम्बर, 1985 में नई दिल्ली में अप्रवासी भारतीय पूंजी निवेशकों के साथ खुली बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इस बैठक में अनिवासी भारतीयों ने बहुत सी प्रक्रिया संबंधी बातें जैसे कि पोर्टफोलियों निवेश के लिए तीन वर्ष की वर्तमान सीमा से ज्यादा लम्बे अर्से तक के लिए सामान्य अनुमति दिए जाने, एन० आर० ई० खातों में जमा से सम्बन्धित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को सरल बनाये जाने, स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा की पात्रता की योजना के अन्तर्गत स्वदेश लौटने वाले भारतीयों द्वारा अपने साथ लाई जाने वाली विदेशी मुद्रा की पात्रता प्राप्त 25 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाए जाने, जीवन बीमा पालिसी के प्रीमियम की रकम को विदेश भेजने की सामान्य छूट दिए जाने और औद्योगिक आवेदन कर्ताओं को एक ही स्थान से अभिस्वीकृतियां प्रदान किए जाने आदि से सम्बन्धित बातें और कई अन्य बातें भी उठाई।

इन सुझावों पर भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सम्बद्ध विभागों/मंत्रालयों के साथ परामर्श करते हुए विचार किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की गई है।

बैंक डकैतियां

154. **श्री चिंतामणि जेना :**
श्री चिरंजी लाल शर्मा :
श्री उत्तम राठौड़ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर और दिसम्बर, 1985 तथा जनवरी, 1986 के दौरान बैंक डकैती के कितने मामले हुए और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि लूटी गई;

(ख) अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और कितने मामले सुलझाये गये हैं और कितनी धनराशि बरामद की गई है; और

(ग) डकैती के प्रयासों को विफल करने के लिए बैंकों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) देश में, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1985 और जनवरी, 1986 के दौरान हुई बैंक धोखाधड़ियों/डकैतियों, प्रत्येक मामले में अन्तग्रस्त रकम, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, सुलझाये गये मामलों की संख्या और वसूल की गयी रकम के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) बैंकों की सुरक्षा-व्यवस्था की बारीकी से जांच करने और उसमें सुधार करने के लिये सुझाव देने के वास्ते सरकार द्वारा उच्च शक्ति प्राप्त कार्यकारी दल का गठन किया गया था इस दल की रिपोर्ट सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और राज्य सरकारों को दल द्वारा की गयी सिफारिशों को अमल में लाने के लिए भेज दी गयी थी। बैंक, शाखाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से, कार्यकारी दल द्वारा सुझाये गये उपायों को चरणबद्ध ढंग से लागू कर रहे हैं।

विवरण

देश में नवम्बर तथा दिसम्बर, 1985 और जनवरी, 1986 के दौरान हुई बैंक धोखाधड़ियों/डकैतियों, प्रत्येक मामले में अन्तर्ग्रस्त रकम, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या सुलझाये गये मामलों की संख्या और वसूल की गयी रकम के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना

क्रम सं०	बैंक का नाम	घटना की तारीख	अन्तर्ग्रस्थ राशि	वसूल की गई राशि (रु०)	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	सुलझाये गये मामले
1	2	3	4	5	6	7
1.	इलाहाबाद बैंक	1-11-85	2,85,791	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2.	बैंक आफ इण्डिया	4-11-85	40,652	शुन्य	शुन्य	शुन्य
3.	यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	7-11-85	1,00,108	शुन्य	शुन्य	शुन्य
4.	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	7-11-85	25,151	शुन्य	शुन्य	शुन्य
5.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	11-11-85	4,45,354	शुन्य	शुन्य	शुन्य
6.	यूको बैंक	25-11-85	1,39,518	1,39,518	शुन्य	शुन्य
7.	देना बैंक	28-11-85	75,184	67,465	1	शुन्य
8.	बैंक आफ मुदैरे	29-11-85	4,46,250	शुन्य	शुन्य	शुन्य
9.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	6-12-85	1,52,170	शुन्य	शुन्य	शुन्य
10.	केनरा बैंक	27-12-85	16,811	शुन्य	शुन्य	शुन्य
11.	भारतीय स्टेट बैंक	18-12-85	7,25,000	शुन्य	शुन्य	शुन्य
12.	ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	20-12-85	10,000	शुन्य	शुन्य	शुन्य
13.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	20-12-85	2,90,000	2,90,000	शुन्य	शुन्य
14.	भारतीय स्टेट बैंक	26-12-85	1,40,000	शुन्य	शुन्य	शुन्य

1	2	3	4	5	6	7
15.	पंजाब नेशनल बैंक	6-1-86	3,12,582	शुन्य	शुन्य	शुन्य
16.	सिंडिकेट बैंक	7-1-86	2,79,851	शुन्य	शुन्य	शुन्य
17.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	8-1-86	4,00,000	शुन्य	शुन्य	शुन्य
18.	भारतीय स्टेट बैंक	23-1-86	1,12,403	शुन्य	शुन्य	शुन्य
19.	भारतीय स्टेट बैंक	29-1-86	13,00,000	शुन्य	शुन्य	शुन्य
20.	पंजाब नेशनल बैंक	30-1-86	36,181	शुन्य	शुन्य	शुन्य

पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ द्वारा भारतीय चाय की जार्जियन चाय के रूप में बिक्री

155. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत संघ को प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया जाता है और गत तीन वर्षों में वर्ष-वार कितनी मात्रा में चाय का निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि सोवियत संघ पश्चिम यूरोप में भारतीय चाय की 'जार्जियन चाय' के रूप में बिक्री कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) विदेशों में भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के लिये, सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ को चाय के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे हैं :

वर्ष	मात्रा (एक कि.ग्रा.)
1982-83	57.9
1983-84	60.3
1984-85	83.7 (लदान लाइसेंस जारी किए)

(ख) चाय बोर्ड को ऐसी कोई सूचना नहीं है । तथापि, ऐसा होना सम्भव प्रतीत नहीं होता क्योंकि जार्जियन चाय की काफी कम कीमतें मिलती हैं और सोवियत संघ द्वारा खरीदी गई चाय कीमत के ऊँचे रुख पर है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) विदेशों में भारतीय चाय को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से सरकार ब्रांड संवर्धन तथा विदेशों में भण्डागारों के लिए सहायता देने के साथ-साथ मूल्य वर्धित चायों पर नकद प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान करती है । चाय बोर्ड भी अपने विदेशों में स्थित कार्यालयों के द्वारा संवर्धनात्मक प्रचार करता है ।

एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रियायती दरों पर अनाज सप्लाई करना

156. **श्री के० प्रधानी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रियायती दरों पर अनाज सप्लाई करने की हाल ही में एक नई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है;

(ग) नई योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी मात्रा में गेहूं का उपयोग किये जाने की संभावना है;

(घ) चालू वर्ष में कितने गेहूं की खरीद किये जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या इस योजना के अन्तर्गत चावल भी उपलब्ध किया जायेगा, यदि हां, तो कितनी मात्रा में और नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां ।

(ख) इस योजना के अधीन आदिवासी क्षेत्रों में रह रही जनता को विशेष रूप से गेहूं के लिए 1.50 रुपये प्रति किलोग्राम और साधारण चावल के लिये 1.85 रुपये प्रति किलोग्राम की राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है । यह योजना सभी समन्वित आदिवासी विकास परियोजनाओं के क्षेत्रों और नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, लक्षद्वीप और दादर तथा नगर हवेली के बहुसंख्यक आदिवासी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में लागू है ।

(ग) से (ङ) इस योजना के अधीन दोनों गेहूं और चावल की आपूर्ति की जाती है । इस योजना के अधीन राज्यवार वार्षिक आदश्यकता के पक्के अनुमानों का उल्लेख करना सम्भव नहीं है । तथापि, चालू वर्ष के दौरान 31-1-1986 तक, जब इस योजना को चलते हुए थोड़ा अर्सा हुआ था, भारतीय खाद्य निगम द्वारा 72518 मीटरी टन गेहूं और 54126 मीटरी टन चावल जारी किया गया है ।

काले धन का पता लगाने के उपाय

157. **सनत कुमार मंडल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 जनवरी, 1986 के "इन्डियन एक्सप्रेस" नई दिल्ली में "बिड टु स्टाल टैक्स रेड्स — बिजनेसमैन लांच आप्रेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वाणिज्यिक गृहों और डाक्टर, आर्किटेक्ट, एडवोकेट, आयकर की प्रा टस करने वालों, चार्टेड एकाउन्टैन्ट जैसे व्यवसायिकों और अन्य व्यक्तियों जो फीस/पारि-श्रा क की कोई रसीद नहीं देते हैं, के काला धन का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या नि धक उपाय किये जा रहे हैं अथवा किये गए हैं;

(ग) उन वाणिज्यिक गृहों और अन्यों का ब्यौरा क्या है जिनके पास से दिसम्बर 1985 से लेकर आज तक लेखा बाह्य एक करोड़ या इससे अधिक धन राशि बरामद की गई थी; और

(घ) इन आयकर बचाने वालों द्वारा किए जाने वाले इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां । सरकार किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आयेगी । विशिष्ट सूचना मिलने पर, ऐसे व्यापारिक घरानों,

व्यावसायिकों और अन्य व्यक्तियों से काला धन निकालने के लिए सर्वेक्षण करने और तलाशियां लेने सहित सभी संभव उपाय किये जाते हैं और किए जाते रहेंगे जो अपनी फीस/पारिश्रमिक के लिए कोई रसीद नहीं देते हैं ।

(ग) जिन मामलों में दिसम्बर, 1985 से आज तक प्रथमदृष्ट्या 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक का लेखा-बाह्य धन पकड़ा गया है, उनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

क्र० सं०	मामले का नाम	पकड़ी गयी कुल परिसंपत्तियां लाख रुपयों में
1.	बजाज ग्रुप	118.33 रुपये
2.	श्री बन्सी लाल एन० जावेरी	125.78 रुपये
3.	मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर्स कैमिकल्स लि० ग्रुप	237.67 रुपये

(घ) कर अपवंचकों के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए समय-समय पर सभी आवश्यक उपाय किये जाते हैं जिनमें प्रशासनिक, विधायी और सांस्थानिक उपाय भी शामिल हैं ।

झींगा मछली पकड़ने में हुई कमी

158. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को सारे देश में झींगा मछली पकड़ने में हुई कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय द्वारा शत प्रतिशत निर्यात योजना के अन्तर्गत बड़े ट्रालरों के आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस निर्णय के अन्तर्गत उन स्थानों के छोटे मछुआरों को मुआवजा दिया जायगा जहां मछली पकड़ने में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण झींगा मछली के अधिक पकड़े जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहा है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) देश में श्रिम्प साधनों की संभाव्यता तथा उपयोग के वर्तमान स्तर के मूल्यांकन करने के लिए कृषि मन्त्रालय द्वारा गठित की गयी तकनीकी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, उपयोग करने योग्य संसाधनों का गहरे समुद्री क्षेत्रों में पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया है और भारतीय समुद्री तटों से दूर बहुजाति मछली पालन संसाधन का उपयोग करने हेतु 100% निर्यात-अभिमुख एकक योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अधीन और अधिक पोत उपयोग करने की गुंजाइश है । ऐसे क्षेत्रों में, जहां मछली पकड़ने में स्पष्टतः वृद्धि नहीं हुई, छोटे मछुआरों को मुआवजा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कर अपवंचन का पता लगाने के लिए छापे

159. **श्री सोमनाथ रथ :**
श्री हरीश रावत :
श्री सी० माधव रेड्डी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1985 से आज तक कर अपवंचन का पता लगाने और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न फर्मों, निजी कम्पनियों और व्यक्तियों के घरों पर कितनी बार छापे मारे गये;

(ख) कितनी धनराशि के कर अपवंचन का पता लगा; और

(ग) इस संबंध में कितने मामले दर्ज किये गए और कितनी धनराशि **बसूल** की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए इलायची का निर्यात

160. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची बोर्ड ने इलायची के मूल्यों में और गिरावट को रोकने की दृष्टि से घटिया किस्म की 500 टन इलायची स्कैंडीनेवियन देशों को निर्यात करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) इस कार्य में जो काफी हानियां होने की सम्भावना है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार के उपदान के आधार पर बोर्ड के निर्यातों का एक प्रस्ताव भेजा है । जनवरी, 1986 तक अपने निर्यात योग्य उत्पादन की लगभग सभी मात्रा का निर्यात करने में सफलता को देखते हुए ऐसे कार्य आवश्यक नहीं समझे जाते । इसके अलावा सरकार ने ध्यान पूर्वक विचार करने के बाद इलायची के निर्यातों पर पहले ही 10% नकद सहायता मुआवजा की व्यवस्था कर दी है । इलायची बोर्ड के अध्यक्ष को भी घरेलू और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों दोनों के लिए संवर्धनात्मक कार्य कलाप बढ़ाने की सलाह दी गई है ।

खाड़ी के देशों को इलायची का निर्यात

161. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि इलायची व्यापार निगम से खाड़ी के देशों को इलायची का निर्यात करने के लिए कहा जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या **सरकार** ने इस अनुरोध पर विचार किया है और उस पर अन्तिम निर्णय लिया है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० (शिव शंकर) : (क) और (ख) इलायची व्यापार निगम लिमिटेड एक व्यापारिक संगठन है जिसे इलायची तथा इसके उत्पादों में घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के प्राथमिक उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है। इसके वाणिज्यिक कार्यों के सम्बन्ध में वाणिज्यिक विचारों के आधार पर निर्णय इसके प्रबन्धकों द्वारा लिए जाने हैं।

आयकर से राजस्व प्राप्ति में वृद्धि

162. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के वार्षिक बजट में कर में रियायत की घोषणा के परिणाम-स्वरूप आय-कर से राजस्व प्राप्तियों में काफी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वृद्धि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आय-कर तथा इसकी बकाया राशि वसूल करने के लिये उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) यह दर्शाने के लिये कोई सूचना उपलब्ध नहीं है कि इस वृद्धि का सीधा सम्बन्ध रियायतों से है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 में "बकाया करों" की वसूली करने के लिए कई उपायों की व्यवस्था है जैसे अर्थ-दण्ड लगाना, बाकीदारों को प्राप्त धन की कुर्की, चल सम्पत्ति का अभि-ग्रहण और बिक्री, चूककर्त्ता को सिविल कारावास भिजवाना आदि। प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

हाल की मूल्य वृद्धि का थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर प्रभाव

163. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कोयला, गेहूं, चावल, उर्वरकों और पेट्रोलियम उत्पादों के नियंत्रित मूल्यों में हाल ही में घोषित वृद्धि का क्रमशः थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर कुल कितना प्रभाव पड़ा है;

(ख) मूल्यों में इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप पूरे वर्ष में कुल कितना राजस्व प्राप्त होगा; और

(ग) क्या सरकार का मूल्यों में वृद्धि और मुद्रास्फीति से आम जनता को राहत देने का कोई प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कोयला, उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पादों के नियंत्रित मूल्यों और चावल तथा गेहूं के निर्गम मूल्यों में जनवरी और फरवरी 1986 के दौरान हाल में की गई वृद्धि का थोक मूल्य सूचक अंक पर 0.7 प्रतिशत का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने

का अनुमान है। अद्यतन थोक मूल्य सूचक अंक से जो पहली फरवरी 1986 तक उपलब्ध है, उस सप्ताह में थोड़ी सी कमी प्रकट होती है। तदापि सूचक अंक में पेट्रोलियम उत्पादों, चावल और गेहूं के मूल्यों के संबंध में किये गये परिवर्तन शामिल नहीं थे। औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100) केवल दिसम्बर 1985 तक के लिए प्राप्त है।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई वृद्धि से सरकारी क्षेत्र के तेल उपक्रमों के लिए 530 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्राप्ति होने का अनुमान है। अन्य नियंत्रित मूल्यों में की गई वृद्धियों से आर्थिक सहायताओं या संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की लागत में कमी होगी।

(ग) यद्यपि सभी मूल्य वृद्धियों का उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ता है। तथापि सरकार समग्र मूल्य स्थिति पर सावधानी पूर्वक नजर रख रही है। आवश्यक वस्तुओं की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है और ऐसी योजनाएं जारी रखी जा रही हैं जिनके द्वारा निर्धन वर्गों को अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्न प्राप्त होते हैं।

आयोजना संबंधी पूंजी निवेश के फलस्वरूप भी नगर और ग्रामों के निर्धनों के लिए अनेक योजनाएं चलेंगी।

मधुबनी चित्रकलाओं का निर्यात

164. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी चित्रकलाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कोई नए प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी हां। भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम द्वारा 1984-85 के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों के शिल्पियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मधुबनी कलाचित्रों के विकास के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की गई। इस प्रकार से विकसित मधुबनी कलाचित्रों को फ्रांस तथा संयुक्त राज्य अमरीका भेजा गया ताकि इस क्षेत्र में लोगों की रुचि जागृत हो सके। कुछ कला चित्रों को भारत पर्व के एक भाग के रूप में स्मिथसोनियन इन्स्टीट्यूट, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमरीका में भी भेजा गया था और उन्हें लोगों की सराहना मिली।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन

165. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक या बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा अध्ययन कब किया जाएगा और अध्ययन दल सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ मिलकर नवम्बर, 1983 में डा० एस० आर० सेन की अध्यक्षता में बिहार सहित पूर्वी क्षेत्र की कृषि विकास की समस्याओं की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने 31 दिसम्बर, 1984 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में पहली जनवरी, 1986 को हुई राज्य स्तरीय बैंकर समिति की बैठक में बिहार के निम्न ऋण जमा अनुपात [तथा सामान्य आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या पर विचार किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि बिहार में ऋण जमा अनुपात] को बढ़ाने पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार के सचिवों और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया है। निगरानी रखने की यह प्रक्रिया एक निरन्तर प्रक्रिया होगी।

[हिन्दी]

सिक्कों का ढालना

166. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :**
श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान देश में कितने सिक्के ढाले गये तथा दूसरे देशों से कितने सिक्कों का आयात किया गया;

(ख) क्या सिक्के ढालने की लागत भारत की तुलना में विदेशों में कम है;

(ग) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान देश में सिक्कों की कमी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी; और

(घ) क्या सिक्कों की कमी को देखते हुए सरकार का विचार सिक्कों को पिघला कर धातु उपलब्ध करने पर रोक लगने के लिए कोई प्रभावी कानून बनाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :

(क) (i) 1-4-85 से 8-2-86 के दौरान भारत में ढाले गये सिक्के	दस लाख अद्द 1760.46
(ii) इसी अवधि के दौरान एक रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे मूल्यवर्ग के आयातित सिक्के	1083.26

(ख) जी हां।

(ग) देश में निर्मित सिक्कों की पूर्ति और इनके उत्पादन में वृद्धि के साथ ही आयात की व्यवस्था करने से सरकार को आशा है कि कमी की स्थिति काफी हद तक सुधर जाएगी।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम 1971 (1971 की संख्या 52) में छोटे सिक्कों को गलाने या नष्ट करने इसके साथ ही गलाने अथवा नष्ट करने के प्रयोजन से छोटे सिक्कों की जमाखोरी के लिए दण्ड की व्यवस्था की गई है। स्थिति को संभालने के लिए यह कदम पर्याप्त समझे गए हैं।

[अनुवाद]

हिमालय क्षेत्र में पर्यटक स्थलों का विकास

167. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय क्षेत्र में 80 पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार की इस देश से तथा दूसरे देशों से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हवाई पट्टियों, अस्वच्छ होटलों तथा घटिया स्तर की सूचना सेवा और खराब परिवहन एवं आरक्षण व्यवस्था में सुधार करने की योजना है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) यह सही नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

केरल से नारियल जटा वस्तुओं का निर्यात

168. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों के दौरान केरल से नारियल जटा वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है;

(ख) यदि हां; तो इस गिरावट के क्या प्रमुख कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन वस्तुओं के लिए नए बाजारों का पता लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अब तक क्या उपलब्धि हुई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) केरल से कयर माल के निर्यातों में मूल्य दृष्टि से कोई गिरावट नहीं आई है। किन्तु मात्रा की दृष्टि से कुछ गिरावट का रुख रहा है जिसके मुख्य कारण हैं कच्चे माल की कमी, मांग ढांचे में परिवर्तन और सस्ते प्रतिस्थापन वस्तुओं का अविर्भाव।

(ग) और (घ) नए बाजारों का पता लगाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं : व्यापार प्रतिनिधि मण्डल भेजना, बाजार अध्ययन तथा बाजार अनुसंधान करना, विदेश व्यापार पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, प्रचार-सामग्री का वितरण तथा विदेशों में मेलों में भाग लेना।

केरल में गुरुवायूर को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना

169. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में गुरूवायूर को एक बड़े पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) केरल में गुरुवायूर एक सुप्रसिद्ध तीर्थ केन्द्र है। पर्यटन विभाग ने देश के महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों की सूची में गुरुवायूर को शामिल किया है।

राज्य के पर्यटन विभाग का सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता से गुरुवायूर में एक यात्रिका का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

खाद्यान्नों का भंडार

170. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास खाद्यान्नों का भंडार 340 लाख टन हो गया है; और

(ख) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में विभिन्न राज्यों से चावल तथा गेहूं की कितनी वसूली हुई ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं। सरकारी एजेन्सियों के पास 1.1.1986 को कुल 241.8 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का स्टाक होने का अनुमान है।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1984-85 और 1985-86 (17-2-1986 को) चावल और गेहूं की राज्यवार वसूली का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

1984-85 और 1985-86 (17.2.86 को) चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) गेहूं की वसूली को बताने वाला विवरण।

(हजार मीटरी टन में)

	चावल		गेहूं	
राज्य	विपणन मौसम 1984-85(अ)	विपणन मौसम 1985-86*	विपणन मौसम 1984-85	विपणन मौसम 1985-86*
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	1783	814	...	...
असम	20	22	...	....
बिहार	31	3	43	4

1	2	3	4	5
गुजरात	30	5	1	....
हरियाणा	977	971	1774	1960
जम्मू तथा कश्मीर	55	43	7	5
कर्नाटक	101	61	...	....
केरल	नग०	....	...	...
मध्य प्रदेश	357	394	90	14
महाराष्ट्र	1	नग०	....	....
उड़ीसा	105	84	...	....
पंजाब	4277	4137	5012	6147
राजस्थान	46	25	217	37
तमिलनाडु	807	408	....	...
उत्तर प्रदेश	1116	673	2152	2174
पश्चिम बंगाल	96	33	नग०	2
अ० तथा नि० द्वीप समूह	नग०	...	...	...
अरुणाचल प्रदेश	3	1	....	...
चण्डीगढ़	5	7		...
दिल्ली	...	...	3	नग०
पांडिचेरी	12	4	....	...
अखिल-भारत	9822	7645	9300	10345

[नग०]=500 मीटरी टन से कम।

[*[=17.2.1986 को स्थिति।

[अ]=अनन्तिम, इनमें संशोधन हो सकता है।

मुद्रा प्रणाली के सम्बन्ध में सुखमोये चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट

171. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुखमोये चक्रवर्ती समिति की रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि सरकार को जब कभी नोटों को छपवाने की आवश्यकता हो, उसे रिजर्व बैंक का सहारा लेना बन्द कर देना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय लिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) समिति ने और बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि सरकार की देश मे लिये जाने वाले उधारों का लक्ष्य धनराशि के लिए भारतीय रिजर्व पर अवशिष्ट निर्भरता को इस प्रकार विनियमित करना होना चाहिए कि इसके फलस्वरूप प्रारक्षित मुद्रा और मुद्रा पूर्ति में होने वाली वृद्धि से मुद्रा स्फीति न हो जिससे सरकारी व्यय के स्तर पर और घाटों पर प्रतिकूल अनुषंगी प्रभाव पड़ते हैं।

(ख) समिति के विचार सरकार के विचारों से मेल खाते हैं और नीति का निर्माण करते समय इन्हें ध्यान में रखा जाएगा।

इस्लामी साझा बाजार की स्थापना

173. श्री महेन्द्र सिंह : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एक इस्लामी साझा बाजार की स्थापना के लिए विभिन्न इस्लामी देशों के बीच हुई कथित बातचीत की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के साझा बाजार की स्थापना की संभावना के बारे में सरकार का क्या अनमान है और उसका भारत के विदेश व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या वर्तमान यूरोपीय बाजार और इस्लामी साझा बाजार की स्थापना की संभावना को देखते हुए सरकार इस प्रकार के साझा बाजार में भाग लेने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) इस्लामिक सामान्य बाजार स्थापित करने के सम्बन्ध में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं। इस संगठन के अस्तित्व में आने से होने वाले प्रभाव का मूल्यांकन ऐसे संगठन विकसित होने पर भविष्य में ही किया जा सकता है।

पाकिस्तान के साथ गेहूं का निर्यात व्यापार

174. श्री महेन्द्र सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ गेहूं के निर्यात के व्यापार के बारे में बातचीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बातचीत के अब तक क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) इस वर्ष और आगामी वर्ष में पाकिस्तान को कितना गेहूं निर्यात करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) इस समय पाकिस्तान के साथ गेहूं के निर्यात व्यापार के बारे में कोई बातचीत नहीं चल रही है;

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

अण्डमान में एक मुक्त पत्तन-एवं पर्यटक स्थल स्थापित करना

175. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अण्डमान में मुक्त पत्तन-एवं पर्यटक स्थल स्थापित करने की योजनाओं को लगभग अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) द्वीपों के पर्यावरण तथा वहां रहने वाले लोगों की जातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु नियोजित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में द्वीप वासियों की इच्छाओं का पता लगाने के लिए कोई प्रयत्न किया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(च) क्या इस विषय पर राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग जैसी मन्त्री अथवा संसद में कोई चर्चा की गई; और

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ग). जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(च) और (छ) इस मामले पर योजना आयोग में सातवी योजना कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिए जाते समय विचार विमर्श किया गया।

आयात नीति उदार बनाये जाने के कारण व्यापार असन्तुलन

176. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात नीति उदार बनाए जाने के कारण व्यापार असन्तुलन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी नहीं। आर्थिक विकास का एक पहलू व्यापार-असंतुलन कई वर्षों से हमारे विदेश व्यापार की एक विशेषता रही है।

(ग) सरकार द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं हमारे निर्यातों में वृद्धि करना, मारे उत्पादन आधार का विविधीकरण, हमारे उत्पादन-तंत्र का आधुनिकीकरण। हमारी औद्यो-गिक तथा वित्तीय नीतियों में परिवर्तन तथा आवधिक संशोधन करना भी समय-समय पर किए ए अतिरिक्त उपायों में शामिल हैं।

बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

177. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े औद्योगिक घरानों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है; और

(ख) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों अर्थात 1983 से 1985 के दौरान ऐसे बड़े औद्योगिक घरानों के नाम, जिनके द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया पाया गया था तथा प्रवर्त्तन निदेशालय (वि० मु० वि० अधि०) द्वारा न्याय निर्णयन की कार्यवाहियों के दौरान उन पर लगाया गया अर्थदंड दर्शाया गया है।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	की गयी कार्यवाही (लगाया गया अर्थदंड)	विशेष
1	2	3	4
1983		रु०	
1.	हिन्दुस्तान लिवर लि० कलकत्ता	2500	—
2.	मै० डनलप इन्डिया लि० तथा उसके निदेशक	1000	—
3.	मै० हिन्दुस्तान लेस मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन लि० कलकत्ता	750	—
4.	(i) मै० महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि० बम्बई	2500	—
	(ii) श्री एस० विसवास, कार्य प्रबन्धक महिन्द्रा एंड महिन्द्रा कं० कलकत्ता	और 500	—
5.	मै० टाटा आयरन एंड स्टील कं० कलकत्ता	500	—
6.	(i) मै० जॉनसन एण्ड जॉनसन		
	(ii) श्री विथिएल एस० पालिकर (प्रा० लि०) श्री सदाशिव एंड लेले बम्बई	200	—
7.	मै० अपोलो ट्रेड लि० बम्बई	2000	—
	तथा उसके निदेशक	3500	—
	श्री बी० डी० सिंघवी, बम्बई	श्री बी० डी० सिंघवी पर.	

1	2	3	4
8.	मै० एग्लो इन्डियन लि० जूट मिल, कलकत्ता	26000	—
9.	मै० अमेरिकन रेफ्रिजरेशन कं० कलकत्ता	4500	—
10.	मै० के० डी० वूलन मिल्स प्रा० लि० चंडीगढ़	20000	—
11.	मै० यूनियन कारबाइड इं० लि० 1 मिडलटन स्ट्रीट कलकत्ता	5000 तथा 10000	—
1984			
12.	मै० जी० अम्बालाल (ई० एंड पी०) प्रा० लि० कलकत्ता	52500	—
13.	मै० जनरल एक्सपोर्ट्स (इन्डिया) मद्रास-1	32000	—
14.	मै० बल्लारपुर पेपर एंड स्ट्रा मिल्स नई दिल्ली	2000	—
15.	मै० रिट्ज लि० बम्बई श्री श्रीराम कपूर	3000	—
16.	मै० आन्ध्र आयल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स कं० विजयवाड़ा	500	—
17.	श्री एम० प्रहाड़ा राव, प्रबन्ध साझेदार, मै० आन्ध्र आयल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स कं०	200	—
18.	मै० राजस्थान फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लि०	10 लाख 'फेरा बोर्ड में अपील दायर की गई है।	—
19.	मै० जिन्दल स्टील रोल्स कारपोरेशन तथा इसके साझेदार, कलकत्ता	6000	—
20.	श्री वी० एन० जिन्दल, साझेदार, मै० जिन्दल स्टील ट्यूब कारपोरेशन लि० कलकत्ता	7,500	—
21.	(i) मै० कर्नाटक इन्वेस्टमैन्ट्स ट्रेडर्स लि० बम्बई	11,10000	—
	(ii) श्री वी० पी० अग्रवाल	100,000	
	(iii) सैयद मुराद तजल इस्लाम	10,10,000	—
22.	मै० कर्नाटक इन्वेस्टमैन्ट् एण्ड ट्रेडर्स लि०, बम्बई तथा अन्य	1,00,000 तथा श्री वी० पी० अग्रवाल पर 1 लाख रुपये	—

1	2	3	4
23.	मै० भाई इन्डस्ट्रीयल प्रोमोटर्स लि० तथा अन्य	10,000 तथा पांच निदेशकों पर प्रत्येक पर 2000 रु०	
24.	मै० लोहिया जूट प्रे० प्रा० लि० कलकत्ता	10,000	—
	(II) के श्री के० के० लोहिया, निदेशक लोहिया जूट प्रे० कलकत्ता	5,000	.....
25.	मै० सोसिदा डिफोमेन्टो, गोवा तथा निदेशक	62,35,000 'फेरा बोर्ड में अपील दायर की गई है।	—
26.	मै० हाचेस्ट डाइज एण्ड केमिकल्स	1,000	—
27.	मै० हाचेस्ट डाइस एण्ड कैमिकल्स लि० बम्बई।	1,000	—
28.	मै० बाटा इंडिया लि० कलकत्ता	4,000	—
29.	मै० एम० डी० ओसवाल, हौजरी (रजि०) दिल्ली	25,000 फर्म पर तथा 5,00-5,000 उसके दो साझेदारों पर	
	(II) श्री मोहिन्दर कुमार		
	(III) श्री विन्दु कुमार साझेदार— मै० एम० डी० ओसवाल हाउसिंग, मॉडल टाउन, दिल्ली		
30.	मै० एन्जेलो ब्रदर्स लि०	5,00,000	
		3,00,000	
31.	मै० रायल कारपोरेशन (प्रा०) लि०	1,00,000	
	श्री एम० आर० प्रताप, मद्रास	50,000	
		25,000	
		50,000	
		25,000 तथा	
		12,500	

हिन्दी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा की गई अनियमितताएं

178. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली हरियाणा और अन्य राज्यों में क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों द्वारा की गई अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या;

(ग) बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की किस-किस शाखा में जनवरी से 31 दिसम्ब . 1985 के दौरन अनियमितताओं का पता लगाया गया है और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे कुल कितने मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गये हैं और आगामी अप्रैल तक किन मामलों को सौंपे जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गये ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती । जब कभी कोई विशेष घटना होती है/शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिये जांच की जाती है ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

खाद्यनों की तस्करी

179. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 फरवरी, 1986 के जनसत्ता में "डेयरिंग मिस-डीड्स आफ फूड ग्रेन्स स्मगलर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1986 से 31 जनवरी, 1986 की अवधि के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में खाद्यान्न तस्करों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उक्त समचार में उल्लेख की गई अनियमितताओं और कदाचारों को देखते हुए सरकार द्वारा उच्च स्तर पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल के सावधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश को गेहूं, लेवी मुक्त चावल और अन्य अनाजों के संचलन के लिए एक जोन समझा जाता है । इस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान को खाद्यान्नों का संचलन करने पर कोई पाबन्दी नहीं है ।

यदि स्थानीय कानूनों का कोई उल्लंघन किया जाता है, तो उस दशा में राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी होगी ।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होने वाले घाटे का केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना

180. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सुझाव दिया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होने वाले घाटे की योजना स्कीम के अन्तर्गत राज सहायता माना जाए तथा इसे केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाए;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त सुझाव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

केरल को पामोलीन का आवंटन

181. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल को पामोलीन का मासिक आवंटन कितना है;

(ख) क्या केरल सरकार ने पामोलीन के अपने मासिक कोटे के आवंटन को बढ़ाने की मांग की है; और

(ग) क्या सरकार ने कोटा अथवा आवंटन बढ़ा दिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) (क) केरल राज्य सरकार को फरवरी, 1986 के लिए पामोलीन का आवंटन 2000 मी० टन है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में चल रहे शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एकक

182. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए स्वीकृत शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने इस समय कार्य कर रहे हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन एककों द्वारा कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) दिल्ली में एकक स्थापित करने के लिए 100% निर्यात अभिमुख योजना के अधीन पैंतीस प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। इनमें से तीन में उत्पादन तथा निर्यात कार्य चल रहा है।

(ख) इन एककों में 1984-85 के दौरान कार्य आरम्भ हुआ। 31-12-1985 को समाप्त हुई तिमाही तक प्राप्त विवरणियों के अनुसार, 31-12-1985 तक 40.83 लाख रु० मूल्य के निर्यात हुए।

पश्चिमी बंगाल मल्लाह भूम ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन

183. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाखाएं खोलने; ऋणों के वितरण और स्थानीय रोजगार के बारे में पश्चिम बंगाल मल्लाह भूम ग्रामीण बैंकों का कार्यनिष्पादन कैसा रहा है; और

(ख) मल्लाह भूम ग्रामीण विकास बैंकों में निदेशकों की नियुक्ति के बारे में क्या मानदण्ड अपनाए गए है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 30 जून 1985 तक की स्थिति के अनुसार मल्लाहभूम ग्रामीण बैंक का कार्य निष्पादन निम्नानुसार है:—

शाखाओं की संख्या	141
जमाराशियां (लाख रुपये)	1878
बकाया अग्रिम (लाख रुपये)	1150

कार्यरत स्टाफ :

अधिकारी	330
लिपिकीय कर्मचारी	302

(ख) मल्लाह भूम ग्रामीण बैंक सहित प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल का गठन प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 9 के उपबन्धों के अनुसार किया जाता है।

बांकुरा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराई गई राशि

184. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में बांकुरा जिले (पश्चिम बंगाल) में राष्ट्रीयकृत बैंकों में कितनी राशि जमा की गई है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत कितना ऋण वितरित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जिला बांकुरा (पश्चिम बंगाल) में दिसम्बर, 1982, 1983 और 1984 के अन्त की स्थिति के अनुसार सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाराशियां, सकल बैंक ऋण और ऋण जमा अनुपात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(राशि करोड़ रुपये)

	जमा राशियां	ऋण	ऋण:जमा अनुपात प्रतिशत
1982	41.33	10.66	25.79
1983	48.59	13.61	28.01
1984	58.80	18.38	31.26

(ख) बांकुरा जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों के विस्तृत क्षेत्र वार आंकड़े केवल दिसम्बर, 1982 के उपलब्ध हैं जो नीचे दिये गये हैं : –

(राशि करोड़ रुपये)

क्षेत्र	1982
कुल ऋण जिसमें से	8.92 ×
(क) कृषि	4.50
(ख) लघु उद्योग	0.69
(ग) परिवहन चालक	0.68
(घ) सेवाएं	0.31
(ङ) खुदरा व्यापार	1.16

क्षेत्रवार ब्यौरा उपयोग में लाई गई रकमों के अनुसार है। मंजूरियों के अनुसार नहीं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा छोटे उद्यमियों के लिए विशेष योजना प्रारम्भ करना

185. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर छोटे ग्रामोद्योग स्थापित करने के इच्छुक लघु उद्यमियों के लिए और जो अपने संसाधनों द्वारा आवश्यक धन जुटाने में समर्थ नहीं हैं, के लिए एक विशेष योजना प्रारम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सुलभ ऋण सहायया निधि की स्थापना की है। इस निधि से उन व्यक्तियों को मार्जिन राशि दी जाएगी जिनके पास उद्यम-वृत्ति की योग्यता और प्रतिभा तथा, उद्योगों को चलाने की क्षमता है लेकिन मार्जिन राशि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई साधन नहीं

है। सहायता की राशि प्रवर्तक के अंशदान के लिए निर्धारित स्तर और प्रवर्तक द्वारा किए जाने वाले अंशदान के अन्तर के बराबर होगी। इस प्रयोजन के लिए ऋण देने वाले बैंक को नाबार्ड से शत-प्रतिशत पुनर्वित्त प्राप्त होगा। इस ऋण की वापसी अदायगी सावधि ऋण को चुकाने के पश्चात् अधिक से अधिक 10 वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर करनी हती है।

[हिन्दी]

सोने की तस्करी

186. **प्रो० चन्द्रभानु देवी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1985 में पिछले वर्षों की तुलना में तस्करों से अधिक मात्रा में सोना पकड़ा गया; और

(ख) यदि हां, तो सोने की तस्करी को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : जी हां।

वर्ष 1983, 1984 और 1985 के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के तहत पकड़े गए सोने की मात्रा नीचे दी गई है : --

वर्ष	मात्रा (किलोग्राम में)
1983	230
1984	551
1985	2560 (अनन्तिम)

(ख) तस्करी के विरुद्ध अभियान को तेज कर दिया गया है। सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र को तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्रों और तस्करी के लिए आकर्षण वाली, जिन्सों के सम्बन्ध में जिनमें सोना भी शामिल है, सतर्क रहता है। सूचकों और सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार देने की योजना को उदार बना दिया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल स्थापित करके तस्करी रोधी अल्पकालीन और दीर्घकालीन समुचित उपाय किए जाते हैं। तस्करी और किए गये अभिग्रहणों की प्रवृत्तियों की समुचित उपचारी कार्यवाही करने के लिए सतत् समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

उड़ीसा सरकार द्वारा अधिक खाद्य तेल की मांग

187. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85, और 1985-86 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विभिन्न राज्यों को कितना आयातित खाद्य तेल सप्लाई किया गया;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक खाद्य तेल की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए विभिन्न राज्यों को वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान इस समय उपलब्ध स्थिति के अनुसार, सप्लाई किये गए आयातित खाद्य तेलों की मात्रा दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) उड़ीसा को और अधिक खाद्य तेल आवंटित करने के लिए अनुरोध किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आयातित खाद्य तेलों का आवंटन खुले बाजार में उपलब्ध देशीय खाद्य तेलों की अनुपूर्ति करने के लिए किया जाता है। किसी राज्य सरकार की समग्र मांग को पूरा करने के लिए नहीं। देशीय खाद्य तेलों (जिनमें सरसों का तेल शामिल है) की आसान उपलभ्यता तथा कीमतों में नरमी के रुख को देखते हुए उड़ीसा को आयातित खाद्य तेलों का आवंटन बढ़ाना आवश्यक नहीं समझा गया था।

विवरण

तेल वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 (फरवरी, 1986 तक) के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को किया गया आयातित खाद्य तेलों का आवंटन तथा उनके द्वारा उठाई गई मात्रा

(मात्रा लाख मीटरी टन में)

तेल वर्ष (नवम्बर-अक्तूबर)	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित मात्रा	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उठाई गई मात्रा
1983-84	9.56	6.26
1984-85	7.27	6.54
1985-86	1.76	1.32
(नवम्बर, 85 से फरवरी, 86		(8.2.86 तक)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और विश्व बैंक में भारत का हिस्सा

188. **डा० बी० एल० शैलेश :**
श्री के० प्रधानी :
श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जनवरी, 1986 को पेरिस में समाप्त हुए 34 अंशदाता देशों की हाल ही की दो दिवसीय बैठक के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण और विश्व बैंक से छूट प्राप्त निधियों में भारत के हिस्से में आशातीत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था और आई. डी. ए. की इस प्रत्याशित सहायता के आधार पर आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़ा है; और

(ग) विश्व बैंक के उदार ऋण से अपनी उचित भाग ही समाप्त किये जाने के भय को दूर करने के लिए इस समय भारत द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई. डी. ए.) के आठवें पुन: भरण के लिए दाता राष्ट्रों की पेरिस में 27-28 जनवरी, 1986 की दो दिनों की बैठक का मुख्य उद्देश्य उधार देने के मानदण्डों और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ-8 के आकार की सीमा पर चर्चा करना था। पता चला है कि इस बैठक में आई० डी० ए०-8 के आकार अथवा इसमें भारत के अंश के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। आई० डी० ए०-8 के 1 जुलाई, 1987 से लागू होने की संभावना है और दाता देशों द्वारा आठवें पुन: भरण के बारे में हाल ही में विचार विमर्श आरम्भ किया गया है।

[हिन्दी]

चाय के निर्यात में गिरावट

189. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कीनिया की तुलना में प्रति हैक्टेयर चाय की पैदावार बहुत कम होने के कारण गत वर्ष चाय के निर्यात में गिरावट आई है और इसके परिणामस्वरूप चाय उद्योग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोवियत संघ और पोलैंड को कम दरों पर भारतीय चाय का निर्यात

190. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत संघ और पोलैंड के साथ द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत इन देशों को निर्यात की जाने वाली चाय का भारत को कम मूल्य प्राप्त होता है;

(ख) क्या चाय के निर्यात को बढ़ावा देने और इसके निर्यात को लाभकारी बनाने के लिए इस द्विपक्षीय प्रणाली को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है जिससे खुले विश्व बाजार में अच्छी किस्म की चाय के आधार पर चाय का अधिक मूल्य प्राप्त किया जा सके;

(ग) क्या प्लाईवुड के स्थान पर पैकिंग करने का सस्ता सामान बनाकर उत्पादन लागत में कमी करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) जी नहीं। खरीदारियां घरेलू तथा अन्य विदेशी खरीददारों के साथ प्रतिस्पर्धा में सार्वजनिक नीलामियों में की जाती है। भारतीय चायों के लिए सोवियत संघ द्वारा दी गयी कीमतें सामान्यतया बेहतर होती हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) : चाय बोर्ड ने भारतीय पैकेजिंग संस्थान को प्लाईवुड पेटियों के बजाए वैकल्पिक पैकिंग सामग्री विकसित करने संबंधी अध्ययन कार्य सौंपा है।

विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

191. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में विभिन्न योजनाओं के लिये विश्व बैंक और संबद्ध वित्तीय एजेन्सियों से अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त की गई है;

(ख) क्या यह राशि प्रस्तावित राशि से बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों को इस सहायता के उपलब्ध न होने पर किस तरह प्राप्त किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत सहायता संघ द्वारा बैंक के राजकोषीय वर्ष 1986 (1 जुलाई, 1985 से 30 जून, 1986 तक के लिए 250 करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर की विश्व बैंक समूह सहायता सूचित की गई है। संलग्न विवरण में उन परियोजनाओं की सूची, जिनके लिए वित्तीय वर्ष 1985-86 के सम्बन्ध में विश्व बैंक समूह उधार/ऋण भारत के लिए अनुमोदित किए गए हैं, दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वित्त वर्ष 1985-86 के लिए विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त परियोजनाओं की सूची

राशि संयुक्त राज्य अमेरिकी करोड़ डालरों में

क्रम सं०	परियोजना का नाम	उधार/ऋण की राशि		
		अ०पु० और वि०बैं०	अ०वि०सं०	अ०वि०नि०
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग	20.00	...	....
2.	चन्द्रपुर तापीय विद्युत केन्द्र	30.00	....	
3.	रिहन्द विद्युत पारेषण	25.00	...	

1	2	3	4	5
4.	केरल विद्युत परियोजना	17.60	...	....
5.	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम निर्यात विकास	25.00	....	....
6.	राष्ट्रीय सामाजिक वन-पालन	....	16.50	...
7.	आबादी परियोजना IV	...	5.10	...
8.	केरल जल प्रदाय	....	4.10	....
9.	पश्चिम बंगाल लघु सिंचाई	....	9.90	....
10.	महाराष्ट्र सिंचाई-iii	....	16.00	....
11.	राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान-iii	...	7.20	....
12.	लारसन एण्ड टुबरो लिमिटेड	...	...	13.45
13.	गुजरात ग्रामीण आवास वित्त और बिकास निगम	...	....	.... 0.02 (इक्विटी)
14.	बजाज टैम्पो लिमिटेड	....	....	1.562
15.	एस्कार्ट्स लिमिटेड	...	....	0.6

अ० पु० और वि० बैंक – अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और बिकास बैंक

अ० वि० सं०—अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ

अ० वि० नि० —अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी

192. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान देश में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखाधड़ी के कितने मामले पकड़े गए हैं;

(ख) इन धोखाधड़ी के मामलों में कितनी राशि अन्तर्ग्रस्त थी;

(ग) क्या इन धोखाधड़ी के मामले में बैंक कर्मचारियों की सांठ-गांठ पाई गई थी; और

(घ) इन मामलों में कितने बैंक कर्मचारी दोषी पाये गये हैं तथा वर्ष 1985 के दौरान उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जवार्दन पुजारी) : (क) और (ख) धोखाधड़ियों की वास्तविक तारीख के बावजूद, वर्ष 1985 में भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों से देश में 2157 धोखाधड़ियों होने की सूचना मिली थी जिसमें लगभग 53.48 करोड़ रुपये की रकम अन्तर्ग्रस्त थी ।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों के मामले में हुई कुछेक धोखाधड़ियां बैंक कर्मचारियों की लापरवाही/सांठ-गांठ के कारण हुई थीं। 31 मार्च, 30 जून और 30 सितम्बर, 1985 को समाप्त तिमाहियों के सम्बन्ध में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई सूचना के अनुसार, धोखाधड़ियों के मामलों में अन्तर्ग्रस्त दोषी कर्मचारियों की, जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है/की जानी है, की संख्या निम्नानुसार है :

	31.3.85	30.6.85	30.9.85
सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या जिन्होंने निम्नलिखित सूचना दी है :	23	23	17
(एक) धोखाधड़ी के आरोप में सजा पाने वाले कर्मचारियों की संख्या	13	6	4
(दो) उन कर्मचारियों की संख्या जिन्हें भारी/कम सजा दी गई	95	165	71
(तीन) उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमे विचाराधीन हैं	289	289	235
(चार) उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई विचाराधीन है	726	724	477

[हिन्दी]

नकद सहायता के आधार पर विदेशी मुद्रा की वसूली

193. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक या मूल्य आयात और निर्यात नियंत्रक का यह कर्तव्य है कि वह नकद सहायता के आधार पर विदेशी मुद्रा की वसूली करने या वसूली पर नजर रखे;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित विवरण में 1980 से 10 करोड़ रुपये राशि की विदेशी मुद्रा की वसूली न किये जाने 1800 मामले शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो इन मामलों पर अभी तक क्या कार्यवाही कीगई है;

(घ) अब तक कितनी विदेशी मुद्रा वसूल की गई है और वसूल न की गई राशि कितनी है और उसके लिये कौन जिम्मेदार है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने नकद सहायता प्राप्त की है परन्तु विदेशी मुद्रा का भुगतान नहीं किया है, क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां। विदेशी मुद्रा की वसूली करना तथा उस पर निगरानी रखने का मुख्य कार्य रिजर्व बैंक आफ इंडिया का है।

(ख) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उचित दर दुकानों द्वारा आवश्यक रूप से सप्लाई की जाने वाली और केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को आवंटित की जाने वाली वस्तुएं

194. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागरिक पूर्ति के अन्तर्गत उचित दर दुकानों द्वारा आवश्यक रूप से सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं और उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जो केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उनके अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाती हैं; और

(ख) कपास, चावल, गेहू और खाद्य तेलों के अलावा अन्य वस्तुओं के नाम क्या हैं जिन्हें गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को सप्लाई किया गया है। उनकी कितनी मात्रा तथा उन्हें किन मूल्यों पर सप्लाई किया गया तथा उनको यह किस आधार पर उपलब्ध कराई गई और यह वस्तुएं उपभोक्ताओं को किस मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के तहत सात मुख्य आवश्यक वस्तुओं, अर्थात गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल, मिट्टी का तेल, साफ्ट कोक व कंट्रोल का कपड़ा वितरित करने की जिम्मेदारी ले रखी है। तथापि, राज्य सरकारें, अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अन्य वस्तुओं को, जिनकी आपूर्ति की व्यवस्था वे स्वयं कर सकती हैं, शामिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को सप्लाई की गयी सात आवश्यक वस्तुओं की मात्रा तथा उनके केन्द्रीय निर्गम मूल्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

उपभोक्ताओं को जिन मूल्यों पर ये वस्तुएं सप्लाई की जाती हैं उनका निर्णय राज्य सरकार द्वारा ढुलाई, प्रशासन की लागत, उचित दर की दुकानों को दिए जाने वाले मार्जिन तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों को ध्यान ने रखते हुये किया जाता है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को सप्लाई की गई गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल,खाद्य तेल, नियंत्रित कपड़ा तथा साफ्ट कोक की मात्रा तथा उनके निर्गम मूल्यों का विवरण

गेहूं

वर्ष	आवंटित मात्रा (1000 मीटरी टनों में)	केन्द्रीय निर्गम मूल्य
1984 (जनवरी-दिसम्बर)	336.00	172.00 प्रति क्विंटल
1985 (जनवरी-दिसम्बर)	380.00	172.00 प्रति क्विंटल

चावल

(मात्रा 1000 मीटरी टनों में)

1984	12.0	कॉमन	208.00	16-1-1984
(जनवरी-दिसम्बर		फाइन	220.00	से
		सुपर फाइन	235.00	प्रभावी
1985	16.0	कॉमन	217.00	10-10-1985
(जनवरी-दिसम्बर)		फाइन	229.00	से
		सुपर फाइन	244.00	प्रभावी

चीनी

	(मात्रा मीटरी टनों में)	खुदरा मूल्य प्रति कि. ग्रा.)	
1984	192515	4.00	1-2-1984
(जनवरी-दिसम्बर)			से प्रभावी
1985	202639	4.40	1-4-1984
(जनवरी-दिसम्बर)			से प्रभावी
		4.80	1-12-1985
			से प्रभावी

खाद्य तेल

	(मीटरी टनों में)	केन्द्रीय निर्गम मूल्य
1983-84	11920	8500 रुपये प्रति मीटरी टन टीनों में
(नवम्बर-अक्तूबर)		7000 रुपये प्रति मीटरी टन थोक में
		(17-2-1982 से प्रभावी)
1984-85	8380	9500 रुपये प्रति मीटरी टन टीनों में
(नवम्बर-अक्तूबर)		8000 रुपये प्रति मीटरी टन थोक में
		(24-5-1984 से प्रभावी)

साफ्ट कोक

	(मीटरी टनों में)	खदान मूल्य
1983-84	6300	175 रुपये प्रति मीटरी टन
1984-85	20400	

मिट्टी का तेल

	(मीटरी टनों में)	आधारभूत अधिकतम विक्रय मूल्य (बम्बई से बाहर-रुपये प्रति किलो लीटर)
1984	171458	1644.93 (1-4-1983 से प्रभावी)
1985	182647	1891.93 (17-3-1985 से प्रभावी) 1821-93 (26-3-1985 से प्रभावी)

नियंत्रित कपड़ा

	(वास्तविक प्रेषण मानक गांठों में)
1983-84	7770.00
1184-85	4875.75

*एक मानक गांठ 1500 वर्ग मीटर के बराबर है।

धोती का वर्तमान उपभोक्ता मूल्य 2.20 रुपये से 3.85 रुपये प्रति मीटर तथा साड़ी का 2.90 रुपये से 5.85 रुपये प्रति मीटर तथा लांग क्लाथ का 2.90 रुपये से 5.70 रुपये के बीच में है।

आयकर, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क विभागों द्वारा मारे गए छापे

195. **श्री मूल चन्द डागा :**

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर/सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क विभागों द्वारा गत दो वर्षों में कितने छापे मारे गये हैं;

(ख) आर्थिक अपराधों में शामिल पाये गये कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाई की गई है और कुल कितना काला धन वसूल किया गया था ;

(ग) इस अवधि में विदेशी मुद्रा विनियमन के अन्तर्गत बीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क अपवंचन के कितने मामले पकड़े गये; और

(घ) सरकार ने कुल कितनी धनराशि वसूल की है और जिन लोगों के विरुद्ध मुकदमे चलाए गए उनकी संख्या तथा उनके नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना

197. **श्री बी० बी० देसाई :**

श्री ओहरि राव : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने सुझाव दिया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाए;

(ख) क्या उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि छोटे खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहा है; और

(ग) सरकार ने किस सीमा तक योजना क्रियान्वित की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री इस बात पर बल दे रहे हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत किया जाए। इस संदर्भ में केन्द्र सरकार ने सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में और उचित दर की दुकानें खोलें और दूर-दराज के क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में चलती-फिरती उचित दर की दुकानें चलायें, ताकि उपभोक्ता आसानी से इन दुकानों तक पहुंच सकें; प्रत्येक परिवार को राशन-कार्ड दें; भण्डारण और ढुलाई जैसी आधार ढांचे सम्बन्धी सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करें और इसमें सुधार करें; राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर उचित परिवीक्षण प्रणाली विकसित करें; उचित दर दुकानों के स्तर तक उपभोक्ता सलाहकार समितियां स्थापित करें; सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम तैयार करें; निरीक्षण और प्रवर्तन उपायों में सख्ती लाएं; और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में लगी विभिन्न ऐजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय प्रणाली को विकसित करें।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने 19 नवम्बर, 1985 को, समेकित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए उच्च राज सहायता प्राप्त दरों पर गेहूं और चावल देने की एक योजना घोषित की है। इस योजना के तहत मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, लक्षद्वीप और दादरा व नगर हवेली के सम्पूर्ण राज्य व संघ शासित क्षेत्र भी आते हैं। इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन

198. **श्रीमती किशोरी सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुदेश दिया है कि वे अपने उन अधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन करें जिनकी आयु 50 वर्ष हो चुकी है और जिनका कार्य संतोष जनक नहीं पाया जाता उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया जाएं;

(ख) क्या कर्मचारियों की ड्यूटी के प्रति लापरवाही को समाप्त करने और बैंकों में खराब ग्राहक सेवा को सुधारने के लिए अन्य कोई उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इन उपायों का बैंकों में धोखाधड़ी की घटनाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या बैंक अधिकारियों के संगठन न इन कदमों का कड़ा विरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस प्रतिक्रिया पर सरकार के क्या विचार हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों से अधिकारी सेवा विनयमों के विनयम 19(1) के अन्तर्गत उन अधिकारियों के मामलों की समीक्षा करने के लिए कहा है जिनकी 30 वर्ष की सेवा पूरी हो गई हो या जो 55 वर्ष के हो चुके हैं ताकि संदेहास्पद सत्यनिष्ठा और औसत से कम कार्य करने वाले अधिकारियों को सेवा निवृत किया जा सके। इसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर बैंक प्रबन्ध में सुधार लाना है। बैंकों के अधिकरियों और कर्मचारियों में अनुशासन और समय की पावन्दी सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। ग्राहकों की शिकायतों को जल्दी निपटाने के लिए बड़े नगरों में ग्राहक सेवा केन्द्र खोले गए हैं। बैंकों ने ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए आन्तरिक मशीनरी भी विकसित की है। विभिन्न स्तरों के बैंक कार्यपालक अब ग्राहकों के साथ पहले से अधिक सम्पर्क में आते हैं ताकि उन्हें अपनी शाखाओं के काम के स्तर का पता चल सके।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय बैंक संघ और सरकार द्वारा अधिकारियों के संगठन के साथ की गई बैठकों में बैंक अधिकारियों की आशंकाओं का समाधान कर दिया गया है।

[अनुवाद]

दीर्घकालिक आर्थिक नीति के रूप में राष्ट्रीय जमा योजना की नई सीरीज जारी करना

199. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दीर्घकालीन आर्थिक नीति में राष्ट्रीय जमा योजना की नई सीरीज को जारी करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है परन्तु यह महसूस किया कि योजना में परिकल्पित 10 प्रतिशत ब्याज की दर अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के पक्ष और विपक्ष में प्राप्त हुई टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दीर्घावधिक राजकोषीय नीति में प्रस्तावित राष्ट्रीय जमा योजना (एन० डी० एस०) के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग विचार प्रकट किए हैं। कुछ ने ब्याज की दर में वृद्धि करने का सुझाव दिया है; अन्य कुछ ने ब्याज की आय पर धारा 80-ट के लाभों को लागू करने का समर्थन किया है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, छूट के लिए अर्हता प्राप्त, जमा राशियों की अवधि अनुबंधित करने के लिए कहा है।

(ग) योजना पर अन्तिम निर्णय करते समय इन विचारों को ध्यान में रखा जाएगा।

उचित दर की दुकानों के माध्यम से बिक्री हेतु राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों का आयातित खाद्य तेलों का आवंटन

200. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जनवरी, 1986 में "स्माल पैक" योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से बिक्री हेतु आयातित तेलों का आवंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो आवंटित आयातित खाद्य तेलों की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा छोटे पैकों की योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनवरी, 1986 महीने के लिए आवंटित किए गए आयातित खाद्य तेलों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	(मात्रा मी० टनों में) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के तहत आवंटन	छोटे पैकों की योजना के तहत आवंटन
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	5,000	600
2.	असम	200	शून्य
3.	बिहार	400	50
4.	गुजरात	7,500	50
5.	हरियाणा	400	15
6.	हिमाचल प्रदेश	700	शून्य
7.	जम्मू और कश्मीर	325	शून्य
8.	कर्नाटक	2,000	300
9.	केरल	3,000	500
10.	मध्य प्रदेश	1,000	25
11.	महाराष्ट्र	7,700	3,500
12.	मणिपुर	400	शून्य

1	2	3	4
13.	मेघालय	275	शून्य
14.	नागालैण्ड	160	शून्य
15.	उड़ीसा	700	50
16.	पंजाब	1,000	50
17.	राजस्थान	250	50
18.	सिक्किम	150	शून्य
19.	तमिलनाडु	3,600	1,000
20.	त्रिपुरा	160	शून्य
21.	उत्तर प्रदेश	700	100
22.	पश्चिम बंगाल	6,000	300
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	15	शून्य
24.	अरुणाचल प्रदेश	30	शून्य
25.	चण्डीगढ़ प्रशासन	50	10
26.	दादरा व नगर हवेली	35	शून्य
27.	दिल्ली	1,000	450
28.	गोवा, दमण व द्वीप	300	50
29.	लक्षद्वीप	15	शून्य
30.	मिजोरम	190	शून्य
31.	पाण्डिचेरी	240	शून्य
	योग	43,495	5,900

विदेशों से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये प्रस्ताव

201. श्री अख्तर हसन : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के कुछ प्रस्तावों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पर्यटक स्थलों पर आवास तथा परिवहन की आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत का प्रचार और संवर्धन करना पर्यटन विभाग का पहले से चला आ रहा कार्यक्रम/स्कीम है। विदेश स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालयों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली नई और अनुकूल स्कीमों की योजना तैयार करके विदेशों से ज्यादा से ज्यादा यातायात को बढाने के लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जाते हैं। कुछ नए प्रस्ताव जो विभाग में सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं इस प्रकार हैं :—

(1) इण्डिया आन दि हाऊस. यह एक ऐसी स्कीम है जिससे यह आशा की जाती है कि यह कम से कम 2,500 अतिरिक्त पर्यटकों को भारत की ओर आकृष्ट करेगी।

(2) जिस समय पर्यटक कम संख्या में आते हैं उस अवधि के दौरान यूरोप से यातायात का संवर्धन करने के लिए प्रचार और संवर्धनात्मक स्कीम प्रारंभ करना।

(3) "इन इण्डिया दि फेस्टीवल नेवर एण्ड्स" का नारा देते हुए मीडिया प्रचार अभियान चलाना।

(4) प्रैस, टी. वी. और अन्य इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जोरदार विज्ञापन करना।

(5) अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समागमों का संवर्धन करना।

(6) नई पर्यटक प्रचार सामग्री तैयार करना।

(7) संवर्धनात्मक मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(8) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के साथ संयुक्त सवर्धन।

(9) आतिथ्य और मीडिया सम्पर्कों आदि को बढ़ाना।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समुद्र-तट विहार-स्थलों, पर्वत विहार-स्थलों, शीतकालीन खेलों, जल क्रीड़ाओं, वन्य-जीव पर्यटन, पर्वतारोहण और पैदल-भ्रमण (ट्रेकिंग) के विकास, राष्ट्रीय विरासत के क्षेत्रों का सुधार और संरक्षण, बौद्ध पर्यटन का विकास, मितव्ययी श्रेणी आवास की व्यवस्था, स्थल परिवहन सुविधाओं की गुणवत्ती और उपलब्धता में सुधार, आदि को शामिल करते हुए भारत के पर्यटक आकर्षणों का विस्तार करने की दृष्टि से अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ पर्यटन आधार-संरचना का विकास करने के कार्यक्रम को जारी रखने का प्रस्ताव है।

दंत-चिकित्सा उपकरणों के आयात की छूट

202. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक दंत चिकित्सा उपकरणों का निर्माण नहीं किया जाता है और उनका आयात करना पड़ता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन दंत चिकित्सा उपकरणों का आयात करने की छूट देने का है ताकि दंत चिकित्सक इन्हें खरीद सकें तथा शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्र में दंत चिकित्सालय खोल सकें ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी हां। दंत चिकित्सा उपस्करों के लिए आयात नीति पहले ही उदार है। दन्त चिकित्सा उपस्करों, दन्त चिकित्सा यन्त्रों, और उपकरणों के, जो घरेलू तौर उपलब्ध नहीं है, सभी व्यक्तियों द्वारा आयात की खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत अनुमति है जिसके लिए आयात तथा निर्यात नीति 1985-88 (खण्ड 1) के परिशिष्ट 6 की सूची 6 के अनुसार विशेष आयात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशन से को अपने प्रयोग के लिए एक निर्धारित मूल्य सीमा के अन्दर कोई भी दन्त चिकित्सा यन्त्र, उपकरण और उपस्कर के आयात की अनुमति है।

भारत-सोवियत व्यापार में रुपयों में भुगतान प्रणाली

203. **श्री शरद दिघे** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारत-सोवियत व्यापार में उस शताब्दी के अन्त तक रुपये में भुगतान प्रणाली जारी रखने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान भारत-सोवियत व्यापार की राशि का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य-तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भारत और सोवियत संघ के बीच रुपया भुगतान व्यवस्था की अनुमति देने वाले एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो कि 1 जनवरी 1986 से 31 दिसम्बर, 1990 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेगी। जब तक कोई पक्ष करार में संशोधन करने की अपनी इच्छा के बारे में करार की समाप्ति की तारीख से कम से कम छः महीने पहले दूसरे पक्ष को अग्रिम लिखित नोटिस न दे, करार, में एक बार में पांच वर्षों की आगामी अवधि के लिए स्वतः नवीकरण की भी व्यवस्था है।

(ख) 1984-85 के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच कुल व्यापार कारोबार लगभग 3459 करोड़ रु० (अनन्तिम) था जिसमें सोवियत संघ से किए गए आयात 1803 करोड़ रु० के थे तथा भारत से हुए निर्यात 1655 करोड़ रु० के थे।

बीमार कपड़ा मिलें

204. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा किसी और रुग्ण कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लेने से पूरी तरह इंकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की कपड़ा मिलों को रुग्ण होने अथवा घाटे में चलने से बचाने के लिए, विशेषकर उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके उत्पादों को खरीदने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जून 1985 के वस्त्र नीति विवरण के अन्तर्गत, सरकार द्वारा अधिग्रहण अथवा रुग्ण एककों का राष्ट्रीयकरण

रुग्णता की समस्याओं को हल करने की व्यवस्था नहीं है तथा सरकार नियमानुसार ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। नई नीति में वस्त्र उद्योग में रुग्णता का सामना करने के लिए विस्तृत उपाय बताये गए हैं। रुग्ण एकक के पुनर्जीवन के लिए अपेक्षित उपाय रुग्णता पैदा करने के कारणों के विस्तृत एवं वस्तुपरक अध्ययन तथा रुग्ण एकक को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदमों के अभिज्ञात करने पर आधारित होते हैं। सम्भाव्य रूप से अर्थक्षम एककों के मामले में एक पुनरुद्धार पैकेज तैयार किया जायेगा। जैसा कि नई नीति में बताया गया है, इस पैकेज को तैयार करने तथा उसका प्रबन्ध करने के लिए एक नोडीय एजेन्सी की स्थापना की जा चुकी है।

लम्बे रेशे वाली कपास का निर्यात

205. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लम्बे तथा अत्यधिक लम्बे रेशे वाली कपास का विभिन्न देशों को निर्यात करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनको ऐसी कपास का निर्यात किया जाएगा;

(ग) आन्ध्र प्रदेश से लम्बे तथा अत्यधिक लम्बे रेशे वाली किस किस्म की कपास का और कितनी मात्रा का निर्यात किया जाएगा; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश से कपास के इस निर्यात से राज्य की अर्थ-व्यवस्था तथा वहां के किसानों को कितना लाभ होगा ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत सरकार ने चालू रूई मौसम के दौरान निर्यात के लिए अभी तक लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रूई की दस लाख गांठें रिलीज की हैं।

(ख) रूई के निर्यात में सामान्यत: रूई उगाने वाले वे सभी राज्य शामिल हैं जहां पर रूई की अपेक्षित किस्में उगाई जाती हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के पक्ष में निर्यात हेतु लम्बे तथा अतिरिक्त लम्बे रेशे वाली रूई की 20,000 गांठें रिलीज की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रूई निगम तथा उन गैर सरकारी व्यापारियों को रूई की कतिपय मात्राएं आबंटित की गई हैं जो आंध्र प्रदेश में उगाई जाने वाले रूई का भी निर्यात कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश से निर्यात की जाने वाली रूई की किस्में ये हैं : डी जी एच-32, वारालक्ष्मी, एम सी यू-5 तथा सूविन। इस उपाय से रूई की कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी।

केरल के वैयक्तिक दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना वाले जिले

206. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने परिवारों को वैयक्ति लाभ पहुंचा है; और

(ख) केरल के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां यह योजना लागू की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) व्यक्तिगत दुर्घटना सामाजिक सुरक्षा स्कीम, जिसे देश के 91 जिलों में पहले ही लागू कर दिया गया है, के अन्तर्गत आने वाले परिवारों की संख्या अनुमानतः 1.14 करोड़ है ।

(ख) यह स्कीम केरल के तीन जिलों, अर्थात् इदुक्की, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम में लागू की गई ।

नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध

207. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नए पदों के सृजन और वर्तमान खाली पदों को भरने पर सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व लगाए गए प्रतिबंध को बढ़ा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आदेश के कब तक वापस लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को अति असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अन्य परिस्थितियों में किन्हीं नये पदों का सृजन न करने अथवा विद्यमान रिक्तियों को न भरने की सलाह देते हुए जनवरी, 1984 में जो अनुदेश जारी किए गए थे, वे मुद्रास्फीति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में थे । जिन परिस्थितियों में ये मितव्ययता-अनुदेश जारी किए गए थे उनमें तब से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे उनमें किसी प्रकार की ढील देने की आवश्यकता हो ।

खाद्य तेलों के और आयात को रोकने का निर्णय

208, **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेलों का और आयात को रोकने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे घरेलू खाद्य तेलों के मूल्यों में और वृद्धि होगी;

(ग) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों में खाद्य तेलों की संभावित मांग और सप्लाई का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के पंजा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) जी हां । कृषि मंत्रालय के सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक के तिलहनों के उत्पादन सम्बन्धी अनुमानों को ध्यान में रखते हुए नागरिक पूर्ति विभाग में गठित किए गए खाद्य तेलों से सम्बन्धित उप-दल ने खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में अनुमान

लगाया है । उक्त उप-दल के अनुसार सातवीं योजना के अन्त तक खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत 7.5 कि० ग्रा० के लगभग होने का अनुमान है । देशीय खाद्य तेलों की वास्तविक आपूर्ति, आदानों की उपलभ्यता तथा मानसून की स्थिति जैसी बातों पर निर्भर करेगी ।

फालतू गेहूं के लिए विदेशी मण्डियों का पता लगाना

209. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध फालतू गेहूं के लिए निर्यात बाजारों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन देशों को फालतू गेहूं तथा अन्य खाद्यान्नों का निर्यात किया जा सकता है; और

(ग) चालू बाजार कीमतों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देने हेय सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) इस समय गेहूं की कीमतें कम चल रही हैं और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतियोगिता है । तथापि, अपने अधिशेष गेहूं के लिए बाजारों का पता लगाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

व्यापार असन्तुलन और विदेशी मुद्रा भंडार पर उसका प्रभाव

210. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985-86 के दौरान देश का व्यापार संतुलन लगभग 9000 करोड़ रुपये होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इतना अधिक व्यापार असन्तुलन होने के क्या कारण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को विदेशी मुद्रा के अपने रक्षित कोष से कितनी राशि देनी पड़ेगी;

(घ) देश में पहले से विद्यमान मुद्रा स्फीति के रुख पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) क्या इसके परिणामस्वरूप रुपये का अवमूल्यन होने की संभावना है; और

(च) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने और सातवीं पंच वर्षीय योजना अवधि के लिए अधिक साधन जुटाने हेतु नये निर्यात बाजारों का पता लगाने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) ठीक-ठीक उस व्यापार घाटे को बताना बहुत कठिन है जो वित्तीय वर्ष 1985-86 के अन्त में हमारा होगा । तथापि, मोटे अनुमानों के अनुसार ऐसी संभावना है कि इस वर्ष घाटा पिछले वर्ष से अधिक होगा ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय बातों के अलावा, भारी व्यापार घाटे के लिए उत्तरदायी देश के अन्दर बम्बई हाई क्रूड के लिए परिष्कृत करने की क्षमता के विकास के कारण क्रूड तेल के निर्यात को बंद करना और औद्योगिक कच्चे माल, उर्वरकों, मशीनरी एवं परिवहन उपस्कर तथा उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के आयातों में वृद्धि को ठहराया जा सकता है ।

(ग) से (ङ) विदेशी मुद्रा रिजर्व में संचलन, कीमत स्थिति तथा रुपये का मूल्य कई बातों पर निर्भर करता है । अत: यह बताना कठिन है कि किस सीमा तक व्यापार घाटे का उन पर प्रभाव पड़ेगा ।

(च) हमारे निर्यातों को बढ़ाना, हमारे उत्पादन आधार का विविधीकरण करना, हमारे उत्पादन साधनों का आधुनिकीकरण करना, सरकार द्वारा उठाये गये कुछ कदम हैं। औद्योगिक तथा राजकोषीय नीतियों में आशोधन और आवधिक संशोधन करना भी अतिरिक्त उपाय हैं जो समय-समय पर किये जाते हैं ।

आवश्यक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक

211. **श्री हुसैन दलवाई :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि रोकने के लिए सरकार का विचार क्या प्रभावी कदम उठाने का है;

(ख) क्या मूल्य सूचकांक में उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार यह महसूस करती है कि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए किये गये उपाय वांछित परिणाम प्राप्त करने में अपर्याप्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का विचार और क्या कदम उठाने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सरकारी नीति में मुख्य बल विशेषकर उन आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर दिया जा रहा है, जो कम मात्रा में उपलब्ध है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुप्रवाही बनाया जा रहा है तथा इसका विस्तार किया जा रहा है । घरेलू आपूर्ति को पूरा करने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात किया जाता है । आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया जाता है । राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर-बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के तहत चोर-बाजारियों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

केवल हथकरघा बुनकरों द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुएं

212. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **वस्त्र** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा उत्पादन के लिए (वस्तु आरक्षण) अधिनियम 1985 की धारा 4 में की गई व्यवस्था के अनुसार परामर्श समिति का गठन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने कुछ विशेष प्रकार के कपड़े केवल हथकरघा द्वारा उत्पादन करने के बारे में कोई सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें हथकरघा क्षेत्र में अनन्य तौर पर उत्पादन के लिए आरक्षित की जाने वाली मदों की सूची के बारे में सिफारिशें दी गई हैं । रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है ।

भारतीय व्यापार का आयात-निर्यात अनुपात

213. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 में भारतीय व्यापार का आयात और निर्यात अनुपात क्या रहा;

(ख) निर्यात और आयात के बीच अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) वे मुख्य वस्तुएं कौन सी हैं जिनका अधिक आयात किया गया और आयात को कम करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) वे कौन सी मुख्य वस्तुएं हैं जिनका निर्यात किया जाता है और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान भारत के आयात व निर्यात क्रमश: 9,141.63 करोड़ रु० और 5017.63 करोड़ रु० के हुए और इस प्रकार आयात निर्यात का अनुपात 9:5 रहा ।

(ख) से (घ) उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-सितम्बर, 1984 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान भारत के निर्यातों की जिन प्रमुख मदों में वृद्धि दिखाई दी थी उनमें शामिल हैं : काफी, काजू, गिरी, फल तथा सब्जियां (काजू गिरी के अतिरिक्त), समुद्री उत्पाद, चावल, लौह अयस्क, सूती वस्त्र, सिले सिलाये परिधान, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुएं (फुटवियर के अलावा), रत्न तथा आभूषण, हाथ से बने कालीन, और मशीनें व परिवहन उपस्कर । उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर अप्रैल-सितम्बर; 1984 की तुलना में अप्रैल-सितम्बर, 1985 के दौरान भारत के आयातों की जिन प्रमुख मदों में वृद्धि दिखाई दी थी उनमें शामिल है : पैट्रोलियम, पैट्रोलियम उत्पाद तथा सम्बन्धित उत्पाद, वनस्पति तेल, जमे हुए खाद्य तेल), कार्बनिक तथा अकार्बनिक रसायन, विनिर्मित उर्वरक, मोती, मूल्यवान तथा अर्ध मूल्यवान रत्न, लोहा तथा इस्पात, अलौह धातुएं तथा मशीन और परिवहन उपस्कर ।

सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में शामिल हैं : हमारे निर्यातों में वृद्धि करना, हमारे उत्पादन आधार का विविधीकरण, हमारे उत्पादन साधनों का आधुनिकरण। हमारी औद्योगिक तथा राजकोषीय नीतियों में आशोधन तथा सावधिक संशोधन भी अतिरिक्त उपाय हैं जो समय-समय पर किये जाते हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आयात योग्य वस्तुओं विशेष रूप से बल्क आयातों के क्षेत्र में अपने स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

1985 में भारत यात्रा पर आए विदेशी पर्यटक

214. **श्री शाहबुद्दीन** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 के दौरान कितने विदेशी पर्यटक भारत यात्रा पर आये;

(ख) उनका देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में औसतन कितने दिन व्यतीत किये गए; और

(घ) वर्ष के दौरान इसके परिणाम स्वरूप अनुमानित कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 1985 के दौरान भारत आये विदेशी पर्यटकों की संख्या 12, 59, 384 थी जिनमें पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिक शामिल हैं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) भारत में विदेशी पर्यटकों के ठहरने की औसत अवधि लगभग 28 दिन है।

(घ) रिजर्व बैंक आफ इन्डिया से आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

विवरण

राष्ट्रिकता के देश के आधार पर भारत में पर्यटक आगमन

1985

राष्ट्रिकता का देश	अनन्तिम अनुमान
1	2
उत्तर अमरीका	
कनाडा	24,940
यू० एस० ए०	95,491
जोड़	120,431
मध्य और दक्षिण अमरीका	
अर्जेंनटाईना	1,088

1	2
ब्राजील	1,674
मैक्सिको	1,841
अन्य	4,185
जोड़	8,788
पश्चिमी यूरोप	
आस्ट्रिया	6,695
बेल्जियम	6,193
डेनमार्क	5,524
फिनलैंड	2,092
फ्रांस	44,356
फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी	42,850
यूनान	1,925
इटली	22,094
नीदरलैंड	13,391
नार्वे	2,678
स्पेन	7,951
स्वीडन	7,365
स्विटजरलैंड	13,725
यू० के०	119,678
अन्य	5,356
जोड़	301,873
पूर्वी यूरोप	
चेकोस्लोवाकिया	921
यू० एस० एस० आर०	12,303
यूगोस्लाविया	1,674
अन्य	12,553
जोड़	27,451
अफ्रीका	
कीनिया	6,277

1	2
मारीशिस	2,845
नाईजिरिया	11,968
दक्षिण अफीका	3,682
तंजानिया	4,268
मिश्र	1,758
अन्य	11,131
जोड़	41,929
पश्चिम एशिया	
लेबनान	753
फारस की खाड़ी के देश	55,989
सऊदी अरब	22,680
अन्य	15,400
जोड़	94,822
दक्षिण एशिया	
अफगानिस्तान	6,361
श्री लंका	73,313
ईरान	23,936
अन्य	17,240
जोड़	120,850
दक्षिण पूर्वी एशिया	
इन्डोनेशिया	2,009
मलेशिया	22,345
फिलिपिंस	3,348
सिंगापुर	18,245
थाईलैंड	6,360
अन्य	1,925
जोड़	54,232

1	2
पूर्व एशिया	
जापान	30,798
हांगकांग	1,172
अन्य	7,281
जोड़	39,251
आस्ट्रेलिया	
आस्ट्रेलिया	21,425
न्यूजीलैंड	4,184
अन्य	1,088
जोड़	26,697
राष्ट्रिकताहीन	584
जोड़	836,908
पाकिस्तान	150,126
बंगलादेश	272,350
जोड़	422,476
कुल जोड़	1,259,384

भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की खरीद

215. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 मौसम के दौरान भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की राज्यवार कितनी मात्रा खरीदी गई और उसका प्रति यूनिट कितना औसत मूल्य दिया गया;

(ख) भारतीय पटसन द्वारा राज्यों में कच्चे पटसन के कुल उत्पादन का राज्यवार कितना भाव खरीदा गया;

(ग) भारतीय पटसन निगम ने पटसन मिलों से उन्हें सप्लाई किये गये पटसन का कितना औसत मूल्य वसूल किया; और

(घ) क्या वर्ष 1985 के दौरान टाट की बोरी का प्रति यूनिट मूल्य कम हो गया है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) वाणिज्यिक कार्य के अधीन राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम के बिक्री के लिए भारतीय जूट निगम द्वारा आसाम मूल के डब्ल्यू-5 ग्रेड जूट के लिए ली जा रही औसत कीमत का हिसाब 318/-रु० प्रति क्विंटल आता है।

(घ) कच्चे जूट की कीमत में गिरावट के परिणामस्वरूप, 1985 के उत्तरार्द्ध से बोरी की इकाई लागत में कमी आयी है।

विवरण

(क) भारतीय जूट निगम द्वारा चालू जूट सीजन 1985-86 के दौरान 14-2-86 तक खरीदे गए कच्चे जूट की राज्य-वार कुल मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :

राज्य	गांठों में, प्रत्येक गांठ 180 किग्रा० की भारतीय जूट निगम द्वारा वसूली	
	वाणिज्यिक कार्य	कीमत समर्थन कार्य
आसाम	25,783	3,06,566
बिहार	8,453	3,66,690
वैस्ट बंगाल	88,660	15,61,132
त्रिपुरा	1,355	1,28,645
आन्ध्र प्रदेश	----	63,973
उड़ीसा	9,634	83,313
मेघालय	566	16,666
उत्तर प्रदेश	----	6,129
योग	1,34,441	25,33,114

गत वाणिज्यिक खरीदारियां समर्थन स्तर से ऊपर 25 रु० प्रति क्विंटल की कीमत समूह के भीतर की गई उस समय कीमत समर्थन की सरकार द्वारा 1985-86 सीजन के लिए निर्धारित सांविधिक न्यूनतम कीमतों पर की गई थीं। डब्ल्यू-5 ग्रेड एक्स-आसाम के लिए मूल कीमत 215 रु० प्रति क्विंटल थी।

(ख) 1985-86 अ के दौरान जूट तथा मेस्टा का राज्य वार अनुमानित उत्पादन तथा भारतीय जूट निगम द्वारा 14- -86 तक वसूल मात्रा निम्नोक्त प्रकार है :

राज्य	लाख गांठों में, प्रत्येक गांठ 180 किग्रा०	
	अनुमानित उत्पादन	जे० सी० आई० द्वारा वसूल मात्रा
1	2	3
वैस्ट बंगाल	46.50	16.50
बिहार	13.00	3.75
आसाम	10.55	3.32

1	2	3
मेघालय	0.76	0.17
त्रिपुरा	0.95	1.30
उड़ीसा	7.20	0.93
आन्ध्र प्रदेश	6.86	0.64
उत्तर प्रदेश	2.50	0.06
अन्य	1.15	...
योग	89.49	26.67

नोट : उपरोक्त उत्पादन अनुमान जूट विकास निदेशालय द्वारा संकलित आंकड़ों पर आधारित हैं। तथापि, वर्तमान संकेत ऐसे हैं कि जूट/मेस्टा का अखिल भारतीय उत्पादन लगभग 95 लाख गाठें होने की संभावना है और त्रिपुरा-उत्पादन लगभग 1.75/200 लाख गाठें होने की आशा है।

महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में मेरिन पार्क परियोजना

216. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या संसदीय कार्य और पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण के सिद्ध दुर्ग जिले में मालवा तट पर मेरिन पार्क, परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मालवा में मेरिन पार्क का निर्माण कार्य कब शुरू होगा और कितनी अवधि में यह कार्य पूरा हो जाएगा; और

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह परियोजना पिछड़े क्षेत्र कोंकण में हैं, इसे कोई प्राथमिकता दी जाएगी ?

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग को सिद्ध दुर्ग जिले में मालवा तट पर मेरिन पार्क परियोजना के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, महाराष्ट्र सरकार ने एक स्कीम पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग को केन्द्रीय सहायता के लिए भेजी है। पर्यावरण विभाग ने राज्य सरकार को सूचित किया है कि इस परियोजना के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत वित्त-पोषण किया जा सकता है बशर्ते इन क्षेत्र को वन्य जीव अधिनियम के अधीन एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया जाए।

सातवीं योजना में उड़ीसा में बैंकों की शाखाएं खोलना

217. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में बैंकों की शाखाएं खोलने संबंधी लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना अवधि में उड़ीसा में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोलने संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य-पद्धति में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सातवीं योजना की अवधि की शाखा लाइसेंसिंग नीति में प्रत्येक खण्ड के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय की परिकल्पना की गयी है। इस नीति का उद्देश्य बड़ी-बड़ी स्थानिक दूरियों को भी समाप्त करना है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि किसी गांव से बैंक शाखा की दूरी प्रायः 10 किलो-मीटर से अधिक न हो।

(ख) और (ग) वर्ष 1982 से 1985 तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति में मुख्य जोर इस बात पर था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाया जाए। संक्षेप में, इस नीति में यह परिकल्पना की गई थी कि मार्च 1985 के अन्त तक प्रत्येक जिले के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 1981 की जनगणना के आधार पर 17,000 की आबादी के पीछे औसतन एक बैंक कार्यालय होना चाहिए। उड़ीसा राज्य के लिए यह हिसाब लगाया गया था कि वहां पर लगभग 350 नये कार्यालय खोलने की ज़रूरत होगी और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नाम उड़ीसा में 482 प्राधिकार पत्र जारी किये थे। इन में से बैंकों ने वास्तव में 449 शाखाएं खोली हैं और 30 सितम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार राज्य के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 17,000 की आबादी के पीछे औसतन एक बैंक कार्यालय है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के नाम बैंकों की कम शाखाओं वाले खण्डों में स्थित केन्द्रों के लिए 30 जून, 1986 तक की वैधता अवधि के नये लाईसेंस जारी करने के लिए पहले ही अनुदेश दे दिये हैं ताकि बैंक लम्बित लाइसेंसों का उपयोग कर सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1985 से 1990 तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार और उड़ीसा राज्य के अग्रणी बैंकों के नाम विस्तृत मार्ग-निर्देश भी जारी कर दिये हैं ताकि अग्रणी बैंकों, अन्य बैंकों तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के ऐसे दलों का गठन किया जा सके जो भावी ग्रामीण विकास केन्द्रों का पता लगा सकें और उनके नामों के विषय में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर सकें।

कोचीन में चाय की नीलामी

218. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है कि दिसम्बर, 1985 में कोचीन बन्दरगाह पर हुई चाय नीलामी के दौरान संकट का सामना करना पड़ता था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा भारत में चाय के निर्यात में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए है ?

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) चाय निर्यात को बढ़ाने के उपायों में शामिल है, ब्रांड संवर्धन, विदेशों में गोदाम बनाना और साथ ही मूल्य वर्धित चाय पर नकद मुआवजा सहायता देना । चाय बोर्ड विदेशों में अपने कार्यालयों के माध्यम से संवर्धनात्मक अभियान चलाता है ।

वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण

219. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में और वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में बैंकिंग क्षेत्र में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से आम सुझाव प्राप्त होते रहते हैं । अलबत्ता, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं ।

सीमा शुल्क की चोरी करने वालों की सूचना देने वालों का हिस्सा

220. **डा० चिंता मोहन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों और गैर सरकारी कर्मचारियों को पकड़े गए माल के मूल्य के 20 प्रतिशत के रूप में वर्ष 1985 के दौरान कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) सीमा शुल्क विभाग के एक ही व्यक्तियों को अधिकतम कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) क्या पुलिस, रेलवे कर्मचारियों और अन्य सेवाओं के कर्मचारियों को इसी प्रकार के वित्तीय पुरस्कार देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है । तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया सामान

221. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से सितम्बर, 1985 की अवधि के दौरान 67 करोड़ रुपये के मूल्य का सामान जब्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इन आंकड़ों का आकलन शुल्क रहित अथवा शुल्क प्रदत्त आधार पर किया गया है;

(ग) क्या उक्त सामान की बिक्री से केवल 49 करोड़ रुपए प्राप्त हुए;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त (क) में उल्लिखित जब्त किये गये सामान का वास्तविक बाजार मूल्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जनवरी-सितम्बर, 1985 की अवधि के दौरान लगभग 63 करोड़ रुपये मूल्य का निषिद्ध माल जब्त किया गया था ।

(ख) अभिगृहीत/जब्तशुदा माल का मूल्यांकन उस कीमत के आधार पर किया जाता है जो उस वस्तु से प्राप्त हो सकता है जब उसे खुले बाजार में पुनः बेचा जाता है। माल के इस प्रकार निर्धारित किए गए बाजार मूल्य में सीमाशुल्क का अंश भी सम्मिलित होगा ।

(ग) से (ङ) जनवरी-सितम्बर, 1985 की अवधि के दौरान बेचे गए जब्तशुदा माल की कीमत लगभग 52 करोड़ रुपए हैं। नष्ट होने वाली वस्तुओं को छोड़कर अपील की अवधि के समाप्त हो जाने अथवा अपीलों का निपटान हो जाने के बाद जब्तशुदा माल की नीलामी अथवा बिक्री के लिये लाया जाता है । अतः, जनवरी-सितम्बर, 1985 के दौरान बेचे गए माल के मूल्य का उस अवधि के दौरान जब्त किए गए माल के मूल्य से संबंध नहीं बैठाया जा सकता । इसके अतिरिक्त, अभिग्रहण और अन्तिम निपटान की अवधि के बीच समय का अन्तर होने की वजह से, भण्डारण, वारंटी के नहीं होने और बिक्री के उपरान्त की सेवा और प्रौद्योगिकी लोप के कारण माल का बिक्री मूल्य भी अपेक्षाकृत कम हो सकता है । इसके अलावा, राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी महासंघों के माध्यम से बेचे गए माल के नियत किये गये बिक्री मूल्य पर 14.5% की छूट और अन्य सहकारी समितियों तथा प्राधिकृत अभिकरणों के माध्यम से बेचे गए माल के नियत किये गये बिक्री मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है ।

उपभोक्ता संबंधी कार्य निपटाने के लिए एक उपभोक्ता आयोग की स्थापना

222. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में 20-21 दिसम्बर, 1985 को आयोजित उपभोक्ता संबंधी विचार गोष्ठी में सभी स्वयंसेवी एजेन्सियों ने अनुरोध किया है कि विदेशों की तरह गैर-सरकारी, सार्वजनिक और सरकारी क्षेत्र में समान माल और सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु उपभोक्ताओं के सभी कार्य के लिए एक पृथक, आदर्श मंत्रालय का गठन किया जाए; और

(ख) क्या सरकार एक ऐसा उपभोक्ता आयोग स्थापित करने पर विचार कर रही है जिसका अध्यक्ष कोई गैर सरकारी व्यक्ति हो और उसमें सरकारी प्रतिनिधित्व हो ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) 20-21 जनवरी, 1986 को नई दिल्ली में एक संगोष्ठी हुई थी। इसमें भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों ने एक केन्द्रक उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के गठन का सुझाव दिया था।

(ख) सरकार का उपभोक्ता आयोग गठित करने का प्रस्ताव नहीं है, परन्तु उसने अनुचित व्यापार पद्धतियों, जैसे मिलावट करना, कम तोलना आदि से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। राज्य सरकारों को, जो महत्वपूर्ण उपभोक्ता संरक्षण कानूनों को लागू करती हैं, सलाह दी गई है कि वे उपभोक्ता संरक्षण के लिए कार्रवाई आरम्भ करें।

सीमा शुल्क वसूल करना

223. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 126 "लैंड कस्टम स्टेशन" और 17 "कस्टम एयरपोर्ट" हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक स्टेशन/एयरपोर्ट में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रवेशकों की संख्या कितनी थी;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक में प्रति वर्ष सीमाशुल्क की कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(घ) प्रवेशकों की सीमा-शुल्क के कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ के कारण सरकार को सीमा शुल्क की कितनी धनराशि का नुकसान होने का अनुमान है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश में 129 भू-सीमाशुल्क विमान पत्तन हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

12.00 **मध्यान्ह**

[अनुवाद]

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : आपने मूल्य वृद्धि के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। नियमानुसार, आप चर्चा करवाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम स्थगन प्रस्ताव रखना चाहते हैं, चर्चा नहीं करना चाहते।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : स्थगन प्रस्ताव में निंदा का पुट है और हम सरकार की निंदा करना चाहते हैं। इसीलिए हम स्थगन प्रस्ताव पर जोर दे रहे हैं।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम स्पष्ट रूप से स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दे सकते। किंतु हम इस पर चर्चा किए जाने का स्वागत करते हैं और आप जो कहेंगे, हम मानने के लिए तैयार हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यह मंत्री महोदय पर निर्भर नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे पेट्रोलियम पदार्थों, उर्वरकों और अन्य आवश्यक वस्तुओं में मूल्यों में हुई अत्यधिक वृद्धि के संबंध में मुझे स्थगन प्रस्ताव की चालीस सूचनाएँ सदस्यों से प्राप्त हुई हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

1. प्रो० मधु दंडवते
2. श्री ए० जे० वी० बी महेश्वर राव
3. श्री डी० एन० रेड्डी
4. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी
5. श्री मानिक रेड्डी
6. श्री कटूरी नारायण स्वामी
7. श्री एच० ए० डोरा
8. श्री आनन्द गजपति राजू
9. श्री भट्टम श्री राममूर्ति
10. श्री सी० माधव रेड्डी
11. श्री एम० रघुमा रेड्डी
12. डा० टी० कल्पना देवी
13. श्री इन्द्रजोत गुप्त

श्रीमती गीता मुखर्जी

श्री नारायण चौबे

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह

14. श्री श्रीहरि राव
15. श्री दिनेश गोस्वामी
16. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर
17. श्री बसुदेव आचार्य
18. श्री सैफुद्दीन चौधरी
19. श्री हन्नान मोल्लाह
20. श्री डी० बी० पाटिल
21. श्री रेणुपद दास
22. श्री सोमनाथ चटर्जी
23. श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी
24. डा० सुधीर राय
25. श्री पी० अप्पालानरसिंहम
26. श्री सी० सम्बु
27. श्री वी० तुलसीराम
28. श्री जी० विजय रामा राव
29. श्री ई० अय्यपू रेड्डी
30. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी
31. श्री गोपाल कृष्ण थोटा
32. श्री जी० एम० बनातवाला
33. श्री इब्राहीम सुलेमान सेट
34. श्री सुरेश कुरूप
35. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन
36. श्री वी० किशोरचन्द्र एस० देव
37. श्री अब्दुल रशीद काबुली
38. श्री चिन्त महाटा
39. श्री अमर राय प्रधान
40. श्री काली प्रसाद पांडेय

प्रो० मधु दंडवते द्वारा भेजा गया नोटिस सबसे पहले मिला है । इसमें कहा गया है—

"संसद के बजट सत्र की पूर्व संध्या पर उर्वरकों और पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में की गई भारी वृद्धि से बजट प्रक्रिया का महत्व कम हुआ है और आम आदमी को बहुत कठिनाई हुई है।"

मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सहमति देता हूं। प्रो० मधु दंडवते अब सभा की अनुमति ले सकते है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं प्रस्ताव करता हूं मूल्यों में वृद्धि के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत रखने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : क्या अनुमति का विरोध किया जा रहा है?

श्री एच० के० एल० भगत : यह स्थगन प्रस्ताव है। मैं प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता, किंतु हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य अनुमति दिए जाने के पक्ष में हों, वे अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है। अतः अनुमति दी जाती है। नियम 61 के अन्तर्गत, स्थगन प्रस्ताव 4 बजे तक शुरू किया जाएगा.....

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों?

अध्यक्ष महोदय : आचार्य जी, आप हर समय मेरी बात में बाधा मत डाला कीजिए। यह मेरा अधिकार क्षेत्र है। यह चर्चा 4 बजे या उससे पहले शुरू की जाएगी और इस के लिए ढ़ाई घंटे का समय दिया जाता है। यदि सभा सहमत हो, तो हम औपचारिक मदों के पूरा होने के तुरन्त बाद इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। हम इस चर्चा को निर्धारित समय में पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। इस सम्बन्ध में सभा के सामने तीन विकल्प हैं। मैं इन्हें सभा के समक्ष रखता हूं। :

(1) गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को बीच में छोड़कर नियमानुसार इस चर्चा को आज 4 बजे शुरू किया जाए;

(2) औपचारिक कार्य समाप्त होने के तुरन्त बाद इस पर चर्चा शुरू की जाए और 3.30, म० प० से पहले समाप्त करली जाए;

(3) आज अथवा मंगलवार को सभा की अगली बैठक में सांय 6 बजे चर्चा शुरू की जाए।

ये चार विकल्प हैं। सभा के सामने तीन नहीं बल्कि चार विकल्प हैं। क्योंकि एक बार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने के बाद इसे पूरा करना होता है। मैं उसे अधूरा नहीं छोड़ सकता।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय अभी-अभी कार्य मंत्रणा समिति में इस बात पर सहमति हो गई थी कि हम पर तुरन्त चर्चा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई समस्या नहीं है । इसका कोई विरोध करने वाले नहीं है । वे भी तैयार हैं । सत्तारूढ़ दल के सदस्य तैयार हैं । आप भी तैयार हैं और में भी तैयार हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीराहाट) : चौथा विकल्प यह है कि हम इसे अभी तुरन्त शुरू कर दें और 3.3० बजे इसे रोककर, गैर सरकारी सदस्यों के कार्य निपटा लिए जाए और फिर हम 6.00 बजे म. प्र. के बाद यह चर्चा जारी रख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं·····

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : कार्य मंत्रणा समति में इस पर सहमति व्यक्त की गई थी ।

अध्यक्ष महोदय : सहमति हो गई थी । लेकिन मैंने नियमों को देखा । एक बार स्थगन प्रस्ताव शुरू होने के बाद, उसे पूरा करना होता है, उसे चाहे कभी शुरू करें·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह विकल्प इसी कारण आपके सामने रख रहा हूं । यह सभा पर निर्भर है । लेकिन एक बार इस पर चर्चा शुरू होने पर वह पूरी की जानी चाहिए·····

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है जिसमें यह कहा गया है कि आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को बीच में नहीं रोक सकते । सभा की सहमति से ऐसा किया जा सकता है । यह अधिक सुविधाजनक होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा की सहमति जाननी है ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप सभा को यह बता सकते हैं कि कार्य मंत्रणा समिति में हमने एकमत से यह निर्णय लिया है, सहमति की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता । लेकिन नियमों में ऐसी व्यवस्था है जो मैं कह रहा हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप सभा को सूचना दे सकते हैं । कि कार्य मंत्रणा समिति को यह राय है । यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था । उसमें संसदीय कार्य मंत्री भी उपस्थित थे ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप ऐसा कर सकते हैं । इसके लिए नियम 389 है । उसके अनुसार आपको यह अधिकार हैं·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे और आपको इन नियमों का पालन करना है। तथापि, एक बार इस प्रस्ताव पर "कि सभा अब स्थगित हो" चर्चा शुरू होने के बाद उसे पूरा करना ही पड़ता है और चर्चा को बीच में रोके बिना निर्णय पर पहुंचना पड़ता है चाहे कोई सरकारी या गैर-सरकारी काम इस बीच में लिया जाना हो।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय में एक सुझाव देना चाहता हूं। ऐसा पहले भी हुआ है। गैर सरकारी सदस्यों का कार्य कल तक अन्य दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं,.....

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय; स्पष्ट है कि सरकार इस स्थगन प्रस्ताव पर सही ढंग से चर्चा करवाना ही नहीं चाहती।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ जी, ऐसा कुछ मत कहिए जिससे अनावश्यक रूप से अन्य बातों पर चर्चा शुरू हो जाए। इस चर्चा के प्रति सबकी एक राय है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। मैंने देखा है कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सदस्य इस पर चर्चा करने को तैयार हैं। प्रश्न केवल इतना है कि यह कब की जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस सभा में ऐसे पूर्वोदाहरण हैं कि कुछ अवसरों पर गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य स्थगित किया गया है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि सारी सभा एकमत से सहमत हो तो मुझे इसमें कोई कठिनाई नहीं है। फिर चाहे आप गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को भी निपटा लें। परन्तु यदि एक भी सदस्य इससे असहमत हो तो मैं इसकी स्वीकृति नहीं दे सकता।

प्रो० मधु दंडवते : पहले ऐसा हुआ है। महोदय, पहले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को आगे के लिए स्थागित किया गया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे 4 बजे शुरू करके समाप्ति तक कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम चाहते हैं कि इसे प्राथमिकता दी जाए। महोदय, गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को किसी और दिन के लिए स्थागित किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि हम चर्चा 4 वजे करेंगे तो गैर सरकारी सदस्यों के कार्य का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : जब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जायेगी तो गैर सरकारी सदस्यों का कार्य समाप्त हो जायेगा। नियमानुसार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 4 बजे शुरू की जा सकती है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर मंगलवार को चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : जैसा कि आपने सभा में कहा है इस पर चर्चा 4 बजे या उससे पहले की जा सकती है। यदि औपचारिक कार्य समाप्त करने के बाद इस पर चर्चा की जाती है तो हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी दल कुछ भ्रमित सा है। हम इसमें उनकी सहायता नहीं कर सकते। वे निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। वे तैयारी करके नहीं आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम इस पर चर्चा 4 बजे शुरू कर सकते हैं? हम इसे 4 बजे शुरू करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी चर्चा तब तक होती रहेगी जब तक कि वह समाप्त नहीं हो जाती।

श्री विजय एन. पाटिल (एरंडोल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का क्या प्रश्न है?

श्री विजय एन० पाटिल : प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अधिकार पर प्रतिबन्धों सम्बन्धी नियम 58 (पांच) के अनुसार जिस विषय पर किसी एक सत्र में चर्चा हो चुकी है उसी प्रस्ताव पर उसी सत्र में पुनः चर्चा नहीं की जायेगी। हम प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत प्रश्न काल के दौरान इस पर चर्चा कर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसे रद्द किया जाता है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैं आपका ध्यान एक अत्यधिक गंभीर विषय की ओर दिलाता हूं। पाकिस्तान की संसद में एक स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की गई है जिसमें ....

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति दूंगा। यदि मेरे पास समय हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। कृपया अब बैठ जाइये।

प्रो० के० के० तिवारी : पाकिस्तानी मंत्री ने वाद-विवाद का उत्तर देते समय कहा है कि भारत में जो कुछ हो रहा है उससे यहां के लोग उदासीन नहीं रह सकते। मुझे आशा है कि यहां के विपक्षी दल भी इस देश की सुरक्षा के प्रति उतनी ही चिंता व्यक्त करेंगे जितनी छोटे-छोटे मामलों की कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे। आप चिंता मत करिये।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्हें इस पर भी उतनी ही चिंता व्यक्त करनी चाहिए।

श्री पी० कुलनदई वेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : श्री लंका के संबंध में मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है, उसका क्या हुआ? कार्य मंत्रणा समिति में आज.....

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर विचार करेंगे। आप वहां पर उपस्थित नहीं थे। हमने निर्णय किया है कि हम एक-एक करके प्रत्येक विषय पर विचार करेंगे।

श्री चम्पन थामस (मवेलिकरा) : माननीय वित्त मंत्री ने सभा में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व ही बजट प्राक्कलनों की उद्घोषणा कर दी है.....

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये । पहले ही मुझे कुछ सामग्री प्राप्त हो गयी है । मैं इसे कल दूंगा ।

श्री चम्पन थामस : मैंने उस पर एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । मैं अपना निर्णय दूंगा ।

12.12 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारिवृन्द) (92वां संशोधन) विनियम, 1986

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारि-वृन्द) (92वां संशोधन) विनियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई० पी० 8(1)/84 में प्रकाशित हुए थे तथा तत्संबंधी एक शुद्धि-पत्र जो 12 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 13(1)/86-बी० सी० में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1962/86]

पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग, का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) पूर्वोत्तर हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1963/86]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचनायें; आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत अधिसूचनायें; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनायें; केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 के अधीन अधिसूचनायें; और भारतीय जीवन बीमा निगम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (सेवा-शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1986

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 909(अ), जो 19 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 11 अप्रैल, 1985 की अधिसूचना संख्या 123-सी० शु० के अन्तर्गत अमेच्योर रेडियो प्रचालकों द्वारा आयातित वायरलैस उपकरणों, उपांगों और कलपुर्जों के संबंध में सीमाशुल्क की छूट की वैधता अवधि 31 दिसम्बर, 1986 तक बढ़ाई गई है तथा आयात संबंधी मूल्य-सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है।

(दो) सा० का० नि० 910(अ), जो 19 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 15 फरवरी, 1984 की अधिसूचना संख्या 21/84-सी० शु० की वैधता अवधि 31 दिसम्बर, 1989 तक बढ़ाई गई है।

(तीन) सा० का० नि० 911(अ), जो 19 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 215-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि मैटसर सिंगल पैन बैलेंस पर सीमाशुल्क से छूट को वापिस लिया जा सके।

(चार) सा० का० नि० 927(अ), जो 23 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो ऐसेटिक अम्ल को यथा मूल्य 30 प्रतिशत से अधिक मूल सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है।

(पांच) सा० का० नि० 932(अ), और 933(अ), जो 24 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 1,000 घन से० मी० से अधिक इंजन क्षमता वाली ईंधन मितव्ययी मोटरकारों के निर्माता द्वारा अपने ग्राहकों को दी गई वारन्टी को पूरा करने तथा बिक्री के पश्चात् सेवा के लिए आयात किये जाने वाले संघटकों पर यथा मूल्य 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क तथा यथा मूल्य 20 प्रतिशत से अधिक आनुषंगिक शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(छः) सा० का० नि० 943(अ) और 944(अ), जो 30 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो एयर इंडिया इंटरनेशनल के माल-गोदाम में रखे हुए माल की माल गोदाम से कतिपय विशेष कार्य के लिए भारत सरकार के प्रयोग हेतु भारतीय वायु सेना द्वारा रखे गए और संचालित विशिष्ट दो 737 वायुयानों को की गई सप्लाई पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल, अतिरिक्त और उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(सात) सा० का० नि० 948(अ), जो 31 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 28 फरवरी, 1982 की अधिसूचना संख्या 34/82-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(आठ) सा० का० नि० 949(अ), जो 31 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 19 मई, 1983 की अधिसूचना संख्या 150/85-सी० शु० को रद्द किया गया है।

(नौ) सा० का० नि० 950(अ), जो 31 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 168/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दस) सा० का० नि० 951(अ) और 952(अ), जो 31 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो दियासलाई स्प्लिन्टो को, उन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क और सम्पूर्ण उपसंगी सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) सा० का० नि० 955(अ), जो 31 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 6 जनवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 13/85-सी० शु० की वैधता 31 दिसम्बर, 1988 तक बढ़ाई गई है।

(बारह) सा० का० नि० 1 (अ), जो 1 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो कतिपय विदेशी मुद्राओं से भारतीय मुद्रा अथवा भारतीय मुद्रा से विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है।

(तेरह) सा० का० नि० 3(अ), जो 1 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो आयात-निर्यात पासबुक योजना के अन्तर्गत भारत में आयातित माल को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(चौदह) सा० का० नि० 4(अ), जो 1 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 1 जनवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 2/86-सी० शु० के अन्तर्गत आने वाले सारे माल को उस पर उद्ग्रहणीय उपसंगी सीमा-शुल्क में छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 5(अ), जो 2 जनवरी, 1686 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय अमिश्रित जस्ते और कच्चे सीसे पर मूल सीमा शुल्क मूल्यानुसार 55 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 85 प्रतिशत और सीसे की रद्दी और स्क्रैप पर मूल्यानुसार 60 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 85 प्रतिशत करना है।

(सोलह) सा० का० नि० 6(अ), जो 2 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसका आशय जस्ते के कंसेन्ट्रेटों पर उपसंगी सीमा-शुल्क मूल्यानुसार 30 प्रतिशत से कम करके मूल्यानुसार 15 प्रतिशत करना है।

(सत्तरह) सा० का० नि० 8(अ), जो 21 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो होटलों के लिए कतिपय विनिर्दिष्ट उपकरणों को, जब उनका भारत में आयात किया जाये, उन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क और सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(अठारह) सा० का० नि० 10(अ), जो 3 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 36-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि सिलिकोनों पर मूल सीमा-शुल्क मूल्यानुसार 100 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 150 प्रतिशत किया जा सके।

(उन्नीस) सा० का० नि० 23(अ), जो 15 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा आयातित स्पंज लोहे को, उस पर उद्ग्रहणीय मूल सीमा-शुल्क के उतने भाग से जो मूल्यानुसार 10 प्रतिशत से अधिक हो, और समस्त अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(बीस) सा० का० नि० 27(अ), जो 17 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जी पोटाशियम पेनिसिलीन "जो" प्रथम क्रिस्टल और पोटाशियम पेनिसिलीन "वी" प्रथम क्रिस्टल को उन पर उद्ग्रहणी सम्पूर्ण मूल और अरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(इक्कीस) सा० का० नि० 28(अ), जो 17 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 16 अगस्त, 1983 की अधिसूचना संख्या 228-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि 6-ए-ए पर मूल्यानुसार मूल सीमा-शुल्क 70 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल्यानुसार 100 प्रतिशत किया जा सके।

(बाइस) सा० का० नि० 29(अ), जो 17 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 24 मई, 1985 की अधि-

सूचना संख्या 158-सी० शु० 464-सी० शु० और 169-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(तेईस) सा० का० नि० 30(अ), जो 17 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1979 की अधिसूचना संख्या 45-सी० शु० 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208-सी० शु० और 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 57-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(चौबीस) सा० का० नि० 31(अ), जो 17 जनवरी, 1986 को भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सेफालेक्सिन गोलियों, कैप्सूलों और सिरप, क्लोक्सासिलीन सोडियम कैप्सूलों, सिरप और इंजेक्शनों और सेफालोरीडाइन इंजेक्शनों को उन पर उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है ।

(पच्चीस) सा० का० नि० 39(अ), जो 10 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 19 जुलाई, 1984 की अधिसूचना संख्या 202/84-सी० शु० रद्द की गई है ।

(छब्बीस) सा० का० नि० 40(अ), जो 20 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वार 24 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या 161/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(सत्ताईस) सा० का० नि० 41(अ),जो 20 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 58/83-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि यात्रियों द्वारा अपने साथ नहीं लाए गए असबाब पर मूल्यानुसार 200 प्रतिशत (जमा मूल्यानुसार 40 प्रतिशत की दर से उपसंगी शुल्क) सीमा-शुल्क लिया जायेगा और यात्रियों द्वारा अपने साथ न लाए गए असबाब पर मूल्यानुसार 180 प्रतिशत (जमा मूल्यानुसार 40 प्रतिशत उपसंगी शुल्क) की रियायती दर लागू नहीं होगी ।

(अट्ठाईस) असबाब (छूट संबंधी शर्तें) संशोधन नियम, 1986 जो 20 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 42(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(उनतीस) असबाब (संशोधन) नियम, 1986 जो 20 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 43(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीस) सा० का० नि० 38(अ), जो 20 जनवरी 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसमें अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 688(अ), जो 27 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, का शुद्धी-पत्र दिया हुआ है ।

(इक्कतीस) सा० का० नि० 46(अ), जो 21 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय को रूसी रूबल में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में हैं।

(बत्तीस) सा० का० नि० 49(अ) और 50(अ), जो 23 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो ईंधन मितव्ययी मोटर कार अथवा ईंधन मितव्ययी वैन, जिसके इंजन की क्षमता 1000 घन सेंटीमीटर से अनधिक हो, के लिए "बाड़ी पैनलों" के निर्माण के वास्ते प्रयुक्त आयातित इस्पात चादरों और ब्लैंकों को उन पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा-शुल्क और सम्पूर्ण अतिरिक्त सीमा-शुल्क तथा मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक उपसंगी सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तेत्तीस) सा० का० नि० 53(अ), जो 24 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 17 जनवरी, 1986 के अधिसूचना संख्या 11/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि पोटाशियस पेंसिलीन जी/वी फर्स्ट क्रिस्टिल पर, 6 ए०पी०ए० अथवा 7 ए०डी० सी०ए० अथवा 7 ए०सी०ए० के निर्माण के लिए किया जाए, मूल और अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट के लाभ को उस स्थिति में सीमित किया जा सके। जब उसका आयात 6 ए०पी०ए० अथवा 7 ए०डी०सी०ए० अथवा 7 ए०सी०ए० के लिए किया गया हो।

(चौंतीस) सा० का० नि० 75(अ), जो 30 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाहुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 19/85-सी० शु० की वैधता 31 मार्च, 1987 तक बढ़ाई गई है।

(पैंतीस) सा० का० नि० 77(अ), जो 30 जनवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 30 अक्तूबर, 1984 की अधिसूचना संख्या 268/84-सी० शु०, 17 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या 74/85-सी० शु० और 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 75/85-सी० शु० की वैधता 1 जनवरी, 1987 तक बढ़ाई गई है।

(छत्तीस) सा० का० नि० 100(अ), जो 7 फरवरी, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे यथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 21 जनवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 21-सी० शु० के अतिलंघन में रूसी रूबल का भारतीय मुद्रा अथवा भारतीय मुद्रा का रूसी रूबल में संपरिवर्तन करने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1964/86]

(2) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 77 के अन्तर्गत स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (सिद्धदोषियों या व्यसनियों द्वारा बन्ध पत्र निष्पादन) नियम, 1985, जो 26 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र

में अधिसूचना संख्या का० आ० 912(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 1965/86]

(3) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आय-कर (आठवां संशोधन) नियम, 1985 जो 18 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 901(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) आय-कर (नौवां संशोधन) नियम, 1985, जो 31 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 937 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) (आय-कर संशोधन) नियम, 1986, जो 3 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 1(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 1966/86]

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 929 (अ), जो 23 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 1983 की अधिसूचना संख्या 303/83-के उ० शु० की वैधता को 31 दिसम्बर, 1986 तक बढ़ायी गयी है ।

(दो) सा० का० नि० 930(अ), जो 23 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो ऐसे कृत्रिम रबड़ क्षीर को, उस पर लगाये जाने वाले समस्त उत्पादन-शुल्क से छूट देने के सम्बन्ध में है, जिसकी खपत उसी कारखाने में कृत्रिम रबड़ के निर्माण के लिए की जाती है ।

(तीन) सा० का० नि० 931(अ), जो 23 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 24 जनवरी, 1978 की अधिसूचना संख्या 16/78-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि स्ट्राबोर्ड पर उपलब्ध आंशिक छूट को केवल ऐसे स्ट्राबोर्ड तक सीमित किया जा सके जिसका विनिर्माण धूप में सुखाने की प्रक्रिया से ऐसे कारखानों में किया जाता है जहां पर धूप में सुखाने की प्रक्रिया से भिन्न किसी प्रक्रिया से स्ट्राबोर्ड के विनिर्माण हेतु उसी परिसर में स्थापित कोई संयंत्र नहीं है ।

(चार) सा० का० नि० 928(अ), जो 23 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 मार्च, 1975 की अधिसूचना संख्या 14/75-के० उ० शु० वैधता की 31 मार्च, 1986 तक बढ़ायी गयी है ।

(पांच) सा० का० नि० 946(अ) जो 30 दिसम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 1 मार्च 1983 की अधिसूचना संख्या 34/83-के० उ० शु० की वैधता को 30 जून, 1986 तक बढ़ायी गयी है।

(छः) सा० का० नि० 24(अ), जो 15 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो सिल्वर ओक्साइड बटन सेलों को, उन पर लगाये जाने वाले समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(सात) सा० का० नि० 45(अ), जो 20 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र के में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो उत्पाद-शुल्क उस माल पर, जिसे भारत के अन्य भागों में स्थित उसके निर्माण के कारखानों से अथवा भाण्डागारों से, एक मात्र निर्यात के लिए आशयित माल के उत्पादन के लिए नौएडा निर्यात प्रसंस्करण उक्त जोन में स्थित उद्योगों द्वारा उक्तजोन में लाया जाता है, उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पादन-शुल्क तथा अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क से छूट देने के बारे में है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1967/86]

(5) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 83 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1985, जो 27 दिसम्बर, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 941(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सा० का० नि० 44(अ), जो 20 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसमें नौएडा निर्यात प्रसंस्करण जोन, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) को मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1968/86]

(6) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निबंधनों और (सेवा-शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1986, जो 7 जनवरी, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 18(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1969/86]

(7) मैसूर पैलेस तथा बंगलौर पैलेस के संबंध में बकाया कर की राशि के बारे में श्री भट्टम और श्रीराम मूर्ति के अतारांकित प्रश्न संख्या 4977 के 20 दिसम्बर, 1985 को दिए गए उत्तर में शुद्ध करने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1970/86]

12.13 म. प.

विधेयकों पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, 18 नवम्बर, 1985 को सभा को सूचित किये जाने के पश्चात् पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्न-लिखित चौदह विधेयक मैं सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 1985

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985

(3) विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 1985

(4) अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1985

(5) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) संशोधन विधेयक, 1985

(6) संसद् अधिकारी वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक 1985

(7) राष्ट्रपति पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1985

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक (संशोधन) विधेयक, 1985

(9) सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1985

(10) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक, 1985

(11) केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क टेरिफ विधेयक, 1985

(12) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) संशोधन विधेयक, 1985

(13) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक 1985

(14) सीमा शुल्क टेरिफ (संशोधन) विधेयक, 1985

2. महोदय, 18 नवम्वर, 1985 को सभा को सूचित किए जाने के पश्चात्, पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 16 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रतियां भी मैं सभा पटल पर रखता हूं।

(1) बालक नियोजन (संशोधन) विधेयक, 1985

(2) भारतीय युनिट ट्रस्ट (संशोधन) विधेयक, 1985

(3) राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1985

(4) नागरिकता (संशोधन) विधेयक 1985

(5) प्रकाश-स्तम्भ (संशोधन) विधेयक, 1985

(6) बोनस संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1985

(7) वायुयान (संशोधन) विधेयक, 1985

(8) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1985

(9) मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 1985

(10) संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 1985

(11) बैंककारी विधि (संशोधन) विधेयक, 1985

(12) भारतीय अन्तर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण विधेयक, 1985

(13) फतुआ-इसलामपुर लाइट रेल लाइन (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1985

(14) रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1985

(15) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक, 1585

(16) प्रत्यायोजित विधान उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1985

12.14 म. प.

प्राक्कलन समिति

23 वां और 24 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) वाणिज्य मंत्रालय—आयात-निर्यात मुख्य नियंत्रक के बारे में प्राक्कलन समिति के 76वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में इस समिति का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) परिवहन मत्रालय (नागर विमानन विभाग)—डी० जी० सी० ए० के बारे में प्राक्कलन समिति के 75वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में इस समिति का 24वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल अभिसमय समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सुभाष यादव (खारगोन) : मैं वर्ष 1986-87 के लिए लाभांश की दर तथा अन्य आनुषंगिक विषयों के बारे में रेल अभिसमय समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.15 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार 24 फरवरी, 1986 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा।

(2) रावी और ब्यासजल अधिकरण अध्यादेश, 1986 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा रावी और ब्यासजल अधिकरण विधेयक, 1986 पर विचार और पारित करना।

(3) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

सदस्यों को विदित ही है कि बुधवार, 26 फरवरी, 1986 को प्रश्न-काल के पश्चात, वर्ष 1986-87 के लिए रेल बजट पेश किया जाएगा तथा शुक्रवार, 28 फरवरी, 1986 को सायं 5.00 बजे वर्ष 1986-87 के लिए सामान्य बजट पेश किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश में विगत दिनों भीषण ओला वृष्टि से रबी की फसलों को गंभीर क्षति पहुँची है तथा प्रदेश के किसानों की करोड़ों रुपए की फसलें चौपट हो गयी हैं जिसके कारण हजारों-लाखों व्यक्तियों के भविष्य के सामने प्रश्न-चिन्ह लग गया है। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश की लगभग 75 तहसीलें ओला वृष्टि एवं प्राकृतिक प्रकोप से प्रभावित हैं तथा 12 जिले पूर्व से ही सूखाग्रस्त हैं जहां तत्काल राहत की आवश्यकता है। अत: मध्य प्रदेश के कृषकों पर आए गंभीर प्राकृतिक संकट को देखते हुए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि प्रदेश को शीघ्र ही सहायता राशि दी जाना चाहिए एवं इस विषय को आगामी सप्ताह की विषय सूची में सम्मिलित किया जावे।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

कुछ महीने पूर्व दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के "जनवाणी" कार्यक्रम की तरह बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र द्वारा "पद्माव्यहा," कार्यक्रम आरंभ किया गया और इसने उस कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार के कुछ मंत्रियों से साक्षात्कार किया। यह कार्यक्रम कर्नाटक में विशेषकर बंगलौर नगर में बहुत लोकप्रिय हुआ। अब अचानक बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र के अधिकारियों ने कर्नाटक सरकार के मंत्रियों से साक्षात्कार करना बंद कर दिया और इसके स्थान पर कर्नाटक सरकार के अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों के अन्य प्रमुख व्यक्तियों से साक्षात्कार आरंभ किया। मंत्रियों से साक्षात्कार करने का मुख्य उद्देश्य विभिन्न दर्शकों और मंत्रियों के

बीच सम्पर्क स्थापित करना है। यह एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम है जिसके द्वारा जनता सम्बद्ध मंत्रियों तक अपनी शिकायतें पहुंचा सकती है और इसके उपचारात्मक उपाय किये जा सकते हैं।

चूंकि यह एक बहुत ही लाभदायक कार्यक्रम है जो स्थानीय भाषा अर्थात कन्नड़ में है, अतः "पद्माव्यहा" कार्यक्रम द्वारा बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र से कर्नाटक सरकार के मंत्रियों से साक्षात्कार करना जारी रखना आवश्यक है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : निम्नलिखित अविलम्भनीय लोक महत्व के विषय को कृपया अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए।

राज्य में आवश्यकता से आधे से भी कम बिजली का उत्पादन होने से, उड़ीसा में इस समय बिजली का अत्यन्त अभाव है। घरेलू क्षेत्र में प्रति दिन लगभग दस से बारह घन्टे की कटौती और व्यवसायिक और औद्योगिक क्षेत्र में 76 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। बिजली की इस कटौती से जनसंख्या के सभी वर्गों पर प्रभाव पड़ता है और औद्योगिक विकास में रुकावट आ जाती है और इस गरीब और पिछड़े राज्य की अर्थ-व्यवस्था को संकट में डाल देती है। इससे पूरे राज्य में निराशा और असंतुष्टि का वातावरण छाया हुआ है।

इस संदर्भ में अब केन्द्रीय सरकार को अधिक समय किए बिना 7वीं योजना अवधि के दौरान तलचर सुपर ताप बिजली घर और इब घाटी ताप बिजली घर के निर्माण का कार्य आरंभ करके और कुछ अन्य राज्यों से बिजली की आवश्यक आपूर्ति की व्यवस्था करके उड़ीसा राज्य की सहायता के लिए शीघ्र ही आगे आना चाहिए ताकि उड़ीसा में बिजली की कमी की इस समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो सके।

[हिन्दी]

श्री एम० एल० शिकराम (मंडला) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्य सूची में कृपया निम्नलिखित विषय को सम्मिलित करें :

आदिवासी एवं पर्वतीय अंचल में रहने वाले आदिवासी हरिजनों एवं पिछड़े वर्गों हेतु टेलीविजन खोलने को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु सुझाव रखना चाहता हूं। कारण, कि इन क्षेत्रों में सरकार की नई योजना, उसकी नीति, क्रियान्वयन, सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सुधार संबंधी बातों का दिग्दर्शन कराना आवश्यक है ताकि वे समझ सकें कि हमारे लिए सरकार क्या कर रही है।

अतः इस हेतु केन्द्रीय शासन यह प्रतिबन्ध न लगाए कि, टी० वी० सूचना केन्द्र खोलने हेतु प्रान्तीय शासन 37.5 लाख व्यय करके लगवाये। इस नीति से ये पर्वतीय अंचल टी० वी० से वंचित न हो जावें, इसका डर है, इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे निम्नलिखित विषय को अगले हफ्ते की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :—

आपका और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान बिहार स्थित कोशी प्रमण्डल की चावल मिलों पर मंडरा रहे संकट के बादल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस क्षेत्र की 39 आधुनिक चावल मिलों में से इस वर्ष मात्र 18 मिलें ही चालू हो सकी हैं और शेष 21 (इक्कीस) मिलें बन्द पड़ी हैं।

खपत के अनुपात में चावल की कमी को पूरा करने के लिए प्रायः केन्द्र सरकार तथा अन्य प्रान्तों पर वहां की जनता को निर्भर करना पड़ता है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार लेवी वसूल करती है, जिससे मिलों की स्थिति बिगड़ती जा रही है और लेवी की वसूली में अनावश्यक खर्च करना पड़ता है। चावल मिलों के बन्द होने से मजदूर तथा इस उद्योग से जुड़े लोग बेरोजगार हो रहे हैं।

राज्य सरकार ने कोशी प्रमण्डल की मिलों से पच्चीस क्विंटल चावल की लेवी निर्धारित की है, जिस कारण मिलों पर संकट और बढ गया है और यदि सरकार अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो यह संकट गहरा हो जाएगा।

कोशी प्रमण्डल की चावल मिलों पर से लेवी नहीं हटाई गई या लेवी की मात्रा में कटौती नहीं की गई तो कोशी प्रमण्डल से आधुनिक चावल मिलों का नामो-निशान मिटने की भी आंशका प्रबल हो रही है। इसके लिए सरकारी गलत नीतियां ही जिम्मेदार हैं।

अतः सरकार से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में तत्काल प्रभावी कदम उठावें जिससे कोशी प्रमण्डल की आधुनिक चावल मिलों को बंद होने से बचाया जा सके। और इस उद्योग में लगे लोग बेरोजगार होने न पावें।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : अध्यक्ष महोदय अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाए :

आन्ध्र प्रदेश में जनवरी मास में तूफान के कारण भारी वर्षा हुई थी, जिससे खेतों में कटाई के लिए तैयार खड़ी धान की फसल बिल्कुल भीग गई थी। फिर भी किसान उस फसल को किसी न किसी तरह बचाकर, सुखाकर, बाजार में लाया, मगर बाजार में उसको कोई खरीदने वाला ग्राहक नहीं था। भीगी हुई धान ब्वाइल्ड राइस बनाने के सिवाय और किसी काम नहीं आयेगी ब्वाइल्ड राइस तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक के अतिरिक्त और कहीं खाया नहीं जाता। इसको सप्लाई करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रोका हुआ है। इस कारण किसानों को यह धान 70 रुपये से लेकर 90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मजबूर होकर बेचना पड़ रहा है। फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया को यह भीगा हुआ धान लेने के लिए बाजार में उतरना चाहिए था किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसान बेहालत होकर भटक रहा है। केन्द्र सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया ने हरियाणा और पजाब का भीगा हुआ धान खरीदा है, उसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश का भी यह धान वह खरीदे, यह बहुत आवश्यक है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में कृपया निम्नलिखित विषय को सम्मिलित किया जाए :

मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में स्थित सज्जन कपड़ा मिल के मालिकों द्वारा मिल को आगे चालू न रखने के कारण करीब 15 दिन से उसे बन्द कर दिया गया है। मिल-मालिक कारखाने को छोड़ कर बाहर चला गया है। मिल में कार्यरत मजदूर रोजगार के अभाव में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस मिल के बन्द होने से साढ़े तीन हजार मजदूरों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। मेरा शासन से निवेदन है कि शासन तुरन्त हस्तक्षेप करके इस कपड़ा मिल को शीघ्र चालू करवा कर मजदूरों को वापिस रोजगार पर लगाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० एन० प्रधान।

[अनुवाद]

प्रधान जी, क्या आप को वह नहीं मिल रहा है ? हम मान लेंगे कि आप ने यह पढ़ दिया ।

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान (भोपाल) : मुझसे कहा गया था कि चूंकि मेरा विषय मध्यप्रदेश से सम्बन्धित था और उसी विषय पर श्री प्रताप भानु जी को विषय उठाने की अनुमति दी जा चुकी है, इसलिए मुझे आज्ञा नहीं मिली ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, वह सोमवार को करेंगे ।

[अनुवाद]

श्री एस० जी० घोलप (ठाणे) : निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल किया जाए ।

यह सच है कि कल्यान सेन्ट्रल लाइन रेलवे के निकट यात्रियों को जिन्हें पश्चिमी रेलवे पर वसाई और पालघर स्टेशनों पर जाना होता है, दादर से होते हुए जाना पड़ता है जो बहुत ही महँगा पड़ता है ।

यह भी सच है कि दीवा-वसाई रेल लाइन, जो सेन्ट्रल रेलवे को पश्चिमी रेलवे से मिलाती है, 1981 में पूरी की गई है और इसका विद्युतीकरण हो गया है और माल यातायात पहले से ही हो रहा है ।

अब यह समय की अत्यन्त आवश्यक मांग है कि यात्री रेल गाड़ियों को इस लाइन से शीघ्र चलाया जाए और कुछ स्टेशनों की व्यवस्था की जाए । जिन में ऊपर ओम्बिवली सबसे महत्त्वपूर्ण हो ।

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : निम्न मदों को अगले सप्ताह के कार्य में शामिल किया जाए ।

शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1976, अब दस वर्ष पुराना हो चुका है । इन दस वर्षों में सारे भारत में परिस्थितियां पूर्णतया बदल गई हैं। भूमि की ऊँची कीमतें, भवनों की कीमतों में चढ़ाव, गन्दी बस्तियों का पैदा होना, सार्वजनिक आवास की बिगड़ती हुई हालत जैसी बहुत सी समस्याऐं शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम 1976 का प्रतिकूल प्रभाव के कारण पैदा हो गई हैं ।

जनसाधारण की मकानों की आवास समस्या को हल करने के लिए शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976 में उपयुक्त संशोधन करने चाहिए ।

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : निम्न मदों को अगले सप्ताह के कार्य में शामिल किया जाए ।

सूखा सहायता के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा कई ज्ञापन देने के बावजूद भी केन्द्रीय सरकार उसे सहायता देने में पर्याप्त रुचि नहीं ले रही। लगातार पिछले चार सालों से सारा कर्नाटक राज्य सूखे से प्रभावित है। शहरी इलाकों में जिसमें बंगलौर शहर भी शामिल है पीने के पानी की आपूर्ति बुरी तरत प्रभावित है।

ग्रामीण कर्नाटक बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा है। गावों में पीने के पानी के साथ-साथ ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या बहुत ही गम्भीर हो गई है। पशुधन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है जिससे खेतिहर लोगों को बहुत अधिक घाटा हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस समस्या को केवल मानवीय आधार पर लिया जाए और राहत के लिए आपातिक आधार पर 100 करोड़ रुपया तुरन्त दिया जाए। कर्नाटक में पशुओं के जीवन की रक्षा करने के लिये चारा मुफ्त सप्लाई किया जाए।

कोलार जिला हमेशा से सूखे से प्रभावित रहा है। बेरोजगारी के कारण 80% किसान बहुत अधिक प्रभावित हैं। इस जिले में एक भी नदी नहीं है। लोग यहां आर्थिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़े हुए हैं। यहाँ केवल एक फैक्ट्री भारत अर्थ मूवर लिमिटेड है जिसमें सारे जिले के बहुत ही कम श्रमिक लगे हैं। इसलिए इस फैक्टरी की इकाइयों का मालर और मुलबगल में विस्तार करने की शीघ्र आवश्यकता है। मालर और मुलबगल में ब्रोड गेज रेलवे और नेशनल हाइवाय की सुविधाएं सुलभ हैं और उत्पादन की नजर से जो अधार ढांचा चाहिए वह यहां विद्यमान है

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्यों ने अगले सप्ताह होने वाले कार्य के सम्बन्ध में कई मुद्दों को शामिल करने की जो बातें कही हैं मैंने उन्हें पूरे ध्यान से सुना है। अगले सप्ताह की कार्य सूची निर्धारित करने का काम कार्य मंत्रणा समिति का है अत: में इन मुदों की ओर समिति का ध्यान दिलाऊँगा।

12.28 म० प०

कच्चे पटसन के सांवधिक न्यूनतम के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह :

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या वह सांविधिक न्यूनतम मूल्य अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में वक्तव्य देने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय – आप इसका बाद में फैसला कर सकते हैं।

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : श्रीमान में निम्नलिखित वक्तव्य देना चहाता हूँ।

सरकार ने 1986-87 के मौसम के लिए कच्चे पटसन का सांविधिक न्यूनतम मूल्य सभी सम्बन्ध तथ्यों, जिनमें उर्वरकों तथा कुछ पैट्रोलियम उत्पादों के लागू किए गए मूल्यों में अद्यतन् परिवर्तन शामिल हैं, को ध्यान में रख कर निर्धारित किया गया है।

असम में कच्चे पटसन के डब्ल्यू-5 ग्रेड का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 225 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया किया गया है। विभिन्न केन्द्रों में विविध ग्रेडों के अनुरूप मूल्य पटसन आयुक्त द्वारा सामान्य बाजार आन्तरों की रोशनी में निर्धारित किए जायेंगे।

भारतीय पटसन निगम, जैसे और जब भी आवश्यक हुआ, बाजार समर्थन कार्यकलापों को अपने हाथ में ले लेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप एक किसान हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर कोई सांविधिक न्यूनतम मूल्य है तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति उस न्यूनतम से कम मूल्य देता है वह कानून के अधीन दण्ड का भागी है। सबसे पहली बात यह है कि इस समय कोई कानून नहीं है। इसलिए उनके यह कहने का क्या अर्थ है कि सरकार खरीद का काम शुरू कर देगी। ऐसा वह हमेशा से कर रही है। लेकिन वह सांविधिक मूल्य नहीं बल्कि, समर्थन मूल्य है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से गेहूं और चावल के लिए भी सांविधिक न्यूनतम मूल्य है।

सरदार बूटा सिंह : गेहूं और चावल के लिए वसूली मूल्य है। लेकिन यहां वह सांविधिक न्यूनतम मूल्य है। आपकी अनुमति से मैं यह तीसरी बार कह रहा हूं यह सांविधिक न्यूनतम मूल्य है।

अध्यक्ष महोदय : शब्दकोश में से हम कोई ठीक शब्द ढूंढेंगे।

(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : इसे आवश्यक वस्तुओं पर लागू होने वाले कानून के अन्तर्गत प्रवृत्त किया जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अगर ऐसा है तो अधिनियम के अधीन उपयुक्त अधिसूचना जारी करनी होगी। इस प्रकार से निर्णय लेने का कार्य अधिकारियों पर छोड़ दिया जाता है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : पटसन आयुक्त किस प्रकार से कानूनी मूल्य का निर्णय लेता है।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : यह नियन्त्रित आदेश होता है जिसके अन्तर्गत सूचनाएं जारी करके मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है ? पटसन आयुक्त के द्वारा ?

श्री ए० के० सेन : यदि आप चाहते हैं तो हम आपको ये आदेश देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमारे चाहने का प्रश्न नहीं है सदन को किस प्रकार से गलत सूचना दी जा रही है कि इतने सारे प्रश्नों का पता लगाने के लिए····**((व्यवधान)** यह एक पूरा वक्तव्य क्यों नहीं रखा गया ? यह बाहर के लोगों के लिए भी है। उन्हें पता चलना चाहिए कि यह क्या है।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : श्री सोमनाथ जी हम कभी नहीं जानते थे कि आप इतने अनभिज्ञ हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कभी-कभी हम वाक्-चपलता का आनन्द लेते हैं। हमेशा नहीं। लेकिन यह···संबंध में वाक्-चपलता है। **(व्यवधान)** मैं अपनी बात को ऊपर नहीं रख रहा हूं। मैं मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं कि जब वह सांविधिक न्यूनतम मूल्य की घोषणा कर रहे हैं तो वह सांविधि और इसको किस प्रकार से कार्यान्वित करना है इस का भी उल्लेख क्यों नहीं करते। इसमें क्या समस्या है ?····**(व्यवधान)**

12.32 म० प०

मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे सदन को सूचित करना है कि सरकार मुस्लिम स्त्री (विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) विधेयक 1986 को पुरः स्थापित करना चाहती है 19क और 19ख निदेशों के अनुसार कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना की आवश्यकता होती है। उसका विधिवत् पालन नहीं किया गया है। फिर भी इस मामले में यदि पूरा सदन सहमत है तो मुझे उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है ···**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आप किस प्रकार अनुमति दे सकते हैं ? यह नहीं····है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : तब मैं अनुमति नहीं दूंगा। यदि सदन में एकमत नहीं है···

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बड़ागरा) : आज सुबह एक अनुपूरक कार्य सूची परिचालित की गई है। आपने उसमें इस प्रकार के महत्वपूर्ण मद भी शामिल करने तक की परवाह नहीं की है···· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यही कहा है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई निजी अधिकार नहीं है सदन मुझे अधिकार देता है। यदि सदन कहता है तो मैं इसे करूंगा और यदि सदन नहीं कहता है तो मैं इसे नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : विधेयक परिचालित नहीं किया गया है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। अनुमति नहीं दी जाती है।····

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है····(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : विधेयक पुरःस्थापित होने दें····(**व्यवधान**)

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं···(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे कैसे काम चलेगा । आप सब क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

मैं नियमों को तोड़ नहीं सकता । मुझे इसे सदन के सामने रखना होगा । सदन मेरा मालिक है और सदन स्वयं अपना मालिक है····

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता····

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जब आप सभी बोल रहे हैं, मैं किसी के सुन नहीं सकता ।

(**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पुरःस्थापन के स्तर पर किसी भी सदस्य को इसका विरोध करने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास अधिकार है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह इसे अब नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने विधेयक को नहीं देखा है ।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए मैंने कहा है कि बिना विधेयक के····(**व्यवधान**) एक मिनट कृपया अब मुझे सुनिए ।

(**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, आप अपने अधिकार का उपयोग करें ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सुनिए ।

अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : एक सदस्य भी इस पर आपत्ति उठाता है तो भी आप इसे नहीं करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सुनिए ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : महोदय, आपको मेरी बात सुननी होगी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इसे कहना चाहता हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं :

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे सुनिए। क्योंकि यह मुझे अभी मिला है। अतः मैं इसे सदन के सामने रखता हूं। मैं पुरःस्थापन पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। यदि यह उचित स्थिति में होता तो मैंने इसकी तुरन्त अनुमति दी होती और मैं इसकी अनुमति दूंगा यदि यह इसी रूप में लाया जाये। इस तथ्य से इन्कार नहीं है अब, केवल यह प्रश्न है कि मुझे यह बात पूछनी होगी।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांति ! शांति, एक, एक करके।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : महोदय, नियम 74के अन्तर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है····**(व्यवधान)** कृपया आप सुनिए। मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय ने मुझे मेरे व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने के लिए अनुमति दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा मत करिए।

(व्यवधान)

श्री के०० पी ऊन्नीकृष्णन् : मुझे अपने व्यवस्था के प्रश्न पर किसी के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने का अधिकार है यह क्या है ?

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मुझे वाक्य पूरा करने दीजिए। महोदय, कार्य सूची वैध दस्तावेज है और इसको परिचालित करना होता है। आज की कार्य सूची के अतिरिक्त आज सुबह भी केवल एक घंटा पहले अनुपूरक कार्य सूची परिचालित की गई थी।

एक माननीय सदस्य : तो क्या ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : आपने कार्य सूची में इस मद को भी शामिल नहीं किया है। मैं नियम 74 के प्रावधान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। यह कहता है—

और यह भी कि ऐसा कोई प्रस्ताव उस समय तक नहीं लाया जाएगा जब तक कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों के प्रयोग के लिये उपलब्ध न कर दी गई हों, और यदि विधेयक की प्रतियां प्रस्ताव रखने के दिन से दो दिन पहले इस तरह उपलब्ध न करायी गई हों तो कोई सदस्य ऐसे किसी प्रस्ताव के रखे जाने पर आपत्ति कर सकेगा और यदि अध्यक्ष प्रस्ताव किये जाने की अनुमति न दे तो ऐसी आपत्ति अभिभावी होगी। अतः यह नियम है। यह निदेशक है। मैं आपसे केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हम हमेशा सही ढंग से कार्य करते हैं। जब कभी किसी बात पर विवाद होता है तो हम सर्वसम्मति से ऐसा करते हैं। अन्यथा मैं नहीं करता हूं। श्री उन्नीकृष्णन् यह बहुत साधारण बात है। आप ठीक कहते हैं कि उससे पहले मेरे पास कोई सूचना नहीं थी। मुझे यह अभी दी गई थी। इसलिए मैंने इसे सदन में रखा है। यदि सदन सहमत नहीं होता है तो मुझे नियमों के अनुसार काम करना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (**व्यवधान**) महोदय, मैं नहीं जानता कि आप क्या कहने जा रहे हैं। आपने निदेश 19क और 19ख का उल्लेख किया है। कृपया निदेश 19 ख देखें। उसका भी विधिवत् पालन नहीं किया गया है। तब आप इसे स्वीकार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब ऐसा कहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूं।

(**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : हमने कभी भी किसी विधेयक का विरोध नहीं किया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह एक राय है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने का यह कोई तरीका नहीं है। मैं तदनुसार इसे करूंगा।

[**हिन्दी**]

आज नहीं तो कल हो जाएगा।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : आप नियम स्थगित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको ही नुकसान होगा, अगर मैं ऐसा करूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कन्सेन्सस की बात कर रहा हूं । अगर वह नहीं होता है तो दोबारा कर लेंगे बात । दो दिन की बात है । दो दिन की ही बात है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : महोदय, इनका एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं पुरःस्थापन का विरोध नहीं कर रहा हूं । आपके पास अनुदेश 19क या 19ख को रद्द करने की शक्ति है । लेकिन आपने इसे अब सदन के सामने रखा है कि क्या हम निदेश 19क या 19ख को रद्द की शक्ति का प्रयोग करना चाहेंगे । कृपया निदेश 19ख को पूरी तरह से देखें । यह बताता है । कोई विधेयक पुरः स्थापित करने के लिए किसी दिन की कार्यसूची में....."

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के अनुसार चलता हूं ।

(व्यवधान)

श्री दिनेश गोस्वामी : मुझे पूरा करने दीजिए ।

"और यह भी कि अन्य मामलों में, जिन में मन्त्री यह चाहता हो कि प्रतियां, परिचालित करने के पश्चात दो दिन से पहले अथवा उन्हें परिचालित किए बिना भी, विधेयक पुरःस्थापित किया जाए, तो वह अध्यक्ष के विचार के लिए एक ज्ञापन में पूरे-पूरे कारण देगा....."

अब यदि निदेश 19ख के अन्तर्गत हमें अपनी शक्ति को स्वीकार करना है तो हमारे सामने कारण होने चाहिये । आप हमसे उन शक्तियों को करने के लिए कह रहे हो जो आपके नियंत्रण में है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह मेरा नियंत्रणाधीन नहीं है ।

(व्यवधान)

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : अध्यक्ष महोदय, शुरू में मैंने कुछ बातें कहीं हैं और उठाई गई आपत्तियों के उत्तर दूंगा ।

नियम 65 के अन्तर्गत यदि आप प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के पृष्ठ 38 को देखें तो मंत्री के अलावा किसी सदस्य द्वारा केवल विधेयकों को पुरस्थापित करने के लिए किसी सूचना की आवश्यकता नहीं हैं। यह बताता है :

"मंत्री के अतिरिक्त कोई भी सदस्य, जो किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हो, अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा और सूचना के साथ विधेयक भी एक प्रति और उद्देश्यों और कारणों का एक व्याख्यात्मक कथन प्रस्तुत करेगा।"

अध्यक्ष महोदय : श्री सेन, क्या मैं बता सकता हूं कि यह गैर-सरकारी सदस्यों के बारे में है।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : कृपया नियम 74 पढ़िये। यह गैर सरकारी सदस्यों विधेयकों के के बारे में हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह विषय संबंधित है····(**व्यवधान**)। तब आप उन्हें बोलने की अनुमति क्यों दे रहे हैं ? वह किस विषय पर बोल रहे हैं ? क्या विषय है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : नियम 74 के अलावा और कुछ नहीं लागू हो सकता है।

श्री ए० के० सेन : नियम 65 बताता है कि एक मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा विधेयक पुरःस्थापित करते हैं तो यह गैर सरकारी सदस्य का विधेयक नहीं रहता और नियम 65 इस पर लागू होता है और आपके निदेश 19क और 19ख के अलावा किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होती है।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : जी नहीं, नियम 74 है।

श्री ए० के० सेन : पुरःस्थापन के बाद नियम 74 है कृपया इसे पढें। यह पुरस्थापन के बाद है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : जी नहीं। यह तो उस समय है जब कार्य लिया जाता है, बाद में नहीं। (**व्यवधान**) मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है।

महान विधि वेत्ता के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आप नियमों को तोड़-मरोड़ सकते हैं।

श्री ए० के० सेन : नहीं-नहीं। मैं नियमों को विकृत नहीं कर रहा। आप नये नियम बना सकते हैं।

अब मैं प्रक्रिया नियमों को लेता हूं। नियमों को निलम्बित करना सभा के वश में है। नियम 65 में कहा गया है कि मंत्री के अतिरिक्त किसी सदस्य द्वारा कोई विधेयक सूचना देकर

लाया जा सकता है। मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक के लिए सूचना की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम आपके निदेहा संख्या 19 (क) और (19) (ख) में निर्धारित अपेक्षिताओं का पालन करते आयें हैं।

(व्यवधान)

जहां तक 19 (क) का सम्बन्ध है, उसमें निहित है कि मन्त्री द्वारा विधेयक लाये जाने पर सूचना दी जायेगी।

19 (ख) में स्पष्टत : कहा गहा गया है

"परन्तु यह भी कि अन्य मामलों में जिनमें मंत्री चाहता हो कि परिपालित करने के बाद दो दिन से पहले विधेयक पुरःस्थापित किया जाये····

(व्यवधान)

वे इसे सुनने को भी तैयार नहीं हैं ? इससे इनकी बेसब्री प्रकट होती है।

कानूनों में व्यवस्था है कि मन्त्री दो दिन से कम दिनों की सूचना पर विधेयक को पुरःस्थापित कर सकता है, यदि ··

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं।

श्री ए० के० सेन : मुझे केवल यह करना है कि मैंने अल्प सूचना के बारे में क्यों कहा है, इसके लिए मुझे एक ज्ञापन में कारण बताने हैं। मेरा पहला निवेदन है कि नियम 65 इस मामले पर पूरी तरह लागू होता है अतः नियम 389 के अधीन निदेहों की आवश्यकता नहीं है। नियम 389 में निहित है कि यदि कोई मामला नियम अन्तर्गत नहीं आता तो निदेह दिये जा सकते हैं। हम इसी तर्क को ले रहे हैं।

मैं नियम संख्या 74 को पुनः पढ़ता हूं :

"विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने के बाद···

(व्यवधान)

मैं श्री उन्नी कृष्णन् जितना चतुर नहीं हो सकता। परन्तु अंग्रेजी भाषा अत्यन्त स्पष्ट है। उसमें निहित है :

"जहां कोई विधेयक पुरःस्थापित किया····

यानि वह विधेयक पुरःस्थापित किये जाने के बाद है। अतः मेरा कहना है कि आपको इसे केवल पढ़ना है। क्या मैं अल्प का सूचना देने के कारण बता सकता हूं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : यदि कोई सदस्य विधेयक का पुरःस्थापना के समय विरोध करना चाहता है, तब इसके प्रचालित किये बिना ऐसा कैसे कर सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे सुनने दें। यह उन पर बाध्य नहीं है।

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : आप प्रस्ताव रखें।

अध्यक्ष महोदय : अभी उन्होंने उसे पारिभाषित नहीं किया है।

श्री ए० के० सेन : मंत्री द्वारा विधेयकों के पुरःस्थापन के बारे में आपके निदेहा संख्या 19 (ख) के अन्तर्गत हमने स्पष्टीकरण दिया है कि इस अवधि को हम इसे हटाना क्यों चाहते हैं

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ज्ञापन कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : निदेहा अत्यन्त स्पष्ट है।

श्री ए० के० सेन : मेरा निवेदन है कि आप नियम 64 के अधीन शक्तियों का उपयोग करें। उसकी पूरी पुरःस्थापना को प्रकाशित कराने की अनुमति दें। नियम 64 स्पष्ट है

"अध्यक्ष, को अनुरोध किये जाने पर, वह किसी विशेष विधेयक को (उद्देश्यों तथा कारणों के कथन, विधायी शक्तियों के प्रत्यायोजना संबन्धी ज्ञापन तथा वित्तीय ज्ञापन सहित के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दे सकते हैं यद्यपि विधेयक का पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव नहीं रखा गया हो।"

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : मैं तर्क-वितर्क नहीं करना चाहता। मैंने नियमों को समझ लिया है तथा नियम आप भली प्रकार जानते हैं। सभा में सर्वसम्मति से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा सकता है। परन्तु एक परम्परा भी रही है, पुरःस्थापना के स्तर पर हमने विधेयक का विरोध नहीं किया है

कई माननीय सदस्य : नहीं

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। ऐसी कोई परम्परा नहीं है।

श्री ए० के० सेन : ज्ञापन पारिचालित कर दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं अस्वीकार किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नी कृष्णन : कोई ज्ञापन पारिचालित नहीं किया गया।

संसदीय कार्य पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) कई मामलों में इस नियम में ढील दी गई है। मुझे आश्चर्य है कि इस विशेष मामले में मित्र विरोध क्यों कर रहे हैं जबकि

मामला इतना महत्वपूर्ण है — (**व्यवधान**) दस महीने हो गये हैं। मुझे आश्चर्य है प्रो० मधु दण्डवते श्री माधव रेड्डी जैसे वरिष्ठ नेता चुप क्यों। इसका विरोध करने वाले सदस्यों से मैं निवेदन करता हूं कि वे इसका विरोध न करें। श्री उन्नी कृष्णन का कहना है कि वह विरोध नहीं कर रहें अपितु व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। (**व्यवधान**) पुरःस्थापना के स्तर पर कभी भी विरोध नहीं किया जाता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसका खण्डन करता हूं। मन्त्री महोदय।

12.51 **म.प.**

गर्म मसाला बोर्ड विधेयक*

[अनुवाद]

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि गर्म मसालों के निर्यात के विकास के लिए और इलायची, उद्योग के नियंत्रण के लिए, जिसके अन्तर्गत इलायची की खेती का नियंत्रण है, तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिये बोर्ड का गठन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

12.52. **म.प.**

नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, गर्म मसाला उपकर विधेयक, 1985, जहां तक यह गर्म मसाला बोर्ड विधेयक, 1985 पर निर्भर है, पर विचार और उसे पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने के सम्बन्ध में निलम्बन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, गर्म मसाला उपकर विधेयक, 1985, जहां तक यह गर्म मसाला बोर्ड विधेयक, 1985 पर निर्भर है, पर विचार और उसे पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने के सम्बन्ध में निलम्बन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

12.53. म.प.

गर्म मसाला बोर्ड विधेयक और गर्म मसाला उपकर विधेयक*

[अनुवाद]

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि गर्म मसालों के निर्यात के विकास के लिए उपाय करने के प्रयोजनों के लिए सभी गर्म मसालों पर, जिनका निर्यात किया जाता है, उपकर के अधिरोपण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

गर्म मसालों के विकास और संवर्धन के लिए एक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है। बेशक पिछले कुछ वर्षों से भारत से गर्म मसालों के निर्यात में आंशिक वृद्धि हुई है परन्तु कुल विश्व-व्यापार में भारत के भाग में कमी आई है।

गर्म मसाला संवर्धन परिषद् इस समय गर्म मसालों के निर्यात पर ध्यान देता है जबकि इलायची के उत्पादन तथा निर्यात का कार्य इलायची बोर्ड देखता है एक सुगठित संगठन के अभाव तथा वित्तीय बाधाओं के कारण भारत गर्म मसालों का विधिवत विकास तथा निर्यात नहीं कर पाया। परिणाम स्वरूप गर्म मसालों के उत्पादन सम्बन्धी विकास सुनियोजित रूप से नहीं हो पाया हैं तथा इसका निर्यात अपरिष्कृत रूप में ही होता है। अच्छे मूल्यों पर तथा उपभोक्ता को एक-साथ सुविधाएँ देकर निर्यात बढ़ाने के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता है गर्म मसालों के लिए बाजार तथा उनके मूल्य में घटा-बढ़ी के कारण उसके उत्पादन क्रम में परिवर्तन होते रहे हैं। विषम उत्पादन क्रम के कारण उसके निर्यात पर भी प्रभाव पड़ा है। गर्म मसालों के निर्यात व्यवसाय में स्थिरता लाये जाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार हमारे उत्पादकों की किस्म सुधार की तथा उत्पादिकता में वृद्धि की निरन्तर आवश्यकता है ताकि भारतीय गर्म मसाले प्रति-स्पर्धा में भली प्रकार ठहर पायें।

गर्म मसालों के अन्वेषण कार्य पर बहुत सी संस्थाएँ कार्यरत हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि इन संगठनों के कार्य को गर्म मसाला बोर्ड जैसे एक केन्द्रीय संगठन के माध्यम से समन्वित किया जाये।

गर्म मसाला व्यापार तथा उद्योग के समक्ष समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भावी निर्यात नीति, गर्म मसालों के उत्पादन और उत्पादिकता, गर्म मसाले का अधिक मूल्य पर निर्यात तथा नये बाजारों की खोज की जानी चाहिए। इसी उद्देश्य के लिए इलायची बोर्ड तथा गर्म मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् के स्थान पर गर्म-मसाला बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान दोनों संगठनों की परिसम्पत्तियों तथा कर्मचारियों को खपाते हुए यह संगठन उनके उत्पादन, विपणन, निर्यात, इलायची तथा अन्य गर्म मसालों के निर्यात संवर्धन कार्यों को देखेगा। नये बोर्ड में उत्पादकों केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अनुसन्धान संस्थाओं, व्यापारियों तथा निर्यातकों के प्रतिनिधि होंगे।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

गर्म मसाला बोर्ड को अपेक्षित संसाधन जुटाने के लिए इस विधेयक की अनुसूची में उल्लिखित सभी गर्म मसालों पर जो निर्यात किये जाते हैं सीमा शुल्क पर मूल्यानुसार 5% की दर से उपकर लगाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक उत्पाद पर उपकर की दर उत्पादन की किस्म पर आधारित होगी।

सभा के समक्ष दो विधेयक उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हैं।

इन शब्दों के साथ मैं गर्म मसाला बोर्ड विधेयक तथा गर्म मसाला उपकर विधेयकों पर सभा द्वारा विचार किये जाने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.00 बजे म० प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर छः मिनट पर पुनः समवेत हुई

[श्री वक्कमपुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

गर्म मसाला बोर्ड विधेयक और गर्म मसाला उपकर विधेयक

[अनुवाद[

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि गर्म मसालों के निर्यात के विकास के लिए और इलायची उद्योग के नियंत्रण के लिए जिसके अन्तर्गत इलायची की खेती का नियंत्रण है, तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए बोर्ड का गठन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

"कि गर्ममसालों के निर्यात के विकास के लिए उपाय करने के प्रयोजनों के लिए सभी गर्म मसालों पर, जिनका निर्यात किया जाता है, उपकर के अधिरोपण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, इलायची बोर्ड तथा गर्म मसाले निर्यात संवर्धन परिषद को समेकित करने वाले विधेयक का केरल की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि मुख्य रूप से इसकी अर्थ-व्यवस्था इन वस्तुओं के निर्यात पर निर्भर करती है। विश्व में इलायची के उत्पादन का 75% भाग केरल में होता है परन्तु दूर्भाग्य से इलायची उत्पादकों का यह अनुभव

[श्री थम्पन थामस]

है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इलायची के मूल्य में भारी कमी आई है। लगयग 3 वर्ष पूर्व इलायची का मूल्य 450 रु० प्रति किलो था। अब इसका मूल्य घटकर 120/- प्रति किग्रा० रह गया है। 1967 से 1969 के बीच ऐसी स्थित आई थी जबकि इलायची के मूल्य में कमी हुई थी किन्तु उस समय केन्द्र सरकार ने इलायाची का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का सूत्र बनाया, उसे खरीदने का भी प्रबन्ध किया था एवं भाण्डागार निगम के साथ इसको भंडार करने की भी व्यवस्था की थी जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकों को उस समय वह मूल्य मिल सका था जो कम से कम उत्पादन के लिए आवश्यक था। 1969 के वाद अब तक उत्पादन लागत काफी बड़ी है 1967-1969 के बीच यह मूल्य लगभग 80 से 90 रु० था और अब 120/= रु० है। इसका मतलब यह है कि इलायची के उत्पादकों को वास्तव में उतना मूल्य नहीं मिल पाता है जिसके लिए वे परिश्रम करते हैं। इलायची उगाने का क्षेत्र भी है, अर्थात जिस क्षेत्र में इलायची का उत्पादन किया जा सकता था, उसका उपयोग नहीं किया गया है। इलायची के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को ईमानदारी से प्रयास करने की आवश्यकता है।

इस समय हमारे देश में ग्वाटेमाला के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ रही है अन्तराष्ट्रीय बाजार में ग्वाटेमाला भारत के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहा है और भारत जिन देशों को निर्यात करता था, उनमें से अधिकांश देश उसका अब ग्वाटेमाला से आयात कर रहे हैं। फिर भी वह केवल 25 प्रतिशत आवश्यकता ही पूरी कर सकता है और इसलिए इलायची का निर्यात अब भी अधिकांश देशों को भारत से ही किया जाता है इसलिए इस बात की विशेष आवश्यकता है कि भारत में निर्यात बढ़ाने तथा उसका उत्पादन बढ़ाने की चेष्टा की जाये।

निस्सन्देह अन्य राज्यों में नये क्षेत्रों को इलायची का उत्पादन करने के लिये उपयोग में लाया गया है। इससे कुछ और समस्यायें पैदा हो गई हैं। नये क्षेत्र में सिक्कम, कर्नाटक के कुछ भाग उड़ीसा और असम हैं; किंतु इन स्थानों में पैदा होने वाली इलायची उतनी अच्छी नहीं है, जितनी केरल की है। 'अलप्पी बोल्ड' नाम की अच्छी किस्म की इलायची की मांग जापान जैसे सूदूर पूर्व में स्थित देशों तथा ग्रीस में प्राचीन समय से ही रही है। इसलिए अलप्पी बोर्ड इलायची' नाम की विश्व की सर्वोत्तम इलायची अलप्पी में ही पैदा होती है। किन्तु अब उतनी अच्छी किस्म की इलायची उपलब्ध नहीं है। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि निर्यात संवर्धन परिषद् और निर्यात संवर्धन एजेन्सियों का गुणवत्तता नियन्त्रण और कार्यनिष्पादन बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है वह पूर्णतया असंतोषजनक है। निर्यात संवर्धन परिषद् अपेक्षित संवर्धन गतविधियों की ओर ध्यान नहीं देता है। निस्सन्देह, संवर्धन परिषद् तथा इलायची बोर्ड को विलय करने का सरकार का प्रयत्न बहुत ही अच्छा है। किन्तु इसके साथ ही, मुझे आशंका है कि इन दोनों के विलय से इलायची का महत्व कम हो जायगा। इसलिए, वे दोनों अलग-अलग कार्य कर रहे हैं, एक निर्यात बढ़ाने के लिए कार्य करता है। और दूसरा उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य करता है। इन दोनों को मिलाकर एक कर देने से मुझे यह भय कि इलायची का महत्व ही समाप्त हो जायगा। वास्तव में मैं उनके विलय किये जाने का विरोधी नहीं हूं। किन्तु मैं यह चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक संरक्षणों की व्यवस्था की जाये।

यहां मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। महोदय इन क्षेत्रों में बन काटे जा रहे हैं; जिसके कारण इलायची के लिए पर्याप्त छाया नहीं मिल पाती है। उत्पादकों की यह

समस्या है। इसके अलावा, जिस भूमि में इलायची का उत्पादन किया जाता है; वह भूमि अधिकांश रूप से बन विभागों की हैं और इस भूमि के वृक्ष अन्य प्रयोजनों के लिए काटे जा रहे हैं। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि इन क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्ष काटे जा रहे हैं। इससे इलायची की खेती पर बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए इन क्षेत्रों में अंधाधुंध वृक्ष काटने वालों के बिरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। महोदय, मेरा सुझाव है कि इलायची की खेती के लिए बन का सीमांकित किया जाना चाहिए। केरल राज्य में इस प्रकार की विचित्र स्थिति है। केरल की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हर हालत में इसको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इस स्थिति को प्रस्तुत करने के अलावा मैं माननीय मन्त्री महोदय तथा सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि इलायची के विपणन के बारे में न तो इलायची बोर्ड और न ही निर्यात संबर्धन परिषद् अधिक ध्यान देती है। उत्पादकों को कम मूल्य मिल पाता है और बिचौलियों को जो उनके मार्ग में बाधक हैं, जो इलायची के व्यापारी कहे जाते हैं, निर्यात के नाम पर हर प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाता है जब कि वास्तविकता यह है कि 2, 3 या 4 एकड़ से कम भूमि रखने वाले उत्पादकों को बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तव में सरकारी प्रस्तावों और सरकार की भागिता से केवल व्यापारियों को ही लाभ होता है। वास्तव में व्यापारी ही उत्पादकों का शोषण कर रहे हैं इसलिये, मेरा सुझाव है कि इस क्षेत्र में भी कृषि सहकारिता को बढ़ावा देने तथा इन वस्तुओं के लिए बिपणन का प्रबंध सहकारी समितियों को सौंपने के लिये सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए तथा निर्यात का कार्य भी सहकारी क्षेत्र को सौंपा जाये और बिचौलियों को इस व्यापार से हटाया जाये।

इलायची के अलावा भी कुछ ऐसी बस्तुयें जिन्हें मसालों के अन्तर्गत माना जाता है मसाले दो प्रकार के हैं। इलायची, लौंग और जायफल एक प्रकार के मसाले हैं। ये ऐसी वस्तुयें हैं जिन्हें लम्बी अवधि के आधार पर पैदा किया जाता है। महोदय, आपने मसालों की परिभाषा बताई है। मेरे विचार से इनमें लम्बी अवधि की खेती वाले और अल्प अवधि की खेती वाले मसालों में स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। अदरक की फसल हर वर्ष होती है और वह भी मसालों में शामिल है। हल्दी भी मसालों में आती है और यह सालाना फसल है। इसलिये मसालों की श्रेणी में अदरक और हल्दी को रखते समय उन्हें इलायची, जायफल और लौंग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। मसालो में काली मिर्च भी आती है। काली मिर्च की खेती और प्रकार से होती है। इलायची, जायफल और लौंग की खेती विभिन्न प्रकार से होती है। काली मिर्च तथा ऐसी ही अन्य प्रकार की अन्य बस्तुओं के लिए और प्रकार की खेती की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार, हल्दी और अदरक के लिए भी अन्य प्रकार से खेती करने की आवश्यकता पड़ती है। इस संदर्भ में, मेरा सुझाव है कि कानून के अन्तर्गत इन मसालों को परिभाषित करते समय जब आप इन वस्तुओं को इस प्रकार अलग रखने में सावधानी बरतें कि इनकी खेती को प्रोत्साहन मिल सके।

अदरक उत्पादकों की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। जो अदरक 45 रुपये प्रति किलो बिकती थी अब उसका मूल्य घटकर 9 रु० प्रति किलो रह गया है। गरीब आदमी जो इसकी खेती करता है, उसे सरकार से अथवा भू-स्वामी से भूमि लेनी पड़ती है। उसकी आय बहुत कम रह गई है। जिस वस्तु का मूल्य उसे 45 रु० प्रति किलो पहले मिलता था अब 9 रु० प्रति किलो ही मिलता है।

[श्री थम्पन थामस]

इसके अलावा, हल्दी, अदरक और ऐसी अन्य वस्तुओं की आवश्यकता अन्य देशों को होती है, और इसलिए हमें यह देखना होगा कि इस प्रकार की खेती को प्रोत्साहन मिले।

इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि इन मदों के निर्यात करने के मामले में ऐसा होता है कि ये वस्तुओं मिला दी जाती हैं। केरल की वस्तुयें सर्वोत्तम होती हैं। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कोचीन जो एक बंदरगाह है, से इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है; देश के अन्य भागों की घटिया किस्म की वस्तुओं को मिलाकर उनका निर्यात किया जाता है। यह स्वभाविक है कि आयात करने वाले देश कभी कभी इन वस्तुओं को लौटा भी देते हैं। गुणवत्ता नियन्त्रण करके इसे रोकना होगा। इसके लिये समुचित जाँच और नियन्त्रण किया जाना चाहिये। यह इसके उत्पादन और निर्यात के संबंध में था।

आप जो प्राधिकरण बना रहे हैं अब उसकी बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि बोर्ड में लगभग 34 सदस्य होंगे। मजदूर संघों, सहकारी समितियों और गैर-सरकारी लोगों का प्रतिनिधित्व क्या होगा? इससे पूर्व जो इलायची बोर्ड गठित किया गया था; उसमें मजदूर संघों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व केन्द्रीय मजदूरसंघों को बोर्ड में अपने प्रतिनिधि नामजद कराने होते हैं। प्राप्त था। किन्तु इस समय इस बोर्ड में अधिकांश सदस्य सरकारी और अफसर शाही हैं। उसमें केवल दो सदस्य लोक सभा के तथा दो सदस्य राज्य सभा के हैं। मेरा प्रस्ताव है कि सहकारी समितियों, कर्मचारी संघों तथा इसी प्रकार के अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल करके गैर सरकारी लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाये जिससे कि वे लोग उत्पादनों तथा अन्य लोगों की कठिनाइयों पर प्रकाश डाल सकें। अतः इन व्यक्तियों को बोर्ड में रखने के लिए कदम उठाये जायें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और निस्सन्देह जैसा कि मैं कह चुका हूं कि वास्तव में मैं इन विधेयकों का समर्थन करता हूं क्योंकि इन विधेयकों का उद्देश्य इलायची बोर्ड तथा मसाला निर्यात संवर्धन परिषद के कार्यकरण को समेकित करना है किन्तु इसके साथ ही आवश्यक पूर्वोपाय करने की भी आवश्यकता है; जैसाकि मैंने सुझाव दिया था।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) :– सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य इलायची बोर्ड और मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् के कार्यकरण को समेकित करना है।

जैसा कि मैं कह चुका हूं कि मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि विपणन का प्रबंध करने के अलावा मसाला बोर्ड मसालों के उत्पादन और विकास पर ध्यान देगा।

इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री को यह बताना चाहता हूं कि गत कई वर्षों से हम मसालों के विकास पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय मसालों का हमारा निर्यात बहुत अच्छा था। तथापि गत 37 वर्षों के दौरान, मसालों के निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई है। मूल्यों में एकक मूल्य में वृद्धि होने के कारण हमें लाभ तो अधिक मिल रहा है किन्तु मात्रा के आधार पर हमारा निर्यात नहीं बढ़ा है। उदाहरण के तौर पर कालीमिर्च को लिया जा सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, विश्व में काली मिर्च के हम सबसे बड़े निर्यातक थे। विश्व को निर्यात की जाने

वाली काली मिर्च का लगभग अस्सी प्रतिशत भाग हमारे यहाँ से निर्यात किया जाता था। अब हम केवल बीस प्रतिशत भाग निर्यात कर पा रहे हैं।

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : यह केवल पन्द्रह प्रतिशत है।

प्रो० पी० जे० कुरियन :— ठीक है; मैं अपनी भूल ठीक कर लेता हूं। अतः इसका मतलब क्या है? अतः मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम कालीमिर्च के उत्पादन पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आपके निर्यात की जाने वाली अनेक वस्तुओं पर काफी धनराशि व्यय कर रहे हैं निस्संदेह इसका अच्छा परिणाम निकलता है। किन्तु यदि उस राशि का एक प्रतिशत भाग भी काली मिर्च पर व्यय किया जाता तो हमारा निर्यात तीन चार गुना बढ़ जाता और केवल इसी एक मसाले से हमारी विदेशी मुद्रा में वृद्धि हो जाती।

श्री पी० शिवशंकर : आपके निर्वाचन क्षेत्र में काली मिर्च अधिक पैदा होती है

प्रो० पी० जे० कुरियन : जी नहीं, महोदय, हमारे यहां इलायची और काली मिर्च दोनों ही पैदा होते हैं। किन्तु मैं कुछ मिर्च लगाना चाहता हूं।

श्री पी० शिवशंकर : आप कृपया कुछ उत्साह बढ़ाइये।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इस प्रकार हम इस मसाले की उपेक्षा करते आ रहे हैं। यद्यपि हम निर्यातोन्मुख उद्योगों तथा जिन वस्तुओं के निर्यात से आय होती है उनको अधिक महत्व देते रहे हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि काली मिर्च की उपेक्षा क्यों की जा रही है। मुझे आशा है कि हमारे नये वाणिज्य मंत्री, अपनी गतिशीलता से इस पहलू पर विशेष ध्यान देंगे तथा काली मिर्च का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

किन्तु मुझे यह देखते हुए खेद हो रहा है कि इस नये विधेयक में, जो यहां प्रस्तुत हो रहा है, काली मिर्च के उत्पादन पहलू और विकास पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इलायची और रबड़ की भांति काली मिर्च का उत्पादन पहलू भी आप के मंत्रालय के परिदृश्य में लाया जाना चाहिए और मैं अनुरोध करता हूं कि वाणिज्य मंत्रालय इस की ओर भी ध्यान दे।

श्री पी० शिव शंकर : यह इसमें है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : जी नहीं, यह इसमें नहीं है। उत्पादन तथा विकास पहलू किसी और मन्त्रालय के अन्तर्गत है। काली मिर्च एक ऐसी वस्तु है जिसके निर्यात से लाभ होता है, मैं चाहता हूं कि इसके उत्पादन और विकास का पहलू आपके मंत्रालय के अन्तर्गत हो। यह मेरा अपना सुझाव है और मैं निवेदन करता हूं कि इसमें आवश्यक संशोधन किया जाए और ऐसा करने के लिए प्रशासनिक आदेश जारी किए जाएं।

मैं आपको यह सूचना भी देना चाहता हूं कि काली मिर्च का उत्पादन औसत 325 किलो प्रति एकड़ है। जबकि ब्राजील में यह 4 हजार किलो और मलयेशिया में 4 हजार किलो से भी अधिक है। हम केवल 300 किलो प्रति एकड़ के बराबर उत्पादन करते हैं। काली मिर्च की व्यापक खेती आरंभ करने की आवश्यकता नहीं है। अपितु हमें केवल उत्पादकता में वृद्धि करने की योजनाएं बनानी चाहिए। इसकी ओर मैं अधिक ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि काली मिर्च का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएं।

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

अब मैं इलायची की बात करता हूं। इस देश में इलायची का अधिक उत्पादन मेरे चुनाव-क्षेत्र में होता है। हम 4,500 टन छोटी इलायची पैदा करते हैं और एक हजार टन बड़ी इलायची पैदा करते हैं जो उत्तर-पश्चिम से आती है। 4,500 टन छोटी इलायची में से 2,500 टन मेरे चुनाव क्षेत्र से आती हैं। किन्तु आज इलायची की स्थिति क्या है? दुर्भाग्य से मूल्य इतने गिर गए हैं कि किसान अपने उत्पाद को किसी भी मूल्य पर नहीं बेच सकते हैं और उन्हें यह बहुत ही कम मूल्यों पर बेचने पड़ते हैं। इलायची के लिए उचित ग्राहक भी नहीं हैं। पिछले वर्ष इलायची का मूल्य 250 रु० प्रति किलो था। इस वर्ष यह 125 रु० से भी कम है। गत वर्ष से एक वर्ष पूर्व इलायची का मूल्य 400 रु० से अधिक था।

मैं नहीं कहता हूं कि हमें 400 रु० मिलने चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं कि उस वर्ष उत्पादन बहुत कम था अतः मूल्य 400 रुपये तक बढ़ गया। हम यह मूल्य नहीं चाहते हैं। किन्तु गत वर्ष उत्पादन पर्याप्त था, गत वर्ष 4,500 टन का उत्पादन हुआ जिसमें से 2,500 टन निर्यात किए गए और 250 रुपये प्रति किलो मूल्य भी उचित था। किन्तु इस वर्ष प्रति किलो मूल्य 125 रुपये से कम है। इलायची बोर्ड, अर्थात आपके अपने संस्थान ने इलायची की लागत 150 रुपये प्रति किलो आंकी है। निस्संदेह, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं। इलायची उत्पादक सीमान्त तथा छोटे कृषक हैं और वह ऐसी शैली तथा ऐसे उपकरणों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिस पर कम लागत आये। उनके लिए वास्तविक उत्पादन लागत 200 रु० प्रति किलो आती है। किन्तु इलायची बोर्ड द्वारा उत्पादन की अनुमानित लागत यदि 150 रु० स्वीकार की जाए तो इस समय 125 रुपये से भी कम मूल्य है। इलायची उत्पादक अपने उत्पादन को फेंक देने के लिए विवश हो जाते हैं।

अतः मेरी यह शिकायत है कि यद्यपि इन किसानों की सहायता के लिए बहुत से ठोस प्रस्ताव हैं। फिर भी आपके मंत्रालय ने कोई ठोस कार्य नहीं किया है। अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण मूल्य घट गए हैं? क्योंकि इलायची के निर्यात में ग्वाटेमाला हमारा प्रतिद्वन्दी है।

ग्वाटेमाला ने भी इलायची उत्पादन किया है और उनका उत्पाद भी बहुत अधिक है। अतः वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इलायची भेज रहे हैं। इलायची के मूल्य गिर जाने का यह भी एक कारण है। इस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें किसानों की सहायता करनी है।

यहां मुझे एक बात का उल्लेख करना है कि हमारे यहां एक इलायची व्यापार निगम है जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। इस इलायची व्यापार निगम की स्थापना केन्द्रीय सरकार द्वारा इलायची की प्राप्ति तथा निर्यात के लिए की गई थी। इस वर्ष हमने लगभग 2500 टन इलायची का निर्यात किया है। इसमें से इलायची व्यापार निगम ने कितना निर्यात किया है? मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि केन्द्रीय सरकार की यह संस्था जो इलायची खरीदने तथा निर्यात करने के लिए स्थापित की गई है यह बाजार में नहीं आ रही है और मैं निश्चियपूर्वक कहता हूं कि ऐसा गैर सरकारी व्यापारियों की सांठ, गांठ से किया जाता है। हमारे देश से निर्यात किए गए 2500 टन इलायची में से लगभग सारी मात्रा गैरसरकारी व्यापारियों द्वारा निर्यात की गई है। वह केवल मुठ्ठी भर गैरसरकारी निर्यातक हैं। ये गैरसरकारी निर्यातक इलायची नीलाम केन्द्रों में चले जाते हैं। वह उनके साथ समझौता करते हैं और मूल्यों को घटाते हैं। मूल्य तो पहले ही

कम होता है और वह इसे और कम कर देते हैं। इलायची व्यापार निगम, जिसको इलायची खरीदने के बाद इसका निर्यात करना होता है, नीलामी से दूर ही रहते हैं। वह अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं और मैं यह आरोप लगाता हूं कि गैरसरकारी व्यापारियों के साथ मिले हुए हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर कार्यवाही करें और कुछ करें अतः मेरा निवेदन है कि मैं नहीं चाहता कि सरकार बड़े पैमाने पर कार्य करे, किन्तु इलायची व्यापार निगम अथवा राज्य सरकार की और कोई एजेंसी—एस० टी० सी० नीलाम केन्द्रों पर जाए और इलायची खरीद कर इसका निर्यात करे।

महोदय, आप की सूचना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इलायची का मूल्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब भी मूल्य 14 से 16 डालर है अर्थात लगभग 170 रु० से अधिक। जबकि इलायची का मूल्य-देश-में 125 रु० से कम है। अतः पहले ही 50 रु० का अन्तर है। हर समय अन्तर्राष्ट्रीय बाजार तथा देशी मूल्य में 50 रु० से अधिक का अन्तर था।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप के चुनाव क्षेत्र में ऐसा है पर दिल्ली के बारे में आप क्या कहते हैं ?

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं भी तो यही कह रहा हूं। मैं इसकी बात करता हूं। इलायची का उत्पादन इडुक्की, केरल अथवा तमिलनाडु में होता है। वहां इसका मूल्य केवल 125 रु० है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : वह इलायची के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : इलायची के मूल्य में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार और देश के अन्दर खरीद मूल्य में सदा 50 रुपये से अधिक का अन्तर रहा और इसके अतिरिक्त आप इलायची निर्यातकों को 10 प्रतिशत सी० सी० एस० देते हैं। अतः गैरसरकारी निर्यातकों ने इस वर्ष बहुत लाभ कमाया है। इलायची व्यापार निगम ने भी कुछ नही किया। सरकार ने भी इलायची निगम के लिए कुछ नहीं किया। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि आप समर्थन मूल्य दिलाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। किंतु, उन्हें बाजार में जाने दीजिए तथा न लाभ न हानि के आधार पर इलायची खरीदने तथा इसका निर्यात करने दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु, मैं कहता हूं कि वे अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय : वास्तव में मैं आप को अधिक समय देना चाहता हूं। किंतु हमारे पास इस विधेयक के लिए केवल एक घंटा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। श्री डागाजी ने दिल्ली के मूल्यों के विषय में एक बात कही है। मैं भी तो यही कहता हूं। इस पूरे वर्ष के दौरान मैं दिल्ली के भाव देखता रहा। दिल्ली में इलायची के उपभोक्ता मूल्य कभी भी 300 रुपये से कम नहीं थे। मैंने हमेशा हर समय 300/- रुपये की दर से इलायची खरीदी।

दिल्ली में थोक मूल्य हर समय 200 रुपये से अधिक था। परन्तु इस देश में उत्पादन केन्द्र पर हर समय 115 रु० से कम मूल्य रहा है। अतिरिक्त राशि कहां जाती है ? सारी अतिरिक्त राशि गैर सरकारी व्यापारियों के पास चली जाती है। अतः मुझे वाणिज्य मंत्री से निवेदन करना है। वे यहां नहीं हैं। केवल श्री पुजारी यहां हैं।

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

कॉफी के विषय में, मैं बताता हूं। कुछ समय पहले आप ने सामूहिक प्रणाली और कॉफी उत्पादकों को सहायता देना आरंभ किया था जिसमें कॉफी निर्यात की जाएगी और इसमें जो भी लाभ की अतिरिक्त राशि हैं, वह उत्पादकों को दी जाएगी। इसी प्रकार इलायची के विषय में भी आप एक ऐसी योजना बनाइये जिससे इलायची व्यापार निगम इलायची खरीदे और इसका निर्यात करे और लाभ की अतिरिक्त राशि उत्पादकों को वापस दी जाए। इलायची इसी एजेंसी द्वारा निर्यात की जाए।

वाणिज्य मंत्रालय में इलायची बोर्ड द्वारा निर्यात करने का प्रस्ताव है। यह अभी विचाराधीन हुआ है। इसे अभी मंत्रालय ने मंजूर नहीं किया है। मैं निवेदन करता हूं कि शीघ्र मंजूर किया जाए।

मुझे अन्य मसालों के बारे में भी कहना है किंतु, समय के अभाव से मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। इलायची, काली मिर्च तथा लौंग बागान फसलें हैं। इन्हें उगने में कई वर्ष लगते हैं। किंतु अदरक, हल्दी, आदि जैसे मामूली मसाले भी तो हैं। इनमें से प्रत्येक के लिए अलग योजना होनी चाहिए। बजट में प्रत्येक मसाले के लिए प्रावधान होना चाहिए। अन्यथा सभी बड़े मसाले आवंटित राशि का अधिकाधिक भाग ले लेंगे और मामूली मसालों को कुछ भी नहीं मिलेगा।

मसाला निगम के गठन की बात करते हुए, मैं सुझाव देता हूं कि उत्पादकों तथा श्रमिक संघों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। व्यापारियों तथा निर्यातकों का बहुत अधिक प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए।

इन सुझावों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और विधेयकों का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, वाणिज्य मंत्री यहां पर नहीं हैं।

सभापति महोदय : श्री पुजारी यहां हैं।

श्री सुरेश कुरूप : मैं इन विधेयकों का स्वागत करता हूं। यह इस देश की चिरकालीन मांग पूरी कर रहे हैं। इस निगम के अधिकार के अन्तर्गत 26 प्रकार के मसाले आते हैं। मसाला निगम के गठन के पश्चात् इलायची बोर्ड समाप्त हो जायेगा।

इन 26 प्रकार के मसालों में सबसे महत्त्वपूर्ण मसाला इलायची है। मेरे दो माननीय साथियों ने, जिन्होंने पहले बोला, इस बात का उल्लेख किया कि केरल की अर्थव्यवस्था में इलायची का क्या महत्व है। यद्यपि आंकड़ों का पहले ही उल्लेख किया गया है, मुझे इन में से और कुछ का वर्णन करने दीजिए।

भारत में जहां इलायची की खेती की जाती है उसका कुल क्षेत्र 9,394 हेक्टेयर है। इसमें से केरल में लगभग 56,376 एकड़ है और कुल उत्पादन का लगभग 65% से 70% तक होता है। इसका पहले ही यहां उल्लेख किया गया है। अतः मैं इसका विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं करना चाहता हूं।

1984-85 में भारत से 65 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 2,367 टन इलायची निर्यात की गई। कुल राशि 65 करोड़ रुपये थी और इसमें से लगभग 60 करोड़ की इलायची केरल से निर्यात की गई। यह कुल उत्पादन का मुख्य भाग है। इसका मतलब यह हुआ कि केरल से 95% से अधिक इलायची आती है। इलायची उत्पादन करने वाले अधिकांश छोटी जोत वाले किसान हैं। इलायची उत्पादकों के समक्ष मुख्य समस्या मूल्यों में गिरावट है। मेरे साथी प्रो. कुरियन ने इस बारे में पहले से उल्लेख किया है। पिछले वर्ष इलायची का मूल्य 200 रु० हो गया था और दो वर्ष पहले इसका मूल्य 450 रुपये हो गया था। अब इसका मूल्य 120 रुपये तक आ गया है। बिक्रीकर, कमीशन, गोदाम शुल्क, आदि देने के बाद एक किसान को केवल 110 रुपये या लगभग इतना ही प्राप्त होता है। किसान की जेब में वास्तविक राशि केवल 110 रु० आती है।

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इलायची बोर्ड जिसका कार्य इलायची निर्यात के कार्यक्रम को बढ़ाना माना जाता है, जिसे किसानों, विशेषरूप से छोटे किसानों की सहायता करने के लिए समझा जाता है, यह कार्य नहीं कर रहा है। इलायची बोर्ड का वास्तविक रूप से वही उद्देश्य था जिस लिए गर्म मसाला बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इलायची बोर्ड से ये सब चीजें करने की अपेक्षा की जाती हैं, लेकिन इस दुःखद स्थित में यह कोई भी सहायता नहीं दे रहा है, किसानों की कोई मदद नहीं कर रहा है।

हम ग्वाटेमाला के साथ भी प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पा रहे हैं जो कि विदेशी बाजार में हमारे उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर रहा है में उन सब बातों को दुहरा नहीं रहा हूँ। जिनका यहां उल्लेख किया गया था परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात जो वाणिज्य मत्री जी या गर्म मसाला बोर्ड को करनी चाहिये वह यह है कि इलायची उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य मिलने चहिये केरल में यह बड़ी गम्भीर समस्या है। विशेष कर पहाड़ी क्षेत्रों की समस्त अर्थव्यवस्था इलायची उत्पादन पर निर्भर करती है।

सोभाग्यवश काली मिर्च के अच्छे मूल्य है लेकिन अब निर्यात के मामले में हम ब्राजील और उसके बाद इन्डोनेशिया से कड़ा मुकावला कर रहे हैं। हम उनकी चुनौती का मुकावला भी नहीं कर सकते हैं।

केरल का एक अन्य महत्वपूर्ण गर्म मसाला अदरक है। पिछले वर्ष एक किलो अदरक का मूल्य 42.4 रु० था। इस वर्ष यह प्रतिकिलो 9 रु० कम हो गया है। केरल में भूमि का अधिकांश भाग खेती के अन्तर्गत है। भारत में केरल का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले वर्ष तक वहां पर व्यवस्था थी। राज्य विपणन संघ अदरक की खरीद करता था और तब उसका निर्यात करता था। परन्तु गत वर्ष निर्यात किये अदरक की गुण वत्ता के बारे में कुछ समस्या सामने आई थी। हमारे देश से निर्यात किये गये अदरक को आयातक द्वारा स्वीकार कर दिया गया था। उसके बाद केरल राज्य विपणन संघ को जो इस अदरक को खरीदता था, बाजार से हटा लिया गया है। और अब गरीब किसान उनमें से अधिकांश 95 प्रतिशत, छोटे किसान हैं वे इस एकाधिकारी व्यापारी की दया पर है। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है राज्य और केन्द्रीय दोनों सरकरें तथा गर्म मसाला निर्यात संवर्धन परिषद बोर्ड-ये सभी बोर्ड इस दुःखद स्थित पर चुपचाप बैठे हैं।

अतः बोर्ड का यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए। और सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वाणिज्य मंत्रालय को उन किसानों के लिए तुरन्त ऐसे उपाय करने चाहिये जिससे कि अदरक की खेती करने वाले किसानों को लाभप्रद मूल्य मिल सके। में इन सभी मुख्य बातों का उल्लेख करना चहाता हूँ।

[श्री सुरेश कुरूप]

बोर्ड के गठन के बारे में यहां बतया गया है कि बोर्ड में छः सदस्य होगें जिसमें गर्म मसलों के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व होगा, परन्तु छोटे किसानों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये अन्यथा सामान्य प्रक्रिया यह है कि केवल बड़े उत्पादकों तथा बागान मालिकों को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा।

में पहले वाले वक्ताओं से भी पूरी तरह से सहमत हूं कि मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को भी इस बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : श्री डागा जी, क्या आपके राज्य में कोई गर्म मसाला है ?

श्री मूल चन्द्र डागा (पाली) : यह विधेयक किस लिए आया है ?

[हिन्दी]

इस बिल के अन्दर जो आप ने बोर्ड बनाया है, वह मेघालय की एसेम्बली के बराबर है। मेघालय की एसेम्ली हो या मनीपुर की एसेम्बली हो, उसके मेम्बरों की बराबर आप ने इस बोर्ड में मेम्बरों को रखा है। 32 मेम्बर इस बोर्ड में होंगें। मैं ने देखा है कि जितने भी कामर्स डिपार्टमेंट में बोर्ड बनते हैं, उनका एक्सपेंडीचर बहुत हैवी हो जाता है और पैसे का बहुत ज्यादा दुरुपयोग होता है और जो बोर्ड बनते हैं, कभी ठीक से फंकशन नहीं करते हैं। इस बोर्ड में 32 मेम्बर होगें। ये 32 मैम्बर क्या करेंगे। इन में टी. ए. और डी. ए पर कितना पैसा खर्च होगा। आप ने कह दिया कि 20 लाख रुपया खर्च होगा। एक तरफ आप चाहते हैं कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट करें और दूसरी तरफ आप खर्चा बढ़ा रहे हैं। आप ने एक बोर्ड बना दिया लेकिन इस का उद्देश्य यह होना चाहिए कि ज्यादा उत्पादन हो और लोगों को लाभ मिले और गर्म मसाला ज्यादा उपलब्ध हो लकिन बूढ़े लोग तो गर्म मसाला खाते ही नहीं हैं। केरल के लोग ज्यादा गर्म मसाला खाते हैं और इस लिए ज्यादा गर्म हो जाते हैं।

अब आप यह देखिये कि इसमें आप ने क्या लिखा है :

[अनुवाद]

"इलायची के उपभोग में वृद्धि करने हेतु" में इसको समझ नहीं पाया हूँ "इलायची के उपभोग में वृद्धि करने हेतु" इसका अर्थ क्या है ?

[हिन्दी]

आप ने कहा है कि कन्जम्पशन बढ़ना चाहिए। आप एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं या कन्जम्पशन बढ़ाना चाहते हैं। यह आप ने क्या ओबजेक्ट लिख दिया है।

[अनुवाद]

कृपया इस खण्ड को देखिए

[हिन्दी]

आप कहते हैं कि कार्डामम का खर्च बड़ा है। ···(व्यवधान)·· ज्यादा खाएगें, तो यहां बैठना मुश्किल हो जाएगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अधिक गर्म मसाला लेने की कोशिश मत करिये। बोर्ड एक सचिव नियुक्त करेगा । बोर्ड क्या करेगा ? "बोर्ड सचिव और ऐसे अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगा·····", आदि, आदि। अतः सभी 32 सदस्य मिलकर सचिव को नियुक्त करेंगे तथा अन्य अधिकारी नियुक्त किए जायेगें।

[हिन्दी]

यह क्या बिल बनाया है। यह आप ने नहीं बनाया है, यह तो श्री अर्जुन सिंह का बनाया हुआ है। आप बीच में आ गये।

[अनुवाद]

खंड 4 किस प्रयोजन के लिए है ?

"(1) बोर्ड सचिव और अन्य ऐसे अधिकारियों की नियुक्त कर सकेगा·····

यहां ऐसा होना चाहिये था, "चेयरमेन····· नियुक्त कर सकेगा····· ····" बोर्ड में 32 सदस्य होंगे और वे एक सचिव को नियुक्त करेंगे और बाद में खण्ड 4 में यह उल्लेख है :

"(2) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होगीं जो विनयमों द्वारा अवधारित किए जाएं।"

ये विनिमय कौन बनायेगा ?

"····· ····जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं"

क्या उन्हें बोर्ड द्वारा बनाया जाना है और केन्द्रीय बोर्ड द्वारा मंजूरी दी जानी है ?

लेकिन आपने विनियम के बारे में कुछ नहीं कहा है। विनियम कौन बनायेगा ? वे विनियम कौन तैयार करेगा ? वे विनियम कौन बनाएगा ?

बोर्ड के सदस्यों को किसानों के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए।

[हिन्दी]

इस एक्ट के अन्तर्गत उनको कोई पावर्स नहीं दी गई है।

एक माननीय सदस्य : वे अपनी पावर्स दे देंगे।

श्री मूल चन्द डागा : कौन देगा, कहां से देगा ?

आपने इसमें पहले साल का खर्चा 20 लाख रुपये का बताया है। आप यह कहीं नहीं बताते कि बोर्ड का कितना खर्चा होगा।

[श्री मूल चन्द डागा]

यह जो कामर्स मिनिस्ट्री है इसमें न जाने कितने बोर्ड हैं। जूट बोर्ड है, कोयर बोर्ड है, रबड़ बोर्ड है, कोकोनट बोर्ड है। सारे बोर्ड के जरिये ही जब आप काम करते हैं तो मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है। सारे बोर्ड केरल में ही हैं।

[अनुवाद]

तब आप कहते हैं कि बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। बिना किसी नोटिस के इसे किस तरह समाप्त कर दिया जायेगा। आप उसको नोटिस नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

आप जब यह एक्ट बनाने जा रहे हैं तो इसे कुछ तो बनाइये। आप इसे इतनी जल्दी ले आये। हमें पता ही नहीं चला कि यह बिल आज आयेगा।

[अनुवाद]

तब यह कहा जाता हैं कि छः महीने के लिए इसे समाप्त किया जा सकता है और छः महीने के भीतर इसे पुनः बनाया जा सकता है।

[हिन्दी]

ये सारे रूल्स एण्ड रेगुलेशंस बनाने के बाद जो बोर्ड बनता है वह खर्चा बढ़ाने का एक तरीका है। इससे आप और टैक्स लगायेंगे और टैक्स लगने के बाद आपका एक्सपोर्ट मंहगा होगा यह जो डायरेक्ट एक्टपोर्ट करते थे, यह ठीक था।

कोई रूल्स एण्ड रेगुलेशंस इसके बारे में नहीं हैं और आप बोर्ड बनाने जा रहे है।

[अनुवाद]

यह अधिनियम केवल उस समय लागू हो सकता है जब नियम बनाये जाते हैं।

[हिन्दी]

एक माननीय सदस्य : केरल वाले इसको सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : वे तो करेंगे।

[अनुवाद]

केरल के सदस्य बिना पढ़े इस विधेयक का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वे इस बोर्ड के सदस्य बनेंगे।

[हिन्दी]

इतना हेस्टी लेजिस्लेशन पास करना उचित नहीं है।

[अनुवाद]

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : उनके ये शब्द कि "केरल के सदस्यों ने बिना पढ़े इस विधेयक का समर्थन किया है" हटा दिये जाएं।

सभापति महोदय : यदि कोई आरोप है तो उसे हटा दिया जाए।

डा० के० जी० अंदियोडी (कालीकट) : मैं गर्म मसाला बोर्ड विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं मसाला बोर्ड के गठन किए जाने का भी स्वागत करता हूं जो इलायची बोर्ड और गर्म मसाला निर्यात संवर्द्धन परिषद का स्थान लेगा।

इलायची की खेती के बारे में, लगभग 80 प्रतिशत इलायची की खेती केरल में होती है और केरल में इसका निर्यात किए जाने से 80 प्रतिशत आज भी प्राप्त होती है।

जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने बताया है कि इलायची की उत्पादकता कम होती जा रही है और इसकी कीमत भी कम होती जा रही है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा माल ग्वाटेमाला के माल की तुलना में देरी से पहुंचता है। अतः हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा उत्पाद ग्वाटेमाला के उत्पाद से बाजार में पहले पहुंचे।

हमारा उद्देश्य मूल्य वर्धित उत्पाद का निर्यात करना है जबकि हम गर्म मसाले बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। यदि हम परिष्करण और उपभोक्ता पैकेटों को श्रेणीबद्ध करने के बाद हम मूल्य वर्धित उत्पाद का निर्यात कर सकते हैं तो स्थानीय रोजगार बढ़ सकता है। विशेषरूप से केरल जैसे स्थान पर जहां सहकारिता प्रणाली का जाल बिछा है। कृषि विपणन समितियां और सहकारी समितियां हैं। प्रत्येक गांव में सहकारी समितियां हैं। यदि हम इस तरह की संस्थाओं को इस कार्य को सौंप दें तो निर्यात, विपणन और श्रेणीबद्ध करने की उत्पादन लागत को कम किया जा सकता है और बाजार में हमें अच्छे दाम मिल सकते हैं।

अल्पकालीन और दीर्घकालीन दो प्रकार की फसलें हैं। काली मिर्च, इलायची, जायफल दीर्घकालीन फसलें हैं जबकि अदरक, हल्दी अल्पकालीन फसलें हैं जिसे खेती और कटाई के लिए 6 या 8 महीने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वर्ष ये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के लोगों द्वारा उगाई जाती है। अतः हमें इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार अच्छे बीज, खाद और कीटनाशी दवाइयां उपलब्ध करा सकते हैं। हालांकि गर्म मसाला अनुसंधान केन्द्रों, इलायची अनुसंधान केन्द्रों में कई अनुसंधान किए जा रहे हैं फिर भी इसके परिणाम नीचे के स्तर तक नहीं दिए जा रहे हैं। नीचे के स्तर तक प्रौद्योगिकी का स्थानातरण सही स्तर का है। 'पेपर वाइन' पर भी अनुसंधान किया गया था। और पूरे वर्ष हम काली मिर्च का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन उत्पादिता तथा अधिक उत्पादन के लिए कृषकों को अच्छे बीज नहीं भेजे जाते हैं।

पिछले सत्र में हमने नारियल के मूल्यों में अभूतपूर्व गिरावट के बारे में चर्चा की थी। नारियल उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने के लिए न तो कृषि मंत्रालय और न ही वाणिज्य मंत्रालय कुछ कर रहा है। हालांकि विशेषरूप से आदेश जारी किए गए थे और इस क्षेत्र में बहुत सी एजेंसियां हैं फिर भी गरीब किसानों को प्रति 1000 नारियलों के लिए 1000 रु० नहीं मिल रहे हैं जबकि एक वर्ष पहले प्रति 1000 नारियलों का मूल्य 4000 रुपए था।

सभापति महोदय : यह विषय नारियल पर बोलने से संबंधित नहीं है।

डा० के० जी० अदियोडी : बोर्डों का गठन आसान है। कृषकों को उत्पादकता और कीमत-वृद्धि का लाभ तब तक नहीं मिलेगा जब तक उपयुक्त अनुवर्ती कार्यवाही न की जाएगी।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : मेरा व्यवसाय खेती है और मैं प्रायः गर्म मसालों की खेती करता हूं। इसलिए मैं गर्म मसाला उगाने वाले किसानों की कठिनाइयां जानता हूं। और इसलिए मैं इन किसानों की कठिनाइयां इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहता हूं।

सदियों से अरब देशों के निवासी हमारे देश में मसाले खरीदने के लिए आते रहे हैं। अब पूरे व्यापार पर बिचौलियों का नियंत्रण है।

केरल में बड़ी इलायची की कीमत 100 रुपए है जबकि दिल्ली में इसकी कीमत 200 रुपए से अधिक है। सरकार को राज्य व्यापार निगम या किसी और एजेंसी के माध्यम से कीमतों में उतार-चढ़ाव का अध्ययन करना चाहिए। कीमतों के एक स्तर से नीचे गिरने पर किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलायची की खेती में अधिक समय लगता है। सभी मसालों के लिए एक बोर्ड का गठन करना सुविधाजनक नहीं होगा क्योंकि दीर्घ अवधि की खेती जैसे काली मिर्च, इलायची, जायफल और लौंग की खेती में पुनः रोपण करने की आवश्यकता होती है। रबड़ में पुनः रोपण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। रबड़ बोर्ड की तरह इलायची बोर्ड को भी बनाए रखा जाए अन्यथा इलायची की खेती करने वालों के लिए दूसरे बोर्ड में बने रहना संभव नहीं होगा। जायफल और हल्दी लघु अवधि वाली खेती है। छह महीने के बाद अगर उनसे फायदा नहीं मिले तो किसी और गर्म मसाले की खेती शुरू कर दी जाती है। लेकिन इलायची की खेती दीर्घ-अवधि की खेती है। इसी तरह काली मिर्च भी दीर्घ-अवधि खेती है। लेकिन जायफल तैयार होने में 8 साल और लौंग को तैयार होने में इससे अधिक साल लग जाते है। श्रीलंका से जायफल और लौंग का आयात किया जा रहा है और इस प्रकार हमारी मूल्यवान विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। जायफल और लौंग की खेती करने वालों के हितों की रक्षा करके आप आयात से बच सकते हैं और विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं।

पिछले साल अदरक की कीमत 47 रुपए थी और अब इसकी कीमत 9 रुपए है। इसका मतलब है कि हमें उत्पादन लागत भी नहीं मिल रही है। गरीब लोग अदरक की खेती करते हैं। पिछले साल अदरक की कीमतें बढ़ गई थीं। शिमोगा और असम-अदरक सुखाने के लिए उपयुक्त नहीं होता लेकिन इसे सुखा कर एक गुणवत्ता नियंत्रक की मदद से कोचीन बन्दरगाह भेज दिया गया। व्यापारियों ने गुणवत्ता नियंत्रक को रिश्वत दी और सारे सूखे अदरक का अमरीका तथा यूरोपीय देशों में निर्यात कर दिया गया। यह अदरक बहुत घटिया किस्म की थी। जब पता लगा की उसमें फफूंदी और बीमारी लगी हुई है तो उसे वापिस भारत भेजा जा रहा है। हमारे भावी व्यापार का क्या होगा ? विदेशी राष्ट्रों को हम पर विश्वास कैसे होगा ? घटिया किस्म की वस्तुएं निर्यात करने का मतलब है कि हमसे कोई नहीं खरीदेगा। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी ख्याति को ठेस पहुंच रही है। अतः मंत्री जी को पता लगाना चाहिए कि निर्यात की गई अदरक भारत को वापिस लौटाने का क्या कारण है और घटिया किस्म की इस अदरक के निर्यात के लिए कौन उत्तरदायी है। उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए और इसके लिए जिम्मेवार लोगों को सजा देनी चाहिए। विदेशों को मानक स्तर से नीचे की अदरक का निर्यात करने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

छोटे गर्म मसालों में हल्दी और अदरक आते हैं। मेरे विचार से आप दो बोर्डों का गठन कर सकते हैं वैसे डागा जी बहुत से बोर्डों का गठन करने की बात कर रहे थे। हम विदेशी मुद्रा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दो बोर्डों का गठन करने से हम न केवल विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे बल्कि अपने लोगों को और काम दे सकेंगें। बहुत से लोग काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन वस्तुओं की खेती और निर्यात करने से हम विदेशी मुद्रा कमाने के साथ-साथ लोगों को काम भी देंगे। अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री मसाला बोर्डों की ओर अधिक ध्यान दें, उनमें छोटे किसानों और उत्पादकों को अधिक प्रतिनिधित्व दें, और केरल के अदरक और काली मिर्च की खेती करने वाले गरीब उत्पादकों को बचाएं तथा जायफल और लौंग का आयात बंद कर दें।

2.58 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, यह जो स्पाइसेज सैस बिल 1985 लाया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा अभी आपने बताया कि इसमें कुछ फर्क करना चाहिए और फर्क यह कि जो लांग टर्म कल्टीवेशन के प्लान्ट्स हैं या वैरायटीज हैं और जो शार्ट-टर्म के हैं, उनके रेट्स में डिफरेंस है। लेकिन इनके डवलपमेंट के संबंध में किस प्रकार से व्यवस्था होगी, इस पर आपको विचार करना चाहिए। दूसरा निवेदन यह है कि आपने ब्रोकर को भी एक्सपोर्ट ट्रेड में लाने की बात कही है। सैक्शन-7 मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"गर्म मसालों के निर्यात के लिए प्रमाण-पत्र दे सकेगा और उसके लिए दलालों को रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा।"

[हिन्दी]

जब आप ब्रोकर का सवाल ले आए हैं तो फिर इन्साफ मिलना बहुत मुश्किल है। जब आप दलाल को बीच में डाल देंगे तो फिर एग्रीकल्चरिष्ट को किस प्रकार से पैसा मिलेगा। जहां-जहां भी दलाल जाता है, कैसा प्राफिट लिया जाता है और किसके इन्टरेस्ट में वे लोग काम करते हैं, इस पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ब्रोकर्स की व्यवस्था निश्चित तरीके से स्पष्ट की जानी चाहिए।

3.00 म० प०

वरना इस ट्रेड को बहुत बड़ा सैट-बैक लगेगा।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

तीसरा प्वाइंट मैं यह उठाना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में जहां ब्रोकर्स और ट्रेडर्स ही सारा काम करते हैं, यदि उसके बजाय हम मार्केटिंग सोसायटीज या कोआपरेटिव सोसायटीज को सारा काम सौंप दें तो अच्छा रहेगा। वैसे आपने इसमें व्यवस्था तो की है मगर वह माकूल तरीके से लागू होगी या नहीं, उसको देखने की आवश्यकता है। यदि मार्केटिंग सोसायटीज या कोआपरेटिव सोसायटीज इस व्यापार को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लें तो निश्चित तरीके से कल्टीवेटर्स और एग्रीकल्चरिस्टस को बहुत बड़ा फायदा होगा। उसका कारण यह है कि ब्रोकर्स या ट्रेडर्स लोग अपनी मर्जी के मुताबिक ही कल्टीवेटर्स को पैसा देते हैं और वह पैसा हर बार घटता जाता है। इसलिए इस बात की तरफ भी ध्यान रखने की आवश्यकता है।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूँ कि सैस, जो आप वसूल करेंगे, आपने कहा है कि मैक्सिमम 5 परसैंट एडवैलोरम वसूल किया जाएगा, परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि कितना इसमें सैस आप वसूल करेंगे। इस सम्बन्ध में आपने बिल में किसी तरह का प्रावधान या व्यवस्था नहीं की है। इस व्यवस्था की भी आपको पूरी जानकारी देनी चाहिए।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूँ कि जब आप एक्सपोर्ट के ऊपर एडवैलोरम सैस लगा रहे हैं, ऐसी हालत में, जो बचा हुआ प्रोडक्शन देश के अन्दर ही रह जाएगा, क्या उसके ऊपर भी सैस लगेगा, या नहीं, वह इससे स्पष्ट नहीं होता। उसकी वजह से जितने अमाउन्ट का घाटा होगा, वह सब इन 22-23 स्पीसीज के प्रोडक्शन और वैल्फेयर डैवलपमैंट के ऊपर खर्च होगा, या क्या होगा; उसकी कैसे आप व्यवस्था करेंगे, इसे भी आप स्पष्ट करें।

अभी तक आपने कहा कि एक्सपोर्ट के मामले ही में अप-टू पांच परसेंट सैस लगेगी, लेकिन जो स्पीसीज बच जाती हैं और लोकल खर्च में आती हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई सैस लगेगा या नहीं, वह भी इससे स्पष्ट नहीं होता। फिर जो व्यापारी इसको खरीदेगा, इसका लेन-देन करेगा, उसके ऊपर किस प्रकार की व्यवस्था होगी जिससे आपको सैस अमाउन्ट के रूप में ज्यादा पैसा मिल सके और आप उस पैसे को इन तमाम स्पीसीज के डैवलपमैंट पर खर्च कर सकें, इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हमारे यहां जितनी ऐसी चीजें मिलती हैं, जो विदेशों में कम हैं, जिनको हम ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फौरन ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, उनका प्रोडक्शन दिन-ब-दिन घटता जा रहा है। इस ओर भी विशेष तौर से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। बोर्ड को इस बात की खास तौर से रिस्पौन्सिबिलिटी दी जानी चाहिए कि वह इन स्पीसीज का प्रोडक्शन बढ़ाने का इंतजाम करे ताकि हम उनका एक्सपोर्ट अधिक मात्रा में करके फौरेन एक्सचेंज कमा सकें। इस व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने की भी आवश्यकता है। वरना बोर्ड में आप 20 मैम्बर बना दें, बड़े-बड़े अधिकारियों को उसमें रख दें जो सिर्फ अपना टी० ए० या डी० ए० बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते, न करते और न करने देते, ऐसे लोगों को बोर्ड में बिठाने से कोई लाभ नहीं है। आपको बोर्ड में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए जो इसमें इंटरैस्टिड हों। सिक इंडस्ट्रीज से सम्बन्धित बोर्ड में आपने फाइनैंस विभाग के लोगों को डायरैक्टर बनाकर बिठा दिया लेकिन आज तक उन्होंने किसी सिक इंडस्ट्री के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं दी कि फ्लां इंडस्ट्री सिक हो रही है या अमुक इंडस्ट्रियलिस्ट

सारा पैसा खा रहा है या उस पैसे को दूसरी जगह डाइवर्ट करता जा रहा है। उन गवर्नमैंट के अधिकारियों ने आज तक आपको कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी। बल्कि वे आपको बिल्कुल अंधेरे में रखते हैं। इसलिए ऐसे डायरैक्टर्स बनाने का कोई लाभ नहीं है। इनकी बजाए तो आप ऐसे डायरैक्टर्स बनाईये जो ज्यादा इंटरैस्ट के साथ काम करें। आप इसमें एग्रीकल्चरिस्टस के नुमाइन्दे रखें, मजदूरों के नुमाइन्दे रखें, एक्सपोर्ट के क्षेत्र से कुछ नुमाइन्दे रखें और ऐसे लोगों को रखिए जिसकी वजह से इन चीजों की प्रोडक्शन भी बढ़ सके, ट्रेड भी बढ सके और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सके। उससे हमें ज्यादा से ज्यादा फौरेन एक्सचेंज भी प्राप्त होगा। इस तरह की व्यवस्था करने की आज आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि मेरे प्वाइंटस पर ध्यान दिया जाएगा, धन्यवाद।

[अनुवाद]

वाणिज्य तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : सभापति महोदय, इन विधेयकों पर वादविवाद में भाग लेने के लिए मैं सदस्यों का आभारी हूं। वस्तुत अनेक माननीय सदस्यों ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उत्पादकों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन प्रत्येक मुद्दे को लेने की बजाय मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों का जबाब दूंगा और उन पर कुछ प्रकाश डालूंगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने कीमत निर्धारण के प्रश्न की ओर ध्यान दिलाया है। यहां मैं निवेदन कर दूं कि निर्यात योग्य अधिकांश वस्तुओं का निर्यात किया जा चुका है। अब तक 2,400 टन इलायची का निर्यात किया जा चुका है जो कि पिछले पांच सालों में किए गए निर्यात से कहीं अधिक है।

जहां तक कीमत का सवाल है नीलामी में बोली प्रतिटन 140 रुपए लगी। वस्तुत: लागत और विश्लेषण अनुसंधान से पता चलता है कि यह कीमत उत्पादन लागत से कही अधिक है जो इलायची बोर्ड के अनुमान के अनुसार 90 से 125 रुपए के बीच है।

श्री चम्पन थामस (मवेलिकरा) : उत्पादकों को 120 रुपए से कम मिल रहा है।

श्री पी० शिवशंकर : इस मामले में हमें शायद विचौलियों का ध्यान रखना चाहिए। इस ओर विचार किया जा सकता है। मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वास्तविक समस्या यह कि हम उत्पादन-लागत में और कमी कैसे कर सकते हैं। ग्वाटेमाला में स्थिति यह है कि वे 60-70 रुपए टन की दर से उत्पादन कर रहे हैं। यह हमारे द्वारा उगाए जाने की लागत मे काफी कम है क्योंकि यहां लागत 90 से 125 रुपए तक है।

महोदय, कीमत निर्धारण का प्रश्न एक ऐसा मामला है जिस पर आगे कभी किसी और पहलू पर चर्चा करते समय हम विचार कर सकते हैं। इस समम मुझे चिंता गर्म मसाला बोर्ड और गर्म मसालों के निर्यात के सम्बन्ध में लगाये जाने वाले उपकर को लेकर है।

गर्म मसाला बोर्ड में शामिल किए गए खण्डों को लेकर कुछ मुद्दे उठाए गए हैं। हर बात पर विचार करने की बजाय मैं कुछेक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि गर्म मसालों की परिभाषा करते समय काली मिर्च और इलायची, इत्यादि की जब परिभाषा की जाए तो उनके बीच एक स्पष्ट भेद किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य धारा 2 (ङ) को देखें जिसके अन्तर्गत "मसालों" की ही परिभाषा की गई है। इसमें कहा गया है कि

[श्री पी० शिव शंकर]

इसका तात्पर्य "अनुसूची में निर्दिष्ट मसालों से हैं।" इस प्रकार, अनुसूची में प्रत्येक मसाले की उसके नाम से व्याख्या अलग से की गई है। इसलिए, एक मसाले को दूसरे मसाले के साथ मिलाने से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जैसीकि आशंका व्यक्त की गयी थी।

महोदय, खण्ड 3 के बारे में काफी कुछ कहा गया है। खासकर कुछ सदस्यों ने कहा है कि यह बोर्ड ऐसा है जिसका प्रबन्ध कार्य चलाना मुश्किल है मेरा निवेदन है कुछ अन्तर्निहित उपचार हैं खण्ड में ही अन्तर्निहित उपचार हैं। यदि आप कृपया खण्ड 3 को पढ़ें तो इसके अनुसार "·····32 से अनधिक उतने सदस्य जो विहित किये जायें" इसलिए अगर जरूरी हुआ तो नियमों के अन्तर्गत संख्या में कमी की जा सकती है और जब तक इस सम्बन्ध में नियमों में अन्यथा व्यवस्था न हो कि बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे। इस प्रकार, इस अधिनियम के कारण नियम बनाने वाले अधिकारी कम संख्या की ओर भी ध्यान दे सकते हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में जरूर रखूगा, ताकि नियम बनाते समय और उसके बाद बोर्ड के गठन के समय मैं देखूंगा कि सबसे अच्छी क्या चीज की जा सकती है। जब मैं कहता हूं कि "सबसे अच्छी क्या चीज की जा सकती है" तो यह माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर आधारित है। कुछ का कहना है कि मजदूर संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए और कुछ का यह कहना है कि लघु उत्पादकों को बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए आदि। इन पहलुओं पर आगे उस समय विचार किया जा सकता है जब नियम बनाए जाएंगे। वैसे भी, खण्ड 3(घ) में बड़े उत्पादकों, लघु उत्पादकों या इस तरह के किसी उत्पादकों की बात नहीं कही गयी है। यह तो कानून के अनुसरण में की जाने वाली प्रशासनिक कार्यवाही का प्रश्न है। बोर्ड का गठन करते समय हम माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं पर जरूर ध्यान देंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : बागानों में लाखों कामगार कार्यरत हैं इसलिए मजदूर संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

(श्री पी० शिव शंकर) : कुरियन जी, विचार व्यक्त करने का प्रयास करते समय मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का आदर करने का प्रयास कर रहा था। हम मजदूर संघों के प्रतिनिधित्व की बात को ध्यान में रखेंगे। फिर भी खण्ड में ही इस काम को कराने की गुंजाइश है। मैंने सोचा था कि मैं सम्मानित सदन के ध्यान में यह बात लाऊंगा।

कुछ माननीय सदस्य सचिव की नियुक्ति की आलोचना कर रहे हैं। मुझे सचिव की नियुक्ति की आलोचना करने का कोई कारण नजर नहीं आता। किसी का भी चयन किया जाएगा और अन्त में बोर्ड उस पर अपनी अनुमति दे देगा। वैसे भी अगर सारा बोर्ड बैठकर मंजूरी देता है तो इससे सचिव पद की साख और बढ़ती है। अतः इसमें मुझे कोई गलत बात नजर नहीं आती। लेकिन माननीय सदस्यों ने कुछ कठिनाइयां ढूंढ़ निकाली हैं मुझे पूर्वाभास नहीं हो पाया।

अधिकांश माननीय सदस्यों ने खन्ड 7 अर्थात बोर्ड के कार्यकरण पर टिप्पणी की है। जहां तक बोर्ड की प्रारम्भिक स्थिति का सम्बन्ध है, यह गर्म मसालों के उत्पादन का काम तो नहीं देखेगा लेकिन अनुसंधान कार्यों की ओर ध्यान देगा ताकि बीजों में सुधार करके बढ़िया फसल उगाई जा सके। वस्तुतः बोर्ड के कार्यकरण के सवाल पर बहुत सी बातें कहीं गई हैं। खेती सम्बन्धी कार्य को छोड़कर और सभी कार्यों को विधेयक के विभिन्न खन्डों में सम्मालित किया गया है।

एक माननीय सदस्य : खेती का क्या होगा ?

श्री पी० शिव शंकर : ऐसी स्थिति में तो मैं कृषि मंत्रालय की शक्तियां अपने अधिकार में ले लूंगा जोकि बहुत कठिन होगा । शक्तियों के बीच स्पष्ट सीमांकन है जिसका पालन हमें करना होगा । मैं उनके विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन कुछ कार्यों का उल्लेख करना मेरे लिए बहुत जरूरी होगा । बोर्ड गर्म मसालों के निर्यात-संवर्धन के कार्यक्रम तथा परियोजनाएं चलाता है । यह गर्म मसालों के संसाधन, गुणवत्ता, उन्हें श्रेणीवद्ध तथा उनकी पैकिंग करने की तकनीक में सुधार करने के लिए अध्ययन और अनुसंधान में सहायता करता है तथा प्रोत्साहन देता है । इनके विपणन के लिए यह उपयुक्त गुणवत्ता स्तर कायम करता है । जहां तक बोर्ड की विभिन्न शक्तियों का प्रश्न है, यह उत्पादकों को लाभकारी प्रतिफल देता है, सहकारी प्रयासों को बढ़ावा देता है तथा इलायची की बिक्री को विनियमित करता है । इन सब पहलुओं का ध्यान रखा गया है ।

एक माननीय सदस्य ने दलाल का मामला उठाया है । मालूम नहीं यह आपत्ति उन्होंने किस कारण से प्रेरित होकर की । लेकिन बात यह है कि दलाल केवल निर्यात के उद्देश्य से होते हैं । सभी उत्पादक स्वतः इसका निर्यात नहीं करते ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बिचौलिया ही दलाल होना है ।

श्री पी० शिव शंकर : मैं इस सदन के ध्यान में यह बात लाना चाह रहा था कि यह केवल निर्यात के मामले में होता है । अगर आप खंड 7(2) (सात) देखें तो पाएंगे कि इसमें केवल पंजीकृत और लाईसेंसशुदा दलालों (नीलामकर्त्ताओं सहित) का वर्णन है । निस्सन्देह जिस माननीय सदस्य ने दलालों की बात उठाई है उन्हें इस पर आपत्ति नहीं है । इन मामलों में लाइसेंस लेना पड़ता है और ये लाइसेंस कुछ शर्तों के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं । इन शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर लाइसेंसों को जब्त किया जा सकता है । जो लोग विशेषज्ञ हैं उन्हें निर्यात करने के उद्देश्य से लाइसेंस या प्रमाणपत्र नहीं देने का मुझे कोई कारण नजर नहीं आता । ऐसा नहीं किया गया तो सारी संकल्पना ही निर्मूल सिद्ध होगी ।

एक मुद्दा बोर्ड के लिए वित्त के बारे में है और इसका उल्लेख अध्याय 6 में किया गया है । उसमें वित्त का ध्यान रखा गया है कि, बोर्ड के वित्त का ध्यान कैसे रखा जाएगा ।

अंत में मैं दो पहलुओं अर्थात नियमों और विनियमों का उल्लेख करूंगा । कुछ सन्देह व्यक्त किये गये हैं । वास्तव में मैं की गई आलोचना का आकलन नहीं कर पाया परन्तु तथ्य यह है बोर्ड द्वारा केन्द्रीय सरकार की अनुमति से विनियम बनाये जाने हैं । इसमें बुराई क्या है । इसकी खण्ड 39 में व्यवस्था है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बाद में ।

श्री पी० शिव शंकर : परन्तु बाद में भी केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना यह विनियम नहीं बनता । यह कानूनी पूर्व शर्त है जिसका पालन किया जाना चाहिए । यह एक स्पष्ट धारण है जिसकी नियमों में स्पष्ट व्यवस्था की गई है । एक माननीय सदस्य श्री पी० जी० कुरियन ने अन्य पहलुओं पर ध्यान दिये बिना राज्य व्यापार निगम की बंगलौर में कार्यवाहियों का मामला उठाया था । यदि इस निगम के कार्यकरण में अनियमितताएं हैं तो मैं निश्चय ही उन पर ध्यान दूंगा । इस समय स्थिति यह है कि यह एक वाणिज्यिक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह कार्य नहीं कर रहा है ।

श्री पी० शिव शंकर : यदि यह कार्य नहीं कर रहा तो मैं इस पर ध्यान दूंगा । परन्तु मुझे बताया गया है कि यह एक वाणिज्यक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : हमने इस वर्ष 500 टन से अधिक इलायची का निर्यात किया है । सी०टी०सी० ने कितने प्रतिशत का निर्यात किया है । इसमें इलायची बोर्ड ने कितने प्रतिशत का निर्यात किया है । यह पूरा निर्यात निजी एजेंसियों द्वारा किया गया है । यह सरकार मूक बैठी हुई है ।

श्री पी० शिव शंकर : यदि वे कुछ अनियमताएं कर रहे हैं तो मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा । यदि परिस्थिति का अध्ययन करके मुझे पता चलता है कि उसे समाप्त किया जाना आवश्यक है, तो मैं वैसा ही करूंगा परन्तु मुझे इसका अध्ययन करने दें । आप जो कह रहे हैं, वह सही या नहीं, मुझे इसका अध्ययन करने दीजिये क्या वे वास्तव में समय बर्बाद कर रहे हैं अथवा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं अथवा नहीं मैं इसका पता लगाऊंगा ।

मैं इन पहलुओं पर अधिक कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैंने सोचा कि मुझे उन खण्डों पर बताना चाहिए । जिनके बारे में शुल्क के संबंध में टिप्पणियां की गई हैं । इस शुल्क के संबंध में यह सोचा जाता है कि यह वस्तु के निर्यात मूल्य पर हैं और वह भी 5% पर स्थिर रखा गया है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हम शुल्क 5% निर्धारित करेंगे उससे अधिक नहीं करेंगे यह पांच प्रतिशत से कम कुछ भी हो सकता है । निर्धारित किये गये बहुत से मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर विचार करने के बाद इसे तय किया जा सकता है ।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल : किस्म नियंत्रण की क्या स्थिति है, जो कि आपके मंत्रालय का मामला है ।

श्री पी० शिव शंकर : इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दो विधेयकों को सभा के विचारार्थ रखता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इलायची की खपत बढ़ाने के बारे में खण्ड 7, 34 खण्ड (2) की ओर दिलाता हूं । बोर्ड के क्या कार्य हैं ? कृपया पृष्ठ 5 देखें । यह क्या है ?

श्री पी० शिव शंकर : यदि इसे बढ़ाया जाता है तो यह उस शोध कार्य के लिए नहीं हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं ।

(गर्म मसाला बोर्ड विधेयक)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गर्म मसालों के निर्यात के विकास के लिए और इलायची उद्योग के नियंत्रण के लिए, जिसके अन्तर्गत इलायची की खेती का नियंत्रण है, तथा उससे सम्बन्धित

विषयों के लिए बोर्ड का गठन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर **खण्डवार चर्चा** करेंगे। खण्ड 2 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

सभापति महोदय : इसमें श्री मूलचन्द डागा के संशोधन हैं। क्या आप उन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 3, पंक्ति 4,—

"32" **के स्थान पर** "24" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (1)

पृष्ठ 3, पंक्ति 15—

"छह" के स्थान पर "तीन" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (2)

पृष्ठ 3 पंक्ति 16—

"ग्यारह" **के स्थान पर** "छह" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (3)

महोदय, उन्होंने कहा है कि संख्या घटाई जा सकती है, अतः मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया हैं।

परन्तु ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले ही 32 सदस्य हैं। वे वाणिज्य, कृषि, तथा वित्त के तीन सदस्यों में तथा अन्य छः सदस्यों में कमी नहीं कर सकते। यदि उन्हें गिने तो संख्या 32 बैठती है। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं।

श्री पी० शिव शंकर : इसमें सदस्यों की संख्या 32 से अधिक नहीं होगी जो कि निर्धारित की जा सकती है। इसे 16 पर भी निर्धारित कर सकता हूं। मैं नहीं समझता कि क्या मेरे मित्र समझ गये हैं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री मूलचन्द डागा द्वारा रखे गये संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1, 2 और 3 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए :

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 5 से 42 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी ।

खण्ड 1

श्री पी० शिव शंकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"1985" के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाये । (7)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

'1985" के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाए ।" (7)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"छत्तीसवें" के स्थान पर "सैंतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये ।" (6)

(श्री पी० शिव शंकर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री पी० शिव शंकर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(गर्म मसाला उपकर विधेयक)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब इस गर्म मसाला उपकर विधेयक को लेते हैं प्रश्न यह है :

"कि गर्म मसालों के निर्यात के विकास के लिए उपाय करने के प्रयोजन के लिए सभी गर्म मसालों पर, जिनका निर्यात किया जाता है, उपकर के अधिरोपण के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

खण्ड 2

संशोधन किए गए

पृष्ठ 1, पंक्ति 9,—

"1985" के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाये । (3)

पृष्ठ 1, पंक्ति 13,—

"1985 के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाए । (4)

(श्री पी० शिव शंकर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित, रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2, संशोधित, रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

संशोधन किए गये

पृष्ठ 2, पंक्ति 1,—

"1985" के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाए । (5)

[सभापति महोदय]

पृष्ठ 2, पंक्ति 17,—

"1985" के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

(श्री पी० शिव शंकर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"कि खंड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गए

खण्ड 1

संशोधन किया गया—

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,—

"1985" के स्थान पर "1986" प्रतिस्थापित किया जाए (2)

(श्री पी० शिव शंकर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र—

संशोधन किया गया —

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"छत्तीसवें" के स्थान पर "सैंतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री पी० शिव शंकर)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप, विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय में प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.26 म० प०

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सदन अब अगली मद को अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (संशोधन) विधेयक को लेगा। मंत्री जी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"।

सदन को मालूम है कि 1964 में स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उद्योगों के विकास के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उद्योगों को वित्त देने, उनके संवर्धन या विकास में लगे विभिन्न संस्थानों के कार्यों में समन्वय का काम करने वाला देश का सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है। मध्यम-बड़ी तथा बड़ी औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने के अलावा उक्त संस्थान लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य वित्त निगमों तथा बैंको को पुनर्वित्त सहायता देता है। इस संस्थान की शुरूआत से लेकर जून 1985 तक इसकी संचयी स्वीकृतियां तथा भुगतान क्रमश: 15,993 करोड़ रु० तथा 11566 करोड़ रु० थीं। देश में औद्योगिक विकास के लिए उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर उक्त संस्थान रोजगार के लिए नई दिशाएं खोल रहा है उक्त संस्थान ने जून 1985 तक संचयी स्वीकृतियों के द्वारा कुल 35,100 करोड़ रु० का पूंजी निवेश किया है तथा सहायक परियोजनाओं के माध्यम से 45 लाख लोगों को रोजगार मिला है तथा मिलने की संभावना है।

पिछले सालों के दौरान हुए अनुभव को देखते हुए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन करना जरूरी हो गया है। प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य कुछ प्रतिबन्धों को हटाना और इनके संचालन में लचीलापन लाना है।

इस विधेयक को लाने के उद्देश्य तथा कारणों को विधेयक में संलग्न उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में दिया गया है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक औद्योगिक संस्थाओं को विभिन्न किस्म की सहायता देता है। अधिनियम में दी गई "औद्योगिक संस्था" की परिभाषा में अब तक शामिल नहीं किए गए कुछ कार्य कलापो को शामिल करके, उसका विस्तार करने की जरूरत है। इसमें उर्जा का संचय,

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री जनार्दन पुजारी]

खान, चिकित्सा, स्वास्थ तथा सहायक सेवाओं का विकास पट्टा तथा उप-पट्टा कार्यकलाप, सूचना प्रौद्योगिकी, दूर संचार तथा इलैक्ट्रानिकी इत्यादि शामिल हैं। देश में हो रहे वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक विकासों को देखते हुए संशोधित परिभाषा से नए कार्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अवसर बढ़ेंगे।

उक्त संस्थान के कार्यों तथा इसके द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरे किये जाने वाले कामों को देखते हुए इस बैंक के वित्तीय आधार का विस्तार करने की जरूरत है। संस्थान की मौजूदा प्राधिकृत पूंजी 500 करोड़ रु० तथा प्रदत्त पूंजी 445 करोड़ रु० है। प्रस्ताव यह है कि कि इसकी प्राधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रु० निर्धारित कर दी जाए और उसे आगे बढ़ाकर 2000 करोड़ रु० करने की व्यवस्था की जाए।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य क्षेत्र में विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि यह प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी भूमिका निभा सके। इस उद्देश्य को देखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि शेयरों/डिवेंचरों में अपना अंशदान देने के अतिरिक्त, यह बैंक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा राज्य वित्त निगमों आदि की ऋण और अग्रिम राशि आदि भी प्रदान करे।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय, वह गैर सरकारी सदस्यों का समय ले रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, इन टिप्पणियों के साथ में सिफारिश करता हूँ कि सदन द्वारा विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों के कार्यों को लेते हैं।

सभापति महोदय : सदन अब गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य को लेगा।

3.31 म० प०

अंग (चिकित्सीय एवं प्रतिरोपण प्रयोजनार्थ उपयोग का अधिकार) विधेयक*

[अनुवाद]

श्री आनिक सान्याल (जलपाई गुड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मृत व्यक्तियों के अंगों का चिकित्सीय एंव प्रतिरोपण के प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए और उससे सम्बधित विषयों को उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दीं जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मृत व्यक्तियों के अंगों का चिकित्सीय एवं प्रतिरोपण के प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिए और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 21-2-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

श्री मानिक सान्याल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

संविधान संशोधन विधेयक*

(अनुच्छेद 311 में संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री थम्पन थामस : महोदय, में विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक*

(धारा 1 में संशोधन, आदि)

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : में प्रस्ताव करता हूँ कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक, को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक का पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ ।

हिन्दू विवाह संशोधन विधेयक*

(धारा 24 और 25 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

---

*दिनांक 21-2-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1953 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

कृषक वृद्धावस्था पेंशन विधेयक*

[अनुवाद]

श्री बाला साहिब विखे पाटिल (केसर गाँव) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कृषकों को वृद्धावस्था में या पूर्णतः निःशक्त हो जाने पर पेंशन देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषकों को वृद्धावस्था में या पूर्णतः निःशक्त हो जाने पर पेंशन देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण विधेयक*

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समर्थ शरीर वाले व्यक्तियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय :—प्रश्न यह है :

"कि समर्थ शरीर वाले व्यक्तियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

*21.2.86 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित ।

3.33 म० प०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 125 और 127 में संशोधन) – [जारी]

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सदन अब श्री जी० एम० बनातवाला द्वारा 10 मई 1985 को रखे गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे और विचार करेंगे अर्थात :—

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सैफुद्दीन चौधरी अपना भाषण जारी रखें। आप पहले ही 24 मिनट ले चुके हैं इसलिए कृपया दो मिनट में समाप्त करें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): महोदय मैं केवल पांच मिनट लूंगा।

पिछली बार मैंने यह अपना मत एकदम स्पष्ट कर दिया था कि मेरे विचार से तथा मेरे द्वारा पवित्र कुरान के अध्ययन के अनुसार शाहबानो के मामले में रख रखाव से संबंधित उपबंध के संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय कुरान की परम्परा तथा प्राकृतिक न्याय की धारणा के विरुद्ध नहीं है। धर्माधिकारी बनने या न बनने का दावा करने वाला कोई व्यक्ति अगर यह कहता है कि यह कुरानी परम्परा के खिलाफ है तो मुझे यह कहते हुए खेद है कि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा और यह कहूंगा कि वह उस धारणा की गलत व्याख्या कर रहा है।(व्यवधान)..... मैं यही कहूंगा कि धर्म या शरीयत पर प्रहार के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है।

वास्तव में हुआ क्या था ? मैं सदस्यों को ध्यान दिलाना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि शाहबानो के मामले में जो हुआ है उसे वे समझें।

इस बार हमें बहुत-सी पुस्तिकाएं भी मिल रही हैं और यह अच्छी बात है। एक पुस्तिका बम्बई विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग के प्रोफेसर अब्दुर रहमान मोमिन की है। वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कड़े विरोधी हैं। इस पुस्तिका में उन्होंने कहा है:—

"श्री मोहम्मद खां, जो व्यवसाय से वकील है, का शाहबानो बेगम से 1932 में विवाह हुआ था। इस विवाह से उनके तीन पुत्र और दो पुत्रियां हुईं। श्री खां ने 1946 में दूसरा विवाह किया जिससे उनके छः बच्चे हुए। 1975 में उन्होंने शाहबानो बेगम को घर से निकाल दिया। अप्रैल, 1978 में शाहबानो ने न्यायिक मैजिस्ट्रेट, इंदौर की अदालत में प्रतिमाह 500 रुपए गुजारा भत्ता दिये जाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत अपने पति के खिलाफ एक याचिका दायर कर दी। 6 नवम्बर 1978 को श्री खां ने तीन बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया।"

पत्नी गुजारा भत्ता का दावा कर रही थी, तलाक का नहीं। गुजारे भत्ते से बचने के लिए पति ने तीन बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। यह एक आपराधिक कार्यवाही है। मैं श्री बनातवाला और अन्यों से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस कार्यवाही की निन्दा की। इससे मुस्लिम समुदाय की छवि धूमिल होगी। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं बहुत

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

समय नहीं लेना चाहता। मैं बताना चाहता हूं कि गलत अर्थ लगाया जा रहा है। क्या कोई ऐसा उदाहरण दे सकता है जिसके द्वारा आयत 240/241 की इस बात को रद्द किया जा सकता है कि गुजारा भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए या केवल तीन महीने के लिए ही दिया जाना चाहिए। क्या कोई कुरान की किसी आयत का उदाहरण देकर इसे रद्द कर सकता है (व्यवधान) कि पुनः समझौता करने के लिए तीन महीने नहीं होते ?

बचपन से ही हमें बताया जाता रहा है कि इस्लाम एक ऐसा आधुनिक धर्म है जो मुसलमानों को बहुत अधिक दर्जा देता है और अब क्या मैं इसका उल्टा अर्थ समझ लूं। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या आपने कुरान शरीफ पढ़ा है ?

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : श्रीमन्, में यह चाहता हूं कि मैं उसे माननीय सदस्य के साथ पढ़ूं। यह एक विचित्र चीज है कि कुछ बात लिखता है और फिर उससे मुकर जाता है। श्री ताहिर मोहम्मद द्वारा लिखी एक पुस्तक मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा है कि :

"इसलिए यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मुस्लिम वैयक्तिक कानून जो इस समय भारत में लागू है (कम से कम पूर्ण रूप से) दैवी कानून नहीं है और इसका कोई भी उद्गम और स्रोत हो, इसका प्रत्येक सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ नहीं है।'

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (मंजेरी) : उन्होंने इन सब बातों का खण्डन किया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : अगर इन्होंने इसका खण्डन किया है तो मैं इसको उन पर थोपना नहीं चाहता। आप इसको मेरा कथन मानें अगर वे यह कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वह कुरान के अनुसार नहीं है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन प्राकृतिक न्याय के द्वारा मैं यह कहना चाहता हूं कि आप पत्नी को निर्वाह भत्ता देने से इन्कार नहीं कर सकते। जिसने मामला दायर किया है और निर्वाह भत्ते की मांग की है और जिसको निर्वाह भत्ते की मांग करने का अधिकार है और तब आप कहें यह तलाक है और कोई निर्वाह भत्ता नहीं दिया जायेगा। यह एक अत्याचारात्मक कार्य है जिसको जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मैं नहीं जानता यह इस देश को कितनी शताब्दी पीछे ले जायेगा और यह हमारे देश की एकता के विरुद्ध जायेगा। यह रूढ़िवादियों को संतुष्ट करना है। मैं नहीं जानता कि इस विधेयक के द्वारा आप मुस्लिमों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। यह बहुत ही अहितकारी सिद्ध होगा। तब प्रत्येक व्यक्ति अपने वैयक्तिक कानून की दुहाई देगा। हिन्दू अपने मूल वैयक्तिक कानून का सहारा लेने की मांग करेंगे। कोई व्यक्ति कह सकता है कि वे बहुत उदार और आधुनिक है और वे यह मांग नहीं करेंगे। लेकिन आप इसको मानकर क्यों चलते हैं कि इस देश के मुस्लिम पुरातनपंथी हैं ? मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आशा करता हूं कि सरकार उस विधेयक को नहीं लायेगी। अगर पति नहीं है तो पिता या भाई निर्वाह भत्ता देगा।

यह माननीय सम्बन्ध की बात है। मैं दूसरे पहलुओं जैसे सम्पत्ति आदि के प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह मानता हूं कि इन सांसारिक मामलों के बारे में राज्य को कानून बनाने का प्रत्येक अधिकार है। इसमें कोई भी दैविक बात नहीं है। वह बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम इसके मानवीय पहलू से बहुत अधिक सम्बन्धित हैं। श्री बनातवाला के विधेयक में दो चीजें हैं। पहले भाग में कुछ खराब बात है और मैं उसको पसन्द नहीं करता और दूसरे भाग में उन्होंने कहा है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 127 को निकाल देना चाहिए क्योंकि विधेयक के पहले भाग में हम जो कुछ चाहते हैं यह उससे मेल नहीं खाता। मैं भिन्न दृष्टि से इसका समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि इसका लोप कर दिया जाये क्योंकि यह सिविल कानून में हस्तक्षेप करता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 रहनी चाहिए और धारा 127 को, जैसा कि आप ने कहा है कि यदि वैयक्तिक कानून के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है तो मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त किया जाना चाहिए, लोप किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं और प्रधानमन्त्री को यह जानना चाहिए कि सारे देश को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा था जब देवी जैसी माता प्रधानमन्त्री इन्दिरागांधी का कत्ल हुआ और विशेष तौर से हमारे देश की महिलायें रोईं। उन्होंने कांग्रेस (आई) को बहुत अधिक मतों से विजय दिलाई। लेकिन अब आप उनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। आप समाज के इस बेजुबान वर्ग को बदले में यह दे रहे हैं। आप हमारी इस बात पर भरोसा कीजिए कि आज वे अपनी राय व्यक्त करने के योग्य नहीं है लेकिन वे आपको इस का उचित बदला देंगी। प्रगतिवादी तथा धर्मनिरपेक्ष पुरुषों को मिलकर यह प्रयास करना चाहिये कि उनको उचित न्याय मिले और आप को उचित बदला मिले। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

गृह मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : माननीय सदस्य श्री बनातवाला द्वारा जो गैर-सरकारी विधेयक पेश किया गया है उसने सारे देश में और विशेषकर इस सदन में बहुत ही कटुवाद-विवाद खड़ा कर दिया है। सदन के दोनों ओर के सदस्यों ने 'कुरान' 'हदीस' और अन्य सभी पुस्तकों से सभी प्रकार की व्याख्याओं का हवाला दिया है। जहां तक महिलाओं के अधिकारों और निर्वाह भत्ते के उनके अधिकार का सम्बन्ध है, मैं नहीं सोचता कि मुख्य विषय पर कोई विशेष मतभेद है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि मुस्लिम वैयक्तिक कानून में सभी प्रकार के रखरखाव का प्रावधान है जिसकी अपने पति द्वारा तलाक दी जा रही महिला को 'इद्दत' की अवधि के दौरान सख्त जरूरत है, कितना धन देना है. मेहर कितनी होनी चाहिए, उस सम्पत्ति के बारे में क्या किया जाना चाहिए जो उस महिला को शादी के समय और शादी के बाद प्राप्त होती है। ये ऐसे विषय हैं जिनके बारे में वास्तव में अलग से विचार किया जाना चाहिए। वास्तव में सरकार का विचार यह रहा है, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि हम इस विधेयक में यह प्रावधान शामिल करना चाहते थे लेकिन किसी कठिनाई के कारण यह विधेयक पेश नहीं किया जा सका। लेकिन हमारी स्थिति बिल्कुल साफ है। हमने देश के विभिन्न भागों में देखा है कि लोग कितने उत्तेजित थे; लोगों द्वारा दिये गये वक्तव्यों से किस प्रकार लोगों की भावनाओं को उभारा गया है। जब विधेयक विचार हेतु सदन में पेश किया जाएगा तब माननीय सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। मैं समझता हूं कि इस समय प्रस्तावित विधेयक के बारे में और अधिक स्पष्टीकरण देना उचित नहीं होगा। जब इस विधेयक को विचार हेतु प्रस्तुत किया जायगा और सदन के सामने लाया जायेगा आदरणीय सदस्यों को इस बारे में अपने विचार प्रकट करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। क्या उस विधेयक में उन सभी बातों

[श्री एस० बी० चव्हाण]

का प्रावधान है जिनकी हमने कल्पना की थी या उस में कुछ कमियां है। अब मैं और विस्तार में नहीं जाना चाहता। चूंकि माननीय सदस्य सरकार के इरादों से परिचित हैं मैं आदरणीय सदस्य श्री बनातवाला से अनुरोध करूंगा। कि वह इस पर जोर न दें और उन्हें यह भी स्पष्ट करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं और वह इस विशेष सिद्धान्त का विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह समय ऐसा है कि हमें अनावश्यक रूप से वातावरण को दूषित नहीं करना चाहिए और यह प्रयत्न करना चाहिए कि इस प्रकार का कटुवाद-विवाद न हो। हमें ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिससे कि हम उस विधेयक को पारित कर सके जिसको हम शीघ्र ही पेश करने वाले हैं। मैं माननीय सदस्य से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक को वापस ले लें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, मैं उन सभी आदरणीय सदस्यों को धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं जिन्होंने इस विधेयक पर बहस में हिस्सा लिया है। मैं आदरणीय गृह-मंत्री का भी कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया और इस विषय पर विधेयक लाने के सरकार के इरादे के बारे में आश्वासन दिया।

हमने विधेयक पर बहुत विस्तार से बहस की है और यदि मैं गलत नहीं कर रहा हूं तो मैं कह सकता हूं कि सदन के चार सत्रों की सात बैठकों में इस विधेयक पर लगभग 12 घंटे 21 मिनट तक बहस हुई है। इस सदन के इक्कीस सदस्यों और आदरणीय गृह मंत्री श्री चव्हाण ने इस बहस में हिस्सा लिया है। यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो इस संसद के इतिहास में पहले कभी भी एक गैर-सरकारी विधेयक पर श्री नाथपाई के संविधान संशोधन विधेयक, 1967 को छोड़कर इतने लम्बे समय तक बहस नहीं हुई है। उस समय श्री नाथपाई के विधेयक पर 8 बैठकों में 14 घंटे 28 मिनट बहस हुई थी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्यों न उनको और समय दिया जाये और रिकार्ड को तोड़ा जाये ?

श्री जी० एम० बनातवाला : हमने बहुत ही लम्बी और लाभप्रद बहस की है जो बहुत ही फलदायक सिद्ध हुई है। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक के माध्यम से उठाए गए विषयों के प्रति बहुत ही रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है।

वास्तव में मुझे कहना चाहिए कि यद्यपि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये अनेक विषयों का उत्तर देने की मेरी बहुत लालसा है परन्तु गृहमंत्री श्री चव्हाण द्वारा अभी किए गए अनुरोध को दृष्टि में रखते हुए मैं उनका उत्तर नहीं दूंगा। फिर भी मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि महिलाओं के अधिकारों को छीनने का कोई इरादा नहीं है। इसके विपरीत शाहबानो के मामले में दिए गए निर्णय से मुस्लिम औरतों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है क्योंकि शरियत कानून औरतों को बहुत अधिक और व्यापक संरक्षण प्रदान करता है जिसके विषय में हम समय आने पर विचार करेंगे।

3.49 म. प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज सुबह सरकार जब इस विषय पर विधेयक पेश करना चाहती थी तो विपक्षी सदस्यों ने मुस्लिम लीग, नेशनल कांफ्रेंस, केरल कांग्रेस तथा अकाली दल के सदस्यों को छोड़कर, इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। हम प्रधानमन्त्री के आभारी हैं जिन्होंने इस मामले की महत्ता, गंभीरता और अविलम्बनीयता को महसूस किया और उन्होंने आज सुबह ही इस सरकारी विधेयक को पेश करने के मामले में विपक्षी नेताओं को विश्वास में लेने के लिए उनकी एक बैठक बुलाई। इस सरकारी विधेयक के उपबन्धों पर बाद में विस्तार से विचार किया जा सकता था। बाद में हम उन उपबन्धों के बारे में अपनी सन्तुष्टता अथवा नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं।

लेकिन श्रीमन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज सुबह इस विधेयक को पेश करने के बारे में आपत्ति की गई। संसदीय कार्यमन्त्री श्री भगत ने आज सुबह विपक्षी सदस्यों से ठीक ही तथा सच्चे दिल से यह अनुरोध किया कि वे इस विधेयक को पेश होने दें। लेकिन हमें खेद है कि कुछ दलों को छोड़कर जिनका मैंने यहां अभी उल्लेख किया विपक्षी दलों ने उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया और वे अपनी स्थिति पर अड़े रहे।

मैं आदरणीय प्रधानमन्त्री के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त किये बिना नहीं रह सकता जिन्होंने समूचे विषय को समझने का प्रयास किया और उनके साथ हमारी जो बातचीत हुई उसके दौरान बहुत ही रचनात्मक रवैया अपनाया।

श्रीमन, मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। आदरणीय गृहमन्त्री ने अनुरोध किया है और हमें आश्वासन दिया है कि जब सरकारी विधेयक पेश किया जायेगा तो हम सभी दूसरे मामलों पर चर्चा कर सकते हैं जैसा कि सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि सरकारी विधेयक आ रहा है और उन्होंने आज सुबह उसे पेश करने का प्रयास भी किया था। मुझे उस अनुरोध, सरकार के उस आश्वासन का आदर करना चाहिए कि एक सरकारी विधेयक पेश किया जायेगा और सदन में कुछ गुमराह तत्वों के बावजूद इस सदन द्वारा यह विधेयक पास किया जायेगा और इस प्रकार मुसलमानों की भावनाओं का पूरी तरह से सम्मान किया जायेगा। मैं इस बारे में कोई सन्देह नहीं हैं और इन शब्दों के साथ मैं सदन से अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो पीछे हटने वाली बात है।

अध्यक्ष महोदय : श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह हमेशा ही ऐसा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन इस बात की अनुमति देता है कि श्री मूलचन्द डागा द्वारा पेश किया गया संशोधन वापस लिया जाये ?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया :

अध्यक्ष महोदय : श्री ब्रजमोहन महन्ती यहां नहीं है।

अब मैं श्री ब्रजमोहन महन्ती द्वारा पेश किया गया संशोधन सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री जी० एम० बनातवाला : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

3.55 म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक

(नये भाग 10 क का अंतः स्थापन) [—जारी]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री आनन्द पाठक द्वारा 6 दिसम्बर, 1985 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : वह यहां नहीं हैं।

श्री ए० के० सेन उत्तर दे सकते हैं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : कागज पत्र मेरे पास नहीं हैं। मैं जाकर लाता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे पूरा विश्वास है कि वह समर्थन दे रहे हैं।

श्री ए०के० सेन : बिल्कुल नहीं। मैं अपने कागज पत्र लाता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मुझे पूरा विश्वास है कि वह समर्थन दे रहे हैं।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : तो आप चाहते हैं कि इस वाद-विवाद का उत्तर दूं। ठीक है। मैं तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक विधेयक प्रस्तुत किया है कि दार्जीलिंग और इसके आस-पास के क्षेत्रों को जहां नेपाली भाषा बोली जाती है, उनको स्वायत्तशासी दर्जा प्रदान किया जाए। पश्चिम बंगाल विधान सभा में एक विधेयक—एक प्रकार का संकल्प पारित किया गया, जिसमें एक ऐसी समिति का गठन करने की सिफारिश की गई, जो यह देखे कि दार्जीलिंग तथा इसके आस-पास के क्षेत्रों को स्वायत्तशासन प्रदान करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए।

महोदय 244(क) और 275 की भांति अनुच्छेद 244 का संशोधन करने का एक प्रस्ताव है ताकि हमारे देश के उस विशेष भाग में दार्जीलिंग क्षेत्र तथा अन्य नेपाली भाषी क्षेत्र को कुछ मामलों में स्वायत्तता प्राप्त हो।

अनुच्छेद 244(क) में कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में कहा गया है जो असम से अलग हो गए थे और विशेषकर जनजातीय क्षेत्र जो कुछ मामलों में कुछेक प्रकार की स्वायत्तता के हकदार थे। पश्चिम बंगाल विधान सभा ने किस आधार पर ऐसा प्रस्ताव स्वीकृत किया, मैं इस संबंध में चकित हूँ। अन्ततः किसी राज्य में पिछड़े क्षेत्रों की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। और यह योजना रचनातन्त्र है, जिसके अन्तर्गत किसी विशेष राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को विशेष विवरण दिया जाता है। उन्हें विशेष अनुदान दिया जाता है। चूंकि वह उस क्षेत्र को पश्चिम बंगाल के शेष भागों के बराबर नहीं ला सके, यह कार्य करने का एक विचित्र ढंग है कि वह कोई प्रस्ताव पारित करवाते हैं और केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव देते हैं कि आप अनुच्छेद 244(क) और 275 के अन्तर्गत किसी अच्छे रचनातन्त्र का विकास करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप इसमें भी राजनीति लाना चाहते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि इस में कोई राजनीति नहीं है। मैंने पूरा मामला समझ लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैंने सारी स्थिति पर विचार किया है और मुझे पूरा विश्वास है, कि यदि पश्चिम बंगाल के पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान देना पश्चिम बंगाल सरकार की जिम्मेवारी थी तो फिर ऐसा क्यों है कि आपको केन्द्रीय सरकार से अनुदान की भारी राशि मिलने पर भी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस क्षेत्र को कोई न्याय नहीं मिला। इस अवस्था में, जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि विधान सभाओं की स्वायत्तशासी परिषदों का गठन सभी प्रकार के भयानक परिणामों से ओत-प्रोत है।

अध्यक्ष महोदय : वह अगले दिन भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री एस० बी० चव्हाण : हां, मैं बाद में जारी रखूंगा।

4.00 म० प०

स्थगन प्रस्ताव

उर्वरकों और पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हां, अब प्रो० दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि सभा अब स्थगित हो"

....निस्सन्देह वाद विवाद के पश्चात्।

अध्यक्ष महोदय : अब आपने ऐसा कहा तो मुझे बड़ी आशंका हुई।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने बढ़ते हुए मूल्यों पर बाहर के लोगों की भूख और गुस्से को व्यक्त करने के लिए यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, प्रोफेसर साहब। आप के लिए संसद भवन में ही रात के भोजन का प्रबन्ध किया गया है। अतः कृपया इस बात को छोड़िये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : हम कितने ही लम्बे समय तक बोल सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जोलपुर) : कोई समय सीमा नहीं। व्यवधान

प्रो० मधु दण्डवते : रात के भोजन के आश्वासन के बावजूद भी मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

जैसा कि मैंने कहा है मैं जो यह स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं यह बाहर की जनता की भूख और गुस्से को व्यक्त करने के लिए किया गया है जो कि कीमतों की अचानक वृद्धि से बहुत चिन्तित हैं। बजट सत्र की पूर्वसंध्या पर मूल्यों में वृद्धि से इस देश में न केवल सामान्य जनता पर भार पड़ा है अपितु इससे बजट प्रक्रिया के महत्त्व और समस्त संसद के अधिकार को कम कर दिया गया है।

बजट की पूर्व संध्या पर उन्होंने कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिए। कुछ का पहले ही और कुछ वस्तुओं का आगे उदाहरणतः कोयला, खाद्यान्न, यातायात, उर्वरक पेट्रोलियम पदार्थ आदि, बहुत से अर्थशास्त्रियों ने हिसाब लगाया है कि इस प्रकार के कर लगाकर जो कुल राजस्व प्राप्त होगा वह 2400 करोड़ रुपये के बराबर होगा। मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि जिस दिन सदन में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की गई अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में यह भी देखा गया कि कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य भी दशक में सबसे कम हो गए, अर्थात 18 डॉलर प्रति बैरल। कहा गया कि पूरे दशक में यह सबसे कम मूल्य थे। इसमें भी मैं समझता हूं कि श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भूतपूर्व सरकार के पद-चिह्नों पर चल रही है। मैं आप को एक ठोस उदाहरण देता हूं।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : हम इसे आदर मानते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : जो बात मैं कहने वाला हूं उसको सुने बिना ही उन्होंने इसे आदर समझ लिया। जब मैं इसे दोहराऊंगा तो वह समझेंगे कि यह एक गाली है। फरवरी 1982 में .....(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : आपके लिए अभिशाप।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं "पिछली सरकार" शब्द प्रयोग करूंगा क्योंकि वह नामों के बारे में बहुत भावुक हैं। फरवरी 1982 में, बजट की पूर्वसंध्या पर डाकतार की दरों में वृद्धि की गई

और इस प्रकार जो राशि प्राप्त हुई वह 100 करोड़ रुपये के बराबर थी। उस समय, भारत के भूतपूर्व उप-राष्ट्रपति, श्री हिदायतुल्लाह ने स्पष्ट रूप से अप्रसन्नता व्यक्त की कि किस प्रकार बजट की पूर्व संध्या पर यह कर लगाये गये। किन्तु मैंने पाया है कि उप-राष्ट्रपति द्वारा संबंधित अनौचित्य की ओर सरकार का ध्यान दिलाये जाने के बावजूद भी यह अनौचित्य बरकरार रहा।

महोदय, यदि आप को याद होगा तो एक बार मैंने सुझाव दिया था कि हमें यह देखने के लिए एक गणित फारमूला तैयार करना चाहिए कि कितनी अनुचितताएं एक विशेषाधिकार के हनन के बराबर है।

इन सब बातों से बढ़कर, इस वर्ष 1986-87 का बजट प्रस्तुत करने से पूर्व ही, भारत के वित्त मंत्री ने बजट से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेन्स में आने वाले वर्ष के व्यय के अनुमान की घोषणा करके एक विचित्र परिपाटी का पालन किया। उन्होंने सार्वजनिकरूप से यह बात कही है कि वस्तुओं के निर्धारित मूल्यों में वृद्धि से बचा नहीं जा सकता है। अस्पष्ट रूप से उन्होंने देश के व्यापारियों और जमाखोरों से कहा है कि उनके लिए और कोई विधि नहीं है क्योंकि लम्बी अवधि की वित्तीय नीति प्रारूप के द्वारा सरकार ने पहले ही कहा है कि वह प्रत्यक्ष करों को रोक लेंगे।

अतः, वह केवल निर्धारित मूल्यों में वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए यह व्यापारियों को अपनी चीजों को इकट्ठा करने और उनके द्वारा दिये गये वचन के मूल्यों से अधिक मूल्य बेचने का उनको प्रोत्साहन है। यह सारी समस्या की पृष्ठभूमि है।

जहां तक मूल्यों में वृद्धि का संबंध है, हम ने कई बार इन तीन मूल कारणों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है, जो हमारी अर्थव्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति के दबाव के कारण हैं; पहले देश में हमारे बजट में भारी तथा भेदभावपूर्ण घाटे की वित्त व्यवस्था; दूसरा, देश में सार्वजनिक क्षेत्र का कुप्रबंध, जो कि पर्याप्त आधिक्यों का उपयोग या तो सार्वजनिक क्षेत्र के अधिक विस्तार में प्रयोग में लाने अथवा विकास कार्यों के विस्तार में प्रयोग में लाने में असमर्थ है और तीसरा देश में काले धन के प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने का प्रभाव मैं ऐसे मामले नहीं उठाना चाहता हूँ जो अभी छोटे स्तर पर ही हों। उदाहरणस्वरूप देश में हम देखते हैं कि प्रारंभिक बजट में जो भी कमियां निरन्तर दिखाई गई हैं पुनरीक्षित अनुमानित बजटों में इसमें वृद्धि होती गई है। 1982-83 में, मूल बजट में 1,365 करोड़ रुपये की कमी थी और पुनरीक्षित अनुमान में यह 1,935 करोड़ रुपये हो गई। और 1983-84 में यह 1,515 करोड़ रुपये थी यह 1,695 करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई; 1984-85 में मूल बजट में 1,762 करोड़ रुपये की कमी हुई और 3,985 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। हमें अभी वास्तविक आंकड़े मिलने बाकी हैं। यह केवल पुनरीक्षित अनुमान है। इस पृष्ठभूमि में बावजूद दिखाये गये घाटे की ओर देखिये। पिछले बजट में यह 3,349 करोड़ रुपये थी (1985-86)। हम में से बहुत से लोगों ने जिन्होंने पिछले वर्ष बजट वाद-विवाद में भाग लिया था यह कहा था कि बजट का यह घाटा 7000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा और यदि वित्त में ऐसा भारी घाटा हो तो आप अर्थव्यवस्था पर मुद्रा-स्फीति के दबाव का अनुमान लगा सकते हैं और मूल्यों में भारी वृद्धि के परिणामस्वरूप व्यापार में जो व्यवधान आया है उसकी क्या स्थिति है? मेरा विचार यह है कि मूल्यों में जो यह वृद्धि की गई है यह घटनावश नहीं है। उदाहरणस्वरूप देश के व्यापार में जो खाई पड़ी है। अप्रैल से जुलाई तक यह 3,000 करोड़ से अधिक थी। फिर इसका 5,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया और विभिन्न आर्थिक पत्रिकाओं ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष के अन्त तक न्यूनतम 8,000

[प्रो० मधु दण्डवंते]

करोड़ और अधिकतम 10,000 करोड़ का अन्तराल होगा। आप 8 हजार करोड़ से 10,000 करोड़ तक के व्यापार अन्तराल का अनुमान लगाइए। इससे क्या होगा ? व्यापार में यह अन्तराल गलत आयात और निर्यात नीतियों के परिणामस्वरूप हुआ है। बिना देखे आयात किया जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रधान मन्त्री 21वीं शताब्दी में जाने को आतुर हैं। निस्सन्देह हम में से जो लोग 15 वर्ष जिएंगे वे स्वत: ही 21वीं शताब्दी में पदार्पण करेंगे। परन्तु वह इस क्रिया को बहुत ही अल्प बनाना चाहते हैं और 21वीं शताब्दी को और निकट लाना चाहते हैं। वह आधुनिक प्रौद्योगिकी और पूंजीगत माल का आयात करना चाहते हैं। एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा है कि यदि हम पाते हैं कि आयात का प्रतिस्थापन महंगा है तो, हम भारी आयात करेंगे। आयात और निर्यात की गलत नीतियों की इस पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि स्थिति और बहुत ही कठिन हो गई। इस बात का अनुमान था कि निर्यात में 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि होगी, किंतु वास्तविक उपलब्धि केवल 8 प्रतिशत प्रति वर्ष है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कुछ दबाव पड़ा है।

इस संबंध में मैं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश के ऋण के भुगतान के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोश ऋण भुगातान की सूची द्वारा इस वर्ष जब भारत को विदेशी मुद्रा के भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। हमारी विदेशी आय का 20 प्रतिशत चला जाएगा। अत: आप देखेंगे कि जब विदेशों से प्राप्त आय का 20 प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश के ऋण का भुगतान करने में प्रयोग किया जाएगा तो उससे और भी संकट बढ़ जाएगा। यह हमारी आर्थिक नीतियों में रुकावटें हैं, जिनसे समस्या और बढ़ गई है।

दूसरे पहलू अर्थात् सरकारी क्षेत्र को लीजिए। महोदय सार्वजनिक क्षेत्र कार्यकुशल ढंग से काम करे इसमें मेरी पूरी आस्था है। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो निजी तौर पर तो गैर सरकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक तौर पर सरकारी क्षेत्र का समर्थन करते हैं।

जहां तक सरकारी क्षेत्र का संबंध है, इसका दर्शन यह है कि अगर हम सरकारी क्षेत्र से बेहतर लाभ प्राप्त कर लेते हैं तो उसका उपयोग सरकारी क्षेत्र के विस्तार के लिए, अथवा देश में विकास तथा अन्य कल्याण कार्यों के लिए किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से अगर आप देखें कि सरकारी क्षेत्रों को किस प्रकार चलाया जा रहा है तो आपको क्या पता लगेगा। महोदय, सरकारी क्षेत्र का कार्यभार जिन नौकरशाहों पर हैं उनमें से बहुत से सरकारी क्षेत्र के दर्शन में विश्वास नहीं रखते। उनकी सरकारी क्षेत्र के दर्शन तथा हितों के प्रति आस्था नहीं है। वे सरकारी क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र के मनोविज्ञान से काम करते हैं। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र का विशेषज्ञ महज इसलिए उन लोगों को माना जाता है क्योंकि वे आई० ए० एस० अधिकारी है --उनकी शैक्षिक योग्यताएं बहुत अधिक हैं। पर जिन्हें उद्योग चलाने का कोई व्यावसायिक ज्ञान नहीं है—इसलिए सरकारी क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशासन न होने के कारण अकार्यकुशलता बढ़ती है और लाभ कम मिलते हैं।

मंत्रियों सहित सरकार में ऐसे बहुत से हैं जिनकी सरकारी क्षेत्र के दर्शन में वास्तव में कोई आस्था नहीं है और इस प्रकार दोहरी विचार धारा के कारण सरकारी क्षेत्र में अधिकतम कार्यकुशल ढंग से काम नहीं हो रहा है तीसरी जिस बात का मैंने उल्लेख किया है वह काला धन है। मैं स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहना चाहता। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि यह अपना

प्रभाव कीमतों पर कैसे डाल रहा है। पिछले बहुत से सालों से काले धन का भंडार बढ़ता जा रहा है। काला धन बढ़ रहा है। यहां तक कि स्वीकृत सांख्यिकी तथा आंकड़े बताते हैं कि 1975-76 में काला धन 11,870 करोड़ रुपए, 1980-81 में 23,678 करोड़ रुपए था तथा 1983-84 में—लोक वित्त तथा नीति संस्थान के नवीनतम अनुमान सदन में वित्त मंत्री द्वारा रखी गई रिपोर्ट—के अनुसार 36,787 करोड़ रुपए अर्थात् लगभग 37,000 करोड़ रुपए है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक दल का तो यहां तक कहना है कि भारत में कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 50% काला धन है। इस निराशावाद से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं पर रिपोर्टों के अनुसार भी काला धन लगभग 36,787 करोड़ रुपए है।

महोदय विशेष धारक बांड शुरू किए गए थे। उस समय हम में से बहुतों ने इसका विरोध किया था। मुझे याद है कि सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने चेतावनी दी थी कि "आप काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए विशेष धारक बांड लाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बहुत संभव है कि ये बांड ही विशेष काले धन की मुद्रा बन जाए" और यही हुआ भी। मुझे खुशी है कि इसके परिणामस्वरूप सरकार ने काला धन पैदा करने के इस साधन अर्थात् विशेष धारक बांड योजना को बंद कर दिया।

वित्त मंत्री तथा मंत्रालय में अन्यों द्वारा कीमत वृद्धि के लिए दिए गए स्पष्टीकरणों पर मैंने बहुत ध्यान से विचार किया है। वित्त मंत्री ने हमारे समक्ष यह प्रस्ताव रखा था कि केवल दो रास्ते हैं कीमतों में वृद्धि की जाए अथवा योजना के परिव्यय में कांट-छांट की जाए। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जहां तक योजना में कांट-छांट का संबंध है अप्रत्यक्ष तरीके से ये लोग योजना में कांट-छांट कर चुके हैं। इस योजना का आधार वर्ष 1984-85 होना था लेकिन बहुत गुप्त रूप से उन्होंने आगामी सातवीं पंचवर्षीय योजना का आधार वर्ष 1984-85 से बदल कर 1985-86 कर दिया। इस आधार को बदलने से परिव्यय 8 प्रतिशत से घटकर 6 प्रतिशत हो गया। तो, आप योजना में कांट-छांट की बात करते हैं और इससे बचने के लिए आपने कीमतों में वृद्धि का रास्ता अपनाया लेकिन सातवीं पंच-वर्षीय योजना का आधार वर्ष बदलकर आप परिव्यय को 8 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत तो कर ही चुके हैं।

एक और महत्वपूर्ण पहलू जो बहुत महत्व रखता है और कीमत वृद्धि पर उसका बहुत प्रभाव होगा।

उन वस्तुओं को देखिए जिनकी कीमतों में वृद्धि की गई हैं। कीमत वृद्धि के लिए जिन वस्तुओं को लिया गया है उनमें कृषि और ओद्योगिक उत्पादन के लिए निवेश भी हैं। ओद्योगिक और कृषि उत्पाद के निवेश, मंहगे होंगे तो समस्त कृषि और औद्योगिक उत्पादन मंहगा हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाएगी आप देखेंगे कि उत्पादित वस्तुओं की कीमतें भी अधिक हो जाएंगी। उदाहरण के लिए डीजल को लीजिए। इसका उपयोग ओद्यो-गिक के साथ-साथ कृषि निवेश के लिए भी किया जाता है। उर्वरक का उपयोग कृषि निवेश के रूप में किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरक, डीजल आदि की कीमतें बढ़ गई हैं। परिवहन लागत भी बढ़ गई हैं। आप देखेंगे कि ओद्योगिक और कृषि उत्पादों की आधारभूत संरचना पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप पाएंगे कि इसके परिणामस्वरूप कृषि तथा ओद्योगिक क्षेत्र में तैयार

[प्रो० मधु दण्डवते]

उत्पादों की कीमत बहुत अधिक हो जाएगी। इस मौजूदा नीति के परिणामस्वरूप न तो किसानों को प्रोत्साहन मूल्य और न ही उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं मिलेंगी।

अध्यक्ष महोदय : आप तो कृषि समस्याओं के विशेषज्ञ हैं। आपके विचार बहुत स्पष्ट हैं। आपने अध्यक्षता करते समय पीठ से बहुत बार हस्तक्षेप किया है। कई बार आपसे अनुरोध किया गया है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल हमारे द्वारा ही नहीं रखे जाए बल्कि कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर आपको भी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और सदन में पूर्ण ध्वनिमत होने पर आपने ऐसा किया भी।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार कृषि वस्तुओं के मंहगा होने का कारण निवेश का मंहगा होना था। अगर निवेश के समस्त साधन मंहगे होंगे तो किसानों को बेहतर कीमत देना भी लाभकारी सिद्ध नहीं होगा। यही बात उद्योगों के मामले में तैयार माल पर लागू होती है।

बिक्री मूल्यों में वृद्धि को इस आधार पर उचित ठहराया जाएगा कि खरीद मूल्यों में वृद्धि हो गई है। मैं आपका बहुत समय लेना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप किसानों के लिए रखे गए विभिन्न खरीद मूल्य और बढ़े हुए वास्तविक निर्गम मूल्य में हुई वृद्धि के विभिन्न आंकड़े देखें तो आप पाएंगे कि दोनों में जरा भी अनुपात नहीं है। जब वे निर्गम मूल्यों में वृद्धि करना चाहते हैं तो उपभोक्ताओं से कहते हैं कि किसान अधिक कीमतों की मांग कर रहे हैं इसलिए निर्गम मूल्य अधिक हैं। और जब किसानों को बेहतर और लाभकारी कीमतें देने का प्रश्न उठता है तो आप उनसे कहते हैं कि शहरी उपभोक्ता सस्ती वस्तुएं चाहते हैं इसलिए आप उन्हें लाभकारी मूल्य नहीं दे सकते। वे एक-दूसरे को परेशान करना चाहते हैं इसलिए हम जोर देते रहे हैं कि कृषि और औद्योगिक वस्तुओं की कीमतों के बीच समानता हो और एक ऐसी कार्यविधि विकसित की जाए कि उपभोक्ताओं और कृषकों के साथ किसी प्रकार का अन्याय किये बिना हम कृषि और अन्य वस्तुओं की कीमतों के बीच समानता लाने के लिए कोई क्रियाविधि विकसित कर सकें। कीमतों के बारे में एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। यह समस्या कांग्रेस शासित राज्यों के साथ और गैर कांग्रेस शासित राज्यों में भी है। और यह आम शिकायत हैं। मैं उनके विचारों से सहमत हूं। विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में केन्द्र द्वारा वृद्धि होने पर राज्यों की अर्थव्यवस्था पर एक और दबाव पड़ जाता है। वैसे ही ओवर ड्राफ्ट, संबंधित राज्यों द्वारा तैयार की गई बहुत सी उत्पादक परियोजनाओं को स्वीकृति न देने आदि सम्बन्धी केन्द्र की नीति और बहुत सी समस्याओं के कारण राज्यों की वित्त व्यवस्था वैसे ही डांवा-डोल है। आपको याद होगा कि पिछले सत्र के अंतिम दिन हम सभी सदन से बाहर चले गए थे क्योंकि हमारी शिकायत थी कि गैर कांग्रेस (आई) शासित बहुत से राज्यों में बहुत सी विकास परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति नहीं दी जाती और इसके परिणामस्वरूप उत्पादक कार्यों में हानि होती है। अब एक और दिक्कत पैदा हो गई है। कीमतों में केन्द्र द्वारा वृद्धि का फायदा राज्यों को नहीं मिलता है। यह अनेक राज्यों की शिकायत है जो अनुभव करती है कि वित्तीय मामलों में केन्द्र-राज्यों सम्बन्धों में सुधार होना चाहिए।

विभिन्न क्षेत्रों में असफलताएं मिली हैं और इसके परिणामस्वरूप कीमतों में वृद्धि हुई है। मेरे विचार से अगर समय रहते उन्होंने इन दीर्घकालीन समस्याओं को समझ लिया होता, तो शायद वस्तुओं की कीमत बढ़ाने के इन तदर्थ उपायों का प्रश्न पैदा नहीं हुआ होता।

सरकार के अनुत्पादक व्यय तथा अपव्यय पर कोई नियन्त्रण नहीं है। जिस प्रकार उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाता है; उसी प्रकार समान वितरण के लिये कोई प्रोत्साहन देने की व्यवस्था नहीं है। हमेशा सलाह देने वालों के निहित स्वार्थ होते हैं। उत्पादन किए बिना वितरण की बात करना व्यर्थ है। जब तक केक का उत्पादन नहीं होगा तब तक केक का वितरण कैसे हो सकता है ? किन्तु यदि केक बनाने वाले को समुचित वितरण का भी आश्वासन मिल जाये तो इससे केक निर्माता को अधिक केक बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार प्रोत्साहन नहीं हैं। सरकारी क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में आय नहीं होती है जिसका उल्लेख मैं कर चुका हूं। इस देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पर्याप्त रूप से सुधार नहीं किया गया है। आयात और निर्यात नीति दोषपूर्ण है। सहायक सामग्री के मूल्यों में वृद्धि होने तथा काले धन के प्रसार पर कोई नियन्त्रण न होने के कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन मंहगा है जिसका उल्लेख में कर चुका हूं तथा इसके कारण मुद्रास्फीति के दबाव की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है विमुद्रीकरण जैसे उपायों को करने के बारे में यदि सरकार की तनिक भी राजनैतिक इच्छा है—तो इस विशेष उपाय के अच्छे परिणाम निकलेंगे। सरकार आयात रोकने में असफल रही है जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार का अन्तर बढ़ा है। लम्बी अवधि की इन नीतियों को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिये जिसके आधार पर मुद्रा-स्फीति को रोका जा सकता था। लम्बी अवधि के इन आर्थिक उपायों को कार्यान्वित करने में असफल होने पर सरकार खाद्यानों, पेट्रोलियम उत्पादों और परिवहन प्रमाण बढ़ाने सम्बन्धी उपाय करती है।

मैं एक और पहलू के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। पिछली बार जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष से ऋण मिला था तब हमने इस समस्या के बारे में बहुत कुछ कहा था। इसी सभा में मैंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के बारे में बाद-विवाद शुरू किया था। मैं सभा को यह याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय जब अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण स्वीकृत हुआ था मैंने इस सभा का ध्यान उस बात की ओर दिलाया था कि अपमानजनक शर्तें, राष्ट्र और अर्थ व्यवस्था के लिए अपमानजनक शर्तें इस सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण स्वीकार करते समय अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार की गई थी। उदाहरण के तौर पर, हमारी लम्बी अवधि की आर्थिक नीति में धनवान लोगों पर से प्रत्यक्ष करों को समाप्त करने की जो नीति स्वीकार तथा घोषित की गई है, वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा का एक लक्ष्य था तथा इसकी एक शर्त थी। यह स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष करों के दरवाजे बन्द करने के बाद, केवल अप्रयत्क्ष करों, आकलित मूल्यों के लिए दरवाजे खुले हैं और इसलिये उन्हें यही कार्य करना पड़ा है। उनके कहने पर ही आकलित मुल्यों में वृद्धि करनी पड़ी तथा राज सहायता की राशि घटानी पड़ी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी चाहता था कि बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाये। उन्होंने यही किया और मुझे इस बात में जरा भी शंका नहीं कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक मनमानी करता रहा तो कार्यसूची में रुपये का अवमूल्यन शामिल करना पड़ेगा—वस्तुतः रुपये का अवमूल्यन किया जा चुका है और कानून अवमूल्यन किया जाना है। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में दबाव के कारण हमारी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय दबावों के आगे नहीं झुकेगी और वह इस देश में मुद्रा का अवमूल्यन करने का प्रयास करेंगी। यह स्थिति खतरनाक होगी।

देश में पहले से ही असंतोष व्याप्त है। हर जगह अपार असन्तोष है। इसके बारे में न केवल विरोधी दलों के सदस्यों को चिंता है, अपितु सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को भी चिंता है।

[प्रो० मधु दण्डवते]

प्रधान मन्त्री को भी चिंता होनी चाहिये और महोदय, यदि मुझे कहने की अनुमति दी जाये तो मैं यह कहूंगा कि प्रधान मन्त्री महोदय मेरे स्थगन प्रस्ताव का विरोध कर सकते हैं किन्तु श्रीमती सोनिया गांधी को यदि मत देने को कहा जाता तो मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि वह मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में ही मत देतीं। सभी गृहणियां, चाहे वे सत्तारूढ़ दल की हो या विपक्ष की, बहुत दुःखी हैं। उनमें से कुछ ने दूरदर्शन के साक्षात्कारों में अपना असन्तोष व्यक्त किया। उनका यह असन्तोष अपने पतियों के प्रति न होकर सत्तारूढ़ दल के प्रति था। और मुझे विश्वास है कि पिछले दिन हुए प्रदर्शन में भी सबसे अधिक आवाज उठाने वाले वर्गों, में जिन्होंने सत्याग्रह किया था, मैं इस देश की कामकाजी महिलायें और गृहणियां थीं जो सबसे अधिक प्रभावित हैं। वर्तमान सरकार की धनी समर्थक और गरीब विरोधी नीति से हम पहले ही ज्वालामुखी के कगार पर हैं और यदि यही नीति चलती रहीं तो ज्वालामुखी भड़क उठेगा और जोर से विस्फोट होगा तथा इस सरकार की गलत नीतियों तथा गलत नीतियाँ निर्धारित करने वाली सरकार के टुकड़े टुकड़े करके नष्ट कर देगा। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे यह स्थगन प्रस्ताव में जनता की आवाज प्रतिध्वनित होती है। आर्थिक संकट को रोकने के लिए यह एक संकेत तथा चेतावनी है। मैं इतना कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिट्रेन में राष्ट्रीय रक्षा के प्रश्न पर लेबर पार्टी के सदस्य श्री हर्बर्ट मौरीशन ने, जिन्होंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, हाउस आफ कामन्स के सदस्यों से अपील की थी। सत्तारूढ़ दल के अनेक सदस्यों ने दलगत भावना पर ध्यान नहीं दिया तथा दलगत भावना से ऊपर उठकर उस प्रस्ताव के समर्थन में मत दिया। राष्ट्रीय दृष्टिकोण बदल गया था और एक नई सरकार का गठन कर राष्ट्र की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की समस्या को सुलझाया गया था। मैं इस सभा के सदस्यों से अपील करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे दलगत भावना से ऊपर उठकर इस प्रकार मतदान करें जिसमें जनता की कठिनाइयाँ, जनता की आवाज प्रति ध्वनित हो मेरा स्थगन प्रस्ताव जनता की आवाज और जनता की इच्छा को प्रतिध्वनित करता है। मुझे विश्वास है। कि पूरी सभा जनता की इस आवाज का समर्थन करेगी जो मेरे स्थगन प्रस्ताव में प्रति ध्वनित होती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत हुआ :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

अब श्री आजाद बोलेंगे।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री मधुदण्डदते को बधाई देता हूं क्यों कि उन्होंने मूल्य वृद्धि के सम्बन्ध में अपने विचारों को व्यक्त नहीं किया है। देश की समूची अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर इसके सर्वोत्तम आशाजनक स्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। इस समय उन्होंने केवल उन्हीं मुद्दों को उठाया है जिनके वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष-विदेशी ऋण आदि के बारे में इतने वर्षों तक उल्लेख करते आ रहे हैं। उन्होंने अमरीकी पत्रिकाओं से उद्धरण दिये है तथा उन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं उनका आधार ये समाचार हैं यह तो इस मामले से ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मूल्य वृद्धि हुई है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि लोगों को कठिनाई हुई है। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि "मूल्य वृद्धि क्यों हुई है।" विरोधी दलों और हममें यही अन्तर है। महोदय, चूंकि हम सरकार में हैं,

इसलिये हमें वस्तुओं का विश्लेषण करना पड़ता है। मूल्य स्थिर नहीं रहते। वे बढ़ते रहते हैं और यदि जनता का सहयोग प्राप्त होता है तो मूल्य घट भी जाते हैं। विपक्ष एक मुद्दे पर अड़ जाता हैं वे केवल मूल्य वृद्धि पर ध्यान देते हैं और यह सोचना आरम्भ कर देते हैं कि देश में हर काम गलत हो रहा है। मैं प्रो० दण्डवते को सन् 1980 से और उससे पहले से देख रहा हूं और वह हमेशा विनाश के पैगम्बर रहे हैं। जिस भाषण को चाहें आप उसका विश्लेषण कर सकते हैं। मैंने तीन घन्टे में पाँच भाषण पढ़ने का प्रयास किया है।

प्रो० मधु दंडवते : इनका अथवा विनाश का पैगम्बर ?

श्री भागवत झा आजाद : कोई भी सुभाषित और मुस्कान तथा हास्यपूर्ण शब्द इस मुद्दे को नहीं झुठला सकता है कि प्रो० दंडवते यह कहते रहे हैं कि हम ज्वालामुखी के कगार पर बैठे हुए हैं। यह सरकार चलती रहेगी। यह देश चलता रहेगा; हम सब प्रकार की कठिनाइयां झेलते रहें हैं; किन्तु फिर भी, महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी बनी रही है। मैं यही कहना चाहता हूं। इस बात का समर्थन करने के लिये मेरे पास प्रमाण हैं। मैं केवल सैद्धान्तिक आधार पर नहीं कहता हूं। मैं उन तथ्यों के आधार पर कहता हूं जिन तथ्यों से हम सहमत हैं, अर्थशास्त्री सहमत हैं और विश्व बैंक तथा अमरीकी पत्रिकायें वे मित्र जिनका उन्होंने उल्लेख किया है, सहमत हैं। ठीक है, वे भी यही कहते हैं। देश में मूल्य वृद्धि तो हुई है। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया। पूरे देश में हमारी अर्थ व्यवस्था अच्छी है। हमारी अर्थ व्यवस्था का समर्थन केवल हम ही नहीं अपितु पूर्व तथा पश्चिम दोनों ही करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर 4.1% घटी है तथा देश की अब तक सभी उपलब्धियों में यह सर्वोत्तम उपलब्धि है। इसे कौन भूल जाएगा। हमें यह बात क्यों भूलनी चाहिये कि पिछले एक दशक के दौरान इस देश में मुद्रास्फीति की दर सबसे कम रही है ? इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये अर्थात अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना हमारी अर्थव्यवस्था विकास शील व्यवस्था है जिसमें हम दलित और गरीब वर्ग के लोगों का विकास करने के लिये जोर देते हैं। जहां तक मूल्य वृद्धि का प्रश्न है हमने यह देखा है कि गत 10 महीने के दौरान थोक मूल्यों में 4.18% की वृद्धि हुई है जो इस दशक में सबसे कम है। इससे अधिक आप और क्या चाहते हैं ? क्या इस बात से इसका अच्छा प्रमाण नहीं मिलता कि देश की अर्थ व्यवस्था अच्छी है ? गत तीन महीनों के दौरान 18 आवश्यक वस्तुओं (जिनका उल्लेख सदस्यों ने किया है) के मूल्यों में कमी हुई है। अनेक वस्तुओं के मूल्य स्थिर रहे हैं और इससे तात्पर्य यह है कि यद्यपि मूल्य घटे नहीं हैं ...(व्यवधान)। मैं आपको तथ्य और आंकड़े बता सकता हूं किन्तु बुद्धि नहीं दे सकता हूं यदि मुझे एक घंटे बोलने का समय दिया जाये तो मैं आपको वस्तुओं के मूल्य बता सकता हूं तथा उन वस्तुओं के मूल्य बता सकता हूं जिनके मूल्य स्थिर रहे हैं। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमें उन वस्तुओं की जानकारी है जिनके मूल्य स्थिर रहे हैं तथा उन वस्तुओं के भी जिनके मूल्य घटे हैं।

महोदय, देश की आज की इस अर्थ व्यवस्था से राष्ट्रीय आय में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है। सातवीं योजना का यही लक्ष्य है और हमें आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

कराधान के बारे में माननीय सदस्य ने कहा था कि हम देश में प्रत्यक्ष कर समाप्त करने जा रहे हैं। यह सत्य नहीं है। इस देश में गत दशक में करों की वसूली सबसे अधिक रही है जो 23 प्रतिशत है। व्यक्तिगत आय कर से 38 प्रतिशत की उपलब्धि रही है। प्रश्न यह है कि

[श्री भागवत झा आजाद]

व्यक्तिगत आयकर से तथा कर राजस्व के माध्यम से हमें जो धन प्राप्त होता है, उसमें 23 प्रतिशत धन कर राजस्व के माध्यम से तथा 38 प्रतिशत व्यक्तिगत आयकर से प्राप्त होता है। इस प्रकार इस दशक के दौरान हमें सर्वाधिक धन प्राप्त हुआ है प्रश्न यह है कि हमारा औद्योगिक उत्पादन मत वर्ष, अक्तूबर, 1985 में 8 प्रतिशत तक पहुंच गया था। हमारे भण्डारों में खाद्यान्न भरा पड़ा है। प्रश्न यह है और 55000 डॉलर का प्रश्न है; इस अर्थव्यवस्था से हमारा औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ रहा है, खाद्यान्न है, राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और मूल्यों में गिरावट आ रही है। इस सरकार ने ये कर क्यों लगाये ? महोदय, क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि केवल वही लोग बुद्धिमान हैं, तथा हम सभी पागल हैं ? हम 1977 से 80 तक की सरकार नहीं है जो सत्तारूढ़ रही और जिन्होंने तीन वर्ष में ही अपनी सत्ता खो दी। वे लोग आपस में लड़ते रहे। उन्होंने इस संसद को एक आखड़ा बना दिया। और वहां बनारस तथा महाराष्ट्र के पहलवानों की लड़ाई हुई तथा तीन वर्ष में सत्ता से अलग हो गये। हम बुद्धिमत्ता से बात करते हैं। हमें पता है कि जनता ने हमें भारी जनादेश दिया है। (व्यवधान) महोदय, हमें पता है कि जनता ने हमें भारी जनादेश दिया है। महोदय, हमें पता है कि असफलताओं के बाबजूद तीन वर्ष की अल्पावधि को छोड़कर जब कि वे सत्ता में रहे और सत्ता के बाहर भी रहे; हमें पता है कि कांग्रेस सरकार 1947 से लेकर अब तक सत्ता में रही है और हमें पता है कि हम किस प्रकार देश की तथा जनता की सेवा करते रहे हैं। अतीत में अनेक प्रकार के अप्रिय तथा कठोर निर्णय लिये गये हैं और जब भी इस प्रकार के निर्णय लिये गये तभी ये आवाज उठाई गई तथा बार-बार यह कहा गया कि 'ज्वालामुखी' फटेगा, कयामत का दिन आ जायेगा और 'सब कुछ नष्ट' हो जायगा किन्तु महोदय, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। इसके विपरीत जैसा कि मैं कह चुका हूं वास्तविकता यह है कि वर्तमान प्रधान मन्त्री, स्वर्गीय महान इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में तथा जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश में प्रगति हुई है। प्रो० मधु दण्डवते ने जो तथ्य उद्धरित किये है उन्हें मैं औद्योगिक क्षेत्र तथा खाद्यान्न के संबंध में अनेक तथ्य दे सकता हूं। कपड़े के संबंध में हमारा औसत उत्पादन 5 गज से बढ़कर 21 गज हो गया है इसी प्रकार अन्य तथ्य भी हैं और निष्कर्ष रूप से हमारा देश प्रगति कर रहा है। किन्तु प्रश्न यह उठता है कि किस कारण से हमने मूल्य बढ़ाये हैं ? स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध इसी प्रश्न से सम्बन्धित है। सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के तर्क देकर मैं इस प्रश्न पर पर्दा नहीं डालना चाहता हूं। इस प्रश्न का उत्तर वित्त मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह देंगे कि उन्होंने यह परिवर्त्तन क्यों किया है ? और क्या उन्होंने यह सब किया है ? मैं कहता हूं, नहीं, आधार वर्ष में परिवर्त्तन किया गया है। वह यही उत्तर देंगे। किन्तु मेरा कहना है कि मूल्य वृद्धि से इस बात का संकेत मिलता है कि देश की भावी प्रगति के लिये एक कठिन विकल्प करने होंगे। महोदय, हमारी सरकार इस प्रकार की नहीं जिसमें मैं यह तर्क दूं कि "मैं मूल्य और नैतिकता पर आधारित राजनीति के आधार पर त्याग पत्र दे रहा हूं" और इसके बाद तत्काल सब तथ्यों पर से ध्यान खींच लिया जाये। (व्यवधान) मुझे पता है कि हमारी सरकार ऐसी सरकार है जो वायदा करती है और उसे पूरा करती है। हमें पता है कि आरम्भ से ही कांग्रेस को भारी जनादेश प्राप्त होता रहा है, पिछली बार, उससे पहले तथा उससे भी पहले कांग्रेस बहुमत में रही है और हमें आशा है कि इस समय हम जो कठिन विकल्प रख रहे हैं, उससे हमें 1990 में भी बहुमत प्राप्त होगा।

इसलिए महोदय, हम झूठे वायदे नहीं करेंगे। हम योजना प्राथमिकताओं को आसानी से इसमें ले सकते हैं। योजना के अनुसार हम 180 हजार करोड़ रुपए प्राप्त कर सकते हैं और केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 95,000 करोड़ की राशि तथा चालू वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए की एक योजना प्राप्त कर सकते हैं। हम अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 24,000 करोड़ रुपए आसानी से लगा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। हम उसे कर सकते थे। लेकिन हम देश और लोगों को अपने कठोर विकल्पों के बारे में याद कराना चाहते हैं कि कठोर विकल्प यह है। माननीय सदस्य दलित वर्ग, गरीबी मिटाओ कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के बारे में बोले हैं। मैं उस बात से सहमत हूं। परन्तु प्रश्न यह है कि चालू वर्ष के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना या उस मामले के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के लिए 95,000 करोड़ रुपए की योजना वर्तमान कर पद्धति के अन्तर्गत आसानी से की जा सकती है। लेकिन यह संभव नही था, क्योंकि प्रधानमंत्री विद्युत इस्पात, गरीबी मिटाओ कार्यक्रम के लिए थोड़ा अधिक जोर देना चाहते थे। हम कहां से धन प्राप्त करेगें। कहां से पैसा आता है? हम भीख मांगने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के पास नहीं जायेंगे। इसके लिए केवल चार रास्ते है अर्थात्, पहला उधार। दूसरा कर इकट्ठा करना। तीसरा हमारे पास नासिक प्रिंटिग प्रैस जाने का है जहां, यदि माननीय सदस्य चाहें, तो आप नोट छाप सकते हैं। परन्तु मुद्रास्फीति और अधिक हो जाएगी। अब, प्रश्न यह है कि इस अच्छी अर्थ व्यवस्था में हमारे पास क्या करना संभव है। क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे या देश से कुछ सहने के लिए कहेंगे? इस मामले पर जोर देने का प्रश्न है। हम इसको क्यों चाहते है? हम इसको इसलिए चाहते हैं, क्योंकि हम संसाधनों का उपयोग करने के लिए और अधिक ऊर्जा चाहते हैं। और सभी लोगों की शक्ति को एक साथ रखना चाहते हैं। दो तरह की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक तो मानव ऊर्जा और दूसरी विद्युत ऊर्जा उसके लिए यह आवश्यक है कि और अधिक कर लगाए जाएं। हम फार्म और फैक्ट्री में लोगों के लिए संयंत्र और मशीनरी के लिए और अधिक इस्पात चाहते हैं। हमें गरीबी मिटाओ कार्यक्रम के लिए लोगों को अंधेरे से निकालने, गरीबी की रेखा से ऊपर लाकर न्यूनतम आवश्यकताओं जिनके लिए दिवंगत नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने वादा किया था, जुटाने के लिए हमें इसकी और अधिक आवश्यकता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 20 सूत्री कार्यक्रम या गरीबी मिटाओ कार्यक्रम जिसे इस कार्यक्रम के द्वारा दिया गया है। एक महाधिकार पत्र है जिसे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिया जो इस देश के उन करोड़ों लोगों की मां है जिन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात कहा था और अभी-भी कह रहे है :

[हिन्दी]

"अब गरीब का कोई नहीं रहा"

[अनुवाद]

हम उन वायदों को पूरा करना चाहते हैं जो निर्धन लोगों से किए गए हैं और उसके लिए हमसे साधन चाहते हैं। हमें उस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है। मैं लोगों से क्षमा चाहता हूं कि हमने और अधिक कर लगाए हैं। किन्तु मैं उनसे चाहता हूं वे यह सोचें कि हमने कर क्यों बढ़ाए है? उसे अनिवार्य रूप से बढ़ाया गया हैं क्योंकि यदि वे सोचते हैं तो वे महसूस करेंगे कि आने वाले कठिनाई के दिनों में हमें अधिक संसाधनों को रखना होगा।

[श्री भागवत झा आजाद]

हो सकता है कि वर्तमान में की गयी मूल्य वृद्धि कड़वी लगती हो लेकिन हम यह इस आशा से कह रहे हैं कि भविष्य में यह कदम मिठास से भरा हुआ प्रतीत होगा। जब हमारे पास गरीबों के लिए, गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों, मध्यम वर्ग के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होने तथा गैस के सिलेण्डर, मिट्टी के तेल, पेट्रोल में दाम बढ़ने से उनको चुभन नहीं होगी। हमें यह करना है।

दूसरी ओर के माननीय सदस्य मुस्कराते हैं। वे कानाफूसी कर रहे हैं और यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ मैं बोल रहा हूं वह सिर्फ उलटा है और जो वे बोलते हैं वह सही है। परन्तु तथ्य यह है कि न केवल बजट की स्थिति और वित्तीय कार्यक्रमों बल्कि शोधन सन्तुलन के लिए देश के पास यह कठोर विकल्प है।

माननीय सदस्य ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमतें गिरने के बारे में उल्लेख किया है। जी हां, मैं जानता हूं, यह 15 डालर हो सकता है, कल यह 20 डालर हो सकता है या परसों 30 डालर हो सकता है। हमें इसे 20 डालर कम करना चाहिए। इस देश के लिए यह प्रश्न नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भाव गिर रहे है या बढ़ रहे है। इस देश के लिए यह प्रश्न है। क्या हमारे पास विदेशी मुद्रा का उतना भण्डार है इस देश की हमारी बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस भाव से खरीद की जा सके ?. पिछले वर्ष पेट्रोलियम उत्पादन की बढ़ रही आवश्यकता 9% अधिक रही है। पिछले 9 महीनों में मार्च से दिसम्बर, 1985 तक यह 9% बढ़ गई। प्रश्न यह है कि इस देश में 75% आयात पेट्रोलियम उत्पादों तथा विशेषरूप से पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित मशीनरी और चीनी तथा अन्य उत्पादों का होता है। शोधन संतुलन को हम किस प्रकार पूरा करेंगे ? आज हम ये सभी उत्पाद आयात करेगें और इसके बाद जब हमारे पास कठिन समय होगा—प्रो० मधु दण्डवते ने आकड़े उद्धृत किये हैं और मैं भी उनका समर्थन करता हूं—चालू वर्ष में शोधन संतुलन कठिन हो सकता है। 9000 करोड़ रुपए का अन्तर हो सकता है। वित्त मंत्री जी हां या नहीं कहेंगे। मैं महसूस करता हूं कि हो सकता है कि चालू वर्ष में ही 1,500 करोड़ रुपए कम हो गए हैं। यह अगले वर्ष 5,000 करोड़ रुपए कम हो सकता है। 1987-88 तक यह कम हो सकता है। तब क्या होगा ? यह विपक्ष दल तब हमें बतायेगा कि "हमारी किस तरह की सरकार है ? यह शोधन संतुलन की स्थिति का अनुमान लगाता है और हमें कठिनाई में डालता है। अतः दो मुद्दे हैं। पहला गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिए बजट व्यवस्था करना, दूसरा समुचित शोधन संतुलन की स्थिति, ताकि यदि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य कम भी हो जाते हैं तो हमारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि हम खरीद कर सकें। इसलिए इन दोनों पर विचार करने से हमें पता चला कि यह हमारे लिए अनिवार्य है कि हम अपना बजट कड़ा बनाएं। हमारे लिए कुछ अधिक राजस्व रखना आवश्यक है। हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम संसाधनों को जुटालें। और यह केवल इसी तरीके पर करें। देश की प्रगति के लिए हमें और संसाधनों की आवश्यकता है।

एफ 16 विमान से लड़ने के लिए हमें 25 करोड़ रुपया के मूल्य का मिराज विमान खरीदना पड़ेगा। जो मित्र इस तरह की बातें करते हैं, यदि वे उनके मित्र हैं तो वे अपने मित्रों को यह सलाह दें कि 1986 या 1985 की तुलना में पाकिस्तान को वह 1987 में 460 लाख

डालर से अधिक की सहायता न दें। यदि एफ 16 विमान की सप्लाई रोक दी जाती है तो हमारी रक्षा के लिए मिराज की खरीद रोकी जा सकती है। यदि देश के विभिन्न भागों में परेशानी होती है तो वे तुरन्त भारत बंद हड़ताल और आन्दोलन की बात करते हैं। वे उत्तेजना, अराजकता और अशान्ति की स्थिति छोड़ना चाहते हैं। इन सभी पर नियंत्रण करने के लिए यदि हमें कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है। तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता है अतः बजट में इन सभी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए हमें वित्त में वृद्धि की आवश्यकता होती है। मानलो हम मूल्य वृद्धि नहीं करते। हम दूसरी ओर की बात करें। हम इन करों को नहीं बढ़ाते हैं। क्या विकल्प है ? विकल्प है उधार लेना। मित्रों को जानना चाहिए कि उधार मांगने की स्थिति में भारत के लिए यह बहुत ही मुश्किल हो गया है कि वह विदेशों से रियायती दर पर ऋण ले सके रियायती दर पर ऋण नहीं मिल रहा है सरकारी सहायता और विकास ऋण कम होता जा रहा है। ब्याज दर द्वारा वाणिज्य ऋण बढ़ रहा है जिसे हम नहीं ले सकते हैं। हालांकि आई. डी. ए. है फिर भी यह हमारी आशाओं के अनुकूल नहीं हाल ही में पेरिस में आई० डी० ए० की बैठक हुई थी आई. डी. ए. 8, आई. डी, ए. 7 की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होगा फिर भी हम समझते हैं कि 1981 की तुलना में यह 5% कम होगा। अतः वह बन्द हो गया है इसके साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के भुगतान की बात है हालांकि इस वर्ष धन राशि दी जायगी, अगले वर्ष यह अधिक होगी।

दूसरे अमरीकी लावी की यह कोशिश है कि आई. डी. ए. ऋण पर 0.75% सेवा प्रभार बढ़ा दिया जाना चाहिए। ब्याज और अधिक होना चाहिए। हम कहां जायंगे। देश के भीतर संसाधनों के उपयोग के लिए आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था एक कठोर विकल्प है। इसका मतलब यह हुआ कि मिट्टी के तेल एवं चीनी और पेट्रोल की खपत में कमी ये दो विकल्प हैं हम दूसरे की बात करते हैं क्योंकि हम ताइवान की अर्थव्यवस्था नहीं चाहते हैं। हम इस देश में फिलिपीन की अर्थव्यवस्था नहीं चाहते हैं। हम इस देश में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था चाहते हैं हम राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंध आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं। देश के सामने यह विकल्प है और इसलिए हमें उसके लिए संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता है। क्या विरोधी पक्ष को हमें यह बताने की आवश्यकता है कि जब आप कर बढ़ाते हैं तो इससे इस देश के लोगों को परेशानी होती है ? हमें बताने की उनको आवश्यकता नहीं है हम उसे जानते हैं। अन्तर केवल यह है कि वे खुश हैं कि करों में वृद्धि हुई है और उनके विभिन्न वर्ण रंग और विचारधाराओं के बावजूद अब उनके पास ऐसा मंच है जहां वे एक साथ खड़े होते हैं और तब वहां से वे अपने भाषणों की बौछार करते हैं।

कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि लोग हमारे साथ होंगे जब हम लोगों के पास जाकर कहते हैं; जी हां, मूल्यों में वृद्धि करने से हमें खेद है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे समझिये कि हमने आपको इसकी वृद्धि के बारे में संकेत दिया है कि आज के लिए आपको आधी चीज की कुर्बानी देनी होगी ताकि आपके पास संसाधन हो सके ओर देश में तुरन्त विकास हो सके और इसे कल करें।

इसलिए किसी भी दृष्टि से आज प्रश्न यह है कि चाहें यह शोधन संतुलन है या बजट की स्थिति है या चाहे यह देश की सुरक्षा का सवाल है या देश में बढ़ती हुई अराजकता वे इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।,पंजाब की समस्या, असम की समस्या, पश्चिमी सीमा का सवाल

[श्री भागवत झा आजाद]

दक्षिणी सीमा का प्रश्न जहां कुछ सरकारें मूल तमिल के लोगों की समस्या का सैनिक समाधान चाहते हैं, इन सभी प्रश्नों से सफलता पूर्वक निपटने के लिए एक मजबूत सरकार और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है और वैसी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था हम उधार लेकर या नोट छापकर नहीं बना सकते, यह अन्य किसी तरह से नहीं हो सकती है। यह केवल तभी हो सकता है जब हम सुदृढ़ अर्थव्यस्था के लिए कमर कस लें। जागो और उठो। हमने देश को यही बताया है मुझे विश्वास है कि हम कांग्रेसी लोग लोगों को यह बात समझाने में सफल हो जांयगे कि इन परिस्थतियों के अन्तर्गत हमने इसे किया है कांग्रेसियों के लिए यह बताना संभव होगा कि हम भी यही महसूस करते हैं। जी हां, हमारी पत्नियों ने भी हमसे शिकायत की है। लेकिन हमने अपनी पत्नियों को बताया है। दूसरी ओर, वे डरपोक हैं। वे अपनी पत्नियों को सच्चाई नहीं बताते हैं। हमारे और उनके बीच में यही अन्तर है। हम सच बोलते हैं उनके साथ यही कठिनाई है। अतः मैं महसूस करता हूं कि इस मामले में हमारे लिए यह संभब है कि हम उन्हें संतुष्ट कर पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह ऐसा है ? आप उन्हें बोलने की अनुमति देते हैं लेकिन वे उन्हें बोलने की अनुमति नहीं देते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे सामाजिक समारोहों में श्रीमती दंडवते के साथ मिलने का सौभाग्य मिला है और मैं जानता हूं कि कौन किस पर हावी है। उन्हें हमेशा डराया जाता है।

साथ ही मैं सरकार को कुछ बातें बताना चाहता हूं। जहां तक सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों का संबंध है हमें ऐसे मूल्यों में सरकार का दर्शन और दीर्घकालीन नीति के बारे में जानना चाहिए। देश को, निर्धन लोगों को यह जानना चाहिए कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कुछ विशेष अवधि के लिए मूल्य नहीं बढ़ाया जाएगा। यदि ऐसा होगा तो वे प्रसन्नतापूर्वक और साहस के साथ इस मूल्य वृद्धि का मुकाबला करेंगे वहां ऐसा होना चाहिए। सरकार के लिए यह संभव होना चाहिए। इन दिनों वे सरकारी क्षेत्र के लिए कार्य कर रहे हैं। 1952 से, जबसे मैं इस सदन में आया हूं, मैं सरकारी क्षेत्र का अंधाधुंध समर्थन करता था और हमारा समर्थन उचित रहा है अगर सरकारी क्षेत्र को प्रधानता न दी जाती तो निजी क्षेत्र इस देश को लूट लेता इसलिए हम चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो उत्पादन होता है उसकी लागत अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें उत्पादन लागत कम की जानी चाहिए। अन्यथा एक कोयला खान के लिए बाहर से 2 लाख रुपए का जो आयात किया जाता है। उसके लिए यदि हमें देशीकरण के नाम पर 5 लाख रुपए देने पड़ें तो यह देश उसे नहीं दे सकता। इसलिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में जो उत्पादन होता है उसकी लागत कम होनी चाहिए। महान विचारों वाले लोग जो सभी प्रकार से माहिर हैं जिन्हें सचिवालय में लगाया जा रहा है उन्हें सरकारी क्षेत्र में लगाया जाता है। परन्तु उन्हें नियमों के अधीन काम करना पड़ता है जो उनकी पहल पर अंकुश लगता है। हमें उन्हें कुशल बनाना होगा। यदि वे सचिवालय में कुशल नहीं हैं तो वे सरकारी क्षेत्र में भी कुशल नहीं हो सकते। इसलिए, मैं सरकार से इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। और उत्पादन अधिक होना चाहिए।

मूल्यों के बारे में माननीय सदस्य प्रो० मधु दंडवते अभी कुछ समय पहले उपभोक्ताओं और किसानों के बारे में बोले हैं गेहूं और धान के लिए किसानों को जो 119 रुपए का मूल्य दियागया

था वह आज कितना है ? हो सकता है कि वह अधिक चाहते हों। लेकिन बात यह है। हमने किसानों को गेहूं। चावल के लिए अधिक मूल्य दिए हैं। अब, यह देश बाकी राजसहायता की बात का समर्थन नहीं कर सकता। मैं आपको केवल एक उदाहरण देता हूं जो सबके लिए है। मैं जानता हूं कि गांव में मेरा भाई मुझसे पूछता है। आपने उर्वरक पर समर्थन मूल्य को वापस क्यों लिया है ? वास्तविक रूप से इसे वापस नहीं लिया गया है। आपने उन्हें गेहूं के लिए समर्थन मूल्य के रूप में 6 रुपये ओर अधिक दिए हैं। सातवीं योजना में उर्वरक पर लगभग 8000 करोड़ रुपए की राजसहायता रखी गई थी। हमने गत वर्ष पहले से ही 2000 करोड़ रुपए और इस वर्ष लगभग 4000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। अत: राजसहायता के लिए कुछ कहीं बचेगा। एक विकासशील देश इतनी बड़ी राशि की राजसहायता कितने समय तक दे सकता है। खाद्यान्न का एक उदाहरण लें : 73 करोड़ रुपए से हम 1600 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। जहां तक हो सकता है हम राजसहायता देते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जैसे देश में जहां प्रतिव्यक्ति आय बहुत कम है, हमें राजसहायता देनी होती है परन्तु प्रश्न यह उठता है कि यह आप कब तक दे सकते हैं . एक मुद्दा है जहां आपको कहना चाहिए" इस प्रकार बहुत हो गया है। अब आगे नहीं और इसे उस प्रकार से करिए जिससे लोगों को असुविधा न हो। इसके लिए अन्य उपाय निकालिए जैसाकि मैंने माननीय मंत्री को अभी सुझाव दिया है अर्थात सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य। केवल सरकारी क्षेत्र को ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र को भी लोगों की भलाई के लिए अपने लाभ में से कुछ राशि देनी चाहिए।

मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उन्हें छापे जारी रखने चाहिए और बेईमान लोगों पर छापे मारे जाना जारी रखा जाना चाहिए। कर-अपवंचकों ने जो कर अपवंचन किया है, उसके लिए भारी कीमत चुकाने हेतु उन्हें वाध्य किया जाना चाहिए ताकि हमें गरीबी मिटाओ कार्यक्रमों के लिए अधिक धन मिल सके। मैं वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि हमारी अर्थ व्यवस्था तभी सार्थक हो सकती है जब आप आकलित मूल्यों को कुछ वर्षों के लिए घोषणा कर दें आपको अवश्य ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देश को कुछ वर्षों तक निर्धारित मूल्य पर आवश्यक वस्तुएं मिल सकें।

सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध होने हाहिए। गरीबी मिटाओ कार्यक्रमों में पैसा खाने की प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री को बताना चाहता हूं कि उन्हें भ्रष्टाचार को गांवों तक नहीं ले जाना चाहिए। यह कैसी बात है कि बैल की एक जोड़ी के लिए 1200 रुपए की राज सहायता तथा 1200 रुपये की ऋण राशि होती है वह हर जगह 2399 रुपए में मिल रही है ? गरीबी मिटाओ कार्यक्रम में यह पैसा खाने की प्रवृत्ति है। इसका अर्थ यह है कि 1200 रुपए की राज सहायता उनकी जेब में जाती है तथा 1200 रुपए बैलों की एक जोड़ी की कीमत है। अन्यथा बैलों की जोड़ी की कीमत देश में हर जगह बंगाल बिहार में 2399 रु० कैसे हो सकती है?

मेरा कहना है कि यदि आप इस प्रवृत्ति को रोकें तभी आपको योजना के लिए धन मिल सकता है।

यदि ये प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं तो मुझे विश्वास है। कि हमारे लिए संसाधन जुटाना संभव होगा।

मेरा कहना है कि आयात प्रतिस्थापन की जो व्यवस्था हम इस देश में चाहते हैं उसकी

[श्री भागवत झा आजाद]

लागत कम होनी चाहिए। यदि आप आयात रोकना चाहते हैं और आयात प्रतिस्थापन की व्यवस्था देश में चाहते हैं तो यह आवश्यक है।

अंत में मैं बताना चाहता हूं कि बम्बई में कांग्रेस शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राष्ट्र को देश की एकता एवं अखण्डता बनाये रखने का आहवान हमारे जिन चार सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए किया था—वे हैं : समाजवाद—हमारा लक्ष्य; धर्म-निरपेक्षता—हमारा धर्म, लोकतंत्र—हमारा विश्वास, गुट-निरपेक्षता—हमारी आस्था। हम कांग्रेसी इन आदर्शों का पालन करें।

यदि विपक्ष यह अनुभव करता है तो इसमें सहमति होनी चाहिए। लोकतंत्र, आयोजना साम्प्रदायिक एकता, पद दलितों के उत्थान में सहमति होनी चाहिए यदि आयोजना पर सहमति होती तो हम आयोजना के अन्य पहलुओं तथा संसाधनों पर भी हम सहमति रख सकते थे। परन्तु विपक्ष तो केवल एक ही बात जानता है और वह यह है किस समय—असमय मूल्य वृद्धि पर सरकार का विरोध करना। वे लोगों की कठिनाइयों के मामले के बारे में शोर मचा रहे हैं। बाहर मुस्करा रहे हैं। अब हमारे एक होकर बोलने के लिए यह एक आधार है। मैं आपसे कह सकता हूं तथा आप विस्फोटक स्थिति आततायियों आदि की बात तो कर सकते हैं परन्तु यह इस देश में संभव नहीं है।

विपक्ष के माननीय सदस्यों तथा प्रो० दण्डवते ने 21वीं शताब्दी की बात कही है। उनका कहना है कि वह 21वीं शताब्दी में स्वयं ही पहुंच जायेंगे। वह किसी भी स्थिति में 21वीं शताब्दी में असंतोष, निराशा, क्रोध, असहायता के साथ प्रवेश करना चाहते हैं और उन्हें कोई शक्ति नहीं मिल रही है।

महोदय, हम प्रधान मंत्री के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी में आशाओं एवं आकांक्षाओं के साथ प्रवेश करना चाहते हैं। हम 21वीं शताब्दी में उत्पादन के नये तरीकों के साथ तेजी से प्रवेश करना चाहते हैं। आधुनिकीकृत अर्थ व्यवस्था, आदि चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि हम उनके नेतृत्व में हम ऐसा कर पायेंगे। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस तब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक

[हिन्दी]

चरैवेति चरैवेति
जब तक न मिटेगी भूख और नग्नता ढकी पाएगी
जब तक न देश की कोटि कोटि जनता रोटी पाएगी
जब तक न देश के नौनिहाल समुचित शिक्षा पाएंगे
जब तक न ग्राम की चौपालों में कृषक बन्धु गाएंगे—राम राज्य आ गया,

[अनुवाद]

तब तक हम कांग्रेसजन कड़े विकल्प के साथ— कभी कभी हमें गलत समझा जा सकता है परन्तु हम बाद में इसे स्पष्ट करेंगे भरसक चेष्टा करेंगे। हम देश को बतायेंगे कि इसमें क्या

कठिनाइयां हैं और मुझे विश्वास है कि देश हमारा साथ देगा जैसा कि वह पिछले जनादेशों में देते आये हैं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : दण्डवते जी से यह अर्ज है कि जो आप बोल रहे थे वह एक घायल गृहणी की तरफ से बोल रहे थे या एक कमाऊ पति की तरफ से बोल रहे थे ?

[अनुवाद]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी हमने अपने मित्र श्री भागवत झा आजाद का अति रोचक राजनीतिक भाषण सुना है। मैं श्री आजाद का काफी समय, 1952 से जानता, जबकि वह इस सभा के लिए पहली बार चुने गये थे। वह इसी तरह बोलते थे।

महोदय, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं दूंगा। उसे मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण तथा बजट पर चर्चा के दौरान प्रयोग में लाऊंगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य अति सीमित है। उद्देश्य यह है कि मूल्य बढ़े हैं आकलित मूल्यों में वृद्धि की गई है और उसके लिए क्या औचित्य है। उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चर्चा का मुद्दा क्या है ? इसमें मैं राजनीति का औचित्य नहीं पाता।

इस महीने की पहली तारीख से जो आकलित मूल्य बढ़ाए गए हैं उसके बारे में काफी अधिक कहा गया है। वृद्धि इतनी अधिक है कि इससे सरकार को आगामी 4 वर्षों में 8000 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। अब प्रश्न यह है कि किस सीमा तक यह उचित है।

मेरी उत्कृष्ट भावना है कि यह सर्वथा अनुचित है। इसके कारण मैं आपको बताऊंगा। मैं जानता हूं कि 7 वीं योजना अपनी अनेक परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना इसका कारण है। परन्तु मैं उन अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रशासनिक मूल्य देश में पहली बार इतने अधिक बढ़ाए गए हैं, वह आपत्तिजनक है, क्योंकि मैं समझता हूं कि यह मांग कुछ वस्तुओं की मूल्य वृद्धि नहीं है, अपितु यह कुछ वस्तुओं पर कटारोपण है। मैं इसे कर मानता हूं और मैं इसे सिद्ध कर रहा हूं।

5.00 म० प०

मैं ईन्साइ क्लोपिडिया ब्रिटानिका का उल्लेख कर रहा हूं जिसमें मैं आकलित मूल्यों की परिभाषा के बारे में पढ़ रहा था। मैं कुछ ऐसी पुस्तकों का भी उल्लेख कर रहा हूं जिनमें उन आकलित मूल्यों के बारे में बताया गया है जो ब्रिटेन में माने जाते हैं। इसमे यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आकलित मूल्यों में कोई वृद्धि जिसका कि उन वस्तुओं के उत्पादन लागत से कोई सम्बन्ध नहीं है, कर मानी जायेगी। पहले भी हम आकलित मूल्यों में वृद्धि करते आये हैं परन्तु मुझे उसमें आपत्ति नहीं थी। पहले हमने पेट्रोलियम के मूल्य बढ़ाए है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़े थे। हमने इस्पात तथा कोयले के मूल्य बढ़ाए थे क्योंकि उनकी उत्पादन लागत बढ़ गई थी और हमें मूल्य बढ़ाने पड़े थे। यह उचित था तथा उसके लिए सरकार को सभा में मतदान लेने की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु आज मंत्री महोदय के वक्तव्य में आकलित तथा इस विशेष विषय पर

[श्री सी० माधव रेड्डी]

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट कहा गया है कि मूल्य केवल संसाधन जुटाने के लिए बढ़ाये गये हैं तथा इनका उत्पादन से कोई सम्बन्ध नहीं है। आज यह सरकार तथा विश्व की कई सरकारें सरकारी क्षेत्र में माल का उत्पादन तथा बिक्री करती हैं हमारा सरकारी क्षेत्र बड़ा है। हम कुछ माल आयात भी करते हैं। उनके वितरण तथा बिक्री पर हमारा प्राधिकार है निश्चय ही हमें आकलित मूल्यों में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है क्योंकि सरकार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाजार में कोई नहीं है। जो मूल्य निर्धारित किए जाते हैं जनता को उन्हें देना पड़ता है।

अब आकलित मूल्य इस तरह के हैं कि उनके मूल्यों में वृद्धि तभी उचित है जब उनके उत्पादन लागत अथवा वसूली मूल्यों में बढ़ोत्तरी हो। आज स्थिति ऐसी नहीं है। इसके विपरीत आपने उन वस्तुओं के मूल्य बढ़ाये हैं जिनके मूल्य कम हुए हैं। पेट्रोलियम मूल्यों को ही लें। आज सभी जानते हैं कि विश्व के पेट्रोलियम बाजार में मूल्य काफी कम हो रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इनके मूल्य और नहीं गिरेंगे अथवा ये फिर बढ़ सकते हैं। ऐसा मूल्यांकन किया गया है कि कि अगले दशक में मूल्य बढ़ सकते हैं। परन्तु क्या हम अपने आप अगले दशक के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि विश्व के अनेक देश जो विश्व में तेल बाजार में मंदी के कारण लाभ कमा रहे हैं, इस लाभ को उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। हमारे यहां क्या हो रहा है। हम उपभोक्ताओं को लाभ नहीं दे रहे हैं। इसके विपरीत हम मूल्य बढ़ाकर और कर लगा रहे हैं। यह सर्वथा गलत बात है और मैं समझता हूं कि आकलित मूल्यों में वृद्धि जैसा कि आज किया गया है कर लगाये जाने के समान है तथा आपने लोगों पर 2000 करोड़ रुपए के कर बिना संसद में मतदान कराये लगाये हैं। यह मेरी घोर आपत्ति है। मैं वित्त मंत्री से कहूंगा कि वह विश्व के विभिन्न सदनों में विभिन्न प्रकार के विनिर्णयों को देखें और उन्हें पता चलेगा कि आकलित मूल्यों में इतनी वृद्धि करने के लिए यह आवश्यक है कि आप इसे सभा के समक्ष लायें। इसमें जल्दी करने की क्या बात थी आप एक महीने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। एक महीना भी नहीं बचा था। 20 दिनों के बाद बैठक होने वाली थी। क्या यह सभा का अपमान नहीं है मैं तो केवल यह पूछ रहा हूं। मैं इस बात पर विवाद नहीं कर रहा हूं कि आपको संसाधन बढ़ाने हैं। निसन्देह ये ऐसे मुद्दे है। जिन पर संसद के समक्ष आने वाले बजट प्रस्तावों के समय चर्चा की जा सकती थी। बात यह है कि आपने ऐसा जान बूझकर उस समय किया है जब संसद का सत्र आने वाला है। सभा के लिए आमंत्रण 1 फरवरी को जारी किए गए। 1 फरवरी, 1986 को आपने मूल्य बढ़ाए। यह नितान्त अनुचित है, अनियमित है तथा विश्व में ऐसा करने वाली कोई भी सरकार तुरन्त ही त्यागपत्र दे देती। जो सरकार यह कहती है कि जो कुछ इसने किया है वह उचित है, तो उसे सत्ता में रहने का कोई औचित्य नहीं है। आपका ऐसा करना उचित हो सकता है परन्तु मेरा विचार है कि संसाधन जुटाने के जो तरीके अपनाए गए हैं वे वास्तव में ठीक नहीं है। ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक नहीं है तथा इस तरह से संसाधन जुटाना कठिन है, क्योंकि हमारी अनेक परियोजनाओं पर अधिक लागत आयेगी। इसके कारण अनेक परियोजनायें अनेक नदी घाटी परियोजनाओं की, जो इन वस्तुओं का प्रयोग करेंगी, लागत अगले वर्ष 25% अधिक आयेगी। इसका क्या फायदा है आपने आज जो लिया है, आपको वह फिर देना पड़ेगा और अंततोगत्वा इससे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी और इसीलिए में समझता हूं कि इससे अपने को ही नुकसान होगा। महोदय, बताया गया है कि इन पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य बढ़ाने का कारण

उनकी खपत कम करना है। परन्तु पिछले एक वर्ष में इन वस्तुओं की खपत 1984 और 1983 में 5% के स्थान पर 7% बढ़ी है। क्या इन वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तथा उनकी खपत के बीच कोई सम्बन्ध है। निःसन्देह यह सिद्ध हो गया है कि पिछले वर्ष हमने कच्चे तेल के मूल्य बढ़ाये हमने आयात-शुल्क बढ़ाया तथा पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य बढ़ाया और अब परिणाम क्या निकला क्या इस मूल्य वृद्धि से हम इन वस्तुओं की खपत पर नियंत्रण कर पाते ? हम ऐसा नहीं कर पाये। उसके विपरीत खपत 5% से 7% बढ़ गई। आप इस कार्यवाही से आज यह उचित कैसे ठहरा सकते हैं कि आप पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करेंगे जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे पता चलता है कि यह दलील गलत है।

दूसरा तर्क यह दिया गया है कि आपको योजना व्यय को पूरा करने के लिए साधन जुटाने पड़ेंगे, इसीलिये इन उत्पादों की कीमतें बढ़ानी होंगी। हां, यही मुख्य कारण है। मुख्य कारण यह है कि आप सातवीं योजना के लिए और अधिक साधन जुटाना चाहते थे और आपने कीमत बढ़ा दी है। यह एक सीधा तथ्य है और इसलिये मैंने कहा कि आपको मत के लिये इस सदन के सामने आना चाहिये क्योंकि आपने इन वस्तुओं की उत्पादन लागत का खयाल किये बिना कीमतें बढ़ा दी हैं, यही वह मुद्दे हैं जिनके विषय में मैं कहना चाहता था। मेरे मित्र प्रोफेसर मधु दण्डवते ने अपने भाषण में कहा कि इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण राज्यों को हानि हो रही है, राज्यों को इससे कोई राजस्व नहीं मिलेगा। यह सही है। मैं एक कदम और आगे जाऊंगा और कहूंगा कि राज्यों की परियोजनायों की लागत 20% से 25% तक और बढ़ जायेगी, इस कारण राज्यों को और भी साधन प्राप्त करने पड़ेंगे। नहीं तो आप इन साधनों में से राज्यों को कोई हिस्सा दे रहे हैं और न ही आप राज्यों की मूल अनुमान के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमति दे रहे हैं। ठीक है यदि आप नहीं दे सकते हैं तो मत दीजिये, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इस कार्य से हमारी परियोजनाओं की लागत और भी अधिक बढ़ जायेगी; इस लागत को कौन पूरा करेगा। मैं समझता हूं कि इन वस्तुओं की कीमतों में की गयी वृद्धि अत्यन्त अधिक है, और इतनी अधिक वृद्धि अभूतपूर्व थी तथा भारत में या किसी अन्य देश में भी संसद के मत के बगैर कभी नहीं की गयी थी। यहां सरकार ने एक अनुचित काम किया है और मैं समझता हूं कि सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए।

श्री विद्या चरण शुक्ल (महासमुन्द) : अध्यक्ष महोदय, एक बात जो हर कोई जानता होगा— निस्सन्देह माननीय वित्त मंत्री तो जानते ही होंगे— वह यह कि जब कभी भी अर्थ-व्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने का प्रयत्न हुआ है, इससे हमेशा कीमतों में वृद्धि होती है और साथ ही बहुत परेशानियां भी आती हैं। अपने संविधान को लागू करने के बाद, जब हम नियोजित आर्थिक विकास के मार्ग पर बढ़े तो हम सभी को स्मरण रखना चाहिए कि हमारे प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था कि जब हम 150 वर्षों के नुकसान का पंचवर्षीय योजना की छोटी सी अवधि में पूरा करने का प्रयत्न करते हैं तो इसका अर्थ है इस देश के लोगों को बहुत बड़े और विशाल बलिदान करने पड़ेंगे।

और इन कामों से हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे कल का निर्माण होगा, हम सब जानते हैं कि यह न केवल सच साबित हुआ है, बल्कि इस देश के लोगों की आशाओं से भी बढ़ कर निकला है।

[श्री विद्या चरण शुक्ला]

जब हम आधारभूत व भारी औद्योगिक ढांचा खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और कृषि उत्पादन के लिए आधारभूत भारी बुनियादी सुविधायें जुटा रहे हैं, तो इसका परिणाम हुआ है कीमतों में वृद्धि और यह वृद्धि नहीं हुई होती यदि हमने अपनी अर्थ व्यवस्था को सोये रहने दिया होता और अपने विकास को रेंगती हुई गति से बढ़ने दिया होता जैसा कि कई उन देशों में हुआ है जो दूसरे विश्वयुद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं।

जब स्वतंत्रता के बाद वाकी अवधि में हमने नियोजित अर्थव्यवस्था के सिद्धान्त को अपनाया तो हम जानते थे कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के साथ हमारी कठिनाइयां भी बढ़ती रहेंगी, और हमने देखा है कि ज्यों-2 योजना का आकार बढ़ रहा है, हमारी समस्याओं का आकार भी बढ़ रहा है।

जब कि हम सातवीं योजना की गम्भीर चुनौतियों का मुकाबला कर रहे हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी योजना है, हमारे विकल्प बहुत स्पष्ट हैं। हम बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या बातें सरकार कर सकती है। सरकार या तो साधनों की विवशता के आगे घुटने टेक सकती है और या हिम्मत से काम लेकर जहां से भी सम्भव हो साधन जुटा सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि आसान विकल्प सम्भव नहीं हैं। आसान विकल्प सम्भव है, हम योजना का आकार कम कर सकते हैं जिससे कि भारत का विकास धीमा पड़ जायेगा और हम इतनी बुरी तरह नीचे चले जायेंगे कि संभलना बहुत मुश्किल हो जायेगा, हम ऋण भी ले सकते हैं जैसा कि श्री आजाद ने कहा लेकिन यह एक बहुत ही पेचीदा और कठिन कार्य है, ऋणों का जहां तक प्रश्न है वाणिज्य ऋण हो सकते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय ऋण हो सकते हैं लेकिन दोनों प्रकार के ऋण हानिकारक हैं।

दूसरी बात जो कि सरकार कर सकती है वह यह कि घाटे की वित्त व्यवस्था का बड़े रूप में उपयोग कर सकती है जो कि मेरी राय में और भी अधिक खतरनाक है। जैसी कि स्तिति है, हमारे बजट में बहुत बड़ा अन्तराल (गैप) है और में समझता हूं कि वित्त मंत्री जी की ये दूरदर्शिता है कि वे इसको ही बनाये रखे हैं और घाटे की वित्त व्यवस्था को नहीं बढ़ा रहे हैं।

और यदि हमें ऋणों का और घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा नहीं लेना है तो हमें संसाधन जुटाने होंगे।

संसाधनों को विभिन्न तरीकों से जुटाया जा सकता है और जो तरीके सर्वाधिक कारगर हैं उनका उपयोग वित्त मंत्री जी ने किया है।

हम जानते हैं कि स्वतंत्रता-पश्चात युग में हमारी सरकार का ज्यादा प्रयत्न इस बात के लिये रहा है कि भारत ऋण के जाल से बचा रहे, अर्थात हमें ऋण के जाल में नहीं फँस जाना चाहिये और ऋण के चक्र में नहीं पड़ जाना चाहिए जो कि बढ़ता जा रहा है, उस ऋण भार की सेवाऐं (सर्विसिंग) पूरी करना भी असम्भव हो जाता है, सौभाग्य से हमने एक प्रबुद्ध आर्थिक और वित्तीय नीति अपनायी है जिसके कारण हम इस ऋण के जाल से अपने देश को बचाये हुए हैं। और मैं सरकार को तथा विशेषकर वित्त को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हमारी ऋण की स्थिति बदतर न हो और समय के साथ साथ सुधरती जाये।

दूसरा विकल्प जो हमें प्राप्त था वह यह कि क्या हम राज-सहायता (सबसिडी) तथा बढ़ते हुए घाटों के साथ गुजारा कर सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो इसका अर्थ होगा कि हम अप्रत्यक्ष रूप में घाटे की वित्त-व्यवस्था का सहारा ले रहे होंगे तथा अपनी समस्याओं, कठिनाइयों तथा विपत्तियों को भविष्य के लिये टाल रहे होंगे। मुझे यकीन है कि सावधानी से विचार कर यह विकल्प अस्वीकृत कर दिया गया है और ऐसा ठीक भी है क्योंकि इससे भविष्य में इतनी गम्भीर समस्याऐं पैदा हो जायेंगी कि इस देश में कोई भी उनको सुलझाने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए यदि हमने बहुत से मजबूत और अप्रिय कदम उठाने का निर्णय किया है ताकि ऐसी विनाशकारी स्थिति को टाला जा सके तो मैं समझता हूं कि इस बात को सदन के सभी वर्गों का समर्थन मिलना चाहिए।

ये सब बातें इस देश के लोगों की समझ में सरलता से आ जायेंगी तथा शासन करना भी आसान होगा यदि सरकार एक कीमतों और मजदूरी सम्बन्धी नीति को स्पष्ट रूप से निर्धारित करे, मैं वित्त मंत्री को यह बताना चाहूंगा कि यह मांग समय-समय पर की जा रही है, पिछले 15 वर्षों से यह मांग उठायी जाती रही है और हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी ने इस सदन को एक बार वचन दिया था कि सरकार एक कीमत और मजदूरी नीति का निर्माण करेगी जो कि मजदूरी और कीमतों को इस प्रकार से जोड़ेगी कि जब भी हमारी कोई समस्या हो, जब भी हमें कोई संसाधन जुटाने हों या हमारी जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की मजदूरी बढ़ानी हो तो हम इस नीति का सहारा लें तथा इससे मार्ग दर्शन लें। यह मजदूरी एवं कीमत नीति देश में बहुत पहले ही आ जानी चाहिए थी। आकलित कीमतों पर नीति की घोषणा के अतिरिक्त, मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कीमत और मजदूरी नीति की ओर गम्भीरता से ध्यान दें और यदि सम्भव हो तो एक ऐसी व्यापक नीति का निर्धारण करें कि यदि हमारे सामने ऐसी कोई समस्याऐं आयें तो हम उस नीति से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। मैं कहूंगा कि इस नीति को पहले राष्ट्रीय विकास परिषद से स्वीकृति मिलनी चाहिए और फिर संसद में तथा साथ ही विभिन्न राज्य विधान सभाओं मे इस पर बहस होनी चाहिए। इससे हमें भविष्य में बिल्कुल सही और स्पष्ट कदम उठाने में सहायता मिलेगी।

महोदय, सरकार तस्करों और कर की चोरी करने वालों से बड़ी कड़ाई से पेश आयी है जिसके लिए वह पूरी-2 बधाई की पात्र हैं, इससे हमारे देश में उचित आर्थिक और विकासात्मक प्रशासन के लिए वातावरण बना है, मुझे आशा है कि सरकार इसमें ढिलाई नहीं बरतेगी। आर्थिक प्रशासन का यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है कि आर्थिक मामलों के अपराधियों का पीछा किया जाय, और यह पीछा निरन्तर तथा सुसंगत होना चाहिए तथा इसको अनियमित रूप से नहीं किया जाना चाहिये। हमने अब तक जैसा देखा है उसके अनुसार लगता है कि भविष्य में यह पीछा और भी अधिक तीव्र होता जायेगा। हम इसकी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करेंगे ताकि जो समस्या विगत काल में हमारे सामने आयी, फिर से नहीं आये, मैं एक और बात का अनुरोध करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : अब आप कीमतों के प्रश्न पर आ सकते है :

श्री विद्या चरण शुक्ल : कर की चोरी करने वालों को ऐसा कोई बड़ा लाभ नहीं दिया जाना चाहिये जैसा कि हम समय-2 पर उन्हें देते रहे हैं। हर दस एक साल में हम ऐसी स्थिति

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

में आ जाते हैं कि हम कर की चोरी करने वालों को यह कहकर रियायतें देते हैं कि यदि वे अपनी कर-चोरी को बता दें तो हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे और केवल कर ले लेंगे तथा उन्हें आजाद कर देंगे। यह हमारे देश में तीन या चार बार किया जा चुका है, इससे लोगों को इस बात का प्रोत्साहन मिलता है कि वे अपने काले धन को इकट्ठा करते जाये तथा उस दिन प्रतीक्षा करें जिस दिन सरकार उनसे बगैर कोई प्रश्न पूछे उन्हें रियायत देने की अपनी नीति की घोषणा करेगी तथा केवल कर की वसूली करेगी और उन्हें आजाद कर देगी। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसका सबसे बुरा भाग था। धारक बन्धपत्र योजना जिसको कि अब सौभाग्य से वापस ले लिया गया है तथा मुझे आशा है कि इसे अब कभी भी दोहराया नहीं जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप विपक्ष से सहमत हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस देश के कर दाताओं को ईमानदार बनने के लिये प्रोत्सहित किया जायेगा तथा वे ईमानदार रहेंगे यदि वे जानते हों कि सरकार उनको काला धन घोषित करने के विषय में कोई रियायत नहीं देने जा रही कि वे अपने कर को चुकाऐं और बच जायें। ऐसी कोई चीज हमारे देश में अब नहीं की जायेगी, ऐसी मुझे आशा है।

महोदय, बहुत बड़ी मात्रा में संसाधनों को जुटाना पड़ता है क्योंकि हमें सभी प्रकार की अप्रत्याशित स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब राजस्थान और कर्नाटक में इस समय सूखा है और उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में ओलावृष्टि हुई है। इन सबके लिए बहुत भारी मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ती है ताकि हमारी जनसंख्या के सबसे जरूरतमन्द वर्गों को तुरन्त सहायता दी जा सके और इन सब संसाधनों को अपने देश के भीतर से ही जुटाना है, ये बाहर से नहीं जुटाये जा सकते। अतः इन संसाधनों को जुटाने के जो भी न्यायसंगत तरीके सरकार के पास हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए तथा सरकार द्वारा जो कुछ भी किया गया हैं उसमें हमारा सहयोग अपेक्षित है। मुझे आशा है कि बजट में बहुत ही जोरदार और गम्भीर प्रयत्न और भी ज्यादा संसाधन जुटाने के लिए किये जायेंगे ताकि अपनी जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को सहायता और राहत पहुँचाने में हमें कोई मुश्किलों का सामना न करना पड़े। इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाऐं हमारे देश में होते रहती हैं और हमने देखा है कि कोई वर्ष ऐसा नहीं गुजरता जब कि ऐसी कोई आपदा सूखे या बाढ़ या ओला-वृष्टि के कारण देश के किसी न किसी हिस्से में न होती हो।

महोदय, इस सरकार के पहले बजट ने कई अर्थों में इतिहास का निर्माण किया है। हमने देखा है कि करों से– बड़े करों से– वसूली 35 प्रतिशत अधिक बढ़ गयी है जो कि प्रसन्नता का विषय है, और मुझे आशा है कि और ऐसी नई रीतियों को तथा ऐसे प्रगतिशील तरीकों को नए बजट में अपनाया जायेगा ताकि यह प्रवृत्ति जारी रहे और अधिक से अधिक ईमानदार लोगों को प्रोत्साहन मिले कि वे सरकार को सीधे और स्वतंत्रतापूर्वक कर दे दें।

हमारी विदेशी-मुद्रा की स्थिति और अच्छी हो गयी है, अखबारों में हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी आयात और निर्यात में कई कठिनाईयां आ रही हैं।

प्रोफेसर मधु दण्डवते : भारत की स्थिति।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हां; पिछले 10 वर्षों में, विदेशी मुद्रा के इस भण्डार में वृद्धि हुई है, 10 वर्ष पूर्व, हमारे देश में विदेशी मुद्रा कोष 600 से 700 करोड़ रुपये का था, इस समय विदेशी मुद्रा कोष लगभग 6500 करोड़ रु० का है। अतः यह जरा भी बुरी स्थिति नहीं है और हमें इस स्थितियों बनाये रखना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि हमारी विदेशी मुद्रा-स्थिति मजबूत से मजबूत होती जाये, क्योंकि इसी से हमारी मुद्रा तथा हमारी अर्थव्यवस्था को आवश्यक बल मिलेगा।

आवश्यक वस्तुओं और उन वस्तुओं, जो हमारी औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक हैं, का उत्पादन बहुत जरूरी है, क्योंकि वह हमारी योजना का प्रमुख क्षेत्र है। मैं आशा करता हूं कि जब बजट पेश किया जाएगा तो उस समय इन क्षेत्रों में कटौती नहीं होगी जिसमें हमें खाद्यान्न और अनिवार्य वस्तुओं के उत्पादन की आवश्यकता है जो हमारे जीवन और विकास के लिए आवश्यक हैं। मैं यहां सदन में अन्त में यह कहना चाहूंगा कि सरकार की सफलता पर विपक्ष को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष ने जनता का विश्वास खो दिया है, क्योंकि विरोध करने के लिए वे प्रत्येक चीज का विरोध करते हैं। हम में से कईयों ने इस सदन में यह पिछले 27 वर्षों से कहा है जिसके लिए हमें इस सदन में सेवा करने का गौरव है।

प्रो० मधु दंडवते : आप हम से मूल्यों में और वृद्धि की मांग चाहते हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : आपको मूल्यों में अधिक वृद्धि की मांग और लोगों को अधिक लाभ के लिए मांग करनी चाहिए। जब तक लाभ मिलते हैं तब तक मूल्यों में वृद्धि हानिकारक नहीं है। मूल्यों में अपने आप वृद्धि गलत नहीं है बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था में हर जगह ऐसा होता है। प्रत्येक देश में जहां आर्थिक विकास और नियोजन आर्थिक विकास होता है वहां ऐसा ही होता है।

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : शुक्ल जी वे मूल्यों में गिरावट के बारे नियंत्रित है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उनके साथ यही समस्या है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि विद्वान प्रोफेसर जी को साहस करके सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए तथा उन्हें यही नहीं कहते रहना चाहिए कि वह जो कुछ सोचते हैं उससे वह जनता में अस्थायी रूप से लोकप्रिय हो जायेंगे जो कुछ जो जल्दी ही यह महसूस करेंगे कि विपक्ष द्वारा कहा गया, वह वास्तविक रूप से सच नहीं है। अतः हम केवल आशाओं और आकांक्षाओं के साथ 21 वीं शताब्दी में प्रवेश करना नहीं चाहते हैं बल्कि हम ठोस उपलब्धियों और शान से 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री और हमारी सरकार निश्चितरूप से इस शान और उपलब्धि को हमारे देश को देने के लिए कदम उठाएगी। धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव, जिसके द्वारा हम स्थिति की व्याख्या करने का प्रयास कर रहे हैं, इस सदन के अधिकार के अलावा और कुछ नहीं है। क्या मैं अपने प्रथम भाषण पर सदन से ध्यान देने के लिए कह सकता हूँ ?

एक माननीय सदस्य : आप कुमारी नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी पहली व्याख्या है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, चूंकि इस सदन की उपेक्षा की गयी है और लोगों को अत्यधिक मूल्य वृद्धि का शिकार बनाया गया है इसलिए इस सरकार की निन्दा करने का यह हमारा कर्तव्य है हो जाता है। बजट सत्र के आरम्भ होने से पहले ही इस देश के आम लोगों पर बहुत से कर लगा दिए गए हैं। महोदय, इस प्रक्रिया में इस महान सभा, जिसकी आप आज अध्यक्षता कर रहे हैं, की सरकार ने फिर से उपेक्षा की है जिससे यह पता चलता है कि इसने शासन करने की समूची योग्यता खोदी है और इसमें समुचित रूप से सोचने और बोलने की शक्ति नहीं रही है।

हमने आज यहां मूल्यों में वृद्धि के समर्थकों के विचार सुने हैं। मुझे नहीं मालूम है कि किसने उन्हें बताया है; और मैं नहीं जानता कि क्या वे कल अपने भाषणों की प्रति धैर्य के साथ पढ़ेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि वे यह सोचकर कांप जाएंगे कि आज वे मूल्य वृद्धि की इस देश की दुःखदायी स्थिति के लिए एक रामवाण के रूप में जोरदार वकालत कर रहे हैं और मूल्य वृद्धि के शिकार कौन होते हैं। इसका प्रभाव आम लोगों पर पड़ता है। अमीरों पर नहीं।

एक युवा सांसद के भाषण को समाचार पत्र में पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई है। मैं नहीं जानता कि क्या उन्हें यहां बोलने का अवसर मिलेगा। लेकिन बोट क्लब रैली में कल उन्होंने कहा था कि बड़े नौकरशाहों – मैं उदधृत कर रहा हूँ तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कुछ एजेंटों ने मूल्य में वृद्धि कराई है। मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वित्त मंत्री जी को दोषमुक्त किया गया है और निःसंदेह प्रधान मन्त्री जी का कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री पी० आर० कुमारमंगलम के अनुसार इससे लोगों के दुःख बढ़ गए हैं।

इससे पता चलता है कि बुरी संगत में किस प्रकार अच्छे लोग खराब हो जाते हैं।(**व्यवधान**) उनके लिए मेरे दिल में जगह है।

श्री कुमारमंगलम ने कहा कि कर्मचारियों को दी महंगाई भत्ते के रूप में 32 रुपये मिले जबकि जनवरी महीने के दौरान उन्हें पता चला कि वे 200 रुपए से अधिक प्रति महीने खर्च कर रहें हैं।

महोदय, मैं नहीं जानता कि इस देश के सत्ता दल से आ रही कौन सी आवाज को हमें सुनना चाहिए। हम केवल लोगों की समस्याओं और इस सदन के प्रति इस सरकार द्वारा अपनाए गए उदासीनपूर्ण रवैये का विरोध कर सकते हैं।

इस देश के आम लोगों के जीवन तथा देश की अर्थव्यवस्था पर इस ताकत के निरंकुश आदेश के घातक प्रभावों की बात कहने से पहले मैं केवल इस देश के संघर्ष कर रहे उन करोड़ों लोगों को बधाई देता हूँ जो जन-विरोधी करों और पूर्णतया अनुचित करों के विरुद्ध स्वैच्छिक रूप से संघर्ष करने के लिए खड़े हुए हैं। गाडगिल के दूरदर्शन के अयथार्थता के प्रति प्रतिवद्धता के बावजूद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली में भी सफल और सम्मिलित बंद और इसका प्यार.....

अध्यक्ष महोदय : आपने एक नये शब्द का निर्माण किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं कम से कम उस मुद्दे पर चर्चित का अनुकंटक करने की कोशिश कर रहा हूं। गाडगिलबाद गोएलिलबाद के समकक्ष ही है।

उन घटनाओं से इस देश के लोगों का सरकार के निर्णय के विरुद्ध रोष स्पष्ट रूप से पता चलता है। उन्होंने सामूहिक रूप से तब तक लड़ने का दृढ़ संकल्प किया है जब तक इन गैर कानूनी जन विरोधी करों को वापस नहीं ले लिया जाता है ; और यह संघर्ष समूचे देश में निरन्तर चलता रहेगा।

सदन के इस तरफ बैठे हुए संसद सदस्यों के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम देश के लोगों के रोष तथा विरोध के बारे में बतायें और उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने कल इस संसद के संयुक्त सत्र का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था ; और दिल्ली तथा देश के विभिन्न भागों में जो कुछ हुआ है उससे यह स्पष्ट है कि यह सरकार लोगों से किस प्रकार से अलग हो रही है।

जबकि भावनाओं पर न कि कार्य निष्पत्ति पर आधारित जोश समाप्त हो जाता है तो मूल्यों को बढ़ाने का निर्णय किस प्रकार लिया गया ? हमें रोज उनके भारी जनादेश की याद दिलायी जाती है। निस्संदेह हाल के चुनाव परिणाम से कुछ धक्का पहुँचा है।

हमने 1975 से देखा है कि यह दल केवल रात में ही कार्य करता है। 31 जनवरी की आधी रात को मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था और अब यह बाद की घटनाओं से स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल की सलाह नहीं ली गई थी। परन्तु स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री को अपना आशीर्वाद दिया होगा यदि उन्होंने कुछ कहा।

जब लोगों की प्रतिक्रिया स्पष्ट थी और पूरी तरह से प्रतिकूल और विरोधी थी तब स्पष्टतः कम्पयूटर ने लोगों की प्रतिक्रिया का पूर्वानुमान नहीं लगाया। हमने कुछ नयी बात देखी जो कि या तो एक शानदार कार्य था या कुछ लोगों की आजादी, स्वतंत्र विचार के लिए एकाएक एक प्रयास था। हमने इसे समाचार पत्रों में पढ़ा है कि मेरे अच्छे मित्र श्री एच० के० एल० भगत एक कैबिनेट मंत्री अचानक प्रधानमंत्री जी के पास गए और उन्होंने इस पर आपत्ति की। मंत्रिमंडल के एक मंत्री को यह पता नहीं है कि इस तरह का निर्णय लिया गया। कांग्रेस (आई) के कार्यवाहक अध्यक्ष यह कह रहे थे कि यह कांग्रेस (आई) को समाप्त कर देगी। यह एक अराजनीतिक निर्णय था। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : राजनीतिक नहीं।

श्री सोम नाथ चटर्जी : "गैर राजनीतिक'। किसी तदर्थ समिति के कुछ तदर्थ अधिकारी शीघ्र ही प्रधान मंत्री के पास गए और उनके साथ यह कहते हुये साक्षात्कार किया कि उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके पास कोई आधार नहीं रहेगा जब तक आप इस पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। मूल्यों में यह वृद्धि उनको समाप्त कर देगी। जैसा कि हमें पता चला कि 5 तारीख को उस आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक हुई। उन्होंने एक निर्णय लिया। (**व्यवधान**) इस मंत्रिमंडल की बैठक साउथ ब्लाक में हुई। लेकिन मंत्रिमंडल के निर्णय को कार्यान्वित नहीं किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि दल को सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिए। इसलिए, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक साउथ ब्लाक में होने जा रही है। वह दल को प्रधानता नहीं देता है। यह केवल दल को सरकार के साथ ही रखता है और एक निर्णय लिया गया कि कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष श्री राजीवगांधी प्रधानमंत्री के रूप में श्री राजीवगांधी को मूल्यों को कम करने के लिए निर्देश दे रहे हैं (**व्यवधान**)

[श्री सोम नाथ चटर्जी]

कांग्रेस कार्य समिति द्वारा विचार विमर्श के दौरान नए पेट्रोलियम मंत्री और वित्त मंत्री कहां थे ? वे दिखाई नहीं दिए । हम समाचार पत्रों में छपी खबर के अनुसार चलते हैं । परन्तु लोगों की समस्याओं को वास्तविक रूप से निवारण करने की अपेक्षा लोगों पर मजाक के रूप में वित्त मंत्री जी को मूल्यों में थोड़ी कमी करने के निर्णय की घोषणा करनी पड़ी । अतः यह महसूस किया गया था और कांग्रेस (आई) कार्य समिति ने निर्णय किया कि बढ़ी हुई कीमतें न्यायोचित नहीं थी । अन्यथा आपने चार दिनों के भीतर कम क्यों कम किये ? शुरू में किसने निर्णय लिया कि उन्हें कितना अधिक बढ़ाया जाना चाहिए । क्या किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने यह प्रयास किया था ? सरकार के उच्च स्तर के अधिकारियों के स्तर पर दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था जिसका अर्थव्यवस्था पर बहुत हानिकर प्रभाव पड़ेगा और जो लोगों को बहुत मुसीबत में डालेगा और जैसा कि श्री कुमारमंगलम ने सही रूप से इससे सहमत हुए हैं और इसके बाद चार दिनों के भीतर उस मामले लिए एक या कांग्रेसी या दो कांग्रेसी नेता, बहुत जिम्मेदार नेताओं ने प्रधानमंत्री को इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा, तब उन्होंने दूसरी हैसियत से इस पर पुनर्विचार किया और मूल्यों में कमी की । जब मूल्यों की इस वृद्धि का निर्णय लिया गया था तो इसके पीछे क्या कोई वास्तविक विचार था ? अब, देखो नीचे आ गई हैं । इस कमी से भी लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं ।

क्योंकि पीड़ित कौन है ? आम लोग पीड़ित हैं । जब बसों के किराए में वृद्धि होती है तो हमें 21 वीं शताब्दी के बारे में बताया जाता है । श्री भागवत झा आजाद ने अपने भाषण के अन्त में कहा कि वे सत्ता में निरन्तर कब तक बने रहेंगे ? "जब तक लोगों को खाना नहीं मिलता, जब तक लोगों को कपड़े नहीं मिलते, जब तक लोगों को मकान नहीं मिल जाता । इस देश की बागडोर किसके हाथ में है ? इस देश में पंचवर्षीय योजनाएं किसने बनाई हैं ? कौन जिम्मेदार है ? क्या विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार है ? इस देश की आर्थिक नीति किसने बनाई है ? इस देश की आयात निर्यात नीति किसने बनाई है ? इस देश में विदेशी मुद्रा के संसाधनों का जिम्मेदार कौन है ? इस देश में लोगों को शिक्षा देने की ड्यूटी जिसको दी गई है उनकी निरक्षरता हटाने के लिए जिम्मेदारी किस पर है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : राज्यों पर ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि यह तरीका है, तो जब तक कुछ वर्ष पहले, जब तक वे इसे नहीं करते हैं..... (व्यवधान)

जब श्री के० सी० पंत जैसे व्यक्ति यह कहते हैं तो मैं समझता हूं कि उन्हें उत्तर की आवश्यकता है जब तक कुछ वर्ष पहले, एक या दो या तीन वर्ष पहले जो राज्य विरोधी दल के नियन्त्रण में है । या कौन राजनैतिक दल उसके लिए जिम्मेदार है ? इस व्यवस्था से आप राज्य सरकारों को क्यों क्षति पहुंचा रहे हैं

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : 38 वर्षों से कांग्रेस को सत्ता में बने रहने के बारे में, कही गयी माननीय सदस्य की हर बात को मैं स्वीकार करता हूं और मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हम 38 वर्षों से या 35 वर्षों से सत्ता में थे, क्योंकि जनता ने विरोधी दलों के कार्य का देखने के बाद ऐसा चाहा था ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रधानमंत्री को नकारात्मक संतुष्टि इस तथ्य से मिलती है कि इस देश की जनता को अभी तक कोई विकल्प नहीं मिला है। यदि यह संतुष्टि है कि वह दूसरों की अपेक्षा अच्छे हैं तो क्या उन्होंने इस देश के लोगों की सेवा की है या क्या उनके दल ने 38 वर्षों से अपना कर्तव्य निभाया है। क्यों ?

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : आप क्या कह रहे हैं ? (**व्यवधान**)।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय मैं समझता हूं कि अब वह मुझे माफ करेंगी।

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, कम से कम इस सभा में तो आप उन्हें छोड़ दें।

एक माननीय सदस्य : अपनी और हंसी मत उड़वाइये।

प्रो० मधु दण्डवते : यह विचित्र घटना है कि एक ही निर्वाचन क्षेत्र से दो सदस्य चुने गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस लिए कह रहा हूं। यही कारण है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : घटनाएं होती रहती हैं, महोदय। (**व्यवधान**) महोदय वास्तव में मैं यह कहना चाह रहा था कि लोग और हम संसद सदस्य भी इससे क्षुब्ध हैं। महोदय, मूल्य वृद्धि के अनेक कारण बताये गये हैं। एक बार जब मूल्य बढ़ाये गये थे तब उसका उद्देश्य खपत पर नियन्त्रण रखना बताया गया था। गरीबी हटाना निस्सन्देह बाद में जोड़ा गया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : वह स्वाभाविक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री रंगा के अनुसार, यह बात तो पहले से ही पता थी।

अब प्रश्न यह उठता है कि इस संसद की अवहेलना क्यों की जा रही है ? आप इस संसद के समक्ष मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव क्यों नहीं रखते हैं और उस पर चर्चा क्यों नहीं होने देते हैं। अब बाद में यह चीड़-फाड़ क्यों की जा रही है ?

एक माननीय सदस्य : उस मामले को आप यहां उठा सकते हैं।

सोमनाथ चटर्जी : स्वभाविक है कि हमें नियमों के अन्तर्गत इस सरकार के कार्यों पर आपत्ति करनी है तथा उसकी निन्दा करनी है।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए आप यह कह रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, और हम लोग आपके आभारी हैं। कि आज आपने न्याय संगत बात की है तथा आपने इस सभा के बाहर के लोगों की भावना को समझा है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह बड़े हर्ष की बात है।

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : क्या झूठी बधाई दे रहे हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी नहीं। अपने मैं अध्यक्ष महोदय का बहुत सम्मान करता हूं। इसी कारण उन्होंने चुपके से एक विधेयक लाने की अनुमति नहीं दी है।

[श्री सोम नाथ चटर्जी]

महोदय मुद्दा, यह है कि आज इसके बारे में कोई भी कारण नहीं बताया गया है। केवल वाणिज्य मंत्री जो वित्त मंत्री का अनुचित पक्ष लेते हैं और उन्होंने केवल इतना कहा है कि कोई आवश्यकता ही नहीं थी। सभा के समक्ष कोई प्रस्ताव रखना आवश्यक नही है।" श्री शिव शंकर जी, इस संसद के प्रति आपका रवैया है। इस देश के हर व्यक्ति से संबंधित महत्व पूर्ण मामलों के संबंध में इस सरकार का यह रवैया है। क्या यह ऐसा मामला नहीं था जिसकी संसद में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी जबकि थोड़े दिन बाद ही संसद का सत्र आरम्भ होने वाला था? आपका यह दृष्टिकोण मुझे खेद है; हम आपकी बात को स्वीकार नहीं कर सकते। कोई विवशता नहीं है····· (व्यवधान)

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : बंगाल में सत्र के आरम्भ होने से एक दिन पहले ही सभी विश्व विद्यालयों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था।

कुमारी ममता बनर्जी : पश्चिमी बंगाल सरकार ने जल टैक्स (कर) में वृद्धि क्यों कर दी है। पानी भी शराब हो गया है।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, यह तब हाल है, जब नाम ममता है, अगर नाम दूसरा होता तो भगवान जाने क्या होता।

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी, फिर नीम पर करेला चढ़ जाता।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आशा करता हूं महोदय, यह सब मेरे समय में ही नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बहुत छूट दी है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री संतोष मोहन देव जी, यदि ऐसा करना कोई अयोग्यता नहीं है, तो मैं सदा आपके लिये समर्थन करता रहा हूं। जरा और खुलकर भाग लीजिये। मंत्रिमंडल में आपको असम का प्रतिनिधित्व करना चाहिये।

संसद के समक्ष न लाने के कारणों के बारे में मैं बता रहा था। यह न केवल निर्णय से पहले चर्चा से बचने की कोशिश है अपितु इससे संसद के प्रति अपनाये गये रवैये का पता चलता है ऐसा लगता है कि यह इस सम्पूर्ण प्रणाली का अपरिहार्य अंग है और इसीलिए इस संसद को विश्वास में ही क्यों लिया जाए और जो कुछ होता है उसके बारे में जन प्रतिनिधियों की राय अथवा विचार जानने की क्या आवश्यकता ही है। यदि इस मामले का संबंध और अधिक संसाधन जुटाने से था जैसा कि आपके प्रवक्ता ने इस सभा में कहा है तो मेरे विचार से इसके बारे में संसद की राय ली जानी चाहिये थी। अब आप इन वस्तुओं को बजट से अलग रखना चाहते हैं।

जी हां। प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमने तो सरकार की पुरानी परम्परा का ही पालन किया है ··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : यह विरासत है।

श्री सोम नाथ चटर्जी : विरासत अथवा प्रक्रिया जो भी हो, किन्तु हमने इस पर आपत्ति की है।

प्रो० मधु दंडवते : उन्हें इस पर गर्व है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बजट के बाहर धन जुटाने का एक तरीका है। इसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि बहुत ही नरम बजट प्रस्तुत किया गया है और उन्हें देश की आम जनता की बहुत चिंता है। जन साधारण आएगा। और कहेगा "बजट को देखिये। यहां वहां बहुत छूट दी गई है। कोई नया कर नहीं लगाया गया है" इस देश के जन साधारण के लिये शानदार बजट बनाया गया है जिसके बारे में वे कोई आपत्ति नहीं उठा सकते और इसके साथ ही, जो संसाधन प्राप्त हो रहे हैं उन्हें राज्य सरकारों में विभाजित नहीं किया जाता है। कुछ राज्य में आपकी सरकार है किन्तु ऐसे राज्यों की संख्या कम होती जा रही है। इस समय इस देश में आपके दल की बहुत कम सरकारें हैं, और इसीलिये जो अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने वाली है, उसे आप राज्य सरकारों को नहीं देना चाहते हैं। श्री रेड्डी ने ठीक ही कहा है कि इस समय राज्य सरकारों को अधिक व्यय वहन करना पड़ता है क्यों कि सभी क्षेत्रों में मूल्य वृद्धि हुई है किन्तु इसके लिये उन्हें कोई अतिरिक्त धन प्राप्त नहीं हो रहा है। अब पेट्रोल के मूल्य बढ़ जायेंगे, डीजल और अधिक महंगा हो जायगा, उर्वरक यथा अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे। हम इसी सिद्धान्त पर आपत्ति करते रहे हैं। यह प्रक्रिया 1980 से आरम्भ हुई। इसलिये यह कहना अच्छा न होगा कि आपने ही निर्णय लिया है और आपने ही ऐसा किया है। इस देश की जनता के समक्ष आप इस बात को स्वीकार करें कि चर्चा से बचने के लिये आपने इसे बजट में नहीं रखा हैं आप कम भार वाला बजट प्रस्तुत करना चाहते हैं और आप इन निधियों में से राज्यों को कुछ नहीं देना चाहते हैं चाहे राज्य सरकारों की आवश्यकता कितनी ही क्यों न हो। 'दी हिन्दू' में मैंने परसों यह पढ़ा था। 'दी हिन्दू' में प्रधान मन्त्री का भाषण छपा है। इसमें यह कहा गया है कि यह गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिये खपत पर नियन्त्रण रखने के लिये के यह धन आवश्यक है आदि आदि। वास्तव में इस देश में आप किस प्रकार पेट्रोल और डीजल की खपत पर नियन्त्रण करते हैं। इस देश में मोटर कारों की संख्या 60 प्रतिशत वृद्धि और दो पहियों वाले वाहनों की संख्या में 28 प्रतिशत वृद्धि से आप यह कार्य किस प्रकार कर सकते हैं। महोदय, नित नये मॉडल की अधिकाधिक कारें और वाहन आ रहे हैं। क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं और खपत को नियन्त्रित करने के बारे में सरकार की क्या नीति है? क्या केवल मूल्य बढ़ाकर ऐसा किया जा सकता है? क्या यही सरकार की नीति है? यह कदम उठाकर आप देश में इंजन बनाने की चिन्ता किए बिना आधुनिक विदेशी मोटर इन्जनों का आयात करने के लिये इन लोगों को खुली छूट दे रहे हैं। मारुति निर्माताओं से प्रधान मन्त्री ने कहा है दूसरी अम्बेसेडर मोटर-गाड़ी न बनाओ बल्कि आयातित कल-पुरजों को इस्तेमाल में लाओ आदि आदि। आप इसे किस प्रकार नियन्त्रित कर सकेंगे? डीजल का मूल्य बढ़ जाने से क्या लोग बसों में चलना छोड़ देंगे? क्या देश में आ रही अधिक से अधिक मोटर गाड़ियों और दो पहिये वाले वाहनों द्वारा अधिक से

[श्री सोम नाथ चटर्जी]

अधिक मात्रा में पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ? आप यह क्या कर रहे हैं ? क्या आप चाहते हैं कि कृषि कार्य के लिये, सिचाई के लिये तथा और अन्य कार्यों के लिये पम्प चलाने के लिए डीजल का इस्तेमाल न किया जाये ? आप पेट्रोल और डीजल की खपत वास्तव में किस प्रकार कम करना चाहते हैं ? आपकी नीति क्या है ? क्या इस प्रकार की मूल्य प्रणाली से यह सब होगा ? क्या ऐसा कभी संभव हो पाया है ? गत वर्ष पेट्रोल और पेट्रोल से बनी वस्तुओं के मूल्य बढ़ाये गये थे । क्या खपत में कोई कमी आई थी ? जी नहीं । उन्होंने स्वयं ही इस बात को स्वीकार किया है कि इन सब तरीकों को अपनाये जाने के बावजूद मूलत: प्रत्याशित खपत से 7 प्रतिशत अधिक खपत हुई है ।

प्रो॰ मधु दंडवते : मिलावट में भी ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसलिये, क्या धारणा है ? क्या उद्देश्य है ? क्या उसमें कोई तर्क संगत बात है ? इसे उद्देश्य को आप किस प्रकार प्राप्त करना चाहते हैं ? यदि आप धन चाहते हैं तो धन किससे चाहते हैं ? गरीब लोगों से अपने बच्चों को पढ़ने के लिये थोड़ी सी रोशनी का प्रबन्ध करने के लिये गरीब लोग ही मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं । आप इस देश के पुरवों, गाँवों आदि में निवास करने वाले व्यक्यिों की खपत पर नियन्त्रण करना चाहते हैं । आज डीजल और मिट्टी के तेल का इस्तेमाल धनाढ्य व्यक्ति नहीं करते । सार्वजनिक वाहन वह है जिसका उपयोग जन साधारण द्वारा किया जाता है । खाना पकाने की गैस धनी व्यक्तियों की विलासिता की वस्तु नहीं है । क्या आप इस कथित विलासिता की वस्तु से लोगों को वंचित करना चाहते हैं ? ऐसी ऐसी स्थिति में गाँवों में वनों की कटाई बढ़ जायेगी । उन्हें ईधन कहाँ से प्राप्त होगा ? आपको जब भी पैसा इकट्ठा करना होता हैं । जन साधारण से करते हैं । आपने अपनी दीर्घकालिक वित्तीय नीति में वायदा किया है । आपका कहना है कि कोई प्रत्यक्ष कर नहीं लगाया जायगा । ठीक है, इसका अर्थ है, सभी कर अप्रत्यक्ष होंगे । यह बात सभी को पता है कि अप्रत्यक्ष करों का अर्थ है जन साधारण पर अधिकाधिक भोर । आज हम यही देख रहे हैं । आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों के अधीन कार्य करने को विवश हैं । भुगतान सन्तुलन की स्थिति असन्तोषजक होने पर आप पैसा कहां से प्राप्त करते हैं विदेशी मुद्रा कहां से प्राप्त करते हैं ? श्री शुक्ला जी वाणिज्यिक ऋण लेने के विरोध में बोले हैं । उनका कहना है कि इसका अपनाया न जाये । आपको धन कहाँ से प्राप्त करते हैं ? इसीलिये यह नीति अपनाई जा रही हैं जो जन विरोधी नीति है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि साधारण जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी । आप कृपया अपनी आंखें खोल कर देखिए और मूल्य वृद्धि को वापस ले लीजिये । धन्यवाद

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी (हावड़ा) अध्यक्ष महोदय, लोक सभा के गत चुनाव के बाद विरोधी दल की गतिविधियां पूर्णत: ठप्प हो गई थीं । विरोधी दल को बधाई है कि यह स्थगन प्रस्ताव रख उन्होंने अपनी गतिविधियां फिर से आरम्भ कर दी है । हाल ही में पेट्रोल तथा पेट्रोल से बनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर सरकार ने भी विरोधी दल को अपनी गतिविधि बढ़ाने का अवसर प्रदान करने की कृपा की है मैं केवल इतना ही चाहता हूं वह अपनी गतिविधि बढ़ायें किन्तु उतावले न बनें ।

अध्यक्ष महोदय, आज का स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले श्री मधु दंडवते जी ने यह कहते हुए अपना भाषण समाप्त किया था कि 'हाउस आफ कामन्स' में 'लेबर पार्टी' के एक संसद सदस्य ने अनुरोध किया था और अन्त में सरकार के अधिकांश सदस्यों ने लेबर पार्टी के विचार मान लिये थे। मैं केवल इतना चाहता हूं कि मधु जी जनता पार्टी और लेबर पार्टी की राजनैतिक विचारधारा के मौलिक अन्तर को समझें और श्री मधु जी इस बात को भी जानते होंगे कि लेबर पार्टी के संसद सदस्य सारी व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए देश में रात के समय मोशे दयां को लाने के बारे में नहीं सोच सकते जैसा कि श्री मोरार जी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी के राज्य में हुआ था। इसलिये, यदि मधु जी लेबर पार्टी के संसद सदस्य होते और उन्हें श्रमिक वर्ग में कार्य करने का अनुभव हो तो, जो कि जनता पार्टी की विचारधारा के सर्वथा विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में हम उनके विचार के अनुरूप कार्य करते। किन्तु हम उनका समर्थन नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह एक पृथक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री मधु जी ने विरासत में मिली जनता पार्टी को 'रोलिंग प्लान' अर्थव्यवस्था में से, जो जनता पार्टी के शासन काल में थी,, कुछ आंकड़े ठीक ही उद्वृत किए हैं। और इस रोलिंग प्लान के कारण ही 1979-80 में मुद्रास्फीति 20.7 प्रतिशत बढ़ गई थी जो अब घटकर 4.6 प्रतिशत रह गई है।

अध्यक्ष महोदय, भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी तथा तेलगु देशम पार्टी के नेता ने तीन मुख्य प्रश्नों पर बल दिया है (क) संसद को विश्वास में लिये बिना ऐसा क्यों किया गया।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप मुझे सभा में दिये गये आंकड़ों का उल्लेख करने की अनुमति देंगे ? 1973-74 और 1974-75 में मुद्रास्फीति की औसत दर 22.5% थी, 1975-77 में यह 2.5% थी और 1980 में छः महीने तक और उसके बाद यह फिर 18.5% हो गयी।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : मैं तो केवल 1979-80 के जनता राज के कुल प्रभाव की बात कर रहा हूं।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : क्या आप 1977 से 1980 के लिये भी उल्लेख करना चाहेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने उस समय का उल्लेख किया है जब जनता सत्ता में थी, आपकी अन्य सरकार सत्ता में नहीं थी।

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री : (श्री अरुण नेहरू) : इसी बात का लोगों ने 1980 में उल्लेख किया।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : अध्यक्ष महोदय, कुल जब असम के नये संदस्य शपथ ले रहे थे तो आपने कहा था और यह अखबारों में आया है वह देश के लोगों के लिये राहत की बात थी—कि सभा पूरी भर गयी है, आइये, एक मिनट के लिये यह चर्चा करें कि किन परिस्थितियों के अन्दर 31 अक्टूबर 1984 से आज तक कांग्रेस पार्टी को स्थिति का सामना करना पड़ा, उसी

[श्री प्रिय रंजनदास मुन्शी]

विपक्ष ने मुद्दा उठाया : बिना पंजाब और असम के संसद किस तरह कार्य कर सकती है, बिना यह समझाए हुए कि समस्या से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है ? अध्यक्ष महोदय, यह एक तथ्य है कि पंजाब और असम में कांग्रेस जीत नहीं सकी, लेकिन देश में लोगों का धन्यवाद, भले ही हमारी पार्टी हार गयी हो, लेकिन देश जीत गया है और आज हमारी सभा पूर्ण हो गयी है और हम पूरे संसार के सामने यह सिद्ध करने में सफल हुए हैं कि हमारा दल पिछले एक वर्ष से सर्वप्रथम देश की एकता बनाए रखने की प्रति चिन्तित रहा है, और यह सिद्ध हो गया है, अब आप जानते हैं कि विपक्ष के मेरे कुछ मित्रों ने आसाम में लोगों के एक वर्ग को समझौते के पक्ष या विपक्ष में भड़का कर और विभिन्न गलत व्याख्याएं करके बिगड़ी हुई स्थिति का नाजायज फायदा उठाना चाहा ।

5.53 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए)

महोदय, इस सबके बावजूद भी लोगों ने असम और पंजाब को अखण्ड रूप से भारत में बनाये रखने का प्रयत्न किया और यही एक काम हमने पिछले एक वर्ष में किया है ।

मैं अब मूल बात की ओर आता हूं, पहला मुद्दा यह है कि : आकलित कीमतों में वृद्धि के विषय में संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया जाता ? सभापति महोदय, यह एक तथ्य है और किसी को ऐसा लग सकता है और यह एक नई बात नहीं है, ऐसे कई पूर्व उदाहरण हैं जब संसद के बैठने से पहले विशेष घोषणा द्वारा कीमतों में वृद्धि की गई है । लेकिन मैं केवल माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा : भविष्य में जब भी आप कीमतों में वृद्धि के विषय में घोषणा करें, संसद में करें, यह पूरे सभा की सम्मिलित राय है ।

दूसरी बात····(**व्यवधान**), मैं जानता हूं कि आज विपक्ष कर्नाटक विधानसभा में कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री के त्याग पत्र के द्वारा जो नैतिक प्रदर्शन किया गया, जो कि विधान सभा के सत्र के दौरान ही किया गया तथा फिर, वह पुनः मंच पर पहुंच गये, उसके कारण आज विपक्ष नैतिक रूप से बहुत गुंजायमान हो रहा है और उससे आप लोगों को, जो श्री रामकृष्ण हेगड़े का उदाहरण दे रहे हैं, एक नयी नैतिक शक्ति मिली है ।

अब उस समय भी विधान सभा का सत्र चल रहा था, कोई भी समाचार नहीं मिला, मैं अपने तेलगूदेशम् के मित्रों को भी स्मरण करा दूं कि आंध्र प्रदेश के महान नेता और मुख्यमंत्री श्री रामाराव ने भी विधान सभा में गए बिना ही सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष कर दी जिससे विधान सभा के पीछे कार्य करने वाले बहुत से कर्मचारियों पर ही असर पड़ा । और फिर लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया करनी प्रारम्भ कर दी वहां भी ठीक वैसा ही उत्तर दिया गया, विधान सभा के बैठने के पूर्व भी ऐसे कदम उठाना कई बार आवश्यक हो जाता है ।

श्री सी० माधव रेड्डी : क्या इसमें कोई नैतिक भ्रष्टता की बात थी ?

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : तीसरी बात का, मैं अपने माननीय मित्र श्री सोमनाथ जी के लाभ के लिये उल्लेख करना चाहूंगा । बंगाल में विधान सभा 3 मार्च को बैठती थी । उससे दो

महीने पहले ही सरकार और उसके सहायकों ने कलकत्ता शहर में जलकर लगा दिया जो कि अंग्रेजी कानून के दिनों में भी नहीं था।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह कलकत्ता निगम का निर्णय था।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : अब कभी भी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, तो स्पष्टत: यह जन साधारण को प्रभावित करती हैं और इस विषय में कोई सन्देह नहीं, एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था में, एक विकासशील राष्ट्र में, कीमत में कोई वृद्धि हमेशा ही जनसाधारण को प्रभावित करती है भले ही आप उनका प्रतिनिधित्व करें या हम उनका प्रतिनिधित्व करें, इस बात से कहीं भी इन्कार नहीं किया जा सकता, उन सभी को जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वे इस ओर के हों या उस ओर के, मुद्दे को समझाने के लिये लोगों के पास जाना पड़ता है।

सरकार के सामने समस्या यह है कि उसे राष्ट्र का ख्याल रखना है। उन्हें देश चलाना है, उन्हें वायदों को पूरा करना होता है, विपक्ष का लाभ यह है कि उन्हें स्थिति का नाजायज फायदा उठाना है, यही एक आधारभूत अन्तर है, अब अपनी बातों द्वारा आप बिल्कुल यही कर रहे हैं, इस इस बारे में कोई सन्देह नहीं, केवल एक बात है वह यह कि कभी-कभी आपको भी देश की अच्छी तस्वीर पेश करने का प्रयास करना चाहिए।

अब, सभापति महोदय, मैं एक मूल बात के बिषय में कहूंगा, मुझे आशा है कि मेरे विद्वान मित्र श्री मधु जी, जनता दल के नेता, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव पेश किया, कम से कम मेरे साथ सहमत होंगे।

यदि मैं उनके भाषणों को गलत नहीं समझा हूँ, मैंने पुस्तकालय से कार्यवाही के दौरान के उनके बहुत से भाषणों को पढ़ा जिनमें कि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि जब तक योजना सफल नहीं होती, देश के आर्थिक विकास, कीमत निर्देशांक पर सम्पूर्ण प्रभाव को स्थायी नहीं बनाया जा सकता। इसलिये पहला प्रश्न है योजना का। सभापति महोदय, मैं अब छठी पंच-वर्षीय योजना के निष्पादन के विषय में कहूंगा, मैं राज्य का नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं कुछ आंकड़ों का उल्लेख करूंगा, राज्य को लोगों से किये गये वायदों को पूरा करने के लिये सम्पूर्ण आर्थिक विकास के लिये 3500 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया था, यह राज्य अन्ततः लोगों के लिये, लोगों की प्रगति पर, केवल 2293.74 करोड़ रुपये ही खर्च कर सका, और वे अपने 13 करोड रुपये लगभग के संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं कर सके, यदि देश के कुछ बड़े राज्य नियोजित अर्थ-व्यवस्था के भीतर नियोजन लक्ष्य को पूरा करने में साल दर साल असफल रहे हैं तो पूरा भार सम्पूर्ण देश की जनता पर पड़ता है राज्यों और सीमाओं का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।

सभापति महोदय, अब मैं उन क्षेत्रों की बात करूंगा जिनमें राज्य सरकार पूरे वायदे करने में पीछे रह गयी। शिक्षा के क्षेत्र में, 275 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गयी और व्यय 177.43 करोड़ रुपये का हुआ, गरीब लोगों के लिये जल आपूर्ति हेतु आबंटन 163 करोड़ रुपये का था और व्यय 61. 2 करोड़ रुपये का हुआ। ग्राम विकास कार्यक्रम जो कि जनसाधारण के लिये है और जिसके लिये मधु जी और सोमनाथ जी दोनों बड़े चिन्तित हैं, इसके लिये कुल आबंटन योजना लक्ष्य हेतु 239 करोड़ रुपये का था और व्यय केवल 125 करोड़ रुपये का हुआ, अब

[श्री प्रियरंजन दास मुन्शी]

मैं पुनः दूसरे कार्यक्रम की ओर आता हूं, पोषण, आवास, मजदूर कल्याण और बेरोजगार युवकों के लिये विशेष रोजगार योजना। प्रत्येक मामले में, सरकार लक्ष्य प्राप्त करने में पीछे रह गई और यह अन्तर 290 करोड़ रुपये के बराबर था। महोदय, नियोजित अर्थव्यवस्था के भीतर, सरकार केवल एक ही क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रही -- वह क्षेत्र है सूचना, प्रचार एवं प्रसार। यहां बजट केवल 4 करोड़ रुपये का था और सरकार 6 करोड़ रुपये कम करने में सफल रही। अध्यक्ष महोदय, यह राज्य है पश्चिम बंगाल की क्रान्तिकारी मिट्टी वाला राज्य है।

(व्यवधान)

6.00 म० प०

प्रो० मधु दण्डवते : क्या हम पश्चिम बंगाल बजट पर बहस कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिये, आपको अवसर मिलेगा, उसके लिये एक तरीका है।

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : नियोजित अर्थव्यवस्था में और एक नियोजित आबंटन के संदर्भ में संबंधित राज्यों में वहां की सरकारों ने कैसा कार्य किया है ? आप मुझे बताइये क्या होता है। जब आपने मुद्दा उठाया तो उत्तर मिला : "लोगों पर हम कर लगाकर संसाधन जुटाना नहीं चाहते क्योंकि इससे लोगों पर कुप्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार हम वायदे को पूरा नहीं कर पायेंगे, हम ओवरड्राफ्ट ले लेंगे और सारा काम इसी तरह चला लेंगे।" यदि देश के प्रत्येक राज्य के साथ ऐसा होता है तो एक दिन फिलीपाइन्स की अर्थव्यवस्था को भी पीछे छोड़ देंगे। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि सरकार परियोजनाओं और लक्ष्यों के संदर्भ में किये गये वायदों को पूरा करने के लिये भी जनता के प्रति उत्तरदायी है।

मैं तो वित्त मंत्री से और प्रधानमंत्री से भी केवल यह अपील करूंगा कि यदि आप इस राज्य में संसाधनों को जुटा कर योजना लक्ष्यों को पूरा करने के विषय में गम्भीर हैं, और हमारे पूर्ण आत्म-निर्भरता कार्यक्रमों, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य रास्तों से लागू किया जायेगा, के लिये देश को एक नयी अर्थव्यवस्था देना चाहते हैं तो आपको ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित अन्य क्षेत्रों के विषय में भी सम्पूर्ण वित्तीय नियन्त्रण को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, होता क्या है कि जो धन लोगों के लिए खर्च करना होता है, उसे समय पर खर्च नहीं किया जाता और समय पर खर्च न होने से परियोजनाओं की लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। स्पष्ट है कि अधिक कर वसूल करने का भार आखिर सरकार पर ही आता है। ऐसा हुआ है।

पुनः, मेरे दोस्त को यह जानकार खेद होगा कि कुछ राज्यों में मैं जानता हूं कि मैं सभी राज्यों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं रखता हूं, मैं ऐसा दावा नहीं करता, प्रो० मधु दण्डवते का पूरा देश घूमने का व्यापक अनुभव है ओर मैं एक छोटा उदाहरण ही देना चाहता हूं पांच या छः ऐसी बड़ी परियोजनायें हैं जिनको 2 वर्ष पहले या इस वर्ष पूरा हो जाना चाहिये था। मुझे खेद है कि संसाधनों की कमी के कारण वे अगले छः वर्षों में भी पूरे नहीं हो पायेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह न केवल असंगत है बल्कि भ्रामक भी है ।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : आप सब हावड़ा पुल होते हुए कलकत्ता की यात्रा करते हैं। आप पायेंगे कि पिछले 8 वर्षों से मैदान में केवल एक ही स्मारक है, अन्य दो स्मारक दोनों ओर के स्तम्भों सहित गंगाजी में पिछले दस वर्षों से हैं लेकिन आपको कोई पुल नहीं मिलेगा । यदि आप पूछें कि पुल कहां है तो सरकार उत्तर देगी, "हम आपके लिये नया पुल बनाने हेतु नई तकनीक ढूंढ रहे हैं।" तो यह हो रहा है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह तथ्यों को तोड़-मरोड़ रहे हैं। यह एक विशिष्ट मामला है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी : मैं कुछ भी तोड़-मरोड़ नहीं रहा हूं, मैं केवल आपको क्षुब्ध कर रहा हूं । मैं अब मिट्टी तेल की बात को लेता हूं । यह एक तथ्य है कि यदि मिट्टी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो इससे जनसाधारण को वास्तव में आघात पहुंचता है, निःसंदेह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिये कि जितनी अधिक बिजली हम गांवों में ले जायेंगे उतना ही अधिक जनसाधारण मिट्टी तेल से छुटकारा पायेगा, यदि आप पूरी तरह नहीं तो बहुत हद तक, यदि आप गांवों में बिजली ले जाना चाहते हैं तो आपकी प्राथमिकता ताप विद्युत विभाग के लिये होनी चाहिये और उसके लिये आपको संसाधन चाहिये ।

राजीव गांधी सरकार किसी राज्य को मिट्टी तेल भेजने की जिम्मेवारी ले सकती है । लेकिन वितरण और यह सुनिश्चित करना कि इसको काले बाजार में नहीं बेचा जायेगा, यह संसद की जिम्मेवारी नहीं है । यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, मैं जानता हूं कि यदि एक राज्य में हम मिट्टी तेल की कीमत कम कर दें तो भी लोगों को काले बाजार से खरीदना पड़ेगा क्योंकि एक ऐसा संगठित तंत्र है जो कि पेट्रोल के साथ मिट्टी तेल को मिलाता है ओर फिर लोगों को बेचता है जिससे उपभोक्ताओं को कारों से, साथ ही जनसाधारण को शुद्ध पेट्रोल से भी वंचित होना पड़ता है, मुझे यह कहते हुए खेद होता है, मैं किसी के नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता, किसी पर लांछन लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, जो पेट्रोल मिलाने की इस धोखाधड़ी में सम्मिलित हैं, पेट्रोल टैंक लेते हैं और फिर उसमें मिट्टी तेल मिलाते हैं, उन्हें पुलिस-थाने से दूर ले जाया जाता है, और विशेष राजनैतिक परिस्थितियों के कारण सरकार इस प्रकार की बातों को होने दे रही है । इस तरह हम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं ।

सभापति महोदय : मैं आपको बता दूं कि ··

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इन आरोपों को सुनकर हमारा मनोरंजन हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम यहां कीमत-वृद्धि पर बहस कर रहे हैं पश्चिम बंगाल सरकार पर नहीं,

श्री भागवत झा आजाद : वह राज्य का नाम नहीं ले रहे हैं···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह जान बूझकर एक राज्य सरकार पर लांछन लगा रहे हैं···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये, कृपया अपनी सीट पर बैठिये।

माननीय सदस्य कृपया आगे जारी रखें····

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : आपको केवल बोलने का अधिकार है, क्षुब्ध करने का नहीं।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : मैंने राज्य का नाम नहीं लिया, आप क्यों चिल्ला रहे हैं ? मैं श्री सोमनाथ चटर्जी को आश्वासन देता हूं कि परेशान करने वाली कोई भी बात मैं नहीं कहूंगा। मैं केवल यही निवेदन करूंगा कि कीमतों में इस वृद्धि से जो विशेष रूप से मिट्टी तेल को प्रभावित करेगी, जो उर्वरक को प्रभावित करेगी यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए जुटाये हुए कुल संसाधन बिना सार्वजनिक क्षेत्र पर कुप्रभाव डाले सार्वजनिक क्षेत्र की तीव्र प्रगति की ओर ले जायेंगे। (व्यवधान) अगर आप मुझे उत्तेजित करते हैं, तो मैं भी प्रतिक्रिया कर सकता हूं। अभी तक कम से कम मेरी सरकार ने किसी भी सरकारी उपक्रम को निजी क्षेत्र इकाई को बेचने का फैसला नहीं किया है। लेकिन एक क्रांतिकारी सरकार एक बहुत ही प्रसिद्ध उपक्रम को निजी क्षेत्र फर्म को बेच रही है..... (व्यवधान)

देश की स्थिति के उज्ज्वल पक्ष का भी उल्लेख करना चाहिए। वह उज्ज्वल पक्ष कौन सा है ? मैं मानता हूं कि इससे लोगों को कठिनाई होगी। देश में एक ऐसी स्थिति आयेगी, जब नाममात्र की सरकार को भी लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्हें अमुक यात्रा पर ले जाया जायेगा बशर्ते कि वे उसके बदले कुछ त्याग करें। मैं इस बात से सहमत हूं कि लोगों को इस चीजों की बहुत कठिनाई होगी लेकिन अगर हम एक या दो वर्षों में उनको विश्वास दिलाकर परिणाम दिखा दें तो मैं समझता हूं कि लोग हमको समझेंगे और उनको नहीं।

इसी सदन में पिछले वर्ष जब बजट प्रस्तुत किया गया था और वित्त मंत्री सामान्य बजट पर बोले थे तो विरोधी पक्ष के एक नहीं बल्कि सभी लोगों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि मुद्रा स्फीति में 15 प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी और हर आवश्यक वस्तु के दाम ऊपर चढ़ जाएंगे। इस सदन में जब पंजाब समझौते की घोषणा की गई थी और चुनाव कराने की घोषणा की गई थी तो विरोधी पक्ष ने खून खराबा होने और हर बुरी घटना होने का डर व्यक्त किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज, सभापति महोदय, यह क्या समस्या है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब भी राष्ट्र के सामने निर्णायक प्रश्न आते हैं तो वे क्यों उनसे कतराते हैं ? वे आगे नहीं आते। आज

सुबह जब मसाले बोर्ड का मुद्दा सामने आया उन्होंने हर प्रकार के व्यवस्था के प्रश्न उठाए। हममें से कुछ लोग इस मुद्दे से बचना चाहते थे। यह ढंग है आपके कार्य करने का। आप कभी भी सच्चाई का सामना नहीं करते आप कभी भी वास्तविकता का मुकाबला साहस से नहीं करते.....(व्यवधान)

मैं अपनी जगह से डिगने वाला नहीं हूं। मैं तो केवल यह कहना चाहता हूं। जब कभी भी राष्ट्र के सम्मुख किसी निर्णायक मामले को लेकर कोई मुद्दा उठाता है तो वे आनाकानी करने लगते हैं और इस तरह दोहरी नीति अपनाते हैं। मैं जानता हूं कि श्री चटर्जी पिछले एक वर्ष से कुछ चुनाव परिणामों को लेकर खुशी से फूल रहे हैं मैं उन्हें निरूत्साहित नहीं करना चाहता। यह उनके लिए अच्छी बात है कि उन्होंने ये सब बातें याद रखीं। लेकिन मैं उन्हें केवल यह बताना चाहता हूं कि हम अपने एक वर्ष के कार्य के लिए नहीं बल्कि गत जनादेश के अनुसार लोगों के प्रति बचनबद्ध हैं हम यह जानते हैं कि हम कितनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं और हमारी सीमाओं पर किस प्रकार की स्थिति चल रही है। हम जानते हैं कि हमने लोगों से कौन से वायदे किये हैं। इन शब्दों के साथ मैं कहूंगा कि मूल्य वृद्धि के माध्यम से जो संसाधन हम जुटाएं उनका पूरा पूरा उपयोग गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों में किया जाए और इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी प्राथमिकता दी जाए तथा उन राज्य सरकारों पर निगरानी और पूरा नियंत्रण रखें जो इस धन को लेकर गैर योजना व्यय के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और इस तरह सारे देश को आर्थिक अवरोध की स्थिति की ओर ले जा रही हैं और जब चाहती हैं तब रास्ते रुकावट खड़ी कर देती हैं। वे पश्चिम बंगाल में बंद का दावा भर रहे हैं.....(व्यवधान)। सार्वजनिक क्षेत्र में बन्द का अर्थ है कि यह सरकार द्वारा संचालित है इससे उसे एक नया रंग मिलता है जो वहां दिखाई दिया क्या आपने किसी मुख्यमन्त्री को यह कहते सुना हैं कि बंद सफल रहा। (व्यवधान) कम से कम मेरे राज्य में बन्द का आह्वान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने मुख्य मंत्री से कहा सभी चीजें पहले से ही बंद हैं फिर आप बंद क्यों करा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह बंद के लाइसेंस का नवीकरण करना चाहते हैं; लेकिन हम कांग्रेसजन उन्हें खोलना चाहते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : सभापति महोदय, जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद संभाला भारत के लोगों ने यह आशा की कि योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वाले जैसे हमारे देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी बल्कि गिरावट होगी। भारत के लोगों ने यह कभी आशा नहीं की थी कि सड़कों पर दूध और शहद की नदियां बहेंगी। लेकिन उन्होंने यह आशा अवश्य की थी कि कम से कम उनकी न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताऐं पूरी होंगी, उनकी रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी होगी और उन्होंने आशा की थी कि उन्हें आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर मिलेंगी।

हमारे वित्त मंत्री जी की संयुक्त राज्य अमरीका के समाचार पत्रों में प्रशंसा की गई है। न्यूयार्क टाइम्स ने कहा है वह भारत में तीसरे सर्वोत्तम वित्त मंत्री हैं, पहले थे श्री सी. सुब्रह्मण्यम, दूसरे श्री आर. वेंकटारमन जो अब हमारे उपराष्ट्रपति हैं और तीसरे हैं हमारे वर्तमान वित्तमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह। जब उनकी इस प्रकार की प्रशंसा हुई है तो कैसे उन्होंने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में इतनी वृद्धि की ?'अब प्रश्न यह है अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते वित्तमन्त्री

[श्री पी० कुलन्दईवेलू]

जी को मूल्यों में वृद्धि करने से पहले एक बार नहीं, दो तीन बार सोचना चाहिए वस्तुतः आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि न केवल अमीरों को बल्कि गरीबों और दलितों पर भी असर डालता है पेट्रोलियम पदार्थों डीजल, उर्वरकों और अनाज की कीमतों में वृद्धि का प्रभाव गरीबों और दलितों, पर पड़ता है मैं यहां तक भी कहूंगा कि पिछले वर्ष जब हमारे प्रधानमन्त्री ने अपना पदभार सम्भाला, हम अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाये रहे। और इससे हरेक को यह आशा हुई कि देश में प्रत्येक वस्तु उचित दाम पर मिलेगी। निश्चय ही हमने कभी आशा नहीं की थी कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इतनी भारी वृद्धि की जायेगी। मैं प्रधानमन्त्री तथा वित्तमन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वे कीमतों को नीचा लायें। ऐसी अर्थव्यवस्था में जैसी कि हमारे देश में है हमें और अधिक साधन जुटाने के लिए कीमतों में इतनी वृद्धि नहीं करनी चाहिए। इसने न केवल गरीबों और दलितों को ही दुष्प्रभावित किया है बल्कि एक तरह से व्यापारियों को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के कारण किराये-भाड़े में भी वृद्धि हुई है। जो व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे हैं वे एक स्थान से दूसरे पर जाने के लिए बसों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए उन्हें अब अधिक किराया देना पड़ेगा। तब मजदूरी का क्या होगा? मैं वित्तमन्त्री जी से यह पूछूंगा कि क्या मूल्य-वृद्धि तथा मजदूरी सम्बन्धी नीति में कोई तालमेल है? क्या भारत में ऐसी अर्थव्यवस्था उन्होंने बनाई है? यह इस प्रकार की नहीं है। वास्तव में कीमतों में वृद्धि और मजदूरी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं और वह सभी व्यक्तियों के लिए बराबर नहीं है। इसलिए हमें सोचना है कि जब कभी मूल्यों में वृद्धि की जाए तो हमें उसे मजदूरी से जोड़ना चाहिए और लोगों के स्तर से जोड़ना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है।

विरोधी पक्ष जो स्थगन प्रस्ताव लाया है वह वास्तव में सरकार की निन्दा के लिए आमतौर से किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन आज इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे दी गयी है क्या यह सरकार की निंदा नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि मूल्यों में वृद्धि हुई और यह मूल्य वृद्धि वास्तव में बहुत अधिक है। मूल्यों में वृद्धि के कारण भारत के लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। जब आप स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं, तब इसे कम क्यों नहीं कर देते? आपने इस मूल्य वृद्धि की घोषणा की और चार दिनों बाद आपने उस वृद्धि को कुछ घटा दिया लेकिन उतना नहीं जितना लोग चाहते थे।

कमी उसी प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार यह पहले थी। अतः यदि आप कीमतों को उसी स्तर पर रखते हैं जो कि 1985 में थीं। तो आप सब से अच्छे वित्त मन्त्री होंगे। कोई भी वित्त मंत्री इतने सारे करों को बढ़ाकर सरकारी कोष में बहुत से संसाधन जुटा सकता है।

आपने केवल भारत में ही प्रशंसा प्राप्त नहीं की है, बल्कि अमरीका में भी प्रसंशा के पात्र बने हो। परन्तु अमरीकी प्रेस आपको इस मूल्य वृद्धि में अभिशाप दे या न दे परन्तु भारत के लोग अवश्य ही देंगे।

भारत की जनता ने एक लोकप्रिय सरकार को, जिसके मुख्य श्री राजीव गांधी थे मतदान इस आशा से दिया था कि वे रोटी, कपड़ा और मकान देंगे। अगर आप प्रत्येक मनुष्य को तीन समय का भोजन दें तो अच्छी बात है। गत 38 वर्षों से आप सत्ता में हैं कांग्रेस सत्ता में है

अर्थात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक उनको तीन समय का भोजन देने में सफल हुए हैं। आप तो एक आदमी को भी प्रतिदिन एक समय का भोजन भी नहीं जुटा पाए हैं। यह तो स्थिति है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने अभी तक आश्रय और कपड़ा भी दिया है। कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। यदि आप आकड़े लें तो आप देखेंगे कि 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं.....(व्यवधान) आप एक आदमी को एक दिन का भोजन भी प्रतिदिन देने के योग्य नहीं हैं यह तो स्थिति है।

यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि तमिलनाडु में हम कीमतों को निम्न स्तर पर रख रहे हैं। एक किलोग्राम चावल का मूल्य 2 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में यह स्थिति है। परन्तु भारत सरकार को क्या हो रहा है? केन्द्रीय सरकार अब क्या कर रही है। क्या यही तरीका है जिसका आप पालन कर रहे हैं। निश्चित रूप से नहीं। वास्तव में आप एक भिन्न उपाय कर रहे हैं जिसके द्वारा आप एक इस प्रकार की आर्थिक नीति चाहते हैं, जिसमें मूल्यों में वृद्धि को नहीं रोका जा सकता। यही आप कहते हैं।

निस्सन्देह, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह मानता हूं कि एक विकासशील और योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में मूल्यों में वृद्धि अपरिहार्य है। मे इसे पूर्णतया मानता हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि किस सीमा तक। क्या अब लोग आवश्यक वस्तुएं क्रय करने में सक्षम हैं। वे ऐसा करने में असमर्थ हैं। मैं सुझाव देता हूं कि वित्त मन्त्री प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, कपड़ा और मकान देने के लिए आगे आएं। हमने 38 वर्ष बिता दिए हैं। और हम चाहते हैं कि आप 25 वर्ष और राज्य करें। अगर आप 25 वर्ष और राज्य करना चाहते हैं तो आप लोगों को उनकी कम से कम न्यूनतम आवश्यकताएं तो पूरी करनी चाहिए और आप को मूल्यों को कम करने के लिए आगे आना पड़ेगा।

श्री जी० जी० स्वैल : (शिलांग) सभापति महोदय, मुझे खेद है कि मैं न ही तो प्रो० मधु दण्डवते को जिन्होंने यह चर्चा आरम्भ की थी और न ही श्री सोमनाथ चटर्जी को यहां देख पा रहा हूं। आमतौर पर मैं इन दोनों मित्रों का उनकी बौद्धिकता के स्तर, उनके ज्ञान और जागरुकता तथा कठिन परिश्रम के लिए सम्मान करता हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि आज वे एक बुरे मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। वे बिल्कुल असंगत बात कर रहे हैं। जनवाद एक अलग मामला है। मैंने कभी एक भी अच्छा राजनीतिक और आर्थिक तर्क नहीं सुना है।

कल जनवाद में उनकी विजय हुई थी और वे इस माह की 26 तारीख को भी एक अन्य विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन देश को जनवाद पर नहीं चलाया जाता है। हमारे पास एक ऐसे देश का उदाहरण है जिसने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का प्रयास किया था और उसने भेद भावपूर्ण ढंग से जनवादी उपायों को अपनाया। मैं उस देश का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री कुलनदईवेलु भी भारत के एक ऐसे भाग में रहते हैं जो उस पड़ौसी देश के बहुत नजदीक हैं। वे जानते हैं और हम भी जानते हैं कि उस देश ने किस प्रकार के जनवादी उपाय किए जिसमें एक वक्त लोगों को मुफ्त चावल देकर या बहुत ही उच्च आर्थिक सहायता देकर और एक समय आया जब सरकार अपने दायित्वों की पेश नही कर सकी। जिसके परिणामस्वरूप एक प्रकार की क्रान्ति हो गई। वहां पर पूर्ण विप्लव हुआ था लेकिन एक समय किसी प्रकार भारत के हस्तक्षेप करने के कारण मामला दब गया। उस देश की सरकार को उखाड़कर फेंका जा सकता

[श्री जी०जी० स्वैल]

था और उस देश के साथ जो हमारी कठिनाइयां हैं वे महत्वहीन हो जातीं, अगर वह क्रान्ति वहां सफल हो जाती और देश को अपने आधिपत्य में ले लेती।

श्रीमान् हमारे पास दूसरे देशों के उदाहरण भी हैं और मैं एक बार फिर उन देशों के नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन हम उन देशों को भी जानते हैं जहां मुद्रास्फीति की दर 400 प्रतिशत तक है। मैं नहीं जानता कि इसराइल में मुद्रास्फीति की क्या दर है। कुछ लोग वहां पर एक हजार प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर होने की बात करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें उस प्रकार की स्थिति को अपने देश में भी होने देना चाहिए। आर्थिक नीतियों में त्रुटियों के कारण, कठोर निर्णय लेने के भय के कारण, आसान छूटों को अपनाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में बिना रोक-टोक के उधार लेने के कारण और दूसरी बहुत सी बातों के कारण दुनियां में मुद्रास्फीति की दरें बहुत तेजी से बढ़ी हैं। थोड़े समय के लिए अधिक मात्रा में खुले आयात के कारण देश एक प्रकार की सुख-भ्रान्ति में रहता है, जिसमें जीवन की अच्छी वस्तुएं प्राप्त होती रहती हैं, जनसंख्या का एक छोटा-सा हिस्सा सम्पन्न हो जाता है और शेष निराश गरीब बने रहते हैं और फिर हम पाते हैं कि उन देशों को क्रान्तियों और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। जो देश क्रान्ति और स्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं।

मेरा प्रश्न मेरे मित्रों से यह है फिर चाहे वे प्रोफेसर मधु दण्डवते हों या श्री सोमनाथ चटर्जी हों मेरी इच्छा थी कि मुझसे पहले श्री उन्नीकृष्णन् बोलते लेकिन मुझे उनको सुनने के लाभ से वंचित रहना पड़ा। कि क्या वे इस संसार की स्थिति से अनभिज्ञ हैं? क्या वे यह जानते हुए भी इस देश को उसी स्थिति में ले जाना चाहते हैं? मेरे विचार से इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वे इस देश के ऋणी हैं।

आज विश्व में दूसरी स्थिति यह है– मैं प्रतिशत के बारे में तो नहीं जानता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि यह तथाकथित स्वतंत्र देशों का 80 प्रतिशत है – कि ये तथाकथित प्रभुसत्ता सम्पन्न स्वतंत्र देश वास्तव में आर्थिक एवं राजनीतिक तौर पर एक या दूसरी सर्वोच्च शक्तियों के बहुत बड़े समान्त राज्य हैं। मैंने राष्ट्र संघ में बहुत से देशों के राजदूतों को देखा है जो बहुत कम बजट पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और अपने जीवन स्तर को बनाये रखने के लिए थोड़े से डालरों के लिए बहुत बड़ी धूपदौड़, भागदौड़ करते हैं। क्योंकि उनको उनके देशों से धन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उन देशों के पास उनके खर्चों तथा अपने मिशनों के व्ययों को वहन करने की सामर्थ्य नहीं होती है। मैंने उनको गलत लड़कों की भांति एक सर्वोच्च शक्ति से दूसरी सर्वोच्च शक्ति के पास जाते हुए देखा है। मैंने उनको शर्मनाक कार्य करते हुए देखा है। उन्होंने कुछेक डालरों के लिए स्वयं अपनेआपको अपने देश की स्वतंत्रता को और देश के लिए निर्णय लेने की स्वतन्त्रता को रहन रख दिया है।

सभापति महोदय आज आप राष्ट्रसंघ की खराब आर्थिक दशा के बारे में परिचित हैं क्योंकि अमरीका ने राष्ट्रसंघ को 25 प्रतिशत कम अंशदान देने की धमकी दी है। राष्ट्रसंघ आज बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति में है और अमरीका इससे अपना पूर्ण स्वार्थ साधन चाहता है वह कहता है कि अपने 25 प्रतिषत अंशदान की कटौती के निर्णय को वह बहाल रखेगा। यदि राष्ट्रसंघ में केवल महत्वपूर्ण मतों के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया जाय जो कि वास्तव में तब तक संभव नहीं होगा

जब तक कि संयुक्त राष्ट्रसंघ को कुल सदस्यों के दो तिहाई का बहुमत इसके पक्ष में प्राप्त नहीं हो जाता। यह एक असंभव स्थिति मालूम होती है। लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका को विश्वास है कि वह ऐसा करने में सफल होगा क्योंकि अधिकांश देश संयुक्त राष्ट्र अमरीका सामंतके राज्य हैं। वह उनको जैसा चाहे नचा सकता है। महोदय आज हम ऐसी स्थिति पाते हैं। मैं यह प्रश्न प्रो० मधु दण्डवते की अनुपस्थिति में और श्रीमान सोमनाथ चटर्जी के सम्मुख रखना चाहूंगा। अब प्रो० मधु दण्डवते यहां उपस्थित हैं।

संसदीय कार्य तथा पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : वह आपके तर्कों से प्रभावित हैं तथा आपके साथ बैठने को तैयार हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं प्रो० दण्डवते से पूछना चाहता हूं कि क्या वह सस्ती प्रसिद्धि के लिए देश की राजनीतिक स्वतंत्रता को गिरवी रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वह इस प्रश्न का उत्तर दें।

हमें ठोस आर्थिक तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। मैं राजनीतिक भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं बुद्धिजीवी हूं तथा चाहता हूं कि मेरे मित्र बौद्धिक स्तर पर मेरे साथ बात-चीत करें।

1980 में आर्थिक आंकड़ों के अनुसार देश में मुद्रा स्फीति की दर 22.7 प्रतिशत थी। यह जनता शासन की विरासत थी। उन्होंने देश की अर्थ-व्यवस्था का ऐसा कुप्रबन्ध किया कि किसी भी सरकारी क्षेत्र की वस्तु का मूल्य बढ़ाये बिना 22.7% की मुद्रा स्फीति होने दी। उसकी दर 22.7% थी। मैं यह सोचकर कांप उठता हूं कि यदि जनता पार्टी पांच वर्ष शासन कर पाती तो मुद्रा स्फिति की दर दुगुनी हो जाती।

प्रश्न पैट्रोल के मूल्य में 40 पैसा प्रति लीटर मूल्य वृद्धि करने का नहीं है। यदि जनता पार्टी का वश चलता तो वह 40 पैसा न बढ़ाती चाहे उससे 200 पैसे की हानि उठानी पड़ती।

मैंने ये ही प्रश्न रखे हैं और मैं प्रो० मधु दण्डवते से कहता हूं कि वह इनका उत्तर दें। मुझे खुशी है कि वह मेरे साथ मिलकर बैठते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह दल बदल नहीं है—यह केवल प्यार है।

श्री जी० जी० स्वैल : एक निश्चित स्तर तक ही प्यार होना चाहिए।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : हो सकता है वह आपके तर्कों से संतुष्ट हों।

श्री जी० जी० स्वैल : प्रो० मधु दण्डवते उन दिनों जनता पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे। उन्होंने मुद्र स्फीति को लगभग 23 प्रतिशत तक बढ़ने दिया। क्या आज उन्हें शोभा देता है कि वह उसी आधार पर सरकार की आलोचना करें।

मैं चाहूंगा कि वह परिस्थिति पर ध्यान दें। परिस्थिति कठिन है। यह एक तरीका है देश को आगे ले जाने का। यदि हमें समृद्धि पूर्वक 21वीं शताब्दी में जाना है तो हमें उसका मूल्य चुकाना होगा।

आप निर्यात बढ़ाने की बात करते हैं। जब तक आप विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते आप निर्यात कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप समझते हैं कि आधुनिक शिल्पविधि के बिना आप प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि आधुनिक शिल्पविधि के बिना आप उत्पादन लागत कम कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं?

[श्री जी० जी० स्वैल]

श्री चटर्जी भी वापस आ गये हैं। जब तक आप प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नहीं रख पाते तब तक निर्यात बढ़ाने का सोचना व्यर्थ है। आप पुरानी शिल्पविधि से कार्य नहीं चला सकते। आपको इसका मूल्य चुकाना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको देश के भीतर मांग बढ़ानी चाहिए।

श्री जी० जी० स्वैल : हमें आवश्यक रूप से योजना के लिए कम से कम योजना के मुख्य भाग अर्थात इस्पात, ऊर्जा कोयला इत्यादि के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना का इस वर्ष का परिव्यय लगभग 19845 करोड़ रुपया है। इस बात की कम संभावना है कि इससे अधिक धन व्यय हो पाये और हमें अधिक धन अपेक्षित हो। क्या आपको यह धन अन्तर्राष्ट्रीय ऋणों द्वारा मिल जायेगा? अथवा आप किसी न किसी महा-शक्ति से अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता के दाम पर प्राप्त करेंगे? कुछ पहले ही मैं बता चुका हूं कि यह सरल रास्ता है। क्या हम वैसा मूल्य दे सकते हैं। क्या हम कुछ तंगी सह कर उस स्थिति से बच नहीं सकते? यह मेरा प्रश्न है। आप कह सकते हैं कि मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि का भार गरीब जनता पर पड़ेगा परन्तु सरकार पर देश के प्रशासन की जिम्मेदारी है। सरकार को इस बारे में सफलता प्राप्त करनी है, तथा सरकार ने यह निश्चय किया कि देश की आत्म-प्रतिष्ठा के लिए यह आपेक्षित है। आपकी राय भिन्न हो सकती है, यह अलग बात है।

फिर, महोदय मूल्य वृद्धि के संबन्ध में हमें स्मरण रखना चाहिए कि चाहे मिट्टी का तेल हो अथवा उर्वरक हो सभी वस्तुओं पर मूल्यों में भारी रियायत दी जाती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप बिना आधार के बोल रहे हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : आप कैसे जानते हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं ऐसा समझता हूं।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं आपके तर्क का आदर करता हूं। आपको भी मेरे तर्क का आदर करना चाहिए। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते तो केवल उर्वरक पर ही योजनावधि के पहले दो वर्षों में 4510 करोड़ रुपए की राज सहायता दी गई। इस दर पर सातवीं योजना के अंत तक 12000 करोड़ रुपए की राज सहायता केवल उर्वरक पर ही देनी होगी। क्या आप ऐसी राज सहायता देते रहेंगे?

सभापति महोदय : कृपया आप समाप्त करें।

श्री जी० जी० स्वैल : श्री मान, एक मिनट और। मैं समझता हूं कि समय का महत्व नहीं है जितना कि दिये जाने वाले तर्कों का है।

प्रो० मधु दण्डवते : मूल्य वृद्धि भी बढ़िया किस्म की है।

श्री जी० जी० स्वैल : अनाज पर राज-सहायता 4763 करोड़ रु० है, सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को, जनता की तथा पार्टी की मांग पर, कम किये जाने के बाद भी, उर्वरक, मिट्टी के तेल तथा घरेलू गैस जैसी वस्तुओं पर राज-सहायता अभी जारी है। सरकार इस बात की चेष्टा कर

रही है कि लोगों को समझाया जाये कि क्या भारी राज-सहायता देकर चलना है अथवा हमें लोगों को बताना है कि वे स्थिति को समझें और उसका पूरी तरह सामना करें। सरकार यही करने का प्रयास कर रही है। आप जन-साधारण की वाह-वाही लूट सकते हैं परन्तु समय आयेगा जब लोग आप से इस बारे में प्रश्न करेंगे।

समाप्त करने से पहले मैं समझता हूं मुझे प्रधान मन्त्री को एक अन्य कार्य अर्थात आदम जातीय क्षेत्रों में अनाज पर भारी राज-सहायता दिए जाने पर बधाई देना चाहता हूं।

मेरे समक्ष आंकड़ों के अनुसार आदम जातीय क्षेत्री में अत्यंत गरीब लोगों का गेहूं 1.50 रुपए किलो तथा चावल 1.80 रु० किलो दे रहे हैं—मैं चाहूंगा कि प्रो० दण्डवते तथा श्री सोमनाथ चटर्जी इस पर ध्यान दें। इसके लिए धन कहां से मिलता है? गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का यह एक उदाहरण है। यह मैं यहां उपस्थित सदस्यों को बताना चाहता हूं। मैं सरकार को भी बताना चाहता हूं कि उनके बहुत से कार्यक्रम कई बार उपभोक्ताओं का मजाक बन जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मेरे राज्य में क्या स्थिति है। इस अच्छे कार्यक्रम का उलटा प्रभाव पड़ रहा है। कुछ भ्रष्ट कदाचारों के कारण इस कार्यक्रम का उपहास हो रहा है। यदि आप मुझे समय देंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यह बातें सभी स्थानों पर होती हैं। ऐसा आपके राज्य में भी हो सकता है। ऐसी बातों के विरुद्ध प्रशासनिक उपाय बरते जाने की आवश्यकता है।

आप का धन्यवाद !

सभापति महोदय : वाद-विवाद के लिए आवंटित कुल समय चार घन्टे का है। तदानुसार आपकी पार्टी को केवल 3 मिनट मिलते हैं। अतः कृपया अति संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया (सगरूर) : सभापति महोदय, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बढ़ाई कीमतों पर बहुत कुछ कहा गया है। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार जितने जोर से आम आदमी की मुश्किलें हल करने की बात करती है, यह सरकार की खूबी है कि उतने ही जोर से कीमतें बढ़ाई गई हैं। बाज औकात ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं कि हमारी सरकार कहां है और शायद लोगों को याद कराने के लिए कि सरकार है, सरकार आपको बताना चाहती है कि सरकार कहां है इस लिए कीमतें बढ़ाई गई हैं। प्रधान मन्त्री जी बहुत हरमन प्यारे हैं, पंजाब और आसाम का अकार्ड होने के बाद उनकी प्रशंसा बढ़ी है—मैं यह नहीं कहता कि बढ़ी थी, अब भी है, बहुत बढ़ी है प्रशंसा, इसलिए शायद कुछ दोस्तों ने सोचा होगा—मैं नहीं कहता कि आउट आफ जेयलसी सोचा होगा—कि प्रशंसा को कुछ कम करना चाहिए इसलिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी को कुछ मुश्किल में डाला गया है। आप बाजार में जाइये, दुकान में घूमिये या ट्रेन्स में हों, हम तो ट्रेन में सफर करने वाले लोग हैं, प्लेन में ज्यादा नहीं चलते हैं तो आम आदमी की तरफ से बड़ी तारीफें होती थी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की कि बड़े घरानों पर रेड्स हो रही हैं, क्लिॉस्कर के गले में हाथ डाल दिया, उसके ऊपर भी रेड कर दिया। जब तारीफ करने वाले लोगों को यकायक बड़े घरानों पर रेड होने के बारे में जानकारी मिली तो उनको यह भी पता चला कि उनके यहां भी रेड हो गई है। यह सब एक ही रात में हो गया। इसकी वजह से सबसे ज्यादा मुश्किल किसानों की आई है। ऐसी बात नहीं है कि मैं उस स्टेट से आता हूं, जहां किसानी धन्धा ज्यादा है किसानों के लिए मुश्किल तो स्टेट में दोहरे हमले से हुई है। एक्साइज होता, तो शायद

[श्री बलवंत सिंह रामूवालिया]

कुछ मिल जाता, लेकिन विश्वनाथ जी सब ले गए। इस वजह से किसानों की पैदावार में कमी होगी, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ गए हैं। इसकी वजह से आम आदमी को भी प्रोब्लम आई है। यह हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार का तीर जब चल जाता है, तो वापिस नहीं आता है। हमेशा के लिए चल जाता है इन्होंने तीर चला दिया है इसलिए वापिस नहीं आएगा। मैं फिर भी दो-तीन बातें बहुत जोरों से निवेदन करना चाहता हूं।

पहली बात तो यह कि यदि आपको आगे भविष्य में कीमतें बढ़ानी हैं, यह ठीक है कि गिनती में आपका नम्बर हमारे नम्बर से बड़ा है लेकिन कामन जिम्मेदारी है, तो कम से कम अपोजीशन को कन्सल्ट करना चाहिए या स्टेट्स को भी कन्सल्ट करना चाहिए, यदि आपको वाक आउट-आफ पार्लियामेंट करनी है।

हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इसलिए मैं दूसरी बात यह जरूर कहना चाहूंगा कि कम से कम फर्टिलाइजर और डीजल में जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, इसके बारे में जरूर सोच लेना चाहिए। यह आम धारणा बन गई है कि कीमतों में रिम्युनरेटिव-प्राइसेस की बात तो छोड़िए अब रिम्युन-रेटिव-प्राइस कभी नही मिलेंगी, क्योंकि अब काफी बढ़ी हुई कीमत पर फर्टिलाइजर मिल रहा है।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों ने भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अनाज दिया है और दे रहा है। पिछले कई महीनों से पंजाब डिस्टर्ब-एरिया होने को वजह से पंजाब की इकोनोमी बर्बाद हो गई है। मैं इस बात को बहुत लाइटली नहीं कह रहा हूँ, जो आप को प्राइस-हाइक से पैसा मिला है, चाहिए तो यह कि सारा पैसा पंजाब को दे दिया जाये, जिससे उस की डिस्टर्बड इकोनोमी ठीक हो जाए। अगर सरकार नहीं दे सकती है, तो.....

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सभापति जी, तो ये मान गए हैं कि प्राइस-हाइक कभी-कभी फायदेमन्द होता है, यदि पंजाब को दिया जाए तो।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : जब पोजीशन डिस्टर्बड् हो। हम बीमार मरीज हैं, हमारे लिए दवा चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री ब्रह्म दत्त (टिहरी गढ़वाल) : सभापति जी, हम पौने-तीन घन्टे से इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। मैं उत्सुकता से जानना चाहता था कि जो लोग इन कीमतों के बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं, वे क्या विकल्प बताते हैं कि कैसे अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएं। लेकिन मुझे बहुत निराशा के साथ कहना पड़ता है कि कीमतों के बढ़ाने का विरोध तो जरूर हुआ, लेकिन इन तीन बातों का जवाब नहीं आया। पहली बात तो यह कि क्या आप योजना का आकार कम करना चाहते हैं, या मौजूदा हालत में रखना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा आश्चर्य मुझे यह हुआ कि विरोध पक्ष ने उस विद्वान व्यक्ति को अपना प्रवक्ता बनाया, जो मंहगाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार के जमाने में मंहगाई 22 प्रतिशत बढ़ी थी। मंहगाई से उतनी पीड़ा नहीं होती है, जितनी की चीजों के उपलब्ध न होने से होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सन् 1979 के साल में जिस वक्त देश में सूखा था, न डीजल किसी भाव पर मिलता था न मिट्टी का तेल मिलता था और न बिजली किसी भी भाव पर मिलती थी। इस वजह से हमारे सामने

सबसे बड़ा सवाल आया कि योजना का क्या आकार होना चाहिए। उस वक्त विशेषज्ञों ने कहा था कि योजना का आकार कम करना चाहिए और इस बात के लिए हमारे प्रधान मन्त्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने कहा कि कुछ भी सख्ती करनी पड़े, योजना का आकार घटाया नहीं जाएगा। निश्चित रूप से वे इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं।

अब तीन विकल्प हो सकते हैं। या तो बजट के घाटे को बढ़ाया जाए और जिस तरह से 1979 में करीब 2। फीसदी के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ा था, उसी तरह से यह बढ़े या दूसरा यह है कि अपने भविष्य को गिरवी रख कर वर्ल्ड बैंक या इन्टरनेशनल मोनीटरी फंड या ऐसी जो तमाम वित्तीय संस्थाएं हैं, उन सब से कर्जा लें लेकिन यह सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि 1980 से लेकर अब तक इस ने मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण रखा।

6.51 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

1979 में जो इन्फ्लेशन 20,220 फीसदी था, वह इस वक्त 4 फीसदी रहा है। योजना को बनाने में पहली बात तो यह होनी चाहिए कि योजना की प्रणाली में विश्वास होना चाहिए और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि जिन लोगों का सारा राजनीतिक दर्शन, मैं खास तौर से सी० पी० एम० और सी० पी० आई० के लिए कहना चाहता हूं, नियोजित प्रणाली की ओर है, उन से हमें यह उम्मीद थी कि वे हमें योजना के लिए संसाधन जरूर बताते लेकिन मुझे इस बारे में निश्चित रूप से निराशा हुई है।

यह कहा गया कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई, निश्चित रूप से वह बढ़ी है, केरोसियन आयल की प्राइस बढ़ाई गई और एल० पी० जी० की प्राइस बढ़ाई गई, निश्चिय रूप से वे बढ़ी हैं और कोई गवर्नमेंट प्राइस बढ़ाने के लिए खुश नहीं होती है लेकिन हमको यह भी देखना चाहिए कि कितनी भारी सब्सीडी हम लोग इन तमाम चीजों पर दे रहे हैं और हम कौन सा दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के वक्ता इस बात को स्पष्ट रूप से बताएं कि वे क्या चाहते हैं। क्या वे चाहते हैं कि योजना के आकार को घटाया जाए। जो कुछ पिछले पांच सालों में हम ने उपलब्धि की है, वह यह कि हमने अपनी एकोनामी को सुदृढ़ आधार पर खड़ा किया है, मजबूत पैरों पर खड़ा किया है और यह इसी योजना का परिणाम है कि पिछले पांच सालों में राष्ट्रीय आय लगभग 5 प्रतिशत बढ़ी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले साल जब बजट पेश किया गया था तो यह कहा गया था कि हम जो कन्सेशन दे रहे हैं, उनसे हमारी आमदनी घटेगी लेकिन हमारे वित्तमंत्री जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि साधारण राजस्व 23 प्रतिशत बढ़ा है और जब हम ने व्यक्तिगत आयकर में छूट दी थी, तो यह कहा गया था कि इस से हमारी आमदनी घटेगी लेकिन हमारा अन्दाजा यह है कि हमारी आमदनी इस मद में 38 प्रतिशत बढ़ेगी। हमारे पास गेहूं का स्टाक करीब ढाई करोड़ टन होगा, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसा कि अभी स्वैल साहब जिक्र कर रहे थे कि ट्राइबल्स को कम दामों पर हम इसको दे रहे हैं और वह इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसका स्टाक था। औद्योगिक विकास की जो दर है, वह लगभग 8 फीसदी बढ़ी है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा साढ़े छः हजार करोड़ रुपये है। आज से 10-11 साल पहले वह 700 करोड़ रुपये थी। बहुत कम देशों ने दुनिया में मुद्रा-स्फीति पर नियंत्रण रखा है और हिन्दु-

[श्री ब्रह्म दत्त]

स्तान उन देशों में से एक देश है। इस ने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए, मैं 21वीं सदी की बात नहीं करता, मैं 1990 की बात करता हूं, 1990 तक ले जाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपनी योजना के आकार को ठीक रखें और उसके लिए हमें दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम किसी भाव पर, किसी भी कीमत पर अपने भविष्य को अ तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं पर गिरवी नहीं रखेंगे और हम मुद्रा-स्फीति को बढ़ने नहीं देंगे।

आप मंहगाई की बात करते हैं। मंहगाई के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि चार, पांच चीजों की कीमत बढ़ा दी जाए और दूसरा यह कि साधारण मुद्रा-स्फीति बढ़ा दी जाए, जिससे सभी चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। वह रास्ता भिन्न है और वह रास्ता नहीं अपनाया गया है। इसके लिए मैं सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि एडमिनिस्टर्ड प्राइसेज के बारे में एक नई नीति बनाई जाएगी और एक दूरगामी नीति बनाई जाएगी कीमतों को तर्क-संगत बनाने के लिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि योजना के जो लक्ष्य हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए निश्चित रूप से हमें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना चाहिए। सबसे बड़ी कठिनाई पेट्रोल की है।

हमारे यहां जो पेट्रोल है यह हमें पांच साल या दस साल और मिलने वाला है। इसके विकल्प के लिए हमें सोचना पड़ेगा और निकट भविष्य में सोचना पड़ेगा। इसका विकल्प है हमारे रिन्युएवल रिसोर्सिज आफ एनर्जी। उनके ऊपर भी हमारा भविष्य निर्भर है।

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि गेहूं का दो सौ रुपये क्विन्टल दाम बढ़ाने की बात की जाती है, धान का दाम बढ़ाने की बात की जाती है, गन्ने का दाम 35 रुपये क्विन्टल बढ़ाने के लिए आन्दोलन किया जाता है। लेकिन जब चीनी का दाम बढ़ाया जाता है तो उस पर एतराज़ होता है। ये दोनों चीजें साथ-साथ नहीं चल सकतीं। हमारे विपक्ष के लोग यहां कहते हैं कि हमने दाम बढ़ाये हैं लेकिन वे ही लोग उनसे जा कर कहते हैं कि ये दाम होने चाहिए। एक तरफ वे कीमतें बढ़ाने के लिए आलोचना करते हैं, दूसरी तरफ वे उनसे कीमतें बढ़ाने के लिए कहते हैं। ये दौनों चीजें साथ-साथ नहीं हो सकतीं। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि पेट्रोल का विकल्प इंडस्ट्रियल एल्कोहल पावर एल्कोहल बन सकता है पिछली दफा भी हमने इसका जिक्र किया था। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए।

एक चीज मैं नम्रतापूर्वक वित्त मंत्री जी, योजना मंत्री जी और विशेष तौर से प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि योजना का आकार उतना महत्व नहीं रखता है जितना कि योजना के पैसे का व्यय। अभी श्री पी० आर० दास मुन्शी बता रहे थे कि 32 सौ करोड़ रुपये की योजना में से 22 सौ करोड़ रुपये खर्च हुआ। दस सौ, बारह सौ करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। इस पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए।

हमारे सामने प्रदेश की बात आती है और कहा जाता है कि बढ़ी हुई कीमतों का फायदा प्रदेशों को नहीं हो रहा है। लेकिन चाहे फाइनेंस कमीशन के जरिये से हो, चाहे योजना आयोग के

जरिये से हो, आप देखिए कि 86-87 के लिए किसी भी प्रदेश की योजना का आकार 15 फीसदी से 25 फीसदी तक से कम नहीं बढ़ा हैं। लेकिन इस बात की सख्ती होनी चाहिए कि इसके धन का पूरा उपयोग हो और पूरे धन का सख्ती से इस्तेमाल हो। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा।

कभी-कभी राजनीतिक स्वार्थ में और देश के आर्थिक भविष्य में थोड़ा विरोध हो जाता है। लेकिन अच्छी सरकार वह होती है जो दूरगामी प्रभाव के लिए सख्त निर्णय करे। चूंकि सारा मामला योजना पर आगया है, मैं एक चीज योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे जो विशेषज्ञ हैं, हमारे जो अधिकारी वर्ग हैं, उनसे हमें सूचना तो लेनी चाहिए लेकिन निर्णय स्वयं करने चाहिए—चाहे वे योजना बनाने के लिए हों, चाहे योजना को क्रियान्वयन के लिए हों, चाहे साधन जुटाने के लिए हों। ये राजनीतिक निर्णय होने चाहिए और ये राजनीतिक लोगों को करने चाहिए।

आज हम जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति से आगे बढ़ने के लिए अगर हम सर्व सम्मति से निर्णय करें कि हमें ये लक्ष्य पूरे नहीं करने है, अपनी योजना का आकार नहीं बढ़ाना है तो हमें एक भी पैसा बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न पेट्रोल का दाम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, न किरोसीन आयल का दाम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हम यह कहें कि हमें नहीं बढ़ाना हैं। अगर हम यह मांग करें कि हमें इस प्रदेश के लिए पैसा चाहिए, उस प्रदेश के लिए पैसा चाहिए तो हमें उसकी कीमत किसी न किसी रूप में अदा करनी पड़ेगी।

आप बजट पेश करने वाले है। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब्सीडी का मामला जो है, इसका स्वरूप बदलिये। इतनी बड़ी सब्सीडी फर्टिलाइजर पर है, जो कि पांच साल में देने की थी, आप दो साल में दे रहे है। आप एल० पी० जी० पर सब्सीडी दे रहे है, किरोसीन पर 71 पैसे पर लीटर दे रहे हैं। इसका स्वरूप थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा। आप आई० आर० डी० पी० में सब्सीडी दे रहे है और दूसरी चीजों पर दे रहे हैं : यह ठीक है। लेकिन उनको आप ब्याज की दर कम करके दीजिए। उनको लम्बे अर्से में रीपेमेंट ले कर दीजिए। यह जो केश सब्सीडी है, यह भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा माध्यम है। इससे जिनको लाभ मिलना चाहिए, उनको लाभ नहीं मिल पाता है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि हम इसका सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ़े। जो विकल्प हमारा सबसे अच्छा हो उसका इस सदन को समर्थन करना चाहिए। इससे देश का भविष्य उज्ज्वल होगा और देश का भविष्य गिरवी नहीं रखा जायेगा। यह सख्त कदम है और हमें सख्त कदम भविष्य के लिए उठाना पड़ता है।

7.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री विजय गोस्वामी (गौहाटी) : अध्यक्ष महोदय, श्री भागवत झा आजाद और श्री प्रिय रंजनदास मुंशी मेरे प्रिय साथियों ने अपने भाषणों में विरोधी पक्ष पर यह आरोप लगाया है कि राजनैतिक उद्देश्य के लिए इस प्रस्ताव को लाया गया है। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक मेरा संबंध है मेरा कोई राजनैतिक स्वार्थ नहीं है। मैं राजनैतिक लाभ नहीं

[श्री दिनेश गोस्वामी]

लेना चाहता हूं क्योंकि पिछले कुछ महीनों में असम में राजनीतिक लड़ाई लड़ी गई है और लोगों ने अपना फैसला दिया है तथा उसके परिणामस्वरूप हम सत्ता में आए हैं।

यदि हमने इस स्थगन प्रस्ताव को रखा है तो हमने इसे इसलिए रखा है क्योंकि हम महसूस करते हैं कि यह वह विषय है जो आम लोगों से संबंधित है और लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम नहीं चाहते हैं, कम से कम हमारा दल नहीं चाहता है कि हमारा रवैया केन्द्रीय सरकार के साथ विरोधात्मक हो। हम केन्द्रीय सरकार के साथ सहयोग करना चाहते हैं और जब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा करेंगे तब हम अपनी राजनैतिक स्थिति को स्पष्ट बताऐंगे। लेकिन हमने, निजीतौर से मैंने यह प्रस्ताव रखा है क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि अनिवार्य वस्तुओं के नियमित मूल्य को बढ़ाने का फैसला चार कारणों से ठीक नहीं है।

पहला, यह अनैतिक है क्योंकि इसे संसद की सहमति के बिना किया गया है और यह संसद का अपमान करना है।

दूसरा, सरकार ने मूल्यों में वृद्धि के जो उद्देश्य बताए हैं उनका कोई तर्कसंगत आधार नहीं है।

तीसरा, यह कि सरकार की गलत नीतियों ने आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया है जिससे इन नियमित मूल्यों में वृद्धि न केवल बुरा प्रभाव डालती है बल्कि यह युक्तिसंगत भी नहीं है; और

चौथा, यह पूर्णरूप से लोगों के विरुद्ध है क्योंकि इससे गरीबी की रेखा के नीचे के लोग प्रभावित होंगे।

पहली पंक्ति में श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी ने मुझे समर्थन दिया है जिन्होंने कहा, "कृपया भविष्य में ऐसा न करें" यदि यह उचित नहीं है, और यदि यह एक उपाय है जिसका भविष्य में समर्थन नहीं किया जा सकता और सरकार को भविष्य में इसका सहारा लेने से छोड़ने को कहा जाए तब इसका अर्थ है कि जो कुछ पहले हुआ वह सही नहीं है। वास्तव में, संसदीय लोकतंत्र नींव परिपाटी पर आधारित है। हमने वेस्टमिनिस्टर माडल को स्वीकार किया है तथा वेस्टमिनिस्टर माडल का मूल सिद्धांत यह है कि संसद की सहमति के बिना सरकार द्वारा एक पैसा भी नहीं लिया जा सकता और सरकार संसद की मंजूरी के बिना साधनों को नहीं बढ़ाएगी।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस विषय पर संसद ने किंग चार्ल्स के शासन काल में अपने अधिकार का प्रयोग किया था और किंग चार्ल्स का सिर उड़ा दिया गया था क्योंकि संसद ने किंग चार्ल्स को स्वयं साधनों को एकत्र करने की मंजूरी नहीं देने का निर्णय लिया था। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अमरीका का स्वतंत्रता का युद्ध इसी सिद्धांत पर लड़ा गया था कि प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं लगेंगे।

तेलगू देशम के माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि लड़ाई के समय में नियमित मूल्यों में वृद्धि का औचित्य हो सकता है। अन्य देशों में इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के

कारण यह आवश्यक हो जाता है। परन्तु साधनों को एकत्र करने के हथियार के रूप में यह युक्तियुक्त नहीं हो सकता या ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस मामलों में बजट की पूरी पवित्रता समाप्त हो जाती है।

मुझें इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का पता उस समय चला जब मैं गोहाटी में था। अचानक दूरदर्शन पर मैंने सुना कि 17 तारीख से बजट सत्र शुरू हो रहा है लेकिन अगली सुबह यह घोषणा की गई कि वह गलत सूचना थी। परन्तु नियंत्रित मूल्यों को बढ़ाने के बाद संसद की बैठक की गई थी। आमतौर पर बजट सत्र हमेशा सप्ताह के पहले दिन, सोमवार से शुरू होता है। लेकिन इस समय बजट सत्र सोमवार की बजाए गुरुवार को हुआ। ऐसा क्यों किया गया है जब कि दूर दर्शन ने घोषणा की थी कि बजट सत्र 17 तारीख से शुरू होगा और तब इसे 20 तारीख तक स्थगित क्योंकि किया गया था ? क्योंकि सरकार ने इसे अचानक महसूस किया है ?

(व्यवधान)

कम से कम पहले भाषण (मेडन स्पीच) पर व्यवधान डालने की परम्परा का पालन करें।

अध्यक्ष महोदय : मेडन को मेडन ही रहने दें।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिनेश भाई कितने साल तक मेडन स्पीच देते रहेंगे, हर बार ये मेडन स्पीच देते हैं।

[अनुवाद]

श्री भागवत झा आजाद : वह एक वृद्ध महिला है।

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं अपने माननीय साथी को एक बात बताना चाहता हूं, न कि उत्तर देना चाहता हूं।

श्री दिनेश गोस्वामी : केवल आधा मिनट; कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्री एच० के० एल० भगत : आप कुछ मुझे उठा रहे हैं। यदि आप अनुमान लगा रहे हैं कि मूलरूप से 17 तारीख को संसद बुलाने का निर्णय किया गया था और बाद में मूल्यों में वृद्धि करने के बाद इसे 20 तारीख तक स्थगित किया गया था तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17 तारीख को संसद को बुलाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। एक प्रक्रिया है और वह समाचार पूरी तरह से गलत था तथा इसलिए इसका खण्डन किया गया था क्योंकि जो मूल निर्णय लिया गया था, वह 20 तारीख को संसद को बुलाने का था।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : कम्पोज करने वाले की गलती है।

श्री विनेश गोस्वामी : तो क्या मैं यह समझूं कि सरकार तथा दूरदर्शन के बीच सूचना के आदान-प्रदान में कमी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह विश्वसनीयता में अन्तर है।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं जानता हूं कि जो कुछ किया गया है उसे बदला नहीं जा सकता परन्तु कम से कम सरकार से हमें यह आश्वासन मिल जाना चाहिए कि भविष्य में साधन संग्रहत के लिए नियंत्रित मूल्य में वृद्धि करने के उपाय का सहारा नहीं लिया जाएगा जो पूरी बजट प्रक्रिया को हास्यास्पद बनाता है।

दूसरी बात यह है कि वे कौन से उद्देश्य हैं जिन्हें इस वृद्धि द्वारा प्राप्त किया जाना है। सुबह यह बताया गया है कि पेट्रोलियम खपत में वृद्धि हुई है और इसलिए यह आवश्यक है। इसकी प्रशंसा करता। लेकिन यह वही आधार है जिसे वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष बजट भाषण में भी स्वीकार किया है। क्या मैं पिछले वर्ष के उनके बजट भाषण का उल्लेख कर सकता हूं ? उन्होंने कहा था :

> "हमें अपने खर्च को और कम करना चाहिए और कुछ दक्षिण अमरीका के देशों के कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। पेट्रोलियम उत्पाद पर हमारी विदेशी मुद्रा भारी मात्रा में खर्च होती है और यह आयात का भारी मद है। यह इसके लिए है कि हमने इस देश को संकेत देने का निर्णय किया है कि इस तरह की ऊर्जा जिसको हमें स्थानांतरण करना होगा, जिसको हमें सुरक्षित करना होगा, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए।"

क्या मैं जान सकता हूं कि गत वर्ष उन्होंने जो वायदा किया था, उसमें कितनी सफलता मिली है। हालांकि अपने उपायों के कारण यदि सरकार पिछले वर्ष के दौरान पेट्रोलियम को बचा सकती थी तो वे नैतिक अधिकार से सदन में आ सकती है और कह सकती है कि वे इस नियंत्रित मूल्यों में वृद्धि के द्वारा पेट्रोलियम को आगे भी बचा कर रखना चाहते हैं। परन्तु यदि वे उसे सुरक्षित रखने में असफल होते हैं तो आम लोगों को अपना दायित्व सौंपने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए, सदन में सुबह मैंने यह प्रश्न पूछा कि क्या सरकार कृपया हमें बताएगी कि बजट प्रस्तावों के दौरान लिए गए निर्णयों के कारण कितनी ऊर्जा की बचत की गई थी, और उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। वास्तव में हमें बताया गया है कि पेट्रोलियम की खपत 7 प्रतिशत बढ़ी है और माननीय पेट्रोलियम मंत्री ने भी दूरदर्शन के जनवाणी कार्यक्रम में बताया है कि सरकारी क्षेत्रों द्वारा 30 प्रतिशत से अधिक की खपत है। परन्तु, महोदय, सरकार को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि उनके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के पास आज अपने वाहन नहीं हैं। वे वाहनों को किराए पर लेते हैं और पेट्रोलियम की खपत नहीं दिखाते है। वे केवल यह बताते हैं कि उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है। इसलिए, आम लोगों को जिम्मेदारी सौंपने से पहले सरकार को इस देश को यह बताने की जिम्मेदारी है कि, "जी हां, जो कुछ हम पेट्रोलियम को बचाने के लिए कर सकते थे।" हमने अपनी ओर से किया है उसके कुछ आधार दिए होंगे क्योंकि अगले वर्ष वह फिर यही कारण दिखायेंगे कि "यहां देखिए" पेट्रोलियम की खपत में 8 प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसलिए आम व्यक्ति को अपनी कमर कसनी चाहिए तथा हम पेट्रोलियम का आन्तरिक कीमत बढ़ा रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रत्येक पेट्रोल पम्प में आपको पेट्रोल सस्ती दर पर मिलता है लेकिन भारत में नहीं। यह स्थिति है। मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि जैसा कि मेरे विद्वान दोस्त ने, जो मुझसे पहले बोले थे, कहा कि स्थिति से निपटने के लिए अन्य विकल्पों का सुझाव कौन दे सकता है। मैं प्रधान मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हर सप्ताह, हर महीना करोड़ों रुपये मूल्य की प्राकृतिक गैस बरबाद की जा रही है। आपने असम में उसे जला कर करोड़ों रुपए की प्राकृतिक गैस बरबाद की है। इसका आम आदमी को राहत देने में इस्तेमाल क्यों नहीं किया

जाता है। आप प्राकृतिक साधनों की बरबादी करके अपराध करते हैं और उसकी जिम्मेदारी अन्य लोगों पर डाल देते हैं। वित्त मंत्री जी ने क्या प्रयास किए हैं, इस प्राकृतिक गैस के उपयोग को करने के लिए पेट्रोलियम मंत्री जो ने क्या प्रयास किए है। हमने असम में कई वर्षों तक आवाज उठाई हैं कि कृपया इस प्राकृतिक गैस, बहुमूल्य प्राकृतिक गैस का उपयोग करें जो इस देश के आम व्यक्ति को राहत दे सकती है। लेकिन आप तो इसको बर्बाद कर रहे हैं और अपराध करते और आम व्यक्ति पर जिम्मेदारी सौंप रहे हैं ? मैं संबंधित मंत्री जी से यह आश्वासन चाहूंगा कि असम में गैस की जो भारी बर्बादी हो रही है उसको रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं··· **(व्यवधान)**

श्री प्रिय रंनजदास मुन्शी : क्या आप बताऐंगे कि वहाँ पर कितनी बरबादी हुई है ?

श्री विनेश गोस्वामी : आप जानना चाहते हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से आप कह रहे हैं कि आन्दोलन गलत है लेकिन प्रधानमंत्री जी अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचे···· **(व्यवधान)**

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैंने कहा था कि कितने प्राकृतिक साधनों को बरबाद किया गया है।

श्री विनेश गोस्वामी : फिर भी प्रधान मंत्री जी को सहमत होना पड़ा था कि आन्दोलन ठीक था।

दूसरी बात यह है कि सरकार मोटर कार और स्कूटर के उत्पादन के लिए 60% या 30% तक विस्तार कर रही है। क्या आप समझते हैं कि ये मोटर कार और स्कूटर पानी से चलेंगे ? फिर भी यदि आप इनका उत्पादन बढ़ायेंगे तो लोग इन्हें खरीदेंगे। क्या आप समझते हैं। कि लोग मोटर कार या स्कूटर को खरीदने के बाद अन्य लोगों को दिखाने के लिए उन्हें गेरेज में रखेंगे ? प्रत्येक नई मोटर कार या स्कूटर का मतलब होगा पेट्रोल की खपत में वृद्धि। मैं सरकार की नीति जानना चाहता हूं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम पेट्रोल की खपत में कटौती करना चाहते है। दूसरी ओर आप मोटर कार और स्कूटर के उत्पादन के लिए लाइसेंस देते हैं। इन सभी नीति निर्णयों के पीछे क्या औचित्य है ? हम जानना चाहते हैं कि आप इस स्थिति से कैसे निबटेंगे। और आम व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपने से पहले हमें संतुष्ट होना चाहिए कि हमने संसद में यह उपाय ढूढने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि पेट्रोल की खपत में कटौती करने का और कोई रास्ता निकल आए। इसलिए हमें यह आखरी कदम उठाना पड़ेगा।

महोदय, आपने घन्टी बजा दी है। मैं एक या दो मिनट से अधिक नहीं लेना चाहता हूँ। मैं वित्त मंत्री जी से इसका उत्तर चाहता हूँ। आप लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के बारे में बात करते हैं। क्या यह सही नहीं है कि इनके द्वारा तो आप बहुत सारे लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ला रहे हैं ? आप लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेल रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि मैं आपको ऊपर उठा रहा हूँ। क्या सरकार का कार्य करने का यही तरीका है। आज ऐसे लोग हैं जो सीमान्त रूप से गरीबी रेखा पर या गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर हैं और इन उपायों के द्वारा इन लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेला जा रहा है। यह अन्त नहीं है। जैसा कि पता चला है एक बहुत गंभीर बात हुई है। दि इंडियन एक्सप्रेस ने कल बताया है कि रेलवे बजट का समाचार पूरी तरह से बाहर आया है। मैं दि इंडियन एक्सप्रेस से उद्धृत करना चाहता हूं। यह बताता है।

[श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी]

1986-87 के रेलवे बजट का यह सनसनी खेज भेद खोल दिया है कि कलकत्ता के एक भाषायी समकालीन समाचार पत्र ने बताया है कि अप्रैल से यात्री किराये और सरचार्ज में 10.15 प्रतिशत और माल भाड़े में 7.12 प्रतिशत की और वृद्धि होगी।

मैं एक बात जानना चाहता हूँ.....

श्री भागवत झा आजाद : यह केवल अनुमान ही हो सकता है।

श्री दिनेश गोस्वामी : नहीं, यह अनुमान नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, अगर मैं इसकी पुष्टि या इंकार करता हूँ तो बजट लीक हो जाएगा।

श्री दिनेश गोस्वामी : घटनाएं बता देगीं, बजट बता देगा। बजट के ब्यौरे यहां रखे गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : हर साल यही होता है। कोई न कोई कुछ कहता है। दिनेश गोस्वामी जी, जब तक प्रमाणित न हो जाए इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।

श्री दिनेश गोस्वामी : मैं माननीय मंत्री से पूछता हूं **(व्यवधान)** अब हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि किराया और भाडे में जिसमें आम आदमी को और नुकसान होगा और वृद्धि होगी और श्री वी० पी० सिंह भी घर में परेशानी में पड़ गए हैं क्योंकि हमने जनवाणी कार्यक्रम में देखा कि उनकी पत्नी ने उनकी आलोचना की थी। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता और न ही उनकी घरेलू परेशानियां बढ़ाना चाहता हूं। जहां तक घर का सम्बन्ध है हम सब परेशानी में हैं, हर कोई परेशानी में है। अचानक देश को सूचित किया गया कि कीमतें कम कर दी गई हैं और ऐसा कांग्रेस दल के दबाव के कारण किया गया। इस दौरान कुछ किस्से बने। एक ने मुझ से पूछा क्या यह सच नहीं है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राजीव गांधी ने प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी से बड़ी दृढ़ता से कहा कि आपको कीमतें घटानी होंगी और प्रधान मन्त्री को बहुत अनिच्छा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की बात मान कर कीमतें घटानी पड़ीं? क्या मैं प्रधान मन्त्री जी से एक बात पूछ सकता हूं? क्या कांग्रेस पार्टी ने ही कीमत वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाई थी? सारे देश ने विरोध में आवाज उठाई थी। सारी जनता ने आवाज उठाई थी। सरकार को कम से कम आम आदमी का सम्मान करना चाहिए था और कहना चाहिए था कि आम आदमी द्वारा दबाव डाले जाने के कारण कीमत कम की गई है। मैं इस घटना कि तुलना एक बात से कर सकता हूं। मुकदमा चलाये बिना एक आम आदमी को फांसी की सजा सुनायी गयी। उसने विरोध किया और याचिका दायर कर दी। अपील अधिकारी ने अपना निर्णय दिया और उस गरीब को बताया कि उन्होंने उसकी याचिका सुनी है और वह उसकी सजा को इस प्रकार इतना कम कर रहा है कि अब फायरिंग स्क्वैड उसको मौत के घाट उतारेगा। सरकार ने भी अब यही रवैया अपना लिया है मेरे विद्वान मित्र श्री आजाद जी ने कड़े निर्णय की बात की। मैंने देखा कि बोलते समय वह बहुत कठिनाई में थे और उन्हें कड़े निर्णय लेने पड़े।

मैंने यह देखा है ... ...

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब गुगली आ रही है।

श्री भागवत् झा आजाद : वे मुझे हरा नहीं सकते । मेरी स्थिति मजबूत है ।

प्रो० मधु दण्डवते : इस तरीके से तो इन्हें गुट निरपेक्षता के बारे में बोलना है ।

श्री दिनेश गोस्वामी : हमें बताया गया है कि बेहतर भविष्य के लिए लोगों को अपना वर्तमान कुर्बान करना पड़ता है । हमें बताया गया है कि अच्छे भविष्य के लिए लोगों को अपना आज बलिदान करना पड़ता है । मैंने कोहिमा में. द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए जवानों की समाधिस्थल पर यह लेख लिखा देखा था । तो यह आज आम आदमी की समाधि पर भी लिखा है । और कब्र में पड़े हुए उस आम आदमी से कहलाया जाता है कि अगर हम मर गए तो क्या हुआ क्यों कि हमने आज अपना जीवन एक बेहतर भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत संक्षेप में अपनी भावनाओं को आपके सामने व्यक्त करना चाहती हूं और पूर्व में जो हमारे वक्ताओं ने कहा है, उसकी पुनरावृत्ति भी मैं नहीं करना चाहती हूं ।

अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे सामने आर्थिक सवाल था लेकिन इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है और ऐसा लगता है कि आलोचना करने की नीयत ही आलोचनात्मक बातें कही गई हैं । आलोचना करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जब यह आलोचना वास्तव में रचनात्मक हो, तो यह बड़ी अच्छी होती है ।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ कि हमारे अनुभवी नेतागण जो हमारे सामने विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने दूरदर्शिता नहीं अपनाई है । हमारे अनुभवी नेता माननीय मधु दण्डवते जी 1977 के वर्ष को नहीं भूले होंगे, न ही हम भूले हैं, जब देश के राजनीतिक क्षितिज पर एक खिचड़ी दल उभरकर आया और कई विरोधी पार्टियों ने अपने-अपने नाम का चोला उतारकर फेंक दिया और एक नई पार्टी, जनता पार्टी बनाई ।

मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि उस समय कितनी मुद्रास्फीति बढ़ी या मैं यह कहूं कि मंहगाई उस समय आसमान को छू गई । आपको स्मरण होगा जब आपकी पत्नी, श्रीमती प्रमिला दण्डवते और जॉर्ज फर्नाण्डीज साहब की पत्नी ने उस वक्त की मंहगाई के विरोध में एक रैली की और वह दो घंटों तक हुई, उसके बाद वाइस प्रेसीडेंट साहब के समक्ष उन्होंने अपना एक मेमोरेण्डम भी दिया था ।

मैं 15 सितम्बर, 1979 के इंडियन एक्सप्रेस को इस संदर्भ में पढ़ना चाहती हैं ।

[अनुवाद]

"कीमतों में वृद्धि के खिलाफ महिलाओं की रैली"

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इससे पता चलता है कि हमारे परिवारों में आजादी है ।

प्रधानमंत्री (श्री राजीव गांधी) कितनी ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास वह फोटो अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है, वे चाहेंगे तो मैं उन्हें कल दे सकती हूं। जार्ज फर्नाण्डीज की पत्नी श्रीमती लैला और श्रीमती प्रमिला दण्डवते सहित तकरीबन चार सौ महिलाएं थीं।

[अनुवाद]

सारे शहर से लगभग 400 महिलाएं बेलन, खाली डिब्बे और थाली लिए आज दोपहर अनिवार्य वस्तुओं के दामों में हुई वृद्धि का विरोध करने के लिए वोट क्लब पर इकट्ठी हुईं।

उन्होंने मांग की कि उचित दर की दुकानों पर अनिवार्य वस्तुओं को नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए तत्काल उपाय किए जाएं।

बीच-बीच में उन्होंने बेलनों से अपने टीन और थालियां बजायीं और चिल्ला-चिल्ला कर कहा कि श्री चरणसिंह के कार्यकाल के दौरान कीमतें बढ़ी हैं।

[हिन्दी]

दूसरी बात में यह कहना चाहती हूं :

[अनुवाद]

"रैली में भाग लेने वालों में श्रीमती प्रमिला दण्डवते, श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय, डा० सुशीला नायर और श्रीमती सरोजनी मोहिणी थी।"

"रैली आयोजित करने वाले प्रमुख संगठन महिला दक्षिता समिति, इंडियन फेडरेशन आफ हाउस वाईफस्, ग्रामीण महिला संघ....."

[हिन्दी]

इसी तरह से अन्त में, कहना चाहती हूं।

[अनुवाद]

"दिल्ली प्रदेश जनता पार्टी ने भी इसमें भाग लिया था"

[हिन्दी]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : कृष्णा जी वही तो आपको इस समय करना चाहिए।

श्री कृष्ण साही : गीता जी, अगर आप "भारत बन्द" करेंगी और हड़ताल करेंगी और फिर चाहेंगी कि प्रगति हो, तो यह तो आप ही समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रगति होगी, हम लोग तो इसको नहीं समझ सकते।

अध्यक्ष जी, अभी-अभी विपक्ष से यह बात आई कि नियम का उल्लंघन किया गया है और हमारी एक परिपाटी चली आई है और बजट सत्र होने वाला है और इस बजट सत्र में ही मूल्य वृद्धि

की चर्चा होनी चाहिये थी। न कि पहले मूल्य वृद्धि उठानी चाहिये। मेरी समझ में तो यह एक प्रशासनिक कदम उठाया गया है। यह तो मूल्य वृद्धि है न कि कर वृद्धि। अगर कर वृद्धि की बात होती तो इसे अवश्य ही बजट सत्र में लाते। मेरा कहना तो यह है कि कुछ बुनियादी बातें हैं। जिस की बजह से यह कदम उठाया गया। जब से पंचवर्षीय योजना की शुरूआत हुई, जब से कांग्रेस सत्ता में आई तब से ही अपने देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस की नीतियों, कार्यक्रमों का विरोध किया है। परन्तु हमारे यहां कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि हमेशा हमारे अच्छे कामों का भी विरोध करते आए हैं। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू और इन्दिरा गांधी के समय से लेकर आज तक समाज में और देश में गरीबों के लिए जो भी नये कार्यक्रम बनाए गए उनका इन्होंने हमेशा विरोध किया। इसका विरोध करने वाले वही लोग थे जोकि जनसंघ से छूटे और भारतीय जनता पार्टी में चले आए। स्वतंत्र पार्टी के कुछ लोग इधर उधर आए और वह लोकदल और भाजपा में चले गए। वही तत्व इन बातों को उठा रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि इसमें षड़यंत्र की बू आ रही है। जो कि एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले आये और जनता पार्टी बनायी। इनमें षड़यंत्र की बू आ रही हैं।

मैं आपके सामने एक बात यह रखना चाहती हूं कि जो भी दूरगामी कार्यक्रम है वह हमेशा अपनाये गये हैं। वह भी किस कारण से अपनाये गये हैं कि दूसरे देशों के साथ हम भी कदम से कदम मिलाकर आगे चल सकें और प्रगति के रास्ते पर चल सकें। मूल्य वृद्धि से सभी को तकलीफ होती है, लेकिन सरकार जानबूझकर ऐसा नहीं करती है। यह इस कारण से किया गया है कि हम ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें। आज हमारे लिए यह कम गौरव की बात नहीं है कि 1985 में जब विकास की बातें चलती हैं तो हम पाते हैं कि अन्य देशों की तरह हम भी सुदृढ़ रास्ते पर चल रहे हैं। हम इसी प्रकार कदम व कदम आगे बढ़ते जायेंगे। हम थके पथिक की भांति अपनी मंजिल तक पहुंचते चले जायेंगे। हमारा कोई भी कार्यक्रम या उपलब्धि होती है तो विरोधी दल वाले इसका विरोध करते हैं। इसलिए हमारी यह भावना है कि जो भी सही रास्ता हो वह हमें अपनाना चाहिये।

अभी सार्वजनिक क्षेत्र की बात कही गई है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने उसके लिए पर्याप्त राशि का आवंटन किया है। जब सार्वजनिक क्षेत्र की बात कुछ दिन पहले चली थी तो इन्होंने बवाल खड़ा किया और कहा कि कांग्रेस समाजवाद, के रास्ते से हट गई है। जब अधिक राशि आवंटित की गई है और हर तरह से साधन मुहैय्या किये जा रहे हैं तो विरोधी दल वाले कहते हैं कि आपने बहुत अधिक राशि आवंटित कर दी है। अगर योजना में कटौती की जायेगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे और न ही मूल्य वृद्धि को रोक सकेंगे। आज हम गरीबों के लिए जो कार्यक्रम बनाते हैं वृद्धावस्था पेंशन देते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन देते हैं। और गरीबों को सबसिड़ी देते हैं, वरना हमारे यह सारे कार्यक्रम ठप्प हो जायेंगे। आज यह जो मूल्य वृद्धि हुई है यह सही हुई है और यह एक दीर्घकालीन योजना है। इस कारण से मैं इसका समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : अध्यक्ष महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों में परिवर्तन करके की गई कीमत वृद्धि के मामले पर ध्यान दिलाने के लिए है। निस्सन्देह, यह एक ऐसा मामला है जिसे सरकार की आर्थिक और वित्तीय नीतियों से अलग नहीं

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

किया जा सकता। मैं यह जानता हूं। लेकिन इस अवसर पर इन सब बातों पर चर्चा करना बहुत कठिन है। पहली बात तो यह कि पर्याप्त समय नहीं है दूसरी बात यह कि बजट पर आम चर्चा की जानी है और सरकार की वित्तीय औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र संबंधी सामान्य नीतियों पर चर्चा करने के लिए वही उपयुक्त समय होगा।

कुछ लोगों ने चर्चा में कुछ अन्य असंगत बातों की भी चर्चा की। यहां हम गुट-निरपेक्षता तथा साम्राज्यवाद विरोधी चर्चा नहीं कर रहे हैं लेकिन श्री भागवत झा आजाद जी ने थोड़ी देर इस पर भी बोलने की कोशिश की। मेरे युवा मित्र श्री प्रियरंजन दास मुन्शी ने पं० बंगाल और कुछ ऐसे तथ्यों का, जिन्हें स्वयं मुख्य मंत्री ने नकार दिया है लेकिन जिन पर इन्होंने विश्वास किया है, का उल्लेख करके विषय से हटने की कोशिश की। बहरहाल इन सबका इस चर्चा में उल्लेख करना असंगत है। मैं उन बहुत सी बातों को दोहराना नहीं चाहता जिनका उल्लेख मेरे मित्र पहले ही कर चुके हैं। पहली बात तो यह कि सदन के उस पक्ष के प्रवक्ता ने अभी तक इस बात का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है कि सदन की पीठ पीछे यह चालाकी करने की क्या जरूरत थी। आप कहेंगे कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पर हम तो इसे महत्वपूर्ण बात समझते हैं। आप संसद का सत्र शुरु हो जाने पर ऐसा कर सकते थे। यहां आपका भारी बहुमत है। आप जो चाहे पारित करा सकते हैं। तो कोई भी यह नहीं बता सकता कि संसद का सत्र आरम्भ होने से एकदम पहले ऐसा करना क्यों जरूरी हो गया।

इसके दो कारण थे। पहला तो यह कि आपको संसद से स्वीकृति लेने की परेशानी नहीं उठानी पड़ी, दूसरा आपको आय का जरा सा भी हिस्सा राज्यों के साथ नहीं बांटना पड़ा। इसी एक कारण से आपने ऐसा किया है। स्थिति में अनेकों विरोधाभास है भरपूर फसल हुई है। खाद्यान्न का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। गोदाम भरे पड़े हैं। अनाज रखने के लिए जगह नहीं है। आप पंजाब जाइए। आप देखेंगे कि तिरपाल के नीचे अनाज खुले में पड़ा है। ऐसे समय पर आपको चावल और गेहूं का निर्गम मूल्य बढ़ाना पड़ा।

आपने किसानों को गेहूं का प्रति क्विंटल मूल्य 5 रुपए ज्यादा दिया पर उसका निर्गम मूल्य 18 रुपए बढ़ा दिया। इसके पीछे क्या तर्क है? हमें यह बात समझ में नहीं आई। वैसे भी समाज का थोड़ा सा अमीर वर्ग ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर है क्योंकि वे खुले बाजार से नहीं खरीद सकते और प्राय: अधिकतर जगहों पर, मैं नहीं कहता कि सारी जगहों पर, राशन की दुकानों पर सप्लाई किए जाने वाले खाद्यान्न की किस्म बहुत खराब होती है। आपने कीमतें बहुत अधिक बढ़ा दी हैं। लेकिन किसानों को आप केवल पांच रुपए अतिरिक्त दे रहे हैं जबकि उप-भोक्ता से आप 18 रुपए अधिक ले रहे हैं। तो इसकी तुक क्या है? कृपया स्पष्ट करिए। इस विरोधाभास को मैं समझ नहीं सका।

तेल की कीमतों का उल्लेख किया गया है। आपका तर्क है कि आप तेल की खपत में कटौती करना चाहते हैं। विश्व में हर जगह तेल की कीमतें कम है। सात सालों में पहली बार क्रूड की कीमत प्रति बैरल 15 डालर हुई है। इसमें ओर भी कमी हो सकती है। ऐसे में आपने कीमतें इतनी अधिक महज इसलिए बढ़ा दी क्योंकि आप पेट्रोल की खपत कम करना चाहते हैं।

आपको तेल की खपत कम करनी चाहिए क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारी स्थिति तंग है। लेकिन कीमतें बढ़ाकर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। हम समझने में असमर्थ हैं। अन्य बहुत से लोगों ने भी यह प्रश्न पूछा है। अगर आप पैट्रोल की खपत के बारे में गम्भीर है तो आपको यहां राशन प्रणाली शुरू करनी चाहिए। पेट्रोल की राशनिंग की जानी चाहिए। क्यों नहीं की जानी चाहिए? वायुदूत सेवा का विस्तार किया जा रहा है मेरे विचार से इसके विमानों को उड़ाने के लिए अधिक ईंधन की जरूरत पड़ेगी कारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। विलासितापूर्ण कारों के लिए आप विदेशों से आटो मोबाइल संघटकों का आयात कर रहे हैं। कार का बाहरी ढांचा ही एक ऐसी वस्तु है जिसका आयात नहीं किया गया है बाकी और हर चीज का आयात किया जा रहा है। क्या यह इतना जरूरी है? किसके लिए? क्योंकि आजाद जो चाहते हैं कि लोगों को संकेत दिए जा रहे हैं। किस वर्ग के लोगों को आप ये संकेत दे रहे हैं? ये लोग तो अपनी कमर इतनी कस चुके हैं कि और कसने की गुंजाइश नहीं है। आप उन्हें ये संकेत देना चाहते हैं कि वे और कड़े विकल्पों के लिए तैयार रहें। लेकिन थोड़े से संकेत उनको भी क्यों नहीं दिए जाएं जिन्हें आपने देश के लिए एकदम गैर जरूरी इन विलासिता की वस्तुओं पर धन लुटाने की अनुमति दे रखी है?

गैस का उल्लेख किया गया है क्योंकि यह बहुत से तेल शोधक कारखानों में व्यर्थ जा रही है। असम ही नहीं बल्कि बम्बई हाई में भी बहुत गैस निकल रही है। इसका उपयोग आप उर्वरक परियोजनाओं के लिए कर रहे हैं। आप ठीक ढंग से ऐसी योजना क्यों नहीं बनाते कि अधिक से अधिक गैस का उपयोग खाना बनाने के लिए हो ताकि आप पेट्रोल की बचत कर सकें? बंगलादेश जाकर देखिए वह देश क्या कर रहा है। हर घर में घरेलू गैस पाइपें हैं और वह कितनी सस्ती पड़ती है। 4 लोगों का परिवार सारे महीने गैस इस्तेमाल कर सकता है और उसे इसकी कीमत 25 रुपए से अधिक नहीं देनी पड़ती तथा आपके पास कोई दीर्घ अवधि योजना या ऐसा ही कुछ है? इस तरह से आप उपभोग को कम नहीं कर सकते। चूंकि बहुत से स्वचालित वाहन मोटर वाहन मोटर साईकल, अथवा अन्य दो-पहिया वाहन, वायूदूत विमान पूरे समय चल रहे हैं। जैसा कि किसी ने कहा है वे कहां चल रहे हैं? क्या ये पानी पर चल रहे हैं? यह विरोधाभासी स्थिति है। दिल्ली की बसों के किराये में भारी निष्ठुर वृद्धि की गई है। 30 पैसे के टिकट को 50 पैसे, 40 पैसे के टिकट को 1 रुपए तथा एक रुपए के टिकट को दो रुपए कर दिया गया है। मैंने हिसाब लगाया है कि कार्यालय अथवा फैक्ट्री जाने वाले व्यक्ति को बढ़े हुए भाड़े के रूप में 50 रुपये से 75 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा। बसों से कौन यात्रा करते हैं अमीर लोग? उन्हें यह 75 रुपया कहां से मिलेंगे। दिल्ली परिवहन इससे 45 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्राप्त करना चाहती है। सभी जानते हैं कि दिल्ली परिवहन कुप्रबन्ध, चोरी और भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। सब यात्रियों को इसके लिए अधिक देना पड़ रहा है। आप कैसे उम्मेद करते हैं कि वे नाराज नहीं होंगे।

निरन्तर यह कहा जा रहा है कि यह विपक्ष की राजनीतिक चाल है। फिर सत्तारूढ़ दल के इतने सदस्य क्यों इससे संबंध हैं क्या यह विपक्ष का कार्य है? श्री कमलापति त्रिपाठी क्यों नाराज हो गये। वह विपक्ष के सदस्य नहीं है। श्री एच० के० एल० भगत क्यों प्रधान मन्त्री के पास दोड़े-दोड़े गये। वे विपक्ष के सदस्य नहीं हैं। मेरे मित्र श्री कुमारमंगलम का नाम क्यों लिया जा रहा है, जो कुछ उन्होंने बोट क्लब पर कहा है। सच बोलने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : निःसन्देह हम उन्हें बधाई देते हैं (व्यवधान) हम यहां पर आपको संरक्षण देने के लिए हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं समझता हूं कि वह इस पर व्याकुल हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप व्याकुल क्यों हैं ? वह ओजस्वी विचारों के युवा व्यक्ति हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : व्यक्तियों ने ही नहीं, मैं एक संगठन 'इन्टक' की राय उद्धृत करना चाहता हूं। यह उस बन्द के विरोध में वक्तव्य में कहा गया है जिसका हमने आह्वान किया था परन्तु उन्होंने कहा है।

"उसी समय श्री जी० रामानुज के सभापतित्व में कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई जिसमें बताया गया कि पैट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि तथा उससे पूर्व गेहूं, चावल उर्वरक तथा कोयले के मूल्य में वृद्धि से श्रमिक वर्ग तथा मध्यम श्रेणी के लोग कष्ट उठा रहे हैं।"

क्या यह बातें करने वाले विपक्ष के सदस्य हैं ?

"जबकि मिट्टी के तेल, खाना पकाने की गैस के मूल्यों का प्रभाव सर्वथा हर घर पर पड़ेगा, परन्तु उससे प्राप्त होने वाला अतिरिक्त राजस्व उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि इससे अर्थ-व्यवस्था को होने वाली क्षति।"

समिति ने बताया :

"यह सच है कि महंगा मिट्टी का तेल तथा पकाने की गैस उपभोक्ताओं को जलाने की लकड़ी का अधिक उपयोग करने को विवश कर देगी जिसके कारण सोचे विचारे बिना, वृक्षों तथा वनों को काटना पड़ेगा। डीजल तथा पैट्रोल की मूल्य वृद्धि से लोगों को यात्रा करना तथा माल की ढुलाई महंगी पड़ेगी तथा उससे वेतनों पर बोझा पड़ेगा तथा उनकी क्रय शक्ति घटेगी।"

श्री कुमारमंगलम ने कोई भी बात ऐसी नहीं कही जो कि 'इन्टक' समर्थित न हो ··· (व्यवधान) आपका इससे संबंध नहीं है। अतः मैं आपको उसके लिए भी बधाई देता हूं।

महोदय, मामले की यहीं पर समाप्ति नहीं होती। हम जानते हैं कि क्या होने वाला है क्योंकि 18 फरवरी को श्री बंसी लाल ने कलकत्ता में कहा था :

"कोयले तथा पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वर्तमान वृद्धि का रेलवे पर पर्याप्त प्रभाव पड़ेगा।"

पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति कार्यालय में जोकि श्री प्रियरंजन दास मुंशी का कार्यालय है, बहुत से सदस्यों के साथ मिलने के बाद उन्होंने बताया :

"कोयले की मूल्य वृद्धि का रेलवे पर लगभग 50 करोड़ रुपया का प्रभाव पड़ा है, तथा डीजल की मूल्य वृद्धि से 30 करोड़ रुपया का और भार पड़ा है।"

इस संदर्भ में यह पूछा जाने पर कि क्या रेल बजट आम व्यक्ति के लिए भारी रहेगा तो श्री बंसी लाल ने कहा "कोई टिप्पणी नहीं।" अतः हम जानते हैं कि क्या संभावना है।

प्रो० मधु दण्डवते : वह मुस्काए भी। पर ऐसा लगा नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ये सदस्य विपक्ष के नहीं हैं।

श्रीमती वी० पी० सिंह के बारे में एक समाचार है। वह विपक्ष की सदस्या नहीं हैं। उन्होंने दूरदर्शन कार्यक्रम पर बताया कि उनके पति उनका दूसरा गैस सिलेंडर वापिस ले रहे हैं। उसमें श्री वी० पी० सिंह ने बताया कि मैं आपका दूसरा सिलेंडर वापिस लेकर किसी गरीब आदमी को दे दूंगा। समाचार पत्र में कहा गया "उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या उस गरीब उपभोक्ता को सिलेंडर की जमा राशि के रूप में 540 रुपए तथा गैस के लिए 57.62 रुपये भी दिये जायेंगे.....

एक माननीय सदस्य : आप श्री वी० पी० सिंह के लिए कठिनाई पैदा कर रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : विपक्ष के सदस्यों पर रोक लगाई गई है कि वे समाचार पत्रों की गलत रिपोर्टों पर विश्वास न करें। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमें उनसे इस बारे में पूछना हैं। फिर श्रीमती वी० पी० सिंह जैसी लाखों महिलाएं हैं जो कि इतनी भाग्यशालिनी नहीं हैं जितनी कि वह हैं **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : यह व्यक्तिगत कानून से कहीं बढ़कर है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा अभिप्राप था कि देश में लाखों व्यक्ति श्रीमती वी० पी० सिंह की तरह भाग्यशाली नहीं हैं। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मैं एक और विसंगति का संकेत कर सकता हूं। सरकार सदा कहती है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था खर्चीली है ? यह देश को पिछड़ा बनाये हुए हैं—हम विकास द्वारा मूल्य घटा कर सस्ती अर्थव्यवस्था तैयार कर रहे हैं। क्या ऐसा करने का यही तरीका है ? जो वृद्धि आपने की है इसका प्रभाव कृषि वस्तुओं, परिव्यस्त व्यय, बिजली की दरों तथा सभी औद्योगिक, लागतों पर पड़ा है। क्या इसी तरीके से आप सस्ती अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे ? अथवा क्या आप देश को वर्तमान से भी अधिक मंहगी अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं। मैं इसे समझ नहीं पाया। इसमें विरोधाभास है। आप नहीं जानते आप देश को कहां ले जा रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आपको बताऊँगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया हमें बतायें।

पहले आप और लोगों को निर्धनता की रेखा के नीचे ले जायें तब यह कहें कि आप गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से उनका उत्थान कर रहे हैं। मैं कहीं पर बता चुका हूं कि अपने बजट को संतुलित बनाने के लिए वह लाखों, करोड़ों लोगों के बजट को संतुलित बना रहे हैं। जहां तक लोगों का सम्बन्ध है इसका चाहे जो भी असर हो वह तो आपका सिर दर्द है। परन्तु उनके जीवन स्तर पर हमले में उनका साथ देना हमारे लिए उचित है। मैं मानता हूं कि इन बातों का विरोध करने का कोई लाभ नहीं जब तक हम विकल्प न सुझायें। आप पहले ही अपनी दीर्घकालीन वित्तीय नीति बता चुके हैं जिसके अनुसार आप धनी वर्ग उद्योगपतियों तथा कम्पनियों के सम्बन्ध में कोई विकल्प प्रयोग में नहीं ला सकते। दीर्घकालीन वित्तीय नीति की घोषणा द्वारा योजना अवधि के दो तीन वर्ष तक आपके पास कोई विकल्प नहीं है—प्रत्यक्ष करों में वृद्धि नहीं की जा सकती। ऐसी बात पहले कभी नहीं की गई। यह तो अगले दो-तीन वर्ष के लिए बजट की पूर्व घोषणा है जिसमें धनी वर्गों को आश्वासन दिया गया है कि उन्हें छूआ नहीं जायेगा...

प्रो० मधु दण्डवते : वह पांच बजटों का भेद खोल चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपके पास क्या विकल्प है? यदि आप इन लोगों को भी मुझे यह खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है। विदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों सहित अधिकाधिक रियायतें देगें तो तब आपके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि गरीब लोगों पर बोझा बढ़ायें। एक भव्य विकल्प है मैं अभी भी आपकी बात का विश्वास करता हूं आप निरन्तर कहते आ रहे हैं– हम विदेशों से बड़ी मात्रा में वाणिज्यक ऋण नहीं लेंगे। हम फिलीपाइन तथा दक्षिण अमरीका की दशा को नहीं पहुँचना चाहते हैं। परन्तु आप पहले ही वाणिज्यक ऋण ले रहे हैं। परन्तु मुझे भय है कि आम आदमी पर कर लगाने की भी एक सीमा है अंततः आपको विदेशों से ऋण लेना पड़ेगा। आम व्यक्ति के पास संसाधन नहीं हैं। वह आपको कहां से देगा। आपने पहले ही बताया कि आप धनी वर्ग पर और कर नहीं लगायेंगे। तब आप क्या करेंगे? मुझे यही बात कहनी हैं। उन्हें कुछ भव्य कठोर निर्णयों पर सोचना चाहिए जिससे संसाधन जुटाये जा सकें।

उन्हें धनी वर्गों पर भी बोझा डालना चाहिए, गरीबों पर नहीं।

विदेशी मुद्रा रिजर्व के बारे में श्री शुक्ल ने बताया कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। मेरा कहना है विदेशी मुद्रा रिजर्व कम होते जा रहे हैं। पिछले दो-तीन वर्षों में विशेषतः पिछले वर्ष में यह बहुत कम रह गये हैं।

वे अग्रता वाली मदें कौन-सी हैं जिन पर कि हमें अपने आयात बिलों का 60-65% देना होता है। फाइब्र निर्माता संघ पहले ही सार्वजनिक रूप से बतला रहा है कि यदि आप कृत्रिम फाइब्र को इस प्रकार आयात द्वारा आने देंगे तो आप इस उद्योग को समाप्त कर देंगे।

जहां तक ओटो पुरजों का सम्बन्ध है, ये किनके लाभ के लिए हैं? यदि आप स्वचालित वाहन जन परिवहन के लिए बना रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। निजी स्वचालित वाहनों का उत्पादन कम करके जन परिवहन प्रणाली विकसित करें जैसा कि अन्य विकासशील देशों में हुआ है।

आप विदेशों में बहुत से देशों में जाते हैं। क्या आपने नहीं देखा है कि जन परिवहन पर वे कितना बल देते हैं? यह तरीका है जिस तरह से विदेशी मुद्रा रिजर्व कम हो रही है। यदि आप उसमें कटौती करने का कठोर निर्णय लेंगे तो आपकी काफी बचत होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष मशीनरी, पूँजीगत कितनी मदें आपने खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखी हैं, जोकि वहां पहले नहीं थे। इस देश के मशीन निर्माता उद्योगों का क्या बनेगा जिन पर कि करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। एच० एम० टी० अथवा भारत हैवी इलैक्टीकल्स, हैवी इंजीनियरिंग निगम ये सभी देश में मशीनें बनाने वाले भारी उद्योग हैं। उनका तथा उनके विस्तार कार्यक्रमों का क्या बनेगा जबकि मशीनों का आयात खुले सामान्य लाइसेंसों के अंतर्गत होगा।

निजी क्षेत्र तथा कुछ मामलों में सरकारी क्षेत्र भी विदेशों से मशीनें खरीदेंगे।

फिर, महोदय, बहुत से अर्थ-शास्त्री कह रहे हैं-- मैं जानता हूं कि यह एक विवादस्पद प्रश्न है। मैं इसे फिर से रख रहा हूँ--और अब अध्यक्ष महोदय मुझसे नाराज होते हैं। मैं इसे पुनः प्रस्तुत कर रहा हूं और अब अध्यक्ष महोदय मुझ पर नाराज हो रहे हैं और क्या अब समय आ गया है या नहीं कि कम से कम धनाढ्य किसान को, गांवों के अमीर लोग कर देकर कुछ

योगदान दें ? कृपया इस पर विचार कीजिए । निश्चय ही यह आपके लिए राजनीति का प्रश्न हैं (व्यवधान) पहले ही कुछ फुसफुसाहट शुरू हो गई है ।

आज सुबह एक प्रश्न के उत्तर में सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है कि 119 कम्पनियों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक आय-कर की राशि बकाया है । आप उनसे वसूल क्यों नहीं करते ? आप इन लोगों को ऐसे ही क्यों छोड़ देते हैं और गरीब आदमी को चावल, आटा और अन्य चीजों के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है ? आप कृपया विलासिता की चीजों पर उत्पादन-शुल्क बढ़ा दीजिए । कराधान के उद्देश्य से बागानों को भी उद्योग मानिए । इस समय ऐसा नहीं है । स्क्रू ड्राइवर (पेंचकश) प्रौद्योगिकी का आयात बंद कीजिए । यहाँ केवल उन्हें जोड़ा जाता है । इन सभी टेलिविजन सेटों और अन्य चीजों उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स में अधिकतर स्क्रू ड्राइवर' प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है, पुर्जे लाकर जोड़ दीजिए और 'भारत में निर्मित' मोहर लगाकर आगे बेच दीजिए । इस पर कितना धन व्यर्थ किया जा रहा है ?

मेरा कहना है कि हमारे निर्यात में बहुत बाधा आ रही है क्योंकि हम उन बाजारों में प्रवेश नहीं कर सकते जहां संरक्षणवादी नीति अपनाई जा रही है । ये वे देश है जिनसे हम ऋण ले रहे हैं । हमें वह पैसा वापिस लौटाना है । आप इस पर विचार क्यों नहीं करते ? मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम ऋण वापिस लौटाने से इंकार करने की बात का समर्थन नहीं कर सकते । हम ऐसा नहीं कर सकते । हमारा देश ऐसे काम करने का समर्थन नहीं कर सकता । लेकिन हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हम ऋणों के भुगतान को उनकी मंडियों में निर्यात के साथ जोड़ें । वे अपनी मंडियों में हमारे द्वारा निर्यात किया गया माल खरीदना बंद करने जा रहे हैं । हम इन देशों को ऋणों का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा कहाँ से प्राप्त करेंगे ? कुछ संघर्ष तो करना होगा । तीसरे विश्व के गुट निरपेक्ष देश इन मामलों के लिए संघर्ष कर रहे हैं । लड़ रहे हैं । हमारा देश भी उनमें प्रमुख है (व्यवधान)

हाल ही में उस रिपोर्ट में लगाए गए अनुमान के अनुसार देश में लगभग 40,000 करोड़ रुपए तक कालाधन है । यदि आप कम से कम 10% काले धन का भी पता लगा सकें तो आपको 4000 करोड़ रुपए के बराबर राशि मिलेगी । और इसे पूरी तरह जब्त कर लीजिए तो फिर आप ऐसा कीजिए । यह निर्णय लेना बहुत कठिन है । जनता का यह धन जो विलासिता पूर्ण भवनों, मंहगे उपकरणों, कारों, पांच सितारा होटलों और बड़ी-बड़ी पार्टियों सरकार अपनी पार्टियां उन्हीं होटलों में देती है पर खर्च किया जा रहा है, क्या यह सब जरूरी है ? आपके पास इतना धन और संसाधन नहीं हैं कि आप इन पर फिजूल पैसा खर्च कर सकें और यह धन गरीबों को चुकाना पड़े ।

हमें सरकारी क्षेत्र के कार्य को और प्रभावी बनाना होगा । मैं शत प्रतिशत आपका साथ दूंगा । लेकिन आप श्रमिकों की भागीदारी के बिना ऐसा नहीं कर सकते । श्री साठे वहाँ बैठे हैं । उन्होंने इस बारे में किताब लिखी थी । श्रमिकों की भागीदारी सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध में संयुक्त भागीदारी के बिना कार्य-निस्पादन में सुधार नहीं होगा । उसकी जिम्मेदारी हम पर है । लेकिन वे योजनाएँ रोक दी गई हैं । उन्हें रोका जा रहा है । कई लोग इनमें बाधा डाल रहे हैं । मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता । अत: वैसा कीजिए और इससे सरकारी क्षेत्र में और अच्छी तरह से । कारगर ढंग से काम होगा जिससे आपको लाभ होगा ।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

अंत में मैं कहूंगा कि इनके मूल्यों में वृद्धि की गई है। सरकार से यह अपील करने का कोई फायदा नहीं है कि उन्हें अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए और मूल्यों को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि मैं समझता हूं कि सरकार बहुत आगे बढ़ गई है और वह अब पीछे नहीं हटना चाहती। केवल यह बजट हमारे सामने है लेकिन उन्होंने उसका कोई विकल्प नहीं रखा है। अतः कम से कम उन्हें स्वयं यह सोचना चाहिए कि इस देश के इतने अधिक लोगों, जिन पर और अधिक बोझ डाला जा रहा है, को यदि संभव हो तो किस तरह राहत दी जा सकती है और उन्हें इस सारी नीति को - मैं नहीं जानता कि हम ज्वालामुखी के कगार पर बैठे हैं – बदलने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे निश्चित रूप से हमारी अर्थ व्यवस्था अस्थिर हो जाएगी। एक ओर वर्ष में अर्थ-व्यवस्था में बहुत अस्थिरता आ जाएगी। मैं नहीं समझता कि भारत में बिखराव आएगा। मुझे अपने इतने विशाल देश पर अधिक विश्वास है पर कम से कम आपको प्रगति करनी चाहिए। हम जिन नीतियों का अनुसरण कर रहे हैं उनके कारण हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। यह किसी एक दल का प्रश्न नहीं है। हमें स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी। इस देश में आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए दूसरी लड़ाई लड़नी होगी। हम उसी बारे में कह रहे हैं। सरकार को इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल्यों के संबंध में हो रहा वादविवाद हमें अर्थव्यवस्था के संबंध में वादविवाद की ओर ले आया है। और मैं समझता हूं कि यह ठीक ही है। हम मूल्यों के संबंध में वाद-विवाद तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अर्थ-व्यवस्था पर वादविवाद नहीं करते। सत्तारूढ़ तथा विपक्षी दल के सदस्यों ने जो कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाए हैं उन पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देने तथा चिंता करने की जरूरत है। मूल्यों में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, हमें इस बारे में भ्रान्ति नहीं है। यह बहुत कठिन निर्णय था। यह बहुत अधिक कठिन निर्णय था। यह स्पष्ट था कि इसका स्वागत नहीं होगा। हमें निर्वाचित किया गया है और हम चाहते हैं कि हम पुनः निर्वाचित हों। हमें राजनीति का इतना ज्ञान है कि मतदाताओं को नाराज करने से हम पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, हम मनोनीति नहीं किये गये हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : और जिन्हें मतदाताओं ने इतनी बड़ी संख्या में चुनना पसंद नहीं किया। उन्हें भी हम उनके लाभ के लिए कुछ बातें बताएंगे जिससे वे मतदाताओं पर अपना प्रभाव डाल सकें।

श्री नारायण चौबे (भिंदनापुर) : अतः मूल्य वृद्धि।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हां, इसीलिए आप यहां केवल इसी पर चर्चा कर सकते हैं। किसी अन्य विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। अतः हमने ये सब अवसर दिए हैं। लेकिन उसकी बजाय जब देश के दीर्घकालीन हित का प्रश्न उठता है तो क्या उसका लाभ हमें मिलता है? जब देश के भविष्य का सवाल होता है तो क्या हम अपनी कुर्सी को जोखिम में डालते हैं अथवा क्या हम देश के भविष्य के लिए ऐसा करने को तैयार होते हैं कि भले ही हमारी कुर्सी चली जाए, हम कठिन निर्णय लेने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? हमें यही प्रश्न पूछना है

और उसका उत्तर देना है। जो लोग और जिन्होंने नरम रवैया अपनाते हैं, जिनमें 1979-80 के बीच मूल्यों में वृद्धि करने या अन्य निर्णय लेने केवल मूल्यों के बारे में ही नहीं अपितु अन्य मामलों में भी निर्णय लेने का साहस नहीं था, उनके इसी रवैये के कारण राष्ट्रीय आय में 4.7% कमी हुई, औद्योगिक उत्पादन में 1.4% कमी हुई, आयात में 34.2% वृद्धि हुई और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा मूल्यों में 21% वृद्धि हुई थी। देश में भुगतान संतुलन संकटपूर्ण थी, देश का आधारभूत ढांचा खराब स्थिति में था, कोयले का उत्पादन ठप्प हो गया था और तापीय क्षमता की उपयोगिता कम हो गई है। जब आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष से ऋण की बात कहते हैं, इस देश की यह स्थिति थी जिसके कारण हमें विदेशों से ऋण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। हम इस स्थिति के बारे में और विस्तार में कहना नहीं चाहते।

आपके द्वारा नरम रवैया अपनाये जाने के बावजूद आपकी जीत नहीं हुई। सस्ती लोकप्रियता को लोग भी पसंद नहीं करते हमें यह बात समझनी चाहिए। जनता भी बाद में होने वाले लाभ की बात समझती है। यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि इस देश के विकास के लिए 94% संसाधन स्वयं जनता द्वारा ही जुटाए गए हैं। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि इतनी अधिक संख्या में लोगों के गरीबी की रेखा से नीचे होने के बावजूद, वे अपना नरम रवैया अपना कर नहीं अपितु कठिन परिश्रम कर इस देश के विकास के लिए संसाधन जुटा सके और विकास के लिए संसाधनों को जुटाकर अब भी लोकतंत्र को बनाए रखा जा सका है जो हम अपने यहां देख सकते हैं जैसाकि कहीं नहीं हुआ है। हमने लोगों में इतना विश्वास जगाया, क्योंकि हमारे देश का भविष्य इसी विश्वास पर निर्भर है, जो आप लोगों में नहीं जगा पाये। लेकिन आप यह आह्वान करने का साहस कर सकते हैं। इस दल ने आह्वान किया है और कांग्रेस ने आवहान किया है तथा जनता देश के भावी विकास के लिए आगे आई हैं और यही लोगों में विश्वास की भावना है।

महोदय, श्री माधव रेड्डी ने यह जिक्र किया है कि इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि इसने मूल्य वृद्धि की घोषणा संसद में नहीं की। अगस्त, 1979 में भी सरकार ने मूल्यों में वृद्धि को भी किंतु उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लोगों ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। जो लोग उस समय प्रचार कर रहे थे उन्हें अब वही प्रचार नहीं करना चाहिए। उन्हें इससे सबक सीखना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : क्या आप उसकी नकल कर रहे हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नकल करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि "हमारी सरकार जनता की भलाई करती है।" छठी पंचवर्षीय योजना में वह कितना भला कर सकी ? छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में यह अनुमान लगाया था कि इस अवधि में राज्य अपने संसाधनों से 1874 करोड़ रुपये जुटाएगा। जनता के लिए वह संसाधनों से केवल 28 करोड़ रुपए जुटा सका जो कि नकारात्मक योगदान था। छठी योजना के दौरान राज्य के अपने संसाधनों और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र से 2177 करोड़ रुपए का योगदान मिलने का अनुमान लगाया था। वह केवल 301 करोड़ रुपए ही दे सका। वह सब कहां से मिला ? मैं जुटायी गयी केन्द्रीय सहायता की बात नहीं कर रहा हूं और यह छठी योजना से कहीं अधिक थी। रिजर्व बैंक से 600 करोड़ रुपए निकाले गए : मैं इससे सहमत हूं कि मिट्टी के तेल का उपयोग गरीब लोग करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में, जैसा कि मुझे ममता बनर्जी और श्री प्रियरंजन दास मुन्शी

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

से पता चला कि वहां पानी का उपयोग अमीर लोग करते हैं और इसलिए इस पर कर लगाया गया है····(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : जिनको वास्तविक जानकारी नहीं है उनसे आपको यह सूचना मिल रही है। स्थिति यह हो गयी है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा की गई मूल्य वृद्धि का कोई जिक्र नहीं करूंगा·····(**व्यवधान**) श्री सोमनाथ चटर्जी उत्तेजित हो रहे हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, वह इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं उस बारे कुछ नही कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि उन्होंने मूल्यों में वृद्धि नहीं की। मैं यह मानता हूं किन्तु पश्चिम बंगाल की भावी पीढ़ियों को इसका मूल्य चुकाना पड़ेगा और उस मूल्य की गणना वे विकास के संदर्भ में नहीं करते (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कांग्रेस सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान क्या उपलब्धि की ? (**व्यवधान**)

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (हावड़ा) : जब भी हमारे वित्त मंत्री जवाब देते हैं, उनके वित्त मन्त्री भाग जाते हैं·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हमें विषय पर ध्यान देना चाहिए। कृपया व्यवधान मत डालिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्री सोमनाथ चटर्जी ने मुझसे यह प्रश्न पूछा है कि इतने वर्षों तक यह सरकार क्या करती रही है। मैं संक्षेप में उत्तर देना चाहता हूं। आज औसतन अनुमान यह है कि हमारी राष्ट्रीय आय 4.5 से 5 प्रतिशत है। सातवीं योजना के लिये भी हमारा यही अनुमान है। समग्र रूप से हमारा राजस्व बढ़ा है, कर समाहर्ण में 23 प्र०श० से अधिक वृद्धि हुई है। हम बड़ी कठोरता के साथ कर अपवंचको से काला बाजारियों से चाहे वे बड़े हैं अथवा छोटे रुपया बसूल कर रहे है। वास्तव में यह इस देश के निर्धन व्यक्तियों का धन है श्री राजीव गांधी की सरकार के कार्य का परिणाम है, उन्होंने कहा था कि हम काले धन से लड़ेंगे ओर हम उससे लड़े है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसका विरोध किसने किया था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : श्री राजीव गांधी की यह मुख्य वचनबद्धता थी कि निर्धन व्यक्तियों, जनजाति के लोगों को तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए हम कोई कसर उठा न रखेंगे।

एक माननीय सदस्य : काला धन स्वेच्छा से भी प्रकट किया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : केवल स्वेच्छा से ही नहीं हम गैर-स्वैच्छा से भी काला धन बाहर निकलवायेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : आप केवए धन का ही उल्लेख कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सभी प्रकार की वस्तुओं का कर रहें है। राजनैतिक छिपाव भी हम प्रकट कर देंगे।

आज खाद्यान्न के जो भण्डार हैं उन्हीं को लीजिये। हमारे प्रधान मन्त्री महोदय का यह दृढ़ निश्चय था कि हम निर्धनों, जनजातियों और अन्य लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करायें। हमने आश्वासन दिया है और हम उसे पूरा करने का प्रयत्न निरन्तर करते रहेंगे। और आप अमीरों के पक्ष में और गरीब के विरोधी रवैये की बात करते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक नाराज वित्त मंत्री !

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं नाराज नहीं हूं। मैं प्रसन्न हूं क्योंकि हमारा कार्य निष्पादन अच्छा रहा है, क्योंकि हमारा औद्योगिक उत्पादन अक्तूबर और नवम्बर में 8 प्रतिशत बढ़ा है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसपुरा) : जनवरी से सितम्बर तक की क्या स्थिति है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं भी प्रसन्न हूं क्योंकि बिजली घरों और रेलवे का कार्य अच्छा रहा है। मैं तो प्रसन्न हूं परन्तु आप नाराज हो सकते हैं। तापीय विद्युत का कार्य निष्पादन 16 प्र. श. बढ़ा है। और रेलवे का कार्य निष्पादन 1 प्र. श. बढ़ा है। श्री चटर्जी, आपने जिसके बारे में पूछा था, उसकी उपलब्धी यह रही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया हमें बताइये; भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापान करते हैं ? कितने लोग निरक्षर है और कितनों को आधा-पेट भोजन मिलता है ? कितने लोग पटरी पर पैदा होते हैं, कितने पटरी पर रहते है और पटरी पर मर जाते हैं ? हम यह जानना चाहते हैं, आपके आंकड़े नहीं।

8,00 म.प.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसे लोग हैं जिन्हें और अधिक देने की आवश्यकता है और वास्तविकता यह है कि हम उनकी सहायता करते हैं और उनके अच्छे भविष्य के लिये कार्य कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इन लोगों के साथ नहीं है। और, फिर भी, आप यह पूछेंगे कि हमने इस दृश्य-विधान में मूल्य क्यों बढ़ाये हैं। करों की वसूली पर्याप्त मात्रा में हुई हैं; थोक मूल्य सूचनांक नियन्त्रण में है और वित्त मन्त्री के रूप में मेरा जीदन सुखमय है, तथापि आप कह रहे थे कि मैं नाराज हूं। इतने पर भी हमने यह रास्ता अपनाने का निर्णय लिया है।

ऐसे दो कारण थे जिन्हें मैं बिना किसी तर्क के आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और इस सभा को तथा देश के कल्याण के लिये चिंतित सदस्यों को मैं इनका विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसके दो मूल कारण थे। एक भुगतान सन्तुलन का दृश्य-विधान दूसरा विकास के लिये अधिक धन जुटाना। इन्हीं दो विचारणों के आधार पर हमने मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया था।

अब मैं आप को इनमें सहभागी बनाना चाहता हूं। अपनी ऋण-स्थिति और भुगतान सन्तुलन को विवेकपूर्ण ढंग से ठीक करते हुए, हमारे लिए यह सही समय है कि हम और भी विवेकपूर्ण ढंग से कदम उठाएं जिससे कि हमारी पहले की सुव्यवस्था बनी रहे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की देनदारी का समय आ गया है और हमने इस वर्ष से उसकी अदायगी आरम्भ कर दी है। जैसा कि श्री भगवत झा आजाद ने बताया था, जो रियायतें अब तक मिल रहीं थी वे समाप्त होती जा रही है। वाणिज्यिक ऋण लिये जाने के बारे में अधिक दबाव पड़ रहा है। छठी योजना में विदेशी मुद्रा बचाने का मुख्य साधन तेल था और इसका उत्पादन तो हो रहा है किन्तु

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

संभवतः इसका उत्पादन उतने ही अनुपात में न हो पाये और इस वर्ष से विदेशी मुद्रा की वह राशि संभवतः न बच पाये। इसलिये, ऐसी स्थिति में हमें न केवल पी० ओ० एल० की ओर ध्यान देना होगा अपितु हमें उर्वरक, चीनी, खाद्य तेल, जैसी थोक वस्तुओं और अन्य मुख्य आदानों की ओर भी ध्यान देना होगा जैसा कि इन्द्रजीत जी ने अनेक बार कहा था कि अनेक सहयोगों से हमें इस बात का अनुमान लगाना पड़ेगा कि हम कितनी विदेशी मुद्रा बचा पायेंगे। घटकों तथा कल पुर्जों पर यदि विदेशी मुद्रा व्यय होती रही और कुछ सहयोग कार्यों में सकल विदेशी मुद्रा बहुत कम बच पाई तो हमें उनके बारे में भी विचार करना होगा। इन विषयों पर चर्चा का कोई लाभ नहीं। हमने इस बात का विश्लेषण किया था कि आयात बिल कैसे बढ़ा। अनेक बार लोगों ने हम पर यह आरोप लगाया कि हमारी आयात नीति दोषपूर्ण है। इसलिये, यदि कोई बात दोषपूर्ण है तो राष्ट्रीय हित में उसे सुधारा जाना चाहिये। इसमें अहम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। गत छः महीने में आयात की गई वस्तुओं का हमने विश्लेषण किया था और हमें पता चला कि पी० ओ० एल०, उर्वरक, चीनी, पेट्रोलियम मन्त्रालय के लिये मंगाई गई मशीनों पर हमारे आयात में 80 प्र. श. की वृद्धि हुई है। ओ० जी० एल मदों के आयात पर 20 प्र. श. राशि व्यय हुई है। इसलिये, इसका मतलब यह हुआ कि सरकारी निर्णय के परिणाम स्वरूप आयात की जाने वाली वस्तुओं में मुख्यतः वृद्धि हुई है। इस अवधि के दौरान उर्वरकों की खरीदारी भी अधिक मात्रा में हुई है क्योंकि वर्षा पर्यन्त खरीददारी करने के लिये हमने अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध की थी उनकी खरीददारी भी उसी वर्ष की गई थी तथा इस वर्ष के अन्त तक इसकी खरीददारी समाप्त होगी। और आयात की जाने वाली वस्तुओं की सूची को देखने से भी पता चलेगा कि नीति को चाहे जितना भी नीति नियन्त्रित किया जाये 70% आयात तो उदार और सीमित है और इस सीमा तक थोक वस्तुओं का आयात करना ही पड़ेगा। केवल 30 प्र. श. आयात पर ही विवाद है और इसमें से भी 15 प्र. श. अर्थात् आधे की आवश्यकता तो नितांत आवश्यक है। सारी चर्चा इस 15 प्र.श. पर ही जा कर सकती है जिसके बारे में हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यदि आप उस पर आपत्ति करते हैं तो उससे हानि हो सकती है। किन्तु हम सोच-विचार करते हैं तथा चौकसी रखते हैं। इस प्रकार देखना यह है कि अतः यह समाप्त कैसे होती है। और प्रधान मन्त्री महोदय ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि ऐसी प्रौद्योगिकी तो आयात करनी ही पड़ेगी जिसके कारण आदानों की अत्यधिक कमी से उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है अथवा जिसके आधार पर निर्यात बढ़ सकता है अथवा ऐसी कृषि क्षेत्रों में उनकी आवश्यकता है जहाँ हम ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं। हमें यह भी पता चला है कि पी० ओ० एल० का आयात, जिसके बारे में हमारा अनुमान था कि सातवीं योजना में — छठी योजना के अन्त में— उसकी कुल खपत 31 प्रतिशत होगी, उसकी कुल खपत 31 प्र० श० से बढ़कर 38 प्र० श० हो जायेगी। यह पहले ही वर्ष में हमारी कुल खपत के 40 प्रतिशत से अधिक हो गई है। अतः यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर चिंता होती है। इसके लिये हमारे पास दो ही विकल्प हैं या तो मूल्य बढ़ने दें अथवा इसके वितरण पर नियन्त्रण किया जाये। इन्द्रजीत जी यह कहेंगे कि वितरण नियन्त्रित किया जाये। मेरे विचार से हमसे अधिकांश लोग यह महसूस करते हैं कि नियन्त्रण से और अधिक समस्यायें पैदा होंगी। हमें पता है कि इससे काली बाजारी बढ़ेगी। वितरण नियन्त्रण के सारे परिदृश्य के बारे में हमें पता है जब पेट्रोल की बात आई तो हमने उस पर विचार किया। ऐसी स्थिति में, वितरण नियन्त्रण जैसा कठोर कदम उठाने के बजाय मूल्य वृद्धि की

अनुमति देना अधिक उचित होगा। निजी उद्यमों में अक्षमता व्याप्त है। ऊर्जा, विदेशी मुद्रा के रूप में जो अधिक मँहगी है, के मूल्य के कारण निजी उद्यमों में अक्षमता हो सकती है। इसे और अधिक मँहगा होने दीजिये जिससे अधिक कारगर ढंग से तथा अधिक सक्षमतापूर्वक इसका उपयोग किया जा सके। हम केवल मूल्य वृद्धि के बारे में ही नहीं सोचते; हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने ऊर्जा संरक्षण के लिये एक बैठक आयोजित की है, जिससे कि ऊर्जा रक्षक के लिये एक विशाल आन्दोलन चलाया जा सके। रेल विभाग का कार्य निष्पादन अच्छा होगा तो हमारी बिदेशी मुद्रा बचेगी, क्योंकि हमारे अधिकांश परिवहन डीजल से होता हैं। इसकी स्वतः ही बहुत अधिक बचते हो जाती है क्योंकि रेलवे डीजल का इस्तेमाल पाँचगुणी क्षमता के साथ करता है। इस प्रकार यह भी एक बचत ही होगी। संयन्त्र भारकारक बढ़ गया है और इससे पी० ओ० एल ऊर्जा की खपत कम करने की हमारी नीति को और बल मिलेगा क्योंकि बिजली की कमी के समय संयन्त्र स्थान पर पम्पिंग के लिये जैनेरेटर सेटों का इस्तेमाल डीजल के द्वारा किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त एक और क्षेत्र है जिसके द्वारा अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है और वह है किसानों द्वारा तिलहनों तथा गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाना जिसके लिए जैसा कि हम कह चुके हैं कि उनके समर्थन मूल्य बढ़ा दिये गये हैं। कृषि मंत्रालय को एम० ए० बी० ए० आर० डी० के माध्यम से तिलहनों की खरीददारी करने को कहा गया है और इस विधि से मुझे विश्वास है कि किसानों को ऊपर उठने में सहायता मिलेगी। जो कुछ हम कर रहे हैं आत्मनिर्भर होंगे। हमारी समस्या की यही परिधि है। हमारी नीति केवल पी० ओ० एल० के मूल्य पर ही निर्भर नहीं है।

सहयोग के बारे में, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम इसके संबंध में विस्तारपूर्वक विचार करेंगे। उदाहरण के तौर पर यात्री कारों को लिया जा सकता है। हमें समाजवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाना होगा। इसके बारे में मेरे विचार बहुत ही स्पष्ट हैं। उनके साथ व्यापार करने में ऐसी बात नहीं है कि हमारी विदेशी मुद्रा मुफ्त में ही चली जाये, क्यों कि समाजवादी देशों से व्यापार सन्तुलन में हम उतने ही मूल्य की वस्तुयें आयात करेंगे जितने मूल्य की वस्तुओं को उन्हें निर्यात करने की हमें आशा हो। मेरे विचार से ऐसा करने से समाजवादी देशों के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ़ होंगे, जिसमें शेष राशि की अदायगी में उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आत्मनिर्भर बनना सुगम नहीं है यदि हमें उसे प्राप्त करना है तो हमें सम्भवतया कुछ बातों के लिए तैयार रहना चाहिए। दिल्ली में राजनैतिक दल सड़कों पर निकल आए हैं। किन्तु आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना सरल काम नहीं है। यह एक कठिन कार्य है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसके लिए संघर्ष करना होगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जी हाँ, और जिन्होंने राजनैतिक स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष नहीं किया वे गलियों में निकल आए हैं हमसे यह कह रहे हैं कि आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए किस प्रकार संघर्ष किया जाये। (**व्यवधान**) हम लोग संघर्ष और त्याग करने तथा जनता के साथ सम्पर्क बनाये रखने और उनसे बात चीत करने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : आप अपने चारों ओर देखकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके चारों ओर कितने स्वतंत्रता सेनानी बैठे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं दलों के बारे में कह रहा था.....

श्री बसुदेव आचार्य : आपका दल 17 वर्ष पुराना है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे अपने दल पर गर्व है। क्या विश्व में ऐसा कोई भी दल है; जिसका इतिहास इतना गौरवशाली है।

अब मैं चर्चाधीन विषय पर आता हूं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने मूल्य स्तर और मूल्यों के बारे में कहा है, यदि हम मिट्टी के तेल और डीजल के मूल्य स्तरों की तुलना करें.....

प्रो० मधु दंडवते : आज आप आडम्बर दिखा रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मूल्य वृद्धि के बाद भारत में मिट्टी के तेल का मूल्य 2 रु० 25 पै० प्रति लीटर, पाकिस्तान में 2 रु० 49 पै० है और बंगलादेश 3 रु० 56 पै० है। इन तीन देशों में यहां यह सबसे सस्ता है। (**व्यवधान**) डीजल का मूल्य भारत में 3 रु० 50 पै० प्रति लीटर, पाकिस्तान में 3 रु० 52 पै० और बंगलादेश में 3 रु० 56 पै० है। (**व्यवधान**) मैं ब्रिट्रेन के साथ तुलना करूंगा। मैं जानता था कि आज उसके बारे में पूछेंगे। 1985 में ब्रिट्रेन में मिट्टी के तेल के मूल्य मुझे पता है किन्तु 1985 का औसत मूल्य अपेक्षाकृत कम था : मिट्टी के तेल का मूल्य 2 रु० 86 पै० और डीजल का 5 रु० 76 पै० था। (**व्यवधान**)

हम लोग वास्तविकता देखें और विचार करें कि यह शोर कहां तक उचित है। बोझ पड़ा है, इसे मैं स्वीकार करता हूं। किन्तु विश्व के आंकड़ों से कुछ बढ़ा चढ़ाकर न बतायें। मैं मानता हूं कि कुछ बोझ पड़ा है। किन्तु बोझ के प्रति हमने सावधानी बरतने को कहा है। मैं मुद्रा-स्फीति के आंकड़े नहीं बताऊंगा। उसके आंकड़े उपलब्ध है। केवल पी० ओ० एल० के संबंध में बकाया राशि का भुगतान बाकी नहीं है। हम सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री नारायण चोबे (अदनीपुर) : आज खेल जमता नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कैसे जमेगा ?

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस समय एक वास्तविक चुनौती है अर्थात क्या हम सरकारी क्षेत्र को अधिक धन दें, अथवा गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिए अधिक धन दें या उस मार्ग पर जाने में हम संकोच करें ? हमें ऐसा नेतृत्व मिला जो चुनौतियों से संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं रहता। पिछली बार हमने सरकारी क्षेत्र के बारे में निर्णय लिया था। हमने यह निर्णय लिया था कि हम गरीबी हटाओ कार्यक्रम चलायेंगे। उनके बारे में एक बार निर्णय लेने के बाद, हमारे पास अनेक विकल्प हैं।

एक बात कही गयी थी कि यह उपाय गरीबों के खिलाफ तथा अमीरो के लाभ में है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गत वर्ष बजट के पश्चात् 100 करोड़ रुपये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आवास के लिए आबंटित किए गए थे। बजट के बाद गरीबी-को

दूर करने संबंधी विस्तार कार्यक्रमों तथा जनजातीय क्षेत्र रियायती खाद्य योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गये थे। गरीबों के प्रति ये वायदे हैं; इन वायदों को हम जारी रखना चाहते हैं। (व्यवधान) दो विकल्प हैं। क्या हम कम विकास दर से आगे बढ़े? इसका अर्थ होगा कम रोजगार, संसाधनों का कम जुटाना।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : टाटाओं और बिरलाओं के बारे में क्या विचार है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हाँ, हमने उनसे भी निपटा है, कोई भी हो। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। नामों को न लिया जाये। आप ऐसे नाम नहीं ले सकते। हमें अपनी सीमा की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता है। सीमा पार हथियारों का जमाव हमें हथियारों पर संसाधन खर्च करने के लिए मजबूर करता हैं। क्या हम इस संबंध में जोखिम उठा सकते हैं? वास्तव में, जिस नतीजे पर हम पहुँचे वह था कि एक कमजोर भारत किसी भी मूल्य वृद्धि से अधिक महगा पड़ेगा। हम कमजोर भारत के रूप में वह मूल्य नहीं चुकाना चाहते। हम अपने देश को शक्तिशाली बनायेंगे।

जो विभिन्न विकल्प हमारे सामने थे, उनमें से एक बात दीर्घकालीन वित्तीय नीति के बारे में उठाई गई। हमने कहा था कि करो में वृद्धि नहीं की जाए। इसीलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता। माननीय सदस्य या तो खड़े होकर कोई बात कहें और अगर वह ऐसा नहीं करते तो वह इस बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये।

(व्यवधान)

अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। समग्र रूप से कर प्राप्ति में 22 से 23 प्रतिशत तक वृद्धि हुई हैं तथा व्यक्तिगत कर प्राप्ति में तो बढ़ोत्तरी से बहुत अधिक हैं जिसके बारे में आप कह रहे थे कि व्यक्तिगत कर प्राप्ती में कमी आयेगी। बढ़ोत्तरी बहुत अधिक है। अतः हमने इसमें कमी नहीं आने दी है; हमने इसमें बढ़ोत्तरी की है। आपने इस अवधि, एक वर्ष के दौरान देखा है कि चाहे वह अमीर व्यक्ति हो अथवा कोई भी हो, शक्तिशाली या वह कोई भी क्यों न हो, उसे कानून के शिकंजे से बाहर नहीं रखा गया है। जब सरकार को एक बार यह विश्वास हो जाये कि उसने गरीबों का हक छीना है हम किसी को छूट नहीं देगें। दूसरा वर्ग ऋण प्राप्ति का था। हम विदेशों से कर्जा नहीं ले सकते थे, आंतरिक ऋण इस समय लगभग 20 प्रतिशत है तथा कुल व्यय गत ऋणों के प्रति वचनबद्ध है। कुछ गुंजाइश है परन्तु अधिक नहीं है। जहां तक घाटे का प्रश्न हैं, उसके लिए भी जनता को अदायगी करनी पड़ेगी, परन्तु घाटे की राशि जैसा कि प्रो० मधु दण्डवते कह रहे थे, बढ़ रही हैं, मेरे विचार में, वह घाटा इतना नहीं है जितना गतवर्ष था तथा जैसी कि अब आप तुलना करते हैं, इसे जी० डी० पी० के अनुपात से चलना होगा। अगर हमारी जी० डी० पी० बढ़ रहा है तो आप बिना मुद्रास्फीति के अधिक घाटा दिखा सकते हैं। दूसरा रास्ता है सरकारी क्षेत्र से संसाधन जुटाने का। अतः यह सभी पर निर्भर है। हमने करों की वसूली से जुटाया है, कर्जों द्वारा जुटाये हैं, विदेशी कर्जों से हम संसाधन नही जुटाना चाहते। इस प्रकार से यह निर्णय लिया गया।

अब, अगर आप घाटे की अर्थ व्यवस्था से संसाधन जुटाते हैं तो यह कहां तक उचित है क्योंकि सरकारी क्षेत्र की प्रणाली द्वारा जो व्यक्ति वस्तुएं प्रयोग कर रहा है अथवा सेवाओं का

[श्री विश्वनाथप्रताप सिंह]

प्रयोग कर रहा है घाटे के द्वारा अथवा कर के द्वारा अदायगी करनी पड़ती हैं और जो व्यक्ति उस वस्तु का प्रयोग नहीं कर रहा हैं उसे भी अदायगी करनी पड़ती है। इसमें साम्य है कि जो सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अदायगी करनी चाहिए।

कोयले के क्षेत्र में प्रतिदिन एक करोड़ रुपये का घाटा होता रहा परन्तु फिर भी दो वर्ष से मूल्यों में वृद्धि नहीं की गयी। उर्वरकों के संबंध में मूल्यों में कमी करके कुछ राहत दी गयी है। परन्तु अगर आप 1981 से 4.5 वर्षों के मूल्यों को हिसाब में लें तो मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जब थोक मूल्य सूचकांक बढ़ गया है, वसूली मूल्य बढा दिया गया है, ताकि किसान की सहायता की जा सके। पैट्रोलियम उत्पादों पर रियायत अभी भी दी जा रही है। क्या आप समझते हैं कि सरकार तथा देश को खाना पकाने की गैस के सिलिंडर पर 13 रुपये की छूट देनी चाहिए? मिट्टी के तेल पर रियायत देने की बात तो समझ आती है क्योंकि इसका प्रयोग गरीब लोग करते हैं। जहां तक रियायतों का संबंध है, अब खाद्य सामग्री तथा उर्वरकों पर यह रियायत इस वर्ष 3700 करोड़ रुपये तक पहुंच गयी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खाद्य सामग्री तथा उर्वरक पर अलग-अलग कितनी रियायत दी जाती हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : खाद्य सामग्री पर 165 करोड़ रुपये तथा उर्वरक पर 2050 करोड़ रुपये। कुल रियायतें 4000 करोड़ रुपये की सीमा को पार कर चुकी हैं। हमारे सामने वास्तव में स्थिति क्या है? कतिपय क्षेत्रों में रियायतें आवश्यक हैं। गरीब लोगों को हमें रियायत देनी होगी क्योंकि उनको बहुत कम लाभ पहुँच रहा है। इस व्यवस्था द्वारा गरीबों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अतः हम अपने कार्यक्रमों दूबारा, रियायतों द्वारा उनको संसाधन उपलब्ध करायेंगे। यह जरूरी है। हम पूर्णतः इसे बट्टे खाते में नहीं डाल सकते। परन्तु प्रश्न आया है और मैं विरोधी पक्ष के सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि हम इस पर चर्चा करनी चाहिए। अब समस्या उत्पन्न हो गई है। यह रियायत बनाम पूंजी निवेश है। समस्या इतनी बड़ी होती जा रही है कि हमें अधिक पूंजी निवेश और अधिक रियायत में से चयन करना होगा। यहां सरकार के सामने यही दुविधा है। यद्यपि आपका वसूली में वृद्धि हुई हैं लेकिन इससे केन्द्रीय बजट में सब्सिडी में कमी करने में सहायता नहीं मिलती क्योंकि इसमें से 85 प्रतिशत सब्सिडी राज्यों को दी जाती है। बेहतर कार्य निष्पादन तथा प्रगति से विकास की दर में वृद्धि हुई है और यह वृद्धि होती रहेगी। वृद्धि में कमी नहीं आयेगी। मूलरूप से प्रधान मन्त्री ने जो बात सामने रखी वह यह थी कि हम इस ऊँची उत्पादन लागत की अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे करें। और इसके लिए हमें मांग, पूर्ति, वितरण, पुरानी प्रौद्योगिकी, एककों के आधार, विभिन्न क्षेत्रों में अकुशलता तथा अन्य बातों के बारे में सम्पूर्ण रूप से विचार करना होगा। आयात प्रतिस्थापन में कभी-कभी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च होती है जिसमें हमारी अपनी मार्किट का मुनाफा समाप्त हो जाता है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। चार तत्व जैसे कर, नियंत्रित मूल्य, घाटा तथा धन आपूर्ति जिस पर सरकारी नियंत्रण है, के बाद में हमें विचार करना होगा और सरकार इन सब बातों पर विचार करेगी ताकि सरकार मूल्यों के बारे में एक दीर्घकीलीन नीति बनाई जा सके।

खर्च तथा पांच-तारा होटलों इत्यादि पर होने वाले आडम्बरी खर्च के बारे में कड़े उपायों पर विचार कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अपने बजट में ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हो सकता है बजट से पूर्व या बजट के दौरान । हम विभिन्न गैर-योजना खर्चों की बड़ी ईमानदारी से छान-बीन कर रहे हैं और जहां कहीं भी आवश्यकता होगी हम उनमें कटौती करेंगे।

नियंत्रित मूल्यों की नीति के संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक वक्तव्य दिया गया है। इसमें हमारा ध्येय यह है कि सरकारी क्षेत्र में कार्यकुशलता के कुछ माप दण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए तथा सरकारी क्षेत्र की अकार्यकुशलता लोगों पर मूल्यों में वृद्धि के माध्यम से स्थानान्तरित नहीं की जानी चाहिए। जहां कहीं आदानों जैसे उर्वरक कीमतों में वास्तव में वृद्धि हुई हो वहां हमें माप दण्डों के अन्तर्गत वस्तुओं के मूल्यों को ध्यान में रखना होगा। 1982 और 1985 के बीच गंधक कीमत में 500 रुपये प्रति टन वृद्धि हो गयी है। ये बढ़े हुए मूल्य किसी अकुशलता का परिणाम नहीं हैं। हमें इस मूल्य वृद्धि का समायोजन करना होगा। अन्यथा सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी जिस पर हम नियन्त्रण नहीं कर पायेंगे। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा कि क्या हम कुछ समय तक अथवा छोटी अवधि तक या समायोजन की अवधियों में जब कि बोझा एक ही बार में ही न पड़ें। मूल्यों को स्थिर रखने का विकल्प चुन सकते हैं।

यहां मैं कहूंगा कि जब हम सरकारी क्षेत्र की वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता की बात करते हैं, जबकि मैं अच्छी तरह से मानता हूं कि लोगों को अकुशलता की कीमत नहीं देनी चाहिए परन्तु साथ ही हमें यह नहीं भूलना कि अगर हम सरकारी क्षेत्र की कीमत पर वास्तविक आदानों के भी मूल्य कम करते हैं तो इसका अर्थ होगा सरकारी क्षेत्र द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र को रियायत देना।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा अभी भी किया जा रहा है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : और जब हम प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा सरकारी क्षेत्र की वस्तुओं की कीमत कम रखेंगे, तो गैर-सरकारी क्षेत्रों का लाभ बढ़ जायेगा; सरकारी क्षेत्र का घाटा गैर-सरकारी क्षेत्र के लाभ में परिवर्तित हो जायेगा क्योंकि वे इसका लाभ उपभोक्ता को नहीं देते और हमें एक ऐसा रास्ता ढूढ़ना होगा कि ये लाभ उपभोक्ता को मिले और गैर-सरकारी क्षेत्र इन्हें हड़पने न पाये।

अन्यथा, क्या होगा ? अगर हम किसी समय के लिए मूल्य वृद्धि रोक दें तो कुछ समय के बाद सरकारी क्षेत्र बन्द हो जायेगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अतः सरकारी क्षेत्र की वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते समय हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, वास्तविक मूल्य वृद्धि की अनुमति देनी होगी तथा यह देखना होगा कि अकुशलता की कीमत लोगों पर न डाली जाये तथा किसी प्रक्रिया द्वारा हम छोटी अवधि का समायोजन या दीर्घकालीन समायोजन करना पड़ सकता है, हमें कोई नीति बनानी पड़ सकती हैं जिसके अन्तर्गत हमें किसी सूत्र पर फैसला करना होगा ताकि यह निश्चय किया जा सके कि कब और किस सीमा तक नियंत्रित मुल्यों को बढ़ाया जा सकेगा।

[श्री विश्वनाथ प्रत प सिंह]

यह बात कही गयी है कि नियन्त्रित मूल्यों को बढ़ाकर हम मुदास्फीति को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ प्रभाव पड़ा है। हम समझते हैं कि 0.7 प्रतिशत के लगभग थोक मूल्य सूचकांक पर कुल मूल्य वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। कुछ अध्ययन किये गये हैं; जब 1984-85 में कुल मिलाकर 7.1 प्रतिशत मुद्रास्फीति थी तो इस पर सरकारी क्षेत्र के नियंत्रत मूल्यों का प्रभाव 1.2 प्रतिशत था तथा गैर-सरकारी क्षेत्र अनियिन्त्रत मूल्यों के कारण यह 5.8 प्रतिशत था—यही अंतर है। अत: हमें सदैव ही मरकारी क्षेत्र पर दोष नहीं लगाना चाहिए और इस पर ही सदा अपने मूल्य कम रखने के लिए दबाव नहीं डालते रहना चाहिए जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र जो चाहे कर सकता है और जितना चाहे धन अर्जित कर सकता है।

अत: मुख्य क्षेत्र में प्रयास किया जा रहा है। कोयला, विद्युत, इस्पात तथा खाद्य निगम के ऊपरी खर्चे और भाड़ा ये ऐसे क्षेत्र में हैं जिनमें प्रधान मंत्री प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं और एक चक्रीय क्रम है। यह कार्य अब किया जा रहा है, हो सकता है हम इस बारे में कुछ मार्ग दर्शी निर्देश भी जारी करें कि इसे किस प्रकार से किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : अब मूल्यों की बात पर आइये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं मूल्यों की बात कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि या तो हम घाटा जारी रखकर सब्सिडी जारी रखें, अपनी योजनाओं में कटौती करते जाएं, या इसमें से लेकर इसे वापिस विकास तथा भविष्य के लिए प्रयोग करने की तरफ ध्यान दें। हमारा वायदा भविष्य के प्रति है और इस साहस के साथ हमने यह कार्य हाथ में लिया हैं एवम् लोगों में भी विश्वास करके हमने अधिक विकास प्रगति के लिए संसाधन जुटाने के लिए ठोस कदम उठाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर बोलते हुए, यद्यपि इसका उल्लेख इस ओर के मेरे बहुत सारे सहयोगियों द्वारा पहले भी किया गया है, मैं भी बजट के अवसर पर सरकार द्वारा इस प्रकार कीमतों के बढ़ाये जाने पर अपना रोष प्रकट करता हूं।

बजट पेश किये जाने से मुश्किल से तीन हफ्ते पहले इस सरकार ने कीमतों में वृद्धि करने का निर्णय किया—। (**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया शान्त रहें।

प्रो० मधु दंडवते : उनको जाने के लिए कुछ समय दीजिए। प्रधान मन्त्री चले गये हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे भारी संख्या में बाहर जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आदरणीय सदस्य, जो जाना चाहते हैं वे चुपचाप चले जायें। मैं इसको पसन्द नही करता। (**व्यवधान**) मैं इसको पसन्द नहीं करता। कृपया चुपचाप जाइये। कृपया गलियारे में खड़े होकर बातें मत करिये।

प्रो० मधु दण्डवते : वे अपने प्रधान मन्त्री का अनुकरण कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : चलते जाइये या अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया जाइये और हमारे लिए कॉफी भिजवाइये।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : वित्त मंत्री ने स्वयं हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि यह एक कठिन निर्णय था जो उनको लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि यद्यपि वह जानते थे कि इसे पसन्द नहीं किया जायेगा परन्तु उनको निर्णय लेना पड़ा।

श्रीमन, हमने इन नारों को सुना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपा गलियारे में खड़े होकर बातचीत न करें। चलते जायें।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : पिछले छः वर्षों से हमने 1977 और 1980 के इस नारे को सुनते आ रहे हैं। यह सरकार पिछले 5-6 वर्षों से शासन कर रही है और 1977-80 में जो हुआ यह उसका परिणाम नहीं है। यह इस सरकार को गलत नीतियों का परिणाम है कि इसे आज मूल्यों में वृद्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा जिससे जनसाधारण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

8.31 **म० प०**

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि की गई है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी कीमतें गिरती जा रहीं हैं। मेरे से पहले कई अन्य वक्ताओं ने भी इसका उल्लेख किया है। आज इसका मूल्य 34 डालर प्रति बैरल से गिरकर लगभग 14 या 15 डालर प्रति हो गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि यह कदम पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम करने के लिए उठाया गया है। मेरी राय में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिया जा सकता जबकि कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप खपत कम हुई हो। यदि पैट्रोलियम की बचत करनी है या इसकी खपत कम करनी है, तो हजारों कारों तथा लिमूसीनों के उत्पादन के लिए लाइसेंस देने की क्या आवश्यकता है ? इसी प्रकार गैस की कीमत भी बढ़ाई गई है जबकि गैस न केवल आसाम अपितु बम्बई हाई में भी निकाली जा रही है। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ाई गई हैं जबकि कृषि क्षेत्र वास्तव में मन्दी के दौरे से गुजर रहा है। वास्तव में, लगभग सभी कृषि वस्तुओं की कीमतें गिर गई हैं और शायद कृषि क्षेत्र में हाल के समय में यह सबसे अधिक मन्दी है। कीमत में 5 रुपये कमी करके सरकार सोचती है कि उन्होंने लोगों पर भारी अहसान किया है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा, "हम सस्ती लोक प्रियता प्राप्त करने वाले उपाय नहीं करना चाहते।"

मुझे प्रसन्नता है कि उस दल ने जिसके सदस्य दूसरी ओर बैठे हुए हैं, जो सस्ती लोक प्रियता की उपज है, कम से कम उन खतरों को महसूस किया जो सस्ती लोकप्रियता से भविष्य में उत्पन्न हो सकते हैं।

दूसरी तरफ के कई सदस्यों ने कहा है कि विरोधी दलों सरकार के विरुद्ध कुछ कहने का मौका मिल गया है। निश्चय ही हम एक मुद्दे पर एक हो जाते हैं। अगर विरोधी दल किसी विषय के बारे में एक जुट हैं तो निश्चत रूप से वह आर्थिक कार्यक्रम होगा। हम सम्राट के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करते और न ही हमारा कोई सम्राट है। हम नहीं चाहते कि कोई हम पर हुकम चलाये। अतः निश्चय ही ऐसे मसले पर, जब संसद की अवहेलना की गई हो, लोगों की उपेक्षा की गई हो, हम एक जुट होंगे।

[श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव]

बलिदान के लिए आह्वान किया गया है। किसके द्वारा बलिदान ? हमें अपनी पेटियां कसने के लिए कहा गया है। किनकी पेटियां कसी जानी हैं। हर बार इस तरह की चीज का उन्हीं लोगों पर बोझ पड़ता है जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं या अनुसूचित जातियों अथवा पिछड़ी जातियों के लोग हैं। यह सरकार पिछले एक या दो सालों में क्या करती रही है ? एक ओर आप पेटियां कसने की बात करते हैं जब कि गरीब आदमी पर यह सारा भार पड़ेगा और दूसरी ओर प्रधानमंत्री इलैक्ट्रानिक उपभोक्ता सामान तथा मोटर गाड़ी के पुर्जे बाहर से खरीद कर ला रहे हैं। एक समाचार पत्र में यह भी निकला है कि जब प्रधानमन्त्री मसकट गये थे तो भारत आने पर उन्होंने विदेश से लाये गये माल पर 24000 रुपये में सीमा शुल्क दिया। हमें प्रसन्नता है कि उन्होंने सीमा शुल्क का भुगतान किया परन्तु यह बताने के प्रयत्न कर रहा हूं कि इस सरकार की प्रवृति और संस्कृति यह है। महात्मा गांधी ने स्वदेशी का नारा दिया। पंडित नेहरू ने आह्वान किया स्वदेशी वस्तुएं खरीदो "और आज हमारे प्रधानमन्त्री कहते हैं भारत में निर्मित वस्तुओं का त्याग करो और विदेशी वस्तुएं खरीदो"। इस प्रवृति को लेकर यह सरकार कार्य कर रही है। जब तक यह धारणा नहीं बदलेगी तब तक हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। बड़े औद्योगिक घरानों को रियायत देने से सरकार ने लगभग एक हजार करोड़ रुपये का राजस्व खो दिया है। आप काले धन को समाप्त करने की बात करते हैं। आज तक जो छापे मारे गये हैं उनसे हम सन्तुष्ट नहीं हैं। कुछ चुनीदा लोगों को परेशान किया जा रहा है। अगर वास्तविक लोगों पर, जो कि काला धन छिपाये बैठे है छापे मारे जायेंगे तब बम्बई में हुए शताब्दी समारोह के लिए धन कहां से आता ? वहां कितने करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं ? क्या प्रधानमन्त्री को इसका कुछ अंदाजा है ? वर्तमान सरकार की यह प्रकृति है। उनके कार्य करने का यह ढंग है। हमने पटौदिया और किरलोस्कर जैसे लोगों के वक्तव्य देखे हैं जिन्होंने 'फेरा' तथा 'कोफेपोसा' को पूर्णतया हटाए जाने की मांग की है। वे चाहते हैं कि उन्हें समाप्त कर दिया जाये इसलिए मैं यह जानना चाहूंगा कि इन लोगों को ऐसी मांग करने की हिम्मत कैसे हुई। इन लोगों द्वारा दिये जाने वाले ऐसे वक्तव्यों के पीछे अनेक बातें छिपी होती हैं। जब मैं इस सरकार के बारे में सोचता हूं तो मुझे एक विज्ञापन की याद आ जाती है जो हमने कुछ समाचार पत्रों में देखा था। यह स्टेट्समैन तथा कुछ दूसरे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। वह इस प्रकार है। 'हमारे बारे में यदि कोई भारतीय चीज है तो वह हमारा नाम है; शेष सब सोनी है।' यह विज्ञापन मुझे इस सरकार और इसके कार्य करने के ढंग की याद दिलाता है। इस वर्ष आपको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का भुगतान करना है। आपके पास पैसा नहीं है। आपको अपनी धनराशि मिल जायेगी लेकिन वे आपसे वाणिज्यक दर से ब्याज बसूल करेंगे आपको उनके पास घुटनों के बल जाना पड़ेगा और देश के हित को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के पास गिरवी रखना पड़ेगा। कई सदस्यों ने कहा है कि मुद्रा स्फीति की दर केवल 4.9 प्रतिशत है। यह थोक स्तर पर है। खुदरा स्तर पर मुद्रा स्फीति की दर क्या है मैं नहीं जानता। वे इस निम्न आंकड़े पर इसलिए पहुंच सके हैं क्योंकि अन्य वस्तुओं की तुलना में कृषि वस्तुओं के मूल्यों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है। ग्रामीणों, कृषकों और गांवों के महनतकश लोगों की कीमत पर यह निम्न दर प्राप्त की जा सकी है।

इसलिए महोदय, मुझे आशा है कि पिछले एक वर्ष में और उससे पहले भी की गई गलतियों से यह सरकार सबक लेगी तथा सुधार करेगी, तथ्यों को स्वीकार करेगी और उस सम्पूर्ण

दृष्टिकोण तथा अवधारण को जिसको वे अब तक अपनाते रहे हैं, बदलने में यथार्थवादी बनेंगे। अन्यथा मुझे आशंका है कि यदि अभी नहीं तो शीघ्र ही एक समय आयेगा जब उन्हें कठिन और मुसीबत के दिन झेलने पड़ेंगे। इस सरकार को और विपक्ष को जो कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी न किसी को सत्ता में आना ही है, लेकिन देश और इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, एक बार यदि हम इस लीफ में पड़ गये तो बाहर निकलना बड़ा कठिन हो जायेगा। वित्त मन्त्री वाकपटुता दिखा रहे हैं। कई चीजें जो उन्होंने आज कहीं है घिसे-पिटे श्लोकों की तरह लग रही हैं, हमारी इसमें रुचि नहीं है। हम चाहते हैं कि आखिरकार प्रधानमन्त्री ही उत्तर दें लेकिन मुझे आशा है कि वे उचित कदम उठायेंगे और हमें बतायेंगे कि क्या सरकार उस दृष्टिकोण को बदलने को तैयार है जो उन्होंने आज तक अपनाया है और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनायें तथा देखें कि इस प्रकार की मुद्रास्फीति न होने दी जाय जिससे कि भविष्य में हमारे गरीब वर्गों पर कुप्रभाव पड़े। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद

[हिन्दी]

श्री श्यामलाल यादव (वाराणसी) : सभापति जी, इस मूल्य वृद्धि के सिलसिले में उपस्थित प्रस्ताव पर वित्तमंत्री जी ने अभी जिस आर्थिक-परिस्थिति का विश्लेषण किया और देश के सम्मुख जो चुनौतियां हैं, उनका विवरण देते हुए जिस वास्तविकता के साथ इस बात को रखा कि यह मूल्य वृद्धि देश के लिए आवश्यक है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं।

वास्तव में मूल्य वृद्धि करना किसी भी सरकार के लिए प्रसन्नता की बात नहीं होती, लेकिन जो चुनौतियां थी और जिस प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति है, उसको देखते हुए मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि यह मूल्य वृद्धि उचित है। वास्तव में जिस बात की चर्चा श्री दिनेश गोस्वामी ने की कि इंग्लैण्ड या अमरीका में कर लगाने के ऊपर राय न लेने पर बड़े-बड़े विद्रोह हुए, मैं समझता हूं कि आज वह स्थिति सरकार की नहीं है। आज सरकार केवल कर नहीं उगाहती, बल्कि सरकार बहुत से मौलिक उद्योग-धन्धों को भी चलाती है, उत्पादन भी करती है, व्यवसाय भी करती है, व्यापार भी करती है, वितरण भी करती है वस्तुओं का तो सरकार उन कामों के लिए जो चीज वह उत्पादित करती है, जिसका वितरण करती है, जिसको खरीदती और बेचती है, उसके उत्पादन मूल्य और आवश्यकता को देखते हुए बजट के बाहर भी उसे बढ़ा या घटा सकती है इसलिए इसमें कोई नैतिकता का प्रश्न नहीं उठता। मैं समझता हूं कि सरकार की यह जिम्मेदारी है जिसका निर्वाह आज नहीं वर्षों से किया जा रहा है विशेषकर उन उत्पादनों में जिनका नियंत्रण पूर्णतया सरकार के हाथ में है जैसे कोयला, उर्वरक, पैट्रोलियम पदार्थ और सरकार द्वारा उगाहे गए अनाज का वितरण उसके हाथ में है। इसकी मूल्य वृद्धि करने से जो भी आय होगी, वह सीधे सरकार के पास जायेगी और उससे प्राप्त धन को वह समाज के सुधार में और देश के विकास में उद्योग धंधों को बढ़ाने में कर सकती है। अकेले पैट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि से लगभग 530 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की अधिक आय होगी। जो दो लक्ष्य सरकार ने पैट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि के लिए बताए और जिसकी विशाद व्याख्या वित्त मंत्री जी ने भी की, मैं समझता हूं कि वह पर्याप्त संतोषजनक है। अगर मूल्य वृद्धि होती है तो उसकी खपत में कमी होगी और जो हमारा धन दूसरे देशों में जाता है यानी फॉरेन एक्सचेंज की भी बचत होगी। पिछली बार जब 1979 में मूल्य वृद्धि की गई उसके पहले भी पैट्रोलियम

[श्री श्यामलाल यादव]

पदार्थों की खपत में उल्लेखनीय कमी आई और मुझे आशा है कि इस बार की वृद्धि से और भी कमी होगी। एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं और जैसा कि पैट्रोलियम मंत्री जी ने एक ब्यान में कहा था कि जितने सरकारी विभाग या उपक्रम हैं, उनमें आज पैट्रोलियम का खर्चा बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, उस पर सरकार को नजर रखनी होगी। जहां पर भी बिना पैट्रोलियम के खर्च किए हुए काम चल सकता है या उस पर रोक लगाई जा सकती है, वहां उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। किसानों को जब उचित मूल्य देने के लिए गेहूं की खरीद के लिए पांच रुपये की वृद्धि की गई और 18 रुपये उपभोक्ताओं को देने के लिए वृद्धि की गई तो फूड कार्पोरेशन की व्यवस्था को, उसकी फिजूलखर्ची को और उसके अधिक व्यय के स्रोतों को भी रोकना पड़ेगा। फूड कार्पोरेशन के माध्यम से इतना अधिक असर वितरण व्यवस्था पर पड़ता है कि अधिक से अधिक रुपया उस पर ही खर्च हो रहा है। यही कारण है कि पांच रुपये किसानों को देने के बदले 18 रुपये की मँहगाई उपभोक्ताओं को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इस बारे में भी सरकार को देखना पड़ेगा। पैट्रोलियम पदार्थों की खपत में कमी के लिए आवश्यक है कि बिजली का उत्पादन देश में बढ़ाया जाए। आज राज्य सरकार के हाथ में बिजली का उत्पादन है इसलिए मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं कि बिजली बोर्डों का कार्य अत्यन्त ही असंतोषजनक है। यही कारण है कि आज डीजल की खपत देश में बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। खेती के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और जितने भी बड़े, मध्यम और छोटे उद्योग हैं यहां तक कि जो छोटे दुकानदार हैं, उनको भी डीजल जनरेटिंग सैट्स रखने पड़ते हैं क्योंकि बिजली नहीं मिल सकती। वित्त मंत्री जी ने कहा है कि बिजली की उत्पादन क्षमता में अधिक वृद्धि हुई है, वह सराहनीय है। उस पर ही हमें नहीं रुकना है। आज अगर बिजली का उत्पादन ठीक तरह से होता और जितना लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया है, उस लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे तो मुझे विश्वास है कि डीजल की खपत में कमी होगी। बिजली का उत्पादन अगर ठीक प्रकार से नहीं हो पाता तो डीजल की खपत कम करने का प्रयास उस हद तक कामयाब नहीं होगा जिसकी हम कल्पना करते हैं।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के जितने उद्योग हैं, उनके ऊपर हमें सख्त निगरानी रखनी पड़ेगी। आज सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अधिकांश, चाहे परफौरमैंस हो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो या अन्य प्रकार से जैनरेट करना हो, आमदनी को, पैसे को, उसमें बहुत पीछे हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट यूनिटस का बड़ा रोल है।

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ने भी अभी पैसेन्जर फेयर में वृद्धि की है। मैंने उसकी फीगर्स को देखा है। हालांकि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन में हर क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है, चाहे आप पर-पैसेन्जर के हिसाब से देख लें। पर-मोटर-व्हीकल के हिसाब से देख लें, उसके रख रखाव के हिसाब से देख लें, सब में बहुत अधिक वृद्धि हुई है परन्तु दूसरी ओर राज्य सरकारों के अधीन जितने रोड़ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन्स हैं, उनका काम संतोषजनक नहीं है। हमें स्टेट रोड़ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन्स को और अधिक चुस्त करना होगा और उसके घाटे को कम करना होगा। यदि हमें उनसे आमदनी न भी मिल सके तो वे कम-से-कम अपने खर्चे की व्यवस्था तो स्वयं कर सकें, चाहे उन्हें नई मोटर गाड़ियां हों, मरम्मत के काम करने हों। तब जाकर इसमें बचत हो सकती है।

एक चीज मान्यवर मैं और कहना चाहता हूं। हमारे इधर के कई मित्रों ने कहा कि इंटक ने इस मूल्य वृद्धि की निन्दा की है। उन्होंने हमारे एक मित्र का नाम भी लिया लेकिन वे शायद भूल जाते हैं कि जो लोग संगठित वर्ग में काम करते हैं, किसी आर्गेनाइज्ड सैक्टर में हैं, चाहे वे किसी इंडस्ट्री, किसी फैक्ट्री, सरकारी उपक्रम या सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हों, उन्हें उनके बीच जाकर उनको प्रसन्न करने की बात करनी होती है ताकि वे खुश रहें और उन यूनियनों के साथ रहें। लेकिन जब वे दूसरी तरफ आते हैं तो उनको पता लगता है कि कहां से वे धन लायें। आज पश्चिमी बंगाल में दूसरी पार्टी की सरकार है, कई और प्रदेशों में भी दूसरी सरकारें हैं, वे पार्टियां उन प्रदेशों में कैसे सरकारें चला रही हैं, कहां से अपने कर्मचारियों को पैसा दे रही हैं, उसका उन्हें अच्छा तजुर्बा है। इसलिए केवल आर्गेनाइज्ड सैक्टर को प्रसन्न करने के लिए ही सारे प्रयास नहीं होने चाहिए।

यहां किसानों की बात कही गई और हमारे एक ग्रुप ने कहा कि जो लोग हजार रुपये तनख्वाह पाते हैं, उनको तो बोनस और दूसरी सुविधाएँ देने की बात की जाती है, लेकिन किसान के बारे में हम दूसरी तरह से सोचते हैं और उस पर टैक्स लगाने की बात करते हैं जो दिन-रात, धूप में, बरसात में मरता हैं। आज किसी बैंक का एक साधारण क्लर्क जितनी सुख-सुविधा से रहता है उतनी सुविधाएँ तो गांव के किसी बड़े से बड़े किसान को प्राप्त नहीं है। उसके पास गैस का सिलिंडर नहीं है, ऐशो-आराम की चीजें नहीं हैं क्योंकि उसके पास सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए कोई यूनियन नहीं है जो प्रतिदिन बोट क्लब पर आकर प्रदर्शन कर सके और सरकार के ऊपर दबाव डाल सके। जब महंगाई बढ़ती है तो आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लोगों को डी. ए. दिए जाने की बात की जाती है और एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष सरकार को 70 करोड़ रुपया महंगाई भत्ते की किस्त के रूप में देना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर किसान को 5 रुपये भी ज्यादा मिल गए तो उस पर टैक्स लगाने का सुझाव हमारे मित्र देते हैं जो बिल्कुल ही अनुचित है। मैं समझता हूं कि सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है और इसीलिए उसने किसानों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया। हालांकि दूसरे प्रकार से नहरों के रेट बढ़ रहे हैं, ट्यूबवैल के रेट बढ़ रहे हैं या बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। खाद के और एग्रीकल्चरल इम्प्लीमैंटस के सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं और उस रूप में हमारे किसानों को पहले से अधिक मूल्य देना पड़ रहा है। उसकी अपेक्षा पैदावार के दाम उतने नहीं बढ़ाये जाते हैं। यदि कभी बढ़ाये भी जाते हैं तो बार-बार उस पर आपत्ति की जाती है।

मान्यवर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। सिर्फ इतना ही आपने निवेदन करना चाहता हूं कि उन सैक्टर्स में जो सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में हैं, सरकार के हाथ में हैं, आप मूल्य-वृद्धि करके व्यवस्था करा सकते हैं लेकिन जो उद्योग सरकार और प्राइवेट सैक्टर दोनों के संयुक्त रूप से नियंत्रण में चलते हैं, यदि सरकार मूल्य-वृद्धि करती है तो उससे प्राइवेट सैक्टर को ज्यादा फायदा मिलता है। उदाहरण के लिए यदि सरकार स्टील के दाम बढ़ायेगी तो सरकार मूल्य वृद्धि करके अपना घाटा पूरा करेगी लेकिन प्राइवेट सैक्टर उस वृद्धि से अनायास ही फायदा उठायेगा। उस तरफ हमारे वित्त मंत्री जी ने इशारा किया है और मुझे आशा है कि वे उस बात को ध्यान में रखेंगे। जो उद्योग सरकार और प्राइवेट सैक्टर दोनों के नियन्त्रण में चलते हैं, यदि सरकार वहां पर मूल्य वृद्धि करती है तो उससे प्राइवेट सैक्टर को अनायास ही विन्डफाल होता है, आप इस पर नजर रखें ताकि सरकार को लाभ मिल सके।

[श्री श्यामलाल यादव]

इन शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने इस मौके पर उचित निर्णय लिया, एक साहसिक कदम उठाया ताकि देश की आर्थिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जा सके ताकि हमारी आर्थिक व्यवस्था बढ़ सके और जो कार्यक्रम गरीबी हटाने के लिए, एण्टी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाये जा रहे हैं, गांवों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए सस्ते दामों पर अनाज दिया जा रहा है और जो लक्ष्य रखे गए हैं, इस काम को पूरा करने के लिए, उनके बारे में मैं दूसरे अवसर पर चर्चा करूंगा। इस समय तो मैं यही कहना चाहता हूं कि गांव के विकास के लिए अधिक से अधिक धन लगाया जाए, चाहे वह गांवों में बिजली का विकास हो, चाहे अन्य चीजों का विकास हो, लेकिन गांवों के विकास के लिए अधिक से अधिक धन व्यय किया जाना चाहिए।

एक बात में सरकार से विशेषरूप से कहना चाहता हूं कि जो गैर कांग्रेसी सरकारें राज्यों में हैं, वे धन का सही-सही उपयोग करें। जैसे कि बंगाल में और कई प्रदेशों में हो रहा है, वह सरकारें रुपया बर्बाद न करें, इस बात पर नजर रखें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आनन्द गजपति राजू (बोबिली) : महोदय, मैं पेट्रोलियम पदार्थों की आकलित कीमतों में वृद्धि से सम्बन्धित कुछ पहलुओं पर संपेक्ष में कहूंगा, मेरा इरादा सीधे-सीधे सरकार की आलोचना करना नहीं है न ही उसका समर्थन करना है बल्कि उनके सामने कुछ ऐसे पहलुओं को रखना है जिन्हें इस अवस्था में वे उपयोगी पा सकते हैं क्योंकि मेरा यह विचार है कि इन आंकलित कीमतों में वृद्धि के बारे में और भी ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये था, कुछ और कार्य इस बारे में इस कारण किया जाना चाहिए जब वित्तीय नीति का यह तकाजा है कि प्रत्यक्ष कर पांच वर्षों तक पूर्ववत रहेंगे तो यह अगले पांच वर्षों में अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करने के बराबर होगा और यदि अप्रत्यक्ष कर बढ़ाये जाते हैं तो इसका अर्थ है कि गरीब वर्ग के लोग प्रभावित होंगे और इसलिए जिस परिप्रेक्ष्य में राजस्व जुटाया जाता है, राजस्व खर्च किया है, और जिस तरीके से यह समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करता है उसको समझने की आवश्यकता है। अन्तर्राष्ट्रीय मंच में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बहुत गिर गई हैं, आज कीमत 15 डालर प्रति बैरल से भी कम है और सम्भावना यह है कि इसको पुनः कम किया जाएगा क्यों कि 'ओपेक' देशों के बीच गड़बड़ी चल रही और जब कोई चाहता है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार चले, और जब कोई देश में उच्च लागत अर्थव्यवस्था की बात करता है तो पेट्रोलियम पदार्थों की आंकलित कीमतों की वृद्धि निश्चिय ही हमारी अर्थव्यवस्था को उच्च कीमत वाली बना देगी और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के साथ तालमेल नहीं रह जायेगा, इसका एक पहलू यह है कि यदि आंकलित कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो योजना व्यय के लिए अधिक राजस्व जुट जाता हैं, लेकिन एक ओर हालांकि योजना व्यय तो बढ़ गया है दूसरी ओर यह कम हो जाता है, क्योंकि योजना परिव्यय में सम्मिलित वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं पेट्रोलियम पदार्थ भी एक घटक कीमत है। माननीय वित्त मंत्री ने कुछ समय पूर्व एक बार उल्लेख किया था कि निवेश और सरकारी सहायता तथा

ग्रामीण एवं शहरी विभाजनों के बीच विकल्प है। मैं महसूस करता हूं कि कीमतों में यह वृद्धि सोच-विचार कर नहीं की गयी है और इसका अधिक गहरा परीक्षण एवं निरीक्षण किया जाना चाहिये। आज उसके पीछे जो तर्क दिया गया है वह संतोषजनक नहीं है। कहीं पर भी वित्त मंत्री ने यह नहीं उल्लेख किया है, सिवाय यह कहने के, कि परिव्यय बढ़ाना जाना चाहिये, कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि करने का कोई औचित्य है।

मैं एक और औचित्य देखता हूं अर्थात खोज के कार्य में वृद्धि जो इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए हैं। कि रिगों, खोज लागत कम हो गई है और हमारे पेट्रोलियम भण्डार 15 से 17 वर्षों से लेकर 30 वर्षों तक चलेंगे। अतः इस बात पर विचार नहीं किया गया है, और आकलित कीमतों में वृद्धि, आपकी सार्वजनिक वित्त और सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारण की हार है। सार्वजनिक क्षेत्र इसलिए है कि वितरण में न्याय सुनिश्चित हो सके तथा निर्धन वर्ग के लोगों को अधिक धन और अधिक लाभ मिलें, लेकिन इस कदम से केवल निर्धन वर्ग ही नहीं वरन् मध्य वर्ग भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

और, फिर काल्पनिक मूल्य एक ऐसी चीज है जिस पर आंकलित कीमतें आधारित होती हैं जिससे यह सुनिश्चत हो सके कि अहस्तक्षेप की नीति समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को प्रभावित न करे। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का जो दर्शन है उसका उचित इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य ही व्यर्थ हो जाता है बाजार शक्तियां स्वतंत्रता से कार्य करती हैं और निर्धनों की मुसीबतों के विपरीत धनी लोगों को खुल कर लाभ मिलता है। कोयला, इस्पात और उर्वरक का जहां तक प्रश्न है, उनकी कीमतें बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा क्योंकि वैसे भी सत्र के दौरान इस पर आगे बहस होगी, लेकिन एक बात का उल्लेख केवल कर दूं और मैं फिर समाप्त करूं दूंगा और वह है उर्वरक तथा खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि, यह एक ओर बहुत अच्छा तरीका लगता है कि एक ओर खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ा दी जायें तथा दूसरी ओर उर्वरकों की कीमतें भी बढ़ा दी जायें। लेकिन उर्वरक कीमतों में वृद्धि का बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ता है और कृषि-उद्योग की अर्थव्यवस्था पर सर्वतोमुखी प्रभाव पड़ेगा, खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से ग्रामीण-शहरी द्विभाजन की बात हल नहीं होती। अतः चूंकि हर किसी के लिये दिन थकान से भरा रहा है मैं इन मुद्दों पर आगे नहीं बात करूंगा लेकिन केवल यह कहूँगा कि तदर्थवाद रोजमरी की बात हो गई है। सरकार विपक्ष से भी सलाह कर सकती थी। वे लोगों के विभिन्न वर्गों को भी विश्वास में ले सकते थे और कुछ कदम निर्धारित कर सकते थे और जब इसने ऐसा नहीं किया है तो इन प्रभावों का दीर्घावधि तक परिणाम होगा। भले ही आज यह एक मामूली सा मुद्दा लग रहा हो लेकिन आने वाले दिनों में यह उन नई गलतियों का या नये सफेद हाथियों का पर्दाफाश करेगा जिनका सरकार निर्माण करेगी, धन्यवाद।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : मुझे अखबारों से अक्षरशः उद्धृत किया गया है। मैं पाता हूं कि दांयें और बांये, दोनों ही नहीं हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि अखबार के समाचारों की सत्यता पर वे कितना विश्वास करने लगे हैं, यह जान कर प्रसन्नता होती है कि वे जो कुछ भी अखबारों में पढ़ते हैं। उस पर विश्वास कर लेते हैं।

यह सही है कि मूल्य वृद्धि मध्यम वर्ग को नुकसान पहुँचाती है और इसने मध्यम वर्ग को नुकसान पहुँचाया है। प्रश्न यह नहीं है कि यह नुकसान पहुँचाती है या नहीं, इस सदन में समानरूप

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

से यह माना जाता है कि कीमत में वृद्धि से लोगों को नुकसान पहुँचता है। कोई यह नहीं कह सकता कि कीमत में वृद्धि से नुकसान नहीं होता, लेकिन यह एक त्याग का प्रश्न है, प्रश्न यह उठता है कि वह उद्देश्य जिसके लिये त्याग किया जा रहा है, औचित्यपूर्ण है या नहीं। मैंने आशा की थी कि विपक्ष सरकार से इसकी वकालत करेगा क्योंकि वे दावा करते हैं कि वे पद्दलितों के साथ हैं, वे दावा करते हैं कि वे पद्दलितों के प्रतिनिधि हैं और हम लोग किसी और के प्रतिनिधि हैं, मुझे नहीं मालूम हो सकता है कि इस देश का बहुसंख्यक पद-दलितों की परिभाषा से कहीं बहुत ऊपर है।

9.00 म. प.

सभापति महोदय, प्रश्न यह है। जब सारा प्रयास ही गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए है, पद्दलितों के उत्थान के लिए है तो उन्हें विरोध करने की बजाय स्वागत करना चाहिए। हां अगर उनके इरादे ये नहीं हैं कि पद्दलित हमेशा पद्दलित रहे ताकि उनके पास कहने के लिए कुछ रहे, तो बात दूसरी है। यदि उनका इरादा यह है तो ठीक है।

जब श्री इन्द्रजीत गुप्त यहां थे तो उन्होंने आर्थिक स्वतन्त्रता की लड़ाई के बारे में कहा, मैं नहीं जानता कि उन्हें इस बात का विश्वास है कि लड़ाई सरकार समर्थित बन्द के आयोजन द्वारा लड़ी जा सकती है, यदि वे समझते हैं कि इस तरीके से लड़ाई लड़ी जा सकती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होता है क्यों कि इसी तरीके से वे अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। निःसंदेह यह सत्य है कि आर्थिक स्वतन्त्रता का युद्ध अपने सम्पूर्ण रूप में, अर्थात प्रत्येक की आंख से, विशेष-कर गरीब की आँख से आंसू पोंछने के लिए, तभी सम्भव है जब अधिक उत्पादकता और अधिक तरक्की हो, और सरकार-समर्थित बन्द के आयोजन से नहीं। यदि वे मूल्य वृद्धि के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन बात तब समझ में नहीं आती जब वे और ज्यादा बन्द आयोजित करवाते हैं और कारगर तरीके से कोई योगदान देने की बजाय और भी अधिक आर्थिक नुकसान पहुँचाते हैं। जहां तक प्रश्न है कि क्या लोग पटरियों पर मरते हैं मुझे इस बात का यकीन है—और मेरी इस बात को रिकार्ड किया जा सकता है कि देश में किसी भी अन्य स्थान के मुकाबले कलकत्ता की पटरियों में ज्यादा लोग मरते हैं। जब क्रान्तिकारी वामपंथी सरकार के अधीन कलकत्ता में ऐसा हो सकता है तो इसमें ज्यादा आश्चर्य नहीं होता। इससे भी ज्यादा आश्चर्य तब होता है जिन लोगों ने 1942 में स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग नहीं लिया जो अचानक भाग गये और जमे नहीं रहे, वे अब आर्थिक स्वतन्त्रता की बात कर रहे हैं। (**व्यवधान**) सभापति महोदय; प्रश्न यह उठता है। क्या विपक्ष चाहता है कि हम आगे बढ़ें और देश में तरक्की हो ? क्या वे विकास चाहते हैं या वे यह चाहते हैं कि यह देश एक ही जगह स्थिर रहे और पिछड़ जाये ? जब उन्होंने 1978-79 में कर लगाये तो, मैं समझता हूं कि कीमतें तब कम हो गयीं और इसलिए आज वे मूल्य-वृद्धि की बात कर रहे हैं ! उस 20% से भी अधिक मुद्रा-स्फीति के बारे में क्या ख्याल है जो उनके शासन के दौरान थी, वह शासन जो कि अपेक्षाकृत विषमागी था ? एक छोटा सा प्रश्न यह उठता है, यह आश्चर्य की बात यह है कि वित्तमंत्री ने इस सदन को जो उत्तर दिया है उसके प्रभाव या गम्भीरता को समझे बिना विपक्ष आलोचना करता है। दरअसल मैंने अपने मित्र श्री किशोर चन्द्र एस० देव को वित्तमंत्री के बोलने के तुरन्त

बाद बोलते सुना। मैं समझता हूं कि वह इस तथ्य से अवगत नहीं है कि वित्तमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम उपयोग को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं और ऊर्जा संरक्षण सम्मेलन भी बुलाया जा रहा है वह इस तथ्य से भी अवगत नहीं है कि वित्तमंत्री ने कहा था कि एक कार परियोजना रोक दी गयी है। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि जब बात असुविधाजनक हो तो विपक्ष बहरा हो जाता है और जब सुविधाजनक हो तो उसकी सुनने की शक्ति बड़ी तेज हो जाती है। इस प्रकार के दोहरे स्तर को अपनाने के कारण ही वे यहां इतनी कम संख्या में हैं और किसी कारण से नहीं।

हां, एक चीज का में विनम्र निवेदन करूंगा। यदि विपक्ष कुछ विश्वसनीयताओं सहित आलोचना करे तो मैं बात समझ सकता हूं। वस्तुतः, प्रो० दण्डवते साहब स्वयं सरकार में थे और यदि कोई उनके बजट पर नजर डाले तो पता लगेगा कि ऋण .....

प्रो० मधु दण्डवते : आपका मतलब है रेलवे बजट ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : दोनों "ऋण" उनका मुख्य मुद्दा था। उन्होंने आय या राजस्व के विषय में कभी नहीं सोचा। उन्होंने धन लेने और भीख माँगने के अलावा और किसी तरीके के विषय में नहीं सोचा। यदि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की आवश्यकता भी पड़ी तो इसलिए कि – वित्तमंत्री के शब्दों के अनुसार यह उस विरासत के कारण पड़ी जो उन्होंने कांग्रेस के लिए छोड़ी थी।

सभापति महोदय, यदि में साफ-साफ निवेदन करूं तो स्थिति यह है कि मूल-वृद्धि भारी है, इसने निःसन्देह मध्यम वर्ग को नुकसान पहुंचाया है, मुझे यकीन है कि देश का मध्यम वर्ग इसे सहन करेगा लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इसका इस्तेमाल आर्थिक गड़बड़ी के लिए एक बहाने के रूप में किया जाय, देश को आस्थिर करने के लिए एक बहाने के रूप में किया जाय।

वे मूल्य वृद्धि की बात करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि विपक्ष के कितने सदस्य अपने उन साथी सदस्यों की आलोचना करने के लिए तैयार हैं जो दिन रात साम्प्रदायिकता भड़काते हैं। वे उस उद्देश्य को क्यों नहीं ले रहे हैं ? वे देश की एकता की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वे अपने उन मित्रों के साथ क्यों बैठ रहे हैं, उनकी ओर क्यों हो रहे हैं जो खुले आन साम्प्रदायिकता भड़का रहे हैं, खुले आम देश के विभाजन के लिए भड़का रहे हैं। वे उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहे है, ऐसा क्यों है ? मूल्यों में एक छोटी सी वृद्धि एक बड़ा मुद्दा बन रही है, ऐसा क्यों है ? यही मुख्य प्रश्न है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, प्रश्न यह उठता है कि क्या निंदा के रूप में यह स्थगन प्रस्ताव औचित्य-पूर्ण है, निःसन्देह इसका कोई औचित्य नहीं है जब तक कि विपक्ष का यह कहने का इरादा न हो कि गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु धन प्रदान करने की बात सोचना सरकार के लिए गलत है। हां, यदि वे ऐसा अनुभव करते हैं तो उन्हें ऐसा कहने दीजिए और इनकी इस बात को भी रिकार्ड में आने दीजिए कि वे चाहते हैं पद्दलित और भी अधिक पद्दलित हो जायें तथा उनका कोई उत्थान न हो।

[श्री पी० आर० कुमारमंगलम]

मैं यह कहना चाहूंगा कि मध्यम वर्ग में भी इस मध्यम वर्ग का एक ऐसा हिस्सा है जो मूल्य वृद्धि को सहन करने में कठिनाई महसूस करेगा। वस्तुतः बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं जैसे पश्चिम बंगाल में, जो संघर्ष कर रहे हैं और बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ एक समस्या है। उनके वेतन आयोग की रिपोर्ट की लम्बे समय से प्रतीक्षा की जा रही है। मैं इस अवसर पर वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह अपने अच्छे प्रभाव का– चूंकि वह यहां नहीं हैं मैं श्री बूटा सिंह से कहूंगा कि वह अपने अच्छे प्रभाव का इस्तेमाल करें, ताकि रिपोर्ट शीघ्र आये, ताकि शीघ्र ही कुछ आर्थिक लाभ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिले जो कि इस मूल्य वृद्धि को तथा डी० टी० सी० के भाड़े में वृद्धि को सहन कर पायेंगे।

अन्त में अपना भाषण समाप्त करते हुए मैं बम्बई में बस भाड़े के विषय में एक बात कहना चाहूंगा, प्रोफेसर साहब को यह मालूम होगा, 'बेस्ट' (बी. इ. एस. टी.)—बम्बई की यातायात प्रणाली जो कि दिल्ली में डी. टी. सी. की तरह है—में जहाँ तक किसी में यात्रा-दूरी का प्रश्न है, यह अधिक तय करती है। वह इसको खूब अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन इस बारे में वह नहीं बोलते। महोदय, धन्यवाद।

*श्री पलास बर्मन (बलूरघाट) : सभापति महोदय, मैं बंगाली में बोलना चाहता हूं। महोदय, मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा पेश किए गए स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं सरकार के विचार हेतु कुछ बातें कहना चाहता हूं। सरकार की उदार आयात नीति के कारण तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण के कारण हमें आज करोड़ों रुपयों की आवश्यकता है। इन गलत नीतियों के कारण देश में एक आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इस संकट का मूल कारण है केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीति।

पिछले बजट सत्र के दौरान तथा उसके बाद कई बार हमने इस गलत आर्थिक नीति, जो कि गरीबों के विरुद्ध तथा धनी लोगों के पक्ष में है, के विरोध में कहा है। इसीलिये उन्होंने इसी को अपनाया है जिससे जनसाधारण को भारी असुविधा हो रही है। यदि सरकार ने हमारे विरोध और चेतावनियों पर ध्यान दिया होता तो ऐसी कोई मूल्य वृद्धि नहीं हुई होती। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। गेहूं, चावल और पेट्रोलियम पदार्थों की आकलित कीमतों में वृद्धि लोगों पर बोझ है। जैसा कि सरकार कहती है इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम की जा सके। सरकार हमेशा ही विकास पर अधिक जोर की बात करती है। लेकिन क्या संसाधन जुटाने का यही तरीका है? पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं। परिवहन और महंगा हो गया है। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि सरकार निरंकुश तरीके से काम कर रही है। यह सरकार धनियों और बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के हितों की रक्षा करने के लिये वचनबद्ध है। सारे देश ने मिलकर इस मूल्य वृद्धि के खिलाफ आवाज उठायी है। संसद के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी कि मूल्य वृद्धि के विरुद्ध अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करने के लिए लगभग सभी विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति द्वारा

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

संबोधित संसद के संयुक्त अधिवेशन का, जो कि इस महीने की 20 तारीख को हुआ, बहिष्कार किया, यदि यह सरकार साधारण व्यक्ति के प्रति जरा भी सहानुभूति रखती है तो मूल्य वृद्धि को वापस ले लिया जाना चाहिये।

अन्त में, मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि वह इस जन विरोधी नीति से बाज आये, उसे कोशिश करनी चाहिये कि गरीब दण्डित न हों तथा धनी छोड़े न जायें। सरकार को गरीबों को कुछ राहत पहुंचाने के लिए तुरन्त इस मूल्य वृद्धि को वापस ले लेना चाहिये। यदि सरकार मूल्यों को कम करने में सफल नहीं हुई तो सारे देश में लोग एक आन्दोलन प्रारम्भ कर देंगे, क्योंकि लोगों के पास अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये क्रय शक्ति नहीं है, ऐसी स्थिति न आने देने के लिये सरकार को आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम करने हेतु आगे आना चाहिये। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज)। सभापति महोदय, वैसे काफी माननीय सदस्यगण, चाहे विरोध पक्ष के हों या चाहे हमारी तरफ के हों, अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर इन्टरवीन किया है।

मान्यवर, जो इस प्रस्ताव के मूवर हैं, प्रोफेसर मधु दण्डवते साहब, जहां महंगाई की उन्होंने चर्चा की, वहां सारी भारतीय अर्थ-व्यवस्था की भी चर्चा कर दी और उन्होंने सरकार पर अनेक आरोप भी लगाये। मैं आंकड़ों में नहीं फंसना चाहता लेकिन मैं उनका ध्यान, जब वे 1977 में सत्ता में थे, उस ओर ले जाना चाहता हूं। आप को याद होगा कि ढाई साल के शासन में इन लोगों की कुव्यवस्था के कारण, यह सत्य है, एग्रीकल्चर का उत्पादन घट गया था और यही नहीं जो इन्डस्ट्रियल उत्पादन जब कांग्रेस सत्ता में थी, 10 प्रतिशत था, इन की अपनी इनएफीशियैन्सी के कारण उसको इन्होंने माइनस 0.14 परसेन्ट कर दिया। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि तेल का कन्जम्प्शन कम करने के लिये इनकी सरकार ने भी कोशिश की थी और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कन्जम्प्शन कम करने के लिये दो बार कीमतें बढ़ाई गई। एक बार 1973 में और दूसरी बार 1979 में लेकिन इन्होंने ऐसी कीमतें बढ़ाई, हमारे मधु दण्डवते जी को याद होगा कि पेट्रोल के लिए लाइन लगती थी और मिट्टी के तेल के लिए लाइन लगती थी। इन्होंने माननीय वित्त मंत्री जी की धर्म-पत्नी के बारे में भी कहा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया थी लेकिन इन्होंने किस तरह से व्यवहार किया था, वह भूल जाते हैं। ये अपनी कमियों और खामियों को भूल जाते हैं। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार ऐसी बनेगी जो काम करेगी। आप यह देखें कि 1980 के बाद हमने उत्तरोत्तर तरक्की की है और हर क्षेत्र में, हर सैक्टर में हमने तरक्की की है। ट्रान्सपोर्ट का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, चाहे लोहा हो, सीमेंट हो, बिजली और कोयला हो, हर बुनियादी चीज का हमने उत्पादन बढ़ाया है। यही नहीं, कृषि विभाग ने तो रिकार्ड पैदा किया है और आप जानते हैं कि 15 करोड़ टन के करीब इस देश में अनाज हुआ है और इसके भंडारण की समस्या पैदा हो गई है। हर क्षेत्र में, चाहे खेती का उत्पादन हो और चाहे औद्योगिक उत्पादन हो, हमने उसको बढ़ाया है। आज आप देखें कि जो डेवलप्ड कन्ट्रीज हैं, उन देशों में भी इन्फलेशन बीस प्रतिशत से कम नहीं आ सका। आज हमारे यहां इन्फलेशन 49 परसेन्ट है।

[श्री रामप्यारे पनिका]

जहां तक दाम बढ़ाने का प्रश्न है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे वित्तमन्त्री जी ने कह दिया है कि हमारी सहानुभूति जनता के साथ है लेकिन हमें गरीबों के हित में यह कठिन निर्णय लेना पड़ा हैं। मैं सदन को और सदन के माध्यम से सारे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ऐसे कठिन निर्णय जरूरत पड़ने पर कांग्रेस ही लेती रही है। जब देश की जनता के सामने कठिन पपिस्थिति हो तो हमें ऐसे निर्णय लेने ही पड़ते हैं।

लेकिन हमारे उधर के माननीय सदस्य नहीं चाहते कि हम देश के हित में अच्छे निर्णय लें। पिछले साल वजट पर बोलते हुए हमारे विरोधी दल के सदस्य कहते रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन को रेलों के लिए अधिक पैसा देना चाहिए, सड़कों के लिए अधिक पैसा देना चाहिए मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि यह पैसा कहां से आयेगा ?

आज जो अर्थिक कठिनाइयां है उनमें यह हमारे देश की सरकार की, हमारे देश के नेतृत्व की सफलता है कि हम अन्तर्राष्ट्रय वित्तीय संस्थाओं से कर्ज नहीं ले रहे हैं। हमने आई० एम० एफ० से कर्ज लेना बंद कर दिया है। क्या यह हमारी आर्थिक नीति की सफलता नहीं है ? आज आप देखें कि हमारा फारेन एक्सचेन्ज साड़े छः हजार करोड़ रुपए का है। ऐसा कभी नहीं हुआ है।

आज आप लोग देश में आन्दोलन चलाने की धमकी दे रहे हैं। हमने ये कीमतें बढ़ाते समय क्या कहा है, यही तो कहा है कि हम पेट्रोल की 1.25 परसेंट कंजम्पशन कम करना चाहते हैं। इस कंजम्पशन को कम करने के लिए सरकार ने और भी बहुत से कदम उठाये हैं। इन्डस्ट्रियल सैक्टर में उठाये हैं, एग्रीकल्चर सैक्टर में उठाये हैं। आप देखते होंगे कि किस तरह से रेडियो और टी० वी० से प्रचार किया जा रहा है कि हम कैसे अपनी कंजम्पशन कम कर सकते हैं।

जहां तक सब्सीडी का मामला है, हम 1981 में सात सौ करोड़ रुपये की सब्सीडी देते थे।, वहां आज हम 16 सौ करोड़ रुपये की सब्सीडी दे रहे हैं, यही नहीं जो खाद्य वस्तुएं हम इम्पोर्ट करते हैं उन पर भी हम सब्सीडी दे रहे हैं। किरोसीन आयल पर 71 पैसे लीटर और एल० पी० जी० पर 13 रुपये सिलिण्डर सब्सीडी दे रहे हैं।

यह है हमारे देश की सही तस्वीर। हम लोगों ने संकल्प किया है कि हम देश को एक मजबूत अर्थ व्यवस्था देंगे। हमने भारतवर्ष को आत्म-निर्भर बनाना है। इसके लिए हमें कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। यद्यपि इससे लोगों को तकलीफ होती है फिर भी देश के हित में हमारी जनता यह तकलीफ बर्दाश्त करने को तैयार है।

यह बात सही है कि हमारा डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी केन्द्रीय सरकार जो अलोटमेंन्ट करती है उसको प्रदेश सरकारें नहीं उठाती हैं।

आपको जानकर ताज्जुब होगा कि आज देश में सबसे कम बिजली का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम हर क्षेत्र में अपना उत्पादन बढ़ायें। इसी से देश में तेजी से विकास हो सकता है।

मैं कहना चाहता हूं कि मधु दंडवते जी हम अपने रास्ते से हटे नहीं हैं लेकिन आप अपनी छवि को भी देखिये। मैं अपनी सरकार को कठोर कदम उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

विरोधी दल वाले यह समझते हैं कि वे इस प्रश्न पर एक हो जायेंगे। लेकिन आज सबेरे ही हमने देखा कि इस मामले पर डिस्कशन के लिए वे अलग अलग हो गये। ये कभी भी एक नहीं हो सकते क्योंकि इनके सिद्धात अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं। आप आन्दोलन चलाना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम ट्राइबल लोगों को कितने कम दाम पर गेहूं दे रहे हैं, केवल 1.85 पैसे पर चावल दे रहे हैं। मैं मांग करना चाहता हूं कि इससे जो रुपया अधिक आ रहा है, उस रुपये को गरीबी निवारण में लगाया जाए और इसके लिए हमने जो संख्या 10 मिलियन निर्धारित की है, इसको और बढ़ाया जाए और इस संख्या को बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढें। यही नहीं खेती में नई नई टेक्नालाजी लाने की बात कही है, धान के लिए नई रिसर्च करने की कोशिश की है, इसके लिए और अधिक प्रोगाम बनाएं, इसको तेजी से लागू करें तो निश्चित रूप से जो ये भार आया है, अन्त में जब उत्पादन बढ़ेगा तो लोग इसका महत्व समझ जायेंगे। ऐसी हालत में दण्डवते जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब देश में किसी चीज की कमी नहीं है, प्रचुरता से सभी चीजें मिल रही हैं, चाहे तेल हो, खाद हो, हरएक चीज है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वह ढाई साल की सरकार जिसकी हां में हां चौबे जी भी मिला रहे हैं, उस काल में हर चीज की कीमत हो गई थी, चाहे प्याज का मूल्य हो, नमक दो रुपए किलो मिल रहा था, लेकिन आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं। पर हिन्दुस्तान की जनता इसको निश्चितरूप से नहीं भूलेगी। हमने जो कहा है वही किया है, इसलिए आप लुभावने नारे देकर, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ऐसे जन-आन्दोलन का आप प्रयत्न न करें। जहां आपको एक तरफ आज देश में जो कठिनाई आई है उसकी बात करनी चाहिए थी, राष्ट्रीय एकता और जखण्डता की बात करनी चाहिए थी, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करनी चाहिए थी, वह बात आपने इसमें कहीं नहीं की, आप राष्ट्रीय सद्भाव बनाने में कहीं नहीं हैं, वैसे आप इस दिशा में बढ़ सकते हैं क्योंकि एक तरफ कुछ लोग जातीयता के प्रतीक हैं, कुछ लोग सांप्रदायिकता के प्रतीक हैं, कैसे एक हो सकते हैं? एक तो जातीयता के, जनसंघ वाले सांप्रदायिकता के प्रतीक हैं, ये सारा तालमेल है, जनता आपको नहीं भूल सकती है। आप राष्ट्रीय कामों के लिए सद्भावना की बात करिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बात करिए, लेकिन राष्ट्र को कमजोर करने के लिए, उसको पिछड़ा रखने के लिए आप बात करते हैं। हमें लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात करनी चाहिए। हमारे सी. पी. एम. के लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि देश का निर्माण न हो। अभी बहुत से लोग सारी बातों को कह चुके हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो ये कदम उठाया है, इसमें जनता को विश्वास में लें कि जो एक-एक रुपया आप ले रहे हैं, आप जनता को विश्वास दिलाइए कि उसका उपयोग सही ढंग से पब्लिक सेक्टर में होगा और इसका परिणाम अच्छा होगा। आप सिंचाई के काम को आगे बढ़ाइए, करप्शन मिटाइए, इसके लिए आपने कदम उठाए हैं, आगे और कदम उठाते रहिये। जहां तक विपक्षी दलों की बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि सन् 1990 तक कोई दिखाई न दे और बिना अपोजीशन के हमको चलना पड़े।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : माननीय सभापति महोदय, यहां पर बड़े बड़े इकनामिस्ट बैठे हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं और सारी बातों को बार-बार यहां पर बहुत कुछ तफसील से कहा जा चुका है। मुझे सिर्फ दो-तीन बातें कहनी हैं।

आज बार-बार यह कहा जा रहा है कि सन् 1977 का दौर देखो, मुझे यह लगता है कि कि कहीं फिर सन् 1977 न आ जाए। अगर यही हाल रहा देश का और इस तरह से मंहगाई और चीजों की कीमतें बढ़ती रहीं तो यकीन दिलाता हूं कि वह टाइम करीब है, वह टाइम करीब है·····(**व्यवधान**)

ये जो अभी-अभी हमारे भाई ने कहा, हिन्ट किया प्रोफेसर दंडवते साहब, को यकीन दिलाता हूं कि शायद ऐसा न हो कि इसके बरअक्स हो जाए। आप लोग मेरी बात को सुनिए, जितने हमारे साहेबान बैठे हुए हैं जरा कांस्टीट्वेंसी में जाएं, कांस्टीट्वेंसी में निकलें, इनके दिल और दिमाग में यह बात है कि तेजी हुई है, इसलिए जरा अपनी कांस्टीट्वेंसी में निकलें, देखें इनको इनकी कांस्टीट्वेंसी के लोग क्या कहते हैं। इनमें हिम्मत नहीं है कि ये अपनी कांस्टीट्वेंसी में घूमें (**व्यवधान**) तेजी की यह हालत है, ये लोग अपनी कांस्टीट्वेंसी में क्यों नहीं जाते, यहां पर पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। देहात में देखें कि कन्डीशन क्या है। आप देखिये देहात में क्या हो रहा है। आप जो कीमतें बढ़ा रहे हैं, कीमतें जो बढ़ी हैं इसका रिजल्ट क्या है। काश्तकार किस तरह से अपना काम कर रहा है, उसके पास कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है, मकान नहीं है और आप यहां पर बैठे हुए हैं। आज बड़े आदमियों के हाथ में सत्ता है, केपिटलिस्ट्स के हाथ में सत्ता है, यहां पर महाराजाज और राजा साहेबान मिनिस्टर बनकर बैठे हुए हैं। आपको क्या पता कि देहात में किस तरह से गरीब लोग जिन्दगी गुजार रहे हैं। (**व्यवधान**) हम लोग तो यहां पर बैठे हुए डीनर खा खा रहे हैं और गप्पे मार रहे हैं। जाड़ों के दिनों में उनके पास कम्बल और चादर तक नहीं है। ·· (**व्यवधान**) सरकार की तरफ से बीस सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन उसका फायदा किसको मिलता है। · (**व्यवधान**) यहां पर आप लोग शोर मचा रहे हैं इसलिए यकीन दिला सकता हूं कि आप लोग अपनी कांस्टीच्युएंसी में नहीं जा सकते आप लोग घबराइए नहीं सन् 77 का समय करीब आ गया है।···· (**व्यवधान**) "फैले बद तो खुद करें नालत करें शैतान को"। बजट सैशन आने से पहले ही आपने कीमतें बढ़ा दीं कम से कम बजट तो सामने आने देते। उस वक्त आप कह देंगे कि हमने कीमतें कम कर दीं। बड़े आदमियों को मत देखिये, गरीब की ओर नज़र डालिये। बाहर जाकर देखिए कि प्राइस राइस के बाद क्रिटीसीज्म क्या है। यहां पर आप लोग हाऊस में बैठे हुए हैं लेकिन बाहर निकलना मुश्किल है। "टुकटुक दीदम दम न कशीदम"। आप लोगों को अहसास तो है लेकिन सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते।···· (**व्यवधान**) जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। आपके लिए मौत का पंगाम है। सही बात के लिए ही अपोजिशन फाइट कर रहा है। अभी-अभी चौधरी चरण सिंह जी पर आरोप लगाया गया। पहले मेरी बात सुन लीजिए।···· (**व्यवधान**) आप लोग कोयले की बात करते हैं। ईंट का दाम देख लीजिए। ईंट का भाव 320 और 340 के करीब है। जब आप कोयले की बात करते हैं तो यह बताइए कि कोयला कहां जाता है।···· (**व्यवधान**) फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे जरा कांस्टीच्युएंसी में चले जाएं और क्रिटिसीज्म को सुन लें कि आम जनता क्या कह रही है। ···· (**व्यवधान**) बजट पेश करने से पहले जरा क्षेत्र का दौरा कर लें और यह पता लगा लें कि

जनता की आवाज क्या है।....(व्यवधान) आप यकीन जानिये, मैंने अपनी कांसटीटूऐंसी का दौरा किया है और प्राइस-राइज के इफेक्ट को देखा है। किसान रो रहा है, काश्तकार रो रहे हैं और गरीब रो रहा है। सब तरफ हाहाकार है कि महंगाई बढ़ गई।

यह ठीक है कि आपने डैवलपमैंट के काम करने हैं, दूसरे काम करने हैं, हम भी मानते हैं कि आपको विकास के काम करने चाहिए, योजनाएं बनानी चाहिए और आपने कुछ काम किया भी है, लेकिन लोगों के हालात भी तो देखिए कि आज इंसान की कण्डीशन क्या हो रही है, कैसी परिस्थितियों से होकर उसको गुजरना पड़ रहा है। कीमत बढ़ने की वजह से हर इंसान परेशान है। आप तो यहां हाउस में बातें करते हैं, जहां बड़े आदमी बैठे हुए हैं। आप देश के गरीबों की तरफ भी तो देखिए कि गरीब अपना जीवन किन हालात में गुजार रहा है। हम लोग पार्लियामेंट में आ गये तो क्या हम उस गरीब को भूल गये जिन्होंने हमें वोट दिया और यहां भेजा। आपको देहातों की तरफ भी एक नजर डालनी चाहिए कि वहां कैसे हालात हो रहे हैं।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे बजट पेश करने से पहले जरा अपनी कान्सटीटूऐंसी का एक बार दौरा जरूर कर लें, अपनी कान्सटीटूऐंसी में घूम लें और आपने जो कीमतें बढ़ाई हैं, उनका क्या असर हुआ है, उसका अंदाजा लगाकर यहां बजट पेश करें।

[अनुवाद]

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : सभापति महोदय; स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वालों ने काफी उत्साह प्रकट किया परन्तु इससे कोई भी बात स्पष्ट नहीं हुई। महोदय, मैं कई कारणों से स्थगत प्रस्ताव से सहमत न होने के लिए क्षमा माँगता हूं।

आरंभ में मैं संवैधानिक बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं जो उन्होंने उठाई हैं। अर्थात, मूल्य बढ़ाने से पूर्व सरकार ने संसद की अनुमति प्राप्त नहीं की। क्या मैं यह बता सकता हूं कि बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करने का क्षेय संविधान के अनुच्छेद 265 को जाती है जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि "कोई भी कर कानूनी अधिकार के बिना नहीं लगाया जायेगा अथवा वसूल किया जाएगा। यह "प्रतिनिधित्व नहीं, कर नहीं" के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ केवल यह है कि जब आप जनता पर कर लगाना चाहते हैं, तो आप को संसद की सलाह लेनी होगी। यह नियंत्रित मूल्य पर लागू नहीं होता है विशेषकर यदि इसको करों के माध्यम से नहीं बढ़ाया गया है, किंतु, इसे हानियों को कम करने अथवा आदानों की लागत को पूरा करने अथवा ऐसे अन्य कारणों से जो कराधान से संबंधित न हों, बढ़ाया गया है। इस मामले में यह पूरी तरह स्पष्ट किया गया है कि कुछ वस्तुओं जैसे खाद्यान्नों, कोयला, पेट्रोलियम के मूल्यों में वृद्धि बहुत ही मजबूरी के कारण की गई है ताकि अति गरीब लोगों की कीमत पर भारी मात्रा में दी जा रही सब्सिडी को कम किया जा सके और खपत में संयम बरता जा सके। खाद्यान्न पर सब्सिडी के रूप में हम 1650 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं जो भारतीय खाद्य निगम को दी जाती है।

इसी प्रकार हम आयातित उर्वरकों पर 450 करोड़ रुपये और स्वदेशी उर्वरकों पर 1600 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रहे थे।

पेट्रोलियम के आयात को कम करने के लिये ऐसा करना न्यायोचित ठहराया गया है। जब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि हम खपत कम करें?

[श्री हरूभाई मेहता]

कोयले के बारे में ही ऐसी ही स्थिति है यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कोल इन्डिया लिमिटेड को प्रति दिन लगभग एक करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। हम कब तक इन मूल्यों पर सब्सिडी देते रहेंगे, जबकि हमें अपने वित्तीय संसाधनों के बारे में बहुत मितव्ययता बरतने की आवश्यकता है।

अत: यह कर लगाने का प्रावधान नहीं है। यह एक ऐसा प्रावधान है जिससे कुछ आकस्मिकताओं का सामना किया जा सके, सब्सिडी तथा आयात को कम किया जा सके। अत: अनुच्छेद 265 लागू नहीं किया जा सकता है। अत: यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसके बारे में यह शिकायत की जा सके कि सरकार ने मूल्य बढ़ाने से पूर्व संसद की अनुमति प्राप्त नहीं की। अब यदि सरकार इन उपायों को संसद के समक्ष आती जबकि संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो इसे संसद से मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह कोई कर नहीं है। अतः मूल्य वृद्धि की अधिसूचना के बारे में संसद को सूचना देने से ही यह उद्देश्य पूरा हो जाता। अत: इन उपबन्धों के पीछे कोई यथार्थता अथवा औचित्य नहीं है।

महोदय, दूसरी बात यह है कि मुझे सन्देह है कि विपक्ष में इस बारे में मतैक्य है। मैं देखता हूं कि जब विपक्ष के सदस्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हैं तो वह द्विविधा में पड़ जाते हैं। दुर्भाग्यवश इस बारे में उनका भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण है। उनमें से पूंजीवाद का समर्थन करते हैं उनका विचार है कि यह सरकार समाजवादी है। उनमें से जो समाजवाद का समर्थन करते हैं वह सोचते हैं कि यह सरकार पूंजीवादी है। अत: इस सरकार की नीतियों के बारे में उनका दृष्टिकोण एक समान नहीं है। द्विविधा के पीछे यही कारण है।

मैं उनसे केवल यही पूछूंगा कि क्या वह सरकार के सामने एक संयुक्त आर्थिक कार्यक्रम रख सकते हैं जिससे इस मूल्य वृद्धि को टाला जा सके। उदाहरणत: क्या वह सभी समाजवादी योजना को स्वीकार करेंगे ? मेरे कुछ मित्र पूर्व जर्मनी अथवा सोवियत संघ का उदाहरण देंगे जहां समाजवादी योजना के कारण मूल्यों में वृद्धि नहीं होती। किंतु विपक्ष के अनेक मित्र यह बात स्वीकार नहीं करेंगे। विपक्ष के कुछ मित्र स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं और विपक्ष के बहुत से वामपंथी इससे सहमत नहीं होंगे। अत: विपक्ष ने स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित कर दिया है कि मूल्य वृद्धि के प्रश्न पर उनका एक समान दृष्टिकोण नहीं है। उनकी मांग एक समान है कि मूल्यों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए; किंतु जो समाधान किए गए हैं वह एक जैसे नहीं हैं। उनके पास मूल्य वृद्धि किये जाने राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विकास के लिये कोई संयुक्त उपाय नहीं है। विपक्ष के समक्ष यह विचित्र स्थिति है।

मुझे यह देख कर खेद हो रहा है कि विपक्ष दोहरी बात कर रहा है। जब वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वह कहते हैं कि किसानों को अपने उत्पादों के अधिक मूल्य प्राप्त होने चाहिए। कृषि उत्पादों के लिये अधिक वसूली मूल्य तथा समर्थन मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिए। जब वह कसबों में जाते हैं, वह इसी प्रकार की बात करते हैं कि उपभोक्ताओं को राहत मिलनी चाहिए, और कसबों के उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों, खाने के तेल, आदि के मूल्यों में राहत मिलनी चाहिए।

9.37 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस दोहरी बात से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आपको कृषकों को लाभप्रद मूल्य देने होंगे और इसके लिये यदि उपभोक्ता मूल्यों में वृद्धि करनी पड़े तो उसके लिये तैयार रहना होगा।

मुझे बाइबल की एक कहानी याद आती है : एक स्थान पर भीड़ इकट्ठी हुई। वे एक महिला को पत्थर मार रहे थे। उस समय यीशू ने कहा : "ठहरो। पहला पत्थर वह मारेगा जिसने कभी पाप नहीं किया है।" सारी भीड़ रुक गई। ऐसा ही प्रश्न यहां उठा है। जनता पार्टी किस मुंह से इस मूल्य वृद्धि की आलोचना कर सकती है? 1977 और 1979 के बीच क्या हुआ? कोयले का मूल्य 17 जुलाई 1979 को बढ़ाया गया। कोल इन्डिया के कोयले की खानों के मुहानों पर मूल्य 64 रुपये 92 पैसे से बढ़ाकर 101 रुपये 18 पैसे कर दिया गया। इसी प्रकार इस्पात के मूल्य चार बार बढ़ाये गए 1 मार्च, 1978, 5 जून, 1978, 12 सितम्बर 1978 और 7 अप्रैल, 1979 को जनता पार्टी के शासन के दौरान पेट्रोल के मूल्य में असाधारण वृद्धि हुई, यहां तक कि प्रथम जनता सरकार टूट जाने से तथा दूसरी जनता सरकार के सत्ता में आने के पूर्व – जिसे निस्संदेह कुछ दिनों में ही सत्ता से हाथ धोना पड़ा।

अत: मुझे विश्वास है कि विपक्ष के मेरे विद्वान मित्र इस बात से सहमत होंगे कि यदि कोई और इस सरकार की आलोचना करे तो बात समझ में आ सकती है परन्तु जनता पार्टी के सदस्यों को मूल्य वृद्धि के संबंध में इस सरकार की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। इस स्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव न तो नैतिक मूल्यों पर आधारित है और न ही तथ्यों पर।

मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि वित्त मंत्री द्वारा इस सदन के समक्ष स्थिति को स्पष्ट कर दिये जाने के बाद यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि मूल्य वृद्धि को नहीं टाला जा सकता था। फिर भी मैं सरकार के विचार के लिए कुछ सुझाव दिये बिना नहीं रह सकता।

(1) उर्वरकों और खाद्यान्नों में मूल्य वृद्धि एक स्थाई पहलू नहीं होना चाहिए और इसे एक अपरिहार्य कदम माना जाना चाहिए ताकि जैसे ही कोई अवसर उपस्थित हो इस बारे में पुनर्विचार किया जा सके। जब भी अर्थ व्यवस्था में सुधार हो मूल्य वृद्धि की अनुकूल समीक्षा की जानी चाहिए।

(2) दो विकल्पों का उल्लेख किया गया है :

(क) योजना में कटौती अथवा (ख) मूल्य वृद्धि। यह डॉक्टर की द्विविधा के समान है या तो उसे उस बीमार की टांग काटने के लिए तैयार रहना है, अथवा उसे अधिक मात्रा में औषधि देनी है। अत: सरकार की स्थिति डाक्टर जैसी ही है। वित्त मंत्री ने भी यही स्पष्टीकरण दिया है। इन दो विकल्पों के अलावा और भी उपाय हैं जिन पर विचार किया जा सकता है।

उदाहरणत: वित्त मंत्री ने ठीक ही कहा है कि आयकर में वृद्धि से केन्द्रीय बजट के राजस्व में कोई विशेष वृद्धि नहीं होगी क्योंकि इसका 85 प्रतिशत अंश राज्यों को चला जाता है। परन्तु आयकर और निगम कर पर अधिभार लगाकर केन्द्रीय बजट के राजस्व में वृद्धि की जा सकती है।

[श्री हरूभाई मेहता]

जहां तक पैट्रोलियम का संबंध है सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या किसी प्रत्यक्ष कार्यवाही द्वारा खपत में कमी की जा सकती है। कुछ देशों में, खपत में कटौती के लिये कुछ उपाय किए गए हैं। जैसे उदाहरणः हम कह सकते हैं कि सप्ताह में एक बार वाहन नहीं चलाए जाएं; यह राशनिंग नहीं है; सम संख्या वाली गाड़ियां शनिवार को न चलाई जाएं और विषम संख्या वाली गाड़ियां रविवार को न चलायी जाएं। ऐसा करने से राशनिंग लागू किये बिना पैट्रोलियम की खपत को कम किया जा सकता है। अतः पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में कुछ माँग प्रबन्ध पर भी विचार किया जाना चाहिए।

इन सुझावों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि स्थगन प्रस्ताव में कोई सार है और सदन को इसे अस्वीकार कर देना चाहिये।

हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आनरेबल स्पीकर, साहब, मैं ऐडजर्नमेंट मोशन की हिमायत में खड़ा हुआ हूं और पहली बात यह कहना चाहता हूँ कि अभी वित्त मंत्री आनरेबल वी पी सिंह ने सरकार की तरफ से जिस पालिसी का इजहार किया इस विषय पर, मैं सझता हूं कि इन हाउस को उन्होंने एतमाद में नहीं लिया और हन उससे सैटिसफाइड नहीं हैं। अब्बल यह कि आपने जब कोई मुकाबला किया अपनी सरकार की पॉलिसी या नीति का, तरक्की का, जो कुछ भी हो, तो आपने जनता पार्टी के साथ किया, जिन्होंने सिर्फ ढाई साल हकूमत की और हो सकता है कि उनके अजमों में एक खल्फसार की बजह से या उनकी कमजोरियों की बजह उनकी सरकार गिर गई। लेकिन यह कोई मयार नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो सरकार कायम कर रही है। आज तक मुल्क में कोई ऐसी अपोजीशन की सरकार देर तक चल नहीं पाई। दूसरी बात जहां मुकाबला किया तो हमसाया देशों के साथ किया, जिसमें कि आपने बंगलादेश का और पाकिस्तान का बता दिया, जो कि बहुत गरीब देश हैं। हिन्दुस्तान के बारे में तो आज के ही पेपर्स में आया है कि अमरीका ने यह तसलीम किया है कि इंडिया-इज-ए-पावर। यह दुनियां की एक शक्ति के रूप में उभर गया है। इसलिए जब हम अपने स्टैंडर्ड की बात करें, तो मैं समझता हूं कि हम उस मयार को भी देखें जो और देशों में तरक्की हो रही है।

यह सरकार जो इतना बड़ा बजट बना रही है, उसको तो इतना ध्यान में रखना चाहिए था कि इस सरकार को जो वोट मिलें हैं, वे गरीबों के मिले हैं और यह सरकार उन लोगों की नुमाइन्दगी करती है, जिसमें कि 60 परसेंट हैंड-टू-माउथ गुजारा कर रहे हैं। उसमें मैं समझता हूं कि सरकार को कोई इन्कार नहीं होगा। हो सकता है कि पचास और साठ के बीच में आप यह अन्तर बता दें, लेकिन असल में साठ फी-सदी लोग भारत के वे लोग हैं, जो गरीब हैं और जिनको दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। वित्त मंत्री जी की जो भी यह पॉलिसी है, जो कुछ भी उन्होंने भाड़ा बढ़ाया या डीजल व पैट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दीं या पार्लियामेंट के सैशन के पहले कदम उठाए, ये बड़े तलख्याम हैं, बड़े सख्त कदम हैं और इसका ज्यादा नुकसान उन गरीब और मोहताज लोगों को होगा, जिनके आधार पर आपकी सरकार खड़ी हैं। आपकी सरकार ने जो इलैक्शन मैनीफैस्टो दिया है, मैं हुकमरान पार्टी से यह चाहूंगा कि वह अपने जमीर की तरफ देखें। अपने मैनीफैस्टो को देखें और अपने को पहचानें। क्योंकि जहां आपने वोट मांगे हैं या अपोजीशन ने भी मांगे हैं, तो वह आम जनता से मांगे हैं टाटा-बिरला या जो बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कम्पनियां

हैं, वह तो किसी भी पार्टी को जिता नहीं सकती। यह तो आपको मानना होगा और हमें भी तसलीम करना होगा। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें ज्यादा बहस और तवालत की गुंजाइश नहीं है। भागवत झा आजाद जैसे रिवोल्यूशनरी शायर, जो हिन्दुस्तान के एक बड़े कवि हैं, उनको यह तसलीम करना चाहिए था कि आज के हिन्दुस्तान में गरीबों के लिए जितने काम हुए हैं, जितनी तरक्की हुई है, वह किस तरीके की हुई है। वह कौन सी तरक्की हो सकती है, जिसमें कि आप एक ऐसा मुस्तकबिल एक ऐसा फ्यूचर हमें बता रहे हैं, जिसमें कि सारा वजन, सारा बोझ आप वर्किंग क्लास पर, मजदूरों पर, मेहनतकशों पर या उन बेकार बेरोजगार नौजवानों डाल रहे हैं, जिनकी कमर टूट जाएगी और वह मुश्तकबिल उनको देखना नसीब नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी इन कीमतों ने हिन्दुस्तान में एक ऐसी चर्चा पैदा कर दी, जो मैं आपकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं। जो कुछ इस पर रियैक्शन हुआ····दूर दर्शन पर आपकी सरकार से लोगों ने सवालात पूछे और मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप खुद देख लीजिए, आपकी बेगम ने जो सवाल आपसे पूछे, उनका जवाब भी आपसे नहीं बन पाये। उन्होंने ठीक ही कहा कि यह जो कीमतें इस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं इनका कहीं अन्त भी होगा क्या।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बेगम को जवाब दे पाते हैं ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जितना वर्किंग क्लास है, कारखानों में काम करने वाले जितने मजदूर हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी एक फिक्स्ड इनकम है, उनके ऊपर आपने हर महीने पचास, साठ और सौ रुपए बस का भाड़ा बढ़ा दिया है। उन्हें यह बर्दाश्त करना ही होगा। इससे वे डायरेक्टली हिट हो रहे हैं।

मैं इस बात को मानता हूँ कि आपके बड़े बड़े प्लान हैं, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज पैदा करें और आप यह भी चाहते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्टस का कम इस्तेमाल हो। लेकिन आपको बजा तौर पर मानना होगा। कि सबसे ज्यादा मजदूरों को ही कारखानों में जाना है। जो समाजी कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, काम करने वाले हैं उन्हीं को बसेज में चलना होगा। टाटा और बिड़ला बसेज में नहीं चलेंगे, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा उन्हीं लोगों के ऊपर इसका बढ़ाने असर पड़ेगा जिनकी आमदनी बढ़ाने की तरफ आपने कोई भी ध्यान नहीं दिया है और न उसके लिए आपके पास कोई प्लानिंग है।

मैं जहां से आया हूँ उस जम्मू-कश्मीर रियासत की तरफ इशारा करूंगा। पिछले तीन सालों से हमारे यहां खुद टूरिज्म तबाह हो गई, वहां की एकोनामी कुर्बान हो गई। वहां पर जो लोग बाहर से जाते थे उनकी बजह से जम्मू-कश्मीर रियासत को फायदा मिलता था लेकिन पंजाब में जो पोलिटिकल टरमायल पैदा हुआ उसका नतीजा हमें भुगतान पड़ा है। उसकी बजह से आज वहां पर हालत बहुत गम्भीर है। मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि ऐसी स्टेट्स के बारे में क्या सोचते हैं जहां पर कोई रेलवे लाइन नहीं हैं। मुझे नहीं मालूम जब रेलवे बजट आयेगा उसमें कितनी बढ़ोतरी भाड़े में की जायेगी लेकिन मैं वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि हमारा जो सारा कारोबार है वह बसेज और एक्स के जरिए से ही होता है। मेरा खयाल है हिमाचल का भी यही हाल है। यू० पी० के कई इलाकों का, नेफा का और कई नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स का भी यही हाल है। हमारे यहां जो बसेज ट्रक्स प्लाई करती हैं - श्री नगर टु डेलही, श्रीनगर टु लद्दाख या पुंछ और राजौरी के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ जायेंगी और

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

उससे भाड़ा बढ़ेगा तो हमारी जो सारी एकोनामी है वह कितनी बिगड़ जायेगी। हमारे साधन जो हैं, सारी चीजें हमारे यहां जो आ रही हैं वह ट्रक्स के जरिए से ही पहुंचती हैं। एक तरफ आप चाहते हैं कि हिल स्टेट्स को डेवलप किया जाए, यह आपकी नीति है लेकिन जब डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ जायेंगी तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितना खतरनाक नतीजा हमारी रियासत पर पड़ेगा। इसका आपके पास क्या जवाब है ? दूसरे इलाकों से जो सारी चीजें हमारे पहाड़ी इलाकों मे जा रही हैं उनके भाड़े में इतना इजाफा हो जायेगा और कीमतें बढ़ जायेंगी उसके बारे में आपने क्या सोचा है ? हम चाहते हैं आप इन चीजों पर भी गौर करें। आप जो डीजल को इतना मंहगा कर रहे हैं या जो खाना पकाने की गैस है उसके दाम इतना बढ़ा दिए हैं उससे आपने जम्मू कश्मीर और हिमाचल जैसी स्टेट्स के लिए बड़ी भारी प्राब्लम खड़ी कर दी है। हमारे जम्मू कश्मीर में जंगलात ज्यादा हैं, हिमाचल और नेफा में भी बहुत जंगलात है उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। (व्यवधान)

आपसे ज्यादा हम इस मुल्क के वफादार हैं--यह हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं। हम अपनी कुरबानियों से हिन्दुस्तान का साथ देकर हिन्दुस्तान के शहरी बने हैं, आपकी बजह से नहीं बने हैं। और न ही हमें आपका सर्टिफिकेट चाहिए, न ही हमें आपको साबित करना होगा कि हम हिन्दुस्तानी हैं। हम आपसे ज्यादा हिन्दुस्तानी हैं और आपसे ज्यादा सैक्रिफाइसेज हमने की हैं।

तो मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप खास तौर से पहाड़ी इलाकों के लिए सोचिए। आप वहां की टूरिज्म को देखें, वहां के फ्रूटस को देखें कि हर साल पचासों करोड़ के ही फ्रूट्स जम्मू कश्मीर से और हिमाचल से भी मैदानी इलाकों में देहली मद्रास को भेजे जाते हैं। पहले से ही भाड़े की बजह से उसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि वाजिब दाम ग्रोवर्स को नहीं मिल रहे हैं जिससे कि उनको फायदा हो सके बल्कि वे घाटे में पड़ रहे हैं। हमारी इम्पोर्टेंट इन्डस्ट्री, हमारे जो फ्रूट-ग्रोवर्स हैं, जिनकी सारी जिन्दगी, जिनकी रिहाइश और खाना-पीना सब कुछ इस पर निर्भर करता है, लेकिन वे लोग तबाह हो चुके हैं। वही ट्रक्स जो फ्रूट लेकर श्रीनगर, सोपोर, बारामूला से दूर-दूर के इलाकों दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता मद्रास आदि बड़े शहरों में जाते हैं, तो वहां ले जाने का भाड़ा दुगुना-तीगुना हो जाएगा। मैं एक बात सरकार को बताना चाहता हूं कि जब सरकार थोड़ा सा टैक्स रेज करती है, तो उसका असर तमाम चीजों पर पड़ जाता है। यदि सरकार पैट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाती है, तो पैट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने से सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं व्यापरी लोग जिनका पल्ला भारी होता है, वे सब चीजों के दाम बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वे इस तरफ मुतवज्जह हो जायें। इस मामले में जो आपने जवाब दिया है, मैं उससे मुतमईन नहीं हूं। जो कुछ यहां पर अपोजीशन पार्टीज ने कहा है, हो सकता है कि उसमें पॉलिटिक्स आ जाय, लेकिन इस मामले में पूरे हिन्दुस्तान में रियैक्शन हुआ है। मैं समझता हूं कि वजीरे आलम इस मुल्क में पोपूलर हैं और हाल में जो इनके द्वारा कदम उठाया गया है, उससे इनकी इमेज को धक्का लगा है, इनकी पार्टी की इमेज को धक्का लगा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस तरफ मुतवज्जह हो जायें और जो कीमतें बढ़ा दी गई हैं, इस मामले प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला दें। जो कुछ हमने यहां सच्चाई की बात कही है, उसको कबूल करके कीमतों को घटाने की कोशिश करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

عبدالرشید کابلی (سری نگر) آنریبل اسپیکر صاحب! میں ایڈجرنمنٹ موشن کی حمایت میں کھڑا ہوا ہوں اور پہلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی وت منتری آنریبل وی پی سنگھ نے سرکار کی طرف سے جس پالیسی کا اظہار کیا اسی پر میں سمجھتا ہوں کہ اس ہاؤس کے ممبروں نے اعتماد میں نہیں لیا اور ہم اس سے بیشس فائدہ نہیں ہیں گے اول یہ کہ آپ نے جب کوئی مقابلہ کیا اپنی سرکار کی پالیسی یا نیتی کا ترقی کا جو کچھ بھی ہو تو آپ نے جنتا پارٹی کے ساتھ کیا انھوں نے صرف ڈھائی سال حکومت کی اور ہو سکتا ہے کہ ان عرصوں میں ایک فلسفہ کی وجہ سے یا اس کی کمزوریوں کی وجہ سے ان کی سرکار گر گئی لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے جو سرکار قائم کر رہی ہے اب تک ملک میں کوئی ایسی اپوزیشن کی سرکار دیر تک چل نہیں پائی۔ دوسری بات جہاں مقابلہ کیا تو ہم سایہ دیشوں کے ساتھ کیا جس میں کہ آپ نے بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا بنا دیا جو کہ بہت غریب دیش ہیں۔ ہندوستان کے بارے میں تو آج کے ہی پیپر میں آیا ہے کہ امریکہ نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہندوستان ایک ابھرتی ہوئی دنیا کی ایک شکتی کے روپ میں ابھر گیا ہے اس لئے جب ہم اپنے اسٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس معیار کو بھی دیکھیں جو اور دیشوں میں ترقی ہو رہی ہے۔

یہ سرکار جو اتنا بڑا بجٹ بنا رہی ہے اس کو تو اتنا دھیان میں رکھنا چاہیئے تھا کہ جو ووٹ ملے ہیں وہ غریبوں کے ملے ہیں اور یہ سرکار ان لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے جس میں کہ ایورسیٹ ہینڈلوما وٹھ گزارا کر رہے ہیں۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو کوئی انکار نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ پچاس اور ساٹھ کے بیچ میں آپ یہ انتر بتا دیں لیکن اصل میں ساٹھ فیصدی لوگ بھارت کے وہ لوگ ہیں جو غریب ہیں اور جن کو دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ وت منتری جی کی جو بھی یہ پالیسی ہے جو کچھ بھی انھوں نے اٹھایا یا ڈیزل ڈیپریسیم کی قیمتیں بڑھا دی ویرپا لیمنٹ کے سیشن کے پہلے قدم اٹھائے یہ بڑے تیز دار ہیں۔ بڑے سخت قدم ہیں اور اس کا زیادہ نقصان ان غریب اور محتاج لوگوں کو ہوگا جن کے آدھار پر آپ کی سرکار کھڑی ہے۔ آپ کی سرکار نے جو الیکشن مینی فسٹو دیا ہے میں حکمراں پارٹی سے یہ چاہوں گا کہ وہ اپنے ضمیر کی طرف دیکھے۔ اپنے مینی فیسٹو کو دیکھے اور اپنے وعدے کیونکہ جہاں آپ نے ووٹ مانگے ہیں، اپوزیشن نے بھی مانگے ہیں تو وہ عام جنتا سے مانگے ہیں۔ ٹاٹا برلا جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ تو کسی بھی پارٹی کو چنا نہیں سکتیں۔ یہ تو آپ کو ماننا ہوگا اور ہمیں بھی تسلیم کرنا ہوگا۔ اس لئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں زیادہ بحث اور طوالت کی گنجائش نہیں ہے۔ بھاگوت جھا آزاد جیسے ریوالیوشنری

...ا کو ہندوستان کے ایک بڑے کوی ہیں ان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے تھا کہ آج کے ہندوستان میں مزدوروں کے لئے جتنے کام ہو رہے ہیں جتنی ترقی ہوئی ہے وہ کس طریقے کی ہوئی ہے وہ کونسی ترقی ہو سکتی ہے جس میں آپ ایک ایسا مستقبل ایک ایسا فیوچر دیکھ رہے ہیں جس میں کہ سارا وزن سارا بوجھ آپ ورکنگ کلاس پر مزدوروں پر محنت کشوں پر یا ان بیکار بے روزگار نوجوانوں پر ڈال رہے ہیں جن کی کمر ٹوٹ جائے گی اور وہ مستقبل ان کو دیکھنا نصیب نہ ہوگا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ان قیمتوں نے ہندوستان میں ایک چرچا پیدا کر دی جو میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں جو کچھ ری ایکشن ہو رہا ہے دور درشن پر آپ کی سرکار سے لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں میں وت منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کی بیگم نے جو سوال آپ سے پوچھے ان کا جواب ابھی آپ سے نہیں بن پایا۔ انھوں نے ٹھیک ہی کہا کہ یہ جو قیمتیں اس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہیں ان کا کہیں انت بھی ہوگا کیا یہ ری ایکشن نہیں ہے۔ آپ اپنی بیگم کو جواب دے پاتے ہیں۔

شری عبدالرشید کابلی: اس لئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی ورکنگ کلاس ہے کارخانوں میں کام کرنے والے جتنے مزدور ہیں یا جو سرکاری کرمچاری ہیں جن کی ایک فکسڈ انکم ہے ان کے لیے آپ نے ہر مہینے پچاس ساٹھ اور سو روپے بس کا بھاڑا بڑھا دیا ہے انھیں یہ برداشت کرنا ہی ہوگا۔ اس سے وہ ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہے ہیں۔

میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے پلان ہیں آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ریسورسز پیدا کریں اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کا کم استعمال ہو لیکن آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کہ سب سے زیادہ مزدوروں کو ہی کارخانوں میں جانا ہے جو ہائی کارکن ہیں جو ورکرس ہیں کام کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انھیں لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہے گا ان کی آمدنی بڑھانے کی طرف آپ نے کوئی بھی دھیان نہیں دیا ہے اور نہ اس کے لیے آپ کے پاس کوئی پلاننگ ہے۔

میں جہاں سے آیا ہوں اس جموں و کشمیر ریاست کی طرف اشارہ کروں گا۔ پچھلے تین سالوں سے ہمارے یہاں ٹورزم تباہ ہو گئی۔ وہاں کی اکانامی قربان ہو گئی وہاں پر جو لوگ باہر جاتے تھے ان کی وجہ سے جموں و کشمیر ریاست کو فائدہ ملتا تھا لیکن پنجاب میں جو ٹوٹل کل پیدا ہوا ہے اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ سے آج وہاں پر حالات بہت خراب ہے۔ میں وت منتری جی سے کہنا چاہوں گا کہ آپ [illegible] جہاں پر کوئی ریلوے لائن نہیں ہے [illegible]

بڑھوتری بھاڑے میں کی جائے گی۔ لیکن میں وت منتری جی کہوں گا کہ ہمارا جو سارا کاروبار ہے وہ لبسٹراور ٹرکس کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے ہماچل کا بھی یہی حال ہے۔ یوپی کے کئی علاقوں کا نینا کا اور گئی نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے یہاں جو لبسٹراور ٹرکس چلائی کرتی ہیں سری نگر گودھلی، سری نگر لداخ یا پونچھ اور راجوری کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور اسی سے بھاڑا بڑھے گا تو ہماری ساری اکانومی ہے وہ کتنی بگڑ جائے گی۔ ہمارے سادھن جو ہیں ساری چیزیں ہمارے یہاں جو آرہی ہیں وہ ٹرکس کے ذریعہ پہنچتی ہیں۔ ایک بات آپ چاہتے ہیں کہ ہل اسٹیٹس کو ڈولپ کیا جائے یہ آپ کی نیتی ہے۔ لیکن جب ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا خطرناک نتیجہ ہماری ریاست پر پڑے گا اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے دوسرے علاقوں میں جو سارا کی چیزیں ہمارے پہاڑی علاقوں میں جاری ہیں ان کے بھاڑے میں اتنا اضافہ ہو جائے گا اور قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ ان چیزوں پر بھی غور کریں آپ تو ڈیزل کو اتنا مہنگا کر رہے ہیں جو کھانا پکانے کی گیس ہے اس کے دام اتنا بڑھا رہے ہیں اس سے آپ نے جموں وکشمیر اور ہماچل جیسی اسٹیٹس کے لیے بڑی پرابلم کھڑی کر دی ہے۔ ہمارے جموں کشمیر میں جنگلات زیادہ ہیں۔ ہماچل اور نیفا میں بھی بہت جنگلات ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔

آپ سے زیادہ ہم اس ملک کے وفادار ہیں یہ ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں ہم اپنی قربانیوں سے ہندوستان کا ساتھ دے کر ہندوستان کے شہری بنے ہیں آپ کی وجہ سے نہیں بنے ہیں اور نہ ہی ہمیں آپ کا سرٹیفکٹ چاہیئے۔ نہ ہی ہمیں آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ہندوستانی ہیں ہم آپ سے زیادہ ہندوستانی ہیں اور آپ سے زیادہ سیکریفائسز ہم نے کی ہے۔

تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خاص طور سے پہاڑی علاقوں کے لئے سوچئے آپ وہاں کی ٹورزم کو دیکھیں ان کے ٹرسٹس کو دیکھیں کہ ہر سال پچاسوں کروڑ روپے کے ہی ٹرسٹس جموں وکشمیر سے اور ہماچل سے میدانی علاقوں میں دہلی وغیرہ اس کو دیکھے جاتے ہیں پہلے سے ہی بھاڑے کی وجہ سے اس کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ واجب دام گروورس کو نہیں مل رہے ہیں جس سے کہ ان کو فائدہ ہو سکے بلکہ وہ گھاٹے میں پڑ رہے ہیں۔

ہماری امپورٹنٹ انڈسٹری ہماری جو فروٹ گروورس ہیں جن کی ساری زندگی جن کی رہائش اور کھانا پینا سب کچھ اسی پر منحصر کرتا ہے لیکن وہ لوگ تباہ ہو چکے ہیں وہی ٹرکس جو فروٹ لے کر سری نگر، سوپور، بارہ مولا سے دور دور کے علاقوں دہلی بمبئی کلکتہ مدراس آدی۔ بڑے شہروں میں جاتے ہیں تو وہاں لے جانے کا بھاڑا دگنا تگنا ہو جائے گا۔ میں ایک بات سرکار کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سرکار تھوڑا سا ٹیکس ریز کرتی ہے تو اس کا اثر تمام چیزوں پر پڑتا جاتا ہے۔ یدی سرکار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھاتی ہے تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے سے ساری چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں۔ وہ پاری لوگوں کا بلا بھاری ہوتا ہے وہ سب چیزوں کے دام بڑھا دیتے ہیں۔ اس لئے میں سرکار سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس معاملے میں جو آپ نے جواب دیا ہے میں اس سے مطمئن نہیں ہوں جو کچھ یہاں پر اپوزیشن پارٹیوں نے کہا ہے ہو سکتا ہے اس میں پالیٹکس آجائے لیکن اس معاملے میں پورے ہندوستان میں ریکشن ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم اس ملک میں پاپولر ہیں اور حال میں جو ان کے دور اقدام اٹھایا گیا ہے اس سے ان کی امیج کو دھکا لگا ہے ان کی پارٹی کی امیج کو دھکا لگا ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ آپ اس طرف متوجہ ہو جائیں اور جو قیمتیں بڑھادی گئی ہیں اس معاملے میں پرائم منسٹر صاحب فیصلہ دیں جو کچھ ہمنے یہاں سچائی کی بات کہی ہے اس کو قبول کر کے قیمتوں کو گھٹانے کی کوشش کریں یہی میری آپ سے پرارتھنا ہے۔

[अनुवाद]

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : मैंने प्रो० मधु दण्डवते को ध्यानपूर्वक सुना। किन्तु मैंने इनके भाषण में कोई नई बात नहीं देखी। ये सब बातें वह बार-बार दोहराते हैं।

प्रो० दण्डवते ने काले धन पर जोर दिया। हमारी सरकार काले धन को रोकने के लिए कदम उठाती रही है। मैं चोरबाजारी करने वालों, तस्करों आदि के विरुद्ध सख्त कदम उठाने के लिये वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। किंतु मैं प्रो० मधु दण्डवते से पूछना चाहता हूं कि जब उनका दल सत्ता में था तो उन्होंने चोर बाजारी करने वालों और तस्करों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? उन्होंने हमें यह चेतावनी भी दे दी कि मूल्यों में वृद्धि के कारण जनता हमारे विरुद्ध विद्रोह करेगी। काश उन्होंने जनता की चेतावनी उस समय सुनी होती जब उन का दल सत्ता में था। हम 1977-80 को छोड़कर स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद से अब तक इस देश का शासन चला रहे हैं। फिर भी हम सत्ता में हैं। किन्तु पांच वर्ष की अवधि पूरी किए बिना ही जनता ने उनको सत्ता से उखाड़ फैंका।

इसी प्रकार श्री सोमनाथ चटर्जी ने मूल्यों में वृद्धि के बारे में और सरकार द्वारा इस समस्या का समाधान करने में असफलता के बारे में कहा। उन्होंने कहा है कि यह सरकार रात को काम करती है। चाहे सरकार दिन में निर्णय ले या रात में फिर भी सरकार काम कर रही है और साहसी निर्णय ले रही है। यह जिम्मेवारी लेती है और लोगों का सामना करती है।

उन्होंने यह भी कहा कि विशेषरूप से श्री एच० के० एल० भगत मूल्यों में वृद्धि के विरुद्ध थे और दल के अन्य सदस्यों ने भी इस सबंध में प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे दल में एक प्रकार का विद्रोह है। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे दल में सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से पूछना चाहता हूं : क्या आपका दल इसकी अनुमति देता है? एक वित्त मन्त्री ने दल के विरुद्ध बोला और उसको निकाल दिया गया। हमारे मामले में श्री एच० के० एल० भगत अभी भी दल में हैं।

कुछ अन्य मित्रों ने भी इन्हीं बातों को दोहराया है। मुझे श्री रामूवालिया का तर्क सुनकर आश्चर्य हुआ था। यह श्री रामूवालिया का विचित्र तर्क था। उन्होंने कहा था कि लोगों की कठिनाइयां बढ़ गयी हैं और हमें लगता है कि जैसे कोई सरकार कार्य ही नहीं कर रही हो। परन्तु क्या पंजाब में कोई सरकार है? जब से वे लोग सत्ता में आये हैं पंजाब में क्या हो रहा है? वहां पर कानून एवं व्यवस्था की क्या दशा है? प्रतिदिन वहां पर लोगों की हत्या की जा रही हैं और सरकार सो रही है। श्री बरनाला अपने यहां तो स्थिति को काबू नहीं कर पाये हैं और आप हम से पूछ रहे हैं कि सरकार किधर है। यही प्रश्न उन्हें अपनी सरकार से पूछना चाहिए। विचित्र तर्क जो उन्होंने दिया था कि सरकार को ये कीमतें बढ़ाकर इस तरह से धन एकत्रित नहीं करना चाहिए था और चूंकि सरकार ने धन एकत्रित कर लिया है अतः उसे इसका अंश पंजाब को देना चाहिए। बहुत ही विचित्र बात है।

मेरे मित्र, श्री काबुली ने कुछ बातें कहीं थी। उन्होंने कहा था कि हम हमेशा ही अपनी तुलना जनता सरकार से क्यों करते हैं। तो फिर हमें किसके साथ तुलना करनी चाहिए? क्या देश में आजादी के बाद से जनता सरकार के सिवाय कोई अन्य सरकार रही थी? अतः हमें उसके

[श्री रघुनन्दन लाल भाटिया]

साथ तुलना करनी ही पड़ती है और निःसंदेह हम उनकी कमियों को उजागर करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका पर्यटन असफल हो गया है और इसकी वजह से उन्हें काफी घाटा हुआ है। हमें उनके साथ सहानुभूति है परन्तु उन्हें भी अपने राज्य में ऐसी स्थिति बनानी चाहिए ताकि लोग वहां जा सके। पर्यटन केवल तभी प्रगति कर सकता है, जब राज्य में शान्ति हो। यदि आप गलियों में आकर शोर मचाने जैसी बातों का अनुसरण करेंगे और ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे तो कोई भी पर्यटक वहां नहीं जायेगा।

हम सभी मूल्यों की वृद्धि तथा लोगों की जो समस्यायें हैं, उनसे चिंतित हैं। इस पर कोई दो राये नहीं हैं और चाहे इस तरफ के लोग हैं तथा दूसरी तरफ के लोग हों, सभी ने अपनी चिंता ठीक ही व्यक्त की है। यह एक बहुत ही कठोर निर्णय है, जिसे सरकार को लेना पड़ा है। कोई भी खुश नहीं हैं। कोई भी ऐसे उपाय करना नहीं चाहता जब तक कि वह मजबूर न हो जाये। परन्तु इस स्थिति का दूसरा पहलू भी है कि हमारा देश बहुत बड़ा है और जिसकी जनसंख्या लगभग 70 करोड़ है। हमारा देश गरीब है, हमारा देश एक पिछड़ा देश है और वे सभी उपाय करने पड़ते हैं जिनसे पिछड़ापन दूर किया जा सके, जिनसे यह देश प्रगति कर सके। अतः, इस बारे में हमने नियोजित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया है और इसके लिए सरकार को संसाधनों की आवश्यकता होती है, संसाधन जुटाने के लिए वित्त मंत्री के पास कुछ विकल्प थे। पहला विकल्प उसके पास था। मूल्य वृद्धि का था। यह राष्ट्र पहले ही ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है कि और कर्ज लेना राष्ट्र हित में नहीं होगा। विपक्ष के सदस्य भी इसकी स्वीकृति नहीं देंगे। वे भी महसूस करेंगे कि और अधिक कर्ज लेते जाने की प्रवृत्ति से यह राष्ट्र उस स्थिति तक पहुंच जायेगा जिस पर दक्षिण अमरीका के कोलम्बिया और अर्जेन्टीना जैसे राष्ट्र पहले ही पहुंच चुके हैं। वे अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हैं। उनका कुल निर्यात उस धनराशि से बहुत कम है जिसका उन्हें भुगतान करना है। ऐसी स्थिति में जो राष्ट्र उन्हें कर्ज दे रहे हैं वे उनसे बदले में अपनी बात मनवा सकते हैं, उदाहरण के तौर पर वे उनकी मुद्रा का अवमूल्यन इत्यादि कर देते हैं। हम उस स्थिति में फंसना नहीं चाहते, इसलिए हमने इस विकल्प पर विचार नहीं किया। अतः इस विकल्प को त्याग दिया गया। दूसरा विकल्प जो वित्त मंत्री के सामने था वह योजना में कटौती करने का था। राज्यों ने अपनी 1986-87 योजनाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपये की मांग की थी परन्तु योजना आयोग से बातचीत करने के बाद इसे कम करके 20,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था। अब यह राष्ट्रीय वायदा है और इसे पूरा करने के लिए सरकार द्वारा कोष जुटाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब जब तक कि हम कर न लगायें यह धनराशि कहां से आयेगी ?

10.00 म० प०

अतः वित्त मंत्री को अधिक धन जुटाने के लिए करों में वृद्धि करनी पड़ी। तीसरा विकल्प यह है कि ये कर लगाये जायें तथा देश से ही संसाधन जुटाये जायें। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय कर्ज लेने के। हम अपनी योजना में कटौती नहीं कर सकते। अतः सरकार के पास मात्र एक ही विकल्प बाकी था कि करों में वृद्धि की जाये। अतः यही है जो उन्होंने किया है। यह एक कठोर निर्णय है, जैसा कि हमने पहले कहा है। परन्तु आखिर में यह सरकार को अपनी नीतियों तथा कार्यक्रम को पूरा करने में सहायक होगा।

इस स्थिति में हमें एक और बात देखनी होगी। राष्ट्र ने छठी योजना के दौरान सूखे व बाढ़ के लिए 2000 करोड़ रुपये खर्च किए। इस वर्ष में—केवल एक वर्ष में—1000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़े हैं। यह प्राकृति आपदाओं की वजह से हुआ है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए सरकार को धन एकत्रित करना है। अतः इस स्थिति को देखते हुए हम सभी को एक बात ध्यान में रखनी होगी। हमारे पड़ौसी राष्ट्र हथियारों के होड़ में लगे हुए हैं। इस देश को, स्वयं की रक्षा करने के लिए, उनके अनुसार अपने आपको हथियारों से लैस करना होगा। रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार को रक्षा पर भी खर्च करना है। अतः इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हमें इस स्थिति में एक जुट हो जाना चाहिए। विदेशी ताकतें इस राष्ट्र में अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। कई जातीय समस्यायें आदि भी चल रहीं हैं। वे हमारे लिए तथा राष्ट्र के लिए सभी प्रकार की समस्यायें उत्पन्न कर रहे हैं। अब इस संदर्भ में, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, अगर हम योजना बनाकर अधिक प्रगति नहीं करते हैं, अगर हम अपने लोगों को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो यह हमारे सामने एक और बड़ी समस्या बन जायेगी। अतः आंतरिक तौर पर तथा बाहरी तौर पर जिस परिस्थिति में हमारा देश चल रहा है उन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि हम, भारत के लोग एक हो जायें और अपने संसाधनों को सामूहिक रूप से जुटायें। हमें यह कोशिश करना चाहिए कि ये योजनायें सफल हों, हम अपने लोगों को संतुष्ट कर पायें, और हम इस मामले में ढील न दें। हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि अपने लोगों में संतोष उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रगति हो। अगर हम आंतरिक तौर पर मजबूत होंगे तो हम किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकेंगे। हमें मालूम हैं कि इस देश के लोग इन सभी चुनौतियों से निबटने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हैं। जो मूल्य वृद्धिकी गयी है वह एक सख्त निर्णय है। इसमें संदेह नहीं कि लोगों को कष्ट हो रहा है। जनता ने सदा कठिन समयों में हमारा साथ दिया है। उन्होंने इन सभी आपदाओं का मुकाबला किया है और उसका परिणाम यह है कि राष्ट्र ने प्रगति की है। इसी प्रकार से, इस स्थिति में जो किया गया है मुझे विश्वास है कि जनता हमारे साथ सहयोग करेगी और हम प्रगति करेंगे और हम देखेंगे कि ये सभी योजनाऐं सफल हों और हम इस पुराने ढर्रे से छुटकारा पा जायें।

मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : परमादरणीय अध्यक्ष जी, जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे उस्ताद मौलवी साहब हमें एक मुहावरा कहा करते थे। जब हम सबक याद नहीं करते थे या जब वे हमें पढ़ाते थे और हम कुछ अंट-शंट बोलते थे तो वे अक्सर कहा करते थे—"क्या कर रहे हो? जैसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोंचे"। आज वह बचपन की बात मुझे याद आ जाती है। आज हमारे प्रोफेसर मधु दंडवते जी ने जब यह बहस शुरू की तो सचमुच में उसी तरह की हालत उनकी रही। मुझे दुःख है कि अपने बहुत प्यारे मित्र प्रोफेसर मधु दंडवते जी को मुझे यह कहना पड़ रहा है—जैसा कि बचपन में हमारे उस्ताद हमें कहा करते थे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोंचे। (व्यवधान)

[सरदार बूटा सिंह]

आज तक मुझे इसके मायने याद नहीं थे लेकिन आज जब इतनी बैरंगी बहस को मैंने सुना तो मुझे इसके मायने याद आ गये। (व्यवधान) आपने भी अपनी तकरीर में इसके मायने कर दिये।

आज का जो एडजोर्नमेंट मोशन है इससे यह साबित हो गया कि हमारे विरोधी पक्ष की प्रवृत्ति क्या है। एक तरफ हमारा देश श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में बड़ी हिम्मत के साथ गरीबी के साथ जूझ रहा है और अविकसित क्षेत्रों के विकास के लिए लगा हुआ है और दूसरी तरफ हमारे विपक्ष के नेता हैं और प्रोफेसर दण्डवते जी हमारे भूतपूर्व रेल मंत्री, विपक्ष की गाड़ी से जो गाड़ी पटरी से उतरी हुई है, जिसका एंजिन टूटा हुआ है, जिसका स्टीम बाक्स ही नहीं हैं, उसको फिर से पटरी पर लगाकर चलाना चाहते हैं। उनके सामने कोई भी विषय आ जाए, उसको सहारा बनाकर गाड़ी को चलाना चाहते हैं। (व्यवधान)

अर्ज यह है कि यह जो एडजर्नमेंटमोशन है, दरअसल इससे हमें कुछ सबक लेना चाहिए और सबक लिया है हमने। जब देश के लोगों के सामने ये चीजें आजकी बहस से निकल कर जाएंगी, जो हमने कठोर फैसला किया है वह फैसला देश के विकास के लिए और देश में उन लोगों के विकास के लिए है जो आज तक उपेक्षित रहे, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो आन्दोलन कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, शायद इनका ही बंद न हो जाए। देश के लोग इनसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये जो फैसला भारत सरकार ने लिया है यह फैसला बहुत ही गंभीरता के साथ और बड़ी मुश्किल घड़ियों में लिया है। ये परीक्षा है देशवासियो की। दरअसल आज के संदर्भ में यदि देशभक्ति को हम देखना चाहें तो आज के संदर्भ में देशभक्ति का मतलब यही है कि देश के वो करोड़ों इन्सान जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है, जिनके लिए रिहाइश का प्रबन्ध नहीं हैं, जिनके लिए मेडिकल फेसिलिटीज नहीं हैं, जिनके लिए विकास के कोई साधन नहीं हैं, जिनके बच्चों की सेहत के लिए कोई सहारा नहीं है, उनकी भलाई के लिए भारत सरकार ने ये जो फैसले किए हैं, जो भी इससे उपलब्ध होगा, जैसे हमारे वित्त मंत्री जी ने अभी-अभी सदन के सामने बताया, श्री भागवत झा आजाद जी ने बताया, उससे सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मैं समझता हूं कि श्री भागवत झा आजाद की स्पीच के बाद ही ये एडजर्नमेंट मोशन खत्म हो जाना चाहिए था, मगर क्योंकि वो बेचारे फंसे बैठे हैं, खिसियानी बिल्ली की तरह, उनको यह पूरा करना ही था इसलिए इतना लंबी बहस चल गई। इसके बाद जैसे वित्तमंत्री महोदय ने देश की परिस्थिति के ऊपर बहुत ही अच्छे ढंग से प्रकाश डाला, मैं नहीं मानता हूं कि अब इस बहस में प्रोफेसर दण्डवते जी के पास कुछ बाकी बचा है। फिर भी मैं कुछ तथ्य आपके सामने उपस्थित करना चाहूंगा, यदि कोई कसर बची थी तो श्री इन्द्रजीत गुप्त ने पूरी कर दी। श्री इन्द्रजीत गुप्त जी के आखिरी चार वाक्य, उन्हीं की भाषा में मैं दोहराऊंगा, 4 वाक्य जो उन्होंने बोले हैं।

[अनुवाद]

"हम ज्वालामुखी पर नहीं बैठे हैं।"

[हिन्दी]

अब आप प्रोफेसर दण्डवते जी, आप ही बताइए, आपने ही कहा था—

[अनुवाद]

"हम ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं।"

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : आपको गलत लिखकर दिया है।

सरदार बूटा सिंह : मैंने तो वही लिखा है जो उन्होंने कहा है। दूसरा उन्होंने कहा है—

[अनुवाद]

"हम बर्बादी की तरफ नहीं जायेंगे।"

[हिन्दी]

ये इंद्रजीत गुप्त जी न कहा।

[अनुवाद]

"हम बर्बादी की तरफ नहीं जायेंगे।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : मैंने ऐसा नहीं कहा।

[अनुवाद]

मैंने कभी नहीं कहा कि हम बर्बादी की तरफ जायेंगे। मैंने कहा था कि आप बर्बादी की तरफ जा सकते हैं।

[हिन्दी[

सरदार बूटा सिंह : आपने तो इससे भी ज्यादा बुरा कहा।

तीसरा उन्होंने कहा—लैटअस फोर्जे एहैड।

चौथी बात उन्होंने कही—

[अनुवाद]

"आर्थिक स्वतन्त्रता का द्वितीय युद्ध।"

[हिन्दी]

लेटअस फोर्जे एहेड, किसके नेतृत्व में, बंद करने वालों के या उनके नेतृत्व में जो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त से ही पूछता हूं, आपने कहा—लैटअस फोर्जे एहैड; देश के लोगों ने एक स्वर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यह कह दिया है कि देश की

[सरदार बूटा सिंह]

राजीवगांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है और आज के संदर्भ में जो श्री राजीव गांधी जी ने और उनकी सरकार ने जो प्रयास किए हैं, उनका थोड़ा सा उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे प्रोफेसर साहब चले गए, प्रोफेसर सोमनाथ जी, उन्होंने पूछा था ···।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : वह प्रोफेसर नहीं, एक वकील है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

सरदार बुटासिंह : चलिये बैरिस्टर सही, बैरिस्टर सोमनाथ जी ने पूछा था कि आपने क्या प्राप्त किया, तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। एक मुद्दे को लेता हूं और वह है "पावर्टी एलीवेशन प्रोग्राम"। यह एक नक्शा है। इसको जान-बूझकर हमने हरा किया जिससे सावन के अन्धे देख सकें···(**व्यवधान**) प्रोफेसर साहब के पास भेज दूंगा। इस नक्शे में यदि हम सन् 1979-80 को देखें जबकि मान्यवर प्रोफेसर साहब इधर बैठे हुए थे, मालूम नहीं किनके नेतृत्व में चरण सिंह जी या मोरार जी भाई के। उस वक्त हमारे देश में गरीबी की रेखा के नीचे लोगों की संख्या जो थी वह ग्रामीण क्षेत्र में हमारे देशवासियों का 53.3 परसेंट थी और आज जब हम श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में बैठे हुए हैं तो यह संख्या कम होकर 39.9 परसेंट रह गई है··(**व्यवधान**) यह जो गरीबी के साथ एक महान युद्ध देश में हुआ जिसकी चर्चा केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि जिसकी चर्चा आज सारी दुनिया में हो रही है और जिसको प्रोफेसर दंडवते साहब के वे बड़े-बड़े अर्थ-विज्ञानी और विश्व बैंक के जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं···(**व्यवधान**) उनके प्रेजीडेंट समेत, वे कहते हैं कि यदि हमने पूरे विश्व में गरीबी के साथ किसी देश को जूझते हुए देखा है तो भारतवर्ष में श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में गरीबी के ऊपर डक पड़ा है। यह वह मान-चित्र है जो न केवल विदेशों में बल्कि पिछले महीने जब हम एफ० ए० ओ० की एनुअल मीटिंग में गए तो वहां एक प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की जाए। सारी दुनिया के नेताओं ने खड़े होकर एफ० ए० ओ० की असेम्बली में एक शब्द से उनको श्रद्धांजलि दी थी कि आज विश्व का वह नेता हमारे बीच में से उठ गया जिसने संसार को यह बताया कि कंगाली, भूखमरी और गरीबी के साथ कैसे लड़ाई की जाती है और वह श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ही थीं। यह प्राप्ति शायद हमारे विपक्षी दल को नजर नहीं आए लेकिन हमें जरूर नजर आती है। हम उन लोगों के लिए फिक्रमन्द है जो लोग शाम को कई बार भूखे पेट सोते हैं और जिनके सिर के ऊपर छप्पर नहीं है, चिकित्सा और स्कूल का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसके साथ-साथ एक और प्राप्ति का जिक्र करना चाहूंगा और वह यह है कि हमारे देश के दो लाख इक्तीस हजार गांव ऐसे थे जिनके पास एक भी पीने के पानी का साधन उपलब्ध नहीं था। बहुत पुराने समय से वे लोग नहरों और तालाबों में से और मेरे क्षेत्र में खासकर राजस्थान में प्रत्येक परिवार में हमारी माताएं और बहनें पूरा दिन और दूसरा कोई काम ही नहीं कर सकतीं क्योंकि दस-दस किलोमीटर दूर जाकर पानी का मटका लाना होता है। उनका पूरा दिन इसी में लग जाता है और वह पानी इतना खराब होता है जिसको पीने के बाद सारे परिवार के लोग

बीमार हो जाते हैं। इस सरकार ने श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में और श्री राजीव गांधी जी की प्रेरणा और प्रयास से दो लाख इक्तीस हजार गांवों में से एक लाख ब्यानवें हजार गांवों को स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध करवा दिया है। ये आंकड़े हमारे आंकड़े नहीं हैं। ये वैस्ट बंगाल सरकार, आन्ध्र प्रदेश सरकार, कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार के अपने भेजे हुए आंकड़े हैं, प्लानिंग कमीशन को, जो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या इसको भी प्राप्ति नहीं मानते। अब हमने एक प्रण लिया है और वह प्रण यह है कि सन् 1991 तक हमारे देश में एक भी गांव ऐसा नहीं रहेगा जिसमें पेयजल की कोई समस्या हो। हम यह बात फक्र से कह सकेंगे कि हमने अपने देशवासियों को पीने का पानी उपलब्ध करवा दिया है। इस योजना के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में जो धनराशि उपलब्ध थी, वह दो हजार सात करोड़ रुपये थी। और खर्चा हुआ 2,485 करोड़ रुपये। इससे आप अन्दाजा लगाइये कि लगभग 478 करोड़ रुपये अधिक लगे हैं। यदि हम ऐसी योजनाओं को आगे चलायेंगे, जैसा मैंने अभी कहा और गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाने के लिए हमें जो धनराशि आबंटित हुई थी, वह इतनी थी जिससे कि हम सिर्फ उतने लोगों को ही गरीबी रेखा से ऊपर उठा सकते थे, जिस संख्या में हमने पिछले वर्ष लोगों को उठाया था। मगर, जैसा आप सबको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई अविकसित क्षेत्रों का दौरा किया, वे उड़ीसा गए, बिहार गए, मध्य प्रदेश गए और केरल व राजस्थान भी गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि हमने जिन लोगों को एक डोज देकर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की थी, उनमें बहुत से लोग ऐसे रह गए थे जिनको सहायता दिए जाने के बावजूद भी उनकी अर्थ-व्यवस्था इस स्थिति में थी कि वे ऊपर नहीं उठ पाये जबकि हमने उनको संसाधन उपलब्ध करवाये थे। ऐसी स्थिति में हमारे सामने एक ही चारा था कि या तो गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए उनको जो ऋण दिए गए थे, उससे वे कर्ज के नीचे भी आ गए, हम उस कर्जे को छोड़ दें, क्योंकि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया था, उनको एक डोज दे दिया था और एक योजना में उनको कवर कर दिया था या हमारे सामने दूसरा नैतिकता का प्रश्न था कि हम दोबारा फिर से कोशिश करते, उनको कुछ राशि और उपलब्ध करवाते ताकि वे हिम्मत दिखायें और गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें। पहला डोज देकर उनकी कुछ सहायता तो पहले ही कर चुके थे, दूसरा डोज देकर हम चाहते थे कि नये बल से वे गरीबी की रेखा से ऊपर उठें। इस फैसले को क्रियान्वित करने के लिए हमें अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता थी, जबकि प्लान्स में जो राशि एक बार आबंटित हो चुकी थी, उससे एक पैसा भी ज्यादा नहीं मिल सकता था। अतः हमने वित्त मंत्री जी से प्रार्थना की और उन्होंने हमारी प्रार्थना को मानते हुए इस वर्ष 75 करोड़ रुपये अधिक दे दिए। उन्होंने कहा कि हम कोशिश करके अविकसित लोगों को, जो सहायता दिए जाने के बावजूद गरीबी की रेखा पार नहीं कर सके थे, दूसरा डोज देकर उन्हें गरीबी की रेखा पार कराने में यदि सहायता करें तो हम आपको अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवा देंगे। उनके आश्वासन के अनुरूप हमें बजट एलोकेशन से अधिक राशि मिली है। इसलिए हमें जो इस वर्ष अतिरिक्त साधन मिले, हम किसी दूसरी जगह से नहीं ले सकते थे। इसलिए अध्यक्ष जी, हमारे सामने कोई दूसरा चारा नहीं था और हमारे लिए अपने साधनों से यह काम करना असम्भव था।

यहां पर आपने पब्लिक अंडरटेकिंग्स का बहुत जिक्र किया। मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले एक साल में सरकार ने तवज्जह देकर पब्लिक अंडरटेकिंग्स के काम को जितना सुधारा है, वैसा शायद आज तक कभी नहीं हुआ। चाहे आप फर्टिलाइजर के सैक्टर ले लें या कोई दूसरा, हमारे

[सरदार बूटा सिंह]

बहुत से ऐसे यूनिटस थे जो बड़ी मुश्किल से अपनी कैपेसिटी का 40-50 या ज्यादा से ज्यादा 60 प्रतिशत उपयोग कर पाते थे। मगर आज हम कह सकते हैं कि हमारे तमाम फर्टिलाइजर के यूनिटस 80 परसेंट से ऊपर चल रहे हैं। सहकारिता के क्षेत्र में हमारे जितने यूनिटस हैं, जैसे इफको, कृभको, वे तो शत-प्रतिशत से भी ऊपर निकले हुए हैं और उसी का परिणाम है कि हम देश को अधिक मात्रा में खाद उपलब्ध करवा पाये हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि खाद के दाम कुछ बढ़े हैं, मगर मैं इसको ऐसा नहीं मानता। मैं तो ऐसा मानता हूं कि यदि किसान को पहले खाद पर कुछ सबसिडी मिलती थी, वह कुछ ज्यादा थी और अब उसमें थोड़ी कमी हुई है। यदि पहले यूरिया के एक बोरे के पीछे किसान को 56 रुपये की सबसिडी दी जाती थी, अब वह घटकर 50 रुपये रह गई है, यानी कुल 6 रुपये कम हो गए है। इसको आप कहते हैं कि हमने कीमतें बढ़ा दीं। उसी तरह से डी० ए० पी० पर पहले 120 रुपये सबसिडी किसानों को मिलती थी, जो अब घटकर 108 रुपये कर दी गई है, यानी 12 रु० सबसिडी कम हो गई है। इस वक्त किसान को हम जो उर्वरक मुहैया करवाते हैं, चाहे वह स्थान गांव से, शहर या जिले से कितनी भी दूर क्यों न हो, उसको उसी कीमत पर खाद उपलब्ध करवाते हैं, जिस रेट पर वह उसे बड़े-बड़े नगरों और शहरों में मिलती है। इस तरह उत्पादन से लेकर वितरण तक सारा खर्चा सरकार सहन करती है, हमारे फर्टिलाइजर यूनिट्स वहन करते हैं। उसी को हम सबसिडी कहते हैं। आज हमारी हालत यह हो गई है कि हमारा कृषि उत्पादन हैवीली सबसिडाइज्ड है। आप तो स्वयं कृषि पण्डित हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में इस वक्त कृषि के ऊपर 4,525 करोड़ रुपये की सबसिडी दी जाती है। हमारे खाद्यान्न के ऊपर 5845 करोड रुपये, कुल मिला-कर 10370 करोड़ रुपये की हम सबसिडी देते हैं। मैं तो यह मानता हूं कि सबसे आसान तरीका यह है कि हम उत्पादन ही बंद कर दें और इतना रुपया खर्च करके ब्राजील से गेहूं मंगवा लें, चावल मंगवा लें, हमें जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की। आज 1985-86 भारत वर्ष के कृषि विकास का एक वह सुनहरा साल है जबकि हमने सभी फसलों का आयात बंद कर दिया है, सिर्फ तिलहनों और दालों को छोड़कर अन्य सभी फसलों का आयात बंद कर दिया है। कहीं भी हमें इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बल्कि आज हम इस अवस्था में हो गए हैं कि कॉटन, गेहूं और चावल का हम निर्यात कर सकते हैं।

अभी-अभी अफ्रीका में बहुत भयंकर कहत पड़ा, बड़ा भारी अकाल पड़ा और आज वह भारत जो आज से दस-पंद्रह वर्ष पहले लोगों के सामने गेहूं मांगने जाता था, वही भारतवर्ष आज ऐसे मुसीबतजदां लोगों की मुसीबत को दूर करने के लिए गेहूं दे रहा है। इस ढंग से आपको पता चलेगा कि हमारे देश के किसानों ने किस तरह से कृषि क्षेत्र में अपने देश को समृद्ध किया है।

आज हम कृषि उद्योग में पूरे एशिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में यदि हमको इससे अन्दाजा लगता हो, तो एक ही देश के एक्सपर्ट साइंटिस्ट और विशेषज्ञ कृषि के क्षेत्र में इतनी ज्यादा संख्या में अपने देश से बाहर जाकर सेवा करते हैं, तो वह भारत देश है। यह हमारे विज्ञानियों और साइंटिस्ट के लिये बड़े गौरव की बात है कि दुनिया भर में किसी एक देश से इतने साइंटिस्ट कृषि के क्षेत्र में बाहर जाकर सेवा करते हैं, तो वह भारत है। यह बड़े फखर की बात है कि इतनी बड़ी तादाद हमारे देश टैक्नीकल मैन पॉवर की है जिसका मुकाबला बड़े से बड़ा देश नहीं कर सकता है।

अध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि हमारे देश के अन्दर बावजूद इसके कि हमने अरबों रुपया मेजर इरिगेशन के ऊपर खर्च किया है, फिर भी आज हमारे देश में बड़ी मुश्किल से 30 प्रतिशत सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। आज भी 70 प्रतिशत किसान हमारे देश में सूखे की खेती करता है। उसके लिए हमने माइनर इरिगेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है। छठी पंचवर्षीय योजना में माइनर इरिगेशन के ऊपर कुल मिलाकर 3355 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना में 6300 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान है। इससे आप अन्दाजा लगाइए कि कितनी भारी संख्या में हमें संसाधनों का प्रबंध करना पड़ रहा है अपने किसानों की बेहतरी के लिए, अपने किसानों के भले के लिए और किसानों के विकास लिए।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो आदेश दिए हैं, उनके अन्तर्गत हमें सबसे पहले उन क्षेत्रों का विकास करना है जहां सूखा ग्रस्त खेती होती है, जहां ड्राइलैंड फार्मिंग होती है, उन अविकसित क्षेत्रों को जो पीछे रह गए हैं, सबसे पहले विकसित करना है। अभी हमने पूर्वी क्षेत्र में चार बड़े प्रदेशों का एक सम्मेलन किया जिसमें वैस्ट बंगाल के मुख्य मंत्री, उड़ीसा के मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री और बिहार के मुख्य मंत्री शामिल हुए थे। अध्यक्ष जी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि ये चार बड़े प्रदेश यदि कृषि उद्योग में, कृषि विकास में, उसी प्रकार की प्रगति करें, जैसी प्रगति पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र तथा दूसरे प्रदेशों ने की है, तो हम केवल भारतवर्ष को ही नहीं, बल्कि विश्व के बहुत बड़े हिस्से को अनाज दे सकते हैं। आज तक इन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। उसके लिए एक योजना बनाई जा रही है जिससे हम अपने देश के अविकसित क्षेत्रों का विकास कर सकेंगे।

अध्यक्ष जी, अब मैं कुछ उन स्कीमों का जिक्र करूंगा जिनके द्वारा हम देशों में ग्रामीण विकास और कृषि विकास के माध्यम से गरीब लोगों का उत्थान करने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इस वक्त हमारे देश के जो स्माल और मार्जिनल फार्मर्स हैं वे बहुत ज्यादा तादाद में हैं जिनके पास पांच एकड़ से लेकर ढाई एकड़ तक भूमि हैं। हमारे देश के अन्दर बहुत भारी संख्या में गरीब किसान है जिन के पास बड़ी मुश्किल से 5 एकड़ ढाई एकड़ भूमि है। उन को समृद्ध करने के लिए ब्लाक डवलपमेंट प्रोग्राम है उस में जो गरीब किसान हैं उन को तीन हजार रुपया ट्यूबवैल लगाने के लिए सरकार की तरफ से पूरी सब्सिडी दी जाती है और जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उन को ट्यूबवैल लगाने के लिए चार हजार रुपया 100 परसेंट सब्सिडी दी जाती है। आदिवासी भाइयों के लिए 5 हजार रुपया हम सब्सिडी देते हैं। इस ढंग से माइनर इरीगेशन देश के बहुत गरीब किसानों के पास हम ले जाना चाहते हैं और यदि हम इस प्रकार से अपने किसानों के बारे में जो सरकार ने किया है उसको जोड़कर देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी संसाधन हम ने जोड़े हैं चाहे वह प्राइस राइज से हो या टैक्सेसन से हो, यह जो आज भारत सरकार ने एक बहुत सुदृढ़ कदम उठाया है इस कदम से अपने देश के गरीबों की सेवा में यह धन उपलब्ध होने जा रहा है और इस धन को हम उन की सेवा के कामों में लगाने जा रहे हैं। देश के लोग पहली बार देख रहे हैं कि आज किसी सरकार ने गरीब और मार्जिनल किसानों के लिए संसाधन जुटाने का प्रयास किया है और उस का विरोध कौन कर रहे हैं जो अपने आप को बहुत रैडिकल और सोशलिस्ट कहते हैं। आज उनके सोशलिज्म का पता चल गया कि जब गरीब किसानों की बात चली जब आदिवासियों की बात चली, जब अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान की बात चली तो आज ये भारत बन्द करना चाहते हैं। आप के माध्यम से

[सरदार बूटा सिंह]

मैं एक छोटा सा वार्निंग प्रोफेसर मधु दण्डवते जी को देना चाहता हूं । आप ने भारत बन्द का आह्वान कर दिया मगर आप को मालूम है कि देश के अन्दर कैसी परिस्थिति चल रही है, कैसा वातावरण आप लोगों ने बना रखा है ? आप कोई भी आन्दोलन चलाइए वह वायलेंस की तरफ जा रहा है । इसलिए आप जो जी चाहे करिए, प्रोफेसर साहब, आप को पूरा हक है । आप हड़-ताल की ऐयाशी कीजिए, आप बन्द की ऐयाशी कीजिए, मगर कृपया एक बात ध्यान में रखिए कि देश के अन्दर एक बड़े सटल ढंग से वायलेंस बढ़ रहा है और साम्प्रदायिकता बढ़ रही है जिस को हवा मिल रही है आपकी पार्टी की तरफ से····(**व्यवधान**)····मैं आप से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब भी कोई ऐसा कदम उठाइए··· यही बात मैं अपने उन भाइयों से कहा करता था जब उन्होंने नहर रोकने का प्रस्ताव रखा था तो उस वक्त इसी सदन में कहा गया था.... (**व्यवधान**).....

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : वह कौन सा आरोप लगा रहे हैं ? आर्थिक संघर्ष साम्प्रदायिकता को जन्म देता है । क्या वही बड़ी भविष्यवाणी है जो वह कर रहे हैं ।

सरदार बूटा सिंह : प्रो० मधु दण्डवते और जार्ज फर्नांडीज द्वारा इस देश में क्या किया जा रहा है यदि हमें उसका कोई अनुभव हो तो पहले से ही सचेत रहना होगा । और इस माध्यम द्वारा मैं देश को सचेत करना चाहता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उनसे हर चीज सीख सकता हूं, लेकिन देश भक्ति नहीं ।

सरदार बूटा सिंह : यह देश भक्ति का प्रश्न नहीं है । देश में साम्प्रदायिकता और हिंसा के बादल छाऐ हुए हैं । भगवान के लिए आप जो कुछ भी करें, कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आपके द्वारा की जाने वाली हड़तालों और बंद में, मासूम लोगों को सभी प्रकार की गतिविधियां करने के लिए गुमराह न किया जाये जिससे देश का विनाश हो सकता है हमें गर्व है कि आज ऐसे भारत में रह रहे हैं जो इस बात का दावा कर सकता है कि हमने गरीबी की समस्या का समाधान कर लिया है और हमने कृषि उत्पादन में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है । निश्चित रूप से हमारे सिर शर्म से झुक जायेंगे जब विश्व के लोग यह देखेंगे कि भारत साम्प्रदायिकता और हिंसा से ग्रस्त है । मैं यह सब अपने मित्र प्रो० मधु दण्डवते को याद दिलाना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि वह राष्ट्रीय विचार धारा वाले व्यक्ति हैं । लेकिन अधिकतर स्थिति उनके नियन्त्रण में नहीं रहती है जो केवल नारा लगाते हैं । आपने एक नारा दिया है । लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए । उस बन्द के कारण जो गड़बड़ी होती है । उसके लिए आप जिम्मेदार हैं । मैं आपको केवल इस बारे में ही सावधान करना चाहता हूं । मुझे विश्वास है जनता आमतौर पर जानती है कि सरकार ने एक कठिन कदम उठाया है । केवल दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति ही कठिन कदम उठा सकते हैं । जो व्यक्ति निठल्ले हैं और केवल नुक्ताचीनी करना जानते हैं वे कठिन कदम नहीं उठा सकते हमने एक कठिन कदम उठाया है और हमें इस पर गर्व है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, केवल थोड़े समय में ही मैं वाद-विवाद का उत्तर दूंगा । मैं आपका और सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता ।

श्रीमन इस वाद-विवाद में भाषणों विशेष रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों के भाषणों को सुनने के बाद मैं महसूस करता हूं कि कीमतों में वृद्धि के विरुद्ध विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव लाए जाने की बजाय उन्हें शायद यह आशा थी कि किसी को कीमतों में अत्यधिक वृद्धि पर सरकार को धन्यवाद देने के लिए एक धन्यवाद प्रस्ताव लाना चाहिए। यह मेरी धारणा थी।

मेरी दूसरी धारणा यह थी कि जब कुछ सदस्य विपक्ष के सदस्यों द्वारा उठाई गई विशेष बातों का उत्तर नहीं दे सके तो उन्होंने जनता पार्टी तथा जनता सरकार को अपना कोप भाजन बनाया और कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन्होंने जनता सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया हो।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह भी एक स्थगन था। 1977 और 1980 के बीच विकास का स्थगन।

प्रो० मधु दण्डवते : वह मेरी निष्कपट धारणा थी और मैं यह नहीं सोचता कि मैं अपनी धारणा बदल सकता हूं।

मैं केवल चार-पांच मिनट के अन्दर सदन को यह बताने का प्रयास करूंगा कि विपक्ष द्वारा उठाई गई कुछ मूल भूत बातों का बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया गया है। पहली बात यह है कि संसद को विश्वास में लिये बिना बजट से पहले ये उपकर क्यों लगाये गये? इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया है। दूसरी बात यह है कि क्या यह सच नहीं है कि यह दिखाने के लिये कि बजट में कोई कर नहीं लगाया गया है बजट से पहले कीमतों में वृद्धि कर दी गई? इसका उत्तर नहीं दिया गया। तीसरी बात। पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि क्यों की गई? जबकि विश्व में कच्चे तेल की कीमतें गिर गई हैं और इस दशाब्दी में वे कम से कम 15 डालर प्रति बैरल नीचे आ गई हैं? इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। चौथी बात। सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा? क्या यह सत्य नहीं है कि जो लोग सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति वचन बद्ध नहीं हैं उनको सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यभार सौंपा गया है। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया। पांचवी बात क्या देश में व्यापार अन्तर में वृद्धि से जिसके कारण विदेशी मुद्रा संकट उत्पन्न हो गया है अन्ततः सारी अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया। छठी बात सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अपमान जनक शर्तों को क्यों माना है? इस प्रश्न का अप्रत्यक्ष रूप से भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। सातवीं बात। क्या यह सच नहीं है कि आप योजना में कटौती नहीं करने की बात करते हैं परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना के आधार वर्ष को बदल कर आपने वास्तव में समग्र योजना परिव्यय को 6 से 8 प्रतिशत तक कम कर दिया है? इस प्रश्न का भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। आठवीं बात। क्या यह सच नहीं है कि इन उपकरों का बोझ अमीरों की बजाय गरीबों पर अधिक पड़ेगा? इस प्रश्न का भी जिसको अनेक विपक्षी सदस्यों ने उठाया था कोई उत्तर नहीं दिया गया।

चूंकि मूल्यवृद्धि से सम्बन्धित कुछ मूल प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया है मैं अपने अधिकार के नाते इस स्थगन प्रस्ताव के प्रस्तावित किये जाने का आग्रह करता हूं और आशा करता हूं कि सारा सदन इस स्थगन प्रस्ताव के सर्वसम्मति से स्वीकार किये जाने में हमारा साथ देगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

[अध्यक्ष महोदय]

"अब सभा स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

10.34 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

अठारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब संसदीय कार्य मंत्री कार्य मंत्रणा समिति का प्रस्तुत करें।

संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्रीमान में कार्य मंत्रणा समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

वित्तमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं....

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं। अब सदन मंगलवार, 25 फरवरी 1986 को 11 बजे समवेत होने के लिये स्थगित होता है।

10.35 म० प०

तत्पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 25 फरवरी, 1986/6 फाल्गुन, 1907 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, 126 पटपड़गंज, दिल्ली-92